60वीं

वार्षिक रिपोर्ट
2013–2014

1953-2013

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली–110 002 (भारत)
वेबसाइट : www.ugc.ac.in

वार्षिक रिपोर्ट
2013-2014

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली–110002 (भारत)
(वेबसाइट : www.ugc.ac.in)

वर्ष 2013–2014 के दौरान आयोग के सदस्यों की सूची

अध्यक्ष

प्रो0 वेद प्रकाश

उपाध्यक्ष

प्रो0 एच0 देवराज#

सदस्यगण

1. श्री अशोक ठाकुर
2. श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल
3. प्रो0 अच्युतानन्द सामन्त*
4. प्रो0 (डॉ0) सैयद ई0 हसनैन*
5. प्रो0 मीनाक्षी गोपीनाथ*
6. डॉ0 इन्दु साहनी
7. प्रो0 योगेन्द्र यादव**
8. डॉ0 वी0एस0 चौहान
9. प्रो0 डी0 नरसिम्हा रेड्डी
10. प्रो0 एम0एम0 अन्सारी
11. प्रो0 संजय गोविन्द ढ़ान्डे@
12. प्रो0 मोहम्मद मिंया@@
13. डॉ0 के0एन0 शांति@@
14. श्री पतंजलि(पातु) जी0 केशवानी@@

सचिव

डॉ0 अखिलेश गुप्ता$

प्रो0 (डॉ0) जसपाल सिंह संधु$$

---

25 जून, 2013 से

* 24 फरवरी, 2014 तक

** 18 सितम्बर, 2013 तक

@ 25 सितम्बर, 2013 से

@@ 26 फरवरी, 2014 से

$ 21 नवम्बर, 2013 तक

$$ 03 मार्च, 2014 से

मुद्रक एवं प्रकाशक	:	सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली–110 002
डिजाईन एवं मुद्रित	:	मैसर्स जीवन ऑफसैट प्रेस 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाईन साईड, आनन्द पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया न्यू रोहतक रोड़, नई दिल्ली–110005 दूरभाष : 9873870464 | ई–मेल : jewanpress@gmail.com

विषयसूची

	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन	ix
कार्यकारी सारांश 2013–14	1
1. **परिचय**	20
1.1 पृष्ठभूमि	20
1.1(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका एवं संगठन	20
1.2 बारहवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में	23
1.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में चल रहे विशेष प्रकोष्ठ	25
(क) सूचना का अधिकार अधिनियम (आर0आई0ए0)प्रकोष्ठ	25
(ख) वेतनमान प्रकोष्ठ	26
(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ	26
(घ) अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ	27
(ङ) सतर्कता प्रकोष्ठ	27
(च) विधिक प्रकोष्ठ	28
(छ) डेस्क : संसद्‌ीय मामले	28
(ज) कदाचार रोधी प्रकोष्ठ	29
(झ) ''कार्यस्थलों पर महिला यौन उत्पीड़न'' रोकने संबंधी प्रकोष्ठ	30
(ञ) रैगिंग–रोधी प्रकोष्ठ	30
1.4 प्रकाशन	32
1.5 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बजट और वित्त	33
1.6 केन्द्रीय तथा सम विश्वविद्यालयों के लिए संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.)	37
1.7 हीरक जयन्ती: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के 60 वर्ष	38
1.8 वर्ष के दौरान मुख्य निर्णय	43
2. **उच्चतर शिक्षा प्रणाली की वृद्धि : कुछ आँकड़े**	50
2.1 संस्थान	50
2.2 छात्रों का नामांकन	62
2.3 संकाय संख्या	70
2.4 शोध उपाधियाँ	74
2.5 उच्चतर शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में वृद्धि	75
2.6 राज्य तथा संकाय के आधार पर महिलाओं के नामांकन का संवितरण	76
2.7 महिला महाविद्यालय	77

2.8	उच्चतर शिक्षा में वृद्धि के संबंध में संक्षिप्त आंकड़े	78
3.	**विश्वविद्यालयों को विकास (योजनागत) तथा अनुरक्षण (गैर–योजनागत) सहायता**	**79**
3.1	विश्वविद्यालयों को सहायता	79
3.1(क)	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	79
3.1(ख)	राज्य विश्वविद्यालय	95
3.1(ग)	सम विश्वविद्यालय	104
4.	**महाविद्यालयों को विकास (योजनागत) और अनुरक्षण (गैर–योजनागत) सहायता**	**111**
4.1	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाविद्यालयों के विकास पर विशेष बल	111
4.2	वित्तीय सहायता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय	111
4.3	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को अनुदान	111
4.4	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी किए गए अनुदानों की योजनावार स्थिति	113
4.5	दिल्ली के महाविद्यालयों तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों को अनुदान	122
5.	**गुणवत्ता और उत्कृष्टता**	**124**
5.1	उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय (यू.पी.ई.)	124
5.2	उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सी.पी.ई.)	126
5.3	विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र (सी.पी.ई.पी0ए0)	126
5.4	नए केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना	130
5.5	विशेष सहायता कार्यक्रम (एस.ए.पी.)	130
5.6	नवोन्मेषी कार्यक्रम– कुछ उभरते हुए एवं अंतर्विषयक क्षेत्रों में अध्यापन एवं शोध	132
5.7	स्वायत्त महाविद्यालय	132
5.8	अकादमिक स्टॉफ कॉलेज (ए.एस.सी.)	134
5.9	राजभाषा (हिन्दी) का संवर्धन	134
5.10	द्विपक्षीय सांस्कृतिक और शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम	136
5.11	शोध तथा शिक्षण हेतु मानव संसाधन के विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षा	142
5.12	यात्रा अनुदान	149
5.13	अन्तर्विश्वमहाविद्यालय केन्द्र (आई.यू.सी.)	150
5.14	राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र	166
5.15	वृत्ति उन्नति योजना (सीएएस)	168
6.	**शोध संवर्धन**	**169**
6.1	शिक्षकों हेतु शोध परियोजनाएँ: बृहद् तथा लघु	169
6.2	शोध अवार्ड	171
6.3	एमेरिटस अध्येतावृत्तियाँ	172

6.4	विभिन्न शैक्षिक और शोध संबंधी क्रियाकलापों के आयोजन हेतु शिक्षकों, विषय/विधा आधारित संघों को प्रोत्साहन	173
6.5	विदेशी नागरिकों के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियाँ (जे.आर.एफ.) एवं अनुसंधान एसोसिएटशिप (आर.ए.)	173
6.6	भारतीय नागरिकों के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियाँ	174
6.7	अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ	175
6.8	अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए पोस्ट–डाक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ	178
6.9	पेशेवर पाठयक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ	180
6.10	शोध वैज्ञानिक (संशोधन–पूर्व)	183
6.11	महिला उम्मीदवारों के लिए पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ	183
6.12	गेट अर्हता प्राप्त एम.ई/एम.टेक./एम.फार्मा छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ	184
6.13	एकल बालिका हेतु इंदिरा गाँधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां	185
6.14	स्नातकपूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय–रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर मैरिट छात्रवृत्ति	188
6.15	अल्पसंख्यक छात्रों हेतु मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	191
6.16	विश्वविद्यालयों में मूलभूत वैज्ञानिक शोध	194
6.17	नेटवर्किंग शोध केन्द्रः समर–विंटर स्कूल	195
6.18	डा0 डी0एस0कोठारी पोस्ट डाक्टोरल शोध अध्येतावृत्ति	196
6.19	मेधावी छात्रों के लिए विज्ञान विषयों में शोध अध्येतावृत्तियाँ	197
6.20	ऑपरेशन फ़ैकल्टी रीचार्ज	198
6.21	वि.अ.आ.–बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति योजना	198
6.22	बीएसआर कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को एकमुश्त अनुदान	199
6.23	नए भर्ती हुए संकायों के लिए ''स्टार्ट–अप अनुदान''	200
7.	**लिंग तथा सामाजिक समानता**	201
7.1	भारतीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में महिला अध्ययन का विकास	201
7.2	सामाजिक बर्हिवेशन और समावेशन की नीति का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालयों में केन्द्रों की स्थापना	201
7.3	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना	203
7.4	विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठ की स्थापना	205
7.5	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अपिव (असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु अनुशिक्षण	206
7.5(क)	उपचारी अनुशिक्षण	206
7.5(ख)	नेट/सेट परीक्षा अनुशिक्षण	206
7.5(ग)	सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण कक्षाएं	206

7.6 निशक्त व्यक्तियों हेतु सुविधाएं 207

7.6(क) विशेष शिक्षा हेतु अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना (टीईपीएसई) 207

7.6(ख) निशक्त व्यक्तियों हेतु उच्चतर शिक्षा (एचईपीएसएन) 208

7.6(ग) दृष्टिबाधित शिक्षकों के लिए वित्तीय सहायता 209

8. प्रासंगिक तथा मूल्य आधारित शिक्षा 210

8.1 विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रमों को आरंभ किया जाना 210

8.2 विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन केन्द्र 211

8.3 युग प्रवर्तक भारतीय समाज चिंतकों पर विशेष अध्ययन 214

8.4 मानवाधिकार शिक्षा (एच.आर.ई.) 215

9. संचार एवं सूचना प्रौद्योकियों का समेकन 217

9.1 ई–गवर्नेंस 217

9.2 स्नातकोत्तर विषयों हेतु ई–विषयवस्तु पाठय सामग्री तैयार करना 217

10. नई पहल 218

10.1 सामुदायिक महाविद्यालय 218

10.2 दूरस्थ शिक्षा 220

10.3 बी0वोक0 उपाधि कार्यक्रम 222

परिशिष्टों की सूची

I. **दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार** केन्द्रीय, राज्य, राज्य निजी विश्वविद्यालय तथा राज्य विधान अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित संस्थान एवं समविश्वविद्यालय संस्थानों की राज्यवार सूची। 223

II. दिनांक **31.03.2014 की स्थिति के अनुसार** ऐसे राज्य विश्वविद्यालयों की सूची जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। 252

III. वर्ष **2013–2014** के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करने वाले दिल्ली के महाविद्यालयों एवं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों की सूची। 260

IV. दिनांक **31.03.2014** की स्थिति के अनुसार स्वायत्तशायी महाविद्यालयों की राज्यवार सूची। 263

V. वर्ष **2013–2014** के दौरान अकादमिक स्टॉफ कॉलेजों की राज्यवार सूची। 267

VI. वर्ष **2013–2014** के दौरान देश में वि0अ0आ0–नेट परीक्षा हेतु केन्द्रों की सूची 270

VII. वर्ष **2013–2014** के दौरान वि0अ0आ0–नेट विषयों की सूची 272

VIII. वर्ष **2013–2014** के दौरान विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को प्रदत्त गैर–योजनागत (मुख्य शीर्ष–वार) अनुदान को दर्शाने वाला विवरण 276

IX. वर्ष **2013–2014** के दौरान विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को प्रदत्त सामान्य योजनागत (मुख्य शीर्ष–वार) अनुदान को दर्शाने वाला विवरण 290

प्राक्कथन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) की वर्ष 1953 में स्थापना के साथ ही की वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन अनवरत रूप से किया जा रहा है।

वर्ष 2013–2014 की वार्षिक रिपोर्ट न केवल देश में उच्च शिक्षा स्तर को बनाए रखने तथा समन्वय स्थापित करने के लिए शीर्ष संस्था के रूप में वि0अ0आ0 द्वारा की गई महत्त्वपूर्ण पहल को दर्शाती है बल्कि यह रिपोर्ट विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के सामान्य विकास का संवर्धन करने, में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई को पहल पर भी प्रकाश डालती है जिससे शिक्षा तक पहुंच, समता, संगतता और उत्कृष्टता में वृद्धि हुई।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के द्वितीय वर्ष में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता और समता आधारित विस्तार सुनिश्चित करने के लिए अनेक नई पहल की हैं। मुझे आशा है कि इस वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए समस्त आंकड़े/जानकारियां शिक्षकों, छात्रों शोधकर्ताओं, प्रशासकों तथा उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अन्य हितधारकों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी।

मैं इस अवसर पर आयोग के सभी सदस्यों का वि0अ0आ0 के एजेंडों को आगे ले जाने में उनके उदार सहयोग हेतु अत्यंत आभारी हूँ और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ ।

मैं इस अवसर पर रिपोर्ट को इसके वर्तमान स्वरुप में तैयार करने के लिए मेरे सहयोगियों द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं प्रो0 एच0 देवराज, उपाघ्यक्ष; डॉ0 (श्रीमती) पंकज मित्तल, संयुक्त सचिव; श्री सुभाष चंद्र, पूर्व समन्वयक; डॉ0 दीक्षा राजपूत, प्रकाशन अधिकारी तथा श्री पीयूष कुमार, परियोजना अधिकारी, इन्फलीबनेट को रिपोर्ट के प्रकाशन का पर्यवेक्षण करने हेतु विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं।

वार्षिक रिपोर्ट की विषयवस्तु में सुधार करने के लिए सुझावों का स्वागत है।

नई दिल्ली

प्रो0 वेद प्रकाश
अध्यक्ष

कार्यकारी सारांश 2013–2014

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2013–14 का कार्यकारी सारांश न केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनिवार्य उद्देश्यों बल्कि उसकी विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों तथा इन पर हुए व्यय के साथ–साथ आँकड़ों के संदर्भ में हुए विकास और इनके तहत् प्राप्त वास्तविक लक्ष्य को दर्शाते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्रियाकलापों को भी समाहित करता है।

1. प्राक्कथन

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न ब्यूरो तथा प्रकोष्ठों के माध्यम से कार्य करता है। रिर्पोटाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न क्रियाकलापों की रिपोर्ट निम्नवत उद्धत है।
- जाली विश्वविद्यालयों तथा डिग्रियों की बढ़ती संख्या के खतरे से निपटने के लिए उत्तरदायी कदाचार प्रकोष्ठ ने कुल 21 जाली संस्थानों की पहचान करके उनके विरूद्ध कार्यवाही की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ठोस कार्यवाही के आधार पर कतिपय संस्थानों के नामों के जुड़ने/घटने से संस्थानों की संख्या में अंतर होता रहता है। वि0अ0आ0 ने समाचार पत्रों में जनसाधारण/छात्रों की जागरूकता हेतु अकादमिक सत्र के आरंभ में छात्रों को जाली संस्थानों में प्रवेश प्राप्त न करने हेतु आगाह करते हुए एक नोटिस/प्रेस विज्ञप्ति जारी की।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सतर्कता प्रकोष्ठ को रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 246 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से केन्द्रीय सतर्कता आयोग (25) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (33) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (10) और 178 विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों से प्राप्त हुई और संवेदनशील स्वरुप के कुछ मामलों में जाँच समिति के समक्ष रखा गया है और समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही आरंभ कर दी गई।
- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के महिला उत्पीडन प्रकोष्ठ को किसी महिला अधिकारी से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- वर्ष 2013–2014 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भारत के विभिन्न न्यायालयों में दर्ज 1126 मामलों में प्रतिवादी बनाया गया और अधिवक्ताओं के बिल पर पिछले वर्ष के 224.0 लाख रुपये की तुलना में 269.38 लाख रुपये का व्यय हुआ।
- संसद् डेस्क को वर्ष 2013–2014 के दौरान पिछले वर्ष के 553 संसदीय प्रश्नों की तुलना में 505 प्रश्न प्राप्त हुए। 44 तारांकित प्रश्नों में से 9 प्रश्नों पर आश्वासन दिया गया तथा शेष का निपटान कर दिया गया।
- वर्ष 2013–2014 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आर0आई0ए0 प्रकोष्ठ को सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल मिलाकर 14919 आवेदन तथा 776 अपीलें प्राप्त हुई तथा वर्ष 2013–2014 के दौरान आरटीआई शुल्क संग्रहण 1,35,0616/– रु0 रहा तथा अतिरिक्त शुल्क 28,496/– रु0 रहा।
- वेतनमान प्रकोष्ठ जिसे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमान एवं सेवा शर्तों से संबंधित मामलों का समाधान करने और अध्यापकों के लिए गठित वेतन समीक्षा समिति के कामों का समन्वय करने के लिए गठित किया गया है– इस प्रकोष्ठ द्वारा मा.सं.वि.मं./विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शिक्षकों और अन्य अकादमिक कर्मचारिवृंदों की न्यूनतम अर्हता के संबध में विनियमों को परिचालित किया और उपाचार्य से प्राचार्य के पद पर चयन की प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए प्रेक्षकों की भी नियुक्ति की।

- विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने तथा नियुक्तियों के प्रति, आरक्षण नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ द्वारा निगरानी की जा रही है।
- वर्ष 2008 में स्थापित अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ द्वारा अल्पसंख्यकों से जुड़े मामलों पर कार्यवाही की जाती है। जैसे कि सम–विश्वविद्यालय दर्जा प्रदान करना और अल्पसंख्यक संस्थानों को सम्बद्धता प्रदान करना आदि। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की देख–रेखे समूह 'क' एवं समूह 'ख' अधिकरी करते हैं।
- वर्ष 2008 में स्थापित रैगिंग–रोधी प्रकोष्ठ का इस बारे में दायित्व है कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों में विद्यमान रैगिंग की समस्या पर नियंत्रण रखा जाये। रैगिंग के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो भी निर्देश है, उनका अनुपालन करने के लिये समस्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों को कहा गया है। एक राष्ट्रव्यापी 24X7 निःशुल्क रैगिंग रोधी हेल्पलाइन 1800–180–5522 आरंभ की गई है। इस हैल्पलाइन को कॉल सेंटर सुविधाओं सहित 12 भाषाओं कार्यवाही करने के लिए लागू किया गया है। एक रैगिंग–रोधी वेबसाइट का भी विकास किया जा रहा है। रिपोर्टाधीन वर्ष (2013–14)के दौरान 132 शिकायतें विभिन्न महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों और सम्बद्ध संस्थानों से प्राप्त हुईं। शिकायतों पर की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजने को कहा गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्तर पर 125 शिकायतों को समाप्त कर दिया गया है तथा 7 मामलों में की गयी कार्यवाही रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रकाशन ब्यूरो ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट सहित 15 प्रकाशनों के प्रकाशन/मुद्रण पर 28.68 लाख रुपये व्यय किए।

वित्त ब्यूरो

- वित्त वर्ष 2013–2014 के लिए बजट और अनुदान–सहायता की प्राप्ति निम्नवत है:

वर्ष 2013–2014 के लिए बजट

(रु0 करोड़ में)

क्र.सं.	बजट शीर्ष	योजनागत आवंटन		गैर–योजनागत आवंटन	
		ब0अनु0	सं0अनु0	ब0अनु0	सं0अनु0
1.	सामान्य	5717.00	5222.86	5066.74	5132.46
	कुल	5717.00	5222.86	5066.74	5132.46

वर्ष 2013–2014 के दौरान प्राप्त योजनागत और गैर–योजनागत (सामान्य) अनुदान

(करोड़ रु0 में)

क्र.सं.	मंत्रालय द्वारा प्राप्त अनुदान	योजनागत	गैर–योजनागत
1.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (सामान्य)	5013.91	5124.39
2.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली	24.50	0.00
3.	जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली	0.00	0.00
4.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, नई दिल्ली	50.00	0.00
	कुल	**5088.41**	**5124.39**

- वर्ष 2013–2014 के दौरान जारी योजनागत अनुदान (5348.26 करोड़ रुपये) में से 47.93 प्रतिशत केंद्रीय विश्वविद्यालयों, 3.17 प्रतिशत सम विश्वविद्यालयों, 17.06 प्रतिशत राज्य विश्वविद्यालयों और 1.68 प्रतिशत राज्यों के विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों को दिया गया।
- वर्ष 2013–2014 के दौरान जारी कुल गैर–योजनागत अनुदान (5179.05 करोड़ रुपये) में से 64.41 प्रतिशत केंद्रीय विश्वविद्यालयों, 23.55 प्रतिशत दिल्ली के महाविद्यालयों और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों को और 4.61 प्रतिशत समविश्वविद्यालयों को जारी किया गया।
- संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.) जो कि उन शिक्षणेत्तर स्टाफ़ पदों (केवल केंद्रीय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित समविश्वविद्यालयों के लिये) एक समान संवर्ग संरचना का निर्माण करने और वेतनमानों, कर्त्तव्यों, अर्हताओं का यौक्तिकरण करने के लिये किया जो कि 24 संवर्ग के बारे में था और उसकी रिपोर्ट वर्ष 2011–12 के दौरान आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समीक्षा समिति की इस रिपोर्ट को सहमति के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेज दिया हैं। केन्द्र द्वारा प्रायोजित संस्थानों में एसीपी के कार्यान्वयन के संबंध में दिशानिर्देश भी परिचालित किए जा चुके हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि0अ0आ0) ने विश्वविद्यालयों में मानकों के समन्वय तथा निर्धारण के अधिदेश के साथ ही अपने अस्तित्व में आने के 60वर्ष पूर्ण कर लिये हैं। 28 दिसम्बर, 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई, इसने देश में उच्चतर शिक्षा में गुणात्मक सुधार के 60 महत्वपूर्ण पड़ाव पूर्ण कर लिए हैं।

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग : वर्ष के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

उच्चतर शिक्षा मे समन्वय करने तथा मानकों को बनाये रखने के अपने मूल कृत्यों के निवर्हन तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के द्वितीय वर्ष (2013–14) के दौरान अनेक उपाय किये हैं।

- हैदराबाद विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संकाय शोध संवर्धन कार्यक्रम (एफआरपीपी) के कार्यान्वयन हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये।
- आयोग ने यह संकल्प लिया कि 'नवोन्मेषी विश्वविद्यालयों की योजना' पर पुनर्विचार किया जाये तथा यदि संभव हो तो इसका 'उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय (यूपीई) की योजना' के साथ विलय किया जाये।
- राज्य विश्वविद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा केन्द्र द्वारा वित्तपोषित सम विश्वविद्यालय के संबंध में बारहवीं पंचवर्षीय योजना आवंटन को अनुमोदित किया गया। सभी पात्र विश्वविद्यालयों के संबंध में आवंटनों को अनुमोदित करते हुए आयोग ने पाया कि एक बार आरयूएसए पर अंतिम निर्णय लिये जाने के पश्चात् इन आवंटनों पर पर्याप्त रूप से पुनर्विचार किया जाये।
- विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के शिक्षकों हेतु अध्ययनार्थ अवकाश तथा वेतन और भत्तों की ग्राह्यता का निर्धारण करने के संबंध में दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया गया।
- आयोग ने शिक्षा वर्ष 2013–14 के लिये क्रेडिट प्वाइंट के साथ एनसीसी को चयनित विषय के रूप में लागू करने के लिये महाविद्यालयों हेतु वित्तीय सहायता में वृद्धि किये जाने को अनुमोदित किया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की हीरक जयंती स्मरणोत्सव मनाया गया।
- दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम की स्थिति के संबंध में आयोग ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के संबंध में लिये गये निर्णय का अनुसमर्थन किया।

- आयोग ने नियमित/दूरस्थ/निजी/ऑनलाइन/अंशकालीन आधार पर दो अथवा अधिक उपाधियों को एक साथ जारी रखने हेतु छात्रों की अनुमति प्रदान करने के मुद्दे पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का अनुमोदन किया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (औपचारिक शिक्षा के माध्यम से निष्णात उपाधि प्रदान करने संबंधी अनुदेशों के न्यूनतम मानदण्ड (प्रथम संशोधन)) विनियम, 2013 को अनुमोदित किया।
- स्व–वित्तपोषित महाविद्यालयों को अनुदानों के मुद्दे पर यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किसी भी स्व–वित्तपोषित संस्थान को अनुदान प्रदान नहीं किया जाना चाहिए, चाहे ऐसे संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) के तहत सम्मिलित हों, तथा संस्थानों में शिक्षक एवं छात्र केन्द्रित योजनाओं को सहायता प्रदान करने के अपने पूर्व के निर्णय को दोहराया।
- ''सभी उच्चतर संस्थानों का अनिवार्य मूल्यांकन तथा प्रत्यायन विनियम, 2012'' के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम में संशोधन को अनुमोदित किया गया। तथापि, संशोधन को निम्नानुसार पढा जाना चाहिए कि ''मूल्यांकन तथा प्रत्यायन एजेन्सी'' का अभिप्राय प्रत्यायन प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद्, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडीयेशन अथवा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य एजेन्सी अथवा संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित कोई अन्य एजेंन्सी है।
- विज्ञान तथा मानविकी विषय में वृहद तथा लघु शोध परियोजनाओं के संबंध में बारहवीं पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित कर दिया गया। तथापि, दिशानिर्देशों को अनुमोदित करते हुए आयोग ने यह निर्णय लिया कि लघु शोध परियोजनाओं को केवल महाविद्यालय तक सीमित रखा जाए।
- आयोग द्वारा उत्कृष्टता की संभाव्यता (यूपीई)/उत्कृष्टता वाले विश्वविद्यालय (यूई) के संबंध में बारहवीं पंचवर्षीय संशोधित दिशानिर्देशों को अनुमोदित कर दिया गया।
- आयोग ने अध्यापकों की शिक्षा हेतु अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र की स्थापना को सिद्धांत रूप में अनुमोदित कर दिया तथा इस मामले को मंत्रालय को संदर्भित करने का निर्णय लिया।
- उच्चतर शिक्षा संस्थानों में विश्वविद्यालयों के सांविधिक प्रत्यायन के संबंध में वि0अ0आ0 विनियम, 2012 के संदर्भ में यह पाया गया कि अनेक ऐसे विश्वविद्यालय/संस्थानों ने अनिवार्य प्रत्यायन की प्रक्रिया को आरंभ नहीं किया है। आयोग ने इस मामले पर विचार किया तथा यह ऐसे विश्वविद्यालय/संस्थानों के बने रहने तथा उनके दैनदिन कार्यकरण के हित में यह निर्णय लिया कि उन्हें निधियां आबंटित करना जारी रखा जाये। तथापि, ऐसे सभी संस्थानों को 01जून, 2014 तक प्रत्यायन ऐजन्सी के समक्ष आवेदन करना होगा साथ ही यह भी जानकारी दी की ऐसा न करने पर 1 अप्रैल, 2015 के पश्चात वि0अ0आ0 द्वारा वित्तीय सहायता को बंद कर दिया जायेगा। यह भी निर्णय लिया गया कि जबकि इस निर्णय के संबंध में विश्वविद्यालय/संस्थान को जानकारी प्रदान की जाये, वि0अ0आ0 उपर्युक्त निर्णय को शामिल करने हुए उपरोक्त उल्लिखित विनियम, 2012 में उचित संशोधन किया जाये।
- बारहवीं पंचवर्षीय के दौरान खेल–कूद के संवर्धन हेतु दिशानिर्देशों तथा माड्यूलों पर विचार करना तथा विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में उच्च क्षमता वाली खेल–कूद सुविधाओं के समेकन को अनुमोदित किया।
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) हेतु उत्कृष्टता की संभावना वाले महाविद्यालय (सीपीई) उत्कृष्टता वाले महाविद्यालयों (सीई) के संबंध में दिशानिर्देशों में संशोधन पर विचार करना तथा उन्हें अनुमोदन प्रदान किया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयो हेतु सामुदायिक महाविद्यालयों संबंधी दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया (2012–17)।

- आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन विश्वविद्यालयों में संसाधन जुटाने हेतु प्रोत्साहन की योजना को अनुमोदित कर दिया। तथापि, आयोग ने यह सुझाव दिया कि योजना के प्रचालनात्मक भाग पर चर्चा करने के लिए एफए, वि0अ0आ0 तथा मा0सं0वि0म0 के वित्त प्रभाग के प्रतिनिधियों को बैठक करनी चाहिये।
- आयोग ने उर्दू/अरबी/फारसी भाषा को सम्मिलित किये जाने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 के तहत उपाधियों को विनिर्दिष्टता हेतु भेजने को अनुमोदित किया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मानकों का निर्धारण तथा निजी विश्वविद्यालयों में उनका रखरखाव) विनियम, 2014 को आशोधनों के साथ अनुमोदित किया।
- आयोग ने वि0अ0आ0 (विश्वविद्यालयों द्वारा तकनीकी शिक्षा की पेशकश करने वाले महाविद्यालयों को संबंद्धता प्रदान करना) विनियम, 2014 पर विस्तार से चर्चा की तथा विनियम को अनुमोदित किया तथा विनियम को अनुमोदन हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय विभाग को भेजने की निर्णय लिया।
- अ.पि.व. (अन्य पिछड़ा वर्ग) के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती हेतु अर्हक अंकों में 5 प्रतिशत (55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत) की छूट साथ ही अ.पि.व. के अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली नेट परीक्षा में इसी प्रकार की छूट प्रदान किये जाने को अनुमोदन प्रदान किया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 'नेशनल स्किल क्वालीफीकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के तहत विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में व्यवसाय स्नातक (बी.वोक.) कार्यक्रम को आरंभ करने संबंधी दिशानिर्देशों को अनुमोदित कर दिया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मूल्यांकन तथा प्रत्यायन एजेन्सियों को मान्यता तथा निगरानी) विनियम, 2014 को अनुमोदन प्रदान किया गया। तथापि, यह भी निर्णय लिया गया कि विनियमों को कार्यान्वित करने हेतु एक कार्ययोजना तैयार की जाये जिसे सूचनार्थ आयोग के समक्ष रखा जाये।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के लिये उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय (यूपीई)/उत्कृष्टता वाले विश्वविद्यालय (यूई) हेतु दिशानिर्देशों में संशोधन को अनुमोदन प्रदान किया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012–17) के दौरान विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्षपीठों हेतु संशोधित दिशानिर्देशों को निम्नवत आशोधनों के साथ अनुमोदित कर दियाः
  - (i) विचार किये जाने हेतु आयु को बढ़ाकर 55 से 70 वर्ष किया जाये।
  - (ii) पंडित मदन मोहन मालवीय तथा सर सैयद अहमद खान के नाम पर भी अध्यक्षपीठों का गठन किया जाये।
- आयोग ने विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभावना वाले केन्द्र (सीपीईपीए) के दर्जे को मार्च, 2017 तक बढ़ाने तथा 7 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया।
- सभी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में गेट अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों हेतु एमई/एम.टैक हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति को पुनः कार्यान्वित करने को अनुमोदित किया गया।
- तकनीकी महाविद्यालयों द्वारा संबद्धता/दाखिले की क्षमता में वृद्धि हेतु नये प्रस्तावों के अनुमोदन पर एक वर्ष के अधिस्थगन काल के संबंध में आयोग ने निम्नवत पर एक वर्ष के अधिस्थगन काल के संबंध में संकल्प लिया किः
  - (क) विश्वविद्यालयों द्वारा तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले नये महाविद्यालय को संबद्ध किया जायेगा; और
  - (ख) तकनीकी महाविद्यालयों में छात्रों के दाखिले में वृद्धि को अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

- आयोग ने 2(च) और 12(ख) के तहत सम्मिलित नहीं किये गये संस्थानों से चयनित शिक्षकों को एकमुश्त आधार पर रमन स्नातकोत्तर अध्येतावृत्ति प्रदान करने को अनुमोदित किया।
- आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु "उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय" (सीपीई)/ "उत्कृष्टता वाले संस्थान" (आईई) संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधनों को कतिपय आशोधनों के साथ अनुमोदित कर दिया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2010 को आशोधनों के साथ अनुमोदित कर दिया गया।
- आयोग ने आशोधनों को शामिल करने के पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2014 को अनुमोदन हेतु मा0स0वि0म0 भेजने का निर्णय लिया।
- वि0अ0आ0 ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारिवृंदों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण हेतु अन्य उपाय) विनियम, 2010 तथा इसके द्वितीय संशोधन में आशोधन करके रोल–आऊट योजना, एपपीआई संचयी अंकों में प्रतिशत की अधिकतम सीमा तथा महाविद्यालयों के प्राचार्यों के कार्यकाल में आशोधन को अनुमोदित किया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनेक नीतिगत उपाय करने के लिए निम्नवत विशेषज्ञ समितियों का गठन किया।
    1. निष्णात उपाधि विनियम में आंशिक आशोधन।
    2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 के तहत उपाधियों को विनिर्दिष्टता।
    3. स्वदेशी भाषाओं का संवर्धन।
    4. नियमित/दूरस्थ पद्धति से एक साथ दो उपाधि/पाठ्यक्रमों का अध्ययन करना।
    5. विश्वविद्यालयों को संबद्धता प्रदान करने के संबंध में एआईसीटीई पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विनियम तैयार करना।
    6. एनएचईक्यूएफ (सीएबीई समिति) हेतु विनियम तैयार करना।
    7. विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में मानदण्ड आधारित वित्तपोषण करना।

2. उच्चतर शिक्षा प्रणाली का विकास : कुछ आँकड़े

- आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ज) के भारतवर्ष एवं अन्य देशों के विश्वविद्यालयों की शिक्षा से सम्बधित मामलों इस प्रकार की सूचना एकत्र करने का अधिकार है जैसा वह उचित समझता हैं।
- स्वतंत्रता के समय उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में 2.1 लाख छात्रों के साथ भारत में केवल 20 विश्वविद्यालय और 500 महाविद्यालय थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो संख्या विद्यमान थी उसकी तुलना में अब विश्वविद्यालयों से संबंधित संख्या 37 गुना हो चुकी है। महाविद्यालयों से संबंधित यह संख्या 79 गुना हो चुकी है और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की तुलना में उच्चतर शिक्षा की औपचारिक प्रणाली के अंतर्गत छात्रों का नामांकन 113 गुना हो चुका है।
- 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयों की संख्या 666 तक जा पहुँची है (जिनमें 45 केंद्रीय, 313 राज्य, 175 राज्य निजी, 129 समविश्वविद्यालय है, 4 संस्थान राज्य विधान के तहत स्थापित हैं) एवं उच्चतर शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 39671 महाविद्यालय हैं। जहाँ तक विश्वविद्यालयों की संख्या का प्रश्न है तमिलनाडु इस सूची में सबसे ऊपर है जहाँ 61 विश्वविद्यालय है, इसके बाद उत्तरप्रदेश (59) विश्वविद्यालय है, तमिलनाडु (51) हैं। इस सूची से यह पता चलता है कि राज्यों में विश्वविद्यालयों की स्थापना अनियमित ढंग से हुई हैं।

- रिपोर्टाधीन वर्ष 2013–2014 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विश्वविद्यालयों की सूची में 13 राज्य तथा 24 राज्य निजी विश्वविद्यालयों को सम्मिलित किया गया हैं और 4 विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किया गया है।
- वर्ष 2013–2014 के दौरान विभिन्न राज्यों में कुल मिलाकर 2467 नए महाविद्यालय स्थापित किए गए जिन्हें मिलाकर महाविद्यालयों की संख्या वर्ष 2012–13 के 37204 से बढ़कर वर्ष 2013–2014 के दौरान 39671 हो गयी।
- वित्त वर्ष 2013–2014 के अंत तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों की कुल संख्या 9360 थी। इनमें अब तक धारा 2(च) के तहत मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में हैं (1766), जिसके बाद महाराष्ट्र (1221), कर्नाटक (791) और आंध्रप्रदेश (632) आदि है।
- शिक्षा सत्र 2012–2013 के दौरान समस्त पाठ्यक्रमों और नियमित विषय के स्तरों पर कुल नामांकन 237.65 लाख था जिसमें 105.52 लाख छात्राएँ थीं, जो कि समस्त नामांकन का 44.40 प्रतिशत था। उत्तर प्रदेश में महिला छात्रों का सर्वाधिक नामांकन (37.72 लाख) रहा जिसके बाद महाराष्ट्र (26.87 लाख), आन्ध्र प्रदेश (22.01 लाख) तथा तमिलनाडु (21.85 लाख) आदि रहा।
- विभिन्न स्तरों पर छात्रों के नामांकन का प्रतिशतताओं निम्नवत रहा है:

स्तर	स्नातकपूर्व	स्नातकोत्तर	डिप्लोमा/प्रमाणपत्र	शोध
कुल नामांकन का प्रतिशत	85.12	12.35	1.68	0.85

- सभी स्नातकपूर्व छात्रों का लगभग 89.49 प्रतिशत तथा समस्त स्नातकोत्तर छात्रों का 73.61 प्रतिशत छात्र संबद्ध महाविद्यालयों में थे, शेष विश्वविद्यालयों के विभागों और उनके संघटक महाविद्यालयों में थे।
- छात्रों के कुल नामांकन (237.65 लाख) में से 36.57 प्रतिशत छात्र कला संकाय में थे, उसके बाद 17.60 प्रतिशत वाणिज्य में तथा 17.23 प्रतिशत विज्ञान में थे। इस प्रकार केवल तीन संकायों में 71 प्रतिशत नामांकन था जबकि शेष 29.00 प्रतिशत नामांकन पेशेवर संकायों में रहा। इस प्रकार का अनियमित संवितरण इंगित करता है कि एक नीतिगत परिवर्तन की आवश्यकता है।
- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षण संकायों की संख्या पिछले वर्ष की 9.51 लाख की तुलना में से बढ़कर 10.49 लाख हो गई। 10.49 लाख अध्यापकों में से 82.70 प्रतिशत शिक्षक महाविद्यालयों में थे और शेष 17.30 प्रतिशत विश्वविद्यालयों में थे।
- वर्ष 2012–2013 के दौरान 20,275 पी.0एच.0डी0 शोध उपाधियां प्रदान की गई। इनमें से सबसे अधिक विज्ञान संकाय में 6641 पी.एच.डी. उपाधियां, तत्पश्चात कला संकाय में 6298 पी.0एच.0डी0 उपाधियां प्रदान की गई। इन दोनों संकायों में प्रदत्त उपाधियां कुल उपाधियों का 63.81 प्रतिशत रहा।
- रिपोर्टाधीन वर्ष 2013–14 के दौरान समस्त स्तरों पर नामांकित प्रति सौ पुरुष छात्रों पर छात्राओं का नामांकन 79.87 प्रतिशत रहा।
- प्रतिशतता के संदर्भ में, महिला नामांकन दमन और दीव राज्य में सर्वाधिक रहा (68.55 प्रतिशत) उसके पश्चात् गोवा (60. 23 प्रतिशत) रहा। परिशुद्ध संख्या में उत्तर प्रदेश 16.77 लाख के आंकड़ों के साथ महिला नामांकन के मामले में सबसे शीर्ष पर रहा जिसके बाद महाराष्ट्र (12.54 लाख) तथा तमिलनाडु (11.12 लाख) आदि रहे।
- महिला नामांकन कला संकाय में सर्वाधिक (44.91 प्रतिशत) में था, उसके पश्चात् विज्ञान (18.11 प्रतिशत) में, तत्पश्चात् वाणिज्य (16.42 प्रतिशत) था, जो तीनों संकायों में कुल 79.44 प्रतिशत रहा। जबकि शेष 20.56 प्रतिशत सभी पेशेवर संकायों

में था। प्रतिशत के संदर्भ में पेशेवर संकायों में सबसे ज्यादा महिला नामांकन अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी (9.41 प्रतिशत) के पेशेवर संकाय में रहा।

- बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में कुल मिलाकर 240 नये महिला महाविद्यालयों की स्थापना की गई, इस प्रकार महिला महाविद्यालयों की कुल संख्या 4506 हो गई।

3. विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण (गैर–योजनागत) एवं विकास (योजनागत) अनुदान

- केन्द्रीय, राज्यों और सम विश्वविद्यालयों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए, जैसे कि उनकी पैठ बढ़ाने में, समानता को सुनिश्चित करने में, उपर्युक्त शिक्षा प्रदान करने, गुणवत्ता को श्रेष्ठ बनाने, प्रशासनिक क्रियाओं को प्रभावी बनाने में, छात्रों की सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करने में, शोध सुविधाओं के संवर्धन करने और विश्वविद्यालयों की अन्य अनेक योजनाएँ सम्मिलित हैं। अनुरक्षण अनुदान कुछ सीमित विश्वविद्यालयों को ही उपलब्ध कराया जाता हैं ताकि वे विश्वविद्यालय अपने उस आवर्ती व्यय का भुगतान कर सकें जो कि अध्यापन वर्ग और गैर–अध्यापन वर्ग इन दोनों वर्गों में कर्मचारियों के वेतन के लिए, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, भवनों आदि के लिए और कुछ अनिवार्य भुगतानों जैसे करों, टेलीफोन, बिजली के बिल, टिकटें आदि के लिये किया जाता है। समस्त केन्द्रीय एवं समविश्वविद्यालयों को योजनागत और गैर–योजनागत अनुदान दिये जा रहे हैं–जबकि राज्य विश्वविद्यालयों को केवल योजनागत अनुदान ही दिया जा रहा है।

- वर्ष 2013–2014 के दौरान दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 45 थी। इनमें से तीन विश्वविद्यालयों नामतः इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय और मैरीटाइम विश्वविद्यालय को प्रत्यक्ष रूप से क्रमशः मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय तथा पोत और परिवहन मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। वर्ष 2013–2014 के दौरान केवल 39 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को योजनागत एवं गैर–योजनागत अनुदानों द्वारा सहायता प्रदान की गई।

- वर्ष 2013–2014 के दौरान विलय की गई योजनाओं तथा अध्येतावृत्ति (गैर–एनईटी) सहित सामान्य विकास अनुदान के अन्तर्गत 39 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को **1784.25** करोड रूपये प्रदान किये गये। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 24 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा एक चिकित्सा महाविद्यालय को 3376.90 करोड़ रूपये की राशि अनुरक्षण अनुदान के रूप में प्रदान की गई।

- मेटा विश्वविद्यालय संकल्पना के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय तथा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने ''मास्टर ऑफ मेथेमेटिकस एजूकेशन'' विषय पर एक पाठ्यक्रम आरंभ किया। योजना के तहत वर्ष 2013–2014 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय को 66.66 लाख रुपये तथा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को 59.50 लाख रुपये की राशि जारी की गई।

- अवसंरचनात्मक विकास के लिए अतिरिक्त अनुदान के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एवं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, प्रत्येक को 50.00 करोड रू0 की राशि जारी की गई।

- बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ''बाह्य संसाधनों के जुटाने के लिए प्रोत्साहन'' योजना के तहत हैदराबाद विश्वविद्यालय ने 50 लाख रुपये की राशि का लाभ प्राप्त किया।

- वर्ष 2013–14 के दौरान अपिव आरक्षण नीति के कार्यान्वयन हेतु दिल्ली विश्वविद्यालय को 247.47 करोड़ रुपये (दिल्ली विश्वविद्यालय को 215 करोड़ रुपये, यूसीएमएस के लिए 12.50 करोड़ रुपये तथा विश्व भारती को 16.69 करोड़ रुपये) की राशि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को जारी की गई थी।

- वि0अ0आ0 ने 19 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापक शिक्षा के विस्तार करने तथा उसे सुदृढ़ करने, जिसके लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर पदों के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था, इन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 110 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत एवं जारी की गई थी, जिसमें से वर्ष 2013–14 के दौरान 35.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2013–14 के दौरान निम्नलिखित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों नामतः मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ओड़ीशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय को शिक्षा विद्यालय की स्थापना हेतु प्रत्येक को 5 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

- वर्ष 2013–14 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एबोके हाई स्कूल हेतु अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 482.14 लाख रुपये की एकमुश्त अतिरिक्त राशि तथा बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय को अवसंरचनात्मक विकास हेतु 2690.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नवत नौ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों नामतः तेजपुर विश्वविद्यालय, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, सिक्किम विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राईबल यूनीवर्सिटी, झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा विश्व भारती को लुप्तप्राय भाषा केन्द की स्थापना हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह भी निर्णय लिया की कोई भी उच्चतर शिक्षा संस्थान अथवा इसके संकाय, विद्यालय, विभाग, केन्द्र अथवा उसके अंतर्गत कोई इकाई, चाहे इसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, यदि वह 1 जून, 2014 तक मूल्यांकन अथवा प्रत्यायन नहीं करवाता है तो वह 1 अप्रैल, 2015 से आयोग की किसी भी योजना के तहत वित्तीय सहायंता हेतु आवेदन करने अथवा प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।

- 39 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से 8 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने एनएएसी प्रत्यायन प्राप्त किया है। दस केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने पूर्व में प्रत्यायन प्राप्त किया था परंतु प्रत्यायन की अवधि पूर्ण हो गई है तथा 10 में से 8 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने पुनर्प्रत्यायन हेतु आवेदन किया है (शेष 2 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों यथा एचएनबी गढ़वाल तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा पुनर्प्रत्यायन हेतु आवेदन किया जाना शेष है)। एक पात्र केन्द्रीय विश्वविद्यालय (आईजीएनटीयू) ने अब तक एनएएसी के लिए आवेदन नहीं किया है। 11 केन्द्रीय विश्वविद्यालय एनएएसी प्रत्यायन हेतु पात्र नहीं है। नौ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने पहली बार प्रत्यायन हेतु आवेदन किया है।

- 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अधिनियमित कानूनो के तहत 488 राज्य तथा राज्य निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। परंतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कृषि तथा आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालयों के अलावा केवल 156 राज्य विश्वविद्यालयों को योजनागत (विकास) अनुदान हेतु 2069.95 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 156 पात्र राज्य विश्वविद्यालयों को 827.98 करोड़ रुपये का विकास अनुदान प्रदान किया गया।

- वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान 156 राज्य विश्वविद्यालयों को योजनागत विकास सहायता स्कीम हेतु 53773.07 लाख रुपये की राशि संस्वीकृत की गई थी।

- वर्ष 2013–14 के दौरान मैसूर विश्वविद्यालय को ''उत्कृष्टता के संस्थान'' की विशेष योजना के तहत 23,34,00,000/–रुपये की राशि संस्वीकृत की गई थी।

- योजनागत विकास सहायता स्कीम के तहत 12,00,00,000 रुपये की राशि संस्वीकृत की गई थी (कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर (जाकूरा कैम्पस) को किये गये आवंटन के अलावा)
- वर्ष 2013–14 के दौरान राजीव गांधी अध्यक्षपीठ की स्थापना हेतु बरकतुल्ला विश्वविद्यालय (भोपाल) तथा शेर–ए–कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को 20,00,000/– तथा 4,50,000/– रुपये की राशि संस्वीकृत की गई।
- दिनांक 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 129 सम विश्वविद्यालय थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 129 विश्वविद्यालयों में से 18 सम विश्वविद्यालयों को योजनागत अनुदान और 10 सम विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण एवं विकास अनुदान प्रदान कर रहा है।
- वर्ष 2013–14 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उत्तर–पूर्व क्षेत्र बजट शीर्ष के तहत गुवाहाटी कैम्पस के निर्माण के लिए टाटा इंस्टीटयूट ऑफ शोसल साईसेज, मुंबई को 8065.00 लाख रुपये के अनुदान सहित सामान्य विकास योजना के तहत सम विश्वविद्यालय 13659.36 लाख की राशि जारी की।
- वर्ष 2013–14 के दौरान सम विश्वविद्यालयों को गैर–योजनागत अनुदान (अनुरक्षण अनुदान) के तहत 23625.14 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

4. महाविद्यालयों को विकास (योजनागत) तथा अनुरक्षण (गैर–योजनागत) अनुदान

- विकास सहायता का उद्देश्य मूलभूत अवसंरचना का उन्नयन कर शिक्षण–ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया को समर्थन देना रहा है। विद्यमान संस्थानों में सुविधाओं के विस्तार तथा उन्हें मजबूत करने, आधुनिकीकरण के माध्यम से स्तरों में सुधार, विशेष रूप से स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों को करियर के अवसरों से जोड़ने के लिए, उन्हें औचित्यपूर्ण तथा विविध बनाने पर ज़ोर दिया जायेगा। शैक्षिक रूप से पिछड़े ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पर्याप्त सुविधाएँ नहीं है, वहां पर नये महाविद्यालयों की स्थापना करना आयोग की एक प्राथमिकता है।
- 31 मार्च, 2014 तक देश में 39671 महाविद्यालय थे। इनमें से 31 मार्च, 2014 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियिम की धारा 2(च) के अंतर्गत केवल 9360 महाविद्यालय अर्थात् 24 प्रतिशत को मान्यता प्राप्त है। कुल 9360 महाविद्यालयों में से मात्र 7815 महाविद्यालय ही विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12(ख) के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। महाविद्यालय क्षेत्रक के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली और बंगलुरु में स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से होता है।
- वर्ष 2013–2014 के दौरान बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत महाविद्यालय विकास योजना के अंतर्गत 4071 पात्र महाविद्यालयों को 391.29 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई।
- वर्ष 2013–2014 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा अध्याय 4 के बिन्दु 4.4 में दिया गया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी महाविद्यालयों को आईक्यूएसी स्थापित करने के लिए निदेश देने हेतु एक नीतिगत निर्णय लिया है जिसके लिए आयोग ने प्रत्येक महाविद्यालय को आईक्यूएसी की स्थापना तथा सुदृढ़ीकरण व्यय हेतु आरंभिक राशि (सीड मनी) के रुप में तीन लाख रुपये प्रदान करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2013–2014 के दौरान योजना के तहत 4337 लाभार्थी महाविद्यालयों को 129.51 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।
- वर्ष 2013–2014 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के 53 महाविद्यालयों को कुल 1178.90 करोड़ रुपये की राशि अनुरक्षण अनुदान के रूप में दी प्रदान की गई और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के 4 घटक महाविद्यालयों को 29.57 करोड रुपये की राशि प्रदान की गई।

- दिल्ली विश्वविद्यालय के 64 महाविद्यालयों को सामान्य विकास, महिला छात्रावास तथा खेल–कूद अवसंरचना के लिए 43.75 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

5. गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता

- शिक्षण और अनुसंधान में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अभिज्ञात विश्वविद्यालयों को "उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय" का दर्जा प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। वर्ष 2013–2014 के दौरान उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले 15 विश्वविद्यालयों को 57.85 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

- महाविद्यालयों में शिक्षण में मुख्य रूप से उत्कृष्टता प्राप्त करने और महाविद्यालयों में शोध की संस्कृति की पहल करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय" नामक एक योजना आरम्भ की है। रिपोर्टाधीन वर्ष 2013–14 के दौरान 96 उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालयों को कुल 46.87 करोड रुपये का अनुदान जारी किया गया है।

- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आयोग ने चुने हुए विभागों को प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले 12 केन्द्रों को अनुमोदित किया ताकि वे एक साथ कार्य कर सकें और संयुक्त रूप से नवीन नवोन्मेषी अकादमिक अनुसंधान कार्यक्रम आरंभ करने में सक्षम हों। इन केन्द्रों ने केवल दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही कार्य करना आरंभ किया। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सीपीईपीए योजना के तहत 12 केन्द्रों का भी चयन किया गया। 2013–14 के दौरान योजना के तहत 24 केन्द्रों में से वर्ष 21 केन्द्र कार्य कर रहे थे। सभी केन्द्रों की समीक्षा की गई और उन्हें जारी रखने की सिफारिश की गई।

- स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार करने तथा शोध में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विशेष सहायता कार्यक्रम (सैप) के तहत जीव विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी,मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान सहित विज्ञान के विश्वविद्यालय विभागों को सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 2013–2014 के दौरान एसएपी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों की संख्या पिछले वर्ष की 932 की तुलना में **919** रही। वर्ष 2013–2014 के दौरान विभिन्न स्तरों पर विभागों को 15.34 करोड रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नए विचारों एवं नवोन्मेष को सहायता देने और अंतर–विषय एवं उभरते हुए क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले पाठ्यक्रमों को आरंभ करने के लिए विश्वविद्यालयों के अनुमोदित विभागों को शत–प्रतिशत विकास सहायता उपलब्ध करवा रहा है। योजना के तहत 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नवोन्मेष कार्यक्रम के तहत 32 विभागों तथा 36 महाविद्यालयों की पहचान की गई और इन्हें सहायता प्रदान करने के लिए अनुमोदित किया गया तथा वर्ष 2013–14 के दौरान 63.59 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

- आयोग द्वारा वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत मान्यताप्राप्त सम्भाव्यता वाले महाविद्यालयों को शैक्षिक स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु उन्हें स्वायत्ता का दर्जा प्रदान किया जा रहा है। 31.03.2014 तक 22 राज्यों के 87 विश्वविद्यालयों में फैले 454 महाविद्यालयों को स्वायत्ता का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। रिपोर्टाधीन वर्ष 2013–2014 के दौरान वि0अ0आ0 क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 192 स्वायत्त महाविद्यालयों को 27.25 करोड़ रू0 का अनुदान जारी किया गया था।

- 66 अकादमी स्टॉफ महाविद्यालयों के माध्यम से विभिन्न विधाओं में शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के वृहत कार्यक्रम का संचालन किया गया है। रिपोर्टाधीन वर्ष 2013–2014 के दौरान ए0एस0सी0 द्वारा 309 अभिविन्यास पाठ्यक्रमों तथा 792 पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों और 309 अल्पावधि पाठ्यक्रमों के संचालन को अनुमोदित किया गया था। इन अनुमोदित कार्यक्रमों में से 240 अभिविन्यास कार्यक्रम, 780 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तथा 250 अल्पावधि पाठ्यक्रमों को संचालित किया गया। वर्ष 2013–2014 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों में चल रहे अकादमिक स्टॉफ महाविद्यालयों को 67.37 करोड़ का अनुदान भी जारी किया गया।

- हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने की दिशा में रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के राजभाषा अनुभाग ने कर्मचारियों के लिए निबंध लेखन, टिप्पण और मसौदा लेखन और हिन्दी टंकण प्रतियोगिताओं को आयोजित किया कार्यशालाओं का संचालन किया/हिन्दी पखवाड़ा और हिन्दी दिवस मनाया गया। वर्ष 2013–14 के दौरान आयोग ने हिन्दी विभागों की स्थापना करने/उन्नयन करने के लिए 31 केन्द्रीय/राज्य/सम विश्वविद्यालयों को अनुदान संस्वीकृत किया गया था।
- 33 देशों के साथ उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रम चल रहे हैं तथा विभिन्न देशों के साथ 09 अन्य शिक्षा सहयोग कार्यक्रम चल रहे हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न देशों के 4 विदेशी विद्वानों/शिष्टमंडलों के लिए दौरों का आयोजन किया और 185 भारतीय विद्वानों को विदेश भेजा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर विचारों का आदान–प्रदान करने के लिए विभिन्न देशों से 3 विदेशी शिष्टमंडलों से भेंट भी की। योजना के तहत 28.85 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और के तृतीयक शिक्षा आयोग मॉरीशस (2014–17) के बीच छठे कन्सोर्टियम समझौते पर 29 जनवरी, 2014 को हस्ताक्षर किए गए। समझौते के तहत विद्वानों के आदान–प्रदान का प्रावधान है।
- उच्चतर शिक्षा तथा शोध (आईएनसीपी) के क्षेत्र में इंडो–नारवेयन सहयोग कार्यक्रम एक नयी पहल हैं जिसका उद्देश्य भारत तथा नारवे के बीच उच्चतर शिक्षा संपर्क को बढ़ाना है। उच्चतर शिक्षा पर एक समझौता ज्ञापन, तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि0अ0आ0), भारत और नारवेयन सेन्टर फार इन्टरनेशनल कोपरेशन इन एजूकेशन(एसआईयू) के बीच शिक्षा सहयोग समझौते पर दिनांक 14 फरवरी, 2014 को हस्ताक्षर किये गये।
- वर्ष 2013–2014 के दौरान सहयोगात्मक कार्यक्रमों के तहत नियुक्त किए गए 22 विदेशी भाषाओं के शिक्षक, विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत हैं।
- "डॉड" के अध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के बीच 30 अक्तूबर, 2007 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। वैज्ञानिकों तथा कार्मिको के आदान–प्रदान का कार्यक्रम वर्ष 2008 से प्रारम्भ हो चुका हैं।
- प्रत्येक वर्ष, कॉमनवेल्थ विश्वविद्यालय संघ यू.के. कॉमनवेल्थ अकादमिक स्टॉफ फैलोशिप अवार्ड के तहत भारत के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के प्रतिभावान संकाय के 80 सदस्यों को ब्रिटेन के विश्वविद्यालय/संस्थानों में शोधकार्य करने के लिए प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2013 के लिए कॉमनवेल्थ विश्वविद्यालय संघ, यू0के0 द्वारा 80 अध्येतावृत्तियों की पेशकश की गई। इनमें से ए0सी0यू0, यू0के0 द्वारा कॉमनवेल्थ अकादमिक स्टॉफ फैलोशिप अवार्ड, 2013 के लिए 38 स्कॉलरों का अध्येतावृत्ति के लिए चयन किया। वर्ष 2013 के दौरान कॉमनवेल्थ विश्वविद्यालय संघ, यू0के0 ने भारत में डॉक्टरल डिग्री कर रहे तथा यू0के0 में एक वर्ष पूर्णकालिक अध्ययन का लाभ उठाने के इच्छुक छात्रों अथवा कनिष्ठ संकाय सदस्यों के लिए 14 कॉमनवेल्थ स्पिलिस्ट डॉक्टोरल छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने की पेशकश की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2013 के दौरान 18 स्कॉलरों को नामांकित किया और कॉमनवेल्थ विश्वविद्यालय संघ, यू0के0 ने कॉमनवेल्थ स्पिलिस्ट साइट छात्रवृत्ति अवार्ड, 2013 के अन्तर्गत एक स्कॉलर का चयन किया।
- वर्ष 2013–14 के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर 18 कार्यशालाएं, संयुक्त कार्य समूह की बैठकें तथा विशेषज्ञ समिति की बैठकें आयोजित की गई।
- फिनलैण्ड सरकार ने फिनलैण्ड में स्नातकोत्तर अध्ययन, उच्चतर शिक्षा संस्थान अथवा पब्लिक रिसर्च इंस्टीटयूट में शोध तथा शिक्षण कार्य करने के लिए छात्रवृत्तियों की पेशकश की। आयोग द्वारा वर्ष 2013 के लिए फिनलैण्ड का दौरा करने हेतु 10 विद्वानों को नामांकित किया गया।
- वर्ष 2013 के दौरान, शोध हेतु सामग्री एकत्रित करने के लिए विदेशों को दौरा करने हेतु शिक्षकों को यात्रा अनुदान योजना के अन्तर्गत 1 भारतीय स्कॉलर को उसकी शोध सामग्री एकत्रित करने के लिए विदेशों का दौरा करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

- आयोग द्वारा बुल्गारियाई भाषा एवं संस्कृति पर वार्षिक संगोष्ठी में भाग लेने के लिए 4 भारतीय शोध विद्वानों को नामांकित किया गया।

- यूके इंडिया एजूकेशन एण्ड रिसर्च इनीशियेटिव (यूकेआईईआरआई) के तहत क्रियाकलापों के संयुक्त प्रचालन संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा ब्रिटिश काउंसिल के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर दिनांक 16.8.2011 को हस्ताक्षर किए गए। विश्वविद्यालयों से 20 संयुक्त शोध प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया एवं 18 परियोजनाओं के लिए 50 प्रतिशत अनुदान संस्वीकृत किया गया है। यू0के0 संस्थानों द्वारा एक परियोजना को अस्वीकृत किया गया तथा एक परियोजना का अंतरण शिक्षा वर्ष 2014–15 में कर दिया गया है।

- वर्ष 2013–14 के दौरान, भारत और अमरीका के बीच शिक्षा संबंधी भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए सिंह–ओबामा संयुक्त ज्ञान पहल कार्यक्रम के तहत चार संयुक्त शोध कार्यक्रम को अनुमोदित किया गया।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यापन और शोध के पेशे के न्यूनतम मानक सुनिश्चित करने के लिए लेक्चरशिप पात्रता तथा कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों के लिए एक वर्ष में दो बार एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा (नेट) आयोजित करता है। नेट परीक्षा 79 विषयों में देशभर में फैले 84 केन्द्रों पर संचालित की जाती है। 30 जून, 2013 तथा 29 दिसम्बर, 2013 को आयोजित नेट परीक्षा में सहायक आचार्य हेतु अर्हता के लिए क्रमशः 5.74 और 6.88 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी तथा इनमें से क्रमशः 31,176 (5.43 प्रतिशत) तथा 24,865 (4.67 प्रतिशत) उत्तीर्ण हुए। कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति हेतु क्रमशः 3.70 तथा 3.65 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी तथा इनमें से क्रमशः 4468 (1.21 प्रतिशत) तथा 3749 (1.03 प्रतिशत) उत्तीर्ण हुए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से "सी0एस0आई0आर0" विज्ञान के 5 विषयों में नेट परीक्षा संचालित करती है। जून, 2013 तथा दिसम्बर, 2013 को आयोजित संयुक्त–सीआईएसआर–नेट की वि0अ0आ0–जेआरएफ की प्रत्येक परीक्षा में 1200 अभ्यर्थी ही उत्तीर्ण हुए तथा क्रमशः 2609 तथा 2368 अभ्यर्थियों को व्याख्याता के लिए अर्हक पाया गया। जून और दिसम्बर, 2013 की वि0अ0आ0–नेट परीक्षाओं को आयोजित करने पर 35.93 करोड़ रूपये का व्यय हुआ।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्यों/राज्यों के समूहों को राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) के संचालन के लिए प्रत्यायन की अनुमति भी देता है। जिन उम्मीदवारों ने 1 जून, 2002 से पूर्व, लेक्चरशिप के लिए राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) पास कर ली है, वे उम्मीदवार "नेट" परीक्षा में बैठने के लिए छूट के पात्र है। जून, 2002 में अथवा उसके बाद होने वाली सेट परीक्षाओं के लिए योग्य उम्मीदवार, राज्य के केवल उन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों मे व्याख्याता/सहायक आचार्य के पद के लिए आवेदन करने के योग्य होगा, जहाँ उसने सेट परीक्षा उत्तीर्ण की है। वर्ष 2013–2014 के दौरान आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, उत्तर–पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र तथा गोवा और पश्चिम बंगाल राज्यों ने सेट परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की। सेट संचालित करने का व्यय वहन संबद्ध राज्यों द्वारा किया जाता है।

- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान यात्रा अनुदान योजना के अंतर्गत 352 महाविद्यालय के शिक्षकों, 04 कुलपतियों ने अपने शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए इस सुविधा का लाभ उठाया। विदेश यात्रा, पंजीकरण शुल्क, ठहरने के भत्ते आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्थायी पद पर नियुक्त शिक्षक/पुस्तकालय अध्यक्ष तीन वर्ष में एक बार और कुलपति तथा आयोग के सदस्य तथा वि0अ0आ0 के अधिकारी दो वर्ष में एक बार इस सुविधा का लाभ उठा सकते है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान लाभार्थियों को 2.60 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया।

- विश्वविद्यालयी प्रणाली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 12 (गगग) के तहत 7 अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों (आई.यू.सी.) को स्वायत्तशासी केन्द्रों के रूप में स्थापित किया गया हैं तथा यह केन्द्र भारतीय विश्वविद्यालय प्रणाली में सक्रिय हैं तथा अत्याधुनिक उपस्कर और उत्कृष्ट ग्रंथालय सुविधा तक पहुंच प्रदान कर प्रत्येक क्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदान कर विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों को सामान्य सुविधाएं, सेवाएँ एवं कार्यक्रम आदि उपलब्ध कराते है। इसने दूरदर्शन, ज्ञानदर्शन तथा शिक्षा चैनलों पर कक्षाओं से इतर उच्चतर शिक्षा का प्रसार करने के लिए प्रतिवर्ष औसतन 1000 से भी अधिक शैक्षिक फिल्मों/कार्यक्रमों को भी योगदान दिया है। एनएएसी के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन कर रहा है। 31.3.2014 तक, 266 विश्वविद्यालयों तथा 6878 महाविद्यालयों का प्रत्यायन किया गया है।

- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छह अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों को योजनागत अनुदान के तहत 288.

45 करोड़ रुपये तथा गैर–योजनागत अनुदान के तहत 68.29 करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान किया।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चयनित विश्वविद्यालयों में 4 राष्ट्रीय सुविधा केन्द्रों की स्थापना की तथा उन्हें नियमित रूप से सहायता प्रदान की। वर्ष 2013–14 के दौरान इन केन्द्रों को 2.52 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयी प्रणाली में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में कैरियर उन्नति योजना (सीएएस) के तहत आचार्य के पद से उपाचार्य के पद पर प्रोन्नति की चयन प्रक्रिया की देखरेख करने के लिए प्रेक्षक की नियुक्त कर निगरानी करता रहा है। वर्ष 2013–2014 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में चयन प्रक्रियाओं की निगरानी करने के लिए कुल 58 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रक्षकों को नियुक्त की।

6. अनुसंधान का संवर्धन

- "अध्यापकों के लिए अनुसंधान परियोजनाएँ" योजना का मुख्य उद्देश्य, विभिन्न विषयों में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के अध्यापकों के शोध कार्यक्रमों को सहायता देकर उच्चतर शिक्षा में अनुसंधान में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। स्वास्थ्य, जैरोन्टॉलोजी, पर्यावरण, नैनो प्रौद्योगिकियों, जैव प्रौद्योगिकियों, तनाव प्रबंधन, डब्ल्यू.टी.ओ. और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव आदि विषयों से तथा कुछ अन्य क्षेत्रों पर बल दिया जाता है जिनकी विषयों के विशेषज्ञों के द्वारा पहचान की जाएगी। अभियांत्रिकी/आयुर्विज्ञान/भेषजी/कृषि तथा सामाज विज्ञान सहित भाषा/कला/विधि आदि विज्ञान और मानविकी विषयो में वृहद परियोजनाओं के लिए अनुदान राशि क्रमशः अधिकतम 20.00 लाख तथा 15.00 लाख रू0 होगी। यहां तक कि सेवानिवृत्त अध्यापक भी 70 वर्ष की आयु तक अनुसंधान परियोजना कर सकता है।वर्ष 2013–14 के दौरान किसी नई बृहद परियोजना को संस्वीकृत नहीं किया गया। वर्ष 2013–14 के दौरान विज्ञान परियोजनाओं हेतु 12.35 करोड़ रुपये तथा कला, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान परियोजनाओं हेतु 12.80 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
- शोध अवार्ड योजना, विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों के स्थायी अध्यापकों द्वारा बिना शोध सहायता प्राप्त किए अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र में दो वर्ष का पूर्णकालिक स्वतंत्र अनुसंधान करने वालो शिक्षकों के लिए तैयार की गई है। 45 वर्ष से कम आयु वाले डॉक्टोरेट उपाधि धारक अध्यापक को इन अवार्डो को प्रदान करने के लिये विचार किया जाता है। समस्त विषयों में, प्रत्येक दूसरे वर्ष के दौरान 100 स्थानों के लिए चयन किया जाता है। वर्ष 2013–2014 के दौरान अवार्ड प्राप्तकर्ताओं को 7.20 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
- इमेरिटस अध्येतावृत्ति योजना, सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के 70 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त अध्यापकों के लिए उनके संबद्ध क्षेत्र में सक्रिय रूप से शोध करने का अवसर प्रदान करती है। किसी भी एक समय के दौरान विज्ञान के लिए उपलब्ध स्लॉटों की संख्या प्रत्येक दूसरे वर्ष 100 तथा मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के लिए प्रत्येक दूसरे वर्ष 100 है। अध्येता के लिए 50,000 रु0 प्रतिवर्ष की आकस्मिक धनराशि के साथ दो वर्षों के लिए 20,000 रुपये प्रतिमाह का मानदेय प्रदान किया जाता है। वर्ष 2013–2014 के दौरान अध्येताओं को भुगतान करने पर 11.22 करोड़ रुपये व्यय किया गया।
- वित्त वर्ष 2013–2014 के दौरान विभिन्न सम्मेलन/संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आदि आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुसंधान संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए 1736 प्रस्तावों को अनुमोदित किया और पात्र महाविद्यालयों को 18.31 करोड़ रु0 जारी किये गए।
- विदेशी नागरिकों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ)/ रिसर्च एसोसिएटशिप योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन भारतीय उम्मीदवारों को जे.आर.एफ प्रदान की जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सी.एस.आई.आर. द्वारा संचालित विश्वविद्यालय नेट परीक्षा की हैं। जे.आर.एफ. के अन्तर्गत प्रारम्भिक 2 वर्षों तक 16,000 रु0 प्रतिमाह की अध्येतावृत्ति है, तथा शेष समय के लिए यह 18,000 रु0 प्रतिमाह होगी, इसके साथ ही वार्षिक आकस्मिक अनुदान भी उपलब्ध होगा। शोध अध्येता (आरए) के अन्तर्गत एसोशियेटशिप की संपूर्ण अवधि के दौरान 16,000/–रुपये प्रतिमाह तथा वार्षिक आकस्मिक अनुदान के रूप में 30,000/– रुपये प्रतिवर्ष का अनुदान प्राप्त होता है।

- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विज्ञान तथा मानविकी एवं समाजिक विज्ञान में जे.आर.एफ./आर.ए. योजना हेतु 171.00 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

- उच्चतर शिक्षा में सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों (अ0जा0 के लिए 2000 तथा अ0ज0जा0 के लिए 667) के लिए 2667 राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ उपलब्ध कराता है ताकि वे उच्चतर अध्ययन एवं शोध कर एम.फिल./पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त कर सकें। जे.आर.एफ. और अध्येतावृत्ति का स्वरूप समान है। वर्ष 2013–2014 के दौरान योजनागत स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के अध्येताओं के लिए 65.29 करोड़ रुपये तथा अनुसूचित जनजाति के अध्येताओं के लिए 27.19 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था।

- पोस्ट डॉक्टोरल फैलोशिप की एक नई योजना अ0जा0/अ0ज0जा0 के उन अभ्यर्थियों के लिए कार्यान्वित की गई है जिन्होंने डॉक्टोरल उपाधि प्राप्त कर ली है और जिनके शोध कार्य प्रकाशित हो गए हैं तथा जिन्होंने स्वतंत्र रूप से शोध कार्य का साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया है। अध्येतावृत्ति की अवधि पाँच वर्ष है तथा 50,000/– रुपये की आकस्मिक राशि के साथ प्रथम दो वर्ष के दौरान अध्येतावृत्ति की राशि 25,000/–रुपये प्रतिमाह तथा तीसरे वर्ष के पश्चात् यह राशि 30000/–रुपये प्रतिमाह है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 100 स्लॉटों के समक्ष अ0जा0/अ0ज0जा0 के 100 चयनित अध्येताओं 6.39 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। रिपोर्टाधीन वर्ष 2013–14 के दौरान 6,38,57,475–/रुपये का व्यय हुआ।

- समाज के वंचित वर्गों के उम्मीदवारों की सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर उन्हें स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययनों को आरंभ करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से अ0जा0/अ0ज0जा0 छात्रों के लिए एक और नई योजना अर्थात् पेशेवर पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियों की योजना को कार्यान्वित किया गया है। कुल स्लॉटों की संख्या 1000 है। वर्ष 2013–2014 के दौरान वर्ष 2013–14 हेतु चयनित 983 अ0जा0/अ0ज0जा0 छात्रों के भुगतान पर 3.11 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

- विदेशों में कार्यरत भारतीय मूल के ऐसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को शोध वैज्ञानिक योजना के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित करने के लिए और शोध में उच्च गुणवत्ता विकसित करने के लिए वर्ष 1983 में यह योजना आरम्भ की गई और लागू की गई। वर्तमान में 68 शोध वैज्ञानिक विभिन्न संस्थानों में कार्यरत हैं। वर्ष 2013–2014 के दौरान ऐसे वैज्ञानिकों के वेतन एवं आकस्मिक व्यय पर कुल 4.04 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पी.एच.डी. उपाधि धारक बेराज़गार महिलाओं के लिए पूर्णकालिक आधार पर पोस्ट–डॉक्टोरल शोध करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 100 स्लॉट प्रति वर्ष उपलब्ध कराये जा रहे है। इसके तहत नए अभ्यर्थियों के लिए 25000 रूपये प्रतिमाह की अध्येतावृत्ति और दो वर्ष पश्चात् 30000 रूपये प्रतिमाह की अध्येतावृत्ति और पांच वर्षों तक 50,000 प्रतिमाह की आकस्मिक राशि प्रदान की जाएगी। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान महिला अध्येताओं को भुगतान के रूप में 4.58 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई तथा महिला अभ्यर्थियों को राशि का आनलाईन अंतरण करने के लिए लिए केनरा बैंक को 12.00 करोड़ रुपये की राशि का अंतरण किया गया।

- स्नातक छात्रों को उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्नातकोत्तर अध्ययन करने में मदद करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एम.ई./एम.टैक./एम.फर्मा विषयों के गेट परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के लिए 5,000 रुपये प्रतिवर्ष की आकस्मिक राशि के साथ 8,000 रुपये प्रतिमाह (60 प्रतिशत अंक और उससे अधिक) की छात्रवृत्ति तथा प्रदान की जाती है। वि0अ0आ0 ने वर्ष 2013 से एम.ई./एम.टैक./एम.फर्मा विषयों के गेट परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के लिए गेट/जीपैट हेतु छात्रवृत्ति योजना को बंद कर दिया है। 2013–2014 के दौरान छात्रों को भुगतान करने के लिए 1.00 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई।

- परिवार में एकल बालिकाओं की शिक्षा को छात्रवृत्ति के माध्यम से सहायता प्रदान करने तथा अभिभावकों को छोटे परिवार मानदंड का पालन करने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से स्नातकोत्तर इंदिरा गाँधी छात्रवृत्ति योजना का कार्यान्वयन। जिन बालिकाओं ने स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मात्र पी.जी.महाविद्यालय में प्रवेश पा लिया है, वे इस योजना के तहत पात्र हैं। इस शोधवृत्ति की अवधि दो वर्ष होगी तथा शोधवृत्ति राशि 2000 रुपये प्रतिमाह होगी (एक वर्ष में 10 माह के लिए)। सभी पात्र अभ्यर्थियो को छात्रवृत्रि प्राप्त होगी। शिक्षा सत्र 2013–15 के दौरान कुल

3746 बालिकाओं का चयन किया गया। वर्ष 2013–2014 के दौरान अध्येताओं को भुगतान करने पर 6.29 करोड रुपये की राशि व्यय हुई।

- प्रतिभाशाली छात्रों को स्नातकोत्तर शिक्षा में अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक पी.जी. मेरिट छात्रवृत्ति की योजना को वर्ष 2005–2006 से प्रारम्भ किया गया जिसके अंतर्गत उन मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया जिन्होंने स्नातक स्तर पर विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र देश में किसी भी उच्चतर शिक्षा के संस्थानों में किसी विशिष्ट क्षेत्र में स्नातकोत्तर विषयों में (जिनमें व्यावसायिक पाठयक्रम शामिल नहीं हैं) अध्ययन कर सकता है। इस छात्रवत्ति के अन्तर्गत सामान्य पाठयक्रमों में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र तथा ऑनर्स पाठ्यक्रमों में केवल प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र ही पात्र होंगे। छात्रवृत्ति की अवधि 2 वर्ष होगी, एवं छात्रवृत्ति राशि 2000 रुपये प्रतिमाह की दर से (एक वर्ष में 10 माह के लिए) प्रदान की जाएगी। प्रथम शिक्षा वर्ष में छात्रवृत्तियों की संख्या 3000 है। वर्ष 2013–2014 के दौरान शिक्षा सत्र 2013–15 के लिए 970 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था तथा छात्रों को भुगतान पर 1.59 करोड़ रूपये का व्यय किया गया।
- केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियों का उद्वेश्य अल्पसंख्यक समुदायों से छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में समेकित 5 वर्ष की अध्येतावृत्ति उपलब्ध कराना है ताकि वे एमफिल और पीएचडी जैसे अध्ययन जारी रख सकें। प्रत्येक वर्ष छात्रों के लिए 756 स्लॉट उपलब्ध है। आयोग द्वारा प्रदत्त अध्येतावृत्ति की दर अन्य अध्येतावृत्तियों की दर के समकक्ष होंगी। वर्ष 2013–2014 के दौरान विभिन्न राज्यों से 756 अभ्यर्थियों का चयन किया गया और 46.43 करोड़ रु0 का व्यय किया गया।
- वर्ष 2013–2014 के दौरान भारतीय विश्वविद्यालयों में मूलभूत वैज्ञानिक शोधकार्य के लिए अधिकारप्राप्त समिति की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन की स्थिति निम्नवत है:

  वर्ष 2013–2014 के दौरान पात्र महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों विभागों को विज्ञान में स्नातकोत्तर स्तर के शोध के घटक हेतु अपेक्षित अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए 13.02 करोड़ रूपये का कुल अनुदान मुहैया करवाया गया।
- वर्ष 2013–2014 के दौरान सैप के तहत अनुमोदित 5 विभागों को बीएसआर कार्यक्रम के तहत नेटवर्क शोध केन्द्रों की स्थापना हेतु चयतिन किया गया। वर्ष 2013–14 के दौरान पांच्र विभागों को 7.80 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।
- विज्ञान विषयों में एक नवीन पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति योजना डॉ0 डी0एस0 कोठारी के नाम से लागू की गई है। आज तक 1242 अभ्यर्थियों को अवार्ड किया गया है तथा 550 पी0डी0एफ कार्यरत हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान विभिन्न संस्थानों में कार्यरत अध्येताओं को 22.80 करोड़ रूपये जारी किये गये।
- ''विज्ञान विषय में मेधावी छात्रों हेतु शोध अध्येतावृत्ति'' योजना को मेधावी छात्रों हेतु उच्च अध्ययन एवं शोध आरंभ करने के लिए आरंभ किया गया है जिससे वे पी0एच0डी0 उपाधि प्राप्त कर सकें। ऐसे उम्मीदवार जो कि उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय/उत्कृष्टता की संभावना वाले केन्द्रों/उच्च अध्ययन केन्द्रों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चिन्हित विशेष सहायता विभागों में विज्ञान के विषयों में पी.एच.डी. में पंजीकृत हैं, वे इस योजना हेतु पात्र है। इस अध्येतावृत्ति की अवधि दो वर्ष है, जिसे अध्येता द्वारा किए गए कार्य मूल्याकंन के आधार पर और तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आरंभ में स्वरूप अध्येतावृत्ति राशि के रूप में प्रतिमाह 14,000 रुपये और आकस्मिक धनराशि के रूप में 12000 रुपये प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किये जाते है। वर्ष 2013–2014 के अंत तक सैप/गैर–सैप विभागों हेतु 7154 शोध अध्येतावृत्तियां आवटित की गई तथा 5694 जेआरएफ कार्यरत थे। वर्ष 2013–2014 के दौरान अध्येताओं को कुल 55.00 करोड रूपये की राशि जारी की गई है।
- विज्ञान संबंधी विषयों में अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी स्तर पर उच्च गुणवत्तायुक्त शोध को सुदृढ़ करने और अकादमी संकाय सदस्यों में नई प्रतिभाओं के माध्यम से विश्वविद्यालयों में नवोन्मेषी शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए संकाय रिचार्ज कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इसके तहत, आरंभ में 80 : 80 : 40 अनुपात (आचार्यः सह आचार्यः सहायक आचार्य) में 200 पदों पर

नई भर्ती की जायेगी। यह नए और सेवारत शिक्षक दोनों के लिए हैं। आरंभ में, कार्यकाल पांच वर्ष की अवधि के लिए है और यह प्रत्येक पांच वर्ष की समीक्षा के अध्यधीन अधिवर्षिता की आयु तक चलता है। इस प्रयोजनार्थ, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है और साथ ही शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए राष्ट्रीय समन्वयक की भी नियुक्ति की गई है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान चयन प्रक्रिया आरंभ की गई। वर्ष 2013–2014 के दौरान अब तक 18 संकाय सदस्यों यथा आचार्य/सहायक आचार्य/सह–आचार्य को 2.04 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

- राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत अधिवार्षिता की आयु के समीप प्रतिभावान विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षकों द्वारा मूलभूत विज्ञान शोध में योगदान जारी रखने का अवसर प्रदान करने के दृष्टिकोण से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–बी0एस0आर0 संकाय अध्येतावृत्ति नाम से नई योजना आरंभ की है। विश्वविद्यालयों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों में आचार्य/सह–आचार्य के पद पर कार्यरत शिक्षक इसके लिए पात्र हैं। अध्येतावृत्ति में 30,000 रु0 प्रतिमाह की धनराशि प्रदान की जाती है जो कि पेंशन अथवा/और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के अतिरिक्त है। वर्ष 2013–2014 के दौरान विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों में शोध जारी रखने वाले 49 आचार्यों को 2.90 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

- इस बीएसआर कार्यक्रम के तहत 'शिक्षकों को एकमुश्त अनुदान' प्रदान करने की योजना का उद्देश्य उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में शोध को जारी रखने हेतु सहायता प्रदान करना है। जिस शिक्षक की अधिवर्षिता की तिथि से कम से कम दो वर्ष की सेवा शेष है, जिसने अपनी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान अधिकतम 15 पीएचडी और पिछले पांच वर्षों के दौरान कम से कम पांच पीएचडी उपाधियां प्राप्त करने में मदद की हो और जिसने राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण एजेन्सियों द्वारा वित्तपोषित कम से कम पांच प्रायोजित शोध पूर्ण किए हों, वे इस योजना के लिए पात्र हैं। योजना के तहत, एक शिक्षक को उसके शोध कार्य के लिए 7.00 लाख रु0 उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्ष 2013–2014 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अपने शोध कार्य को जारी रखने वाले 27 शिक्षकों को 1.80 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई।

- ''नए भर्ती हुए ऐसे सभी संकायों हेतु स्टार्ट–अप अनुदान योजना'' के तहत, सहायक आचार्य के स्तर पर पी0एच0डी0 उपाधि धारक ऐसे सभी शिक्षक इस योजना हेतु पात्र हैं जिन्होंने अनुमोदित/उद्धत जर्नलों में न्यूनतम दो शोध प्रकाशन किये हों। 221 नए नियुक्त संकाय सदस्य लाभान्वित हुए। योजना के तहत वर्ष 2013–14 के दौरान 13.26 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई

7. लिंग एवं सामाजिक समानता

- "महिला अध्ययनों का विकास" योजना का लक्ष्य विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन केन्द्रों को सुदृढ करना एवं उसे धारणीय बनाये रखना है जिसके लिए विश्वविद्यालय प्रणाली के मध्य उन्हें सांविधिक विभागों के रूप में स्थापित किया जाये तथा साथ ही अन्य आंगिक घटकों के साथ नेटवर्क बनाने की उनकी क्षमता को सुगम बनाया जा सके ताकि वे परस्पर एक दूसरे की बल प्रदान करें तथा एक दूसरे को सहयोगी बन सकें। इस समस्त प्रक्रिया का विशेष बल इस बात पर है कि जाति श्रेणी/धर्म समुदाय एवं व्यवसायों से परे, ऐसी क्षेत्रगत योजनाओं का विकास हो जिनसे कार्यवाही, शोधकार्य, मूल्यांकन एवं ज्ञान में अभिवृद्धि हो तथा सहभागिता बढ़े व इस नेटवर्क में और अधिक लोगों व संगठनों को भी जोड़ा जा सके व साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि इस नवीन रूप से उद्‌भूत होने वाले क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित किया जाये। चरणों के आधार पर, विश्वविद्यालय में ऐसा प्रत्येक केन्द्र प्रतिवर्ष 5.00 लाख से लेकर 12.00 लाख रूपये प्राप्त करने का पात्र होगा तथा प्रत्येक महाविद्यालय में ऐसा केन्द्र वार्षिक रूप से 3.00 लाख रूपये से लेकर 8.00 लाख रूपये प्राप्त करने का पात्र होगा। दिनांक 31.03.2014 तक विश्वविद्यालय प्रणाली के अन्तर्गत कुल मिलाकर 156 महिला अध्ययन केन्द्र स्थापित हो चुके थे तथा विश्वविद्यालयी प्रणाली मे कार्यरत थे।

- उच्चतर शिक्षा प्रणाली में निशक्त व्यक्तियों की अनदेखी न हो तथा विशेष शिक्षकों तथा परामर्शदाताओं हेतु एक पाठ्यक्रम को विकसित करने के उद्‌देश्य से साथ ही निशक्त व्यक्तियों को विभिन्न रूपों में विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के

उद्देश्य से वि0अ0आ0 टीईपीएसई तथा एचईपीएसएन योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं की वि0अ0आ0 के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा देखरेख की जा रही है तथा प्रकोष्ठ द्वारा अनुदान जारी किया जा रहा है।

- सामाजिक समावेशन तथा बहिर्वेशन के मुद्दों पर शोध को सहायता प्रदान करने के लिए वि0अ0आ0 ने विश्वविद्यालयों में सामाजिक समावेशन तथा बहिर्वेशन नीति का अध्ययन करने के लिए शिक्षण–सह–शोध केन्द्रों की स्थापना की है। दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार 35 विश्वविद्यालयों में 35 केन्द्र कार्यरत है। वर्ष 2013–14 के दौरान विश्वविद्यालयों को कोई निधियां जारी नहीं की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता रहा है ताकि विश्वविद्यालयों में दाखिले, शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर पदों आदि पर भर्ती में आरक्षण नीति का प्रभावी कार्यान्वयन हो सके। 127 लाभार्थी विश्वविद्यालय/सम विश्वविद्यालय तथा आईयूसी केन्द्र है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केवल केन्द्र द्वारा वित्तपोषित विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी (दिनांक 10.05.2013 को आयोजित आयोग की 493वीं बैठक में निर्णय लिया गया)।
- विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को समाज के वंचित वर्गों की आवश्यकताओं तथा दायित्वों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के लिए वि0अ0आ0 ने विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठ (ई0ओ0सी0) की स्थापना करने की योजना तैयार की।
- अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (अल्पसंख्यक/असपन्न वर्ग)/अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थी, जिन्हें एक स्तर तक आने के लिए उपचारी/नेट/सेट परीक्षा/सेवा में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण की आवश्यकता है, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए नियमित समय–सारणी से इतर विशेष कक्षाएं आयोजित करने के लिए वि0अ0आ0 वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

8. प्रासंगिता एवं मूल्य आधारित शिक्षा

- शिक्षा में वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रमों का उद्देश्य वृत्ति एवं बाजारोन्मुखी कौशल में वृद्धि करने वाले अतिरिक्त पाठयक्रमों को आरंभ करना है जिनकी रोजगार प्राप्त करने में एवं स्व–रोजगार हेतु उपयोगिता हो और जिससे छात्रों का सशक्तिकरण हो सके। इस कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पात्र संस्थानों को मानविकी एवं वाणिज्य संकाय के प्रति पाठ्यक्रम के लिए 7 लाख रू. दिए जाते हैं तथा विज्ञान विषयों में पाँच वर्ष के लिए प्रति पाठयक्रम एकमुश्त राशि ('सीड–मनी') पुस्तकें, पत्रिकाएँ, प्रयोगशाला तथा अन्य उपस्करों की खरीद तथा अतिथि संकाय को मानदेय हेतु 10.00 लाख रुपये प्रदान की जाती है। महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को आवश्यकता आधारित तीन पाठ्यक्रमों के विकल्प को अपनाना अपेक्षित होगा। वर्ष 2012–13 में प्रदत्त 13.37 करोड़ रुपये के अनुदान के समक्ष वर्ष 2013–14 के दौरान कतिपय जानकारी/दस्तावेजों की आवश्यकता के कारण अनुदान जारी नहीं किया जा सका।
- भारत के अलावा अन्य क्षेत्रों की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विशेषताओं के सबंध में समग्रता से बोध को बढ़ावा देने के लिए और नीति निर्माताओं विशेषरूप से भारत के आर्थिक, राजनीतिक तथा राजनीतिक हितों में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु समय–समय पर विश्वविद्यालयों की पहचान करता रहा है। वर्तमान में, विश्वविद्यालयों में 52 अध्ययन केन्द्र (विश्वविद्यालयों में नियमित आधार पर 23 केन्द्र तथा 20 विश्वविद्यालय में परियोजना आधार पर 29 केन्द्र चल रहे हैं)। ऐसे देशों तथा क्षेत्रों पर बल दिया जा रहा है जिनका भारत के साथ घनिष्ठ संबंध है। वर्ष 2013–2014 के दौरान कार्यक्रम के तहत, केन्द्रों को उनके क्रियाकलापों हेतु 2.00 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई थी।
- भारतवर्ष के महान समाज विचारकों के विचारों एवं दृष्टिकोण से शिक्षकों एवं छात्रों को परिचित करवाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में 376 विशेष अध्ययन केन्द्र स्थापित किये गए हैं तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 186 केन्द्रों को जारी रखने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया। रिर्पोटाधीन वर्ष के दौरान इन केन्द्रों को अपने क्रियाकलापों हेतु कुल 1.84 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया था।

- स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर उपाधि, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आरंभ करने और मानवाधिकार तथा कर्तव्य शिक्षा पर सम्मेलन, संगोष्ठियां तथा कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए और शिक्षकों, छात्रों तथा जनसाधारण में जागरुकता फैलाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानवाधिकार शिक्षा योजना के तहत विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रहा है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को 40,000/– रुपये की धनराशि जारी की गई। आयोग ने यह निर्णय लिया कि मानवाधिकार तथा शिक्षा की योजना को जीडीए के साथ समूहबद्ध किया जाये (दिनांक 10.05.2013 को आयोजित आयोग की 493वीं बैठक में निर्णय लिया गया)।

9. सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकीयों का समेकन

- ई–अभिशासन की योजना के भाग के रूप में ई–कार्यालय योजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कार्यान्वित किया गया है ताकि मिसिलों की प्राप्ति और उनके चालन के संबंध में कागज रहित परिवेश तैयार किया जा सके।
- सभी विषयों में स्नातकोत्तर विषयों में ई–विषयवस्तु पाठ्य सामग्री के विकास हेतु आयोग ने खाका तैयार करने और योजना के समग्र प्रचालन की देखरेख के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया है। ई–विषयवस्तु के विकास का कार्य इन्फलिबनेट को सौंपा गया है। इस प्रकार से विकसित ई–विषयवस्तु, इन्फलिबनेट और साथ ही साक्षात पोर्टल पर स्थापित एक ज्ञान अर्जन प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) के माध्यम से मुक्त रूप से पहुंच हेतु उपलब्ध होगी। वर्ष 2013–14 के दौरान परियोजना पर कुल 6.59 करोड़ रुपये की लागत आई।

10. नई पहल

- वर्ष 2013–14 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रायोगिक आधार पर सामुदायिक महाविद्यालयों की योजना आरंभ की। योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय रूप से कम लागत, उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराना है जिसमें पारम्परिक कौशल विकास साथ ही पारम्परिक पाठ्यक्रम कार्य शामिल हो ताकि शिक्षार्थी को सीधे ही नियोजन क्षेत्र अथवा उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में जाने का सीधा अवसर मुहैया करवाया जा सके। वर्ष 2013–14 (07 विश्वविद्यालयों तथा 57 महाविद्यालयों में) के दौरान योजना के तहत 64 सामुदायिक महाविद्यालयों को अनुमोदित किया गया। वर्ष 2013–14 के दौरान 11.93 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिनांक 29 दिसम्बर, 2012 के आदेश के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 20(1) के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों में आयोजित दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने हेतु विनियम, मानदण्डों के अनुरक्षण के संबंध में निदेश जारी किये। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन निदेशों के संबंधों में अनेक कदम उठाये। वर्ष 2013–14 के दौरान 12 राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों तथा दोहरी पद्धति वाले विश्वविद्यालयों के लगभग 45 दूरस्थ शिक्षा निदेशालयों को लगभग 57.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महाविद्यालयी/विश्वविद्यालयी शिक्षा के भाग के रूप में कौशल विकास आधारित उच्चतर शिक्षा योजना को आरंभ किया है जिससे एनएसक्यूएफ के तहत डिप्लोमा/उच्च डिप्लोमा जैसे बहु–निकास विकल्पों के साथ व्यवसाय में स्नातक (बी0वोक0) उपाधि प्राप्त हो सके।

1 प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 28 दिसम्बर, 1953 को अस्तित्व में आया तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा में समन्वय करने तथा मानकों के निर्धारण तथा अनुरक्षण हेतु 1956 में संसद के अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय बन गया।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 18 के अनुसार आयोग पिछले वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का सटीक एवं संपूर्ण ब्यौरा देते हुए प्रत्येक वर्ष एक बार वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसकी प्रतियों को केन्द्र सरकार को भेजेगा तथा सरकार उसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखेगा।

- भारत सरकार, आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा दस सदस्यगणों (सचिव–शिक्षा, सचिव–व्यय, आठ अन्य सदस्यगणों) की नियुक्ति/नामित करेगी। सचिव, सचिवालय का अध्यक्ष होता है जिसमें समूह 'क' के 77, समूह 'ख' के 248 तथा समूह 'ग' के 205 अधिकारियों के साथ कुल 542 कर्मचारिवृंद है। कुल कर्मचारियों का 28 प्रतिशत महिलाएं, 19 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 4.8 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के कर्मचारिवृंद है।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1994 से अपने कार्यकरण को चरणबद्ध तरीके से विकेन्द्रीकृत करते हुए **सात** क्षेत्रीय कार्यालय खोले है ताकि सुलभ पहुंच सुनिश्चित की जा सके और महाविद्यालय क्षेत्र से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु शीघ्रता से अनुदान जारी किया जा सके।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) का मुख्य उद्देश्य उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता, समावेशी तथा तर्कसंगतता के साथ अकादमिक सुधारों में नामांकन में विस्तार किया जा सके। बारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) हेतु 30 प्रतिशत का लक्ष्य है तथा इसे शैक्षिक संस्थानों की संख्या में वृद्धि कर तथा मौजूदा संस्थानों के दाखिले की क्षमता में वृद्धि करने की दोहरी रणनीति को अपनाकर प्राप्त किया जा सकता है।

1.1 (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका और संगठन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिनांक 28.12.1953 को अस्तित्व में आया, वर्ष 1956 में संसद के अधिनियम से एक सांविधिक संगठन बना। वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा 12 उपबंध करती है कि आयोग संबंधित विश्वविद्यालयों के साथ परामर्श कर विश्वविद्यालयी शिक्षा के संवर्धन और समन्वय तथा शिक्षण, परीक्षा तथा शोध में मानदंड के निर्धारण तथा उनके अनुरक्षण हेतु ऐसे सभी कदम उठाएगा जो वह उचित समझता हो।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्र, राज्य सरकारों तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों के बीच एक अहम कड़ी का काम करता है। विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने की भूमिका के साथ–साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार करने के लिए आवश्यक उपायों पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों को भी परामर्श देता है। यह शिक्षकों के लिये शिक्षण के न्यूनतम मानदण्ड तथा योग्यता जैसे विनिमय भी तैयार करता है।

उच्चतर शिक्षा के बहु–आयामी उद्देश्यों की प्राप्ति तथा उच्चतर शिक्षा के स्तर को बनाये रखने तथा उसके समन्वय के मुख्य कार्यों के निवर्हन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विविध कार्यक्रम तैयार किये है तथा कार्यान्वित किये हैं।

संगठनात्मक ढांचा

आयोग में एक केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा दस अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष पद के चयन के लिए व्यक्ति केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार का अधिकारी नहीं होना चाहिए। केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए दस सदस्यों में से दो सदस्यों का चयन, केन्द्र सरकार के अधिकारियों में से किया जाता हैं। कम से कम चार सदस्यों का चयन विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक में से किया जाता है।

शेष सदस्यों का चयन निम्नलिखित व्यक्तियों में से किया जाना चाहिए:

1) जिन्हें कृषि, वाणिज्य, वानिकी अथवा उद्योग में ज्ञान या अनुभव हो।

2) जो अभियांत्रिकी, विधिक, चिकित्सा या किसी अन्य प्रतिष्ठित पेशे के सदस्य हों, अथवा

3) जो विश्वविद्यालय के उप कुलपति हो, अथवा जो विश्वविद्यालय के शिक्षक न हो परंतु केन्द्र सरकार के मत में प्रतिष्ठित शिक्षाविद् हो अथवा जिनकी उच्च अकादमिक योग्यता हो।

वि0अ0आ0 के कार्यकारी शीर्ष सचिव महोदय हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान निम्नलिखित कर्मचारिवृंद के साथ उन्होंने आयोग के सचिवालय की अध्यक्षता की:–

समूह	संस्वीकृत संख्या	कुल कर्मचारियों की संख्या	कुल कर्मचारियों की संख्या में से संस्वीकृत संख्या		
			महिला (प्रतिशत)	अनुसूचित जाति (प्रतिशत)	अनुसूचित जनजाति (प्रतिशत)
समूह 'क'	103	77	34 (44.15%)	09 (11.68%)	2 (2.59%)
समूह 'ख'	320	248	100 (40.32%)	56 (22.58%)	10 (4.03%)
समूह 'ग'	318	205	17 (8.29%)	36 (17.56%)	14 (6.82%)
जलपानगृह	19	12	1 (8.33%)	3 (25%)	शून्य
कुल	**760**	**542**	**152**	**104**	**26**

वर्ष 2013–14 के दौरान आयोग में कर्मचारियों की संस्वीकृत तथा वास्तविक संख्या

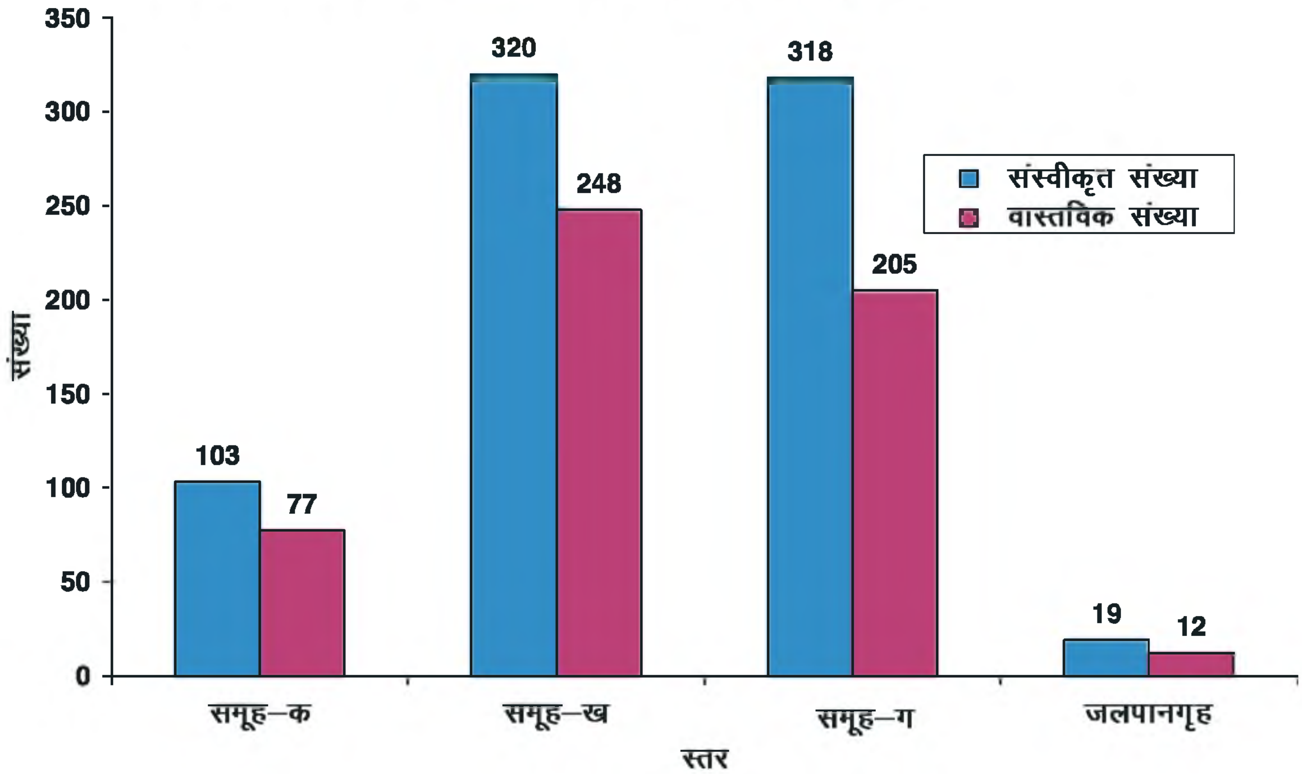

क्षेत्रीय कार्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के महाविद्यालय क्षेत्रक से संबंधित क्षेत्रक के कार्यान्वयन हेतु हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, बंगलूरू तथा दिल्ली में सात क्षेत्रीय कार्यालय हैं। उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से प्रचालनरत है। क्षेत्रीय कार्यालय तथा इसके तहत शामिल राज्य महाविद्यालयों की सूची निम्नवत है:

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	कवर किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1.	दक्षिणी पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (एसईआरओ), हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार, पुदुचेरी
2.	पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (डब्ल्यूआरओ), पुणे	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर और नागर हवेली, दमन और द्वीव
3.	केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय (सीआरओ), भोपाल	मध्य प्रदेश राजस्थान, छत्तीसगढ़
4.	उत्तर पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (एनइआरओ), गुवाहाटी	असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड
5.	पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (ईआरओ), कोलकाता	पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडीशा, सिक्किम, झारखण्ड
6.	दक्षिणी–पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (एसडब्ल्यूआरओ), बंगलूरू	कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप
7.	उत्तरी क्षेत्रीय महाविद्यालय ब्यूरो (एआरसीओ), दिल्ली	जम्मू और कश्मीर, पंजाब, चण्डीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड

1.2 बारहवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में

लोगों के उत्थान तथा देश की उन्नति सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण माध्यम है। भारत की उच्चतम शिक्षा प्रणाली को योजना सहायता प्रदान की जा रही है। वि0अ0आ0 ने देश में सूचना आधार का स्रोत सामग्री के रूप में विकास करने के लिए उच्चतर शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अनेक अध्ययनों को प्रायोजित किया ताकि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पद्धति और रणनीति तैयार की है। यह अध्ययन विस्तार, समावेश, गुणवत्ता और वित्त से जुड़े हुए है। इन अध्ययनों से प्राप्त हुई सूचना को बारहवी पंचवर्षीय योजना के लिए परिप्रेक्ष्य तैयार करने के लिए उपयोग किया गया है और निष्कर्षों द्वारा इसके उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति में मदद मिली है।

बारहवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी गुणवत्ता तथा विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रणाली में आवश्यक अकादमिक सुधारों के साथ समावेशी गुणवत्ता और संगत शिक्षा के साथ उच्चतर शिक्षा में नामांकन में वृद्धि करना है। इसलिए, मुख्य बल संस्थानिक क्षमता तथा दाखिले की क्षमता में वृद्धि के माध्यम से उच्चतर शिक्षा तक पहुच का विस्तार करना, उच्चतर शिक्षा तक कम पहुंच वाले समूहों को पहुंच के समान अवसर उपलब्ध करवा कर समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, गुणवत्ता युक्त शिक्षा को बढ़ावा देना, संगत शिक्षा को बढ़ावा देना, अकादमिक तथा शासी सुधारों को आरंभ करना आदि पर रहेगा।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 2012 के 15 प्रतिशत के वर्तमान सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में वृद्धि कर उसे 2017 तक 30 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 5 प्रतिशत की निवल वृद्धि का लक्ष्य दोहरी रणनीति से प्राप्त किया जाना है जिसमें शैक्षणिक संस्थानों की संख्या में वृद्धि तथा मौजूदा संस्थानों की दाखिले की क्षमता बढ़ाना शामिल है

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्धेश्य निम्नवत है : 15 प्रतिशत

क) बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नामांकन अनुपात को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत के स्तर तक लाने में मदद करना;

ख) विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य इस प्रकार के संस्थानों के संदर्भ में शैक्षणिक क्षमता का विस्तार कर 30 प्रतिशत सकल नामांकन दर (जीईआर) के लक्ष्यों को प्राप्त करना;

ग) उन जिलों की सकल नामांकन दर में वृद्धि करना जिनकी उच्चतर शिक्षा एक पहुंच सीमित है;

घ) शैक्षणिक रूप से पिछड़े समूहों के नामांकन में वृद्धि करना तथा समावेशी बनाना;

ड) गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना;

च) संगत शिक्षा को बढ़ावा देना;

छ) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना तथा अन्य संबद्ध मुद्दे पर घ्यान केन्द्रीत करना;

ज) विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में प्रवेश, परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रणाली में सुधार प्रक्रिया आरंभ करना;

झ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आंतरिक कार्यकरण का कंप्यूटरीकरण के माध्यम से सुधार करना तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में मानव संसाधन में सुधार सहित शैक्षणिक संस्थानों को आपस में जोड़ना;

ट) डाटाबेस और अनुसंधान क्षमताओं में सुधार करना ताकि शैक्षणिक नीतियों और कार्यक्रमों को सतत् रूप से सुदृढ़ किया जा सके तथा एक उचित संस्थागत ढांचा तैयार किया जा सके।

आयोग ने 10.05.2013 को आयोजित बैठक में 19800 करोड़ रुपए के आवंटन को अनुमोदित किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिये योजनागत आवंटन को मोटे तौर पर निम्नवत तीन क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है:–

	(करोड रूपये में)
केन्द्रीय विश्वविद्यालय को सहायता,	10500.00
केन्द्र सरकार के तहत सम विश्वविद्यालयों को सहायता,	300.00
राज्य विश्वविद्यालय,	2048.00
क्षेत्रीय कार्यालय, एनआरसीबी तथा दिल्ली महाविद्यालय	2026.00
12(ख) के तहत सम्मिलित किये जाने वाले नये राज्य विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय,	726.00
स्व–वित्तपोषित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के लिये शिक्षक/छात्र केन्द्रीय योजनाएं, नई आईयूसी नवेन्मेषी विश्वविद्यालय तथा अन्य नई योजनाएं खेलकूद को बढ़ावा देना तथा आरंभ की जाने वाली अन्य योजनाएं तथा अन्य विविध कार्यक्रम	4200.00
कुल	**19800.00**

वित्त वर्ष 2013–14 से निम्नवत योजनाओं को **बंद** करने का निर्णय लिया गया है।

(1) जीवन–पर्यन्त ज्ञान अर्जन एवं विस्तार;

(2) सामाजिक समावेश तथा बहिष्करण संबंधी अध्ययन हेतु केन्द्र;

(3) नवेन्मेषी कार्यक्रम;

(4) कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना/उन्नयन;

(5) विश्वविद्यालय में मौजूदा तथा नये प्रबंधन विभागों के उन्नयन हेतु विकास सहायता;

(6) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–इन्फोनेट नेट कनेक्टिविटी कार्यक्रम;

(7) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन्फोनेट नेट डिजीटल लाइब्रेरी कन्सोर्शियम;

(8) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेटवर्क संसाधन केन्द;

(9) महाविद्यालय को जयंती एवं शताब्दी अनुदान;

(10) मीडिया केन्द्र/संबद्ध मीडिया केन्द्रों की स्थापना;

(11) गेट योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों हेतु एमई/एमटेक हेतु कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति;

(12) नई योजना के तहत केन्द्र।

निम्नलिखित योजनाओं को अन्य योजनाओं के साथ समूहबद्ध किया गया है:

(1) मानवाधिकार एवं कर्त्तव्य शिक्षा (एचआरडीई) को सामान्य विकास सहायता (जीडीए) के साथ समूहबद्ध किया गया है;

(2) महिला प्रबंधकों का क्षमता निर्माण को महिला अध्ययन केन्द्र के साथ समूहबद्ध किया गया है;

(3) योग शिक्षा को बढ़ावा देने की योजना को खेलकूद को बढ़ावा देने की योजना के साथ समूहबद्ध किया गया है;

(4) एनकोर को जीडीए के साथ समूहबद्ध किया गया है;

(5) उपकरण अनुरक्षण सुविधाओं को जीडीए के साथ समूहबद्ध किया गया है;

(6) विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में खेलकूद अवसंरचना तथा उपस्कर संबंधी विकास योजना को खेलकूद को बढ़ावा देने संबंधी योजना के साथ समूहबद्ध किया गया है;

(7) आगन्तुक/अंशकालिक शिक्षक की नियुक्ति/मानदेय संबंधी योजना को जीडीए के साथ समूहबद्ध किया गया है।

उपरोक्त सात योजनाओं पर किया गया व्यय/किये जाने वाले व्यय को उन योजनाओं के शीर्ष से किया जायेगा जिनके साथ उन्हें समूहबद्ध किया गया है।

आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नवत नई योजनाओं को जारी रखने अथवा आरंभ करने का निर्णय लिया है :

1) **पदक विजेता**

2) **संसाधन जुटाने हेतु प्रोत्साहन**

1.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में चल रहे विशेष प्रकोष्ठ

(क) सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.आई.ए.) प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदनकर्ताओं को जानकारी प्रदान करता है। केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के तहत एक प्रकोष्ठ अर्थात् सूचना का अधिकार अधिनियम (आरआईए प्रकोष्ठ) के तहत आवेदनों/अपीलों को प्राप्त करता है तथा सीपीआईओ से विभिन्न सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकरणों जिनके पास संगत जानकारी होती है, उन्हें भेजे जाने हेतु अपेक्षित संख्या में प्रतियां तैयार करता है।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य कार्यालय, शाखा कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों सहित 18 अपीलीय प्राधिकरण तथा 38 सीपीआईओ है।
- आवेदनकर्ताओं से प्राप्त आरटीआई आवेदन/अपीलों तथा केन्द्रीय सूचना आयोग आदि से प्राप्त नोटिस/निर्णयों को केन्द्रीयकृत रूप से केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के नाम पर मुख्य कार्यालय में प्राप्त किया जाता है तथा संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी जिनके पास संगत, जानकारी होती है उन्हें भेजा जाता है।
- आरटीआई आवेदन/अपील/नोटिस निर्णय की एक प्रति आरआईए प्रकोष्ठ में अभिलेख स्वरूप रखी जाती है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में सभी ब्यूरो मुखियाओ को आरटीआई के तहत अपीलीय प्राधिकरण बनाया गया है तथा उनके तहत ब्यूरो में उप–सचिव/अवर सचिव/शिक्षा अधिकारियों को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी बनाया गया है।
- प्राप्त आरटीआई आवेदनों/अपीलों/शुल्क आदि की त्रैमासिक/वार्षिक रिपोर्ट को आरआईए प्रकोष्ठ द्वारा तैयार किया जाता है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेबसाइट तथा सीआईसी पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।

- क्षेत्रीय कार्यालयों में प्राप्त आरटीआई आवेदनों/अपीलों पर संबंधित केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा कार्यवही की जाती है।
- आवेदकों से संग्रहित आरटीआई शुल्क का भी लेखा–जोखा आरटीआई प्रकोष्ठ द्वारा रखा जाता है।
- केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारियों की सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट पर डाली गई है।

वर्ष 2013–14 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल मिलाकर 14919 आवेदन तथा 776 अपीलें प्राप्त हुई तथा वर्ष 2013–14 के दौरान आरटीआई शुल्क संग्रहण 1,35,016/– रु0 रहा तथा अतिरिक्त शुल्क 28496/– रुपये रहा।

(ख) वेतनमान प्रकोष्ठ

वेतनमान प्रकोष्ठ की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी, इस प्रकोष्ठ को समय–समय पर गठित की गई वेतन समीक्षा समितियों के कार्य का समन्वय करने का कार्य सौपा गया है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमानों तथा सेवाशर्तों से संबंधित मामलों में शिक्षकों के राष्ट्रीय स्तर पर संगठनों तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ भी यह प्रकोष्ठ वार्ता करता है। रिर्पोटाधीन वर्ष 2013–2014 के दौरान निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और उनकी जानकारी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को प्रदान की गई :–

1. शिक्षक और अन्य भौक्षणिक कर्मचारिवृंदों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता संबंधी नया विनियमन, 2010

वेतनमान प्रकोष्ठ ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंदों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों तथा उच्चतर शिक्षा में मानदण्ड बनाए रखने के संबध में उपायों संबधी विनियम, 2010 में सीएएस हेतु शैक्षणिक निष्पादन सूचकों तथा कुलपतियों (एफ–वाई) की नियुक्ति के संबंध में द्वितीय संशोधन (विनियम, 2013) जारी किया है।

2. वर्ष 2013 से 2014 की अवधि के दौरान कॅरियर प्रोन्नति योजना के अंतर्गत रीडर से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पर्यवेक्षक की नियुक्ति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर्यवेक्षक की नियुक्ति करके भारत में कार्यरत सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में सीएएस के अंतर्गत उपाचार्य से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की गई है कि इस प्रयोजन हेतु विहित प्रक्रिया का विश्वविद्यालयों द्वारा अनुपालन किया जाए। रिपोर्टिंग वर्ष 2013–14 के दौरान सीएएस के अंतर्गत रीडर से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए **58** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए दाखिले शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर पदों पर आरक्षण नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने की प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में आरक्षण नीति का प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित

करने संबधी निगरानी करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक स्थायी समिति का गठन किया गया है। इस समिति का प्रतिनिधित्व, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों, भूतपूर्व कुलपतियों एवं उच्चतर शिक्षा क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आरक्षण के स्तर को और रिक्तियों के पिछले बकाया पदों की निगरानी करने के लिए स्थायी समिति और स्थायी उप–समिति समय–समय पद बैठक करती रहती है।

भारत सरकार के निदेशानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षण, शिक्षणेत्तर तथा दाखिले में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) हेतु आरक्षण की नीति के कार्यान्वयन के लिए प्रयासरत है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों के अलावा केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित सभी अनुदान–सहायता प्राप्तकर्ता संस्थानों में अपिव हेतु 27 प्रतिशत आरक्षण के कार्यान्वयन हेतु अनुदेश जारी किये गये है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षा के अन्य संस्थानों में नियुक्तियों तथा दाखिले में अपिव हेतु आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की निगरानी तथा मूल्यांकन करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु एक स्थायी समिति का गठन किया गया है।

(घ) अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक पृथक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है जिसमें अल्पसंख्यकों से जुड़े मामलों पर विचार किया जाता है जैसे अल्पसंख्यक संस्थानों को समविश्वविद्यालयों का स्तर प्रदान किया जाना, अल्पसंख्यक संस्थानों को विश्वविद्यालयों के साथ सहसंबद्धता उपलब्ध कराना है।

अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी स्थायी समिति, अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु चालू योजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा तथा निगरानी करता है। स्थायी समिति की वर्ष में एक अथवा दो बार बैठक आयोजित की जाती है। भारत सरकार के निर्देशानुसार, समय–समय पर अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु गठित उप–समिति की बैठक समय–समय पर आयोजित की जाती है। समिति ने अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु योजनाओं की संख्या में वृद्धि करने के लिये उपघटक को सम्मिलित किये जाने की सिफारिश की।

(ङ) सतर्कता प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भ्रष्टाचार की प्रभावी ढ़ंग से रोकथाम करने के लिए भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार एक सतर्कता प्रकोष्ठ स्थापित किया है ताकि कार्यालय के काम–काज पर नजर रखी जा सके जिससे यहाँ कोई भ्रष्टाचार में सलिप्त न हो पाये । सतर्कता प्रकोष्ठ के प्रमुख, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अपर सचिव के पद का एक अधिकारी होता जिसे केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा विधिवत रूप से अनुमादित किया गया था। केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) मुख्यतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में भ्रष्टाचार की रोकथाम करने तथा भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगाने के लिए उत्तरदायी है और जहां कहीं भी आवश्यक होता है कानूनी कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी निम्नलिखित कार्य भी सुनिश्चित करता है :

- संदिग्ध निष्ठा वाले अधिकारियों पर उचित निगरानी रखना।
- निम्न से संबंधित ऐसे निष्ठा विषयक आचरणों का तुरन्त पालन करना :– (i) परिसंपत्तियों और अर्जनों का विवरण, (ii) उपहार, (iii) निजी फर्मो में नौकरी कर रहे या प्राइवेट व्यवसाय कर रहे संबंधी लोग (iv) बेनामी लेन–देन।
- संवेदनशील स्थानों का पता लगाना, ऐसे स्थानों का नियमित एवं औचक निरीक्षण करना और संवेदनशील पदों पर नियुक्त किए गए ऐसे कार्मिकों की उचित छानबीन करना।
- विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान आवंटन तथा संवितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सरलता लाने के लिए उपचारात्मक उपाय आरम्भ करना।

रिपोटाधीन अवधि के दौरान सर्तकता आयोग के निदेशानुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने **28 अक्तूबर, 2013 से 2 नवम्बर, 2013** तक शपथ दिलावाकर, इश्तेहार तथा पोस्टर प्रदर्शित कर तथा पर्चे बांटकर **सर्तकता जागरूकता सप्ताह** मनाया।

वर्ष 2013–14 के दौरान सतर्कता प्रकोष्ठ ने **सीवीसी (25), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (33), केन्द्रीय अन्वेशण ब्यूरो (10)** और विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों और अन्य एजेंसियों से 178 शिकायतें प्राप्त हुई। संवेदनशील शिकायतों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त जांच समिति के समक्ष रखा गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सतर्कता प्रकोष्ठ, सतर्कता जांच समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही करता है और मामले को संबंधित ब्यूरो के साथ उठाता है।

(च) विधिक प्रकोष्ठ

विधिक प्रकोष्ठ की स्थापना वर्ष 1984 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य कार्यालय में की गई थी। विधिक प्रकोष्ठ, भारत में उच्चतम न्यायालय, विभिन्न उच्च/अधीनस्थ न्यायालयों, मंचों तथा आयोग आदि में विधिक प्रकरणों पर कार्यवाही करता है।

विधिक प्रकोष्ठ समस्त देश के विभिन्न न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों में नियुक्त अधिवक्ताओं के बीच न्यायालय के मामलों का समन्वय करता है। दूसरे, यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ब्यूरो से संबद्ध विभिन्न मामलों पर नामनिर्दिष्ट विधिक परामर्शदाता का मत उपलब्ध कराता है।

कोर्ट से औपचारिक नोटिस मिलने पर, संबंधित पेनल के अधिवक्ता को वकालतनामा जारी किया जाता है तत्पश्चात, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधिक परामर्शदाता से विधिक परामर्श लेकर, संबद्ध ब्यूरो से पैरा–वार टिप्पणी लेता हैं, विधिक परामर्शदाता के मतानुसार, उत्तर देने अथवा मामले के निपटारे तक मामले की पैरवी करने के लिए ऐसी टिप्पणियों को पेनल के अधिवक्ता को मुहैया करवाया जाता है। मामले का निपटारा होने तक वि0अ0आ0 के विधिक प्रकोष्ठ द्वारा अपने वकील के साथ समस्त पत्र व्यवहार किया जाता है। मुकदमे के निपटारे के पश्चात, न्यायालय के निदेशानुसार, यदि ऐसा करना अनिवार्य हो तो, निर्णय की प्रति संबंधित ब्यूरो को, उचित/आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

वर्तमान में, अधिकांश मामले मुख्यतः विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षण और शिक्षणेत्तर स्टॉफ के वेतनमानों, अर्हताएँ सेवानिवृत्ति आयु चयन, व्यवसायिक नेट पाठ्यक्रमों में दाखिलों, सामान्य प्रवेश परीक्षा, विभिन्न संस्थानों की स्थापना, जाली संस्थानों की स्थापना आदि से संबंधित होते है। कुछ मामले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारिवृंदों से संबद्ध प्रशासनिक मामले भी होते हैं।

वर्तमान में वर्ष 2013–2014 के दौरान प्राप्त मामलों की संख्या और किए गए व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

वर्ष	प्राप्त मामलों की संख्या	अधिक्ताओं के बिलों पर किया गया व्यय (लाख रुपये में)
2013-2014	1126	269.38

(छ) डेस्क : संसदीय मामले

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का डेस्क संसद्'', भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विशेष रूप से मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त हुए संसद् प्रश्नों के उत्तर तैयार करने, परिवीक्षा करने और उनका समन्वय करने का कार्य करता है।

वर्ष 2013–2014 के दौरान बजट/मानसून/शीतकालीन सत्र के दौरान निम्नलिखित संसदीय प्रश्न प्राप्त हुए/उत्तर दिया गया:

वर्ष	संसदीय प्रश्नों की कुल संख्या	कुल प्रश्नों में से तारांकित प्रश्नों की संख्या	आश्वासनों की संख्या
2013—14	505	44	9

1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक संसदीय प्रश्नों का सत्र—वार ब्यौरा

सत्र की तिथि	लोक सभा प्राप्त प्रश्न		राज्य सभा प्राप्त प्रश्न		कुल ग्राह्य/अतारांकित	कुल तारांकित	कुल योग
	ग्राह्य/अतारांकित	तारांकित	ग्राह्य/अतारांकित	तारांकित			
23 अप्रैल से 10 मई, 2013	37	1	43	2	80	3	**83**
5 अगस्त से 30 अगस्त, 2013	59	8	81	15	140	23	**163**
5 दिसम्बर से 20 दिसम्बर, 2013	83	4	51	8	134	12	**146**
5 फरवरी से 21 फरवरी, 2014	91	6	16	0	107	6	**113**
कुल					**461**	**44**	**505**

(ज) कदाचार रोधी प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के उल्लंघन में देश भर में जाली विश्वविद्यालयों/संस्थानों और जाली डिग्रीयों/अंक तालिकाओं के तीव्र प्रसार के खतरे से निबटने के लिए 30 मई, 1996 को कदाचार प्रकोष्ठ, की स्थापना की हुई है। यह राज्य अधिनियम, केन्द्रीय अधिनियम, अथवा प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित नहीं किए गए संस्थान हैं, जिन्हें विशेष रूप से उपधियां प्रदान करने के अधिकार दिए गए हैं अतः जाली विश्वविद्यालय/संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत मान्यता प्राप्त हैं। प्रकोष्ठ का मूल उददेश्य प्रिंट मीडीया एव अन्य स्रोतों के माध्यम से जाली विश्वविद्यालयों/संस्थानें के बारे में सूचना एकत्रित करना और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ध्यान मे लाना तथा राज्य/केन्द्र सरकार की विभिन्न एजन्सियों के साथ संपर्क करना हैं, ताकि इन सभी जाली विश्वविद्यालयों/संस्थानों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

वर्तमान में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित जाली विश्वविद्यालयों की सूची में 21 जाली विश्वविद्यालय हैं। 21 जाली विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट पर हैं।

(झ) ''कार्यस्थलों पर महिला यौन उत्पीड़न'' को रोकने संबंधी प्रकोष्ठ

संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का ''कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न'' प्रकोष्ठ कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की शिकायतों पर कार्यवाही करता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान दौरान प्रकोष्ठ को कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(ञ) रैगिंग रोधी प्रकोष्ठ

सिविल अपील संख्या 887/2009 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 08.05.2009 के निर्णय के अनुसरण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की समस्या पर रोक लगाने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2009 तैयार किए है, और उन्हें 17 जून, 2009 को अधिसूचित किया गया जोकि वर्तमान में प्रभावी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी विश्वविद्यालयों को स्पष्ट कर दिया है कि यह विनियम अनिवार्य है।

आयोग ने सभी संस्थानों को अपनी विवरणिका में रैगिंग को वर्जित करने तथा इसके परिणामों के संबंध में निदेशों को शामिल करने को अनिवार्य बनाया है। सामान्य अथवा किसी विशेष योजना के तहत किसी संस्थान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता अथवा अनुदान सहायता के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र में संस्थान द्वारा रैगिंग रोधी उपायों का अनुपालन किये जाने वाली विशिष्ट शर्त को शामिल किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी विश्वविद्यालय को अकादमिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व सार्वजनिक सूचनाओं, वेबसाईट तथा विश्वविद्यालय को पत्रों के माध्यम से रैगिंग रोधी उपायों का कड़ाई का अनुपालन किये जाने के संबंध में अनुस्मरण कराती है। हाल ही में 19.7.2013 को उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की समस्या पर लगाम लगाने के संबंध में एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित किया गया। सीईसी द्वारा रैगिंग रोधी एक वीडियो फिल्म तैयार करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेबसाईट पर अपलोड की गई है तथा सभी विश्वविद्यालय से इसे छात्रों, कर्मचारिवृंद तथा अन्य हितधारियों और उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले महाविद्यालय में प्रचार करने को कहा गया है। भारत के राजपत्र में दिनांक 29.3.2014 को प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रैगिंग रोधी विनियम में द्वितीय संशोधन के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रत्येक शिक्षा वर्ष के आरंभ में दाखिले के समय संस्थानों में सभी छात्रों/अभिभावकों द्वारा रैगिंग से संबंधित ऑनलाइन वचनपत्र भर कर जमा कराने को अनिवार्य बनाया है।

एक राष्ट्रव्यापी निःशुल्क रैगिंग रोधी हेल्पलाइन 1800–180–5522 आरंभ की गई है, जिस पर रैगिंग संबंधी घटनाओं से पीड़ित छात्र कभी भी संपर्क कर सकते है। इस हैल्पलाइन को कॉल सेंटर सुविधाओं सहित 12 भाषाओं अर्थात् अंग्रेजी, हिन्दी, और क्षेत्रीय भाषाओं (तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, मराठी, उड़िया, आसामी, गुजराती और बंगाली) में रैगिंग के पीड़ित छात्रों की सहायता और ऐसी घटनाओं के संबंध में प्रभावी कार्यवाही करने के लिए लागू किया गया है। यह हैल्पलाइन शिकायतकर्ताओं/रैगिंग के पीड़ितों से सीधे शिकायतें प्राप्त करती हैं। इस शिकायत को हैल्पलाइन द्वारा संबंधित संस्थानों तथा स्थानीय प्रशासन (थानाध्यक्ष और पुलिस अधीक्षक) को आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता हैं। रैगिंग संबंधी शिकायतें प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संबंधित संस्थानों से की गई कार्यवाही रिपोर्ट मांगता है। विभिन्न रैगिंग रोधी उपायों का समन्वय करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक रैगिंग–रोधी प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में प्राप्त कथित रैगिंग संबंधी घटनाओं की सभी शिकायतों पर शीघ्र ध्यान दिया जा रहा है तथा संबंधित संस्थानों से की गई कार्यवाही रिपोर्ट मांगी जाती है। संस्थानों द्वारा रैगिंग की कथित घटनाओं पर कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में ऐसे संस्थानों के विरूद्ध विनियमनों के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाती है। विलम्ब से प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर पुनः अनुस्मारक भेजा जाता है और जब कोई कृत कार्यवाही रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो दण्डात्मक कार्यवाही आरंभ की जाती है।

पिछले वर्ष के दौरान, हैल्पलाईन के आरंभ होने से अर्थात् अप्रैल, 2013 से 132 कथित रैगिंग की शिकायतें प्राप्त हुई।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन शिकायतों को संबंधित संस्थानों के ध्यान में लाया गया है तथा इस संबंध में तत्काल और तुरंत कार्यवाही करने के लिये उनसे अनुस्मारकों तथा कारण बताओ नोटिसों के माध्यम से तत्काल कड़ाई के साथ पत्राचार किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्तर पर 2013–14 के दौरान 125 शिकायतों को निपटाया गया। शेष 07 मामलों में की गई कार्यवाही रिपोर्ट की प्रतीक्षा है और यदि कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो रैगिंग की समस्या पर लगाम लगाने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनिमय, 2009 के अनुसार संगत दण्डात्मक कार्यवाही आरंभ की जायेगी।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2009 की सिविल अपील सं. 887 में दिनांक 08.05.2009 के निर्णय के माध्यम से छात्रों पर रैगिंग के मानसिक प्रभाव का पता लगाने के लिये मनश्चिकित्सक/मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ आदि की एक समिति का गठन किया तथा विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा सभी शैक्षिक एवं व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों में तत्काल एवं अनिवार्य मानसिक स्वास्थ्य उपाय करने की सिफारिश की ताकि रैगिंग की घटनाओं से बचा जा सके।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत में चुनिंदा शैक्षिक संस्थानों में **रैगिंग का मानसिक सामाजिक अध्ययन** करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा एक समिति का गठन करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। इस प्रयोजनार्थ 49.12 लाख रुपए की राशि अनुमोदित की गई तथा दिनांक 05.10.2012 और 28.03.2014 को क्रमशः 24,56,000 रुपये तथा 10,00,000 रुपये की राशि जारी की गई थी।

भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की समस्या से प्रभावी ढ़ंग से निपटने के लिए आयोग द्वारा गठित किये गये एक समन्वय समूह की बैठक दिनांक 27.03.2014 को आयोजित हुई।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 02.01.2014 से एक वर्ष की अवधि के लिये प्रो. राज काचरू, संस्थापक न्यासी को निगरानी एजेंसी (एनजीओ) के रूप में नियुक्त किया तथा निगरानी एजेन्सी के संतोषजनक निष्पादन के आधार पर निगरानी एजेन्सी की सेवाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है।

दिनांक 27.03.2014 को एक अंतर परिषद् समिति तथा समन्वय समूह की बैठक आयोजित की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शिकायतों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को केन्द्र में रखते हुए निगरानी एजेंसी द्वारा सीधे की विभिन्न परिषद्ों को भेजा जाना चाहिए। बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने परिषद्ों को सूचित किया कि वचनबंध दाखिल करना एक साधारण प्रक्रिया है जिसमें किसी स्टॉम्प पेपर या किसी नोटरी की कोई आवश्यकता नहीं होगी। छात्र सीधे ही आनॅलाईन जाकर शपथ पत्र डाउॅनलोड कर सकते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की समस्या पर नियंत्रण लगाने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनिमय, 2009 के अनुपालन में विभिन्न समितियों का गठन करने के लिये सभी विश्वविद्यालयों को दिनांक 28.06.2013 को एक परिपत्र जारी किया। साथ ही उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की समस्या पर नियंत्रण करने के संबंध में दिनांक 02.08.2013, 28.04.2014 और 04.08.2014 को सभी कुलपतियों को एक पत्र भी भेजा गया और उनसे रैगिंग के विरुद्ध होर्डिंग लगाने तथा पर्चे आदि बाँटने का भी अनुरोध किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 19.07.2013 तथा 19.02.2014 को उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग की समस्या पर नियंत्रण लगाने के संबंध में प्रमुख समाचारपत्रों में एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की। उपर्युक्त सभी परिपत्रों तथा सार्वजनिक सूचनाओं को वि0अ0आ0 की वेबसाईट अर्थात् www.ugc.ac.in पर दर्शाया गया है।

वर्ष	वर्ष 2013–14 के दौरान प्राप्त कुल शिकायतों की संख्या	मामले जहां संस्थान द्वारा कृत कार्यवाही के बारे मे जानकारी प्रदान की गई है	लंबित मामले	टिप्पणियां
1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014	132	1215	7	07 मामलों में की गई रिपोर्ट की प्रतीक्षा है और यदि कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो वि0अ0आ0 विनियमों के अनुसार संगत दण्डात्मक कार्यवाही आरंभ की जायेगी।

1.4 प्रकाशन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रकाशन ब्यूरो विभिन्न प्रकार के प्रकाशन, यथा वि0आ0आ0 की वार्षिक रिपोर्ट, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए दिशानिर्देश, वि0अ0आ0 अधिनियमों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–सम्मेलन, समितियों की रिपोर्ट, सांख्यिकी रिर्पोटों/प्ररूपों का प्रकाशन करता है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों के उपयोग के लिए विभिन्न लेंखन सामग्री का भी प्रकाशन करता है यथा विजिटिग कार्ड, लिफाफे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग टी0ए0/डी0ए0 प्रपत्र, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हिन्दी दिवस प्रमाणपत्रों तथा वार्षिक गोपनीय रिर्पोट (ए0सी0आर0) प्ररूपों का भी प्रकाशन करता है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रकाशनों/अन्य मदों के मुद्रणों पर निम्नवत व्यय किया गया।

वर्ष	व्यय (लाख रु0 में)
2012-2013	7.11
2013-2014	28.68

वर्ष 2013–14 के दौरान मुद्रित प्रकाशनों की सूची निम्नवत है:

क्र.सं.	प्रकाशन का नाम
1.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वार्षिक प्रतिवेदन, 2011–12 (अंग्रेजी और हिन्दी)।
2.	"उच्चतर शिक्षा संस्थानों के अनिवार्य मूल्यांकन और प्रत्यायन के संबध में राज्यों के मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों (उच्चतर शिक्षा) तथा संघ क्षेत्रों के प्रशासकों के सम्मेलन पर एक पुस्तक"।
3.	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (नेशनल हॉयर एजूकेशन मिशन)
4.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों के विजिटिंग कार्ड, लैटर हैड तथा लिफाफे, नव वर्ष शुभकामना कार्ड, एसीआर/एपीएआर प्रपत्र आदि
5.	भारत में उच्चतर शिक्षा एक दृष्टि में (पर्चे)
6.	उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक समता का पोषण (विवरणिका)
7.	भारतीय उच्चतर शिक्षा–उत्कृष्टता की खोज– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रमुख कार्यक्रमों का संकलन।
8.	भारत–अमरीका उच्चतर शिक्षा सहयोग
9.	भारत–अमरीका उच्चतर शिक्षा संवाद 2013
10.	वार्षिक लेखा 2011–12 (अंग्रेजी और हिन्दी)।
11.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हिन्दी दिवस के प्रमाणपत्र
12.	भारत में विश्वविद्यालय का विकास– मूलभूत तथ्य और आंकड़े–भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों मे वर्ष 2008–09 तथा 2009–10 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का नामांकन।
13.	सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के प्रशासन हेतु एकल मसौदा विधेयक को तैयार करने संबंधी समिति की रिपोर्ट के खण्ड–I, II और III की हार्ड केस जिल्दसाजी के साथ सुनहरी पन्नों में मुद्रण
14.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साठ वर्ष (पुस्तक)
15.	सक्षम–कैम्पसों में लिंग संबंधी मुद्दों पर संवेदनशील बनाने के लिए महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उपाय (पुस्तक)

1.5 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बजट और वित्त

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अनुसार, अनुदान आयोग को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अपनी निधि से विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को अनुदान आयोग के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से अनुरक्षण (गैर–योजनागत) तथा विकास (योजनागत) अनुदानों के रूप में निधियाँ आवंटित एव संवितरित कर सकता है ताकि उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र के मानदण्डों को बनाए रखा जा सके और उनमें सुधार किया जा सके। वर्ष 2013–2014 के लिए बजट विवरण तालिका 1.5(क) में दिया गया है।

तालिका 1.5(क) : वर्ष 2012–2013 के लिए बजट

(करोड़ रु0 में)

क्र.सं.	बजट शीर्ष	योजनागत आबंटन		गैर–योजनागत आबंटन	
		ब0अ0	स0अ0	ब0अ0	स0अ0
1.	सामान्य	5717.00	5222.86	5066.74	5132.46
2.	**कुल**	**5717.00**	**5222.86**	**5066.74**	**5132.46**

रेखाचित्र 1.5(क): वर्ष 2013–14 के लिए बजट

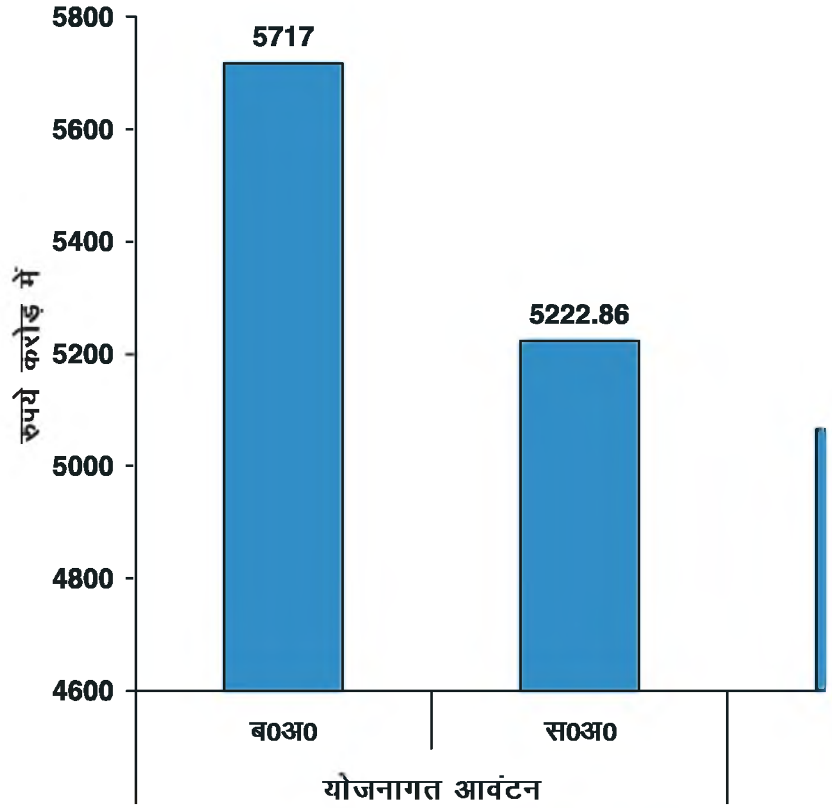

	कुल		5088.41	5124.39

रेखाचित्र 1.5(ग): वर्ष 2013–14 के दौरान योजनागत और गैर–योजनागत आवंटन (सामान्य बजट शीर्ष) के तहत प्राप्त अनुदान

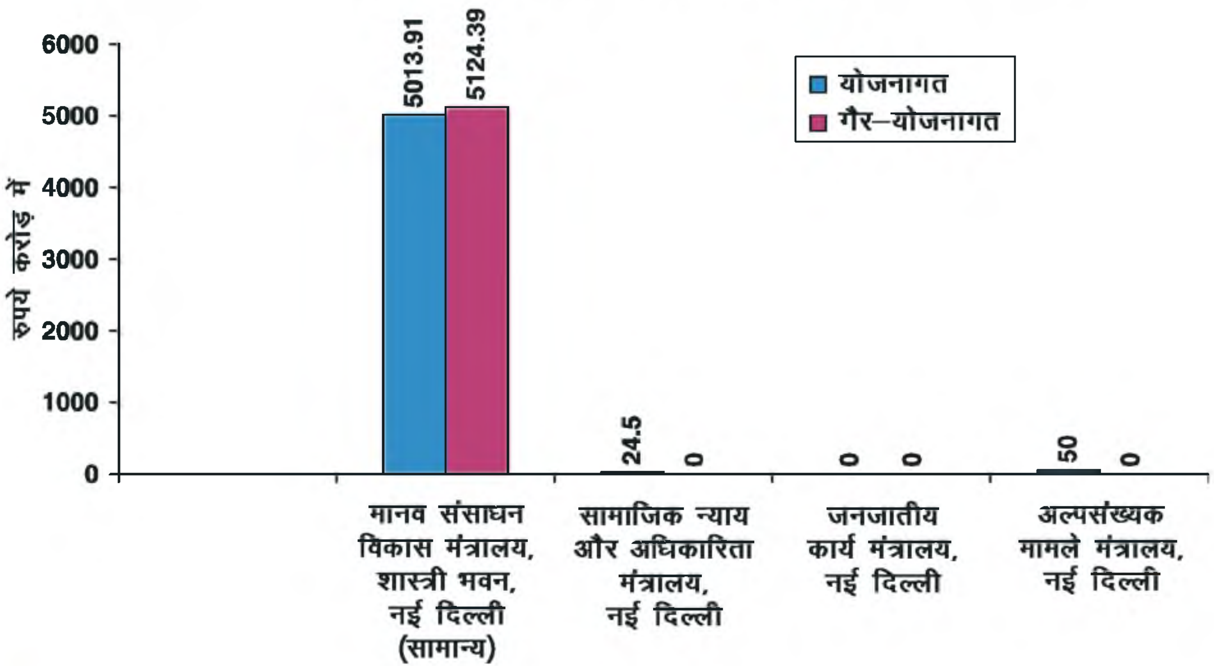

वर्ष 2013–2014 के दौरान केन्द्र सरकार से प्राप्त योजनागत तथा गैर–योजनागत अनुदानों और विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को जारी किए गये अनुदानों को ब्यौरा तालिका 1.5(ख), 1.5(ग) और 1.5(घ) और 1.5(ङ) में दिया गया है।

तालिका 1.5(ख): वर्ष 2013–2014 के दौरान प्राप्त अनुदान

(करोड़ रु0 में)

क्र.सं.	बजट शीर्ष	प्राप्त योजनागत अनुदान	प्राप्त गैर–योजनागत अनुदान
1.	सामान्य	5013.91	5124.39
2.	अव्ययित शेष (2012–2013)	427.13	66.54
	कुल	**5441.04**	**5190.93**

तालिका 1.5(ग) : वर्ष 2013–2014 के दौरान प्राप्त योजनागत और गैर–योजनागत (सामान्य) बजट शीर्ष के तहत प्राप्त अनुदान

(करोड़ रु0 में)

क्र.सं.	मंत्रालय द्वारा प्राप्त अनुदान	योजनागत अनुदान	गैर–योजनागत अनुदान
1.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (सामान्य)	5013.91	5124.39
2.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली	24.50	0.00
3.	जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली	0.00	0.00
4.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, नई दिल्ली	50.00	0.00

तालिका 1.5(घ) : वर्ष 2013–2014 के दौरान संस्थानों को जारी किया गया योजनागत अनुदान

(करोड़ रु0 में)

क्र.सं.	संस्थाओं के प्रकार	योजनागत अनुदान	कुल योजनागत अनुदानों का प्रतिशत
1.	राज्य विश्वविद्यालय	855.59	17.06
2.	राज्य विश्वविद्यालयों के महाविद्यालय	84.14	1.68
3.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2402.97	47.93
4.	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के महाविद्यालय	50.84	1.01
5.	अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र	343.72	6.86
6.	समविश्वविद्यालय संस्थान	159.13	3.17
7.	विविध/विश्वविद्यालयेतर तथा संस्थान	57.00	1.14
8.	छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों हेतु बैंकों द्वारा आनॅलाईन भुगतान	29.60	0.59
9.	क्षेत्रीय केन्द्र	1059.50	21.13
10.	स्थापना	5.77	0.12
11.	एआईसीटीई, नई दिल्ली	300.00	5.98
	कुल	**5348.26**	**106.67**

रेखाचित्र 1.5(घ): वर्ष 2013–14 के दौरान संस्थानों को जारी किया गया योजनागत अनुदान (रुपये करोड़ में)

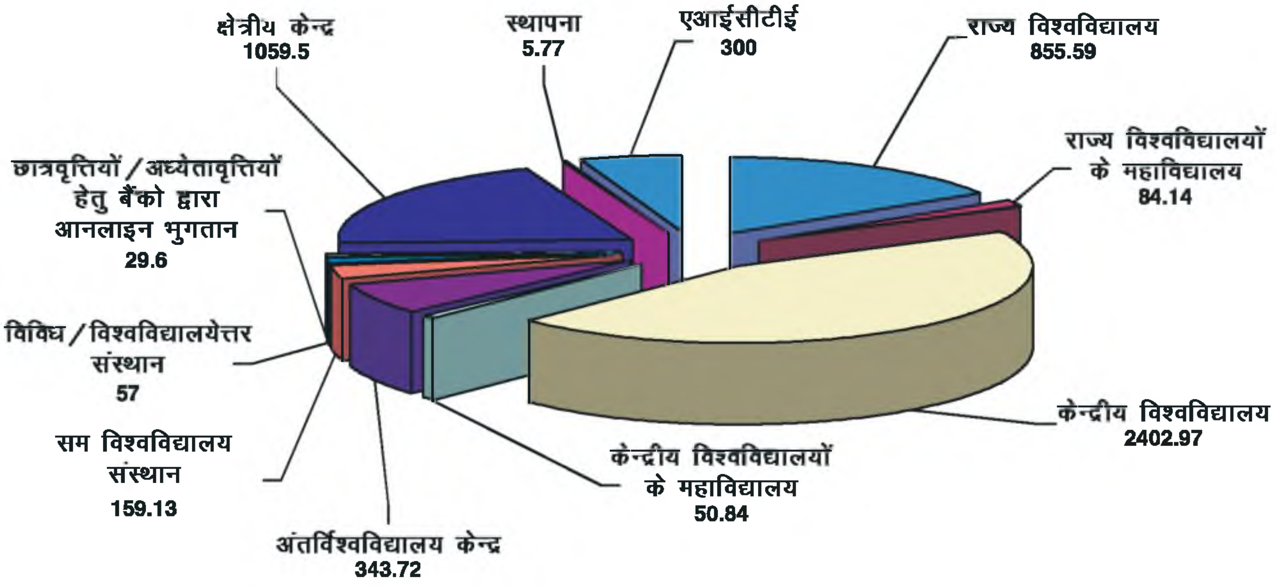

तालिका 1.5 (ङ): वर्ष 2013–2014 के दौरान संस्थानों को जारी किए गए गैर–योजनागत अनुदान

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	संस्थाओं के प्रकार	गैर–योजनागत अनुदान	कुल गैर–योजनागत अनुदानों का प्रतिशत
1.	निम्नलिखित को अनुरक्षण अनुदान		
	क) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (यू0सी0एम0एस0 सहित)	3300.81	64.41
	ख) (i) दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालय	1176.88	22.97
	(ii) बी.एच.यू. के महाविद्यालय	29.57	0.58
	ग) सम विश्वविद्यालय संस्थान	236.25	4.61
	घ) केन्द्रीय विश्वविद्यालय के महाविद्यालय	80.65	1.57
2.	राज्य विश्वविद्यालय	181.21	3.54
3.	अंतर्विश्वविद्यालय संस्थान/ केन्द्र	92.77	1.81
4	राज्य महाविद्यालय	1.70	0.03
4.	प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय)	73.24	1.43
6.	प्रशासनिक प्रभार (क्षेत्रीय कार्यालय)	5.97	0.12
	कुल :	**5179.05**	**101.07**

रेखाचित्र 1.5(ङ): वर्ष 2013–14 के दौरान संस्थानों को जारी किया गया गैर–योजनागत अनुदान (रुपये करोड़ में)

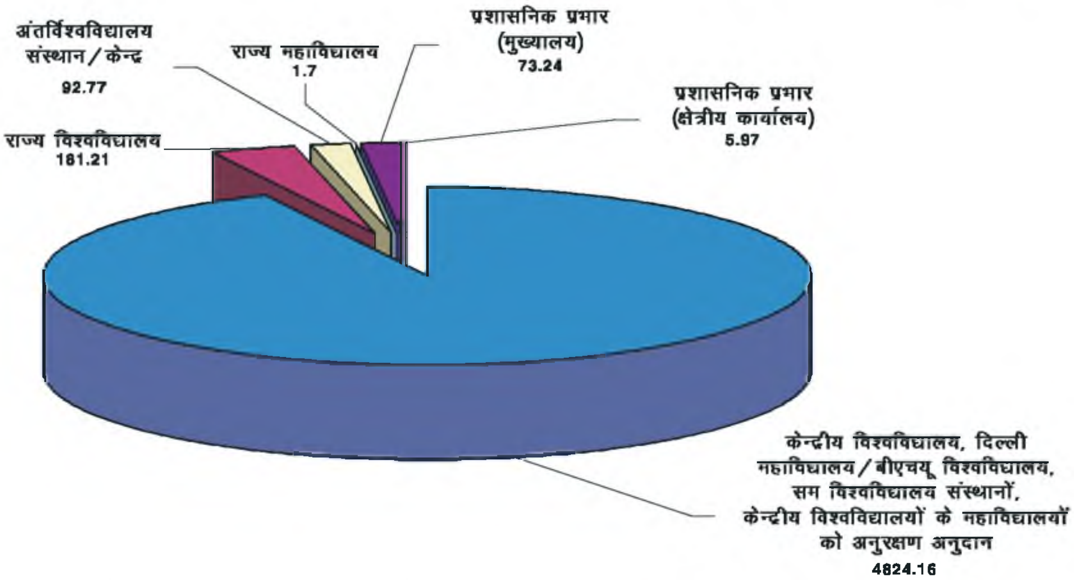

- वर्ष 2013–2014 के दौरान विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को प्रदत्त गैर–योजनागत (मुख्य शीर्ष–वार) अनुदान को दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट–VIII पर दिया गया है।
- वर्ष 2013–2014 के दौरान विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को प्रदत्त सामान्य योजनागत (मुख्य शीर्ष–वार) अनुदान को दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट–IX पर दिया गया है।

3. 8 चिन्हित सेवाओं/संवर्ग ढांचों अर्थात् (i) प्रेस एवं प्रकाशन सेवाएँ (ii) संग्रहालय एवं अभिलेखागार सेवाएँ (iii) तकनीकी/प्रयोगशाला सेवाएं (iv) अभियांत्रिकी सेवाएं (v) कार्यशाला सेवाएँ (vi) विश्वविद्यालय विज्ञान एवं यंत्र केन्द्र (vii) स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाए (viii) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई०सी०टी०) सेवा के संबंध में रिपोर्ट दिनांक 23.09.2010 के पत्र संख्या एफ.6–7/97(जे.सी.आर.सी.) के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, को भेज दी गयी है।

उपर्युक्त रिर्पोटें मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विचाराधीन है।

1.6 (क) केन्द्र द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं में ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० योजना का कार्यान्वयन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालयों तथा दिल्ली के महाविद्यालयों में ए०सी०पी० योजना के क्रियान्वयन में एकरूपता लाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक स्थायी समिति का गठन किया है। यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय ने विगत में अपने शिक्षणेत्तर कर्मचारीवृंदों के विचार किये गये अलग–अलग मामलों के संबंध में एसीपी योजना के संबंध में स्थायी समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा तैयार किये गये दिशा–निर्देशों के आधार पर स्वयं एसीपी योजना को लागू कर सकती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित समय विश्वविद्यालयों तथा दिल्ली स्थित महाविद्यालयों को अपने शिक्षणेत्तर कर्मचारीवृंदों को एमएसीपी प्रदान करने के लिये दिनांक 09.07.2010 के पत्रांक के माध्यम से अनुमोदन प्रदान किया।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालय तथा में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों के संबंध में एसीपी/एमएसीपी के कार्यान्वयन पर स्पष्टीकरण मांगने वाले अनेक प्रश्नों का समाधान जेसीआरसी द्वारा दैनिक आधार पर समाधान किया जा रहा है।

1.6 केन्द्रीय तथा समविश्वविद्यालयों के लिए संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश से, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों में शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों के लिए एक समान स्टॉफ पैटर्न पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.) का गठन किया किया गया। इस संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति का उद्देश्य एक इन संस्थानों के शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों (क,ख,ग, और घ समूह) के लिए समान सेवा शर्तो के समग्र ढाँचे की सिफारिश करना है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विचार करने तथा अनुमोदित करने के बाद तीन चरणों में जेसीआरसी की रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत की:–

1. ग्रथांलय सेवा संवर्ग पर रिपोर्ट को दिनांक 18 जनवरी, 2008 के पत्रांक संख्या एफ 23–1/2005(जेसीआरसी) के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।
2. 15 चिह्नित सेवाओं/संवर्ग ढांचों अर्थात् (i)प्रशासन/लिपिकवर्गीय सेवाएँ (ii) सचिवालय से जुड़ी सेवाएँ (iii) अतिथिशाला/होटल/जलपान गृह सेवाएँ (iv) परिवहन सेवाएँ (v) स्कूल अध्यापक (vi) सुरक्षा सेवाएँ (vii) स्वच्छता संबंधी सेवाएँ (viii) राजभाषा प्रकोष्ठ (ix) फोटोग्राफ/छायाप्रति संबंधी सेवाएँ (x) संगीत सेवाएँ (xi) खेलकूद/खेल सेवाएँ (xii) उद्यान /बागवानी सेवाएँ (xiii) कृषि/पशु चिकित्सा सेवाएँ (xiv)धार्मिक सेवाएँ (xv)शोध/सांख्यिकीय सेवाएँ संबधी रिपोर्ट को 12–06–09 को पत्रांक सं0 एफ. 6–7/97(सीयू/जेसीआरसी) के माध्यम से भेज दी गई है।

1.6 (ख) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

अर्द्ध सरकारी संगठनों, स्वायत्त तथा केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित/नियंत्रित सांविधिक निकायों में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग को लागू करने के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 6 अक्टूबर, 2008 के अ.शा. पत्र संख्या 2–1/2008–यू.आई.(ए) के अनुपालन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग महाविद्यालयों के वेतनमानों में संशोधन करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने हेतु 03 दिसम्बर, 2009 को पत्रांक संख्या एफ 20–1/2008 (जेसीआरसी) भेजा। मामला मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विचाराधीन है। इस दौरान जेसीआरसी अनुभाग केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालयों में छठे वेतन आयोग में कार्यान्वयन में शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों से संबंधित पूछताछ का समाधान कर रहा हैं तथा अनुमोदन हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ सक्रिय रूप से मामले को उठा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालयों तथा दिल्ली के महाविद्यालयों के अनुभाग अधिकारियों/निजी सचिवो को वेतन बैंड–2 में 4800/– का ग्रेड वेतन प्रदान करने के मामले को अनुमोदन प्रदान करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

1.7 हीरक जयंती – उच्चतर शिक्षा के निमित्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 60 वर्ष

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि0अ0आ0) ने विश्वविद्यालयों में 'मानकों के समन्वयन एवं निर्धारण' के अधिदेश के साथ अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूर्ण किए हैं। 28 दिसम्बर, 1953 को स्थापना के साथ ही इसने देश में उच्चतर शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु अपने सफर के 60 महत्वपूर्ण पड़ाव पूरे किये हैं।

हीरक जयंती समारोह दिनांक 28 दिसम्बर, 2013 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मानव संसाधन विकास मंत्री डा. एम.एम. पलामूराजू द्वारा की गई। आयोग के सदस्यों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्षों, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों तथा देशभर से शिक्षाविदों के साथ–साथ मानव संसाधन विकास मंत्री डा. शशी थरूर ने अवसर की शोभा बढ़ाई।

अपने उद्घाटन भाषण में, माननीय प्रधानमंत्री ने उच्चतर शिक्षा के निमित्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के योगदान को स्वीकार करते हुए यह सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अब राष्ट्रीय विचार विशेषज्ञ के रूप में कार्य करना चाहिए तथा देश में उच्चतर शिक्षा के बेहतर विकास पर जिन मुद्दों का प्रभाव पड़ता उनके संबंध में पेशेवर तथा उद्देश्यपूर्ण चर्चा करनी चाहिए।'' उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विश्वविद्यालयी प्रणाली के अंतर्विषय शोध तथा नवोन्मेष को एक अंतर्निहित एजेन्डा बनाकर हम विश्वभर के सर्वोच्च विश्वविद्यालयों में स्थान पाकर अपनी रैकिंग में सुधार करने की आशा कर सकते है। उन्होंने कहा कि चूंकि देश में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले 96 प्रतिशत छात्र, राज्य उच्चतर शिक्षा प्रणाली से आते हैं, हमें विशेष रूप से राज्य विश्वविद्यालयों पर ध्यान देने तथा शिक्षण एवं शोध की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इस समस्या का समाधान करेगा। उन्होंने कहा कि विस्तार, समानता तथा उत्कृष्टता के तीन 'ई' पर ध्यान केन्द्रित किये जाने के साथ–साथ रोजगार प्राप्त करने की क्षमता के चौथे 'ई' को भी जोड़े जाने की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री ने अधिकाधिक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईएम, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएसईआर, आईआईआईटी तथा एसपीए की स्थापना कर उच्चतर शिक्षा के तीव्र विस्तार की सराहना की बल्कि उच्चतर शिक्षा को अधिक समावेशी बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने बड़े पैमाने पर कौशल विकास को बढ़ावा देने के प्रयासों की चर्चा की ताकि हमारी बढ़ती अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं हेतु प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध हो तथा कुशल रोजगार हेतु नये अवसरों का बडी संख्या में सृजन

प्रधानमंत्री, डॉ0 मनमोहन सिंह दिनांक 28 दिसम्बर, 2013 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की हीरक जयंती उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के उद्घाटन के अवसर पर दीप प्रज्जवलित करते हुए। इस अवसर पर केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, डॉ0 एम0एम0 पलामु राजु, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, डॉ0 शशी थरूर तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अध्यक्ष, प्रो0 वेद प्रकाश भी उपस्थित थे।
(पीआईबी के सौजन्य से चित्र)

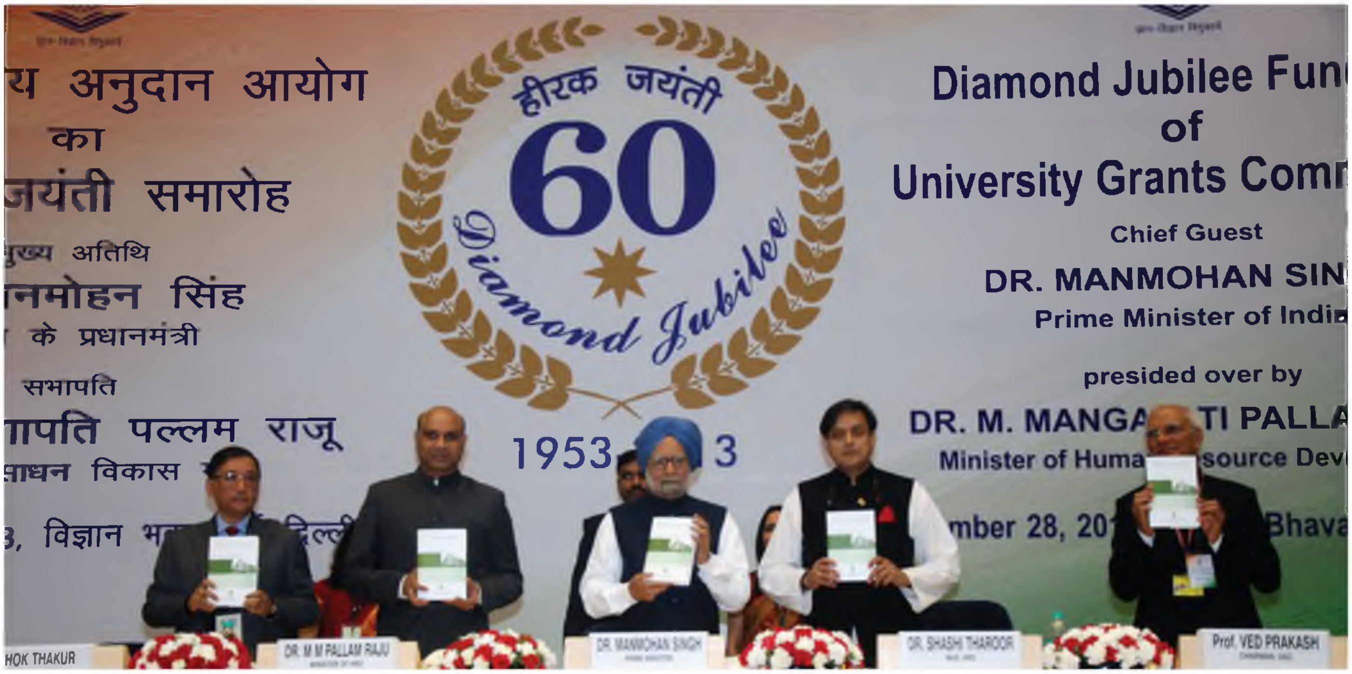

प्रधानमंत्री, डॉ0 मनमोहन सिंह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के हीरक जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में 28 दिसम्बर, 2013 को नई दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साठ वर्ष नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए। इस अवसर पर केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, डॉ0 एम0एम0 पलामु राजु, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, डॉ0 शशी थरूर तथा सचिव (उच्चतर शिक्षा) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्री अशोक ठाकुर तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अध्यक्ष, प्रो0 वेद प्रकाश भी उपस्थित थे।
(पीआईबी के सौजन्य से चित्र)

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, डॉ0 एम0एम0 पलामु राजु, नई दिल्ली में 12 फरवरी, 2014 को एक कार्यक्रम के दौरान 'कैम्पसों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा लैंगिक संबंधी मुद्दों पर संवेदनशील बनाने हेतु उपायों के आधार पर–"सक्षम" नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए। इस अवसर पर केन्द्रीय आवास और शहरी गराबी उन्मूलन मंत्री, डॉ0 गिरिजा व्यास, सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्री अशोक ठाकुर तथा अन्य गण्यमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

(पीआईबी के सौजन्य से चित्र)

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, डॉ0 एम0एम0 पलामु राजु, नई दिल्ली में 12 फरवरी, 2014 को एक कार्यक्रम में कैम्पसों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा लैंगिक संबंधी मुद्दों पर संवेदनशील बनाने हेतु उपायों के आधार पर–"सक्षम" नामक पुस्तक के विमोचन के अवसर पर। इस दौरान केन्द्रीय आवास और शहरी गराबी उन्मूलन मंत्री, डॉ0 गिरिजा व्यास, तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अध्यक्ष, प्रो0 वेद प्रकाश भी उपस्थित थे।

(पीआईबी के सौजन्य से चित्र)

राष्ट्रपति, श्री प्रणब मुखर्जी तथा प्रधानमंत्री, डॉ0 मनमोहन सिंह, दिनांक 06 फरवरी, 2014 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन में उपस्थित थे। इस अवसर पर केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, डॉ0 एम0एम0 पलामु राजु, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, श्री जितिन प्रसाद और डॉ0 शशी थरूर भी उपस्थित थे।
(पीआईबी के सौजन्य से चित्र)

हो सके। उन्होंने प्राथमिकता के आधार प्रभावी नीतिगत आयोजना हेतु विश्वविद्यालय सूचना प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करने के साथ–साथ, राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन तथा आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए गुणवत्तायुक्त संकाय की कमी, विश्वविद्यालय उद्योग संबंध तथा शोध को सुदृढ़ करने जैसी विशिष्ट चिंताओं का उल्लेख किया।

प्रधानमंत्री ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान, ललित कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में व्यक्तिगत उत्कृष्टता हेतु पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर पांच पुरस्कारों को स्थापित किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की।

दक्षिण एशिया में उच्चतर शिक्षा की स्थिति पर दिनांक 13 और 14 जनवरी, 2014 को नई दिल्ली में सार्क क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

मानव संसाधन विकास मंत्री डा. एम.एम. पलामू राजू ने कहा कि उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में पहुंच तथा विस्तार, समानता तथा समावेशन, गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता शाश्वत चिंताएं बनी रहेंगी तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इन चुनौतियों पर अधिक सजीवता से ध्यान केन्द्रित करना चाहिये। उन्होंने सामाजिक समानता को पोषित करने हेतु आरंभ की गई विशेष योजनाओं का उल्लेख करते हुए सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 30 करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को वर्ष 2020 तक प्राप्त करने की आशा की। उन्होंने उच्चतर शिक्षा प्रणाली की स्वायत्तता का उल्लेख किया तथा इस बात पर बल दिया कि उत्तरदायित्व के समक्ष शैक्षणिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता का एक समेकित परिदृश्य में समाधान किये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने भविष्य की आवश्यकताओं के रूप में ऑनलाइन शिक्षा संसाधनों के साथ मिश्रित शिक्षा के मॉडलों को विकसित किये जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

मानव संसाधन विकास मंत्री ने नोबल विद्वानों : रविन्द्रनाथ टैगोर, सी.वी. रमन, हरगोविन्द खुराना, मदर टेरिसा, एस. चन्द्रशेखर, अर्मव्य सेन तथा वी. रामाकृष्ण के नाम पर विश्वविद्यालयी प्रणाली में अध्यक्षपीठों के गठन की भी घोषण की। उन्होंने महसूस किया कि हमारे विश्वविद्यालयों में इन अध्यक्षपीठों के माध्यम से किया गया कार्य विद्वानों की युवा पीढी के लिए एक शाश्वत प्रेरणा स्रोत बनेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, प्रो. वेदप्रकाश ने कहा कि उच्चतर शिक्षा में सार्वजनिक वित्तपोषण के परिणामस्वरूप छात्रों तथा संस्थानों की संख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई है। उन्होंने उच्चतर शिक्षा में समानता तथा उत्कृष्टता के पोषण के लिये 7,461 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता का उल्लेख किया जिससे लगभग 23 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। उन्होंने अनेक पहल तथा अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों को एक्सरलेटर आधारित शोध सुविधाओं, खगोलशास्त्र, तथा खगोलभौतिकी, वैज्ञानिक शोध हेतु सहायता, शिक्षा संचार, सूचना तथा ग्रंथालय नेटवर्क, मूल्यांकन और प्रत्यायन तथा अध्यापक शिक्षा को सहायता प्रदान कर विश्वविद्यालय में शिक्षण तथा शोध परिवेश को पोषित करने के प्रयासों की चर्चा की।

उन्होंने उच्चतर शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने, जाति आधारित भेदभाव/उत्पीड़न किसी को उत्पीड़ित जाने की रोकथाम; विश्वविद्यालय प्रणालो में शिकायत निवारण हेतु तंत्र की स्थापना; उच्चतर शिक्षा संस्थानों का अनिवार्य मूल्यांकन तथा प्रत्यायन करने; भारत में विदेशी शिक्षा संस्थानों के प्रवेश तथा प्रचालन को विनियमित किये जाने संबंधी कतिपय महत्वपूर्ण कदमों पर प्रकाश डाला। दिनांक 13 से 14 जनवरी, 2014 को नई दिल्ली में 'दक्षिण एशिया में उच्चतर शिक्षा की स्थिति' के संबंध में सार्क क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

प्रो. वेद प्रकाश ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के फैकल्टी रिचार्ज कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिभा पलायन की प्रवृत्ति को सफलतापूर्वक उलट दिया गया है जिसके तहत विदेशों से 163 पीएचडी अथवा पोस्ट डाक्टोरल उपाधि धारक संकायों की नियुक्ति की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उनके वेतन का भुगतान करता है परतु वे पृथक विश्वविद्यालय में सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा, कतिपय मुख्य पहल नामतः सिंह–ओबामा इक्कीसवीं शताब्दी ज्ञान पहल, ब्रिटेन भारत शिक्षा तथा शोध पहल, भारत आस्ट्रेलिया, भारत–न्यूजीलैंड तथा भारत–इजरायल शिक्षा परिषद्, विदेशी तथा भारतीय संस्थानों के बीच टिवनिंग व्यवस्थाएं की गई हैं।

उन्होंने नीतिगत शोध करने, उच्चतर शिक्षा में विश्वसनीय डाटाबेस तैयार करने, प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण तथा अधिगम में वृद्धि करने, अनिवार्य संस्थागत तथा कार्यक्रम प्रत्यायन, ढांचागत एवं अभिशासनात्मक सुधार करने की प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नवीन प्रतिबद्धता को दोहराया। विश्वविद्यालय परिसरों में रैगिंग रोधी तथा महिलाओं की संरक्षा तथा लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ाने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सक्रिय कदम बेहतर शिक्षा परिवेश सुनिश्चित करने में दूरगामी सिद्ध होंगे।

1.8 विश्वविद्यालय अनुदान आयोगः वर्ष के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

उच्चतर शिक्षा मे समन्वय करने तथा मानकों को बनाये रखने के अपने मूल कृत्यों के निवर्हन तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के द्वितीय वर्ष (2013–14) के दौरान अनेक उपाय किये हैं।

- हैदराबाद विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संकाय शोध संवर्धन कार्यक्रम (एफआरपीपी) के कार्यान्वयन हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये।
- आयोग ने यह संकल्प लिया कि 'नवोन्मेषी विश्वविद्यालयों की योजना' पर पुनर्विचार किया जाये तथा यदि संभव हो तो इसका 'उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय (यूपीइ) की योजना' के साथ विलय किया जाये।
- आयोग ने राज्य विश्वविद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा केन्द्र द्वारा वित्तपोषित सम विश्वविद्यालय के संबंध में बारहवीं पंचवर्षीय योजना आवंटन को अनुमोदित किया गया। सभी पात्र विश्वविद्यालयों के संबंध में आवंटनों को अनुमोदित करते हुए आयोग ने पाया कि एक बार आरयूएसए पर अंतिम निर्णय लिये जाने के पश्चात् इन आवंटनों पर पर्याप्त रूप से पुनर्विचार किया जाये।
- आयोग ने विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के शिक्षकों हेतु अध्ययनार्थ अवकाश तथा वेतन और भत्तों की ग्राह्यता का निर्धारण करने के संबंध में दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया गया।
- आयोग ने शिक्षा वर्ष 2013–14 के लिये क्रेडिट प्वाइंट के साथ एनसीसी को चयनित विषय के रूप में लागू करने के लिये महाविद्यालयों हेतु वित्तीय सहायता में वृद्धि किये जाने को अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की हीरक जयंती स्मरणोत्सव के आयोजन को अनुमोदित किया।
- दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम की स्थिति के संबंध में आयोग ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के संबंध में लिये गये निर्णय का अनुसमर्थन किया। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के संबंध में निर्णय लेने के लिये समिति के गठन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। तथापि, यह सुझाव दिया गया कि समिति द्वारा लिये गये निर्णय को आयोग के समक्ष अनुसमर्थन के लिये रखा जाये। आयोग ने यह निर्णय लिया कि वर्तमान व्यवस्था अगले तीन माह के लिए जारी रखी जाये; विभिन्न कार्मिक मुद्दों का समाधान करने के लिये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव (उच्चतर शिक्षा), की इग्नू के कुलपति तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के साथ बैठक बुलाने का अनुरोध किया जा सकता हैं जिसके बाद मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) से संबंधित अतिरिक्त कार्य करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में पदों का सृजन करने तथा पदों का भरने हेतु उपर्युक्त कदम उठाये जा सकते हैं।
- आयोग ने नियमित/दूरस्थ/निजी/ऑनलाइन/अंशकालिक आधार पर दो अथवा अधिक उपाधियों को एक साथ जारी रखने हेतु छात्रों की अनुमति प्रदान करने के मुद्दे पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का अनुमोदन किया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (औपचारिक शिक्षा के माध्यम से निष्णात उपाधि प्रदान करने संबंधी अनुदेशों के न्यूनतम मानदण्ड (प्रथम संशोधन)) विनियम, 2013 पर अंतिम रूप से विचार कर उसे अनुमोदित किया।
- स्व–वित्तपोषित महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान किये जाने के मुद्दे के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किसी भी स्व–वित्तपोषित संस्थान को अनुदान प्रदान नहीं किया जाना चाहिए, चाहे ऐसे संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) के तहत सम्मिलित हों, तथा संस्थानों में शिक्षक एवं छात्र केन्द्रित योजनाओं को सहायता प्रदान करने के अपने पूर्व के निर्णय को दोहराया।

- आयोग ने "सभी उच्चतर संस्थानों का अनिवार्य मूल्यांकन तथा प्रत्यायन विनियम, 2012" के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम में संशोधन करने पर विचार किया गया तथा उसे अनुमोदित किया गया। तथापि, संशोधन को निम्नानुसार पढा जाना चाहिए कि "मूल्यांकन तथा प्रत्यायन एजेन्सी" का अभिप्राय "प्रत्यायन प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद्, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडीयेशन अथवा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य एजेन्सी अथवा संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित कोई अन्य एजेंन्सी हैं"।

- विज्ञान तथा मानविकी विषय में वृहद तथा लघु शोध परियोजनाओं के संबंध में बारहवीं पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित कर दिया गया। तथापि, दिशानिर्देशों को अनुमोदित करते हुए आयोग ने यह निर्णय लिया कि लघु शोध परियोजनाओं को केवल महाविद्यालय तक सीमित रखा जाए।

- उत्कृष्टता संभाव्यता वाले विश्वविद्यालयों (यूपीई)/उत्कृष्टता वाले विश्वविद्यालयों (यूई) हेतु बारहवीं पंचवर्षीय दिशानिर्देशों के संबंध में आयोग ने निम्नवत आशोधनों के साथ बारहवीं पंचवर्षीय दिशानिर्देशों को आशोधित किये जाने को अनुमोदन प्रदान किया : (क) यदि यूपीई को द्वितीय चरण के लिए पात्र घोषित किया जाता है तो उसे चरण–II तथा उसके पश्चात् (पांच वर्ष की मौजूदगी के पश्चात्) "उत्कृष्टता वाला विश्वविद्यालय" कहा जायेगा। (ख) यूपीई के लिये सहायता की अधिकतम सीमा प्रथम चरण में 60 करोड़ रुपये होगी तथा चरण–II के लिये 60 करोड़ रुपये तथा चरण–III के लिये 100 करोड़ रुपये होगी। आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) के तहत सम्मिलित राज्य निजी विश्वविद्यालयों तथा सम विश्वविद्यालयो को 'उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय' तथा 'उत्कृष्टता वाले विश्वविद्यालय' का दर्जा प्रदान किये जाने पर भी विचार किया जा सकता है बशर्ते कि वे योजना के तहत विभिन्न शर्तों को पूर्ण करते हैं; तथापि उन्हें योजना के तहत कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जायेगी।

- आयोग ने अध्यापकों की शिक्षा हेतु अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र की स्थापना को सिद्धांत रूप में अनुमोदित कर दिया तथा इस मामले को मंत्रालय को संदर्भित करने का निर्णय लिया।

- आयोग ने प्रति महाविद्यालय एक करोड़ रुपए की अधिकतम राशि की सीमा तथा योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की समग्र अधिकतम सीमा के साथ मंत्रालय की सामुदायिक महाविद्यालयों की योजना के कार्यान्वयन को अनुमोदित किया तथा योजना की समीक्षा/मूल्यांकन की जानकारी आयोग को दी जाये। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से योजना का कार्यान्वयन करने हेतु निधियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाये।

- आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन विश्वविद्यालयों में संसाधनों को जुटाने की योजना को अनुमोदित किया। तथापि, आयोग ने यह सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वित्त सलाहकार तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वित्त प्रभाग के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की जाये जिसमें योजना के प्रचालनात्मक भाग की चर्चा की जाये।

- आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय के दौरान खेल–कूद के संवर्धन हेतु दिशानिर्देशों तथा माड्यूलों पर विचार करना तथा विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में उच्च क्षमता वाली खेल–कूद सुविधाओं के समेकन को अनुमोदित किया।

- बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) हेतु उत्कृष्टता की संभावना वाले महाविद्यालय (सीपीई)/उत्कृष्टता वाले महाविद्यालयों (सीई) के संबंध में दिशानिर्देशों में संशोधन पर विचार करना तथा उन्हें अनुमोदन प्रदान किया गया।

- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा तकनीकी शिक्षा की पेशकश करने वाले महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान करना) विनियम, 2014 की विस्तार से चर्चा की तथा विनियमों को अनुमोदित किया और विनियम को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुमोदनार्थ भेजने का निर्णय लिया।
- आयोग ने उर्दू/अरबी/फारसी भाषा को सम्मिलित किये जाने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 के तहत उपाधियों को विनिर्दिष्टता हेतु भेजने को अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मानकों का निर्धारण तथा निजी विश्वविद्यालयों में उनका अनुरक्षण) विनियम, 2014 को निम्नवत आशोधनों के साथ अनुमोदित किया।

  (i) निजी विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार की जाने वाली वास्तविक अवसंरचना का ब्यौरा विनियम में विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिये।

  (ii) मानव संसाधन विकास मंत्रालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विदेशों में कैम्पस स्थापित करने हेतु पूर्व में प्रदान की गई अनुमति को वापस नहीं लिया जाना चाहिए।

  (iii) विनियम–4 के शीर्षक का नाम बदलकर निजी विश्वविद्यालय द्वारा मानकों का अनुरक्षण किया जाना चाहिए।

  (iv) आरटीआई अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुपालन हेतु खण्ड (क) में उपखण्ड (नौ) जोड़ी जाए।

  (v) विनियम 8(ग) में संशोधन करके यह उपबंध किया जाये कि निजी विश्वविद्यालय, अनिवार्य प्रत्यायन के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के तहत निर्धारित मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् ही अपने शैक्षणिक कार्यक्रम आरंभ कर सकते हैं।

- आयोग ने अ.पि.व. (अन्य पिछड़ा वर्ग) के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती हेतु अर्हक अंकों में 5 प्रतिशत (55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत) की छूट के साथ ही अ.पि.व. के अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली नेट परीक्षा में इसी प्रकार की छूट प्रदान किये जाने को अनुमोदन प्रदान किया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 'नेशनल स्किल क्वालीफीकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के तहत विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में व्यवसाय स्नातक (बी0वोक0) कार्यक्रम को आरंभ करने संबंधी दिशानिर्देशों को अनुमोदित कर दिया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों का अनिवार्य मूल्यांकन तथा प्रत्यायन) विनियम, 2012 में संशोधन को अनुमोदित किया। तथापि, यह भी निर्णय लिया गया कि विनियम को कार्यान्वित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जाये जिसे आयोग के समक्ष सूचनार्थ रखा जाये।
- आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान (2012–17) के दौरान विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्षपीठों हेतु संशोधित दिशानिर्देशों को अनुमोदित कर दिया।
- आयोग ने निम्नवत आशोधनों के साथ प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया:

  (i) विचार किये जाने हेतु आयु को बढ़ाकर 55 से 70 वर्ष किया जाये।

  (ii) पंडित मदन मोहन मालवीय तथा सर सैयद अहमद खान के नाम पर भी अध्यक्षपीठों का गठन किया जाये।

- आयोग ने विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभावना वाले केन्द्र (सीपीईपीए) के दर्जे को मार्च, 2017 तक बढ़ाने तथा 7 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया।

- सभी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में गेट अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों हेतु एमई/एम.टैक हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति को पुनः कार्यान्वित करने को अनुमोदित किया गया।
- तकनीकी महाविद्यालयों द्वारा संबद्धता/दाखिले की क्षमता में वृद्धि हेतु नये प्रस्तावों के अनुमोदन पर एक वर्ष के अधिस्थगन काल के संबंध में आयोग ने निम्नवत पर एक वर्ष के अधिस्थगन काल के संबंध में संकल्प लिया किः

  (क) विश्वविद्यालयों द्वारा तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले नये महाविद्यालय को संबद्ध किया जायेगा; और

  (ख) तकनीकी महाविद्यालयों में छात्रों के दाखिले में वृद्धि को अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।
- आयोग ने 2(च) और 12(ख) के तहत सम्मिलित नहीं किये गये संस्थानों से चयनित शिक्षकों को एकमुश्त आधार पर रमन स्नातकोत्तर अध्येतावृत्ति प्रदान करने को अनुमोदित किया।
- आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु "उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय/उत्कृष्टता वाले संस्थान (आईई)" दिशानिर्देशों में संशोधन को निम्नवत आशोधनों के साथ अनुमोदित कियाः (क) यदि सीपीई को द्वितीय चरण के लिये पात्र घोषित किया जाता है तो इसे द्वितीय चरण तथा उसके पश्चात् (पांच वर्षों की स्थापना के पश्चात्) से "उत्कृष्टता के महाविद्यालय" कहा जायेगा; (ख) सीपीई के लिए सहायता की अधिकतम सीमा प्रथम चरण में 1 करोड़ रुपए होगी, द्वितीय चरण में 1.5 करोड़ रुपए होगी और तृतीय चरण में 2.0 करोड़ रुपए होगी। आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) तथा 12(ख) के तहत सम्मिलित स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को भी "उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय" तथा "उत्कृष्टता वाले महाविद्यालय" का दर्जा प्रदान करने हेतु विचार किया जा सकता है बशर्ते कि योजना के तहत विभिन्न शर्तों को पूर्ण करें, तथापि, उन्हें योजना के तहत कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जायेगी।
- आयोग को उच्चतर शिक्षा संस्थानों में विश्वविद्यालय के सांविधिक प्रत्यायन संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2012 के संबंध में तथा इस तथ्य के संबंध में जानकारी प्रदान की गई थी कि ऐसे अनेक विश्वविद्यालयों/संस्थानों ने अब तक अनिवार्य प्रत्यायन की प्रक्रिया आरंभ नहीं की है। यह जानकारी प्रदान की गई कि अनेक विश्वविद्यालय/संस्थान अपने दैनदिन कार्यकरणों, कर्मचारियों के वेतन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निधियों पर निर्भर थे, उनमें से अनेक विश्वविद्यालय/संस्थानों को विनियम द्वारा अधिदेशित प्रत्यायन प्रक्रिया से गुजरना था। आयोग ने मामले पर विचार किया तथा यह निर्णय लिया कि ऐसे विश्वविद्यालय/संस्थानों के अस्तित्व के हित में तथा उनके दैनदिन कार्यकरण के मद्देनजर, उन्हें निधियों का संवितरण जारी रखा जा सकता है। तथापि, ऐसे सभी संस्थानों को 1 जून, 2014 तक मान्यताप्राप्त प्रत्यायन एजेन्सी के समक्ष आवेदन करने हेतु निदेश दिया जाता है तथा यह भी सूचित किया जाता है कि ऐसा न करने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1 अप्रैल, 2015 के पश्चात् उन्हें प्रदत्त वित्तीय सहायता बंद कर दी जायेगी। यह भी निर्णय लिया गया कि जबकि इस निर्णय के संबंध में संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान को जानकारी दी जाये और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन निर्णयों को सम्मिलित करते हुए उपर्युक्त विनियम, 2012 में उचित संशोधन का प्रस्ताव कर सकता है।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2010 को निम्नवत आशोधनों के साथ अनुमोदित किया।

  (क) प्रस्तावित खण्ड 5.10 निम्नवत पठित है : "इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी भी शर्त के रहते हुए "सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित सम विश्वविद्यालय की अभिशासन प्रणाली तथा प्रबंधन ढांचा, केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, के नियमानुसार हो सकता है" के स्थान पर खण्ड 5.1 से 5.9 के उपबंध सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित सम विश्वविद्यालय पर सरकार के निर्णय के अनुरूप लागू होंगे, जो वैकल्पिक प्रबंधन ढांचों की व्यवस्था कर सकता है"।

- आयोग ने निम्नवत आशोधनों को सम्मिलित करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2014 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुमोदनार्थ भेज दियाः—विनियम प्रमाणपत्र/पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होंगे : तथापि विनियम यथा प्रस्तावित छह माह की अवधि के स्थान पर नौ माह से अधिक की अवधि के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों पर लागू होंगे :— दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले स्टैण्डालोन संस्थानों को इन विनियमों के क्षेत्राधिकार से अलग रखा जायेगा।

- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंदों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) विनियम, 2010 तथा इसके द्वितीय संशोधनों में रोलऑउट योजना, एपीआई संचयी प्राप्तांक का अधिकतम प्रतिशत और महाविद्यालय के प्राचार्यों के कार्यकाल में आशोधन को निम्नवत संशोधन के साथ अनुमोदित कियाः—

  (i) सीएएस के तहत प्रोन्नति हेतु एपीआई की प्रतिशत की अधिकतम सीमा के विषय पर द्वितीय संशोधन विनिमय, 2013 में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में आयोग ने अनुमोदन प्रदान किया कि इस अपेक्षा में इस सीमा तक आशोधन किया जाये कि पदधारी निम्नवत में से किन्हीं दो विकल्पों का चयन कर सकता है— (क) श्रेणी— III (शोध और प्रकाशन तथा शैक्षणिक योगदान) में प्रत्येक 34—श्रेणियों में एपीआई दावे हेतु मौजूदा प्रतिशतता की अधिकतम सीमा को अंगीकार करे अथवा (ख) सीएस के कुल एपीआई प्राप्तांक का परिकलन करते हुए प्रत्येक उप—श्रेणी में 35 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के साथ पांच उप—श्रेणियों में से किन्हीं तीन श्रेणियों में एपीआई प्रतिशतता को अंगीकार करें। तथापि, यह विकल्प सह—आचार्य के स्तर तक ही उपलब्ध होगा।

  (ii) महाविद्यालयों के प्राचार्यों की नियुक्ति के कार्यकाल के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2010 के खण्ड 5.1.6 (घ) में संशोधन के संबंध में आयोग ने, जहां कही संभव हो, प्राचार्य के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनेक नीतिगत उपायों को आरंभ करने के लिये निम्नवत विशेषज्ञ समितियों का गठन कियाः

क्र.सं.	समिति	अध्यक्ष
1.	निष्णात उपाधि विनियम में आंशिक संशोधन	डॉ. वी.आर. राव
2.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22 के तहत उपाधियों की विनिर्दिष्टता	प्रो. फुर्कान कमर (अंतिम रूप दिया गया)
3.	स्वदेशी भाषाओं का संवर्धन	डा. कपिल वात्सायन
4.	नियमित/दूरस्थ पद्धति के माध्यम से एक साथ दो उपाधियां/पाठ्यक्रम जारी रखना	प्रो. फुर्कान कमर
5.	एआईसीटीई पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संबंध में विश्वविद्यालय के संबद्धन के विषय में विनियम तैयार करना	प्रो. एम. अनन्त कृष्ण प्रो. संजय ढ़ाढे (अंतिम रूप दिया गया)
6.	एनएचईक्यूएफ (सीएबीई समिति) हेतु विनियम तैयार करना	प्रो. गोवर्धन मेहता
7.	विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में मानदण्ड आधारित वित्तपोषण	मोहम्मद मियां

समितियों के निष्कर्ष नीचे दिये गये हैंः—

उपाधियों को विनिर्दिष्ट करना

आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 के तहत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियों की संशोधित सूची को अधिसूचित किया है जिसमें उपाधियों के संक्षिप्त नाम, उनका संपूर्ण नाम, स्तर, न्यूनतम अवधि तथा 129 उपाधि पाठ्यक्रमों की प्रवेश संबंधी अर्हता अंतर्विष्ट है। उपाधियों की विनिर्दिष्ट के संबंध में अधिसूचना को मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है तथा प्रकाशनाधीन है।

निष्णात उपाधि के विनियमों में आंशिक संशोधन

आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (औपचारिक शिक्षा के माध्यम से निष्णात उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड अनुदेश) विनियम, 2003 में संशोधन कर दिया है जिसमें यह उपबंध किया गया है कि ऐसी निष्णात उपाधि पाठ्यक्रम जिसके लिये प्रवेश अर्हता लगातार दो स्नातक उपाधियां है जिसमें से एक संगत विषय में हो अथवा एक बारहवीं कक्षा के पश्चात् संगत विषय में पांच वर्ष की एक समेकित उपाधि हो, इसकी अवधि एक वर्ष की हो सकती है। इस संबंध में संशोधन प्रकाशनाधीन है।

स्वदेशी भाषाएं

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अध्यक्ष ने डॉ. कपिला वात्सायन की अध्यक्षता में स्वदेशी भाषाओं के अध्ययन और संवर्धन के मुद्दे पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें निम्नवत अंतर्विष्ट हैंः—

1. केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में केन्द्रों की स्थापना हेतु दिशानिर्देश।
2. राज्य विश्वविद्यालयों में केन्द्रों की स्थापना हेतु दिशानिर्देश।
3. स्वदेशी भाषाओं तथा भाषा विज्ञान हेतु आईयूसी की स्थापना।

आयोग ने दिनांक 17.12.2012 को आयोजित अपनी बैठक में प्रथम दो सिफारिशों को अनुमोदित कर दिया तथा संकल्प लिया कि एक अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आईयूसी) की स्थापना हेतु सिफारिश पर कार्य करने के लिए प्रो. वी.एस. चौहान की अध्यक्षता में एक उप—समिति का गठन किया जाये।

समिति ने अन्य बातों के साथ—साथ स्वदेशी भाषाओं तथा भाषा विज्ञान के संवर्धन हेतु एक अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आईयूसी) की स्थापना की सिफारिश की। आयोग ने सिफारिश पर कार्य करने हेतु डॉ. वी.एस. चौहान की अध्यक्षता में एक उप—समिति का गठन किया। उप—समिति ने दो अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों की स्थापना की सिफारिश की। समिति ने सिद्धांत रूप में गैर—अनुसूचित भाषाओं में भाषा शोध तथा प्रकाशन केन्द्र में एक अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र तथा भाषा विज्ञान में दूसरे आईयूसी केन्द्र की स्थापना की सिफारिश की।

सिफारिशों को आयोग की दिनांक 07.12.2014 को आयोजित बैठक में रखा गया तथा आयोग ने निम्नवत निर्णय लियाः

"आयोग ने निर्णय लिया कि भाषा शोध तथा प्रकाशन केन्द्र को एम.एस. विश्वविद्यालय, बड़ौदा अथवा इंदिरा गांधी नेशनल ट्राईबल यूनीवर्सिटी, अमरकटक के साथ नेटवर्किंग के माध्यम से सुदृढ़ करने के लिए संभावनाओं का पता लगाना चाहिए।"

दोनों विश्वविद्यालयों ने प्रस्ताव को भेजा है तथा यह आयोग के विचाराधीन है।

एआईसीटीई पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय

तकनीकी शिक्षा की पेशकश करने वाले महाविद्यालय/संस्थानों की संबद्धता पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर विनियम तैयार करने के लिये प्रो. एम. आनंद कृष्ण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।

प्रो. संजय ढ़ाढे की अध्यक्षता में एक उप–समिति ने विनियमों को अंतिम रूप दिया तथा इन्हें मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। विनियमों को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया।

विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने वाले नये महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान करने तथा तकनीकी महाविद्यालयों में छात्रों के दाखिले की क्षमता में वृद्धि को अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में एक वर्ष के अधिस्थगत काल संबंधी अधिसूचना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट पर अपलोड कर दिया गया था।

तकनीकी शिक्षा को विनियमित किये जाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं0 7277/2014 में दिये गये निर्णय के अनुपालन में आयोग ने यह निर्णय लिया कि तकनीकी शिक्षा के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये अंतिम निर्णय के संबंध में ज्ञात हो जाने तक आस्थगित रखा जाये।

नेशनल हॉयर एजुकेशनल क्वालिफीकेशन फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ)

61वीं सीएबीई बैठक के उपरांत, जिसमें यह संकल्प लिया गया कि नेशनल हॉयर एजुकेशनल क्वालिफीकेशन फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ) के संबंध में एक समिति का गठन किया जाये, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अध्यक्ष ने एनएचईक्यूएफ पर सिफारिशें देने के लिये प्रो. गोवर्धन मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति की बैठक आयोजित होनी शेष है।

विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में मानदण्ड आधारित वित्तपोषण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह महसूस किया कि विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थानों को मानदण्डों के आधार पर वित्तपोषित किया जाना चाहिए तथा संस्थानों को वित्तपोषित करने हेतु पारदर्शी, निष्पक्ष तथा संस्थानों को परखे जाने वाले मानदण्डों का विकास करना चाहिये। इसके उपरांत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर विचार करने तथा संस्थानों को मानदण्ड आधारित वित्तपोषण करने के मुद्दे पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सिफारिशें देने के लिए मद्रास विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. एस.पी. त्यागराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने अनेक बैठक करने के पश्चात् विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत की साथ ही बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान मानदण्ड आधारित वित्तपोषण के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश प्रस्तुत किए। समिति द्वारा पात्र विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में योजनागत अनुदान के परिकलन हेतु प्रतिछात्र प्रतिवर्ष के अनुसार उच्चतर शिक्षा की एक इष्टतम संस्थागत लागत तैयार की है।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा दिशानिर्देशों को आयोग की दिनांक 27.2.2014 को आयोजित बैठक में आयोग के समक्ष रखा गया।

आयोग ने प्रस्ताव को सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान करते हुए यह निर्णय लिया कि प्रस्ताव की साध्यता तथा विस्तृत वित्तीय विवक्षाओं का अध्ययन करने के लिये एक समिति का गठन किया जाये तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अध्यक्ष को समिति का गठन करने के लिए अधिकृत किया।

2 उच्चतर शिक्षा प्रणाली का विकास : कुछ आँकड़े

आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ज) के अन्तर्गत आयोग द्वारा भारत तथा अन्य देशों में विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित ऐसे सभी मामलों पर जानकारी एकत्र करने का अधिकार है और धारा 12(झ) के अन्तर्गत उस विश्वविद्यालय में आरंभ की गई विभिन्न शिक्षण शाखाओं अथवा अध्ययन की वित्तीय स्थिति से संबंधित नियमों एवं विनियमों के संबंधित जानकारी को भेजने को कह सकता है जिसमें उस विश्वविद्यालय में ज्ञान–अर्जन की प्रत्येक शाखा के संबंध में शिक्षण और परीक्षा के स्तर सहित सभी नियम और विनियम शामिल है।

स्वतंत्रता के समय देश में केवल 20 विश्वविद्यालय तथा 500 महाविद्यालय थे और उच्चतर शिक्षा पद्धति में 2.1 लाख छात्र थे। परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन सभी की संख्याओं में काफी वृद्धि हुई है। अब यह एक सुस्थापित तथ्य है कि विश्वविद्यालयों की संख्या में 37 गुना वृद्धि हुई है, उपाधियां प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों/संस्थानो की संख्या में 79 गुना वृद्धि हुई है और उच्चतर शिक्षा की औपचारिक पद्धति में छात्रों की भर्ती 113 गुना बढ़ी है। विश्वविद्यालयों अथवा विशेष रूप से महाविद्यालयों जैसे उच्चतर शिक्षण संस्थानों के विकास के बिना छात्र नामांकन और पाठयक्रमों में दाखिले की क्षमता में इतनी वृद्धि कभी सम्भव नहीं हो पाती। संस्थानों तथा नामांकन में वृद्धि यह दर्शाती है कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक (2017) तक सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) के निर्धारित 30 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा ।

2.1 संस्थान

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक (31.03.2012) तक देश में 573 विश्वविद्यालय (43 केन्द्रीय, 129 राज्य, 397 सम विश्वविद्यालय तथा 4 संस्थान विशेष राज्य विधान अधिनियमों के अंर्तगत स्थापित किए गए थे) और 35,539 महाविद्यालय थे। वर्ष 2013–14 के दौरान 666 विश्वविद्यालय (45 केन्द्रीय, 129 समविश्वविद्यालय एवं 313 राज्य विश्वविद्यालय एवं 175 राज्य निजी तथा 4 संस्थान विशेष राज्य विधान अधिनियमों के अंर्तगत स्थापित किए गए थे) और महाविद्यालयों की संख्या 39671 थी और इस प्रकार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में प्राप्त आंकड़ों की तुलना में बारहवीं पंचवर्षीय योजना के द्वितीय वर्ष में विश्वविद्यालयों की संख्या में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा महाविद्यालयों की संख्या में 11.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2013–2014 के दौरान, कुल **666** विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान थे – **313** राज्य, **175** राज्य निजी, **45** केन्द्रीय, **129** समविश्वविद्यालय एवं **चार** ऐसे संस्थान थे जिन्हें राज्य विधान अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किया गया था **(परिशिष्ट : I एवं II)** । रिपोर्टाधीन वर्ष, 2013–2014 के दौरान कुल मिलाकर, **24** राज्य निजी विश्वविद्यालयों तथा 13 राज्य विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल किया गया और **4** विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किया गया।

01.04.2013 से 31.03.2014 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची में जिन राज्य विश्वविद्यालयों तथा राज्य निजी विश्वविद्यालयों को सम्मिलित किया गया उनका विवरण निम्नलिखित है:–

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची में सम्मिलित किये गये राज्य विश्वविद्यालयों की सूची (01.04.2013 से 31.03.2014)

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय का नाम	स्थापना का वर्ष
	असम	
1.	कॉटन कॉलेज राज्य विश्वविद्यालय, पान बाजार, गुवाहाटी, असम	2011
2.	कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत एवं पुरातन अध्ययन विश्वविद्यालय, नलबाड़ी–781335, असम	2011
3.	श्रीमंत शकरादेव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नरकासुर हिलटॉप, भंगागढ़, गुवाहाटी, असम	2007
	छत्तीसगढ़	
4.	छत्तीसगढ कामधेनू विश्वविद्यालय, दुर्ग–491001, छत्तीसगढ	2011
	हरियाणा	
5.	इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर, रेवाडी–122502, हरियाणा	2013
	जम्मू और कश्मीर	
6.	शेर–ए–कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, छत्ता, जम्मू–180009	1999
	केरल	
7.	थुनछट एजुथाचन मलयालम विश्वविद्यालय, मोहन विला, पुकायिल, डाकघर तिरूर, जिला मल्लपुरम, केरल–676107	2013
	राजस्थान	
8.	हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंपर्क विश्वविद्यालय, सूचना केन्द्र संकुल, सवाई राम सिंह मार्ग, जयपुर–302004, राजस्थान	2012
9.	सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय,जोधपुर, राजस्थान	2012
	तमिलनाडु	
10.	तमिलनाडु मत्सियिकी विश्वविद्यालय, प्रथम लाईनबीच रोड, नागापट्टनम–611001, तमिलनाडु	2012
	उत्तराखण्ड	
11.	श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बडशाहीथोल, टीहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड–249199	2011

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय का नाम	स्थापना का वर्ष
	पश्चिम बंगाल	
12.	काजी नजरूल विश्वविद्यालय, पुराना एडीडीए कार्यालय भवन (आसनसोल बालिका महाविद्यालय के पीछे) डाकघर– आसनसोल– 713304, जिला– वर्द्धवान, पश्चिम बंगाल	2012
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	
13.	इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006.	2013

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची में सम्मिलित किये गये राज्य निजी विश्वविद्यालयों की सूची (01.04.2013 से 31.03.2014)

क्र.सं.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
	अरूणाचल प्रदेश	
1.	एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पासीघाट, जिला ईस्ट सियांग, अरूणाचल प्रदेश–791102	10.05.2013
2.	हिमालयन यूनीवर्सिटी, 401, टकर काम्पलैक्स, नाहरलगुन, इटानगर, जिला–पापुमपारे– 791110, अरूणाचल प्रदेश	03.05.2013
	गुजरात	
3.	सी0यू0 शाह विश्वविद्यालय, सुरेन्द्रनगर–अहमदाबाद राज्य राजमार्ग, कोथारिया गांव के निकट, वधावन सिटी–363030, जिला सुरेन्द्रनगर, गुजरात	22.04.2013
	हरियाणा	
4.	जी0डी0 गोएनका विश्वविद्यालय, जी0डी0 गोएनका एजूकेशन सिटी, गुड़गांव सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा–122103	03.05.2013
5.	जगन्नाथ विश्वविद्यालय, राज्य राजमार्ग संख्या 22, बहादुरगढ़, – झज्झर रोड, झज्झर – 124507, हरियाणा	03.05.2013
6.	के0आर0 मंगलम विश्वविद्यालय, सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा–122103	03.05.2013
7.	श्री गुरू गोबिन्द सिंह ट्राईसेनेटरी यूनीवर्सिटी, फारूख नगर रोड, बुधेरा, जिला गुडगांव, हरियाणा	03.05.2013
8.	एसआरएम विश्वविद्यालय, प्लॉट संख्या 39, राजीव गांधी एजूकेशन सिटी, दिल्ली–एनसीआर, सोनीपत–कुंडली अर्बन काम्पलेक्स, हरियाणा– 131029	03.05.2013
	कर्नाटक	
9.	सीएमआर विश्वविद्यालय, 2, तीसरा, 'सी' छठा मेन रोड, द्वितीय ब्लॉक, बोआरबीआर लेआउट, कल्याण नगर, बंगलूरू– 560043, कर्नाटक	16.05.2013

क्र.सं.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
10.	एमएस रमैया अनुप्रयुक्त विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रशासनिक ब्लाक, नया बीईएल रोड, एमएसआरआईटी पोस्ट, बंगलूरू– 560054, कर्नाटक	09.07.2013
11.	पीईएस विश्वविद्यालय, 100 फुट रिंग रोड, बोएसके तृतीय चरण, बंगलूरू–560085 (कर्नाटक)	16.05.2013
12.	प्रेजीडेन्सी विश्वविद्यालय (कर्नाटक), डिब्बूर एवं ईगलपुर ग्राम, हेसाराघाट होबली, बंगलूरू (कर्नाटक)	16.05.2013
13.	राय प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, डोडाबालापुर, नीलमंगला रोड, एसएच–74, ऑफ हाईवे 07, डोडाबालापुर तालुक, बंगलूरू– 561204, कर्नाटक	09.07.2013
14.	रीवा विश्वविद्यालय, कट्टीगेनहाल्ली, येलहानका, बंगलूरू– 560064	16.05.2013
	मध्य प्रदेश	
15.	जागरण लेकसिटी विश्वविद्यालय, ग्राम पंचायत मुगालिया छाप, तहसील हुजूर, भोपाल– 462044, मध्य प्रदेश	24.04.2013
16.	श्री सत्य साईं प्रौद्योगिकी तथा आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, भोपाल–इंदौर रोड, पचामा ऑयल फेड प्लांट के सामने, पचामा, सेहोर–466001, मध्यप्रदेश	12.02.2014
17.	टेक्नो ग्लोबल विश्वविद्यालय, लातेरी रोड, सिरोन्ज (गोशाला के निकट) जिला–विदिशा, मध्य प्रदेश–464228	09.01.2013
	ओड़ीशा	
18.	जेवियर विश्वविद्यालय, जेवियर स्कवेयर, भुवनेश्वर, ओड़ीशा	13.05.2013
	पंजाब	
19.	देश भगत विश्वविद्यालय, अमलोह, अमलोह रोड, मण्डी गोबिन्दगढ़, पंजाब	18.02.2013
	राजस्थान	
20.	ओपीजेएस विश्वविद्यालय, रावतसर, कुंजीला, तहसील–राजगढ़, जिला–चूरू, राजस्थान	16.09.2013
21.	तांतिया विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़ रोड़, श्री गंगानगर–335002, राजस्थान	16.09.2013
	उत्तर प्रदेश	
22.	शोभित विश्वविद्यालय, आदर्श इंस्टीट्यूशनल एरिया, बाबू विजेन्द्र मार्ग, गंगोह, जिला–सहारनपुर– 247341, (उत्तर प्रदेश)	05.07.2012
	उत्तराखण्ड	
23.	स्वामी रामा हिमालय विश्वविद्यालय, स्वामी राम नगर, जौली ग्रांट, डाकघर–दोईवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड	12.03.2013
24.	उत्तरांचल विश्वविद्यालय, अरकाडिया ग्रांट, डाकघर चदनवाड़ी, प्रेमनगर, देहरादून–248007, उत्तराखण्ड	15.02.2013

वर्ष 2013–14 के दौरान निम्नवत 4 विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र घोषित किया गया है।

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय का नाम	स्थापना का वर्ष
	जम्मू और कश्मीर	
1.	इस्लामिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,यूनिवर्सिटी एवेन्यू, आवन्तिपुरा, पुलवामा–192122 (जम्मू और कश्मीर)	2005
	महाराष्ट्र	
2.	सोलापुर विश्वविद्यालय, सोलापुर, सोलापुर पुणे मार्ग, केगांव, सोलापुर–413255	2004
	राजस्थान	
3.	जगदगुरू रामभद्राचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, 2–2ए झालाना डूगरी, जयपुर (राजस्थान)	1998
	तमिलनाडु	
4.	तिरूवल्लूर विश्वविद्यालय, फोर्ट, वेल्लूर– 632004	2003

31.03.2013 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों की स्वरूप–वार संख्या को **तालिका 2.1 (क)** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1 (क): 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों तथा महाविद्यालयों की स्वरूप–वार संख्या

क्र.सं.	संस्थान का स्वरूप	संस्थानों की संख्या (31.03.2014 की स्थिति के अनुसार)
1.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	45
2.	राज्य विश्वविद्यालय	313
3.	राज्य निजी विश्वविद्यालय	175
4.	राज्य विधान के माध्यम से स्थापित संस्थान	4
5.	सम विश्वविद्यालय संस्थान	129
	कुल	**666**
7.	**महाविद्यालय**	**39,671***

* अनंतिम

कृपया नोट करें : 1)इनमें कृषि, पशु चिकित्सा, आयुर्विज्ञान, अभियांत्रिकी/तकनीकी तथा मुक्त विश्वविद्यालय शामिल है।

2) श्री वेंकटेश्वर इंस्टीटयूट ऑफ मेडीकल सांईस, तिरूपति, जिसे आंध्र प्रदेश राज्य विधान के माध्यम से स्थापित किया गया था, इसे राज्य विश्वविद्यालयों में सम्मिलित किया गया है।

रेखाचित्र 2.1(क): दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयों की स्वरूप–वार संख्या

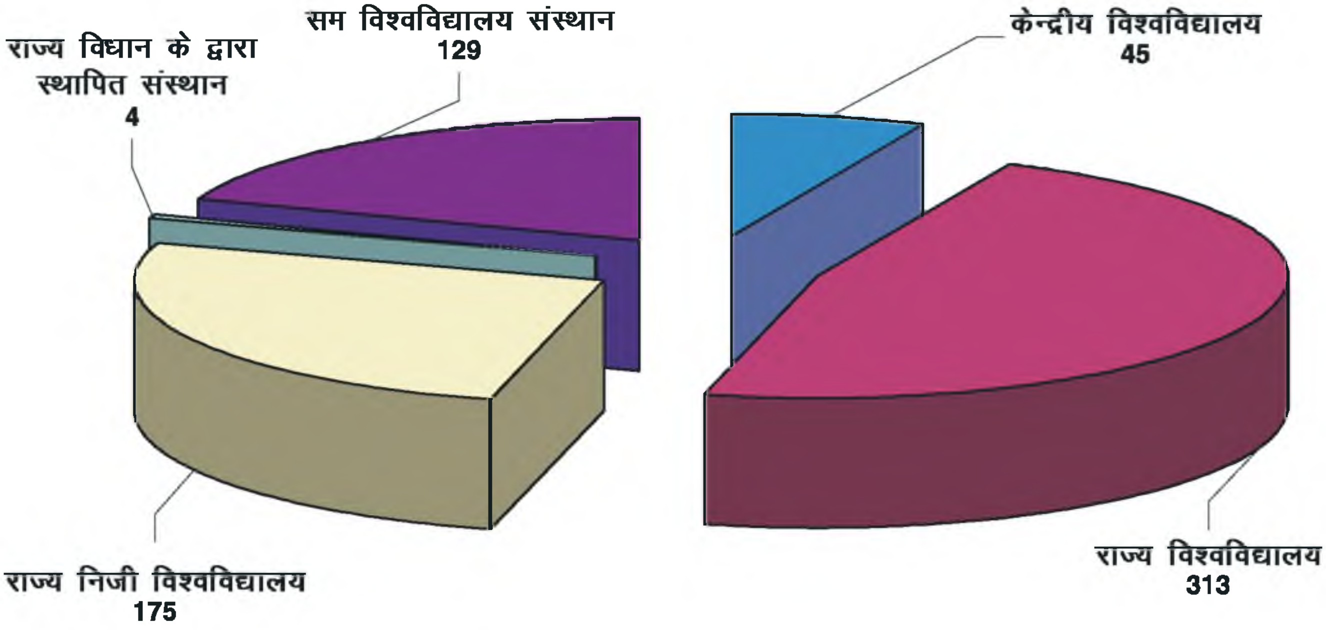

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत सम्मिलित किये गये मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों (31.03. 2014 की स्थिति के अनुसार) की राज्य–वार संख्या को **तालिका 2.1 (ख)** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1 (ख): वर्ष 2013–14 (31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार) के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	विश्वविद्यालयों की संख्या					
		कुल	केन्द्रीय	राज्य	निजी	सम	अन्य*
1.	आन्ध्र प्रदेश	43	03	33	-	07	01
2.	अरूणाचल प्रदेश	07	01	-	05	01	-
3.	असम	16	02	11	03	-	-
4.	बिहार	19	02	15	-	02	-
5.	छत्तीसगढ़	19	01	12	06	-	-
6.	गोवा	01	-	01	-	-	-
7.	गुजरात	39	01	22	15	02	-
8.	हरियाणा	32	01	11	14	06	-
9.	हिमाचल प्रदेश	21	01	04	16	-	-

क्र.सं.	राज्य	विश्वविद्यालयों की संख्या					
		कुल	केन्द्रीय	राज्य	निजी	सम	अन्य*
10.	जम्मू और कश्मीर	09	02	07	-	-	-
11.	झारखण्ड	13	01	07	03	02	-
12.	कर्नाटक	47	01	23	08	15	-
13.	केरल	15	01	12	-	02	01
14.	मध्य प्रदेश	35	02	18	12	03	-
15.	महाराष्ट्र	42	01	20	-	21	01
16.	मणिपुर	02	02	-	-	-	-
17.	मेघालय	09	01	-	08	-	-
18.	मिजोरम	02	01	-	01	-	-
19.	नागालैण्ड	03	01	-	02	-	-
20.	ओड़ीशा	18	01	12	03	02	-
21.	पंजाब	19	01	08	08	02	-
22.	राजस्थान	61	01	17	35	08	-
23.	सिक्किम	05	01	-	04	-	-
24.	तमिलनाडु	51	02	21	-	28	-
25.	त्रिपुरा	02	01	-	01	-	-
26.	उत्तर प्रदेश	59	05	23	21	10	1
27.	उत्तरांखण्ड	23	01	08	10	04	-
28.	पश्चिम बंगाल	24	01	21	01	01	-
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	22	05	06	-	11	-
30.	संघ क्षेत्र चण्डीगढ़	02	-	01	-	01	-
31.	पुदुचेरी	02	01	-	-	01	-
	कुल	**666**	**45**	**313**	**175**	**129**	**04**

* अन्य में राज्य विधान अधिनियम के तहत स्थापित संस्थान हैं।

रेखाचित्र 2.1(ख): वर्ष 2013–14 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों की राज्य–वार संख्या

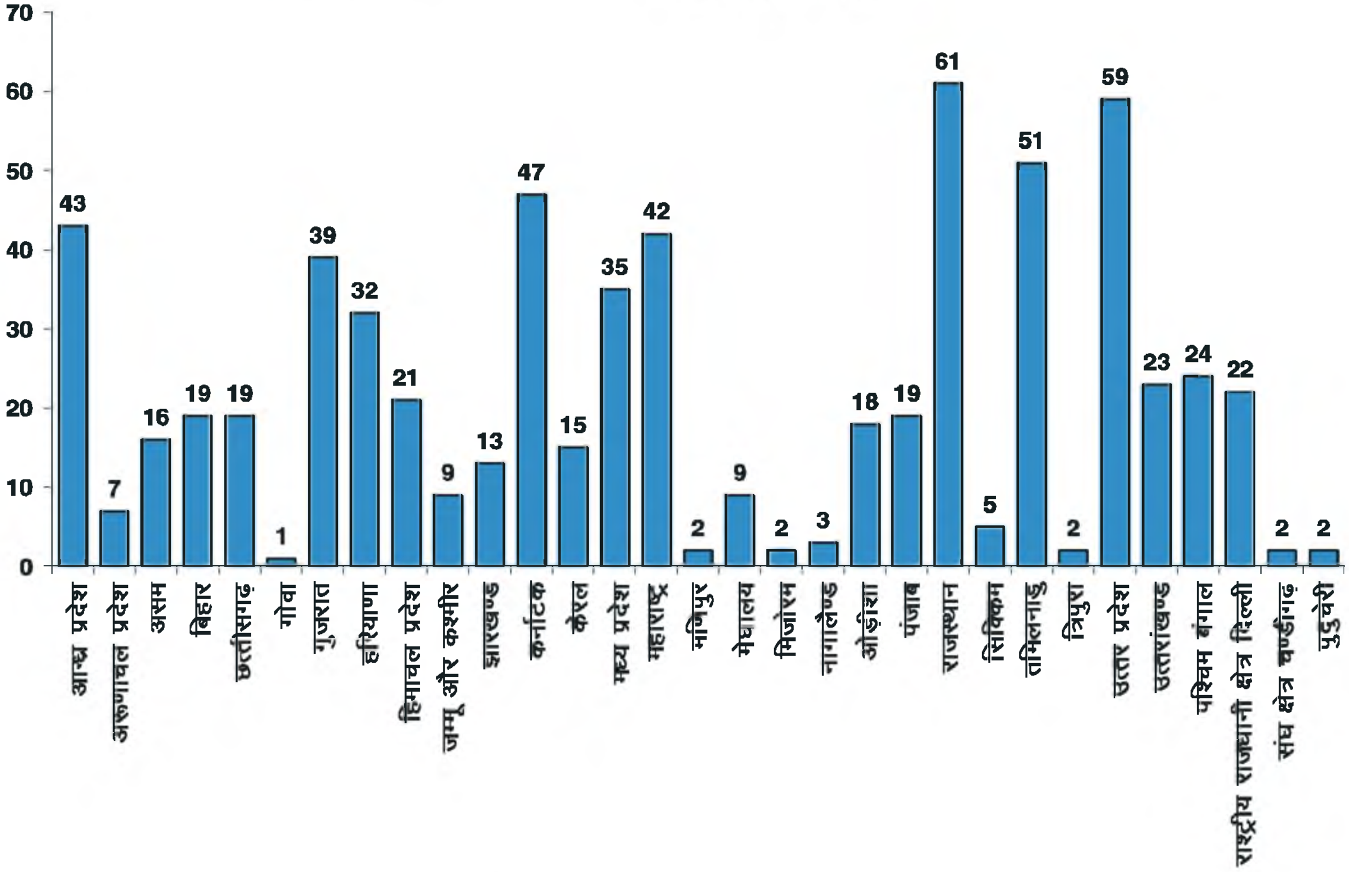

जहां तक राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों का प्रश्न है राजस्थान (61) तथा उत्तर प्रदेश (59) विश्वविद्यालयों के साथ सूची में सबसे ऊपर है और इसके बाद तमिलनाडु (51) आदि है और जैसा कि **तालिका 2.2(ख)** द्वारा यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों की संख्या में काफी असमानता है।

तथापि, राज्यों में विद्यमान महाविद्यालयों की संख्या में काफी असमानता है, जैसा कि **तालिका 2.2(ग)** में देखा जा सकता है। यदि तुलनात्मक रुप से देखा जाए तथा परिशुद्ध आकडों की तुलना की जाए तो पिछले 5 वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में (1286) महाविद्यालयों के साथ सर्वोच्च वृद्धि दर्ज की गई और इसके बाद उत्तर प्रदेश (1276), महाराष्ट्र (997) , आन्ध्र प्रदेश (922), कर्नाटक (750), आदि हैं। यह भी देखा गया कि जो राज्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हैं तथा कुछ संघीय क्षेत्रों में महाविद्यालयों की संख्या लगभग नयूनतम ही रही। 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार महाविद्यालयों की संख्या 39671 थी।

वर्ष 2013–2014 के दौरान 2467 नये महाविद्यालयों की स्थापना हुई और इस प्रकार वर्ष 2012–2013 के 37204 महाविद्यालयों की तुलना में वर्ष 2013–2014 के दौरान महाविद्यालयों की कुल संख्या 39671 हो गई और इस प्रकार इसमें लगभग 6.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं।

तालिका 2.1(ग) : वर्ष 2013–2014 के दौरान महाविद्यालयों की राज्यवार संख्या एवं वर्ष 2009–2010 से वर्ष 2013–2014 तक महाविद्यालयों की संख्या में हुई वृद्धि

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2009–10 (यू.सी. + ए.सी.)	2010–11 (यू.सी. + ए.सी.)	2011–12* (यू.सी. + ए.सी.)	2012–13* (यू.सी. + ए.सी.)	2013–14* (यू.सी. + ए.सी.)	वर्ष 2009–10 से 2013–14 के दौरान हुई वृद्धि
1	आंध्र प्रदेश	3985	4066	4550	4881	4907	922
2	अरूणाचल प्रदेश	16	16	17	17	26	10
3	असम	486	507	507	571	571	85
4	बिहार	653	653	706	695	695	42
5	छत्तीसगढ़	619	641	681	696	696	77
6	गोवा	54	54	60	60	66	12
7	गुजरात	1818	1836	1849	2020	2060	242
8	हरियाणा	850	902	976	992	1066	216
9	हिमाचल प्रदेश	309	344	348	349	400	91
10	जम्मू और कश्मीर	322	322	314	362	379	57
11	झारखण्ड	224	231	231	239	279	55
12	कर्नाटक	2924	3078	3370	3454	3674	750
13	केरल	928	1063	1063	1250	1259	331
14	मध्य प्रदेश	2008	2236	2364	2406	3294	1286
15	महाराष्ट्र	4329	4631	4836	4862	5326	997
16	मणिपुर	76	76	80	85	89	13
17	मेघालय	64	64	69	69	69	5
18	मिजोरम	28	28	28	28	29	1
19	नागालैण्ड	54	55	58	60	60	6
20	ओड़ीशा	1076	1100	1117	1134	1134	58
21	पंजाब	853	852	978	1004	1004	151
22	राजस्थान	2347	2412	2753	2791	2791	444
23	सिक्किम	14	15	15	15	39	25
24	तमिलनाडु	2204	2267	2410	2605	2760	556
25	त्रिपुरा	33	39	40	47	47	14
26	उत्तर प्रदेश	3818	3859	4440	4787	5094	1276

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2009–10 (यू.सी. + ए.सी.)	2010–11 (यू.सी. + ए.सी.)	2011–12* (यू.सी. + ए.सी.)	2012–13* (यू.सी. + ए.सी.)	2013–14* (यू.सी. + ए.सी.)	वर्ष 2009–10 से 2013–14 के दौरान हुई वृद्धि
27	उत्तराखण्ड	360	360	413	413	424	64
28	पश्चिम बंगाल	841	889	896	942	1057	216
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6	6	6	6	7	1
30	चण्डीगढ़	25	25	27	27	27	2
31	लक्षद्वीप	3	3	3	3	3	0
32	दमन और द्वीप	3	4	4	4	4	1
33	दिल्ली	240	240	240	240	244	4
34	दादरा एवं नागर हवेली	4	4	4	4	4	0
35	पुदुचेरी	86	86	86	86	87	1
	कुल	**31660**	**32964**	**35539**	**37204**	**39671**	**8011**

*** अनन्तिम : यू.सी.: विश्वविद्यालयों के महाविद्यालय; ए.सी.:सम्बद्ध महाविद्यालय**

रेखाचित्र 2.1(ग): महाविद्यालयों की राज्य–वार संख्या: वर्ष 2013–14*

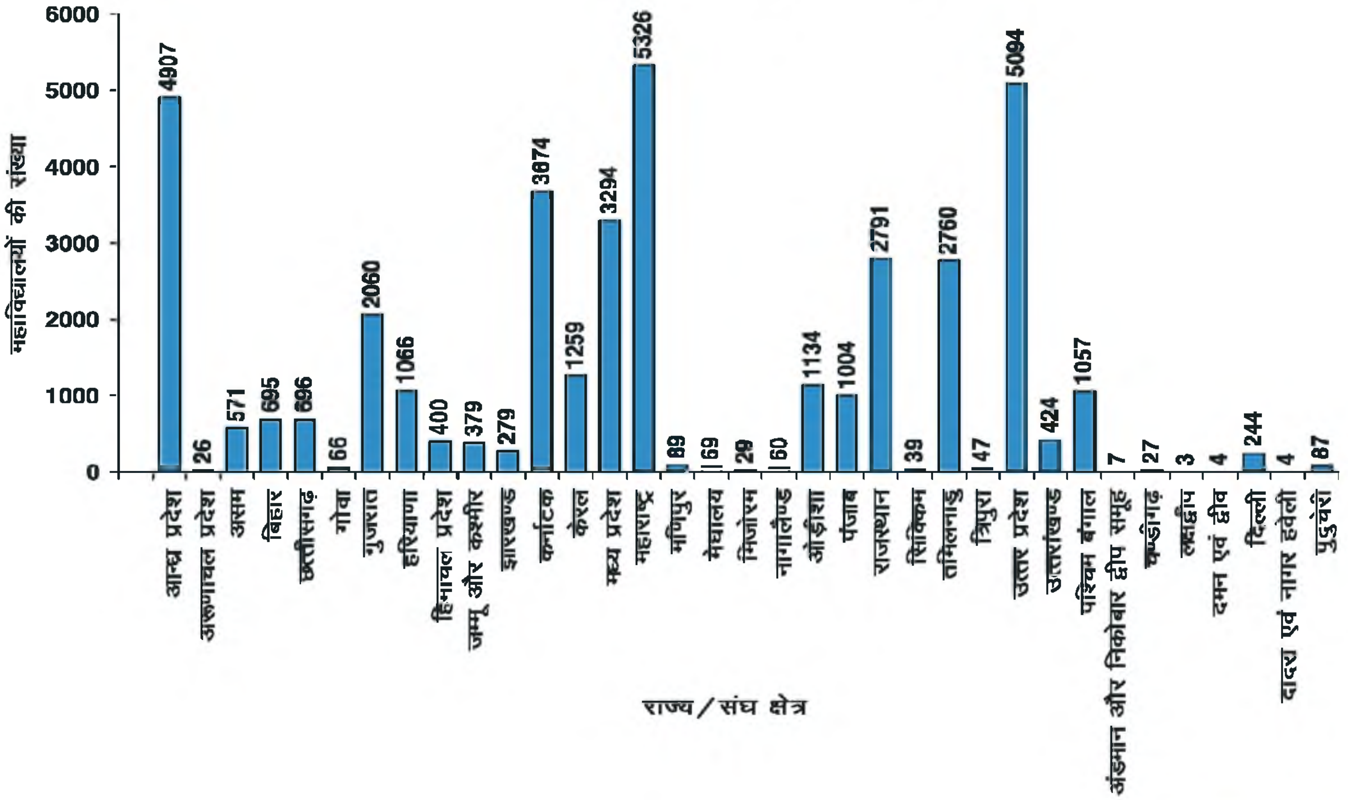

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के 30 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात के लक्ष्य को पूरा करने के अधिकाधिक विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को खोलने और मौजूदा विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में प्रत्येक पाठ्यक्रम में दाखिले की क्षमता में वृद्धि करने के प्रयास किये गये हैं।

वित्त वर्ष 2013–2014 के अन्त तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के अन्तर्गत पिछले वर्ष की 8929 मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों की तुलना में यह संख्या 9360 थी । इन 9360 मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में से 1545 महाविद्यालय ऐसे हैं जो अभी भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के अन्तर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।

तालिका 2.1 (घ) : 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) एवं धारा 12(ख) के अन्तर्गत जिन महाविद्यालयों को सम्मिलित किया गया है उनकी राज्य–वार संख्या निम्नवत है :

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	महाविद्यालयों की संख्या		कुल
		2(च) एवं 12(ख)	केवल धारा 2(च) के अन्तर्गत सम्मिलित (धारा 12(ख) के तहत शामिल नहीं)	
1	आन्ध्र प्रदेश	526	106	632
2	अरूणाचल प्रदेश	9	2	11
3	असम	273	25	298
4	बिहार	389	17	406
5	छत्तीसगढ़	147	14	161
6	गोवा	25	4	29
7	गुजरात	417	69	486
8	हरियाणा	164	5	169
9	हिमाचल प्रदेश	55	4	59
10	जम्मू और कश्मीर	84	89	173
11	झारखण्ड	115	8	123
12	कर्नाटक	558	233	791
13	केरल	239	10	249
14	मध्य प्रदेश	412	83	495
15	महाराष्ट्र	1066	155	1221
16	मणिपुर	52	5	57
17	मेघालय	29	8	37
18	मिजोरम	22	4	26
19	नागालैण्ड	32	6	38
20	ओड़ीशा	425	36	461
21	पंजाब	238	13	251

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	महाविद्यालयों की संख्या		कुल
		2(च) एवं 12(ख)	केवल धारा 2(च) के अन्तर्गत सम्मिलित (धारा 12(ख) के तहत शामिल नहीं)	
22	राजस्थान	231	60	291
23	सिक्किम	6	6	12
24	तमिलनाडु	351	115	466
25	त्रिपुरा	19	0	19
26	उत्तर प्रदेश	1349	417	1766
27	उत्तरांखण्ड	55	10	65
28	पश्चिम बंगाल	412	25	437
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	2	4
30	चण्डीगढ़	18	0	18
31	दादरा और नागर हवेली	0	0	0
32	दमन और द्वीव	1	0	1
33	दिल्ली	80	4	84
34	लक्षद्वीप	0	0	0
35	पुदुचेरी	14	10	24
	कुल	**7815**	**1545**	**9360**

रेखाचित्र 2.1(घ): दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत सम्मिलित किये गये महाविद्यालयों की राज्य–वार संख्या

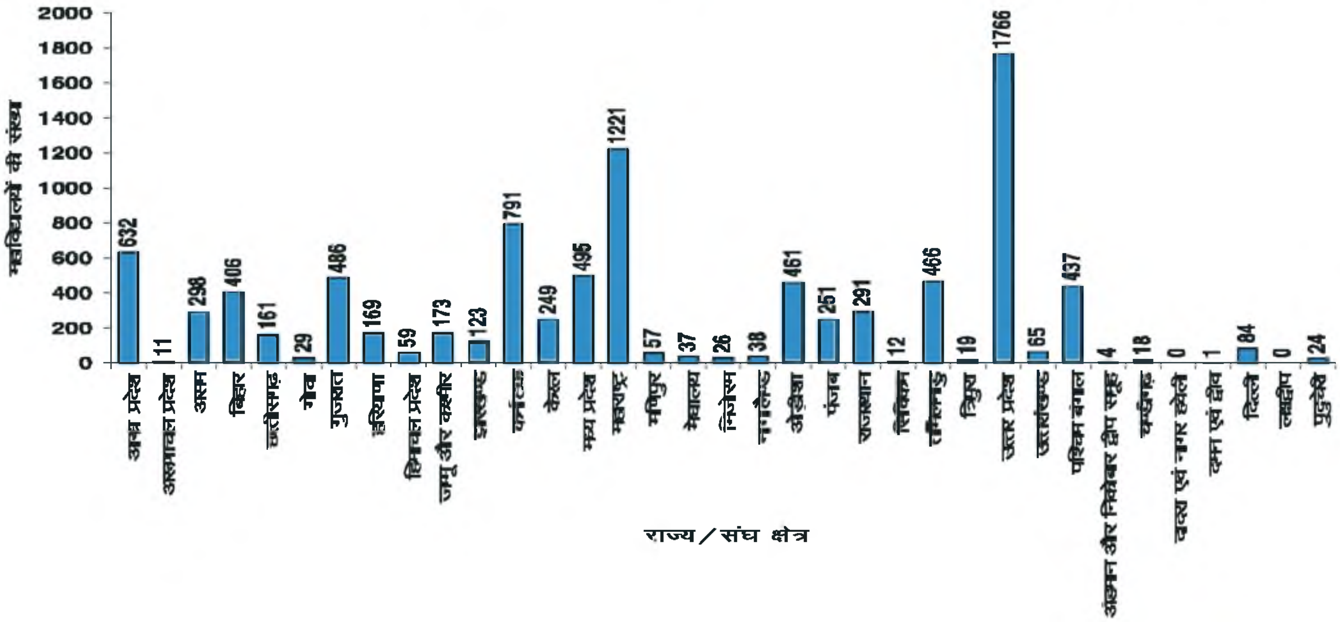

2.2 छात्र नामांकन

शिक्षा वर्ष 2013–2014 के दौरान समस्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों तथा अन्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए, विभिन्न स्तरों पर पिछले वर्ष के 223.03 लाख के संशोधित आंकडों की तुलना में 237.65 लाख (अनंतिम) छात्रों का नामांकन हुआ । इस प्रकार इसमें 6.56 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले दो दशकों के दौरान वृहद स्तर पर छात्रों के नामांकन की जो प्रवृत्ति दृष्टिगोचर है, वह **तालिका 2.2 (ख)** में दी गयी है ।

तालिका 2.2 (ख) : वर्ष 1984–85 से 2013–2014 तक संपूर्ण भारत में छात्रों के नामांकन में हुई वृद्धि

वर्ष	कुल नामांकन	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि	प्रतिशतता
1984-85	3404096	96447	2.9
1985-86	3605029	200933	5.9
1986-87	3757158	152129	4.2
1987-88	4020159	263001	7.0
1988-89	4285489	265330	6.6
1989-90	4602680	317191	7.4
1990-91	4924868	322188	7.0
1991-92	5265886	341018	6.9
1992-93	5534966	532939	5.6
1993-94	5817249	282283	5.1
1994-95	6113929	296680	5.1
1995-96	6574005	460076	7.5
1996-97	6842598	268593	4.1
1997-98	7260418	417820	6.1
1998-99	7705520	445102	6.1
1999-2000	8050607	345087	4.5
2000-01	8399443	348836	4.3
2001-02	8964680	565237	6.7
2002-03	9516773	552093	6.2
2003-04	10201981	685208	7.2
2004-05	11038543	836562	8.2
2005-06	12043050	1004507	9.1
2006-07	13163054	1120004	9.3

वर्ष	कुल नामांकन	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि	प्रतिशतता
2007-08	14400381	1237327	9.4
2008-09	15768417	1368036	9.5
2009 -10	17243352	1474935	9.4
2010-11	18670050	1426698	8.3
2011-12	20327478	1657428	8.9
2012-13+	22302938	1975460	9.7
2013-14*	23764960	1462022	6.6

+ संशोधित आंकड़े

* अनंतिम आंकड़े

रेखाचित्र 2.2(क): विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में छात्र नामांकन में वर्ष–वार वृद्धि: 1984–85 से 2013–14

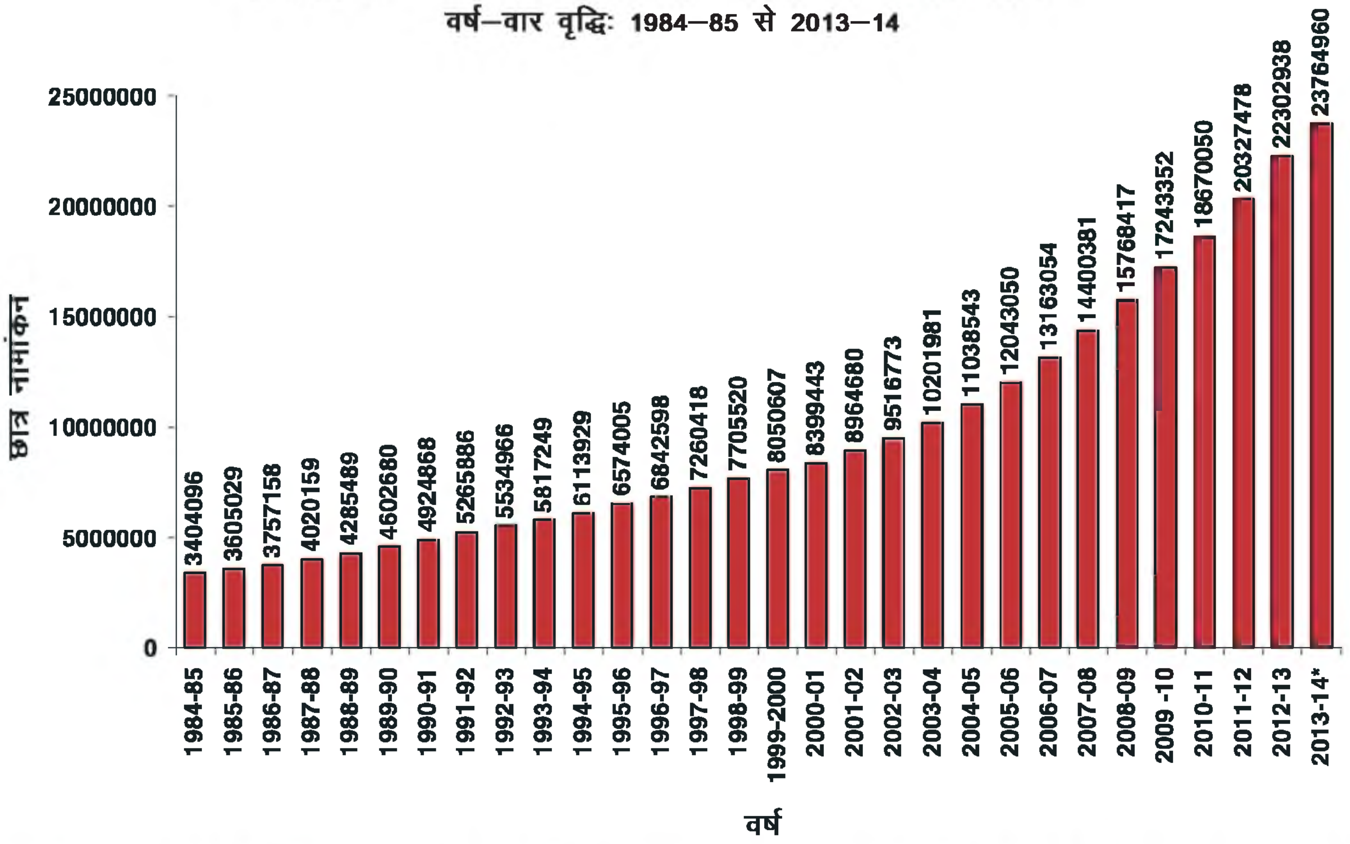

237.65 लाख छात्रों में से 105.52 लाख महिलाएं थीं जो कि इस समस्त संख्या का 44.40 प्रतिशत है जबकि, विभिन्न राज्यों में वर्ष 2013–2014 के दौरान पाई गई कुल छात्र नामांकन और महिला छात्राओं के नामांकन की तुलनात्मक प्रवृत्ति को **तालिका 2. 2(ख)** में दर्शाया गया है। परिशुद्ध संख्या के संदर्भ में देखा जाये तो, महिला छात्रों का सर्वाधिक नामांकन उत्तर प्रदेश में (37.72 लाख), उसके बाद महाराष्ट्र (26.87लाख), आंध्रप्रदेश (20.02 लाख), तमिलनाडु (21.85 लाख) आदि हैं।

तालिका 2.2(ख) : वर्ष 2013–2014 के दौरान विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रों का राज्यवार नामांकन*

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कुल नामांकन	महिला नामांकन	महिलाओं का प्रतिशत
1	आंध्र प्रदेश	2201848	942493	42.80
2	अरूणाचल प्रदेश	20596	7583	36.82
3	असम	367753	177845	48.36
4	बिहार	1022544	391449	38.28
5	छत्तीसगढ़	287753	130605	45.39
6	दिल्ली	338112	157423	46.56
7	गोवा	27944	16831	60.23
8	गुजरात	1298321	480387	37.00
9	हरियाणा	697451	325355	46.65
10	हिमाचल प्रदेश	175018	84532	48.30
11	जम्मू और कश्मीर	226116	109128	48.26
12	झारखण्ड	454540	183996	40.48
13	कर्नाटक	1156708	543985	47.03
14	केरल	588665	353119	59.99
15	मध्य प्रदेश	1258432	473541	37.63
16	महाराष्ट्र	2687264	1253843	46.66
17	मणिपुर	61029	28215	46.23
18	मेघालय	52990	27807	52.48
19	मिजोरम	16694	7821	46.85
20	नागालैण्ड	28565	14821	51.89
21	ओड़ीशा	649236	260987	40.20
22	पंजाब	536604	265470	49.47
23	राजस्थान	1573805	627490	39.87
24	सिक्किम	12632	5249	41.55
25	तमिलनाडु	2185010	1112488	50.91
26	त्रिपुरा	51455	22036	42.83
27	उत्तर प्रदेश	3772315	1677423	44.47

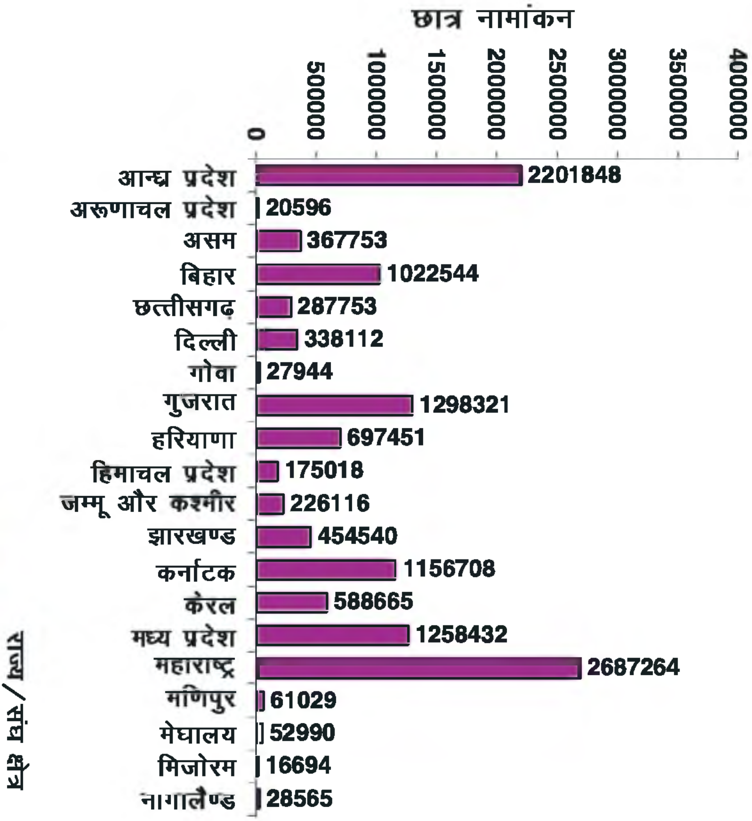
छात्र नामांकन
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
राज्य / संघ क्षेत्र
आन्ध्र प्रदेश 2201848
अरूणाचल प्रदेश 20596
असम 367753
बिहार 1022544
छत्तीसगढ़ 287753
दिल्ली 338112
गोवा 27944
गुजरात 1298321
हरियाणा 697451
हिमाचल प्रदेश 175018
जम्मू और कश्मीर 226116
झारखण्ड 454540
कर्नाटक 1156708
केरल 588665
मध्य प्रदेश 1258432
महाराष्ट्र 2687264
मणिपुर 61029
मेघालय 52990
मिजोरम 16694
नागालैण्ड 28565

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कुल नामांकन	महिला नामांकन	महिलाओं का प्रतिशत
28	उत्तराखण्ड	341992	151484	44.29
29	पश्चिम बंगाल	1539418	651335	42.31
30	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	4151	2387	57.50
31	चण्डीगढ़	67507	33971	50.32
32	दादरा और नगर हवेली	2462	1243	50.49
33	दमन और द्वीप	1202	824	68.55
34	लक्षद्वीप	429	175	40.79
35	पुदुचेरी	58399	29108	49.84
	कुल	**23764960**	**10552449**	**44.40**

*अनन्तिम

रेखाचित्र 2.2(ख): विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राज्य–वार छात्रों का नामांकन : वर्ष 2013–14*

रेखाचित्र 2.2(ग): विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राज्य–वार तथा लिंग–वार शिक्षार्थियों का नामांकन : वर्ष 2013–14

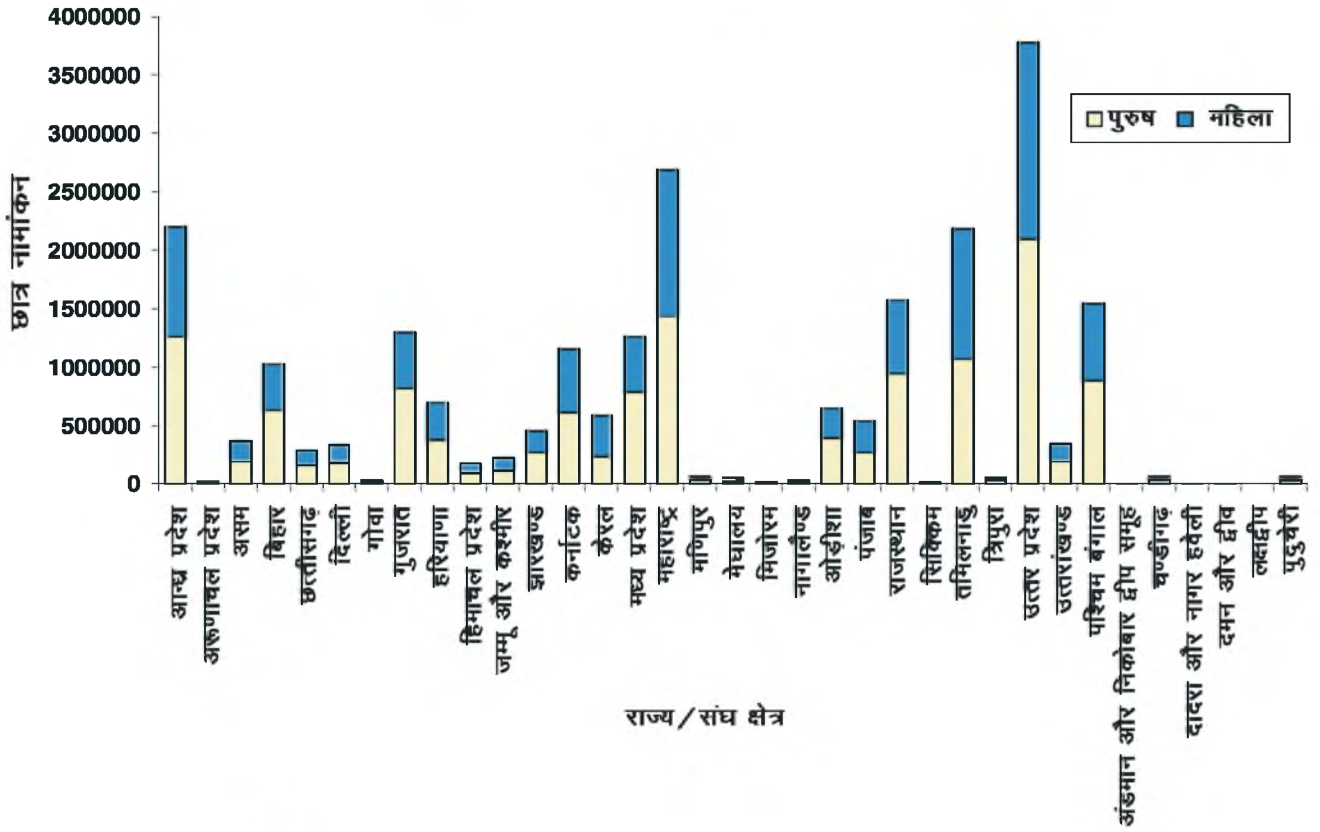

2.2(ग): स्तर–वार छात्र नामांकन

शिक्षा वर्ष 2013–2014 के दौरान नामांकन की स्थिति से यह पता चलता है कि उच्चतर शिक्षा प्रणाली में स्नातकपूर्व स्तर पर विविध प्रकार के पाठ्यक्रमों में अधिसंख्य छात्रों का नामांकन होता है। महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयों दोनों को मिलाकर, अनंतिम तौर पर उस स्तर पर 85.12 प्रतिशत छात्र नामांकित होते है। ऐसे छात्र जिन्होंने स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों (पी0जी0) में नामांकन प्राप्त किया है, उनकी प्रतिशतता 12.35 प्रतिशत रही जबकि शोध हेतु नामांकन करने वाले छात्रों की प्रतिशतता बहुत ही न्यून रही अर्थात 0.85 प्रतिशत रही। इस प्रकार, डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के लिए कुल छात्रों में से मात्र 1.68 प्रतिशत ने नामांकन प्राप्त किया।

विश्वविद्यालय तथा संबद्ध महाविद्यालयों में छात्र नामांकन के संवितरण के संबंध में उच्चतर शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत छात्रों का सर्वाधिक नामांकन संबद्ध महाविद्यालयों में हुआ था। स्नातकपूर्व छात्रों में से लगभग 89.49 प्रतिशत और स्नातकोत्तर छात्रों में से 78.61 प्रतिशत छात्र संबद्ध महाविद्यालयों में नामांकित हुए थे, जबकि शेष छात्र विश्वविद्यालयों एवं उनके संघटक महाविद्यालयों में थे । इसके विपरीत, कुल शोध छात्रों में से मात्र 78.61 प्रतिशत छात्र विश्वविद्यालयों में नामांकित थे। डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में नामांकन के मामले में विश्वविद्यालय विभागों/विश्वविद्यालय महाविद्यालयों की संख्या, संबद्ध महाविद्यालयों की संख्या से ऊपर ही थी। तथापि, यह तथ्य, संबंद्ध महविद्यालय, जहां पर उच्चतर शिक्षण की नीवं रखी जा रही है, उनमें प्रवेश प्राप्त कुछ छात्रों में से अधिकाशं के उपर ध्यान केन्द्रीत किया जाना चाहिए –उनमें विशेषरूप से संगतता, पहुंच, गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता आदि के संवर्धन के संदर्भ में इस महाविद्यालय क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिये जाने तथा अधिक वित्तपोषित किये जाने की आवश्यकता है।

तालिका 2.2 (ग)

तालिका 2.2 (ग) : वर्ष 2013–2014 के दौरान विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों/विश्वविद्यालयों के अंतर्गत महाविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों में छात्रों का स्तरवार नामांकन*

क्र.सं.	स्तर	विश्वविद्यालय विभाग/विश्वविद्यालयों के अंतर्गत महाविद्यालय	सम्बद्ध महाविद्यालय	कुल (महा–योग का प्रतिशत)	सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रतिशतता
1	स्नातक	2125559	18104033	20229592 (85.12)	89.49
2	स्नातकोत्तर	774557	2160432	2934989 (12.35)	73.61
3	शोध	156845	43885	200730 (0.85)	21.86
4	डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र	156909	242740	399649 (1.68)	60.74
	कुल योग	**3213870**	**20551090**	**23764960 (100.00)**	**86.48**

* अनन्तिम

नोट : शोध में एम.फिल. और पी.एच.डी. शामिल हैं ।

रेखाचित्र 2.2(ग(i)): वर्ष 2013–2014 के दौरान विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों/विश्वविद्यालयों के अंतर्गत महाविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों में छात्रों का स्तरवार नामांकन*

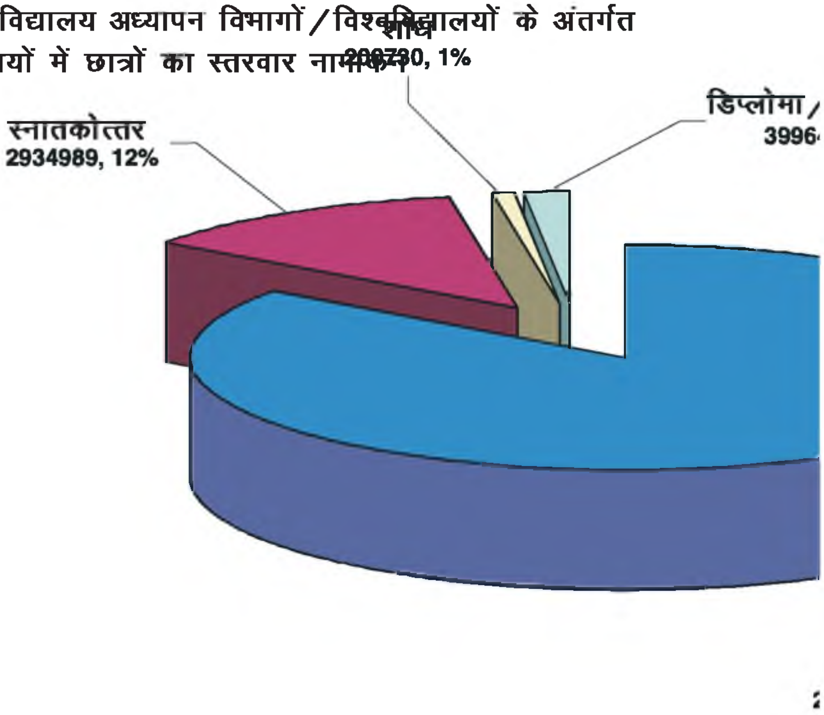

रेखाचित्र 2.2(ग(ii)): वर्ष 2013–2014 के दौरान विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों/विश्वविद्यालयों के अंतर्गत महाविद्यालय में छात्रों का स्तरवार नामांकन

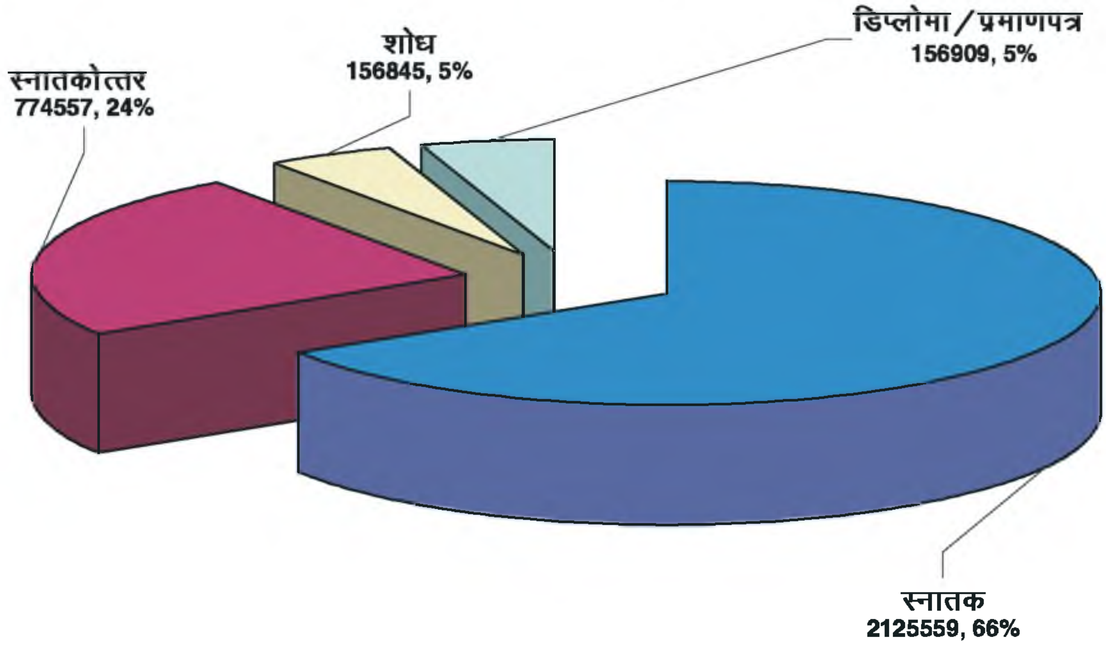

रेखाचित्र 2.2(ग(iii)): वर्ष 2013–2014 के दौरान संबद्ध महाविद्यालयों में छात्रों का स्तरवार नामांकन

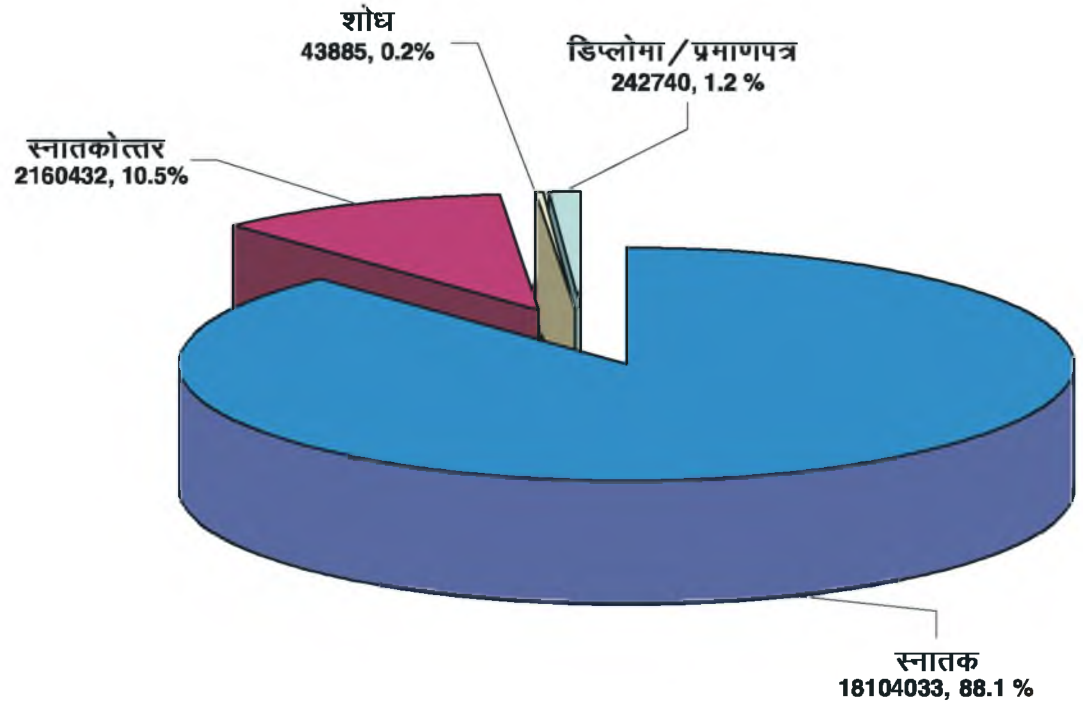

2.2 (घ) संकाय–वार छात्र नामांकन

शिक्षा वर्ष 2013–2014 के दौरान छात्रों का अलग–अलग संकायों में नामांकन निम्न प्रकार था :

छात्रों के कुल नामांकन (237.65 लाख) में से 36.57 प्रतिशत छात्र कला संकाय में थे, इसके बाद विज्ञान में 17.23 प्रतिशत, वाणिज्य/प्रबंध विज्ञान मे 17.60 प्रतिशत छात्र थे। इस प्रकार, कुल नामांकन में से 71 प्रतिशत छात्र, कला–विज्ञान एवं वाणिज्य/प्रबंध विज्ञान संकायों में थे, जबकि शेष 29 प्रतिशत व्यावसायिक संकायों में थे, जिनमें से इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी (15. 55 प्रतिशत) में प्रतिशतता सर्वाधिक थी और उसके बाद शिक्षा (अध्यापक प्रशिक्षण)(5.42 प्रतिशत) और आयुर्विज्ञान पाठ्यक्रम (4. 18 प्रतिशत) आदि में थी । भारत जैसे देश में जहाँ कृषि और संबद्ध व्यवसाय ही मुख्य व्यवसाय हैं, वहाँ पर कृषि पाठ्यक्रमों में नामांकन केवल (0.45 प्रतिशत) और पशु–चिकित्साविज्ञान में यह नगण्य, 0.12 प्रतिशत रहा है। इस प्रकार, जैसा कि संकाय–वार वितरण से स्पष्ट है कि पेशेवर और गैर–पेशेवर नामांकन का अनुपात लगभग 1:3 रहा, अतः एक उपर्युक्त नीतिगत परिवर्तन की आवश्यकता है इसे युक्तिसंगत बनाकर विसंगतियों को कम कर सके और शिक्षा के व्यावसायिकरण पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

तालिका 2.2(घ) : संकायवार* : छात्रों का नामांकन : वर्ष 2013–2014

क्र.सं.	संकाय	कुल नामांकन	कुल की प्रतिशतता
1	कला	8690407	36.57
2	विज्ञान	4095002	17.23
3	वाणिज्य/प्रबंधन	4181579	17.60
4	शिक्षा	1288974	5.42
5	अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी	3696104	15.55
6	आयुर्विज्ञान	992917	4.18
7	कृषि	107247	0.45
8	पशु–चिकित्साविज्ञान	28090	0.12
9	विधि	425932	1.79
10	अन्य	258708	1.09
	कुल	**23764960**	**100.00**

* अनन्तिम

कला संकाय में मानविकी, सामाजिक विज्ञान तथा भाषाएं आदि सम्मिलित हैं।

विज्ञान संकाय में गृह विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान एवं कम्प्यूटर अनुप्रयोग आदि सम्मिलित हैं।

शिक्षा संकाय में शिक्षा शास्त्री, शिक्षा आचार्य, विद्या वरिधि एवं वाचस्पति आदि सम्मिलित हैं।

अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संकाय में कृषि अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, डेयरी प्रौद्योगिकी एवं वास्तुकला आदि सम्मिलित हैं।

आयुर्विज्ञान संकाय में आयुर्वेद, दंत चिकित्सा, होम्योपैथी, परिचर्या, भेषजी, जन स्वास्थ्य/सामाजिक निवारक औषधि, यूनानी, तिबिया, भौतिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, पेशे से संबंद्ध चिकित्सा और सिद्ध चिकित्सा आदि सम्मिलित हैं।

कृषि संकाय में बागवानी, रेशम उत्पादन एवं वानिकी आदि सम्मिलित हैं।

पशु–चिकित्साविज्ञान संकाय में मत्स्य पालन, डेयरी विज्ञान, पशु विज्ञान आदि सम्मिलित हैं।

अन्य में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, संगीत, प्रदर्शन/दृश्य कला, पत्रकारिता एवं जनसंचार, शारीरिक शिक्षा और सामाजिक कार्य आदि सम्मिलित हैं।

रेखाचित्र 2.2(घ): वर्ष 2013–2014 के दौरान विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में संकाय–वार छात्रों का नामांकन

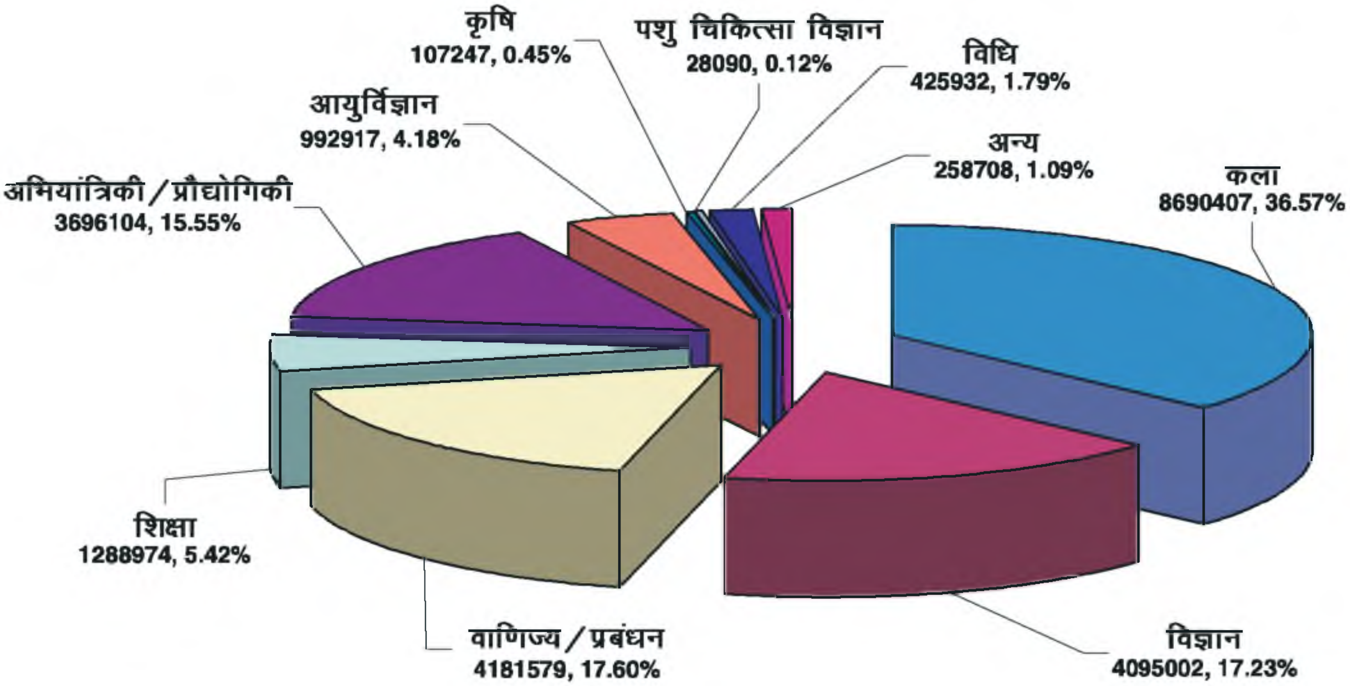

2.3 संकाय संख्या

शिक्षा वर्ष 2013–2014 के दौरान, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों की कुल संख्या पिछले वर्ष की 9.51 लाख की तुलना में 10.49 लाख थी **तालिका 2.3(ग)** । 10.49 लाख शिक्षकों में से 82.73 प्रतिशत शिक्षक महाविद्यालयों में रहे तथा शेष 17.30 प्रतिशत विश्वविद्यालयों विभागों/विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में हैं **। तालिका 2.3(ख)** तथा **तालिका 2.3(क)**

तालिका 2.3(क) : वर्ष 2013–2014 के दौरान विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के अंतर्गत महाविद्यालयों में पद के अनुसार शिक्षण से संबंद्ध कर्मचारिवृंदों की संख्या एवं उनका संवितरण**

वर्ष	आचार्य*	उपाचार्य/ सह–आचार्य/ व्याख्याता (चयन वेतनमान)	व्याख्याता (वरिष्ठ वेतनमान)	सहायक आचार्य/ व्याख्याता	अनुशिक्षक/ निदर्शक	कुल
2013-14	30272 (16.69)	46102 (25.41)	17238 (9.50)	79372 (43.75)	8434 (4.65)	181418 (100.00)

* *इनमें प्राचार्य एवं वरिष्ठ शिक्षक सम्मिलित हैं जोकि आचार्य के समतुल्य हैं।*

** *अनन्तिम*

टिप्पणी : (क) लघु कोष्ठकों में दिए गए आँकडें कुल कर्मचारिवृंदों की तुलना में संवर्गों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

(ख) अंशकालिक/तदर्थ/अनुबंधात्मक/अभ्यगत शिक्षक/शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक आदि को सहायक आचार्य/व्याख्याता के तहत सम्मिलित किया गया है।

तालिका 2.3(ख) वर्ष 2013–2014 के दौरान सम्बद्ध महाविद्यालयों में पदानुसार शैक्षणिक कर्मचारिवृंदों की संख्या एवं उनका संवितरण**

वर्ष	आचार्य*	उपाचार्य/ सह–आचार्य/ व्याख्याता (चयन वेतनमान)	व्याख्याता (वरिष्ठ वेतनमान)	सहायक आचार्य/ व्याख्याता	अनुशिक्षक/ निदर्शक	कुल
2013-14	65859 (7.59)	227702 (26.25)	92850 (10.70)	456301 (52.60)	24795 (2.86)	867507 (100.00)

* *प्राचार्य एवं वरिष्ठ शिक्षक सम्मिलित हैं जोकि आचार्य के समतुल्य हैं।*

** *अनन्तिम*

***टिप्पणी :** (क) लघु कोष्ठकों में दिए गए आँकडें कुल कर्मचारिवृंदों की तुलना में संवर्गों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।*

(ख) अंशकालिक/तदर्थ/अनुबंधात्मक/अभ्यगत शिक्षक/शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक आदि को सहायक आचार्य/व्याख्याता के तहत सम्मिलित किया गया है।

प्रतिशतताओं के आधार पर वर्ष 2013–2014 के दौरान, संबद्ध महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय विभागों/विश्वविद्यालयों के आंगिक महाविद्यालयों में शिक्षकों की श्रेणीवार स्थिति निम्नवत है:

तालिका 2.3(ग): शिक्षकों की कुल श्रेणीवार संख्या : 2013–2014

क्र.सं.	श्रेणी	शिक्षकों की कुल संख्या			
		ए.सी.	यू.टी.डी./ यू.सी.	ए.सी.+ यू.टी.डी./ यू.सी.	(कुल) कुल संख्या का प्रतिशतता
1.	अनुशिक्षक/निदर्शक	24795	8434	33229	3.17
2.	सहायक आचार्य/व्याख्याता	456301	79372	535673	51.07
3.	व्याख्याता (वरिष्ठ वेतनमान)	92850	17238	110088	10.50
4.	उपाचार्य/सह–आचार्य/व्याख्याता (चयन वेतनमान)	227702	46102	273804	26.1
5.	आचार्य और उनके समकक्ष	65859	30272	96131	9.16
	कुल	**867507**	**181418**	**1048925**	**100.00**

ए.सी. = संबद्ध महाविद्यालय

यू.टी.डी./यू.सी. = विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/विश्वविद्यालय महाविद्यालय

*अनंतिम

रेखाचित्र 2.3(क): वर्ष 2013–2014 के दौरान विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों/विश्वविद्यालयों से संबधित महाविद्यालयों में शिक्षण कर्मचारिवृंदों की श्रेणी–वार संख्या

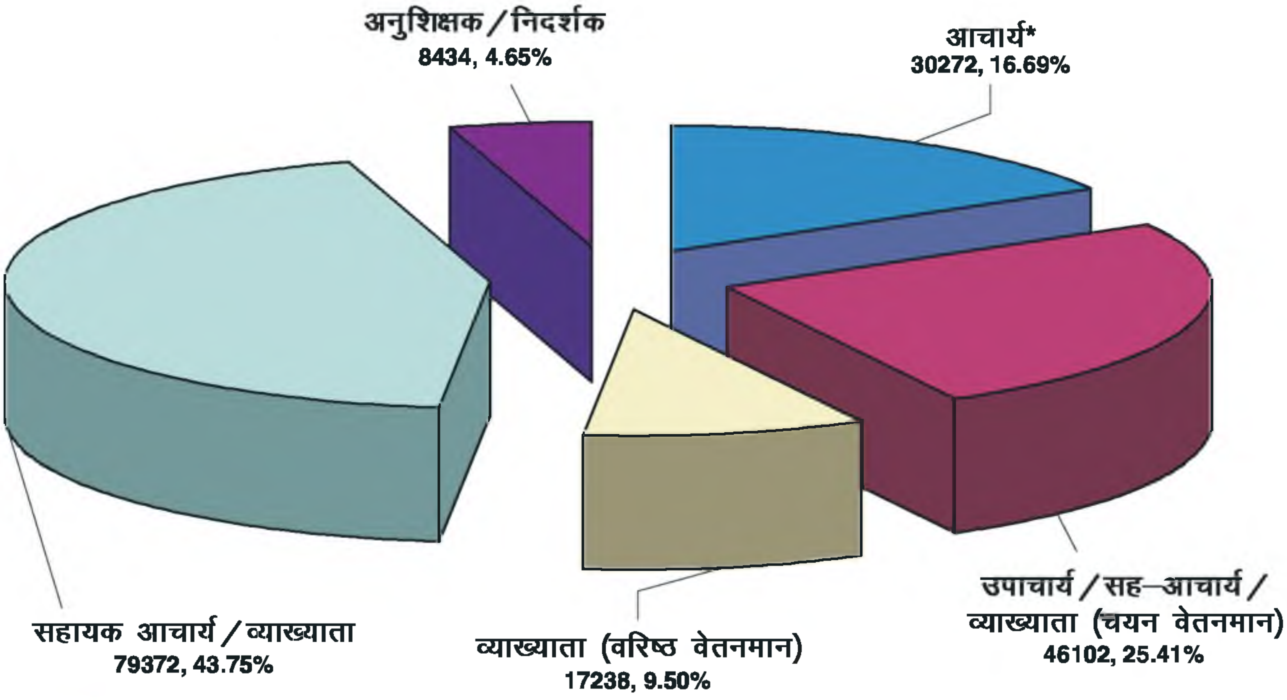

रेखाचित्र 2.3(ख): वर्ष 2013–2014 के दौरान संबद्ध महाविद्यालयों में शिक्षण कर्मचारिवृंदों की श्रेणी–वार संख्या

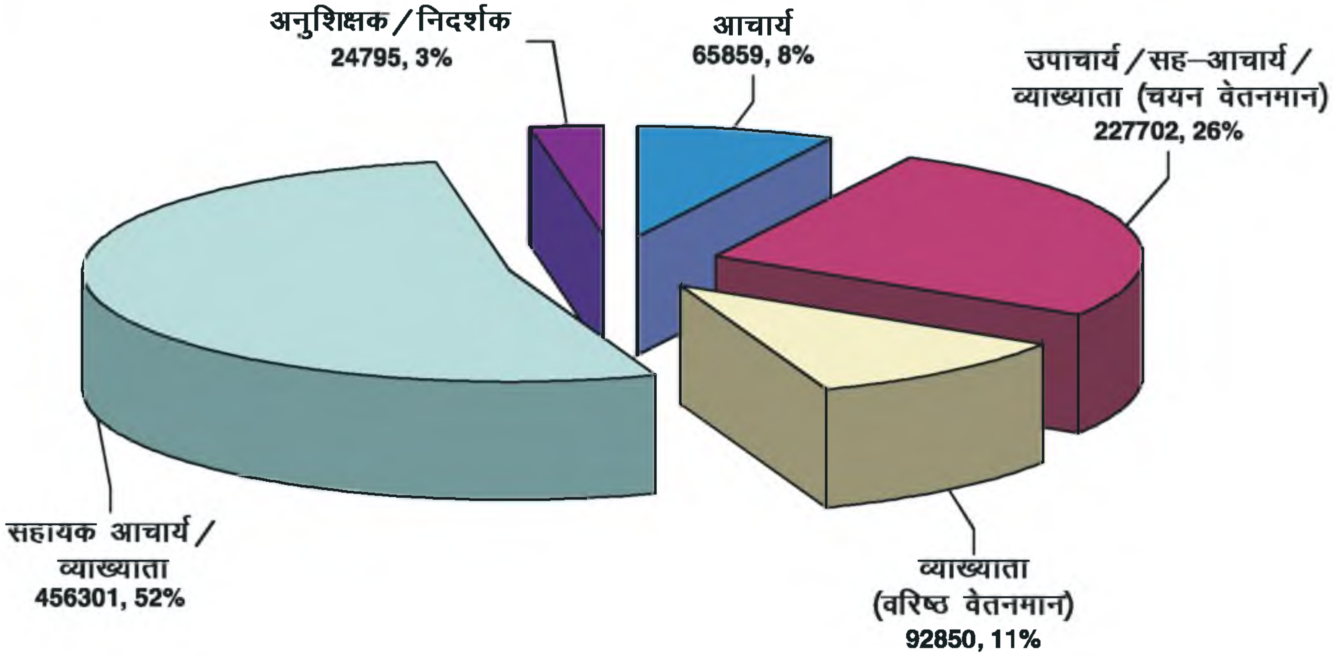

रेखाचित्र 2.3(ग): वर्ष 2013–2014 के दौरान विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शिक्षण से जुड़े कर्मचारिवृंदों की श्रेणी–वार संख्या

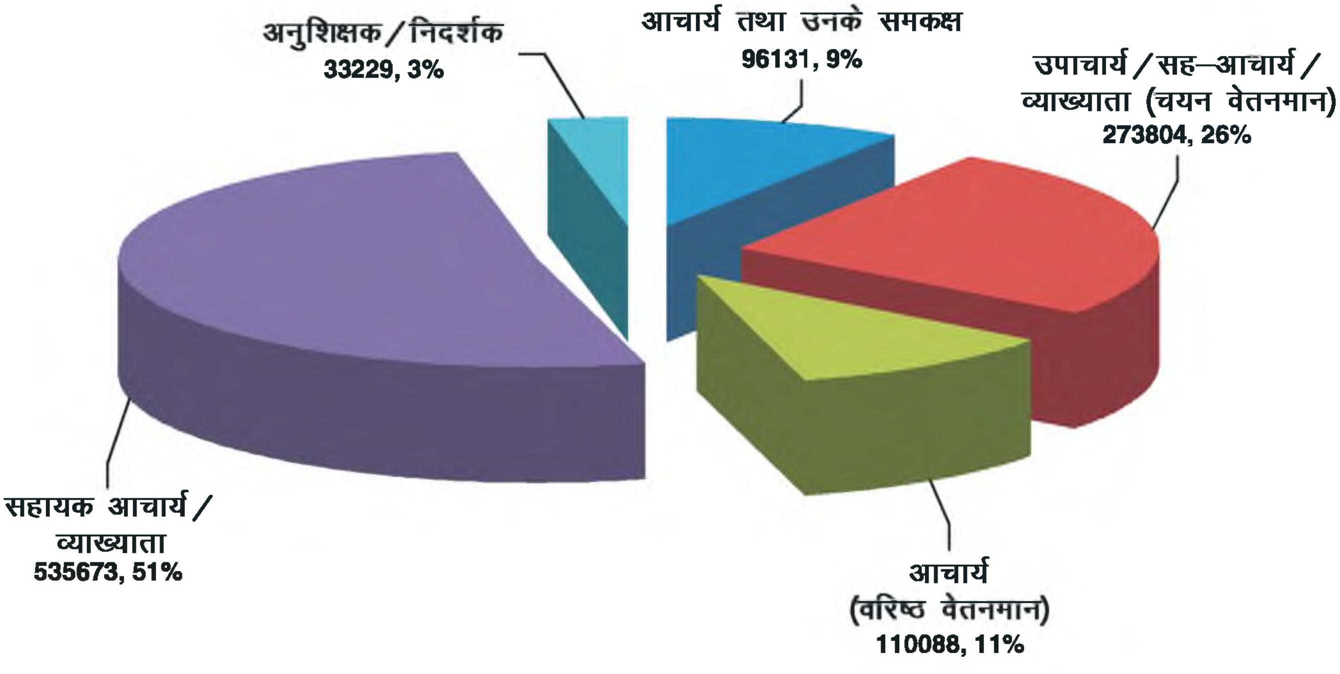

2.4 शोध उपाधियाँ

विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त शोध उपाधियों (पी0एच0डी0) की संख्या वर्ष 2011–2012 की 19861 से बढकर वर्ष 2012–13 में 20275 हो गई और इस प्रकार 2.08 प्रतिशत बढत दर्ज की गई। वर्ष 2012–13 के दौरान प्रदत्त उपाधियों में विज्ञान संकाय संकाय में प्रदत्त उपाधियों की संख्या सर्वाधिक थी जो कि 6641 थी, उसके बाद कला संकाय का स्थान रहा, जिसमें 6298 शोध उपाधियां प्रदान की गईं। कुल प्रदत्त शोध उपाधियों में से इन दोनों संकायों में प्रदान की गई पी0एच0डी0 उपाधियों की संख्या 63.82 प्रतिशत थी। पेशेवर संकायों में, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिक संकाय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। जिसमें कुल 2119 पी.एच.डी. उपाधियां प्रदत्त की गईं और इसके बाद 839 पी.एच.डी. उपाधियों के साथ शिक्षा संकाय, तत्पश्चात् 756 पी.एच.डी. उपाधियों के साथ चिकित्सा संकाय इसके बाद 738 पी.एच.डी. उपाधियों के साथ कृषि संकाय है । यह पाया गया कि वर्ष 2011–2012 के आंकड़ों तथा कुल नामांकन की तुलना में वर्ष 2012–2013 **(तालिका 2.4 (क))** के दौरान विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गईं शोध उपाधियों की दृष्टि से अनुसंधान क्षेत्रक में थोड़ी बढत का रुझान दिखाई देता है ।

तालिका 2.4 : वर्ष 2011–2012 और 2012–2013 के दौरान प्रदत्त की गयी एम.फिल. एवं वाचस्पति (पीएच.डी.) उपाधियों की संकायवार संख्या

क्र.सं.	संकाय	2011-12		2012-2013*	
		एम.फिल.	पी.एच.डी.	एम.फिल.	पी.एच.डी.
01	कला	6080	6155	7430	6298
02	विज्ञान	5637	6334	6916	6641
03	वाणिज्य/प्रबंधन	1998	1743	2419	1585
04	शिक्षा	622	717	757	813
05	अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी	60	2173	72	2119
06	आयुर्विज्ञान	61	638	74	756
07	कृषि	97	677	117	738
08	पशु–चिकित्साविज्ञान	31	189	37	204
09	विधि	53	239	87	282
10	अन्य	1447	996	1631	839
	कुल	**16086**	**19861**	**19540**	**20275**

** अनन्तिम आकंडे*

कला संकाय में मानविकी, सामाजिक विज्ञान तथा भाषाएं आदि सम्मिलित हैं।

विज्ञान संकाय में गृह विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान एवं कम्प्यूटर अनुप्रयोग सम्मिलित हैं।

शिक्षा संकाय में विद्या वरिधि एवं वाचस्पति सम्मिलित हैं।

आयुर्विज्ञान संकाय में आयुर्वेद, दंत चिकित्सा, होम्योपैथी, परिचर्या, भेषजी, जन स्वास्थ्य/समाजिक निवारक औषधि, यूनानी, तिबिया, भौतिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, पेशे से संबंद्ध चिकित्सा और सिद्ध चिकित्सा आदि सम्मिलित हैं।

अन्य में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, संगीत, प्रदर्शन/दृश्य कला, पत्रकारिता एवं जनसंचार, शारीरिक शिक्षा और सामाजिक कार्य आदि सम्मिलित हैं।

नोटः वर्ष 2011–12 एवं 2013–14 के आंकड़े क्रमशः 472 और 497 विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों की प्रतिक्रिया पर आधारित हैं।

2.5 उच्चतर शिक्षा में महिला नामांकन में वृद्धि

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात से अब तक उच्चतर शिक्षा में महिला नामांकन में व्यापक स्तर पर वृद्धि हुई है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय महिलाओं का कुल नामांकन 10 प्रतिशत से भी कम था जिसमें शिक्षा वर्ष 2012–2013 के दौरान 44.40 प्रतिशत तक वृद्धि हो चुकी है।

पिछले 2 दशकों के दौरान विकास की दर विशेषरूप से त्रीव रही है। जैसा कि **तालिका 2.5(क)** में दिये गए आकड़ों से स्पष्ट होता है, प्रति 100 पुरुषों के समक्ष नामांकित महिलाओं की संख्या में वर्ष 1950–51 की तुलना में वर्ष 2013–14 में 5 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।

तालिका 2.5(क): प्रति सौ पुरूष शिक्षार्थियों पर महिला शिक्षार्थियों की संख्या

वर्ष	कुल महिला नामांकन (प्रति हजार)	प्रति 100 पुरुषों पर महिला नामांकन
1950-51	40	14
2013-2014	10552	79-87

रेखाचित्र 2.4: वर्ष 2012–2013 के दौरान प्रदत्त की गयी एम.फिल. एवं वाचस्पति (पीएच.डी.) उपाधियों की संकायवार संख्या (497 उपाधि प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर आंकड़े)

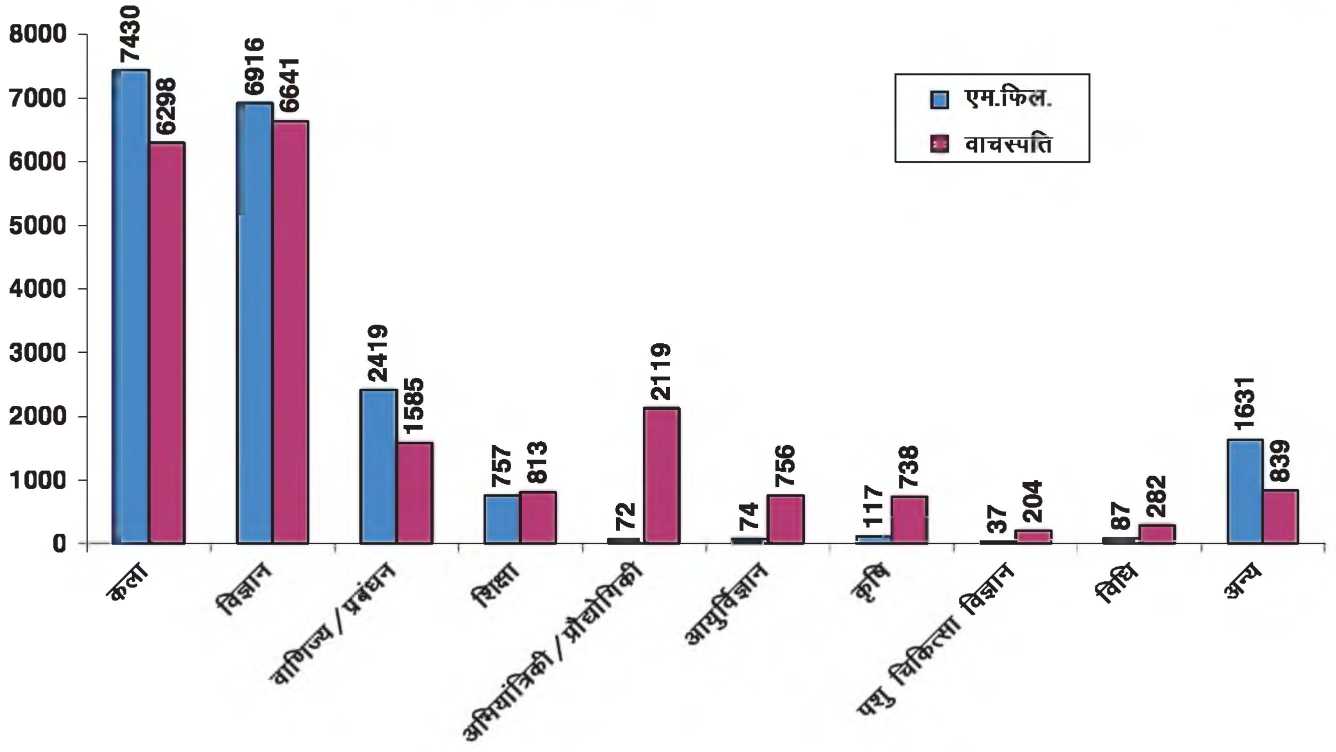

2.6 राज्य एवं संकायों के आधार पर महिला नामांकन का संवितरण

(क) महिला नामांकन का राज्यवार संवितरण

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2013–2014 के दौरान राज्यों के आधार पर किए गए महिलाओं के नामांकन के संवितरण द्वारा यह स्पष्ट होता है कि प्रतिशतता में हुई वृद्धि लगभग न्यून ही रही है। राज्यों तथा संघ क्षेत्र में, दमन और द्वीव (68.55 प्रतिशत) में सबसे अधिक तत्पश्चात् 60.23 प्रतिशत के साथ गोवा राज्य कुल नामांकन के प्रतिशत में महिलाओं के नामांकन में शीर्ष स्थान पर है। ऐसे कुल 22 राज्य/संघ क्षेत्र है, जिनमें 44.40 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत की तुलना में सर्वाधिक नामांकन प्रतिशत रहा। शेष राज्यों में महिला नामांकन, राष्ट्रीय औसत से कम रहा जिसमें 36.82 प्रतिशत के साथ अरूणाचल प्रदेश में सबसे कम महिला नामांकन दर्ज किया गया है। परिशुद्ध आंकड़ों में उत्तर प्रदेश राज्य महिला छात्राओं के नामांकन में शीर्ष पर रहा है (16.77 लाख) जिसके बाद महाराष्ट्र (12.54 लाख) तत्पश्चात् तमिलनाडु (11.12 लाख) आदि है। **तालिका 2.2(क)**

(ख) संकायवार महिला नामांकन का संवितरण

वर्ष 2013–2014 के दौरान, उच्चतर शिक्षा में संकायवार महिला नामांकन का संवितरण, **तालिका 2.6 (क)** में दर्शाया जा रहा है::

तालिका 2.6 (क) : संकायवार महिला नामांकन* : 2013–2014

क्र.सं.	संकाय	महिला नामांकन*	महिला नामांकन की कुल प्रतिशतता
1	कला	4738713	44.91
2	विज्ञान	1911122	18.11
3	वाणिज्य/प्रबंधन	1733350	16.42
4	शिक्षा	438877	4.16
5	अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी	992765	9.41
6	आयुर्विज्ञान	464617	4.40
7	कृषि	30416	0.29
8	पशु–चिकित्साविज्ञान	9373	0.09
9	विधि	129089	1.22
10	अन्य	104127	0.99
	कुल	**10552449**	**100.0**

* अनन्तिम

रेखाचित्र 2.6(ख): वर्ष 2013–2014 के दौरान विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में संकाय–वार महिलाओं का नामांकन

तालिका 2.6 (ख) दर्शाती है कि कला संकाय में महिला नामांकन कुल महिला नामांकन का 44.91 प्रतिशत रहा, जिसके बाद विज्ञान संकाय (18.11 प्रतिशत), वाणिज्य/प्रबन्धन (16.42 प्रतिशत) आदि रहा जो इन तीन गैर–पेशेवर संकायों में समस्त नामांकन का 79.44 प्रतिशत है। पेशेवर संकायों मे महिला नामांकन, समस्त महिला नामांकन का 20.56 प्रतिशत है।

2.7 महिला महाविद्यालय

निम्न 2.7 तालिका से यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 4266 महिला महाविद्यालयों की तुलना में बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दो वर्षों के दौरान अब तक कुल 240 महिला–महाविद्यालयों की स्थापना हो चुकी है । 31.3.2014 के अनुसार विशिष्ट रूप से महिलाओं के लिए 4506 महाविद्यालय मौजूद थे ।

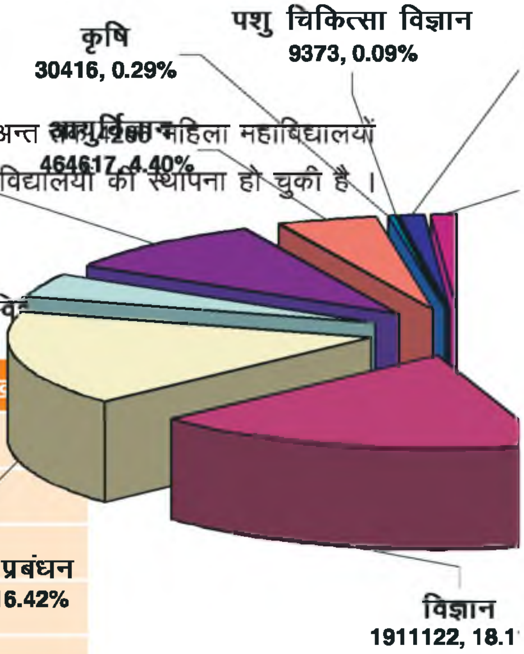

तालिका 2.7 : वर्ष 1997–1998 से वर्ष 2013–2014 तक महिला महावि

वर्ष	महिला महाविद्यालयों की संख
1997-1998	1260
1998-1999	1359
1999-2000	1503
2000-2001	1578
2001-2002	1756
2002-2003	1824
2003-2004	1871

वर्ष	महिला महाविद्यालयों की संख्या
2004-2005	1977
2005-2006	2071
2006-2007	2208
2007-2008	2360
2008-2009	2565
2009-2010	3612
2010-2011	3982
2011-2012 *	4266
2012-2013*	4386
2013-2014*	4506

* अनन्तिम आंकड़े और इनमें महिलाओं के लिए नर्सिंग महाविद्यालय सम्मिलित हैं।

2.8 उच्चतर शिक्षा में वृद्धि के संबंध में संक्षिप्त आंकड़े

वर्ष 1950–51 से लेकर वर्ष 2013–14 तक उपाधि प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/संस्थानों के संबंध में 23.4 गुना वृद्धि तथा महाविद्यालयों की संख्या में 57 गुना वृद्धि और छात्र नामांकन में 60 गुना तथा शिक्षकों की संख्या में 43.7 गुना वृद्धि दर्ज की गई है।

रेखाचित्र 2.8: वर्ष 1950–51 से 2013–2014 के दौरान विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/छात्र नामांकन/ शिक्षण कर्मचारिवृंदों के संदर्भ में उच्चतर शिक्षा में वृद्धि

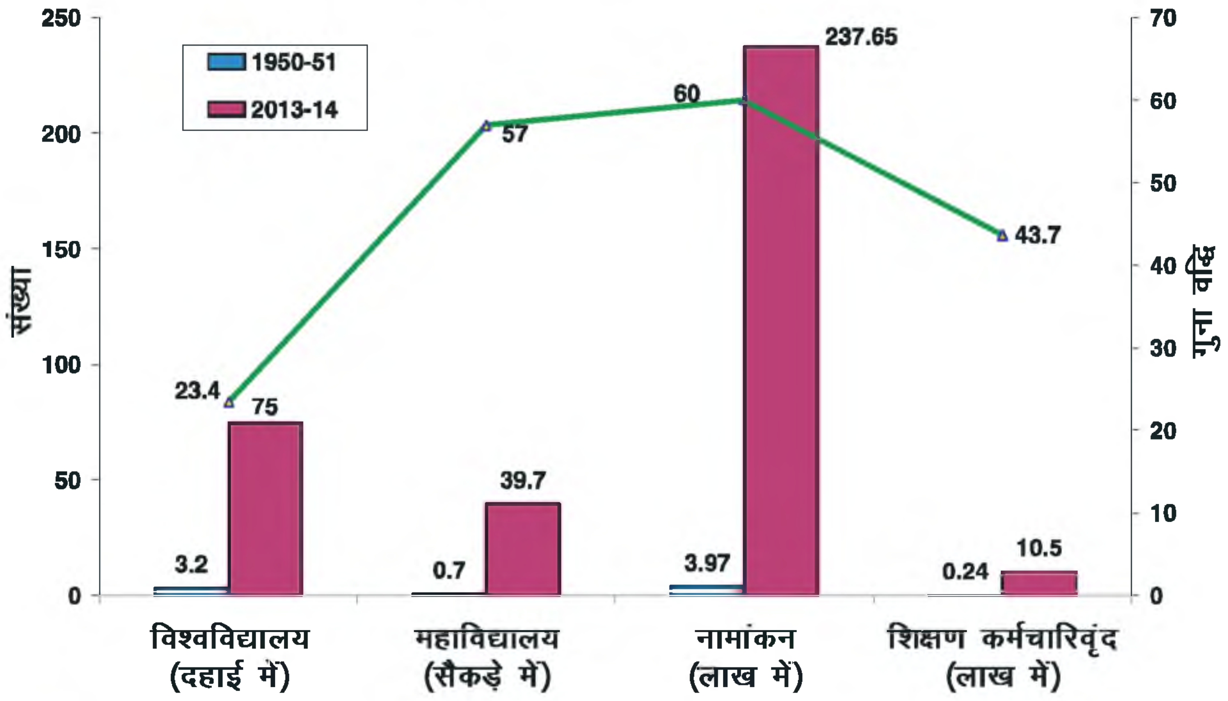

3 विश्वविद्यालय को विकास (योजनागत) और अनुरक्षण (गैर–योजनागत) सहायता

3.1 विश्वविद्यालयों को सहायता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत केन्द्रीय और सम विश्वविद्यालयों को योजनागत (विकास) और गैर–योजनागत (अनुरक्षण) दोनों अनुदान प्रदान करता रहा है, जबकि राज्य विश्वविद्यालयों के लिए सहायता केवल योजनागत (विकास) स्कीम/कार्यक्रमों के अन्तर्गत ही उपलब्ध कराई जा रही है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालयों को निर्धारित परिव्यय के आधार पर विश्वविद्यालयों हेतु सामान्य योजना विकास अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है और इस संबंध में विश्वविद्यालयों को संसूचित किया जाता है। यह परिव्यय 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2017 तक की अवधि के लिए चालू रहेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पहुँच बढ़ाने, समानता सुनिश्चित करने, संगत शिक्षा प्रदान करने, गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता में सुधार करने, अपने विश्वविद्यालय के प्रशासन को और अधिक प्रभावशाली बनाने, अधिकाधिक संकाय सुधार कार्यक्रम चलाने, छात्रों के लिए सुविधाएं बढ़ाने, शोध सुविधाओं में वृद्धि करने सहित पहलुओं को सम्मिलित करते हुए सामान्य योजना विकास सहायता के अंतर्गत प्रत्येक पात्र विश्वविद्यालय के समग्र विकास के लिए सहायता देता है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, इन उद्धेश्यों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालयों की अवसंरचना, स्टॉफ, उपस्कर पुस्तकों और जर्नलों, पुस्तकालयों आदि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सामान्य योजनागत विकास अनुदान के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।

3.1(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि0अ0आ0) विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास अनुदान योजना सहित, विकास (योजनागत) और अनुरक्षण (गैर–योजनागत) दोनों ही प्रकार की सहायता उपलब्ध कराता है।

वर्तमान में ऐसे 45 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं जिनमें से 6 विश्वविद्यालय नामतः (i) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, (iii) इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई (iv) दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (v) नालन्दा विश्वविद्यालय, बिहार, और (vi) राजीव गांधी नेशनल एवियेशन यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित नहीं किया जाता है। इस प्रकार 39 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को योजनागत (विकास अनुदान) तथा वि.अ.आ. की अन्य विशिष्ट योजना के तहत अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। 3 नये परिवर्तित एवं एक चिकित्सा महाविद्यालय सहित 24 पुराने केन्द्रीय विश्वविद्यालय, वि.अ.आ. से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के नाम की सूची नीचे दी गई है :–

क्र.सं.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय का नाम
	अरुणाचल प्रदेश
1.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स, पीओ दोईमुख, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश–791112

क्र.सं.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय का नाम
	असम
2.	असम विश्वविद्यालय, पी0ओ0 असम, विश्वविद्यालय, सिल्चर–788001
3.	तेजपुर विश्वविद्यालय, जिला सोनीतपुर, पो0 बा0 न0 72, नाप्पम, तेजपुर, असम–784001
	तेलंगाना
4.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश–500046
5.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, गाचीबौली, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश–500032
6.	द इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, ओ0यू0 कैम्पस, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश –500007
	दिल्ली
7	जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर, नई दिल्ली–110025
8	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली–110007
9	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली–110067
10	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
11	साउथ एशियन यूनीवर्सिटी, नई दिल्ली
	मध्य प्रदेश
12	द इंदिरा गांधी नेशनल ट्राईबल यूनीवर्सिटी, माकाल सादन, अमरकंटक, मध्य प्रदेश
	महाराष्ट्र
13	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, पो0बा0न0 16,पंचटीला, उमरी ग्राम, अरवी रोड, वर्धा, मुंबई–442001
	मिजोरम
14	मिजोरम विश्वविद्यालय, पो0बा0न0 910, आईजवाल, मिजोरम–796009
	मेघालय
15	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, नेहू कैम्पस, शिलांग, मेधालय–793022
	मणिपुर
16	मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुरम, इम्फाल, मणिपुर–795003
17	केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर
	नागालैंड
18	नागालैंड विश्वविद्यालय, कैम्पस कोहिमा, मुख्यालय लुमनी, नागालैंड–797001
	पुदुचेरी
19	पुदुचेरी विश्वविद्यालय, आर0 वेंकटरमन नगर, कालापेट, पुदुचेरी, पुदुचेरी–605014
	सिक्किम
20	सिक्किम विश्वविद्यालय, छठा माईल, सामदूर, पी0ओ0 तडोंग गंगटोक,सिक्किम–737102
	त्रिपुरा
21	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा–799130, अगरत्तला

क्र.सं.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय का नाम
	तमिलनाडु
22	इंडियन मैरीटाइम विश्वविद्यालय, चेन्नई
	उत्तर प्रदेश
23	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश–202002
24	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, विद्या विहार, राय बरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226025
25	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश–221005
26	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश–211002
27	राजीव गांधी नेशनल एवीयेशन यूनीवर्सिटी, फुर्सतगंज, उत्तर प्रदेश
	पश्चिम बंगाल
28	विश्व भारती, शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल–731235
	नए केंद्रीय विश्वविद्यालय
	उत्तराखंड
29	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर,गढवाल–246174
	तमिलनाडु
30	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय,नीलाकुड़ी कैम्पस,कंगालनचेरी(पोस्ट) तिरुवरूर,–610001
	राजस्थान
31	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, 8, बंडार सिन्दरी, जिला अजमेर–305801, राजस्थान
	पंजाब
32	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय,मनसा रोड, भटिंडा–151001
	ओडीशा
33	ओडीशा केंद्रीय विश्वविद्यालय, लांडीगुडे, कोरापुट, ओडीशा–764020
	मध्य प्रदेश
34	डा0 हरि सिंह गौड विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश –470003
	केरल
35	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, बीकेएम टावर, नयनमाड मूला, विद्यानगर, पी0ओ0, कासरगोड–671123
	कर्नाटक
36	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, कादागान्ची, अलान्ड रोड, अलान्ड तालुक, गुलबर्गा (जिला)–585311, कर्नाटक
	झारखंड
37	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रातु लोहाडगे रोड, ब्राम्बे, रांची–834205, झारखण्ड
	जम्मू और कश्मीर
38	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ट्रांजिट कैम्प, सोनवार, जी0बी0 पन्त अस्पताल के समीप, श्रीनगर–190005 (जम्मू और कश्मीर)

क्र.सं.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय का नाम
39	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय,8/8 त्रिकुटा नगर, जम्मू–180012
	हिमाचल प्रदेश
40	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, पी0ओ0 बाक्स न0 21, धर्मशाला, जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश–176215
	हरियाणा
41	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, ग्राम जन्त–पाली, जिला–महेंद्रगढ़–123029, हरियाणा
	छत्तीसगढ़
42	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, मुख्य कैम्पस, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़–495009
	बिहार
43	बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, बीआईटी कैम्पस, पीओ–बी0वी0 महाविद्यालय, पटना–800014
44	नालन्दा विश्वविद्यालय, राजगीर,जिला–नालन्दा–803116, बिहार
	गुजरात
45	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेक्टर–30, गांधीनगर –382030, गुजरात

योजनागत अनुदान

1. सामान्य विकास अनुदान

चिकित्सा महाविद्यालयों एवं इनसे जुड़े अस्पतालों सहित 39 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को विकास हेतु योजनागत अनुदान दिया गया है। विकास सहायता का उद्धेश्य न केवल विश्वविद्यालय की विद्यमान आधारभूत संरचना में सुधार करना और उसका समेकन करना है बल्कि कतिपय अभिज्ञात क्षेत्रों में उत्कृष्टता विकसित करना भी है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजनागत ब्लॉक अनुदान के रूप में विश्वविद्यालय को सामान्य विकास सहायता मुहैया करवाई जायेगी। विश्वविद्यालय के लिए भवन के निर्माण/नवीकरण के लिए (जिसमें विरासत भवन का नवीकरण शामिल है) कैम्पस विकास, कर्मचारिवृंद पुस्तकें एवं जर्नल, प्रयोगशाला, उपस्कर तथा अवसरंचना, वार्षिक अनुरक्षण संविदा, नवोन्मेषी शोध क्रियाकलाप, विश्वविद्यालय उद्योग संबंध, विस्तार क्रियाकलाप, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, आईसीटी का विकास, स्वास्थ्य परिचर्या, छात्रावास, सहित छात्रों को सुविधाएं, छात्रों को गैर–एनईटी अध्येतावृत्ति, यात्रा अनुदान, सम्मेलन/संगोष्ठी/परिसंवाद/कार्यशाला, प्रकाशन अनुदान, अभ्यागत आचार्य/अभ्यागत अध्येता की नियुक्ति तथा कैरियर एवं परामर्शदाता प्रकोष्ठ की स्थापना, दिवसीय देखभाल केन्द्र, महिलाओं के लिये मूलभूत सुविधाएं तथा संकाय विकास कार्यक्रम आदि के लिये होगी।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आमेलित योजनाओं की संकल्पना को समाप्त कर दिया गया है तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आमेलित योजनाओं के तहत कोई पृथक अनुदान उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा।

निम्नवत योजनाएं जो पूर्व में आमेलित योजना का भाग थीं उसे अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक समर्पित प्रकोष्ठ द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा तथा इन योजनाओं के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पृथक अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा।

(i) समान अवसर प्रकोष्ठ।

(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु उपचारी अनुशिक्षण।

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिये अनुशिक्षण।

(iv) सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु अनुशिक्षण कक्षाएं।

(v) निशक्त व्यक्तियों हेतु योजना।

सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ तथा महिलाओं के लिये छात्रावास योजना की एक स्वतंत्र योजना के रूप में लागू किया जा रहा हैं।

एनकोर नामक एक योजना जिसे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ किया गया था अब यह बारहवीं पंचवर्षीय योजना सामान्य विकास सहायता योजना का भाग होगी। इस योजना के लिए कोई पृथक वित्तपोषण उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नवत हेतु भी निधियां उपलब्ध करवाई हैं:–

सच्चर समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

न्यायमूर्ति सच्चर समिति रिपोर्ट में शिक्षा क्षेत्र के संबंध में अनेक सिफारिशें की हैं। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर कार्य योजना तैयार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा श्री मो0 ए.ए. फातमी, राज्य मत्री, विद्यालय शिक्षा और साक्षरता, की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। माननीय मानव संसाधन मंत्री ने फातमी समिति की रिपोर्ट उसमें अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु स्वीकार कर ली हैं।

फातमी समिति ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों नामतः अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के बारे कतिपय विशिष्ट सिफारिशें की हैं।

वर्ष 2013–14 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सच्चर समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए **20.00 करोड़ रुपये** राशि जारी की हैं।

अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं हेतु आवासीय अनुशिक्षण अकादमियों की स्थापना

विश्वविद्यालय उपचारी अनुशिक्षण एवं सेवाओं में प्रवेश की योजनाओं के वांछित प्रभाव प्राप्त नहीं हुए है इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, जामिया हमदर्द, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ और जामिया मिलिया इस्लामिया में अल्पसंख्यकों/अनु.जा./अनु.ज.जा. और महिलाओं के लिए आवासीय अनुशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई थी।

अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं हेतु आवासीय अनुशिक्षण अकादमी का उद्धेश्य समान उन्नति के लिए समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना है, जिससे अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सकारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित हो सके तथा निःशुल्क/नाममात्र शुल्क/बिना शिक्षण शुल्क पर छात्रावास की सुविधा प्रदान कर केन्द्र/ राज्य सरकार, निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रवेश के लिए तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए उपर्युक्त श्रेणी के उम्मीदवारों को निःशुल्क शिक्षण की सुविधा प्रदान की जा सके।

इस योजना के तहत आवासीय अनुशिक्षण अकादमी की स्थापना करने के लिए वर्ष 2013–14 के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता निम्नवत् हैः–

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	कुल आबंटन	पहले जारी किया गया अनुदान	वर्ष 2013–14 के दौरान जारी किया गया अनुदान
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	1328.78	664.39	0.00
2.	जामिया मिलिया इस्लामिया	1500.00	750.00	650.00
3.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	828.78	414.39	369.39
4.	डॉ. बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय	1078.78	995.28	0.00
5.	जामिया हमदर्द	1395.38	1385.38	0.00
	कुल	**6131.72**	**4209.44**	**1019.39**

अध्यक्षपीठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्वीकृत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यक्षपीठों की स्थापना की स्थिति

क्र.सं.	अध्यक्षपीठ का नाम	विश्वविद्यालय का नाम
1.	राजीव गांधी अध्यक्षपीठ	नार्थ ईस्ट्रन हिल यूनीवर्सिटी
		दिल्ली विश्वविद्यालय
		इलाहाबाद विश्वविद्यालय
2.	मोती लाल नेहरू अध्यक्षपीठ,	इलाहाबाद विश्वविद्यालय
3.	बाबा सतगुरू रामसिंह अध्यक्षपीठ	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय
4.	बैरिस्टर एम.के. नांबियार अध्यक्षपीठ	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय
5.	पंडित मदनमोहन मालवीय अध्यक्षपीठ	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
6.	जनजातीय अध्ययन हेतु अध्यक्षपीठ	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
		हैदराबाद विश्वविद्यालय
		नार्थ ईस्ट्रन हिल यूनीवर्सिटी
		ओडीशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय
		हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
7.	बाबू जगजीवन राम अध्यक्षपीठ	झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय
		बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
8.	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के सम्मान में शांति अध्ययन तथा विवाद प्रबंधन अध्यक्षपीठ	हैदराबाद विश्वविद्यालय
9.	शंकरादेव अध्यक्षपीठ	तेजपुर विश्वविद्यालय
10.	मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्षपीठ	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय
		जामिया मिलिया इस्लामिया

क्र.सं.	अध्यक्षपीठ का नाम	विश्वविद्यालय का नाम
11.	श्री लाल बहादुर शास्त्री अध्यक्षपीठ	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
		दिल्ली विश्वविद्यालय
12.	असमिया अध्यक्षपीठ	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

वर्ष 2013–14 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, नार्थ ईस्ट्रन हिल यूनीवर्सिटी,ओड़ीशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय को जनजातीय अध्ययन हेतु अध्यक्षपीठ की स्थापना हेतु **25.00 लाख रुपये** की प्रारंभिक राशि (सीड मनी) प्रदान की है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ओड़ीशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय को राजीव गांधी अध्यक्षपीठ के नाम से मौजूदा अध्यक्षपीठ के लिए **20.00 लाख रुपये** की राशि जारी की है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कम से कम चार विशिष्ट विज्ञान विषयों के अध्येता शिक्षकों को 15,000 रुपए प्रतिमाह का विशेष मानदेय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन शिक्षकों को 15,000 रुपए प्रतिमाह का विशेष मानदेय प्रदान करने की योजना आरंभ की है जिन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया है अथवा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चिह्नित चार अकादमियों में से कम से कम दो विषयों के अध्येता हों।

1. राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद
2. भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलूरू
3. भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली
4. भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान इंजीनियरिंग अकादमी, नई दिल्ली

कोई शिक्षक केवल एक मानदेय प्राप्त कर सकता है अर्थात् सीएसआईआर से भटनागर अवार्ड प्राप्त कर सकता है अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना का लाभ उठा सकता है।

वर्ष 2013–14 के दौरान योजना के तहत इलाहाबाद विश्वविद्यालय को **7.42** लाख रुपये तथा नार्थ ईस्ट्रन हिल यूनीवर्सिटी को **1.35** लाख रुपये की राशि जारी की गई थी।

उर्दू माध्यम के अध्यापकों के पेशेवर विकास के लिए केन्द्र की स्थापना:

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उर्दू माध्यम के अध्यापकों के पेशेवर विकास हेतु केन्द्र की स्थापना करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया को निधियां उपलब्ध करवा रहा है। इन विश्वविद्यालयों को जारी अनुदान की स्थिति निम्नवत है:

(लाख रुपये में)

विश्वविद्यालय का नाम	आवंटन	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अब तक जारी अनुदान	वर्ष 2013–14 के दौरान जारी अनुदान
मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	400.00	376.00	0.00
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी	400.00	370.00	50.00
जामिया मिलिया इस्लामिया	400.00	200.00	0.00

लाभार्थियों की संख्या (विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के शिक्षकों, महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदि) सहित लक्षित समूह की कवरेज

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या – 39

	कुल	मौजूदा	अ0जा0	अ0ज0जा0	अ0पि0व0	शारीरिक रूप से निशक्त
शिक्षण कर्मचारिवृंदो की संख्या (31.03.2014 की स्थिति के अनुसार)	16692	10441	877	379	724	99
शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदो की संख्या (31.03.2014 की स्थिति के अनुसार)	33803	24082	2662	1444	2030	181
छात्र नामांकन (31.03.2014 की स्थिति के अनुसार)	205822	83395	25325	21176	50687	2100

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012–17) के दौरान प्रदत्त अनुदान

वर्ष 2013–14 के दौरान सामान्य विकास अनुदान के तहत विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को जारी अनुदानों का ब्यौरा निम्नवत है:

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2013–14) (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) के दौरान जारी अनुदान

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	बारहवीं पंचवर्षीय योजना आवंटन	वर्ष 2013–14 के दौरान जारी किया गया अनुदान
	गैर–एन0ई0आर0 केन्द्रीय विश्वविद्यालय		
	तेलंगाना		
1	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	13400.00	4500.00
2	हैदराबाद विश्वविद्यालय	16600.00	3825.00
3	द इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी	16100.00	2000.00
	छत्तीसगढ़		
4	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय	12900.00	2500.00
	दिल्ली		
5क	दिल्ली विश्वविद्यालय	30000.00	10000.00
5ख	यूसीएमएस	12400.00	3400.00
6	जामिया मिलिया इस्लामिया	20600.00	7600.00
7	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	20400.00	4400.00
	मध्य प्रदेश		
8	डा0 हरि सिंह गौड विश्वविद्यालय	12700.00	6972.39

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	बारहवीं पंचवर्षीय योजना आवंटन	वर्ष 2013–14 के दौरान जारी किया गया अनुदान
9	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	28000.00	9000.00
	महाराष्ट्र		
10	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय	7400.00	2000.00
	पुदुचेरी		
11	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	14600.00	4500.00
	उत्तराखंड		
12	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	17600.00	5999.50
	उत्तर प्रदेश		
13	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	16200.00	6000.00
14	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	24900.00	9575.00
15	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	5800.00	1000.00
16	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	13800.00	2500.00
	पश्चिम बंगाल		
17	विश्व भारती	6800.00	3875.00
	कुल(I) (गैर–एन0ई0आर0 केन्द्रीय विश्वविद्यालय)	**290200.00**	**89646.89**
	नए केंद्रीय विश्वविद्यालय		
	बिहार		
18	बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय	27975.00	8218.00
	गुजरात		
19	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय	23775.00	3046.47
	हरियाणा		
20	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय	31050.00	11000.00
	हिमाचल प्रदेश		
21	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय	27200.00	0.00
	जम्मू और कश्मीर		
22	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय	38850.00	7500.00
23	कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय	38475.00	2500.00
	झारखंड		
24	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय	29850.00	7925.00
	कर्नाटक		
25	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय	28225.00	0.00
	केरल		
26	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय	35725.00	3625.00

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	बारहवीं पंचवर्षीय योजना आवंटन	वर्ष 2013–14 के दौरान जारी किया गया अनुदान
	ओडीशा		
27	ओडीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय, ओडीशा	31900.00	0.00
	पंजाब		
28	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय	33350.00	5489.00
	राजस्थान		
29	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय	30775.00	11500.00
	तमिलनाडु		
30	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय	30050.00	6000.00
	कुल -II (नये के0वि0वि0)	**407200.00**	**66803.47**
	कुल (I + II)	**697400.00**	**156450.36**
	एन0ई0आर0 केन्द्रीय विश्वविद्यालय		
	असम		
31	असम विश्वविद्यालय	8400.00	500.75
32	तेजपुर विश्वविद्यालय	11100.00	3191.25
	अरुणाचल प्रदेश		
33	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	5700.00	1993.75
	मणिपुर		
34	मणिपुर विश्वविद्यालय	10700.00	2000.00
	मेघालय		
35	नार्थ ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय	13400.00	3500.00
	मिजोरम		
36	मिजोरम विश्वविद्यालय	18000.00	2100.00
	नागालैंड		
37	नागालैंड विश्वविद्यालय	8800.00	1689.25
	सिक्किम		
38	सिक्किम विश्वविद्यालय	30000.00	4000.00
	त्रिपुरा		
39	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	10600.00	3000.00
	कुल (III) (एनईआर)	**116700.00**	**21975.00**
	कुलयोग(I+II+III)	**814100.00**	**178425.36**

गैर–योजनागत अनुदान

II. गैर–योजनागत (अनुरक्षण अनुदान)

शिक्षण तथा शिक्षेणत्तर कर्मचारिवृंदों के वेतन पर होने वाले आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु तथा प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, भवनों के रखरखाव तथा बाध्यकारी भुगतानों जैसे करों, टेलीफोन, डाक, विद्युत बिलों आदि के भुगतान हेतु केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण (गैर–योजनागत) सहायता प्रदान करता हैं।

वर्ष 2013–14 के दौरान, 24 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और 'यूनीवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडीकल सांईसेज' के अनुरक्षण व्यय का भुगतान करने के लिए **337689.65** लाख रूपये का गैर–योजनागत अनुदान जारी किया गया। अन्य विश्वविद्यालय नये स्थापित विश्वविद्यालय हैं तथा वे योजनागत अनुदान से अपने आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की पूर्ति कर रहे हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को जारी किये गये अनुदान का ब्यौरा निम्नवत हैं:

वर्ष 2013–14 के दौरान (बारहवीं पंचवर्षीय योजना) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को प्रदत्त गैर–योजनागत अनुदान का विवरण

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	जारी की गई राशि
	गैर–एन0ई0आर0 विश्वविद्यालय	
	तेलंगाना	
1	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	2784.56
2	हैदराबाद विश्वविद्यालय	14505.47
3	द इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी,	4059.05
	छत्तीसगढ़	
4	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय	3040.62
	दिल्ली	
5	दिल्ली विश्वविद्यालय	42997.05
6	यूसीएमएस	8065.30
7	जामिया मिलिया इस्लामिया	18764.01
8	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	19660.91
	मध्य प्रदेश	
9	डा0 हरि सिंह गौड विश्वविद्यालय,	8507.84
	महाराष्ट्र	
10	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,	1662.56
	पुदुचेरी	
11	पुदुचेरी विश्वविद्यालय,	7526.11
	उत्तराखंड	
12	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	6264.51

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	जारी की गई राशि
	उत्तर प्रदेश	
13	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	61371.91
14	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	62599.15
15	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	1854.56
16	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	18268.06
	पश्चिम बंगाल	
17	विश्व भारती	16571.68
	कुल गैर–एन0ई0आर0 केन्द्रीय विश्वविद्यालय	**298503.35**
	एनईआर केंद्रीय विश्वविद्यालय	
	असम	
18	असम विश्वविद्यालय,	4800.18
19	तेजपुर विश्वविद्यालय	3172.38
	अरुणाचल प्रदेश	
20	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	2238.02
	मणिपुर	
21	मणिपुर विश्वविद्यालय	6891.69
	मेघालय	
22	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	10432.70
	मिजोरम	
23	मिजोरम विश्वविद्यालय,	4187.82
	नागालैंड	
24	नागालैंड विश्वविद्यालय,	5010.09
	त्रिपुरा	
25	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	2453.42
	कुल एनईआर केंद्रीय विश्वविद्यालय	**39186.30**
	कुल योग (गैर–एनईआर केंद्रीय विश्वविद्यालय+एनईआर केंद्रीय विश्वविद्यालय)	**337689.65**

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान पुरानी योजनाओं का विलोपन तथा नई योजना/कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जाना, यदि कोई हो तो

मेटा विश्वविद्यालय संकल्पना

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मेटा विश्वविद्यालय की संकल्पना आरंभ की : मेटा विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध नवीनतम प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके विभिन्न विश्वविद्यालय द्वारा ज्ञान अर्जन संसाधनों

की सहभागिता करना है ताकि छात्र विभिन्न संस्थानों में उपलब्ध ज्ञान अर्जन संसाधनों से लाभान्वित हो सकें। मेटा विश्वविद्यालय द्वितीय पीढ़ी के विश्वविद्यालय का द्योतक है जोकि भौतिक सीमांकन स्थितियों से मुक्त है तथा जो ऐसे क्षेत्रों में नवोन्मेष तथा उपलब्ध लचीलेपन का लाभ उठाकर आभासी स्थान में चल सके।

दिल्ली विश्वविद्यालय तथा जामिया मिलिया इस्लामिया ने मेटा विश्वविद्यालय संकल्पना पर आधारित "मास्टर ऑफ मैथमेटिकल एजुकेशन 2012–13" में एक पाठ्यक्रम आरंभ किया है। वर्ष 2013–14 के दौरान योजना के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय को 66.66 लाख रुपये तथा जामिया मिलिया इस्लामिया को 59.50 लाख रुपये की राशि जारी की।

बाह्य स्रोतों से वित्तपोषण की व्यवस्था करना

उच्चतर शिक्षा को सहायता प्रदान करने, अपनी परम्परा को पुनर्जीवित करने तथा विश्वविद्यालय के विकास में समाज की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान "बाह्य संसाधन जुटाने हेतु प्रोत्साहन" नामक एक योजना आरंभ की थी। योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसी एक विशिष्ट वर्ष में विश्वविद्यालय को प्राप्त योगदान के 25 प्रतिशत तक होगा जोकि अधिकतम 50.00 लाख रुपए प्रतिवर्ष होगा।

ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना से लाभान्वित हुए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का ब्यौरा निम्नवत है:–

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	राशि (लाख रुपए में)		
		ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	बारहवीं पंचवर्षीय योजना	कुल
1.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	225.00	50.00	275.00
2.	जामिया विश्वविद्यालय	19.43	0.00	19.43
3.	जवाहरलाल नेहरू	300.00	0.00	300.00

अवसरंचनात्मक विकास हेतु अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, प्रत्येक को एकमुश्त अतिरिक्त अनुदान के रूप में 100 करोड़ रुपए की राशि

भारत सरकार ने एएमयू तथा बीएचयू, प्रत्येक को आवर्ती और साथ–साथ अनावर्ती अनुदान शीर्षक के तहत उनके चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधियां आवंटित की। योजना के तहत वर्ष 2013–14 के दौरान एएमयू और बीएचयू, प्रत्येक को 50 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

दाखिले में अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने हेतु क्षमता विस्तार

केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के तहत अधिनियम के अंतर्गत छूट प्राप्त संस्थानों के अलावा केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित अनुरक्षित अथवा सहायता प्राप्त केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों (सीईआई) में अनुसूचित जाति के लिये 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों (असम्पन्न वर्ग के अलावा) हेतु अध्ययन की प्रत्येक शाखा अथवा संकाय में अनुमेय वार्षिक संख्या का 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना परिकल्पित है जिसके माध्यम से शिक्षा सत्र 2006–07 के लिए अनुमेय वार्षिक क्षमता को शिक्षा सत्र 2008–09 से आरंभ कर अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के दौरान 54 प्रतिशत तक बढ़ाना अपेक्षित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अ.पि.व., अ.जा. तथा अ.ज.जा. को प्रत्येक शिक्षा सत्र में उपलब्ध अनारक्षित सीटों की संख्या उस सत्र के लिए अनुमेय क्षमता में वृद्धि के अनुरूप हो।

वर्ष 2013–14 के दौरान अ.पि.व. आरक्षण के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 247.47 करोड़ रुपए का अनुदान (दिल्ली विश्वविद्यालय को 215 करोड़ रुपए, यूसीएमएस को 12.50 करोड़ रुपए तथा विश्व भारती को 16.96 करोड़ रुपए) जारी किया गया।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा विद्यालयों को स्थापित करना/सुदृढ़ करना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा अन्य विश्वविद्यालयों से शिक्षा विभाग की स्थापना करने तथा शिक्षकों एवं अध्यापकों हेतु कार्यक्रम आयोजित करने हेतु बल देता आ रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा अध्यापकों की शिक्षा संबंधी न्यायमूर्ति वर्मा आयोग (2012) की रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों के आलोक में भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विश्वविद्यालयी प्रणाली में अध्यापकों की शिक्षा हेतु संस्थागत सहायता को विस्तार देने के लिये साथ ही उसमें विभिन्न गुणात्मक सुधार लाने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया। ऐसे कदम उठाने की दिशा में एक ऐसा पहलू देश में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा विद्यालय की स्थापना करना था। इस उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को उनके भीतर एक शिक्षा विद्यालय स्थापित करने तथा सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा के अलावा अध्यापकों की शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्रियाकलाप आरंभ करने के लिये पत्र व्यवहार किया। इनमें पाठ्यचर्या शोध, नीतिगत तथा शैक्षणिक विकास,अधिगम तथा शिक्षाशास्त्रीय अध्ययन, निर्धारण तथा मूल्यांकन, अध्यापकों को शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों का पेशेवर विकास करना शामिल है। एक संबंधित मुद्दा जिस पर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से कार्य करने का अनुरोध किया गया था वह अध्यापक शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे (एनसीएफटीई), 2009 की सिफारिशों के आलोक में विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या में सुधार करने से संबंधित था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 19 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापक शिक्षा के विस्तार तथा उसे सुदृढ़ करने के लिए निधियां संस्वीकृत की जिसके तहत बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर पदों के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था तथा इन विश्वविद्यालयों को 110.00 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत की गई थी, जिसमें से वर्ष 2013–14 के दौरान 35.00 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या में सुधार हेतु कदमों को भी बल प्रदान करते हुए शैक्षणिक स्टॉफ कालेजों से अध्यापक शिक्षकों को पुनश्चर्या तथा अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया ताकि अध्यापक शिक्षा विभागों में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जा सके तथा समेकित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाये जा सकें।

उपरोक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्तमान में 36 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा विद्यालय/विभाग हैं, जो विभिन्न सेवा–पूर्व तथा अन्य अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश करते हैं तथा उन्होंने अध्यापक शिक्षा के अन्य संबंधित कार्यक्रमों को उपलब्ध कराने के प्रयासों को तीव्र कर दिया है।

तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से एनसीटीई मानदण्डों के अनुसार सांविधिक निकायों से अनुमति प्राप्त कर शिक्षा सत्र 2013–14 से शिक्षा विद्यालय स्थापित कर शैक्षणिक क्रियाकलाप आरंभ करने की अनुमति प्रदान की है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2013–14 के दौरान शिक्षा विद्यालय की स्थापना करने के लिये निम्नवत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को निधियां जारी कीः–

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	विश्वविद्यालय को जारी की गई निधियां
1.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	500.00
2.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	500.00
3.	बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय	500.00
4.	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय	500.00
5.	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय	500.00
6.	ओडीशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	500.00
7.	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय	500.00
	कुल	**3500.00**

केन्द्रीय विश्वविद्यालय को एकमुश्त अतिरिक्त अनुदान

वर्ष 2013–14 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एबीके उच्च विद्यालय हेतु अलीगढ़ मस्लिम विश्वविद्यालय को 482.14 लाख रुपए का अतिरिक्त अनुदान जारी किया तथा बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय को अवसंरचनात्मक विकास हेतु 2690.00 लाख रुपए की राशि जारी की।

लुप्तप्राय भाषाओं हेतु केन्द्रों की स्थापना

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लुप्तप्राय भाषाओं के परिरक्षण तथा उनके संवर्धन हेतु केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में स्वदेशी भाषाओं हेतु केन्द्रों की स्थापना आरंभ करने का निर्णय लिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने योजना हेतु रिपोर्ट तैयार करने तथा दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिये एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। आयोग ने दिनांक 17.12.2012 को आयोजित बैठक में उक्त योजना की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को अनुमोदित कर दिया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नवत 9 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में लुप्तप्राय भाषाओं हेतु केन्द्रों की स्थापना हेतु अनुमोदन प्रदान किया है:—

1. तेजपुर विश्वविद्यालय, असम
2. राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरूणाचल प्रदेश
3. सिक्किम विश्वविद्यालय, सिक्किम
4. इंदिरा गांधी नेशनल ट्रॉइबल विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश
5. झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, झारखण्ड
6. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़
7. कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कर्नाटक
8. केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केरल
9. विश्व भारती, पश्चिम बंगाल

एनएएसी द्वारा प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय का अनिवार्य प्रत्यायन

उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शी तथा संसूचित बाह्य समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से मूल्यांकन तथा प्रत्यायन, गुणवत्ता आश्वासन की प्रभावी पद्धतियां हैं जिससे छात्रों तथा अन्य को सामान्य संदर्भ ढांचा उपलब्ध कराया जा सकता है तथा सभी संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता पर विश्वसनीय जानकारी प्राप्त की जा सकती है जिससे घरेलू के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में छात्रों के स्थानांतरण में सहायता प्राप्त हो सकेगी।

किसी संस्थान में शिक्षा कार्यक्रमों के प्रारंभ होने से पूर्व मूल्यांकन आरंभ किया जाता है। संस्थान द्वारा उसकी मौजूदगी के कतिपय वर्ष (6 वर्ष) पूर्ण होने पर/विनिर्दिष्ट संख्या में बैच (दो बैच) उत्तीर्ण होने पर, इनमें से जो भी पहले हो, के पश्चात् प्रत्यायन आरंभ किया जाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि कोई भी उच्चतर शिक्षा संस्थान अथवा संकाय, विद्यालय, विभाग, केन्द्र अथवा इसके अंतर्गत कोई इकाई चाहे जिस नाम से इसे जाना जाये,**वह 1 जून, 2014 को अथवा इससे पूर्व बिना निर्धारण तथा मूल्यांकन की प्रक्रिया से गुजरे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 1 अप्रैल, 2015 तथा इसके पश्चात् इसकी किसी भी योजना के लिये वित्तीय सहायता हेतु आवेदन करने अथवा प्राप्त करने के लिये पात्र नहीं होगा।**

39 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से **8 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों** ने एनएएसी प्रत्यायन प्राप्त किया है। **10 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों** ने पूर्व में प्रत्यायन प्राप्त कर लिया था परंतु उनकी प्रत्यायन अवधि समाप्त हो गई है तथा 10 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से **8 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों** (शेष 2 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अर्थात् हेमवन्ती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा पुनर्प्रत्यायन हेतु आवेदन करना शेष है) ने पुनर्प्रत्यायन हेतु आवेदन किया है। अब तक **एक पात्र केन्द्रीय विश्वविद्यालय (आईजीएनटीयू)** ने एनएएसी हेतु आवेदन नहीं किया है। **11 विश्वविद्यालय** एनएएसी प्रत्यायन हेतु पात्र नहीं **हैं। 9 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों** ने पहली बार प्रत्यायन हेतु आवेदन किया है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का एकल अधिनियम

भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों सहित केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता पर माधव मेनन समिति की सिफारिशों के मद्देनजर सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के प्रशासन हेतु एक मसौदा विधेयक तैयार करने के लिये एक समिति का गठन किया। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि सक्षमकारी उपबंधों के माध्यम से प्रत्येक विश्वविद्यालय की विशिष्टता तथा विविधता की रक्षा की जाए। समिति ने दिसम्बर, 2013 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की रिपोर्ट भारत सरकार के विचाराधीन है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का सम्मेलन

दिनांक 19 जुलाई, 2013 को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री के साथ विज्ञान भवन में सम्मेलन आयोजित हुआ। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर एक विस्तृत चर्चा हुई तथा इसका उद्देश्य सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में सुधार करने की दिशा में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की भूमिका, विद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों, दोनों में सेवापूर्व तथा सेवारत शिक्षकों की क्षमता निर्माण की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए शिक्षा विद्यालय की स्थापना करना, केन्द्रीय विश्वविद्यालय में संकाय की कमी तथा शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर पदों के संबंध में बैकलॉग रिक्तियों को भरना, उच्च शैक्षणिक मानकों का अनुरक्षण करने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का प्रत्यायन, दाखिले में आरक्षण का कार्यान्वयन, उद्योगों के साथ सहयोग से 2–3 कौशल उन्मुखी पाठ्यक्रम आरंभ करना, अतिरिक्त संसाधन जुटाना, उद्योगों हेतु शोध वित्तपोषण, तथा शुल्क का यौक्तिकरण, गृह मानदण्डों का पालन, शिकायत निवारण प्रणाली, प्रेरक शिक्षक/नवोन्मेषकों के क्लब का गठन, एनएमई–आईसीटी सुविधाओं का उपयोग तथा अधिगम सामग्री के विकास में भागीदारी करना है। 5 फरवरी, 2013 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित सम्मेलन की सिफारिशों पर कृत कार्यवाही रिपोर्ट।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के निम्नवत लक्ष्य हैः–

(i) उच्चतर शिक्षा प्रदान किये जाने की सभी पद्धतियों में विस्तार करना ताकि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया जा सके।

(ii) मौजूदा संस्थानों में नई अतिरिक्त क्षमता का सृजन कर तथा नये संस्थानों की स्थापना कर उच्चतर शिक्षा के संस्थागत आधार में विस्तार करना।

(iii) सामाजिक रूप से वंचित समुदायों को उच्चतर शिक्षा के अवसर प्रदान करना तथा महिलाओं, अल्पसंख्यकों तथा निशक्त व्यक्तियों को इसमें सम्मिलित किये जाने को बढ़ावा देकर असमानता को दूर करना।

(iv) शिक्षा की पहुंच से परे तथा कम शिक्षा की पहुंच वाले क्षेत्रों में संस्थानों की स्थापना कर उच्चतर शिक्षा तक पहुंच में क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करना।

(v) उच्चतर शिक्षा के संस्थानों में अवसंरचनात्मक तथा संकाय विकास हेतु योजनागत सहायता को बढ़ावा देना ताकि शिक्षण और शोध में प्रतिभाओं को आकर्षित किया जा सके।

(vi) विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में उन्नत शोध सुविधाओं के माध्यम से ज्ञान अर्जन की परिस्थितियों का सृजन करना।

(vii) वैश्विक ज्ञान तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों को उन्नत बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विदेशी सरकारों, विश्वविद्यालयों/संस्थानों तथा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना।

(viii) भारतीय भाषाओं के विकास को बढ़ावा देना।

(ix) उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्वायत्तता, नवोन्मेष तथा शैक्षणिक सुधारों को बढ़ावा देना।

(x) उच्चतर शिक्षा में कार्यक्षमता, संगतता तथा सृजनात्मकता में सुधार करने के लिये संस्थागत पुनर्गठन आरंभ करना।

3.1(ख) राज्य विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विनिर्दिष्ट मानकों के ढांचे तथा व्यापक परिव्यय के भीतर ऐसे सभी पात्र राज्य विश्वविद्यालय को सामान्य विकास सहायता मुहैया करवाता हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत मान्यता प्राप्त हैं ताकि ऐसी अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की जा सके, जो सामान्यत उन्हें राज्य सरकार अथवा सहायता प्रदान करने वाले निकायों से प्राप्त नहीं होती है। भवन, कर्मचारिवृंदों, पुस्तकों तथा जर्नलों, उपस्करों एवं अन्य मदों आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

- विश्वविद्यालयों को बारहवीं पंचवर्षीय सामान्य विकास सहायता योजनागत ब्लॉक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में, इसमें भवन का निर्माण, नवीकरण (विरासत भवनों का नवीकरण सहित) कैम्पस विकास, कर्मचारिवृंद, पुस्तकें तथा जर्नल, प्रयोगशाला, उपस्कर तथा अवसंरचना वार्षिक अनुरक्षण संविदा, नवोन्मेष शोध क्रियाकलाप, विश्वविद्यालय–उद्योग संबंध, विस्तार क्रियाकलाप, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, आईसीटी का विकास, स्वास्थ्य परिचर्या, छात्रावास, यात्रा अनुदान, सम्मेलन/संगोष्ठियां/परिसंवाद/कार्यशाला सहित छात्रावास, छात्र सुविधाएं, प्रकाशन अनुदान, अभ्यागत आचार्य, अभ्यागत अध्येता की नियुक्ति

तथा वृत्ति और परामर्श प्रकोष्ठ, दिवसीय देखभाल केन्द्र, महिलाओं के लिये मूलभूत सुविधाएं तथा संकाय विकास कार्यक्रम आदि शामिल होंगे।

- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई आमेलित योजना की संकल्पना को समाप्त कर दिया गया है तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आमेलित योजना के तहत कोई पृथक अनुदान उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई एनकोर योजना अब बारहवीं पंचवर्षीय योजना सामान्य विकास सहायता का भाग होगी। इस योजना के लिए अलग से कोई निधियां प्रदान नहीं की जायेंगी।
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की पूर्ववर्ती योजना अर्थात् मानवाधिकार तथा कर्त्तव्य शिक्षा को भी अब बारहवीं पंचवर्षीय सामान्य विकास सहायता योजना के तहत सम्मिलित किया गया है। इस योजना के लिये अलग से कोई निधियां मुहैया नहीं करवाई जायेंगी।
- आगन्तुक/अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति/मानदेय अब बारहवीं पंचवर्षीय सामान्य विकास सहायता योजना का भाग होंगी।
- विश्वविद्यालयों में राजीव गांधी अध्यक्षपीठ की स्थापना, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालयों में अध्यक्षपीठों की स्थापना के रूप में जारी रहेगी।
- आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की स्थापना तथा महिला छात्रावास के निर्माण की एक स्वतंत्र योजना को सभी राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यान्वित किया जायेगा तथा अब यह आमेलित योजना का भाग नहीं होगी और पृथक योजना के रूप में जारी रहेगी।
- ऐसे शिक्षकों को विशेष मानदेय की योजना जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चिह्नित चार में से कम से कम दो विज्ञान अकादमियों के अध्येता हों, यह योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पृथक योजना के रूप में जारी रहेगी।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्य विश्वविद्यालयों हेतु सामान्य विकास सहायता के तहत एसयू ब्यूरो द्वारा निम्नवत योजनाएं चलाई जा रही हैं

क्र.सं.	मद
1.	भवनों का विनिर्माण और उनका नवीकरण
2.	कैम्पस विकास
3.	कर्मचारिवृंद
4.	पुस्तकें और जर्नल
5.	प्रयोगशाला उपस्कर और अवसंरचना
6.	वार्षिक अनुरक्षण संविदा
7.	नवोन्मेष शोध क्रियाकलाप
8.	विश्वविद्यालय उद्योग संपर्क
9.	विस्तार क्रियाकलाप
10.	सांस्कृतिक क्रियाकलाप
11.	आईसीटी का विकास
12.	स्वास्थ्य परिचर्या

क्र.सं.	मद
13.	छात्रावास सहित छात्र सुविधाएं
14.	यात्रा अनुदान
15.	सम्मेलन/संगोष्ठी/परिसंवाद/कार्यशाला
16.	प्रकाशन अनुदान
17.	अभ्यागत आचार्य/अभ्यागत अध्येता की नियुक्ति
18.	वृत्ति तथा परामर्श सेवा प्रकोष्ठ की स्थापना
19.	दिवसीय देखभाल केन्द्र
20.	महिलाओं हेतु मूलभूत सुविधाएं
21.	संकाय विकास कार्यक्रम
22.	एनकोर
23.	मानवाधिकार और कर्त्तव्यों के संबंध में शिक्षा
24.	अंशकालिक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति/मानदेय
25.	छात्रों को गैर–नेट अध्येतावृत्ति

- यहां यह भी उल्लेख किया जाता है कि निम्नवत योजनाएं जो पूर्व में आमेलित योजना का भाग थी, उन्हें अब इस प्रयोजनार्थ गठित एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रकोष्ठ द्वारा स्वतंत्र रूप से कार्यान्वित किया जायेगा तथा इन योजनाओं के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पृथक अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।
  - (i) समान अवसर प्रकोष्ठ।
  - (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए उपचारी अनुशिक्षण।
  - (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु नेट अनुशिक्षण।
  - (iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु सेवाओं में प्रवेश के लिए अनुशिक्षण कक्षाएं।
  - (v) निशक्त व्यक्तियों के लिए योजनाएं।
- वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान सामान्य विकास सहायता योजना के तहत 156 राज्य विश्वविद्यालयों को 53773.07 लाख रुपए की राशि संस्वीकृत की गई।
- वर्ष 2013–14 के दौरान मैसूर विश्वविद्यालय "उत्कृष्टता के संस्थान" की विशेष योजना के तहत 23,34,00,000/– रुपए की राशि संस्वीकृत की गई।
- सामान्य विकास सहायता योजना (कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर को किये गये आवंटन से पृथक) (जाकुरा कैम्पस) के तहत 12,00,00,000/– रुपए की राशि संस्वीकृत की गई।
- वर्ष 2013–14 के दौरान राजीव गांधी अध्यक्षपीठ की स्थापना हेतु बर्कुतुल्ला विश्वविद्यालय (भोपाल) को 20,00,000/– रुपए तथा शेर–ए–कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को 4,50,000/– रुपए की राशि संस्वीकृत की गई।

तालिका: बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012–14) के दौरान सामान्य विकास सहायता योजना के तहत राज्य विश्वविद्यालयों को आवंटित तथा जारी किया गया अनुदान

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	बारहवीं पंचवर्षीय योजना आवंटन	जारी किया गया कुल अनुदान
	आन्ध्र प्रदेश		
1.	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, नागार्जुन नगर,	1555.00	622.00
2.	आन्ध्रा विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम	1997.00	798.8
3.	द्रविड़यन विश्वविद्यालय, कुप्पम	997.00	398.80
4.	जवाहर लाल नेहरू टैक्नालॉजिकल यूनीवर्सिटी, हैदराबाद	1520.00	608.00
5.	जेएनटी विश्वविद्यालय, काकीनाड़ा	1065.00	426.00
6.	काकतीया विश्वविद्यालय, वारंगल	1479.00	591.60
7.	ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	3195.00	1278.00
8.	पी.एस. तेलुगू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	1062.00	424.80
9.	श्री कृष्णा देवराय विश्वविद्यालय, अनन्तपुर	1259.00	503.60
10.	श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय,तिरूपति	1373.00	549.20
11.	श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, तिरूपति	1852.00	740.80
12.	तेलंगाना विश्वविद्यालय, निजामाबाद (आंध्र प्रदेश)	800.00	320.00
13.	योगी वेमाना विश्वविद्यालय, कदप्पा (आंध्र प्रदेश)	800.00	320.00
14.	नालसार विश्वविद्यालय, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	834.00	333.60
15.	महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय, नलगोण्डा, आंध्र प्रदेश	700.00	280.00
16.	जेएनटी विश्वविद्यालय, अनंतपुर	1010.00	404.00
	असम		
17.	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी	1701.00	680.40
18.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रुगढ़	1571.10	628.40
	बिहार		
19.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	1372.00	548.8
20.	भूपेन्द्र नारायण मण्डल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	1164.00	465.6
21.	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	1103.00	441.2
22.	के.एस.डी. संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा	979.00	391.6
23.	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	1433.00	573.2
24.	मगध विश्वविद्यालय, बोध गया	1432.00	572.8
25.	पटना विश्वविद्यालय, पटना	1253.00	501.2
26.	टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर	1237.00	494.8

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	बारहवीं पंचवर्षीय योजना आवंटन	जारी किया गया कुल अनुदान
27.	वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	970.00	388.00
28.	चाणक्य नेशनल विश्वविद्यालय, पटना (बिहार)	800.00	320.00
	छत्तीसगढ़		
29.	इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़	800.00	320.00
30.	पण्डित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर	1472.00	588.50
31.	एच.एन. लॉ विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)	922.00	368.80
	दिल्ली		
32.	जीजीएस इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली	1128.00	451.20
33.	नेशनल लॉ विश्वविद्यालय, द्वारका (नई दिल्ली)	855.00	342.00
34.	भारत रत्न डॉ बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय,नई दिल्ली	700.00	280.00
35.	इन्द्रप्रस्थ इंस्टिट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,नई दिल्ली	700.00	280.00
36.	दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी,नई दिल्ली	700.00	280.00
	गोवा		
37.	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा	1513.00	605.20
	गुजरात		
38.	महाराजा कृष्णकुमारसिंहजी, भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर	1226.00	490.4
39.	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	1716.00	686.4
40.	एम.एस. बड़ोदा विश्वविद्यालय, वडोढ़रा	2406.00	962.4
41.	नॉर्थ गुजरात विश्वविद्यालय, पाटण	1069.00	427.6
42.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर	1252.00	500.8
43.	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट	1327.00	530.8
44.	साउथ गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत	1567.00	626.8
45.	गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद	857.00	342.8
	हरियाणा		
46.	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, सोनीपत	1347.00	538.8
47.	चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा	1158.00	463.2
48.	दीनबन्धु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, मुरूथल	1038.00	415.2
49.	गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार	1017.00	406.8
50.	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र	1579.00	631.60
51.	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक	1530.00	612.00

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	बारहवीं पंचवर्षीय योजना आवंटन	जारी किया गया कुल अनुदान
52.	वाईएमसीए यूनिविर्सिटी ऑफ सांईस एण्ड टेक्नोलाजी, फरीदाबाद, हरियाणा	700.00	280.00
	हिमाचल प्रदेश		
53.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	1441.00	576.40
	जम्मू और कश्मीर		
54.	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू	1404.00	561.60
55.	कश्मीर विश्वविद्यालय, हजरतबल	1761.00	704.40
56.	श्री माता वैष्णों देवी विश्वविद्यालय, कटरा	1004.00	401.60
57.	बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय, राजौरी (जम्मू और कश्मीर)	800.00	320.00
58.	इस्लामिक यूनीवर्सिटी ऑफ सांईस एण्ड टेक्नोलाजी, फुलवामा, जम्मू और कश्मीर	700.00	280.00
	झारखण्ड		
59.	राँची विश्वविद्यालय, राँची	1203.00	481.20
60.	सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका	1269.00	507.60
61.	विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग	1355.00	542.00
	कर्नाटक		
62.	बंगलूरू विश्वविद्यालय, बंगलूरू	2125.00	850.00
63.	दावनगिरी विश्वविद्यालय	1167.00	466.80
64.	गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा	1333.00	533.20
65.	कन्नड़ विश्वविद्यालय, हम्पी	1019.00	407.60
66.	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़	2437.00	974.80
67.	कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय, बीजापुर	1041.00	416.40
68.	कुवेम्पू विश्वविद्यालय, शंकरघट्टा	1008.00	403.20
69.	मैंगलोर विश्वविद्यालय, मैंगलोर गंगोत्री	1249.00	499.60
70.	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर	2605.00	1042.00
71.	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया विश्वविद्यालय, बंगलूरू (कर्नाटक)	800.00	320.00
72.	तुमकुर विश्वविद्यालय, तुमकुर	700.00	280.00
	केरल		
73.	कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट	1452.00	580.80
74.	कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, कोच्ची	1860.00	744.00
75.	कन्नूर विश्वविद्यालय, मंगत्तूपाराम्बा	1423.00	569.20
76.	केरल विश्वविद्यालय, तिरुवन्नतपुरम	1576.00	630.40

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	बारहवीं पंचवर्षीय योजना आवंटन	जारी किया गया कुल अनुदान
77.	महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम	1387.00	554.80
78.	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कलाडी	800.00	320.00
	मध्य प्रदेश		
79.	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा	1224.00	489.60
80.	बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल	1421.00	568.40
81.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	1389.00	555.60
82.	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	1177.00	470.80
83.	एम.जी. ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट	1032.00	412.80
84.	राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल	1039.00	415.60
85.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	1609.00	643.60
86.	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	1553.00	621.20
87.	नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट विश्वविद्यालय, भोपाल (मध्य प्रदेश)	937.00	374.80
	महाराष्ट्र		
88.	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद	1219.00	487.60
89.	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर टैक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, रायगढ	998.00	399.20
90.	नार्थ महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, जलगाँव	1062.00	424.80
91.	आर.टी.एम. नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर	1759.00	703.60
92.	एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय, मुम्बई	1892.00	756.80
93.	संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती	1399.00	559.60
94.	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर	1511.00	604.40
95.	स्वामी रामानंद तीरथ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, नांदेड़	1225.00	490.00
96.	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई	3331.00	1332.40
97.	पुणे विश्वविद्यालय,पुणे	2684.00	1073.60
98.	कवि कुलगुरू कालीदास संस्कृत विश्वविद्यालय, नागपुर, महाराष्ट्र	700.00	280.00
99.	सोलापुर विश्वविद्यालय,सोलापुर	700.00	280.00
	ओड़ीशा		
100.	बेरहामपुर विश्वविद्यालय, भंजा बिहार	1558.00	623.20
101.	फकीर मोहन विश्वविद्यालय, बालासोर	1000.00	400.00
102.	नार्थ ओड़ीशा विश्वविद्यालय, बारीपेडा	800.00	320.00
103.	रावेनशाह विश्वविद्यालय, कटक	949.00	379.60
104.	सम्भलपुर विश्वविद्यालय, ज्योति विहार	1455.00	582.00

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	बारहवीं पंचवर्षीय योजना आवंटन	जारी किया गया कुल अनुदान
105.	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी	848.00	339.20
106.	उत्कल विश्वविद्यालय, भवनेश्वर	1316.00	526.40
107.	वीएसएस प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बुर्ला, ओड़ीशा	700.00	280.00
108.	नेशनल लॉ यूनीवर्सिटी, कटक, ओड़ीशा	700.00	280.00
	पंजाब		
109.	गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	2631.00	1052.00
110.	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	1574.00	629.60
111.	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला	1571.00	628.40
112.	राजीव गाँधी नेशनल लॉ विश्वविद्यालय पटियाला	800.00	320.00
	राजस्थान		
113.	जे. एन. व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	1720.00	688.00
114.	एम.डी.एस. विश्वविद्यालय, अजमेर	1161.00	464.40
115.	एम.एल. सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	1193.00	477.20
116.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	2611.00	1044.40
117.	नेशनल लॉ विश्वविद्यालय, जोधपुर (राजस्थान)	800.00	320.00
118.	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान	800.00	320.00
	तमिलनाडु		
119.	अलगप्पा विश्वविद्यालय, कराईकुडी	1340.00	536.00
120.	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	2597.00	1038.80
121.	अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर	1940.00	776.00
122.	भरथियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	1494.00	597.60
123.	भारथीदासन विश्वविद्यालय, त्रिचुरापल्ली	1337.00	534.80
124.	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई	2722.00	1088.80
125.	मदुराई कामराज विश्वविद्यालय, मदुराई	2302.00	920.80
126.	मनोनमनीयम सुन्दरनार विश्वविद्यालय, तिरूनेलवेल्ली	1322.00	528.80
127.	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोडईकनाल	1007.00	402.80
128.	पेरियार विश्वविद्यालय, सेलम	1267.00	506.80
129.	तमिल विश्वविद्यालय, थंजावुर	812.00	324.80
130.	दि तमिलनाडु डॉ. अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, चेन्नई (तमिलनाडु)	862.00	344.80
	उत्तर प्रदेश		
131.	बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी	1101.00	440.40

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	बारहवीं पंचवर्षीय योजना आवंटन	जारी किया गया कुल अनुदान
132.	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	1389.00	555.60
133.	सीएसजेएम विश्वविद्यालय, कानपुर	800.00	320.00
134.	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	1341.00	536.40
135.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	1232.00	492.80
136.	डा. आरएमएल अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद	1168.00	467.20
137.	जेआरएच विश्वविद्यालय, चित्रकूट	961.00	384.40
138.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	1577.00	630.80
139.	एमजी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	1022.00	408.80
140.	एमजेपी रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली	932.00	372.80
141.	सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी	853.00	341.20
142.	वीबीएस पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर	1103.00	441.20
143.	डा. आरएमएल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ (उ.प्र.)	800.00	320.00
	उत्तराखण्ड		
144.	कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल	1448.00	579.20
145.	दून विश्वविद्यालय, देरादून, उत्तराखण्ड	800.00	320.00
	पश्चिम बंगाल		
146.	द बंगाल इंजीनियरिंग एण्ड साइंस विश्वविद्यालय, शिवपुर,	1478.00	591.20
147.	वर्द्धमान विश्वविद्यालय, वर्द्धमान	1248.00	499.20
148.	कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता	3126.00	1250.40
149.	जाधवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता	3454.00	1381.60
150.	कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी	1372.00	548.80
151.	नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, दार्जलिंग	1476.00	590.40
152.	रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय, कोलकाता	1200.00	480.00
153.	विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर	1353.00	541.20
154.	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नालाजी, कोलकाता	1038.00	415.20
155.	प्रेजीडेंसी विश्वविद्यालय, कोलकाता	800.00	320.00
156.	द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंस, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	862.00	344.80
	कुल योग	**206995.10**	**82798.00**

समसामयिक अध्ययनों में राजीव गांधी अध्यक्षपीठ की स्थापना

राजीव गांधी अध्यक्षपीठ के तहत विश्वविद्यालयों को जांच समितियों के माध्यम से अथवा आमंत्रण के द्वारा अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्रों मे कार्य करने के लिए एक आचार्य की नियुक्ति करने हेतु निधियां प्रदान की जाती हैं।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना आबंटन के अलावा वर्ष 2013–2014 के दौरान राजीव गांधी अध्यक्षपीठ की स्थापना हेतु बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, (मध्यप्रदेश) हेतु 20,00,000/–रुपये तथा शेर–ए–कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हेतु 4,50,000/–रुपये की राशि संस्वीकृत की गई।

3.1(ग) सम विश्वविद्यालय

सामान्य विकास अनुदान

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 18 चिह्नित सम विश्वविद्यालयों को योजनागत अनुदान उपलब्ध करवा रहा है। सामान्य विकास सहायता का उद्देश्य विश्वविद्यालय में अवसंरचना तथा मूलभूत सुविधाओं में सुधार करना है ताकि कम से कम न्यूनतम स्तर प्राप्त किया जा सके तथा गुणवत्ता में वृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके।
2. विकास सहायता का उपयोग मौजूदा अवसंरचना के समेकन और शिक्षण, शोध तथा प्रशासन के आधुनिकीकरण के साथ ही विस्तार और क्षेत्र में पहुंच क्रियाकलापों हेतु किया जा सकता है। ताकि विश्वविद्यालय की बदलती आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके तथा समाज की मांगों को उपर्युक्त रूप से पूरा किया जा सके।
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सामान्य योजनागत विकास सहायता के तहत निम्नवत मदों के संबंध में प्रत्येक अर्हक विश्वविद्यालय को सहायता प्रदान करेगा।

    (i) भवन का विनिर्माण और नवीकरण (विरासत भवनों के नवीकरण सहित)

    (ii) कैम्पस विकास

    (iii) कर्मचारिवृंद

    (iv) पुस्तकें और जर्नल

    (v) प्रयोगशाला उपस्कर और अवसंरचना

    (vi) वार्षिक अनुरक्षण संविदा

    (vii) नवोन्मेष शोध क्रियाकलाप

    (viii) विश्वविद्यालय उद्योग संपर्क

    (ix) विस्तार क्रियाकलाप

    (x) आईसीटी का विकास

    (xi) स्वास्थ्य परिचर्या

    (xii) छात्रावास सहित छात्र सुविधाएं

    (xiii) यात्रा अनुदान

    (xiv) सम्मेलन/संगोष्ठी/परिसंवाद/कार्यशाला

    (xv) प्रकाशन अनुदान

    (xvi) अभ्यागत आचार्य/अभ्यागत अध्येता की नियुक्ति

(xvii) वृत्ति तथा परामर्श सेवा प्रकोष्ठ की स्थापना

(xviii) दिवसीय देखभाल केन्द्र

(xix) महिलाओं तथा संकाय विकास कार्यक्रम हेतु मूलभूत सुविधाएं

4. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई आमेलित योजना की संकल्पना को अब समाप्त कर दिया गया है तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आमेलित योजना के तहत कोई पृथक अनुदान उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा।

5. यहां यह भी उल्लेख किया जाता है कि निम्नवत योजनाएं जो पूर्व में आमेलित योजना का भाग थी, उसे अब स्वतंत्र रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक विशेष रूप से तैयार किये गये प्रकोष्ठ द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन योजनाओं के तहत पृथक अनुदान उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा।

(i) समान अवसर प्रकोष्ठ।

(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए उपचारी अनुशिक्षण।

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु नेट अनुशिक्षण।

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु सेवाओं में प्रवेश के लिए अनुशिक्षण कक्षाएं।

(v) निशक्त व्यक्तियों के लिए योजनाएं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से योजनागत तथा गैर–योजनागत अनुदान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों की सूची नीचे दी गई है:

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से योजनागत, गैर–योजनागत अनुदान तथा निर्धारित अनुरक्षण प्राप्त कर रहे 21 सम विश्वविद्यालयों की सूची

योजनागत तथा गैर–योजनागत अनुदान (शतप्रतिशत अनुरक्षण अनुदान)

1. अविनाशलिंगम इंस्टिट्यूट ऑफ होम साइंस एंड हॉयर एजूकेशन फॉर वूमेन, कोयंबतूर,–641043 (तमिलनाडु)
2. दयालबाग एजूकेशनल इंस्टिट्यूट, दयालबाग, आगरा–282005, (उ0प्र0)
3. गांधीग्राम रूरल इंस्टिट्यूट, गांधीग्राम, डिडिगुल–624302, (तमिलनाडु)
4. गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद–380014, (गुजरात)
5. *गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार–249404, (उत्तराखण्ड)
6. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति–517507, (अ0प्र0)
7. श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कटवारिया सराय,न्यू महरौली रोड, कुतुब इंस्टिट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली–110016
8. टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, सियान ट्राम्बे रोड, देवनार, मुंबई–400088 (महाराष्ट्र)

योजनागत और निर्धारित अनुरक्षण अनुदान

9. जमिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली–110062 (प्रत्येक वर्ष 8.00 करोड़ रुपये का योजनागत और निर्धारित अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहा है)

निर्धारित अनुरक्षण अनुदान

10. श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती विश्वविद्यालय, इनाथुर, कांचीपुरम,–631552(तमिलनाडु) (प्रत्येक वर्ष 7.00 करोड़ रुपये का निर्धारित अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहा है)

केवल योजनागत अनुदान

11. वनस्थली विद्यापीठ, पी0ओ0 वनस्थली विद्यापीठ–304022, (राजस्थान)
12. सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ, वाराणसी–221007, (उ0प्र0)
13. डेक्कन कॉलेज पी जी एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे,–411006 (महाराष्ट्र)
14. गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनोमिक्स, शिवाजीनगर डक्कन जिमखाना, बीएमसीसी रोड, पुणे,–411006, (महाराष्ट्र)
15. इंस्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, नथ्थालाल पारेख मार्ग, मटूंगा, मुंबई–400019, (महाराष्ट्र)
16. जैन विश्व भारती इस्टीटयूट लांडनू–341306(राजस्थान)
17. श्री सत्य साई इंस्टिट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, प्रशांतिनिलयम–515134,जिला अनंतपुर (आध्र प्रदेश)
18. चेन्नै मेथेमेटिकल इंस्टिट्यूट, एच–1 सिपकाट आईटी पार्क पादुर पोस्ट, सिरूसेरी–603103 (तमिलनाडु) (केवल बारहवी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए आवंटन किया गया है)
19. इंडियन लॉ इंस्टिट्यूट, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001 (केवल बारहवी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए आवंटन किया गया है)
20. रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजूकेशनल रिसर्च इस्टीटयुट, बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल–711202 (केवल बारहवी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए आवंटन किया गया है)

अन्य

21. **नेशनल यूनीवर्सिटी ऑफ एजूकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, अरबिन्दों मार्ग, नई दिल्ली

*** आयोग ने दिनांक 22.12.2011 तथा 13.02.2012 को आयोजित बैठक में टण्डन समिति की ''ग'' श्रेणी के तहत आने वाले सम विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास अनुदान संस्वीकृत नहीं करने का निर्णय लिया।**

**** मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिनांक 06.11.2013 के अर्धशासकीय पत्र संख्या 8–27/2011–यू.1 के माध्यम से 35.00 लाख रुपए का (38–1/2012 (दिवि) अनुदान जारी करने का अनुरोध किया। आयोग ने दिनांक 22.09.2014 की आयोजित 503वीं बैठक में वर्ष 2014–15 से 2016–17 के दौरान 1999.00 लाख रुपए के अनुदान को अनुमोदित करने का निर्णय लिया।**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के डीयू विभाग ने वर्ष 2013–14 के दौरान सम विश्वविद्यालयों हेतु सामान्य विकास योजना के तहत टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सांइसेज, मुंबई को एनईआर बजट शीर्ष के अंतर्गत गुवाहाटी कैम्पस के निर्माण हेतु 8065.00 लाख रुपए के अनुदान सहित 13659.39 लाख रुपए की राशि जारी की। वर्ष 2013–14 के दौरान अनुदान की संस्वीकृति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

वर्ष 2013–14 के दौरान सम विश्वविद्यालयों को प्रदत्त अनुदान (31.03.2014 की स्थिति के अनुसार)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय/राज्य का नाम	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तावित आवंटन (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवंटन गुना 1.5)	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के समक्ष सामान्य विकास अनुदान	दसवीं पंचवर्षीय योजना के समक्ष संस्वीकृत	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के आवंटन के समक्ष संस्वीकृत	एकमुश्त विशेष अनुदान (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना)	विशिष्ट उद्देश्य (योजनागत बजट से आवंटन)	संसाधनों को जुटाना (इस शीर्ष के तहत कोइ बजट नहीं है)	कुल	सीयू अनुमाग द्वारा संस्वीकृत अपिव अनुदान	विशेष अनुदान	कुल
	आंध्र प्रदेश											
1.	श्री सत्य साई इंस्टिट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, प्रशान्तिनिलायम, जिला अनंतपुर	1202.50	125.00						125.00			125.00
2.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	1208.12	400.00						400.00			400.00
	दिल्ली											
3.	जमिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली	2210.12			240.48				240.48			240.48
4.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	1453.12										
5.	*इंडियन लॉ इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली	600.00	240.00						240.00			240.00
6.	$नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ एजूकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली	शून्य	$35.00						35.00			$35.00
	गुजरात											
7.	गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद	1155.00	142.16		60.88				203.04			203.04
	झारखंड											
8.	**बिरला इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, मेसरा, रांची	आवंटन नहीं किया गया					186.89		186.89			186.89
	महाराष्ट्र											
9.	डेक्कन कॉलेज फॉर पीजी एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे	602.50	100.00 +150.00		15.37	49.33			314.70			314.70
10.	गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनोमिक्स, पुणे	1096.25	125.00 +250.00		90.00				465.00			465.00
11.	**तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे ++	आवंटन नहीं किया गया	-	56.25	--	-	-	-	56.25			56.25

क्र.सं.	विश्वविद्यालय/राज्य का नाम	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तावित आवंटन (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवंटन गुना 1.5)	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के समक्ष सामान्य विकास अनुदान	दसवीं पंचवर्षीय योजना के समक्ष संस्वीकृत	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के आवंटन के समक्ष संस्वीकृत	एकमुश्त विशेष अनुदान (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना)	विशिष्ट उद्देश्य (योजनागत बजट से आवंटन)	संसाधनों को जुटाना (इस शीर्ष के तहत कोई बजट नहीं है)	कुल	सीयू अनुभाग द्वारा संस्वीकृत अपिव अनुदान	विशेष अनुदान	कुल
12.	टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज,देवनार, मुंबई	2123.12	643.00						643.00		@8065.00	8708.00
13.	इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मुंबई	1288.75	400.00						400.00			400.00
	पंजाब											
14.	**थापर इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पटियाला	आवंटन नहीं किया गया	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	राजस्थान											
15.	वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान	1645.62	125.00 +450.00						575.00			575.00
16.	**बिरला इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, विद्यापीठ विहार, पिलानी	आवंटन नहीं किया गया	-	–	-	-	-	-	-		-	-
17.	जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट, लॉडनु	836.25	100.00		10.00				110.00			110.00
	तमिलनाडु											
18.	अविनाशलिंगम इंस्टिट्यूट ऑफ होम साइंस एण्ड हायर एजूकेशन, कोयम्बतूर [तथा महिला छात्रावास हेतु]	1584.75	450.00						450.00			450.00
19.	गांधीग्राम रूरल इंस्टिट्यूट, गांधीग्राम, डिंडिगुल	1798.37										
20.	**श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती विश्वविद्यालय,एथानूर, कांचीपुरम	आवंटन नहीं किया गया										
21.	*चेन्नई मेथेमेटिकल इंस्टिट्यूट, सिरूसेरी, तमिलनाडु	1000.00	400.00						400.00			400.00
	उत्तर प्रदेश											
22.	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ, वाराणसी	709.37	50.00						50.00			50.00
23.	दयालबाग एजूकेशनल इंस्टिट्यूट, आगरा	923.75	50.00						50.00			50.00

क्र.सं.	विश्वविद्यालय/राज्य का नाम	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तावित आवंटन (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवंटन गुना 1.5)	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के समक्ष सामान्य विकास अनुदान	दसवीं पंचवर्षीय योजना के समक्ष संस्वीकृत	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के आवंटन के समक्ष संस्वीकृत	एकमुश्त विशेष अनुदान (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना)	विशिष्ट उद्देश्य (योजनागत बजट से आवंटन)	संसाधनों को जुटाना (इस शीर्ष के तहत कोइ बजट नहीं है)	कुल	सीयू अनुभाग द्वारा संस्वीकृत अपिव अनुदान	विशेष अनुदान	कुल
	उत्तराखंड											
24.	**गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार ++	आवंटन नहीं किया गया										
	पश्चिम बंगाल											
25.	*रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजूकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेलूरमठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल	2000.00	200.00 +450.00						650.00			650.00
	कुल योग	4885.16	56.25	416.73	49.33	186.89		5594.36	--	8065.00	13659.36	

@ टीआईएसएस को एनईआर योजनागत बजट से गुवाहाटी कैम्पस में भवन निर्माण हेतु विशेष अनुदान संस्वीकृत किया गया है।

$ मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा यथा अनुमोदित अनुदान।

* ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान तीन सम विश्वविद्यालय, एकमुश्त विशेष सहायता प्राप्त करने हेतु अर्हक थे। केवल बारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु योजनागत आवंटन का निर्णय लिया गया है।

** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उपर्युक्त छह सम विश्वविद्यालयों को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना आवंटन करने के संबंध में निर्णय नहीं लिया था चूंकि मॉडरेशन समिति ने नोट किया कि कतिपय डीयू, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से योजनागत अनुदान प्राप्त कर रहे है तथा स्व वित्तपोषित पाठ्यक्रमों की पेशकश कर रहे हैं। तथापि, उन्हें ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कतिपय तदर्थ अनुदान संस्वीकृत किया गया था। आयोग ने सम विश्वविद्यालयों को वित्तपोषित किये जाने के संबंध में स्पष्ट नीति विकसित करने के लिये एक समिति का गठन किया है। इन छह डीयू को बारहवीं पंचवर्षीय योजना आवंटन नहीं किया गया है। समिति ने यह निर्णय लिया है कि स्व वित्तपोषित पाठ्यक्रम चलाने वाले इन छह सम विश्वविद्यालयों को बारहवीं पंचवर्षीय योजना आवंटन किये जाने के संबंध में निर्णय तब लेना चाहिये जब वे तीन शर्ते पूर्ण करते हो अर्थात् जब वे 12(ख) का दर्जा प्राप्त कर लें, एनएएसी प्रत्यायन प्राप्त कर लें तथा एमओए को विनियम, 2010 के अनुसार संशोधित कर दिया जाये।

++ आयोग ने दिनांक 22.12.2011 तथा 13.02.2012 को आयोजित बैठक में टण्डन समिति की ''ग'' श्रेणी के तहत आने वाले सम विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास अनुदान संस्वीकृत नहीं करने का निर्णय लिया।

गैर–योजनागत (अनुरक्षण) अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग **10** सम विश्वविद्यालयों को गैर–योजनागत अनुदान प्रदान कर रहा है। इन **10** सम विश्वविद्यालयों में से **8** सम विश्वविद्यालय वेतन तथा भत्तों, सेवानिवृत्ति हितलाभों और वेतनेत्तर मदों के लिए शत–प्रतिशत गैर–योजनागत अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। गैर–योजनागत मदों में उपभोज्य वस्तुएं, बिजली प्रभार, जल प्रभार, संपत्ति कर, गृह कर, आकस्मिक व्यय, भवनों का रखरखाव/मरम्मत और अन्य व्यय शामिल हैं। **8** सम विश्वविद्यालयों के बजट अनुमानों/संशोधित बजट अनुमानों को कुल सचिव तथा वित्त अधिकारी के साथ चर्चा उपरांत निर्धारित किया जाएगा।

शेष दो सम विश्वविद्यालय अर्थात् जामिया हमदर्द, नई दिल्ली और चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, कांचीपुरम निर्धारित/ब्लॉक अनुदान राशि प्राप्त कर रहे हैं, जो क्रमशः 800.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष और 7.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष है।

वर्ष 2013–14 के दौरान गैर–योजनागत अनुदान के तहत 23625.14 लाख रूपये की राशि जारी की गयी थी। अनुदान का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है।

वर्ष 2013–2014 के दौरान सम विश्वविद्यालयों को जारी किये गये अनुदानों (अनुरक्षण अनुदान) का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष 2013–2014 के दौरान संस्वीकृत कुल अनुदान
	आंध्र प्रदेश	
1.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	1679.98
	नई दिल्ली	
2.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कटवारिया सराय, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली	2023.01
3.	*जमिया हमदर्द, नई दिल्ली	800.00
	गुजरात	
4.	गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद	2651.36
	महाराष्ट्र	
5.	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई	4447.22
	तमिलनाडु	
6.	अविनाशलिंगम इंस्टिट्यूट ऑफ होम साइंस एंड हायर एजूकेशन फॉर वूमेन, कोयंबतूर+	+3442.41
7.	गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, गांधीग्राम, ड़िडिगुल	3683.98
8	*श्री चंद्रशेखरेन्द्रा सरस्वती महाविश्वविद्यालय, एनाथूर, कांचीपुरम	7.00
	उत्तर प्रदेश	
9.	दयाल बाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट, दयालबाग, आगरा	2159.99
	उत्तराखंड	
10.	गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	2730.19
	कुल	**23625.14**

* निर्धारित अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे है।

\+ विश्वविद्यालय के पास 176.82 लाख रुपये का अधिशेष भुगतान हैं (वेतन–149 लाख रुपये, पेंशन–27.82 लाख रुपये) तथा इसे वर्ष 2013–14 के लिए अग्रिम अनुदान माना जाएगा।

4 महाविद्यालयों को विकास (योजनागत) तथा अनुरक्षण (गैर–योजनागत) सहायता

4.1 बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाविद्यालयों के विकास पर विशेष बल

उच्चतर शिक्षा प्रणाली के स्तर को बनाए रखने, सुविधाओं का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने, नवोन्मेष तथा परिवर्तन का संवर्धन करने, शिक्षा को उभरते कैरियर पैटर्न, पहुंच, से जोड़ने, समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों/जनजातियों और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को शिक्षा के समान अवसर मुहैया कराने की दृष्टि से महाविद्यालयों का विकास करना भारतीय उच्चतर शिक्षा में एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि स्नातकपूर्व और काफी हद तक स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करने में महाविद्यालयों की एक अहम भूमिका होती है। महाविद्यालयों को दी जानी वाली विकास सहायता पुस्तकालय, प्रयोगशाला, संपर्क सुलभता आदि जैसी आधारभूत अवसंरचना का उन्नयन करके सीखने–सिखाने की प्रक्रिया को सहयोग देने की दिशा में केन्द्रित होनी चाहिए। तथापि, मौजूदा संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार तथा समेकन करने, आधुनिकीकरण के माध्यम से स्तर बढ़ाने, कैरियर की संभावनाओं से जोड़ने के लिए विशेषकर स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों को तर्क संगत बनाने और उनका विविधिकरण करने पर जोर दिया जाना चाहिए।

अन्य बातों के साथ–साथ, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को 15 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने पर बल दिया गया है। इसके लिए महाविद्यालयों को गुणवत्ता नियंत्रण तथा समेकन को नजरअदांज न करते हुए नामांकन में पर्याप्त रूप से वृद्धि करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी।

4.2 वित्तीय सहायता के लिए वि.वि.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय

31 मार्च, 2014 को देश में लगभग 39671 महाविद्यालय थे, जिनमें से केवल 9360 महाविद्यालय ही वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 2(च) के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है। मान्यता प्राप्त 9360 महाविद्यालयों में से केवल 7815 महाविद्यालय ऐसे है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

4.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1994 में एक चरणबद्ध ढंग से देश में अपने सात क्षेत्रीय कार्यालय खोलकर अपने कार्यकरण का विकेन्द्रीकरण कर दिया है, ताकि महाविद्यालय, क्षेत्र से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अधीन आसानी से शीघ्र अनुदान प्राप्त कर सकें तथा उन्हें तुरन्त जारी/कार्यान्वित किया जा सकें। बाद में, वि.अ.आ. के क्षेत्रीय कार्यालय तथा उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय (एनआरओ), गाजियाबाद को "उत्तरी क्षेत्र महाविद्यालय ब्यूरो" में परिवर्तित कर गाजियाबाद से दिल्ली में 35, फिरोजशाह रोड़, नई दिल्ली में 25.09.2001 से स्थानान्तरित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची उनके नाम, स्थिति, स्थापना की तिथि तथा राज्यों की कवरेज का ब्यौरा निम्नवत है:

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	स्थान	स्थापना की तिथि	कवर किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1.	दक्षिणी पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (एसईआरओ)	हैदराबाद	28.4.1994	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार, पुदुचेरी
2.	पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (डब्ल्यूआरओ)	पुणे	11.11.1994	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर और नागर हवेली, दमन और द्वीव
3.	केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय (सीआरओ)	भोपाल	01.12.1994	मध्य प्रदेश राजस्थान, छत्तीसगढ़
4.	उत्तर पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (एनइआरओ)	गुवाहाटी	01.04.1955	असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, सिक्किम
5.	पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (ईआरओ)	कोलकाता	03.09.1996	प0 बंगाल, बिहार, ओडीशा, झारखण्ड
6.	दक्षिणी–पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (एसडब्ल्यूआरओ)	बंगलूरू	25.4.1999	कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप
7.	उत्तरी क्षेत्रीय कॉलेज ब्यूरो (एनआरसीबी)	गाजियाबाद नई दिल्ली	03.12.1994 25.9.2001	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चण्डीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांखण्ड

वर्ष 2013–14 (बारहवीं पंचवर्षीय योजना) के दौरान महाविद्यालयों के लिए कार्यान्वित की गई योजनाएं

क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नवत योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत संपूर्ण देश के सभी पात्र महाविद्यालयों को अनुदानों का संवितरित कर रहे हैं :

1) महाविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता।
2) महाविद्यालयों हेतु महिला छात्रावासों का निर्माण।
3) स्वायत्त महाविद्यालय (केवल अनुदानों का जारी किया जाता है)
4) महाविद्यालयों हेतु लघु शोध परियोजनाएं (महाविद्यालयों के शिक्षकों हेतु लघु शोध परियोजनाएं–मानविकी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान)
5) महाविद्यालयों हेतु संगोष्ठी/परिसंवाद/सम्मेलन।
6) महाविद्यालयों हेतु संकाय विकास कार्यक्रम (एम.फिल./पी.एच.डी. करने के लिए महाविद्यालयों के शिक्षकों को शिक्षक अध्येतावृत्तियां प्रदान करना)।
7) महाविद्यालयों हेतु आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ।

अर्हता मानदण्ड:

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उपर्युक्त योजनाओं हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत मान्यताप्राप्त पात्र महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता हैं। 12(ख) का दर्जा प्राप्त स्व–वित्तपोषित महाविद्यालय केवल शिक्षक/छात्र आधारित योजनाओं हेतु पात्र हैं।

4.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी किये गये अनुदानों की योजनावार स्थिति

4.4.(क) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत महाविद्यालय विकास योजना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दिशानिर्देशों में यथा विहित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के विकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों को सहायता प्रदान करता है। योजना के तहत, महाविद्यालयों को मूलभूत अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए तथा उनकी पुस्तकों और पत्रिकाओं (पुस्तक बैंक सहित), वैज्ञानिक उपस्कर, कैम्पस विकास, उपर्युक्त अनुदेश हेतु आवश्यक शिक्षण उपकरण, मौजूदा भवन के विस्तार/नवीकरण तथा नए भवनों का निर्माण, विस्तार क्रियाकलापों, महिलाओं के लिए खेल–कूद क्रियाकलापों आदि के लिए योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जाती है।

वर्ष 2013–14 के दौरान, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत (01.04.2012 से 31.03.2014) साथ ही सामान्य विकास सहायता के अंतर्गत ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना के तहत महाविद्यालयों को जारी अनुदानों का राज्य–वार ब्यौरा (तालिका–4.4(क) (i)) और (तालिका–4.4(क) (ii)) निम्नवत हैः

तालिका–4.4(क) (i) (सामान्य विकास सहायता के लिए अनुदानों की राज्य–वार ब्यौरा)

(करोड़ रुपये में)

क्र0सं0	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार धारा 2(च) और 12(ख) के तहत महाविद्यालयों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या (महाविद्यालय)		बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवंटन 2012-2017	जारी किया गया अनुदान		ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के दौरान लाभार्थियों की संख्या (महाविद्यालय)	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2007–2012 के दौरान जारी किया गया अनुदान
			2013-14	बारहवीं पंचवर्षीय योजना (01.04.2012 से 31.03.2014)		2013-14	बारहवीं पंचवर्षीय योजना (01.04.2012 से 31.03.2014)		
1.	आन्ध्र प्रदेश	461	309	309	92.38	24.70	39.58	324	24.37
2.	अरूणाचल प्रदेश	7	6	6	3.24	1.16	1.32	6	0.64
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	-	-	-	-	-	-	-
4.	असम	264	214	214	106.71	37.35	42.50	213	26.16
5.	बिहार	355	288	290	83.44	27.65	34.87	290	26.70
6.	छत्तीसगढ	147	97	107	39.89	12.07	14.42	135	20.60
7.	दमन और द्वीव	---	----	----	----	----	-----	------	-----
8.	दादरा और नागर हवेली	---	----	----	----	----	-----	------	-----
9.	गोवा	27	21	21	7.65	1.13	1.13	22	2.07
10.	गुजरात	486	278	278	110.30	16.06	16.06	339	30.48
11.	हरियाणा	142	10	126	---	0.63	4.76	*413	*275.67

क्र0सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार धारा 2(च) और 12(ख) के तहत महाविद्यालयों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या (महाविद्यालय)		बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवंटन 2012-2017	जारी किया गया अनुदान		ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के दौरान लाभार्थियों की संख्या (महाविद्यालय)	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी किया गया अनुदान वर्ष 2007–2012
			2013-14	बारहवीं पंचवर्षीय योजना (01.04.2012 से 31.03.2014)		2013-14	बारहवीं पंचवर्षीय योजना (01.04.2012 से 31.03.2014)		
12.	हिमाचल प्रदेश	44	8	20	---	0.41	0.91	--	--
13.	जम्मू और कश्मीर	50	8	29	---	0.38	1.15	--	---
14.	झारखण्ड	99	75	76	22.55	6.89	9.04	78	7.31
15.	कर्नाटक	448	354	363	116.54	34.81	46.09	386	38.15
16.	केरल	226	211	211	89.76	30.05	36.45	194	36.08
17.	लक्षद्वीप	---	----	----	----	----	-----	------	-----
18.	मध्य प्रदेश	378	241	264	102.30	32.50	38.25	319	50.48
19.	महाराष्ट्र	1185	780	780	266.05	40.16	40.16	840	79.71
20.	मणिपुर	55	51	51	17.62	5.65	7.03	52	4.85
21.	मेघालय	27	26	26	14.11	4.97	5.74	27	3.08
22.	मिजोरम	24	23	23	12.18	4.31	4.87	23	2.03
23.	नागालैण्ड	31	19	19	9.53	3.44	3.83	24	1.92
24.	ओड़ीशा	382	307	307	82.72	27.27	33.98	307	21.06
25.	पुदुचेरी	13	9	9	1.48	0.41	0.73	13	1.33
26.	पंजाब /चण्डीगढ़	215	-	151	--	---	5.15	-	-
27.	राजस्थान	222	90	144	72.04	17.50	20.11	193	35.54
28.	सिक्किम	2	2	2	0.60	0.24	0.24	2	0.16
29.	तमिलनाडु	367	212	212	74.14	20.77	32.42	224	36.86
30.	त्रिपुरा	18	16	16	8.05	2.79	3.23	16	1.79
31.	उत्तर प्रदेश	434	39	72	---	1.20	2.62	--	--
32.	उत्तरांखण्ड	40	4	15	---	0.16	0.51	--	--
33.	पश्चिम बंगाल	388	373	373	114.54	36.63	47.81	371	37.92
	कुल	**6539**	**4071**	**4514**	**1447.82**	**391.29**	**494.96**	**4398**	**764.96**

* राज्यों में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब /चण्डीगढ़, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड शामिल हैं।

तालिका–4.4(क) (ii) (सामान्य विकास सहायता के लिए अनुदानों का क्षेत्रीय कार्यालय–वार ब्यौरा)

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार धारा 2(च) और 12(ख) के तहत महाविद्यालयों की संख्या	वर्ष 2013–14 के दौरान लाभार्थियों की संख्या (महाविद्यालय)	जारी किया गया अनुदान (01.04.2013 to 31.03.2014)			ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदत्त अनुदान (01.04.2007 -31.03.2012)	
				सामान्य अनुदान–सहायता–31	पूंजीगत परिसम्पत्तियां–35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरू	674	565	12.76	52.10	64.86	580	74.23
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	747	428	12.55	49.52	62.07	647	106.62
3.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का. गुवाहाटी	428	357	24.03	35.88	59.91	363	40.63
4.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	1698	1079	17.20	40.15	57.35	1201	112.26
5.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	843	530	13.57	32.31	45.88	561	62.56
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	1224	1043	24.00	74.44	98.44	1046	92.99
7.	एनआरसीबी	925	69	----	2.78	2.78	413	275.67
	कुल	**6539**	**4071**	**104.11**	**287.18**	**391.29**	**4811**	**764.96**

4.4(ख) महिला छात्रवासों का निर्माण

महिलाओं का नामांकन बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महाविद्यालयों में महिला छात्रावास तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के मद्देनजर आयोग ने वर्ष 1995–96 के दौरान, महिला छात्रावासों के निर्माण की एक विशेष योजना आरंभ की थी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र महाविद्यालय, इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु अर्हक हैं।

इस योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निम्नवत अधिकतम सीमा के अध्यधीन शत–प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी :

महिला नामांकन (तीन शिक्षा–सत्रों का औसत+)	राशि (लाख रुपये में)	महानगरों* जम्मू और कश्मीर, उत्तर–पूर्व क्षेत्र तथा सिक्किम के संबंध में राशि (लाख रुपये में)
250 तक	40.00	80.00
251-500	60.00	100.00
500 से अधिक	80.00	120.00

+ वर्तमान सत्र', जब प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा उससे दो सत्र पूर्व।

* भारत सरकार द्वारा घोषित महानगर (दिल्ली, मुंबई, बंगलुरू, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किये गये आबंटन/अधिकतम राशि से किए गए अधिक व्यय को संस्थाओं द्वारा अपने संसाधनों द्वारा पूरा करना होगा जिसका संबंधित संस्था स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगी और आश्वासन देगी। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दिशानिर्देशों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आबंटित /अधिकतम राशि से अधिक बढ़ी हुई लागत हेतु कोई राशि उपलब्ध नहीं करवाता है।

वर्ष 2013–2014 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो द्वारा महिला छात्रावासों के निर्माण योजना के तहत प्रदत्त अनुदानों की स्थिति इस प्रकार हैं :–

तालिका–4.4(ख)

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2013–14 के दौरान जारी किया गया अनुदान				ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदत्त अनुदान (01.04.2007 से 31.03.2012)	
		वर्ष 2013–14 के दौरान लाभार्थियों की संख्या (महाविद्यालय)	सामान्य अनुदान–सहायता–31	पूंजीगत परिसम्पत्तियां–35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरू	61	---	10.82	10.82	160	126.33
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	13	---	2.62	2.62	167	88.03
3.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का. गुवाहाटी	99	---	28.46	28.46	279	102.18
4.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	67	----	7.99	7.99	323	85.78
5.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	31	---	4.03	4.03	247	131.36
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	222	---	38.26	38.26	571	167.04
7.	एनआरसीबी	---	----	----	----	304	75.24
	कुल	**493**	**----**	**92.18**	**92.18**	**2051**	**700.72**

4.4(ग) स्वायत्त महाविद्यालय

स्वायत्त महाविद्यालय की योजना का उद्देश्य महाविद्यालयों को संबद्व संरचना से असंबद्ध करके स्नातकपूर्व शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस योजना के तहत संकायों की संख्या के आधार पर 9.00 लाख रू0. से 20.00 लाख रूपये तक की धनराशि उपलब्ध करवायी जाती है।

वर्ष 2013–2014 और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा स्वायत्त महाविद्यालयों को संस्वीकृत अनुदान की स्थिति निम्नवत है:–

तालिका–4.4(ग)

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2013–14 के दौरान जारी किया गया अनुदान				ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदत्त अनुदान (01.04.2007 से 31.03.2012)	
		वर्ष 2013–14 के दौरान लाभार्थियों की संख्या (महाविद्यालय)	सामान्य अनुदान–सहायता–31	पूंजीगत परिसम्पत्तियां–35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरू	25	1.76	2.03	3.79	24	15.84
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	04	0.74	---	0.74	20	17.80
3.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का. गुवाहाटी	03	---	0.30	0.30	01	0.56
4.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	03	0.71	---	0.71	05	2.76
5.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	147	20.53	---	20.53	142	86.00
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	10	0.58	0.60	1.18	44	14.95
7.	एनआरसीबी	----	----	-----	----	6	1.46
	कुल	**192**	**24.32**	**2.93**	**27.25**	**242**	**139.37**

4.4(घ) महाविद्यालयों हेतु लघु शोध परियोजनाएं

योजना का उद्‌देश्य विभिन्न विधाओं में महाविद्यालयों के शिक्षकों के शोध कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करके उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता का संवर्द्धन करना है। पात्र महाविद्यालयों के शिक्षक लघु शोध परियोजना की योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं तथा विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान, आदि में 5.00 लाख रूपये तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञान में 3.00 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

वर्ष 2013–2014 और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो द्वारा लघु शोध परियोजनाओं (मानविकी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान) के लिए प्रदत्त अनुदान का ब्यौरा निम्नवत है :–

तालिका–4.4(घ)

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2013–14 के दौरान जारी किया गया अनुदान					ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदत्त अनुदान (01.04.2007 से 31.03.2012)	
		वर्ष 2013–14 के दौरान लाभार्थियों की संख्या (शिक्षक)		सामान्य अनुदान–सहायता–31	पूंजीगत परिसम्पत्तियां–35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
		विज्ञान	मानविकी					
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरू	974	1433	7.11	11.09	18.20	3424	17.61

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2013–14 के दौरान जारी किया गया अनुदान					ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदत्त अनुदान (01.04.2007 से 31.03.2012)	
		वर्ष 2013–14 के दौरान लाभार्थियों की संख्या (शिक्षक)		सामान्य अनुदान–सहायता–31	पूंजीगत परिसम्पत्तियां–35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
		विज्ञान	मानविकी					
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	39	66	0.32	0.27	0.59	2325	20.67
3.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का. गुवाहाटी	108	224	1.16	2.96	4.12	2054	18.43
4.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	398	400	4.21	1.87	6.08	7029	35.88
5.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	543	469	6.86	11.32	18.18	620	11.54
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	387	723	5.76	9.17	14.93	3980	24.55
7.	एनआरसीबी	0	1	0.01	---	0.01	667	5.04
	कुल	**2449**	**3316**	**25.43**	**36.68**	**62.11**	**20099**	**133.72**

4.4(ङ) महाविद्यालयों द्वारा संगोष्ठियों/परिसंवाद/सम्मेलनों का आयोजन

इस योजना के अधीन, पात्र महाविद्यालयों को विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/परिसंवादों/शोध तथा सम्मेलनों का आयोजन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा योजना का उद्देश्य शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अपने ज्ञान, अनुभवों और शोध को बाँटने के लिए मंच प्रदान करके महाविद्यालयों में उच्च मानकों का संवर्द्धन करना है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा निम्नवत है:

i. राज्य स्तरीय संगोष्ठियों/ सम्मेलनों/ कार्यशालाओं हेतु : 1.00 लाख रूपये

ii. राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियों/ सम्मेलनों/ कार्यशालाओं हेतु : 1.50 लाख रूपये

iii. अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियों/ सम्मेलनों/ कार्यशालाओं हेतु : 2.00 लाख रूपये

वर्ष 2013–2014 और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो द्वारा कार्यशालाओं/परिसंवादों/सम्मेलनों की योजना के तहत महाविद्यालयों को प्रदत्त अनुदानों का ब्यौरा निम्नवत है:

तालिका–4.4(ङ)

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2013–14 के दौरान जारी किया गया अनुदान				ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदत्त अनुदान (01.04.2007 से 31.03.2012)	
		वर्ष 2013–14 के दौरान लाभार्थियों की संख्या (महाविद्यालय)	सामान्य अनुदान–सहायता–31	पूंजीगत परिसम्पत्तियां–35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरू	379	8.43	--	8.43	2176	10.04
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	24	0.13	---	0.13	904	8.54
3.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का. गुवाहाटी	55	1.28	---	1.28	570	6.10
4.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	672	3.62	---	3.62	2982	12.60
5.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	419	2.98	---	2.98	776	5.29
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	179	1.85	---	1.85	617	18.02
7.	एनआरसीबी	8	0.02	----	0.02	817	5.33
	कुल	1736	18.31		18.31	8842	65.92

4.4(च) महाविद्यालय हेतु संकाय विकास कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का लक्ष्य, संकाय सदस्यों को शैक्षणिक तथा शोध के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाना है जिससे उन्हें एम0फिल0 तथा पी0एचडी0 उपाधि प्राप्त हो तथा संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं में सहभागिता के द्वारा संस्थानों के अकादमिक तथा बौद्धिक परिवेश का विकास करना है। इन कार्यक्रमों में सहभागिता करके संकाय सदस्य अपने शोध कार्य को अद्यतन तथा शैक्षिणिक कौशल बढाने में सक्षम होंगे।

वर्ष 2013–2014 और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इस योजना के तहत प्रदत्त अनुदानों का ब्यौरा निम्नवत है:

तालिका–4.4(च)

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2013–14 के दौरान जारी किया गया अनुदान				ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदत्त अनुदान (01.04.2007 से 31.03.2012)	
		वर्ष 2013–14 के दौरान लाभार्थियों की संख्या (महाविद्यालय)	सामान्य अनुदान–सहायता–31	पूंजीगत परिसम्पत्तियां–35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरू	703	13.31	----	13.31	1218	24.22

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2013–14 के दौरान जारी किया गया अनुदान				ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदत्त अनुदान (01.04.2007 से 31.03.2012)	
		वर्ष 2013–14 के दौरान लाभार्थियों की संख्या (महाविद्यालय)	सामान्य अनुदान–सहायता–31	पूंजीगत परिसम्पत्तियां–35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	82	0.99	----	0.99	998	5.61
3.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का. गुवाहाटी	118	2.98	---	2.98	238	7.81
4.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	271	4.78	---	4.78	1881	11.71
5.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	199	2.13	---	2.13	621	16.05
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	167	2.99	---	2.99	424	6.92
7.	एनआरसीबी	11	0.38	----	0.38	379	2.26
	कुल	**1551**	**27.56**		**27.56**	**5759**	**74.58**

4.4(छ) महाविद्यालय हेतु आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ

उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में मानदण्डों की निगरानी करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने अधिनियम की धारा 12 (गगग) के तहत सितम्बर, 1994 में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) की स्थापना की है। ऐसी संस्थागत गुणवत्ता प्रणाली के महत्व को पहचानते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी महाविद्यालयों को आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की स्थापना करने के हेतु निदेश देने का नीतिगत निर्णय लिया है जिसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आईक्यूएसी की स्थापना तथा उसे सुदृण करने के लिए व्यय स्वरूप प्रत्येक महाविद्यालय को 3.00 लाख रुपये की प्रारंभिक राशि (सीड मनी) उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। **इस योजना को वर्ष 2013–14 (बारहवीं पंचवर्षीय योजना) के दौरान महाविद्यालयों के लिए आरंभ किया गया था।**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत आईक्यूएसी की स्थापना तथा उसे सुदृण करने के लिए सभी महाविद्यालय वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होगें। प्रत्येक महाविद्यालय को दो बैच के उत्तीर्ण होने अथवा छह वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो, के पश्चात् प्रत्यायन ऐजन्सी से प्रत्यायन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

निम्नवत मदों पर व्यय किया जा सकता है:–

संख्या	अनुदान का उद्देश्य	राशि
1.	1000x12x5 की दर से निदेशक/समन्वयक, आईक्यूएसी को मानदेय	60,000
2.	कार्यालय उपस्कर	60,000
3.	सचिवालयी और तकनीकी सेवाओं हेतु सेवाओं प्राप्त करना	60,000
4.	आईसीटीएस सूचना व्यय मानदेय	70,000
5.	आकस्मिताएं	50,000
	कुल	**3,00,000**

वर्ष 2013–2014 और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ योजना के तहत प्रदत्त अनुदानों का ब्यौरा निम्नवत है:

तालिका 4.4(छ)

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2013–14 के दौरान जारी किया गया अनुदान			
		वर्ष 2013–14 के दौरान लाभार्थियों की संख्या (महाविद्यालय)	सामान्य अनुदान–सहायता–31	पूंजीगत परिसम्पत्तियां–35	कुल
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरू	621	14.90	3.73	18.63
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	428	10.27	2.57	12.84
3.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का. गुवाहाटी	427	12.21	---	12.21
4.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	1091	26.18	6.55	32.73
5.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	559	13.42	3.35	16.77
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	1211	29.06	7.27	36.33
7.	एनआरसीबी	----	-----	-----	----
	कुल	**4337**	**106.04**	**23.47**	**129.51**

4.4(ज) प्रतिबद्ध देयताएं (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुरानी योजनाएं)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बंद की गई योजनाओं यथा एकमुश्त कैचअप अनुदान, अतिरिक्त सहायता, आमेलित योजनाएं आदि के लिए प्रदत्त अनुदानों का ब्यौरा निम्नवत है:

तालिका 4.4(ज)

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2013–14 के दौरान जारी किया गया अनुदान			
		वर्ष 2013–14 के दौरान लाभार्थियों की संख्या (महाविद्यालय)	सामान्य अनुदान–सहायता–31	पूंजीगत परिसम्पत्तियां–35	कुल
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरू	523	----	115.11	115.11
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	162	0.03	7.61	7.64
3.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का. गुवाहाटी	263	0.26	37.83	38.09
4.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	764	5.70	54.17	59.87
5.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	400	1.89	73.18	75.07
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	252	0.47	19.09	19.56
7.	एनआरसीबी	56	----	4.00	4.00
	कुल	**2420**	**8.35**	**310.99**	**319.34**

4.5 दिल्ली के महाविद्यालयों तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालयों को अनुदान

डीसी अनुभाग, गैर–योजनागत अनुदान के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के संबद्ध 53 महाविद्यालयों तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के 4 महाविद्यालयों और योजनागत अनुदान के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के 64 महाविद्यालयों (53 महाविद्यालय और दिल्ली प्रशासन के 11 महाविद्यालयों) को वित्तीय सहायता मुहैया करवा रहा हैं **(परिशिष्ट–तीन)**

गैर–योजनागत अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 53 महाविद्यालयों में से 37 महाविद्यालयों को 95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान करता है और शेष 16 महाविद्यालयों को शतप्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान करता है (08 साध्यंकालीन महाविद्यालय + 8 विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालय)। इन 37 महाविद्यालयों में से 16 महाविद्यालय दिल्ली प्रशासन से अनुरक्षण अनुदान के 5 प्रतिशत भाग को प्राप्त करते हैं और 21 महाविद्यालय संबंधित न्यासों/सोसायटियों से प्राप्त करते हैं।

किसी महाविद्यालय को "विस्तारित महाविद्यालय" के रूप मे तब नामोद्दिष्ट किया जाता है जब उसका नामांकन 1500 से अधिक हो जाता है और तत्पश्चात उसे शत प्रतिशत आधार पर भुगतान किया जाता है। तथापि, महाविद्यालय की श्रेणी के आधार पर 1000 तक नामांकन होने पर 95 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा। 1000 से अधिक नामांकन होने पर महाविद्यालय की न्यास/दिल्ली प्रशासन से संबद्ध किसी श्रेणी पर विचार किए बिना शत–प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान किया जायेगा।

दिल्ली के यह 53 महाविद्यालय, आयोग से प्राप्त अनुरक्षण अनुदान से अपने वेतन और वेतनेत्तर दोनों व्यय की पूर्ति करते हैं। प्रत्येक महाविद्यालय का बजट निर्धारित करने के लिए महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ वार्षिक बैठकें की जाती हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गैर–योजनागत अनुदान के अंतर्गत बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में सम्मिलित 4 महाविद्यालयों को निम्नानुसार अनुरक्षण अनुदान भी मुहैया करवाता है :

- ➢ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 95 प्रतिशत वित्तपोषण।
- ➢ महाविद्यालय के प्रबंधन द्वारा 5 प्रतिशत अनुदान।

गैर–योजनागत अनुदान के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के चार महाविद्यालयों की सूची भी **परिशिष्ट–III** में दी गई हैं।

वर्ष 2013–2014 के दौरान दिल्ली के महाविद्यालयों और बीएचयू के महाविद्यालयों को उपलब्ध करवाये गये अनुदान का ब्यौरा निम्नवत हैं:

(लाख रुपये में)

ब्यौरा	आबंटन	जारी अनुदान
दिल्ली के महाविद्यालय	117889.91	117889.91
बीएचयू के महाविद्यालय	2956.89	2956.89

योजनागत अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सामान्य विकास, महिला छात्रावासों, तथा खेलकूद अवसंरचना के लिए दिल्ली के 64 महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता भी मुहैया करवाता हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ने वर्ष 2013–2014 के दौरान निम्नलिखित योजनाओं के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों को अनुदान जारी किया गया थाः–

(लाख रूपये में)

विषय	आबंटित अनुदान		जारी किया गया अनुदान	
	सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35	सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35
महाविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता	15475.00	38074.00	1477.31	2887.78
विशेष योजना के तहत महिला छात्रावास	2700.00	6200.00	-	10.00

5 गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शिक्षण और शोध में उत्कृष्टता की प्राप्ति के प्रयत्न स्वरूप विभिन्न योजनाओं के माध्यम से चयनित विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को पर्याप्त सहायता उपलब्ध करवा रहा है ताकि उन्हें विश्वस्तरीय बनाया जा सके तथा देश में **उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय (यूपीई), उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीई) तथा किसी विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र (सीपीईपीए)** की भांति अन्य संस्थानों के लिये बैंचमार्क के रूप में कार्य करें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इन योजनाओं को आरंभ किया था, जो दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में भी जारी रही। इन योजनाओं का मूल उद्देश्य निम्नवत है:

- शिक्षण, शोध और पहुंच कार्यक्रमों में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु शैक्षणिक और भौतिक अवसंरचना को सुदृढ़ करना;
- सुशासन की लचीले और प्रभावी शैली को प्रोत्साहित करना;
- स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तरों पर लचीले ऋण आधारित माड्यूलर प्रणाली और विश्वभर में स्वीकार्य अनेक नवोन्मेषी पद्धतियों के साथ ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया और शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि करना;
- देश की सामाजिक–आर्थिक आवश्यकताओं हेतु संगत शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना;
- स्नातकोत्तर कार्यक्रम की अतिव्याप्त के माध्यम से महाविद्यालयों में स्नातकपूर्व शिक्षा में सुधार करना;
- देश में अन्य केन्द्रों, विभागों और प्रयोगशालाओं को नेटवर्किंग से जोड़ने को प्रोत्साहन देना;
- वैश्विकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध में उत्कृष्टता प्राप्त करना।

5.1 उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय

यूपीई योजना के तहत अब तक 15 विश्वविद्यालयों का चयन किया गया है तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 10 और विश्वविद्यालयों का चयन किया जाना है। साथ ही ऐसे 3 विश्वविद्यालय जिन्होंने उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय के प्रथम/द्वितीय चरण को पूर्ण कर लिया है, उनके उत्कृष्ट निष्पादन/उपलब्धियों हेतु **उत्कृष्टता के विश्वविद्यालय (यूओई)** के रूप में उन्नयन किये जाने हेतु विचार किया जायेगा।

यूपीई योजना की निगरानी:

योजना के अंतर्गत, प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर एक निगरानी समिति गत वर्षों के दौरान की गई प्रगति निगरानी के लिए प्रत्येक यूपीई विश्वविद्यालय का दौरा करती है। पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर एक विशेषज्ञ समिति की गई प्रगति का मूल्यांकन करती है और इसके पश्चात् निगरानी समिति द्वारा पुनः दौरा किया जाता है।

15 (पन्द्रह) यूपीई विश्वविद्यालयों तथा उन्हे अब तक प्रदत्त अनुदानों का ब्यौरा निम्नवत है:

योजना अवधि	क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	बल दिया जाने वाला क्षेत्र	अनुमोदित राशि (रूपये करोड़ में)		भुगतान की गई राशि (रूपये करोड़ में)	
				चरण–1	चरण–2	चरण–1	चरण–2
नौवीं योजना	1.	जादवपुर विश्वविद्यालय	1. नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2. संज्ञान संबंधी विज्ञान	30.00	25.00	30.00	22.00
	2.	पुणे विश्वविद्यालय	जैव प्रौद्योगिकी तथा नवीन पदार्थ और नैनो प्रणालियां	30.00	25.00	30.00	10.00
	3.	मद्रास विश्वविद्यालय	शाकीय विज्ञान (हर्बल विज्ञान)	30.00	25.00	30.00	15.20
	4.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	शिक्षण तथा शोध में इंटरफेस अध्ययन	30.00	25.00	30.00	10.00
	5.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	1. भौतिकी तथा नैनोविज्ञान तकनीकों का उपयोग करते हुए जैविक तथा पर्यावरणीय उत्पत्ति के पदार्थो में जीनोमिक्स तथा प्राटेनोमिक्स	30.00	60.00	30.00	30.00
			2. वैश्विकरण, राष्ट्रीय विकास तथा ज्ञान प्रणालियांः एक दूसरे से संबंद्ध अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज तथा संस्कृति	28.65	--	28.65	--
दसवीं योजना	6.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	जीव विज्ञान में नैनोसाइंस	30.00	--	25.00	--
	7.	नार्थ ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय (एनईएचयू)	जैव विज्ञान एवं क्षेत्रीय अध्ययन	30.00	--	30.00	--
	8.	कोलकाता विश्वविद्यालय	आधुनिक जीव विज्ञान	30.00	--	20.85	--
	9.	मुम्बई विश्वविद्यालय	हरित प्रौद्योगिकी	50.00	--	30.00	--
ग्याहरवीं योजना	10.	ओस्मानिया विश्वविद्यालय	द्रव्य अनुसंधान–सामाजिक प्रासंगिकता	50.00	--	30.00	--
	11.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	1) अत्याधुनिक क्रियाशील द्रव्यमान (उर्जा द्रव्यमान, मल्टीफेरानिक्स, अत्याधुनिक पालीमर) 2) जीनोमिकी और प्रोटियोमिक्स	50.00	--	30.00	--
	12.	राजस्थान विश्वविद्यालय	पदार्थ और अभिसरणात्मक विज्ञान : नैनो–पदार्थ, नैनो–कंपोजिट तथा बहुपरत	50.00	--	30.00	--

योजना अवधि	क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	बल दिया जाने वाला क्षेत्र	अनुमोदित राशि (रूपये करोड़ में)		भुगतान की गई राशि (रूपये करोड़ में)	
				चरण–1	चरण–2	चरण–1	चरण–2
	13	मैसूर विश्वविद्यालय	1) अत्याधुनिक क्रियाशील, पदार्थों को संसाधित करना, लक्षण वर्णन तथा उनका अनुप्रयोग 2) मीडिया और सामाजिक विकास – कर्नाटक का अध्ययन मामला	50.00	--	30.00	--
	14	कर्नाटक विश्वविद्यालय	ट्यूमर–रोधी क्रियाकलाप – एक समेकित पद्धति	50.00	--	30.00	--
	15	गुरूनानक देव विश्वविद्यालय	पदार्थ विज्ञान	30.00	25.00	30.00	22.00

वर्ष 2013–14 के दौरान उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय'' (यू.पी.ई.) योजना हेतु 57.85 करोड़ रु0 की धनराशि जारी की गई थी।

5.2 उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीई)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सी.पी.ई योजना को **दसवीं पंचवर्षीय योजना** के दौरान आरंभ किया था। इस योजना के अन्तर्गत महाविद्यालयों को उनकी अकादमिक अवसंरचना में सुधार लाने, शिक्षण, प्रशिक्षण में नवोन्मेषी तत्वों को अपनाने के लिए तथा उपाधि स्तर पर पाठ्यक्रमों के चयन में एक लचीला दृष्टिकोण प्रस्तावित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कोई भी उत्कृष्टता की संभाव्यता वाला महाविद्यालय अपने समस्त कार्यक्षेत्र में विद्यमान अन्य सभी महाविद्यालयों के लिए एक आदर्श भूमिका अदा करता है। इस योजना का उद्धेश्य यह है कि चयनित महविद्यालयों, विशेष रूप से शिक्षण संबंधी क्रियाकलापों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में तथा एक शोध संस्कृति आरंभ करने में, सहायता प्रदान करना हैं।

वर्ष 2013–14 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यालय में विशेषज्ञ (निगरानी) समिति द्वारा 155 महाविद्यालयों की समीक्षा की गई है। इस योजना के तहत 96 महाविद्यालयों को 46,87,00,000/–रुपये की राशि जारी की गई थी।

वर्तमान में 284 महाविद्यालयों में से 211 महाविद्यालय को ही सीपीई दर्जा प्राप्त है तथा 10 महाविद्यालयों को उत्कृष्टता वाले महाविद्यालय (सीई) का दर्जा प्राप्त हैं।

5.3 विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र (सी.पी.ई.पी.ए.)

चयनित विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आयोग ने उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालयों (यूपीई) योजना को आरंभ किया था। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पांच विश्वविद्यालय नामतः मद्रास, जेएनयू, हैदराबाद, जादवपुर तथा पुणे विश्वविद्यालयों का चयन किया गया।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आयोग ने और कुछ और विश्वविद्यालयों को यूपीई का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया। तदनुसार, नौवीं पंचवर्षीय योजना के चरण–2 के चयन के दौरान यू.पी.ई. योजना के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति द्वारा 12 और विश्वविद्यालयों को चिन्हित किया गया था। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करते समय आयोग ने **25 जुलाई, 2002** को हुई अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि उन्हें यूपीई का दर्जा प्रदान **नहीं** किया जा सकता है बल्कि उन्हें **विशिष्ट क्षेत्र में**

"उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र"(सीपीईपी) कहा जा सकता है। उपरोक्त योजना के अंतर्गत केवल 12 विश्वविद्यालयों को अनुमोदित किया गया था तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (एकमुश्त अनुदान के रूप में) के प्रारंभ में अनुदान जारी किये गये थे। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में सीपीईपीए योजना के तहत 12 और केन्द्रों का चयन किया गया था। अब बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दिशानिर्देशों को संशोधित कर दिया गया है।

केन्द्रों का ब्यौरा निम्नवत है:

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	विशिष्टता का क्षेत्र	सीपीईपीए के रूप में सर्वप्रथम पहचान प्रदान किये जाने वाला वर्ष	मौजूदा चरण	मौजूदा चरण का कार्यकाल	मौजूदा चरण में आवंटन (लाख रुपये में)
	आंध्र प्रदेश					
1.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरूपति,	पारम्परिक शास्त्र	दिसम्बर, 2002	चरण-II	अक्तूबर, 2008 से अक्तूबर, 2013	300.00
2.	ओस्मानिया विश्वविद्यालय	कतिपय महत्वपूर्ण चिकित्सा पादपों की स्वास्थ्य परिचर्या हेतु बायो–प्रोस्पेक्टिंग	दिसम्बर, 2011	चरण -I	दिसम्बर, 2011 से दिसम्बर, 2016	280.00
	अरूणाचल प्रदेश					
3.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	जैव विविधता	मार्च, 2002	चरण -II	मार्च, 2012 से मार्च, 2017	700.00
	चण्डीगढ़					
4.	पंजाब विश्वविद्यालय	जैव चिकित्सा विज्ञान	मार्च, 2002	चरण -I	2002 से मार्च, 2011	500.00
5.	पंजाब विश्वविद्यालय	पंजाब और हरियाणा में लिंग लेखापरीक्षा "कल्चरल फिक्सेशन ऑन ऑनर"	दिसम्बर, 2011	चरण -I	दिसम्बर, 2011 से दिसम्बर, 2016	185.00
6.	पंजाब विश्वविद्यालय	नैनो पदार्थों, नैनो–कणों तथा नैनों संघटकों का अनुप्रयोग	दिसम्बर, 2011	चरण -I	दिसम्बर, 2011 से दिसम्बर, 2016	355.00

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	विशिष्टता का क्षेत्र	सीपीईपीए के रूप में सर्वप्रथम पहचान प्रदान किये जाने वाला वर्ष	मौजूदा चरण	मौजूदा चरण का कार्यकाल	मौजूदा चरण में आवंटन (लाख रुपये में)
	गुजरात					
7.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय	अनुप्रयुक्त पॉलीमर	मार्च, 2002	चरण -I	मार्च, 2002 से मार्च, 2008	500.00
	हिमाचल प्रदेश					
8.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	हिमालय अध्ययन	मार्च, 2002	चरण -II	वर्ष 2012-13 से 31.03.17	700.00
	कर्नाटक					
9.	कर्नाटक विश्वविद्यालय	चिकित्सीय निदान, उद्योगों तथा कृषि अनुप्रयोगों हेतु उन्नत पदार्थ	दिसम्बर, 2011	चरण -I	दिसम्बर, 2011 से दिसम्बर, 2016	685.00
10.	बंगलुरु विश्वविद्यालय	रोग प्रबंधन में लक्षित औषधि तथा कोशिकाओं में उसके लक्षण हेतु आणिवक तथा नैनो उपकरणों का अनुप्रयोग	दिसम्बर, 2011	चरण -I	दिसम्बर, 2011 से दिसम्बर, 2016	575.00
11.	मैसूर विश्वविद्यालय	केरेक्ट्राईजेशन एण्ड एपलीकेशन ऑफ एडवांस फक्शनल नैनो मैटीरियल	दिसम्बर, 2011	चरण -I	दिसम्बर, 2011 से दिसम्बर, 2016	430.00
	मध्य प्रदेश					
12.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	ई–प्रबंधन अध्ययन	मार्च, 2002	चरण -I	मार्च, 2002 से मई, 2011	300.00
	पंजाब					
13.	गुरू नानकदेव विश्वविद्यालय	खेलकूद विज्ञान	मार्च, 2002	चरण -I	मार्च, 2002 से मार्च, 2015	500.00

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	विशिष्टता का क्षेत्र	सीपीईपीए के रूप में सर्वप्रथम पहचान प्रदान किये जाने वाला वर्ष	मौजूदा चरण	मौजूदा चरण का कार्यकाल	मौजूदा चरण में आवंटन (लाख रुपये में)
14.	गुरू नानकदेव विश्वविद्यालय	पंजाब में कैंसर तथा मधुमह के द्वितीय प्रकार का आनुवांशिक आधार	दिसम्बर, 2011	चरण -I	दिसम्बर, 2011 से दिसम्बर, 2016	615.00
	राजस्थान					
15.	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय	एप्लीकेशन ऑफ सिंथेसिस फॉर केरेक्ट्राईजेशन एण्ड रिस्क एसेसमेंन्ट ऑफ नेनो पार्टिकल ऑन द इकोसिस्टम ऑफ थार डेजर्ट	दिसम्बर, 2011	चरण -I	दिसम्बर 2011 से दिसम्बर, 2016	535.00
	तमिलनाडु					
16.	अन्ना विश्वविद्यालय	पर्यावरणीय विज्ञान	मार्च, 2002	चरण -II	नवम्बर, 2009 से नवम्बर, 2014	500.00
17.	मद्रास विश्वविद्यालय	मानव कल्याण हेतु चिकित्सीय पादपों से औषिधियों का विकास	दिसम्बर, 2011	चरण -I	दिसम्बर, 2011 से दिसम्बर, 2016	325.00
18.	मद्रास विश्वविद्यालय	जलवायु परिवर्तन तथा क्षेत्र में मैनग्रोव पारिस्थितिकीय पर इसका प्रभाव	दिसम्बर, 2011	चरण -I	दिसम्बर, 2011 से दिसम्बर, 2016	230.00
19.	अन्नामलाई विश्वविद्यालय	समुद्र विज्ञान संकाय में समुद्री जीव विज्ञान पर उच्च अध्ययन	दिसम्बर, 2011	चरण -I	दिसम्बर, 2011 से दिसम्बर, 2016	385.00
	उत्तर प्रदेश					
20.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	बिहेवियरल कॉगनेटिव साइंस	मार्च, 2002	चरण-II	अप्रैल, 2011 से अप्रैल, 2016	700.00

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	विशिष्टता का क्षेत्र	सीपीईपीए के रूप में सर्वप्रथम पहचान प्रदान किये जाने वाला वर्ष	मौजूदा चरण	मौजूदा चरण का कार्यकाल	मौजूदा चरण में आवंटन (लाख रुपये में)
	पश्चिम बंगाल					
21.	कोलकाता विश्वविद्यालय	इलेक्ट्रो फिजीयोलाजीकल एण्ड न्यूरो इमेंजिंग स्टडीज इन्कलूडिंग मैथेमेटिकल माडलिंग	दिसम्बर, 2011	चरण -I	दिसम्बर, 2011 से दिसम्बर, 2016	615.00

आज की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त सूचीबद्ध 24 केन्द्रों में से 21 केन्द्र ही प्रचालनरत हैं।

5.4 नए केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना करना

उदारीकरण, वैश्वीकरण के संदर्भ में बदले आर्थिक परिवेश और नई उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्चतर शिक्षा प्रणाली से गुणवत्ता उत्पादों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए आयोग ने वर्ष, 2001 के दौरान विश्वविद्यालय व्यवस्था के भीतर विज्ञान और मानविकी में विभिन्न अंतर–विषयक क्षेत्रों संबधी अध्ययन और अनुसंधान में "उत्कृष्टता के नए केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना " नामक नई योजना आरंभ की थी।

वर्तमान में केवल 3 केन्द्र तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, पुणे विश्वविद्यालय, पुणे तथा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर चल रहे हैं।

5.5 विशेष सहायता कार्यक्रम (एस.ए.पी.)

एसएपी कार्यक्रम की शुरूआत 1963 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शोध और शिक्षण में कुछ संभाव्यता वाले चुनिंदा विश्वविद्यालय विभागों को सुकर बनाने के लिए शिक्षा आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए की गई थी। कार्यक्रम का उद्देश्य विशिष्ट क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए उन्नत शिक्षण और शोध में उत्कृष्टता और समूह कार्य की खोज को प्रोत्साहित करना हैं। पहले ऐसे कार्यक्रम को 'उच्च अध्ययन केन्द्र '(सीएएस) के रूप में 1963 में आरंभ किया गया था। ऐसे कुछ केन्द्रों को यूएनडीपी/यूनेस्को से भी मान्यता और वित्तीय सहायता मिलती है। "विशेष सहायता विभाग (डीएसए) और "विभागीय शोध सहायता " (डीआरएस) कार्यक्रम क्रमशः 1972 और 1977 में सीएएस हेतु फीडर विभागों के संवर्ग के लिए आरंभ किए गए थे।

विशेष सहायता कार्यक्रम (सैप) स्तर

1. अनुसंधान सहायता विभाग (डीआरएस)
2. विशेष सहायता विभाग (डीएसए)
3. उच्च अध्ययन केन्द्र (सीएएस)

सैप–विभागों की मौजूदा स्थिति

1. **31.03.2014 की स्थिति के अनुसार विभागों की संख्या**

स्तर/भाग	सैप–I (विज्ञान)	सैप–II (विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी)	सैप–III (मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान और भाषाएं)	कुल
सीएएस	51	47	54	152
डीएसए	29	25	31	85
डीआरएस	190	240	252	682
कुल	**270**	**312**	**337**	**919**

2. विभाग जिनकी वर्ष 2013–14 के दौरान समीक्षा की गई: : **98**
3. विभाग जिन्हें वर्ष 2013–14 के दौरान बंद कर दिया गया : **26**
4. वर्ष 2013–14 के दौरान समान स्तर पर कार्य कर रहे विभाग (डीआरएस–53, डीएसए–5, सीएएस–0) : **58**
5. वर्ष 2013–14 के दौरान उन्नयन किये गये विभाग (सीएएस–7, डीएसए–7) : **14**
6. वर्ष 2013–14 के दौरान आरंभ किये गये नये विभाग : **13**

वर्ष 2013–14 के दौरान व्यय : **15.34 करोड़ रुपये**

रेखाचित्र 5.5: दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार सैप–विभागों की स्थिति

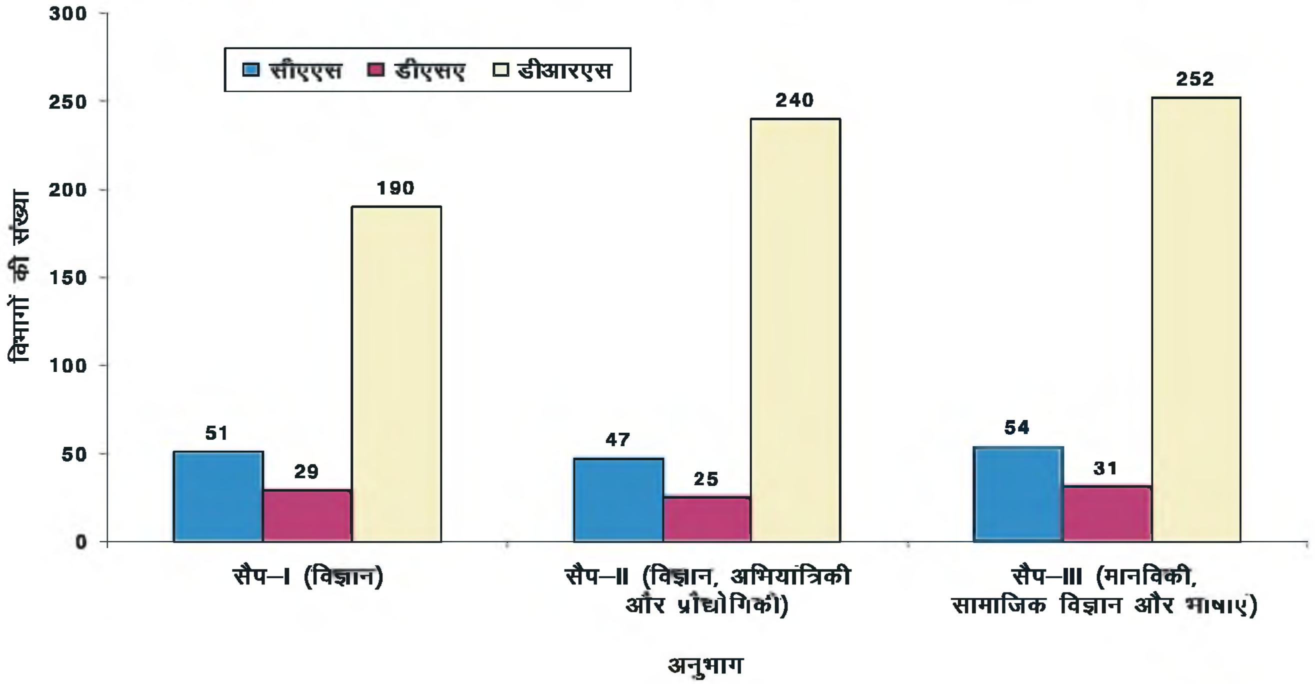

5.6 नवोन्मेषी कार्यक्रम–उभरते हुए एवं अन्तर्विषयक क्षेत्रों में अध्यापन एवं शोध

अन्तर्विषयक तथा उभरते हुए क्षेत्रों में स्नातकोत्तर पश्चात् एक वर्ष के स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित स्नातकपूर्व एवं स्नातकोत्तर स्तरों पर विशिष्ठ पाठ्यक्रमों को हेतु सहायता प्रदान करने तथा उसका संवर्धन करने की आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुए शिक्षा, शोध, अकादमिक उत्कृष्टता, सामाजिक विकास, तथा विविध विधाओं में शैक्षिक, राष्ट्रीय वैश्विक प्राथमिकताओं पर खरा उतरने वाले कियाकलापों को प्रभावित करने हेतु उत्कृष्ट नवीन विचारों तथा नवोन्मेषी प्रस्तावों को लागू किया जा सके तथा विश्वविद्यालयों तथा महा विद्यालयों मे समूहगत/विभागीय अनुसंधान कार्य को बढावा देने के उद्धेश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अन्र्तविषयक तथा उभरते हुए क्षेत्रों में शिक्षण और शोध की योजना को कार्यान्वित कर रहा है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2013–2014) के दौरान अनुमोदित, आवंटित और प्रदत्त अनुदान का ब्यौरा निम्नवत है:

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष	आवंटन (लाख रुपये में)	प्राप्त किये गये वास्तविक लक्ष्य			वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान किया गया व्यय (लाख रुपये में)
				विश्वविद्यालय विभाग	महाविद्यालय	कुल	
1	नवोन्मेष कार्यक्रम – अन्र्तविषयक तथा उभरते हुए क्षेत्रों में शिक्षण और शोध	(2013-2014)	12000.00	32	36	68	6358.78

नोट: आयोग की दिनांक 11 और 12 फरवरी, 2008 को आयोजित की गई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार एएसआईएचएसएस कार्यक्रम को एसएपी कार्यक्रम के साथ जोड़ दिया गया है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत केवल चालू विभागों को ही सहायता प्रदान की गई है।

आयोग के दिनांक 10.5.2013 के निर्णय के अनुसार बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तुरंत प्रभाव से नवोन्मेषी कार्यक्रम की योजना बंद कर दी गई है।

5.7 स्वायत्त महाविद्यालय

शिक्षा आयोग, वर्ष 1964–66 ने यह इंगित किया था कि शिक्षकों की शैक्षिक स्वतंत्रता, हमारे देश के बौद्धिक परिवेश के विकास के लिए परमावश्यक है। जब तक ऐसा परिवेश पैदा नहीं होगा तब तक उच्चतर शिक्षा प्रणाली में उत्कृष्टता प्राप्त करना कठिन है। चूकि छात्र, शिक्षक तथा प्रबंधन उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता मे सुधार करने में सह–भागीदार है, इसलिए यह आवश्यक है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी उठाने में सहयोग करना चाहिए। इसलिए शिक्षा आयोग (1964–66) ने महाविद्यालयों को स्वायत्तता की प्रदान करने की सिफारिश की थी। मूलतः महाविद्यालयों को स्वायत्तता ही अकादमिक उत्कृष्टता को वढ़ावा देने का एक माध्यम है।

मासविम/रक्षामंत्रालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मार्च, 2013 के दौरान चुनिंदा शैक्षिक संस्थानों (स्वायत्तशासी महाविद्यालय) में शिक्षा वर्ष 2013–14 से क्रेडिट प्वॉइंट के साथ एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने के लिये एक कार्यशाला आयोजित की।

शिक्षा वर्ष 2013–14 से क्रेडिट प्वाईंट के साथ एनसीसी को चयनित विषय के रूप में आरंभ करने हेतु स्वायत्त महाविद्यालय की वित्तीय सहायता में वृद्धि।

क्र.सं.	महाविद्यालय का स्वरूप	अनुदान की राशि (लाख रुपये में)	क्रेडिट प्वाईंट के साथ एनसीसी को चयनित विषय के रूप में आरंभ करने हेतु अतिरिक्त अनुदान (लाख रुपये में)	एनसीसी को चयनित विषय के रूप में आरंभ करने हेतु स्वायत्त महाविद्यालय हेतु कुल अनुदान (लाख रुपये में)
क.	केवल स्नातकपूर्व स्तर :			
	(1) कला/विज्ञान/वाणिज्य–मात्र एकल संकाय	9.00	1.00	10.00
	(2) कला/विज्ञान/वाणिज्य–एक से अधिक संकाय वाले	15.0	1.00	16.00
ख.	स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर दोनों स्तरों के लिए:			
	(1) एकल संकाय	10.00	1.00	11.00
	(2) बहुल संकाय	20.00	2.00	22.00

स्व–वित्तपोषित महाविद्यालय को अपने अस्तित्व में आने के 10 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् स्वायत्तशासी दर्जा प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है। तथापि, उन्हें बिना कोई स्वायत्तशासी अनुदान प्रदान किये स्वायत्तशासी दर्जा प्रदान किया जायेगा। उन्हें अन्य महाविद्यालयों पर लागू समान प्रक्रिया से गुजरना होगा।

दिनांक 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार 22 राज्यों में 87 विश्वविद्यालयों के 454 स्वायत्तशासी महाविद्यालय (**अनुलग्नक–IV**) थे।

आयोग ने दिनांक 27 फरवरी, 2014 से स्वायत्त महाविद्यालयों के स्वायत्त दर्जे को बढ़ाने के लिये दिशानिर्देशों को संशोधित कर दिया, जो निम्नवत पठित हैं:–

ऐसे स्वायत्त महाविद्यालय जिनकी पिछले तीन बार (18 वर्षों) से सफलतापूर्वक समीक्षा की जा रही है तथा जिन्होंने लगातार कम से कम 'बी' ग्रेड (2.5 सीजीपी के साथ) का एनएएसी प्राप्तांक बनाये रखा है, उन्हें स्वायत्त महाविद्यालय का दर्जा बढ़ाने के लिये अपेक्षित समिति के अनिवार्य दौरे से छूट प्राप्त होगी। एक बार उपर्युक्त मानदण्ड पूर्ण करने पर यह महाविद्यालय स्वायत्त महाविद्यालय के दर्जे को बढ़ाने हेतु संगत जनकारी (प्ररूप के अनुसार) उपलब्ध करायेंगे तथा आयोग द्वारा स्वतः ही दर्जा बढ़ा दिया जायेगा।

सभी स्वायत्त महाविद्यालयों द्वारा उनमें पढ़ाये जा रहे पाठ्यक्रम, संकाय, अवसंरचना की उपलब्धता, दाखिले के ब्यौरे आदि के संबंध में जानकारी को अपनी वेबसाईट पर अपलोड करना अपेक्षित होगा।

वर्ष 2013–14 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नये स्वायत्त दर्जा प्रदान करने/स्वायत्त दर्जे को बढ़ाने हेतु देशभर से महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से 111 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अध्यक्ष द्वारा इन महाविद्यालयों को नया स्वायत्त दर्जा प्रदान करने/स्वायत्त दर्जा बढ़ाने हेतु इन महाविद्यालयों का दौरा करने के लिये विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया था।

वर्ष 2013–14 के दौरान 27 महाविद्यालयों को नया स्वायत्त दर्जा प्रदान किया गया था जबकि 50 महाविद्यालयो के स्वायत्त दर्जे को बढ़ाया गया था।

5.8 अकादमिक स्टॉफ कॉलेज (एएससी)

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों मे शिक्षण उच्च स्तरों को बनाये रखने के लिए अकादमिक स्टॉफ कॉलेज की योजना को वर्ष 1986–87 में आरंभ किया गया था।

वर्तमान में देशभर में 66 एएससी महाविद्यालय फैले हुए हैं। इस प्रकार स्थापित यह महाविद्यालय नये नियुक्त हुए व्याख्याताओं के लिये 4 माह के विशेष रूप से तैयार किये गये अभिविन्यास कार्यक्रम चला रहे हैं तथा कार्यरत शिक्षकों हेतु तीन माह के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चला रहे हैं।

वर्ष 2013–14 के दौरान 67.37 करोड रुपए की राशि का भुगतान किया गया था। 66 अकादमिक स्टॉफ महाविद्यालयों की सूची **(परिशिष्ट–V)** पर संलग्न है।

रेखाचित्र 5.8: वर्ष 2013–14 की स्थिति के अनुसार अकादमिक स्टॉफ कालेजों की राज्य–वार संख्या

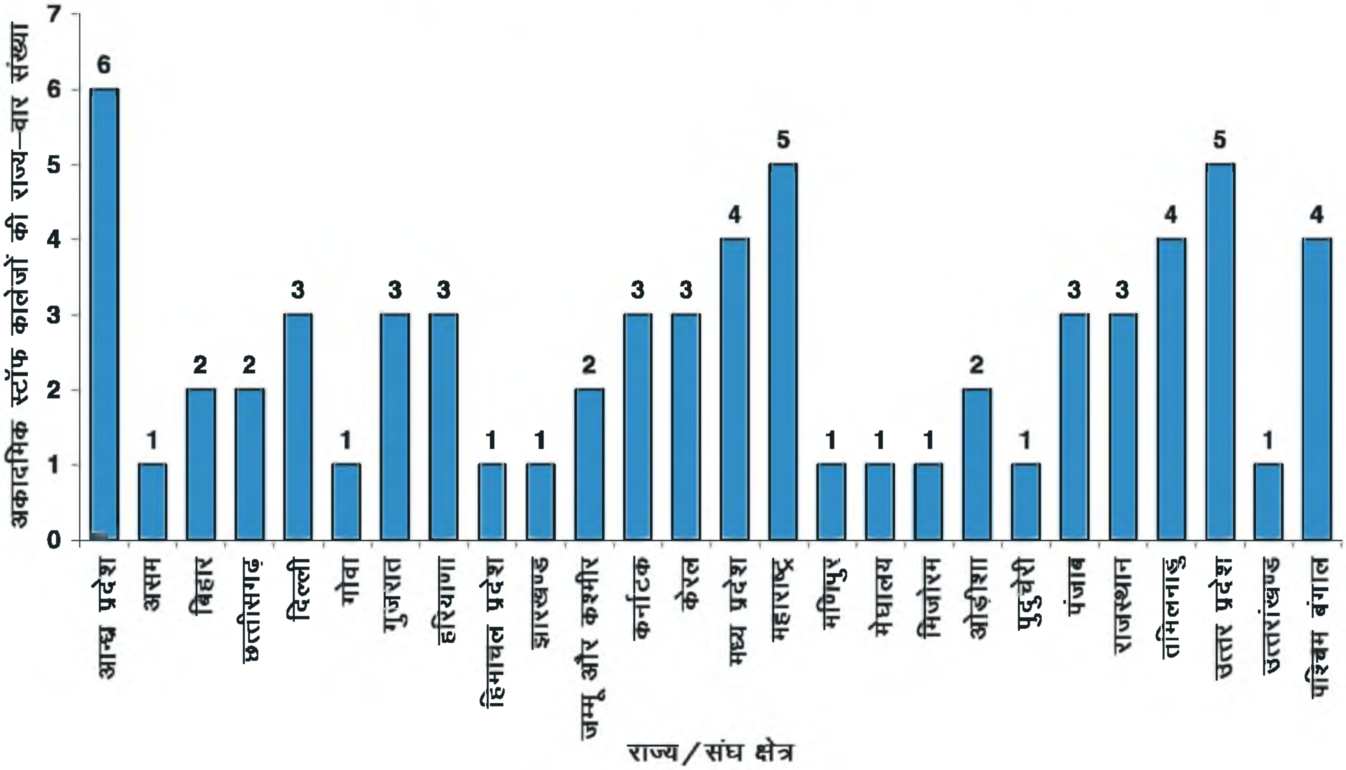

5.9 राजभाषा (हिन्दी) का संवर्धन

राजभाषा अधिनियम के अनुसार वर्ष 1963 में केन्द्र सरकार ने हिन्दी को संघ की आधिकारिक जनभाषा घोषित किया था तथा केन्द्र सरकार के सभी विभागों को हिन्दी में कामकाज को बढ़ावा देने के लिये "राजभाषा प्रकोष्ठ" स्थापित करने का निदेश दिया था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उपर्युक्त अधिनियम को कार्यान्वित करते हुए आरंभ में राजभाषा प्रकोष्ठ की स्थापना की थी, जिसे वर्ष 1992 में पूर्णतः राजभाषा अनुभाग में परिवर्तित कर दिया गया।

- राजभाषा अधिनियम, 1963 (खण्ड–3) के तहत जारी किये जा रहे सभी दस्तावेजों (सामान्य आदेश, ज्ञापन, वचनबद्धता, अधिसूचना, नियम, परिपत्र, करार, संविदा, निविदा, नोटिस, संसदीय प्रश्न आदि) को द्विभाषी रूप में जारी किया जाये।
- वर्ष 2013–14 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 4 बैठकें हुई जो क्रमशः 27 जून, 2013, 04 अक्तूबर, 2013, 17 दिसम्बर, 2013 तथा 27 मार्च, 2014 को आयोजित हुई।
- वर्ष 2013–14 के दौरान एक कर्मचारी को हिन्दी आशुलिपिक का प्रशिक्षण दिया गया तथा दो कर्मचारियों को हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। एक कर्मचारी को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ तथा दूसरे कर्मचारी ने तृतीय स्थान ग्रहण किया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट द्विभाषी है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विभिन्न अनुभागों से प्राप्त सामग्री को राजभाषा अनुभाग द्वारा अनुदित किया गया उदाहरण स्वरूपः–

  वार्षिक रिपोर्ट 2012–13, वार्षिक लेखा 2012–13, प्रशासनिक निविदा जानकारी, उपाधियों की विनिर्दिष्टता, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों की शक्तियों का प्रत्यायोजन, बी.वोक. उपाधि, दिशानिर्देश, सूचना का अधिकार, तथा तत्संबंधी पत्राचार, विश्वविद्यालय में खेलकूद अवसंरचना का विकास–बारहवीं पंचवर्षीय योजना दिशानिर्देश, विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित दिशानिर्देशों में संशोधन, प्रशासनिक कार्यालय आदेश, ज्ञापन, स्थानांतरण, सेवानिवृत्तियां, कार्यालय अनुशासन से संबद्ध आदेश, अर्धशासकीय पत्र तथा विज्ञापन और विभिन्न अनुभागों से प्राप्त हो रहे परिपत्र।
- वर्ष 2013–14 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं जैसे निबंध लेखन, वाद–विवाद, हिन्दी टिप्पण और मसौदा लेखन, कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण का आयोजन किया गया।
- सितम्बर, 2013 के दौरान 1 से 14 सितम्बर के बीच तथा 4 सितम्बर को क्रमशः हिन्दी पखवाड़ा तथा हिन्दी दिवस आयोजित किया गया था। हिन्दी दिवस तथा पुरस्कार वितरण हेतु कुल 2,00,838.00 रुपए की राशि व्यय की गई।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त निदेशों/अनुदेशों का संकलन किया गया।
- हिन्दी को बढ़ावा देने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यालय में तीन कार्यशालाओं का क्रमशः 17/05/2013, 23/07/2013 तथा 23/10/2013 को आयोजन किया गया।
- दिनांक 23/05/2013 को अपराह्न 3.00 बजे आयोजित की गई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (एनएआरएकेएएस) समिति की प्रथम बैठक में संयुक्त सचिव, (राजभाषा) ने भाग लिया।
- वर्ष 2013–14 के लिये अध्यक्ष (एनएआरएकेएएस) को 5100.00 रुपए की राशि अंशदान के रूप में प्रदान की गई।

वर्ष 2013–14 के दौरान आयोग ने हिन्दी विभागों की स्थापना/उन्नयन हेतु 31 केन्द्रीय/राज्य/सम विश्वविद्यालयों को अनुदान संस्वीकृत किया गया।

5.10 द्विपक्षीय सांस्कृतिक और शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत सरकार की ओर से भारत और अन्य देशों के बीच उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रमों संबंधी उपबंधों का कार्यान्वयन कर रहा है।

चयन प्रक्रिया

चयन विशेषज्ञ समितियों द्वारा किये जाते हैं।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के दौरान प्रदत्त अनुदान

भारत तथा विदेशों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के आधार पर सहयोग क्रियाकलाप किये जाते हैं, संपूर्ण योजना अवधि (2012–17) के लिये व्यय निर्धारित नहीं किया जा सकता हैं।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) 2013–14 के दौरान प्रदत्त अनुदान

वर्ष 2013–14 के लिए किया गया व्यय निम्नवत है:

वर्ष 2013–14 के दौरान किया गया व्यय

सीईपी	:	2,09,71,788/– रुपये
सिंह–ओबामा	:	7,40,74,173/– रुपये
300 रमन अध्येतावृत्ति	:	19,34,77,484/– रुपये
कुल व्यय	:	**28,85,23,445/– रुपये**

रेखाचित्र 5.10: द्विपक्षीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम और द्विपक्षीय शैक्षणिक विनिमय कार्यक्रम पर किया गया व्यय (वर्ष 2013–14) (रुपये करोड़ में)

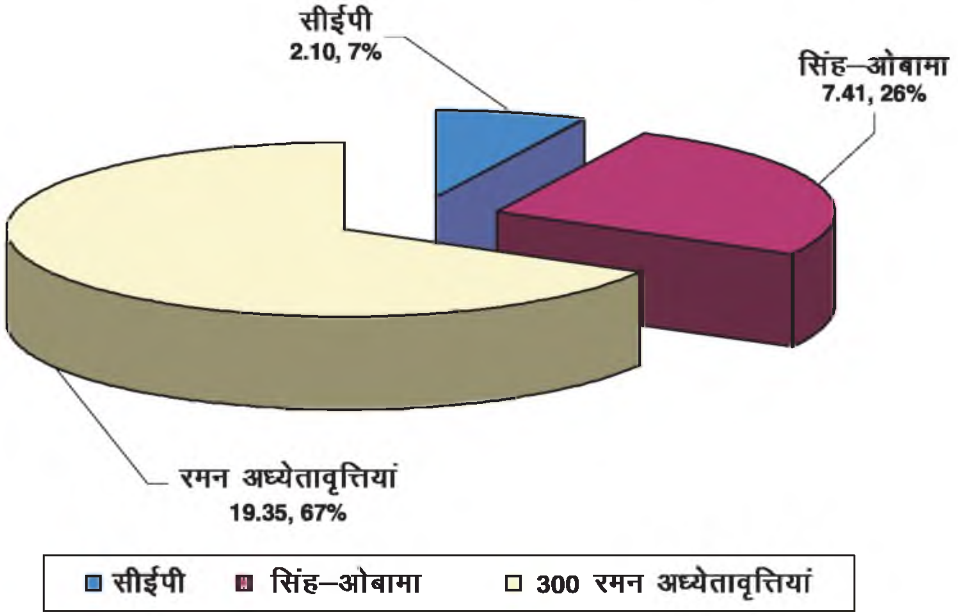

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 33 देशों के साथ सक्रिय शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम एवं सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम एवं विभिन्न देशों के साथ 09 अन्य कार्यक्रम संचालित कर रहा है।

वर्ष 2013–14 के दौरान, वि.अ.आ. ने विभिन्न देशों के **04 विदेशी स्कॉलरों** की मेजबानी की और विभिन्न भारतीय संस्थानों में उनके कार्यक्रम की व्यवस्था की। इस अवधि के दौरान विभिन्न विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत **185 भारतीय स्कॉलरों** को विदेश भेजा गया। ब्यौरा निम्नवत है:

क्र.सं.	देश का नाम	भारतीय विद्वान	विदेशी विद्वान
1.	फ्रांस	4	---
2.	बुल्गारिया	4	---
3.	हंगरी	6	1
4.	राष्ट्रमण्डल अध्येतावृत्तियां	38	3
5.	राष्ट्रमण्डल स्पिलिट–साईट	1	---
6.	300 पोस्ट डाक्टोरल रमन अध्येतावृत्तियां	125	---
	कुल	**185**	**4**

प्रतिनिधिमण्डल:

वि.अ.आ. ने उच्चतर के क्षेत्र मे आपसी सहयोग के संबंध में विचारों के आदान–प्रदान करने हेतु निम्नलिखित विदेशी शिष्टमंडलों की अगवानी की :–

- 17.10.2013 – न्यूजीलैण्ड से प्रतिनिधिमंडल
- 06.01.2014 – मस्कट विश्वविद्यालय, अमरीका से 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल
- 09.01.2014 – क्यूबेक से 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल

हस्ताक्षर किये गये समझौता ज्ञापन

➢ वि0अ0आ0–टैक मॉरीशस समझौता :

वि0अ0आ0 एवं तृतीयक शिक्षा आयोग मारीशस के छठे कॉन्सार्शियम समझौते पर 29 जनवरी, 2014 को मॉरिशस में 3 वर्ष की अवधि के लिए हस्ताक्षर किये गये। कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ–साथ विद्वानों के आदान–प्रदान की व्यवस्था है।

➢ इन्डो नार्वे समझौता

उच्चतर शिक्षा तथा शोध में भारतीय–नार्वे सहयोग कार्यक्रम (आईएनसीपी) एक नई पहल है जिसका उद्देश्य भारत तथा नार्वे के बीच उच्चतर शिक्षा के संबंधों को बढ़ाना है। यह कार्यक्रम उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में भारत–नार्वे समझौता ज्ञापन, जिस पर 14 फरवरी, 2014 को हस्तक्षर किये गये थे तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि0अ0आ0) भारत तथा नार्वेयन सेन्टर फॉर इंटरनेशनल कापरेशन इन एजूकेशन (एसआईयू) के बीच शैक्षणिक सहयोग के संबंध में हुए करार पर आधारित है।

कार्यशाला, जेडब्ल्यू की बैठकें तथा विशेषज्ञ समिति की बैठकें

29-04-2013	सिंह–ओबामा 21वीं शताब्दी ज्ञान पहल के तहत संयुक्त प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए बैठक
01-05-2013	सिंह–ओबामा 21वीं शताब्दी ज्ञान पहल के तहत संयुक्त शोध हेतु अवार्ड को अंतिम रूप देने के लिए संयुक्त कार्य समूह की बैठक
12-08-2013	प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए इंडोनेशिया की बैठक
26-08-2013	वि0अ0आ0–यूकेईआईआरआई थीमेटिक पार्टनरशिप के तहत संयुक्त प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए बैठक
27-08-2013	वि0अ0आ0–यूकेईआईआरआई थीमेटिक पार्टनरशिप के तहत संयुक्त प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए बैठक
15-10-2013	वि0अ0आ0–यूकेईआईआरआई थीमेटिक पार्टनरशिप के तहत संयुक्त प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए बैठक
25-10-2013	वि0अ0आ0–यूकेईआईआरआई थीमेटिक पार्टनरशिप के तहत संयुक्त प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए बैठक
05-11-2013	वि0अ0आ0–यूकेईआईआरआई थीमेटिक पार्टनरशिप के तहत परियोजना अनुदान समिति की बैठक
20-11-2013	राष्ट्रमण्डल अध्येतावृत्ति तथा स्पिलिट–साईट छात्रवृत्ति की आमुख बैठक
21-11-2013	राष्ट्रमण्डल अध्येतावृत्ति तथा स्पिलिट–साईट छात्रवृत्ति की आमुख बैठक
22-11-2013	राष्ट्रमण्डल अध्येतावृत्ति तथा स्पिलिट–साईट छात्रवृत्ति की आमुख बैठक
13-01-2014	सार्क क्षेत्रीय सम्मेलन
14-01-2014	सार्क क्षेत्रीय सम्मेलन
24-01-2014	सिंह–ओबामा 21वीं शताब्दी ज्ञान पहल के तहत संयुक्त प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए बैठक
16-02-2014	नार्वे के साथ द्विपक्षीय कार्यशाला
28-02-2014	अमरीका में 300 पोस्ट डाक्टोरल अध्येतावृत्तियों हेतु लघुसूचीबद्ध अभ्यर्थियों की बैठक
10-03-2014	वि0अ0आ0–डीएएडी पीपीपी कार्यक्रम के तहत प्रस्ताव की मूल्यांकन करने के लिए बैठक
11-03-2014	दक्षिण एशिया हेडलबर्ग (जर्मनी) के तहत प्रस्ताव की मूल्यांकन करने के लिए बैठक

➢ विदेशी भाषा शिक्षक

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोगात्मक कार्यक्रम हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ विदेशी भाषाओं के शिक्षण के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषा शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान है। उनकी नियुक्ति विश्वविद्यालयों में संबंधित देश के मिशन तथा संबंधित विश्वविद्यालय से परामर्श के साथ की जाती है। किसी विश्वविद्यालय के लिए विदेशी भाषा के शिक्षक की व्यवस्था करते समय सामान्यतः यह सुनिश्चित किया जाता है कि विदेशी भाषा शिक्षण के लिए विश्वविद्यालयों में उचित अवसंरचनात्मक संरचना हो।

इस अवधि के दौरान, भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में **22 विदेशी भाषा शिक्षकों** की नियुक्ति की गई थी। भाषा–वार शिक्षकों का ब्यौरा निम्नवत है :

जर्मन–3,	पुर्तगाली–2,	स्पेनिश–10,	हंगेरियाई–1,	पश्तो–1,
क्रोशियाई–1,	बुल्गेरियाई–1,	रोमानिया–1,	चेक–1,	पोलिश–1

अध्येतावृत्तियां और छात्रवृत्तियां

➢ अमरीका में 300 रमन पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियां

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विधाओं में युवा भारतीय शोधकर्ताओं को उभरते हुए क्षेत्रों मे उन्नत तकनीकों एवं प्रौद्योगिकीयों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण में उत्कृष्ट अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है जिससे वैश्विक परिप्रेक्ष्य के साथ इन क्षेत्रों में अमेरिका में विशिष्ट विशेषज्ञों के साथ दीर्घकालीन संबंधों का विकास कर उनकी शोध क्षमता तथा उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करने की क्षमता में वृद्धि की जा सके। इस प्रयोजनार्थ अमेरिका में पोस्ट डॉक्टोरल शोधकर्ताओं हेतु 300 रमन अध्येतावृत्तियां आरंभ की गई हैं। इस योजना के तहत वर्ष 2013–14 के दौरान 126 अभ्यर्थियों ने अमेरिका का दौरा किया।

➢ कॉमनवेल्थ अकॉदमिक स्टॉफ अध्येतावृत्तियां :

प्रत्येक वर्ष, यूनाईटेड किंग्डम, राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ द्वारा 80 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं ताकि भारत में विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में प्रतिभावन संकाय सदस्य यूनाईटेड किंग्डम के विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में अनुसंधान कार्य कर सकें।

वर्ष 2013 के लिए यूनाईटेड किंग्डम राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ द्वारा 80 अध्येतावृत्तियों की पेशकश की गई थी, तद्नुसार वि0अ0आ0 द्वारा अध्येतावृत्तियों के लिए 76 शिक्षकों को अनुशंसित किया गया था। इनमें से, इस योजना के तहत यूनाईटेड किंग्डम राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ द्वारा अतत: 38 स्कॉलरों को चयनित किया।

➢ राष्ट्रमंडल स्पलिट सॉइट छात्रवृत्तियाँ :

वर्ष 2013 के दौरान राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ, यूनाईटेड किंग्डम ने ऐसे कनिष्ठ संकाय या छात्रों के लिए जो कि भारत में डॉक्टोरल उपाधि के लिए अध्ययन कर रहे हैं और जो यूनाईटेड किंग्डम में एक वर्षीय पूर्णकालिक अध्ययन का लाभ उठाना चाहते हैं के लिए 14 राष्ट्रमंडल स्पलिट साइट डाक्टोरल छात्रवृत्तियों की पेशकश की।

वर्ष 2013 के लिए वि.अ.आ. ने 18 स्कालर्स को नामांकित किया गया तथा यू.के. के राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ द्वारा स्पलिट सॉइट स्कॉलरशिप 2013 के अन्तर्गत 01 (एक) स्कॉलर का चयन किया गया।

➢ इंडो–फिनिश सरकार छात्रवृत्तियाँ :

फिनलैंड सरकार, फिनलैंड में उच्चतर शिक्षा संस्था या सार्वजनिक अनुसंधान संस्थान में स्नातकोत्तर अध्ययन, अनुसंधान और शिक्षण के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करती है। वर्ष 2013 के लिए फिनलैण्ड का दौरा करने के लिए आयोग ने 10 भारतीय स्कॉलरों को नामांकित किया था।

संयुक्त शोध प्रस्ताव

➢ यू.के.आई.आई.आरई.:

समझौते ज्ञापन का उद्वेश्य, अप्रैल, 2011 से मार्च, 2013 की अवधि के लिए ब्रिटेन भारत शिक्षा और शोध पहल (यूकेआईआरआई) के अंतर्गत कार्यकलापों के संयुक्त प्रचालन के संबंध में ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली ब्रिटिश काउंसिल और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बीच समझौता स्थापित करना हैं, और 16–08–2011 को इस पर हस्ताक्षर किये गये।

यह समझौता ज्ञापन अगस्त, 2011 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा ब्रिटिश काउंसिल के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का ही विस्तार है। पार्टियां निम्नवत पर सहमत हैः–

- कार्यक्रम शीर्षक : यूकेआईईआरआई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहयोग
- अवधि : 30 जनवरी, 2013 से 31 मार्च, 2016
- भागीदार :

भारतीय विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों की ओर से **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि0अ0आ0)** तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सहायता से।

➢ ब्रिटिश काउंसिल (बीसी) के माध्यम से नई दिल्ली स्थित यूकेआईईआरआई सचिवालय

20 संयुक्त शोध प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया तथा 18 परियोजनाओं को 50 प्रतिशत अनुदान भी अनुमोदित किया गया। ब्रिटेन संस्थानों द्वारा एक प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया तथा एक अन्य प्रस्ताव को वर्ष 2014–15 के लिए अंतरित कर दिया गया है।

वर्ष 2013–14 के दौरान 33 संयुक्त शोध परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया है। अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है तथा 33 परियोजनाओं को 50 प्रतिशत राशि जारी की जानी है।

➢ सिंह–ओबामा ज्ञान पहल कार्यक्रम

भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच शैक्षिक भागीदारी को सुदृढ करने के लिए संयुक्त सिंह–ओबामा ज्ञान पहल कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थानों को सहायता प्रदान करने के तरीके पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव (आईसीसी) के बीच 19 मई, 2010 को चर्चा की गई थी।

आयोग, कार्यक्रम के लिए 25.00 करोड़ रु0 का योगदान करने के लिए सिद्धांत रूप में सहमत हो गया है।

वर्ष 2013–14 के दौरान 04 संयुक्त शोध प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है। अनुमोदन के बारे में जानकारी प्रदान की जा चुकी है तथा 50 प्रतिशत अनुदान जारी किया जा चुका हैं।

➢ न्यूजीलैंड

वर्ष 2011 में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह तथा जॉन के0 ने उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान और कौशल विकास तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग में वृद्धि करने के लिए भारत–न्यूजीलैंड शिक्षा परिषद् की घोषणा की। न्यूजीलैंड (आईईएनजी) तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत, आईएनजेडईसी में जुटी दो महत्वपूर्ण एजेंसियां है। योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों से 68 संयुक्त प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसमें से 7 प्रस्तावों को वित्तपोषण हेतु संस्तुत किया गया है।

➢ जर्मन शैक्षणिक आदान–प्रदान सेवा (डीएएडी)

दिनांक 30.10.2007 को डीएएडी के अध्यक्ष प्रो. थियोडोर बरचेम तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अध्यक्ष, प्रो. सुखदेव थोराट के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये।

➢ जर्मनी

- **परियोजना आधारित कार्मिक आदान–प्रदान कार्यक्रम (पीपीपी):–** जर्मन शैक्षणिक आदान–प्रदान सेवा (डीएएडी) तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि0अ0आ0) नई दिल्ली ने मुख्यरूप से मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में सहयोगात्मक शोध परियोजना में भागीदारी करने वाले विद्वानों को वित्तपोषण के माध्यम से वैज्ञानिक सहयोग को गति देने के लिये एक कार्यक्रम तैयार किया है। युवा पीएचडी तथा पोस्ट डाक्टारेल वैज्ञानिकों एवं विद्वानों पर विशेष बल दिया जाएगा।

- **वैज्ञानिकों का आदान–प्रदान करने संबंधी कार्यक्रम:** यह कार्यक्रम मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान तथा विशिष्ट विषयों, जिन्हें दोनों पक्षों द्वारा आपस में तय किया जायेगा में प्रत्येक पक्ष से 10 वैज्ञानिकों के आदान–प्रदान को सहायता प्रदान करता है। आदान–प्रदान की अवधि कम से कम दो सप्ताह तथा अधिकतम चार सप्ताह की होगी। इस अवधि के दौरान चार मेजबान संस्थानों का दौरा किया जा सकता है। प्रत्येक पक्ष अपने आगन्तुक वैज्ञानिकों की यात्रा लागत को वहन करेगा।

- **दक्षिण एशिया इंस्टीट्यूट, हेडलबर्ग** :– जर्मन पक्ष, दक्षिण एशिया इंस्टीट्यूट, हेडलबर्ग में कार्य करने के लिये भारतीय वैज्ञानिकों को 2–3 माह की छात्रवृत्ति को वार्षिक रूप से अवार्ड करता है।

➢ भारत–फ्रांस सामाजिक वैज्ञानिक विनिमय कार्यक्रम।

प्रत्येक वर्ष वि.अ.आ., भारत–फ्रांस समाज वैज्ञानिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ भारतीय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों को पेरिस जाने के लिए नामित करता है ताकि ऐसे स्लॉटों का लाभ उठाया जा सके जिनको कि फ्रेंच पक्ष द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उपलब्ध कराया गया है।

➢ स्रोत सामग्री एकत्रित करने की योजना के तहत शिक्षकों को विदेश में दौरा करने के लिए यात्रा अनुदान

इस योजना के अधीन आयोग विश्वविद्यालय/महावद्यालयों शिक्षकों को स्रोत सामग्री एकत्र करने/अध्येतावृत्ति प्राप्त करने के लिए शत–प्रतिशत आधार पर यात्रा अनुदान उपलब्ध कराता है। यह सहायता केवल उन्हीं विद्वानों को उपलब्ध कराई जाती है जिन्होंने विदेश में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम से कम दो महीने के भरण–पोषण के लिए आश्वासन प्राप्त कर रखा है। **वर्ष 2013 के दौरान, इस योजना के अधीन 1 भारतीय स्कालर को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी।**

➢ इंडो–बुलगेरियन सी.ई.पी.

वि.अ.आ. ने **14 जुलाई से 03 अगस्त, 2013** तक सोफिया विश्वविद्यालय ''सेंट किलमिट ओहरीडीस्क'' तथा **22 जुलाई से 11 अगस्त, 2013** तक वेलीको के जो 'सैंट सिरिल और सैंट मेथोडियस' विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बुलगेरियन भाषा और संस्कृति पर आयोजित सम्मेलन में **4** स्कॉलरों को नामित किया किया गया था। सभी दौरे सफल रहे।

➢ आस्ट्रेलिया

दिनांक 01.08.2011 (एआईईसी) को आयोजित भारत और आस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में निम्नवत मुद्दों पर चर्चा की गई थी।

1. उच्चतर शिक्षा में सहयोग
2. भारत–आस्ट्रेलिया ज्ञान आदान–प्रदान परियोजना
3. संस्थागत सहयोग
4. संयुक्त शोध

निम्नलिखित क्षेत्रों में निम्नवत मुख्य सदस्यों के साथ एआईईसी सदस्यों द्वारा आपसी लाभ के प्राथमिकता वाले प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई थी।

1.	छात्र का स्थानांतरण	– श्री नजीब जंग
2.	कौशल एजेन्डा	– श्री दिलीप चिनाय
3.	उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में संस्थागत सहयोग	– प्रो. रामकृष्ण रामास्वामी
4.	गुणवत्ता आश्वासन	– प्रो. रंगनाथ
5.	शोध	– प्रो. दिनेश सिंह

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा छात्र स्थानांतरण के संबंध में 40.00 लाख रुपए के वित्तपोषण के साथ परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है जिसे जेएमआई, नई दिल्ली को सौंपा गया है जिसमें से 30.00 लाख रुपए जारी किये गये हैं तथा कार्यक्रम चल रहा है।

5.11 शोध तथा शिक्षण हेतु मानव संसाधन के विकास के लिये राष्ट्रीय शिक्षा तथा परीक्षा (नेट)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानविकी (इनमें भारतीय भाषाएं एवं कुछ विदेशी भाषाएं भी शामिल हैं), सामाजिक विज्ञानों कंप्यूटर विज्ञान तथा अनुप्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान, अपराध विज्ञान तथा पर्यावरणीय विज्ञानों में व्यवसाय तथा अनुसंधान में प्रवेशार्थियों के लिए न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए लैक्चररारशिप एवं कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.) की पात्रता निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आयोजित करता है। देशभर में फैले 84 समन्वय संस्थानों और 79 विषयों (परीक्षा–एक के अलावा) में परीक्षा आयोजित की जाती है। दिसम्बर, 2013 में आयोजित नेट परीक्षा से वि0अ0आ0–नेट परीक्षा में एक नया विषय 'संथाली ' आरंभ किया गया था। वर्ष 2013–14 से अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए सात नये समन्वयक संस्थानों की भी सेवाएं प्राप्त की गई।

विज्ञान के पांच मुख्य विज्ञान विषयों यथा रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित विज्ञान तथा पृथ्वी, वायुमण्डलीय महासागरीय, ग्रह विज्ञान में भी परीक्षा केन्द्रीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई.आर.) और वि.अ.आ. द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाती है तथा यह परीक्षाएँ जून तथा दिसम्बर के महीनों में की जाती है।

भारत सरकार की 22 जुलाई 1988 की अधिसूचना के माध्यम से कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.) अवार्ड की परीक्षा, 1984 से तथा लेक्चरार के लिये पात्रता परीक्षा, वर्ष 1989 से प्रारंभ हुई। जो इंजीनियरिंग विषयों से संबंधित परीक्षाओं को जे.आर.एफ. हेतु वि.अ.आ.–सी.एस.आई.आर संयुक्त नेट परीक्षां दिसम्बर, 1990 से लेकर जून, 1995 तक आयोजित की गई। ऐसे प्रत्याशी जो शोध करना और विअआ से अध्येतावृत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वे वि0अ0आ0–नेट के तहत कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति परीक्षा में बैठ सकते हैं। ऐसे प्रत्याशी जिनकी योग्यता अधिक है तथा वि0अ0आ0 नेट परीक्षा में जे.आर.एफ. के लिए सफल जो जाते हैं,

वे विअआ नेट परीक्षा में जे.आर.एफ. के लिए सफल हो जाते हैं, वे वि0अ0आ0 द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अनुसंधान कार्य कर सकते हैं, वे सी.एस.आई.आर–वि0अ0आ0 नेट परीक्षा के माध्यम से विज्ञान के पांच मुख्य विषयों में जे0आर0एफ0 के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। वि0अ0आ0 द्वारा सहायक आचार्य हेतु 1200 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती है। अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि के लिये अध्येतावृत्ति उपलब्ध है।

वर्तमान में विअआ प्रत्येक विअआ–नेट विषयों में 3200 अध्येतावृत्तियों प्रदान करता हैं। जून 2013 में विअआ–नेट परीक्षा में 4468 प्रत्याशियों को जे.आर.एफ. के लिए पात्र घोषित किया गया जबकि दिसम्बर, 2013 के दौरान हुई परीक्षा में 3749 प्रत्याशियों को जे.आर.एफ. के लिए पात्र पाया गया।

नेट में निष्पादन

विअआ–नेट के तहत पंजीकरण करवाने वाले, परीक्षा मे बैठने वाले, लेक्चरशिप एवं कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति(जे.आर.एफ) परीक्षा में सफल हुये अभ्यर्थियों का ब्यौरा निम्नवत तालिका–5.11(क) में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका–5.11(क): वर्ष 2013–14 के दौरान परीक्षा हेतु पंजीकरण करवाने वाले, परीक्षा मे बैठने वाले तथा कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति हेतु अभ्यर्थियों का ब्यौरा

	विअआ–नेट	पंजीकृत	परीक्षा मे बैठे		परीक्षा में सफल हुए	
			संख्या	पंजीकृत का प्रतिशत	संख्या	पंजीकृत का प्रतिशत
30 जून 2013	सहायक–आचार्य (जे.आर.एफ. सहित) हेतु पात्रता	738955	574474	77.74	31176	5.43
	कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.)	463933	370588	79.88	4468	1.21
29 दिसम्बर 2013	सहायक–आचार्य (जे.आर.एफ. सहित) हेतु पात्रता	687874	532043	77.35	24865	4.67
	कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.)	459102	364955	79.49	3749*	1.03

नोट : *अभ्यर्थियों के प्रश्नों के उत्तर के संबंध में शिकायतों के समाधान होने पर इन आंकड़ों में वृद्धि हो सकती है।

रेखाचित्र 5.11(क): वि0अ0आ0 (वर्ष 2013–14) में निष्पादन: पंजीकृत हुए, परीक्षा में बैठे तथा उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की संख्या

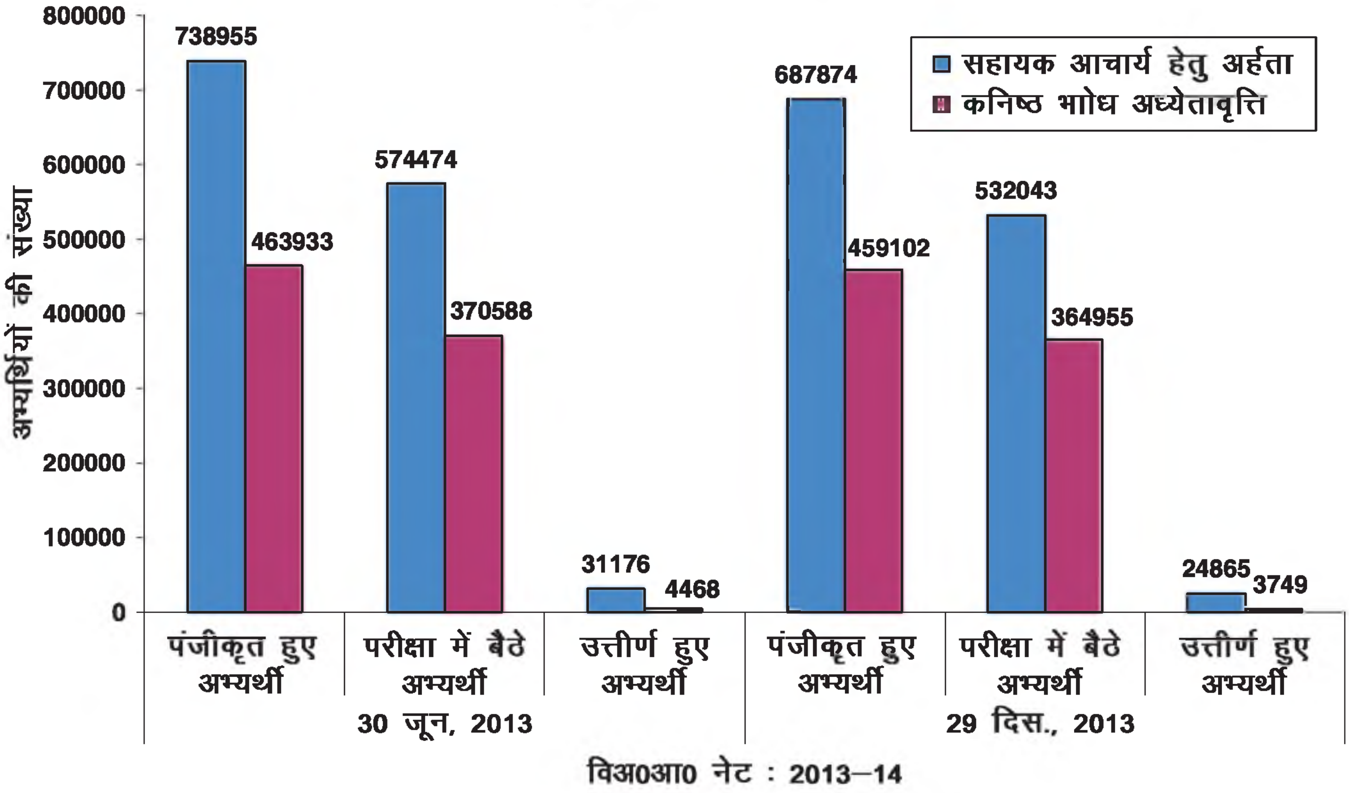

तालिका–5.11(ख) उन मुख्य विज्ञान विषयों को दर्शाती है जिसमें सीएसआईआर द्वारा सीएसआईआर–विअआ–नेट परीक्षा आयोजित की जाती है तथा तालिका–5.11(ग) जेआरएफ के लिए पात्र अभ्यर्थियों की संख्या को दर्शाता है। समन्वयक संस्थानों की सूची जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट परीक्षा आयोजित करती है तथा विषय जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट परीक्षा आयोजित की जाती है, क्रमशः परिशिष्ट–VI तथा VII में दिये गये हैं:–

तालिका–5.11(ख): सीएसआईआर–विअआ–नेट संयुक्त परीक्षा के तहत कवर विज्ञान के विषय

क्र.सं.	विषय
1.	रसायन विज्ञान
2.	पृथ्वी, वायुमण्डलीय महासागरीय, ग्रह विज्ञान
3.	जीव विज्ञान
4.	गणित विज्ञान
5.	भौतिक विज्ञान

तालिका–5.11(ग) : सीएसआईआर–विअआ–नेट संयुक्त परीक्षा में अभ्यर्थियों का निष्पादन

सीएसआईआर–विअआ–नेट संयुक्त परीक्षा	परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों की संख्या	
	विअआ–जेआरएफ	केवल लैक्चरारशिप हेतु
जून, 2013	1200	2609
दिसम्बर, 2013	1200	2368

स्रोतः सीएसआईआर की आधिकारिक वेबसाईट अर्थात csirhrdg.res.in

सीआईएसआर–वि0अ0आ0 नेट (वर्ष 2013–14) में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों के संदर्भ में अभ्यर्थियों का निष्पादन

वर्ष 2013–2014 के दौरान वि0अ0आ0–नेट और नेट ब्यूरो के अन्य सभी अनुषंगी क्रि ... 1488 रुपये का व्यय किया गया था। इसमें एनईटी ब्यूरो में तैनात नियमित वि0अ0आ0 कर्मचारि ... गया व्यय शामिल नहीं है।

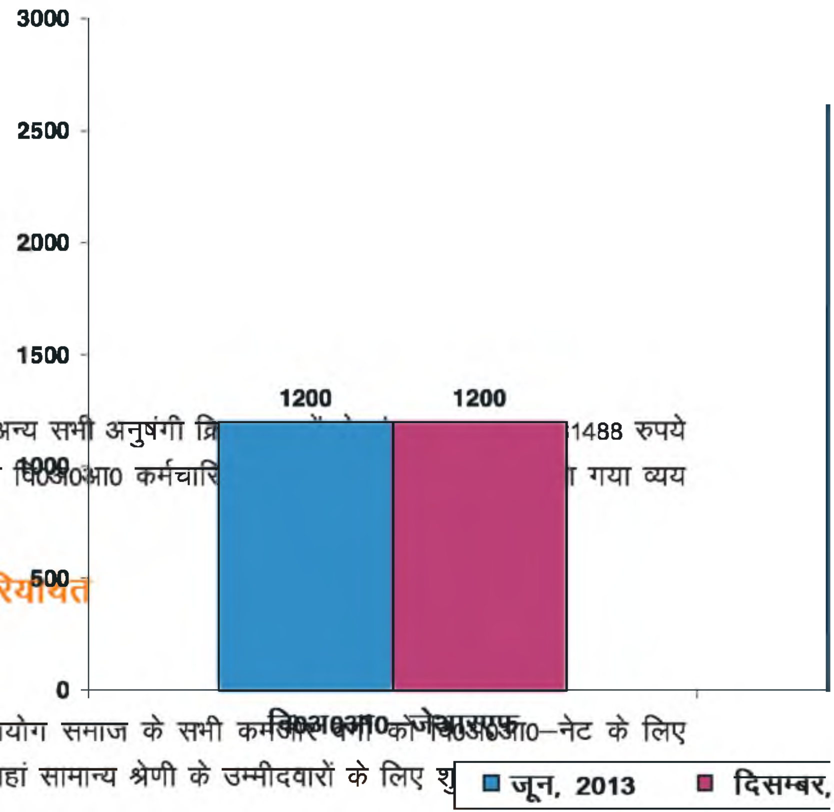

वंचित श्रेणियों को उपलब्ध कराई गई छूट/रियायत

(i) शुल्क में

भारत सरकार की नीति के अनुरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समाज के सभी कमजोर वर्गों को वि0अ0आ0–नेट के लिए आवेदन करने हेतु शुल्क में काफी रियायत देता आ रहा है। जहां सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए शु

भारत सरकार की नीति के अनुरूप अन्य पिछड़ा वर्ग के असम्पन्न वर्गों के उम्मीदवारों के लिए यह केवल 225 रुपये है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और शारीरिक रूप से विकलांग(पीडब्ल्यूडी) श्रेणी के उम्मीदवारों को केवल 110 रुपये नाममात्र शुल्क देना होता है।

(ii) आयु में (जे0आर0एफ0 के लिए)

सामान्य श्रेणी के लिए जे आर एफ में बैठने के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष है। अ0ज0/अ0ज0जा0/अपिव (असंपन्न)/पीडब्ल्यूडी श्रेणी और महिला आवेदकों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है।

(iii) नेट हेतु पात्रता की शर्तों में

1.	सामान्य एंव अ0पि0व0 (असंपन्न वर्ग) के अभ्यर्थी	निष्णांत उपाधि में 55% अंक (बिना पूर्णांकित किए)
2.	अ0जा0/अ0ज0जा0/शारीरिक रूप से निशक्त अभ्यर्थी	निष्णांत उपाधि में 50% अंक (बिना पूर्णांकित किए)

(iv) नेट हेतु अर्हक मानदण्ड में

अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से परिणाम तैयार करते हेतु विचार किये जाने के लिए प्रश्न पत्र–I, II और III में अलग–अलग नीचे दिये गये न्यूनतम अंक प्राप्त करने होते हैं जैसा कि निम्नवत तालिका में दर्शाया गया है।

तालिकाः अंतिम रूप से परिणाम तैयार करने हेतु विचार किये जाने हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंकों का श्रेणी–वार ब्यौरा।

श्रेणी	अपेक्षित न्यूनतम अंक(प्रतिशत में)		
	प्रश्न पत्र–I	प्रश्न पत्र–II	प्रश्न पत्र–III
सामान्य	40 (40%)	40 (40%)	75 (50 %)
अपिव (असंपन्न)	35 (35%)	35 (35%)	67.5 (45 %) 68 तक पूर्णांकित
अ.जा./अ.ज.जा./पीडब्ल्यूडी	35 (35%)	35 (35%)	60 (40 %)

यह स्पष्ट है कि अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के व्यक्तियों हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंक सामान्य श्रेणी के लिये अपेक्षित न्यूनतम अंकों से कम है। यहां तक कि कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) हेतु परिणामों का संकलन करते हुए इस सिद्धांत को विचाराधीन रखा गया तथा यह सुनिश्चित किया गया कि वंचित वर्गों के लिये विषयवार अंतिम न्यूनतम पात्रता अंक सामान्य श्रेणी से कम हों।

पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिये की गई पहल

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पारदर्शिता को बढ़ावा देने के अपने सतत् प्रयासों के तहत परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिकाधिक परस्पर प्रभावशील एवं निष्पक्ष बनाने के लिए अनेक उपाय किये है। इन प्रयासों का निम्नवत पैराओं में खाका खींचा गया है।

(क) दिसम्बर, 2011 तक परीक्षा पत्र–III, विवरणात्मक था। जून 2012 की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – नेट परीक्षा से इसे वस्तुनिष्ठ बना दिया गया। इससे मूल्यांकन में समानता सुनिश्चित होती है तथा परीक्षा पत्र का मूल्यांकन करने में पक्षपात की संभावना नहीं रहती है।

(ख) दिसम्बर, 2011 की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट परीक्षा तक अभ्यर्थियों को अपने साथ प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं थी। खुलेपन की नीति के अनुरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जून, 2012 की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट परीक्षा उपरांत अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्रों को अपने साथ ले जाने की अनुमति प्रदान की।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी ओएमआर शीट को संशोधित किया ताकि शीट के साथ इसकी कार्बन रहित कॉपी भी रखी जा सकें। अभ्यर्थी जून, 2012 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट परीक्षा से ओएमआर की कार्बन रहित प्रति अपने साथ ले जा सकते हैं।

(घ) जून, 2012 की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट परीक्षा से सभी प्रश्नपत्रों के उत्तर जनसाधारण की पहुंच में है चूंकि उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेबसाईट पर अपलोड किया गया है। अभ्यर्थी जिनके पास उत्तर, प्रश्न पत्र एवं उनके ओएमआर शीट की कार्बनरहित प्रतियां है, वे अपने उत्तर पत्र की जांच कर सकते हैं। प्रश्नों में विसंगतियों अथवा किन्हीं गलत उत्तर के संबंध में अभ्यर्थियों से प्रश्नों के उत्तर तथा प्रश्नपत्र को अपलोड करने के एक सप्ताह से भी अधिक समय तक ऑनलाइन फीडबैक आमंत्रित किया जाता है। अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर विशेषज्ञ समितियों द्वारा पुनः जांच की जाती है तथा तदनुसार उत्तर को अद्यतन किया जाता है। अद्यतन किये गये उत्तर के आधार पर परिणाम तैयार किये जाते है।

(ङ) प्रथम पहल के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट के परिणाम घोषित होने के बाद भी जिन अभ्यर्थियों को उत्तर के संबंध में कोई शिकायतें है, उन्हें अपनी लिखित शिकायत अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट ब्यूरो, साउथ कैम्पस, दिल्ली विश्वविद्यालय, बेनिटो जुआरेज मार्ग, नई दिल्ली–110021 को अपने पक्ष के समर्थन में मानक पुस्तकों/साहित्य के साथ सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पक्ष में 5000 रुपए के डिमांड ड्रॉफ्ट के साथ, परिणाम घोषित होने की तिथि के एक माह के भीतर भेजना होगा। यह अनोखी पद्धति जून, 2013 को आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट परीक्षा से आरंभ की गई थी। चूंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जून, 2012 की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट परीक्षा से परीक्षा पत्र–III के ढांचे (विवरणात्मक से वस्तुनिष्ठ) में आशोधन कर दिया है, जून, 2012 तथा दिसम्बर, 2012 की परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थी जिन्हें इस प्रकार की शिकायतें थी, उन्हें अपनी शिकायतें दायर करने का यह अवसर प्रदान किया गया है।

इस प्रकार प्राप्त अनुरोधों को शिकायत की जांच के लिये विशेषज्ञ समिति(यों) के समक्ष रखा गया। संबंधित विषय की संबद्ध समितियों ने अभ्यर्थी की शिकायतों की जांच की तथा जहां कहीं आवश्यक हुआ उत्तर को अद्यतन किया। तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने परिवर्तित उत्तर के आलोक में आंकड़ों को संसाधित किया तथा संबंधित विषयों में पूर्व–अनुमोदित न्यूनतम प्रतिशत के आधार पर जेआरएफ और/अथवा सहायक–आचार्य के पद के लिये पात्रता हेतु अतिरिक्त अभ्यर्थियों को अर्हक घोषित किया। जेआरएफ और/अथवा सहायक आचार्य के लिये पूर्व में अर्हक अभ्यर्थियों के परिणाम अपरिवर्तित रहे। उपरोक्त उल्लिखित तीन वि0अ0आ0–नेट हेतु जे0आर0एफ0 के लिए पूर्व अनुमोदित अर्हता–परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये विषय वार तथा श्रेणीवार न्यूनतम अंक तथा सहायक आचार्य के पद के लिये अर्हता में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

दिसम्बर, 2013 में आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट की शिकायतों की भी इस प्रकार जांच की जा रही है।

राज्य पात्रता परीक्षा (सेट)

राज्य सरकारों के अनुरोध पर भारत सरकार की दिनांक 22.07.1988 की अधिसूचना के माध्यम से वि.अ.आ. ने राज्य सरकारों को **राज्य पात्रता परीक्षा (सैट)**, जिन्हें पूर्व में राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (एस.एल.ई.टी.) कहा जाता था, को आयोजित करने की अनुमति प्रदान की है, जिन्हें एक निर्धारित अवधि के लिये वि0अ0आ0 द्वारा प्रत्यायित किया गया है। एस.ई.टी. का पैटर्न भी वि. अ.आ. द्वारा संचालित नेट परीक्षा जैसा है।

कुछ राज्यों/समूहों के नेट परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में वि0अ0आ0 उनके प्रस्तावों की जांच करने के बाद ही लेक्चरशिप हेतु सेट आयोजित करने के लिये प्रत्यायित करता है। एस.ई.टी. अभिकरणों के निष्पादन की वि.अ.आ. द्वारा आवधिक तौर पर विशेषज्ञों की सहायता से पुनरीक्षा की जाती हैं और निर्धारित अवधि के लिए उनके प्रत्यायन का नवीकरण किया जाता है। वि.अ.आ.–नेट ब्यूरो के प्रमुख, सेट अभिकरणों की विषय संचालन और आधुनिकीकरण समितियों के स्थायी सदस्य होते हैं, जिनका गठन परीक्षाओं को आयोजित करने और परिणामों को घोषित करने के समग्र पर्यवेक्षण करने के लिए किया जाता है।

जिन अभ्यर्थियों ने लैक्चरारशिप हेतु 1 जून, 2002 से पूर्व वि.अ.आ. द्वारा प्रत्यायित राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) मे उत्तीर्ण की हैं उन्हें नेट परीक्षा में बैठने से छूट दे दी जाती है। **जून, 2002 में या उसके बाद आयोजित होने वाली सेट परीक्षा में उर्त्तीण होने वाले उम्मीदवार राज्य से संबंधित केवल उन्हीं विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में व्याख्याता के पद के लिए आवेदन करने के पात्र होगें जहां से उन्होंने अपनी सेट परीक्षा उत्तीर्ण की है।** तथापि, ऐसे उम्मीदवार यदि वे ऐसा चाहें तो, नेट हेतु आवेदन करने के पात्र भी होंगे।

अब तक निम्नवत राज्यों/राज्य समूहों ने सेट का संचालन किया है:–

i) आन्ध्र प्रदेश
ii) बिहार
iii) छत्तीसगढ़
iv) गुजरात
v) हरियाणा
vi) हिमाचल प्रदेश
vii) जम्मू और कश्मीर
viii) झारखण्ड
ix) कर्नाटक
x) मध्य प्रदेश
xi) महाराष्ट्र और गोवा
xii) उत्तरपूर्व राज्य (भागीदारी करने वाले राज्यः असम अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम)
xiii) राजस्थान
xiv) तमिलनाडु

xv) उत्तरांखण्ड

xvi) उत्तर प्रदेश

xvii) पश्चिम बंगाल

इन राज्यों में जिन राज्यों/राज्य समूहों ने वर्ष 2013–14 के दौरान सेट परीक्षा का आयोजन किया उनका ब्यौरा निम्नवत है:

i) आन्ध्र प्रदेश

ii) छत्तीसगढ़

iii) गुजरात

iv) हिमाचल प्रदेश

v) जम्मु और कश्मीर

vi) कर्नाटक

vii) महाराष्ट्र और गोवा

viii) उत्तरपूर्व राज्य(भागीदारी करने वाले राज्य: असम अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम)

ix) पश्चिम बंगाल

सेट की परीक्षा आयोजित करने के लिए व्यय को सम्बंधित राज्यों द्वारा वहन किया जाता है।

5.12 यात्रा अनुदान

यात्रा अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) तथा 12(ख) के तहत मान्यता प्राप्त राज्य विश्वविद्यालय, सम विश्वविद्यालय तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी शिक्षकों तथा महाविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्षों एवं कुलपतियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रदान किया जाता है। योजना का उद्देश्य विदेशी शिक्षा संस्थानों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्रों को प्रस्तुत करने तथा उन देशों में उच्चतर शिक्षा की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने हेतु महाविद्यालयों के शिक्षकों को प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त, यह सुविधा राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के स्थायी शिक्षकों को वर्ष में अनुमोदित कुल मामलों की 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के साथ उपलब्ध है। शिक्षा अधिकारी/अवर सचिव के स्तर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिकारी तथा आयोग के सदस्य इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के प्राप्त करने के पात्र हैं। महाविद्यालय के शिक्षक/महाविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिकारियों की अधिकतम आयु सीमा उनकी अधिवर्षिता की आयु है तथा कुलपतियों एवं आयोग के सदस्य पद पर नियुक्त होने चाहिये।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के तहत सम्मिलित महाविद्यालयों के स्थायी/अध्यापकों/पुस्तकालय अध्यक्षों को उनकी यात्रा, पंजीकरण शुल्क, दैनिक भत्ता तथा वीजा शुल्क आदि हेतु 3 वर्ष में एक बार शत प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत सम्मिलित राज्य विश्वविद्यालयों सम विश्वविद्यालयों तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, वि.अ.आ. सदस्यों, वि.अ.आ. अधिकारियों एवं अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (असंपन्न वर्ग) के शिक्षकों को 2 वर्ष में एक बार शतप्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत यात्रा अनुदान हेतु सहायता के लिये आवेदक को सम्मेलन के आरंभ होने से दो माह पूर्व प्रस्तुत किये जाने वाले पत्र तथा सम्मेलन के आयोजकों द्वारा स्वीकृति पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उक्त योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष द्वारा गठित यात्रा अनुदान समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। विषय विशेषज्ञ की सिफारिशों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विचार किया जाता है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाभार्थियों की संख्या और किये गये व्यय का ब्यौरा निम्नवत है:

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या			व्यय (करोड़ रुपये में)
	कुलपति	महाविद्यालय के शिक्षक/पुस्तकालय अध्यक्ष	आयोग के सदस्य	
2007-2008	12	263	-	0.96
2008-2009	2	317	1	2.29
2009-2010	5	728	-	3.69
2010-2011	5	590	-	3.62
2011-2012	1	858	-	3.57
2012-2013	6	868	-	5.24

वर्ष 2013–2014 के दौरान लाभार्थियों की संख्या और किये गये व्यय का ब्यौरा निम्नवत है:

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या			व्यय (करोड़ रुपये में)
	कुलपति	महाविद्यालय के शिक्षक/पुस्तकालय अध्यक्ष	आयोग के सदस्य	
2013-2014	04	352	-	2.60

यूनेस्को कार्यक्रम : यूनेस्को द्वारा विश्व में विभिन्न सदस्य देशों में चलाये जाने वाले विभिन्न छात्रवृत्ति/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में परिपत्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्राप्त होते हैं और इन्हें वि0अ0आ0 द्वारा भारत में विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थानों में परिचालित किया जाता है। उच्चतर शिक्षा के विकास और सदस्य देशों के बीच समन्वय से संबंधित यूनेस्को के कुछ मामलों पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वि0अ0आ0 के विचार/टिप्पणी आमंत्रित करता है, जिन्हें पेशकश वि0अ0आ0 द्वारा भली–भांति विचार करने/दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद किया जाता है।

5.13 अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आई.यू.सी.)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 (गगग) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय प्रणाली में स्वायत्त निकायों के रूप में वर्ष 1984 से अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों (आई.यू.सी.) की स्थापना करता रहा है ताकि विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे अनुसंधानकर्ताओं के लाभ के लिए केन्द्रीय रूप से अत्याधुनिक उपस्कर तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें जो समान्यतया इनके लागत कारक के कारण कई विश्वविद्यालयों में उपलब्ध नहीं होती हैं। अब तक, इसने ऐसे सात केन्द्र स्थापित किए हैं।

इन अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों की स्थापना के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं :

- जो विश्वविद्यालय आधारभूत अवसंरचना तथा अन्य निवेशों में भारी पूंजी लगाने में असमर्थ हैं, उनके लिए सामान्य अत्याधुनिक केन्द्रीयकृत उपस्कर तथा सुविधाएं सुविधाएं/सेवाएं उपलब्ध कराना।
- सम्पूर्ण देश में शिक्षकों तथा अनुसंधानकर्ताओं को सर्वोत्तम विशेषज्ञता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना।
- अनुसंधानकर्ताओं तथा शिक्षण संकायों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समतुल्य आधुनिक उपस्कर, अत्याधुनिक श्रेष्ठ पुस्तकालय की सुविधाएं उपलब्ध कराना।

अंतर–विश्वविद्यालय केन्द्र तथा उनके विशिष्ट उद्धेश्य निम्नवत तालिका में दिए गए हैं:

क्र.स.	नाम	स्थापना का वर्ष	उद्देश्य
1)	अंतर्विश्वविद्यालय ऐक्सीलरेटर केन्द्र, (आईयूएसी)	1984	ऐक्सीलरेटर उन्मुखी अनुसंधान
2)	अंतर्विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिकी केन्द्र, (आईयूएसी) पुणे–411007	1988	खगोल विज्ञान में अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक यंत्रीकरण
3)	वि0अ0आ0–डीएई, वैज्ञानिक अनुसंधान कंसोर्टियम, इंदौर–452001	1989	आणविक ऊर्जा विभाग की सुविधाओं का उपयोग
4)	राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद् बंगलुरू–560010	1994	उच्चतर ज्ञान अर्जन के निजी तथा सार्वजनिक संस्थाओं का मूल्यांकन एवं प्रत्यायन करना
5)	सूचना तथा पुस्तकालय नेटवर्क केन्द्र (इन्फ्लिबनैट) अहमदाबाद–380009	1991	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों की नेटवर्किंग
6)	शैक्षिक संचार कंसोर्टियम, अरूण आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली–110067	1993	टेलीविजन, इंटरनेट तथा अन्य इलेक्ट्रिानिक संचार के माध्यमों द्वारा देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम के जरिये व्यापक श्रोताओं तक शैक्षणिक ज्ञान का प्रसार करना
7)	अध्यापक शिक्षा केन्द्र, काकीनाड़ा	2013	अध्यापकों के सशक्तिकरण तथा कार्यविधि में सर्वोत्तम पद्धतियों द्वारा प्रशिक्षण तथा संसाधनों के साथ देश में अध्यापक शिक्षा के ज्ञान आधार को सुदृढ़ करना

निम्नवत भाग में प्रत्येक अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र का ब्यौरा और इसकी विशेषता तथा वित्तीय जानकारी का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

5.13(i) अंतर्विश्वविद्यालय एक्सलरेटर केन्द्र, दिल्ली (आईयूएसी, दिल्ली)

अंतर्विश्वविद्यालय एक्सलरेटर केन्द्र (आईयूएसी) जिसे मूल रूप से नामिकीय विज्ञान केन्द्र (एनएससी) के नाम से जाना जाता था। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि0अ0आ0) द्वारा वर्ष 1984 में स्थापित एक स्वायत्त अनुसंधान केन्द्र है। भारतीय शोध समुदाय की संबंधित विधाओं में रुचि के नवीनतम क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धात्मक शोध करने के लिए आधुनिक एक्सलरेटर आधारित शोध सुविधाओं तक पहुंच बनाने हेतु पुरजोर मांग पर विचार करते हुए केन्द्र की स्थापना की गई थी। केन्द्र (आईयूसीएसी) ने वर्तमान रुचि के क्षेत्रों में उच्च शोध हेतु विश्वस्तरीय ऑयन एक्सेलरेटर तथा संबद्ध प्रयोगात्मक शोध कार्यक्रमों का विकास किया। केन्द्र की स्थापना हेतु अवसंरचना का विकास कार्य वर्ष 1986 में आरंभ किया गया तथा इसे वर्ष 1990 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। चार वर्ष (1986–1990) के छोटे से अंतराल के दौरान केन्द्र की संपूर्ण अवसरचना अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तथा विनिर्धारित समय के भीतर विनिर्मित किये गये थे। केन्द्र, वर्ष 1991 में पूर्णतः प्रचालन में आ गया, तब से 83 विश्वविद्यालय, 54 महाविद्यालय तथा 63 अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं से 400 शोध समूहों को चौबीसों घंटे शोध सुविधाएं उपलब्ध करवा कर अपनी स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। अब तक इस केन्द्र द्वारा 100 से अधिक पीएचडी प्रदान की गई है तथा विख्यात अंतर्राष्ट्रीय संदर्मित जर्नलों में उच्च गुणवत्तायुक्त शोध पत्र प्रकाशित किये गये हैं। वर्ष 2005 में, नाभिकीय विज्ञान केन्द्र का नाम बदल कर अंतर्विश्वविद्यालय एक्सलरेटर केन्द्र (आईयूएसी) रखा गया था।

उद्देश्य तथा मुख्य विशेषताएं

आईसीएसी अधिदेशित है कि वह राष्ट्रीय सुविधा के रूप में :

- अत्याधुनिकी प्रयोगशाला सुविधाओं के साथ विश्वस्तरीय एक्सलरेटर प्रणालियां मुहैया करवायेगा।
- नाभिकीय विज्ञान, सामग्री विज्ञान, विकिरण जीवविज्ञान, परमाणु और आणविक भौतिकी, एक्सलरेटर मास स्पेक्ट्रोमीट्री आदि के क्षेत्र में भारतीय विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों तथा अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं से शोधकर्ताओं को उच्चस्तरीय ऑयन एक्सलरेटर आधारित शोध सुविधाएं मुहैया करवाने के लिये एक राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र के रूप में कार्य करेगा।
- उन्नत तथा भावी शोध क्रियाकलापों हेतु अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी सुविधा तैयार करना तथा मौजूदा राष्ट्रीय सुविधाओं के लिये परिपूरक सुविधा साबित होगा।
- देश में ऑयन एक्सलरेटर भौतिकी तथा प्रौद्योगिकी के विकास की संस्कृति तैयार करना। परिणामस्वरूप, आईयूएसी ने न केवल एक्सलरेटर आधारित शोध प्रयोगशाला के रूप में अपना नाम स्थापित किया है परंतु इसने कुछ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर लाखों इलेक्ट्रान वोल्ट तक ऊर्जा वाले ऑयन बीम उपलब्ध करवाकर अनेक प्रकार के एक्सलरेटरों का निर्माण किया है। आईयूएसी में अनेक प्रकार के एक्सललेटरों का निर्माण किया है। आईयूएसी में अनेक प्रकार के एक्सलरेटर हैं जैसे वेन डी ग्रॉफ एक्सलरेटर, सुपरकंडक्टिंग लीनीयर एक्सलरेटर, उच्च करंट इंजेक्टर हेतु रेडियो फ्रीक्वेंसी क्वाडरापोल, इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रान रेज़ोनेन्स ऑयन स्रोत आधारित पाजीटिव ऑयन इम्प्लांटर, नेगेटिव ऑयन इम्पलांटर आदि। इसके अतिरिक्त, इसने अनेक सुविधाओं की भी स्थापना की है जिन्हें एक्सलरेटर आधारित शोध के साथ उपयोग किया जाता है। रदरफोर्ड बैक स्केटरिंग तथा चेनेलिंग हेतु प्रतिबद्ध एक टेनडेम एक्सलरेटर की स्थापना की गई हैं। हाल ही में आईयूएसी ने देशभर में विश्वविद्यालय शोधकर्ताओं को सुपरकंडक्टिंग तक पहुंच उपलब्ध कराने के लिये उच्च ऊर्जा परिकलनात्मक सुविधा (3200 नोड~70 टीएफ वाला एचपीसी) की स्थापना भी की है।

- **आईयूएसी, बहुविधा अनुप्रयोग उन्मुखी शोध हेतु राष्ट्र के कार्यक्रम का मुख्य अंग है:** वर्तमान में, आईयूएसी ने मूलभूत विज्ञान, सेमीकन्डक्टर इलेक्ट्रानिक्स, अंतरिक्ष के उपग्रहों से समुद्री शोध हेतु उपकरणों की अनुकूलता तक विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का नाम बनने की क्षमताओं का विकास किया है।

- **उच्च शोध हेतु क्षमता निर्माण:** इस स्तर पर आईयूएसी के लिये सफलतापूर्वक इन योजनाओं को जारी रखना संभव हो पाया है चूंकि एक्सलरेटर भौतिकी तथा शोध के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रौद्योगिकीय विकास हेतु अपेक्षित प्रशिक्षित जनशक्ति को आईयूएसी द्वारा तैयार किया गया है।

प्रत्यक्ष लाभार्थियों की संख्या और कवरेज (2013–14)

	संख्या
शोधकर्त्ता	144
विश्वविद्यालय	48
महाविद्यालय	18
शिक्षक	273
छात्र	894
जन साधारण, यदि कोई हो तो	67

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान (राशि लाख रुपये में)

अवधि	योजनागत	गैर–योजनागत
2013–14	3066.00	2608.00

वर्ष 2013–14 के दौरान 68 विदेशी प्रतिनिधिमण्डलों ने आईयूएसी सुविधाओं का दौरा किया। केन्द्र ने तीन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का भी आयोजन किया।

5.13(ii) इंटर–यूनिवर्सिटी सेन्टर फॉर एस्ट्रोनॉमी एण्ड एस्ट्रोफिजिक्स (आईयूसीएए), पुणे

1980 के मध्य में एस्ट्रोनामी और एस्ट्रोफिजिक्स (ए0 एण्ड ए0) भारतीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किए गए थे। जब प्रो0 यशपाल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे तो एक उन्नत केन्द्रीयकृत स्थान जहां पर *'ए एण्ड ए'* के क्षेत्र में जिसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक समझा गया था, जिसमें अनुसंधान और शिक्षण की सभी सुविधाएं उपलब्ध हों, को स्थापित किए जाने की संकल्पना तैयार की गई थी। इस प्रकार आईयूसीएए की एक स्वायत्तशासी उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में सन् 1988 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापना की गई थी और प्रो0 जयन्त वी. नार्लीकर को इसका संस्थापक निदेशक बनाया गया था।

उद्देश्य तथा मुख्य विशेषताएं

- विश्वविद्यालय क्षेत्र में *'ए एण्ड ए'* में शिक्षण शोध तथा विकास क्रियाकलापों को आरंभ करने, पोषित करने तथा विकास करने में मदद करना।
- स्वयंमेव कड़े शोध कार्यक्रम आयोजित करना।

- आईयूसीएए से फील्ड से फील्ड स्टेशन तथा संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करने या भारत एवं पड़ोसी देशों में *'ए एण्ड ए'* क्रियाकलापों हेतु सामान्य मार्गदर्शन तथा मदद मुहैया करवाने की आशा की जाती है।
- आईयूसीएए सदस्य भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के एएसटीआरओएसएटी कार्यक्रम में शामिल रहे है।
- आईयूसीएए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) तथा परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) द्वारा वित्तपोषित तीस मीटर दूरबीन (टीएमटी) परियोजना में अहम संस्थान है।
- आईयूसीएए, एक भारतीय परियोजना–लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेवीटेशनल वेव आबजरवेटरी (एलआईजीओ) – की दिशा में कार्य करने वाला मुख्य संस्थान रहा है।

लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आई0यू0सी0ए0ए0 ने बुनियादी अनुसंधान सहित बहुत से कार्यक्रम तैयार किये है; इनसे से कुछ नीचे दिए गए हैं:–

क) बुनियादी अनुसंधान
ख) *'ए एण्ड ए'* का शिक्षण
ग) आईयूसीएए–एनसीआरए स्नातक विद्यालय
घ) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और ग्रीष्मकालीन कार्यशाला
ङ) एसोसिएटशिप कार्यक्रम
च) *'ए एण्ड ए'* का भारतीय विश्वविद्यालयों में न्यूक्लियीएशन
छ) आईयूसीएए संसाधन केन्द्र
ज) विद्यालय, कार्यशाला और सम्मेलन आयोजित करवाना
झ) आईयूसीएए गिरवाली दूरबीन का प्रचालन
ञ) दक्षिणी अफ्रीका की बड़ी दूरबीन (एसएएलटी) में ग्रह, नक्षत्रों को देखने का समय
ट) जनसाधारण तक पहुंच बनाने वाले कार्यक्रम आदि

प्रत्यक्ष लाभार्थियों की संख्या और कवरेज (2013–14)

	संख्या
शोधकर्त्ता	188
विश्वविद्यालय	77
महाविद्यालय	106
शिक्षक	3022
छात्र	33425
जन साधारण, यदि कोई हो तो	18822

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान (राशि लाख रुपये में)

अवधि	योजनागत	गैर–योजनागत
2013 -14	1578.75	1584.00

आयोजित किये गये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (2013–14)

(क) 10 से 15 जून, 2013 तक लिगो–भारत के सम्मेलन का आयोजन।

(ख) 17 से 20 दिसम्बर, 2013 को आयोजित ग्रेवीटेशनल वेव फिजिक्सि एण्ड एस्ट्रोनामी वर्कशाप।

(ग) लिगो–भारत–सह–खगोलशास्त्र तथा भौतिकी पर दिनांक 20 दिसम्बर, 2013 को आयोजित सम्मेलन।

(घ) दिनांक 13 से 24 जनवरी, 2014 को 'एक्स–रे स्टडीज ऑफ ट्राजिएंट एस्ट्रोमिकल सोर्सिज पर एमआईटी–आईयूसीएए कार्यशाला।

वर्ष 2013–14 में, 25 विदेशी प्रतिनिधिमण्डलों ने आईयूसीएए, पुणे स्थित सुविधाओं का दौरा किया। खगोल भौतिकी तथा खगोल शास्त्र के क्षेत्र में शोध को उन्नत बनाने के लिए आईयूसीएए, पुणे तथा अन्य संस्थानों अथवा देशों के बीच कुल 27 संस्थागत समझौते है। आईयूसीएए में सुविधाओं का उपयोग कर आज तक 1473 प्रकाशनों की संचयी संख्या के साथ 70 शोध प्रकाशन किये गये।

5.13(iii) वि0अ0आ0–डी0ए0ई0 कन्सोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इंदौर

वि0अ0आ0, डी.ए.ई. कंसोर्टिअम फॉर साईटिफिक रिसर्च, जिसे पूर्व में इंटरयूनिवर्सिटी कंसोर्टिअम फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एंटॉमिक एनर्जी फैसलीटीज (आई.यू.सी.–डी.ए.ई.एफ) के रूप में जाना जाता था, की स्थापना 1990 में एक समझौता ज्ञापन के आधार पर की गई थी, जिस पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रो.एस.यशपाल और परमाणु ऊर्जा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ.एम.आर. श्रीनिवासन द्वारा हस्ताक्षर किये गये। वि0अ0आ0–डी.ए.ई.–सी.एस.आर. के तीन केन्द्र, इन्दौर कोलकाता और मुम्बई में हैं तथा इसका मुख्य कार्यालय इंदौर में है। इस संस्थान के कार्यकलाप का क्षेत्र, वर्ष 2003 में व्यापक हो गया, जब उस समय दो संस्थानों द्वारा एक नये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया तथा उस समय आई.यू.सी.–डी.ए.ई.एफ. का नाम बदलकर वि0अ0आ0–डी.ए.ई.–सी.एस.आर. कर दिया गया। आईजीसीएआर, कल्पक्कम स्थित वि0अ0आ0–डी.ए.ई.–सी.एस.आर. नोड ने अनेक उपकरणों की संस्थापना के साथ कार्य करना शुरू कर दिया।

उद्देश्य तथा मुख्य विशेषताएं

- विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को डीएई की 'बड़ी विज्ञान सुविधा' तथा अन्य 'अत्याधुनिक सुविधाओं' (जैसे पहुंच उपलब्ध कराई गई) तक पहुंच उपलब्ध कराना। यह इसकी इंदौर, कोलकाता तथा मुंबई केन्द्रों (सभी को आरंभ में स्थापित किया गया था) तथा कल्पाक्कम नोड (हाल में स्थापित) के माध्यम से सहयोगात्मक शोध योजनाओं द्वारा प्राप्त किया गया।

- भारतीय शिक्षा प्रणाली में असामान्य तथा अत्यंत दुर्लभ अत्याधुनिक प्रयोग सुविधाओं का सृजन करना तथा उन्हें उपलब्ध कराना। इसे डीएई सुविधाओं में विशिष्ट प्रयोग ढांचों को जोड़कर तथा हमारी प्रयोगशालाओं में प्रयोग की सुविधाओं का सृजन कर प्राप्त किया जाता है। दोनों मामलों में इसे हमारे वैज्ञानिकों की शोध विशेषज्ञता द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

- इसके माध्यम से उच्च गुणवत्तायुक्त शोध परिणाम को सक्षम बनाना।

प्रत्यक्ष लाभार्थियों की संख्या और कवरेज (2013–14)

	संख्या
शोधकर्त्ता	1296
विश्वविद्यालय	521
महाविद्यालय	101
विश्वविद्यालयों के अलावा महत्व के संस्थान (आईआईटी, आईएसएम, बीएआरसी, आरआरसीएटी, एनआईएसईआर, एनआईटी आदि)	674
शिक्षक / छात्र / शोधकर्ता	1296

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान (राशि लाख रुपये में)

अवधि	योजनागत	गैर–योजनागत
2013 -14	3225.00	1385.00

आयोजित की गई कार्यशालाएं:

- 24–25 मई, 2013 के दौरान यूजीसी–डीएईसी–एसआर, इंदौर में "मेगनेटिक मेटीरीयल एण्ड थिन फिल्म (आरडीएमएमटीएफ–2013)" पर दो दिवसीय चर्चा हेतु बैठक आयोजित की गई।
- 28 से 29 जून, 2013 को कंसोर्टियम के कोलकाता केन्द्र द्वारा वीईसीसी तथा सत्यसाईं इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग (एसएसएसआईएचएल) के साथ संयुक्त रूप से एसएसएसआईएचएल के प्रशांतिनिलायम कैम्पस में वेरियेबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर (वीईसीसी) में उपलब्ध शोध सुविधाओं पर एक जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई।
- 24 से 25 अक्तूबर, 2013 के दौरान यूजीसी–डीएई, सीएसआर, इंदौर में फेज ट्रॅांसिजन भौतिकी विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।
- कन्सोर्टियम के मुंबई केन्द्र तथा इंजीनियरिंग सांईस एण्ड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद द्वारा 28 से 30 अक्तूबर, 2013 के दौरान यूजीसी–डीएई–सीएसआर पर तीन दिवसीय जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई थी।
- 23 से 24 दिसम्बर, 2013 के दौरान यूजीसी–डीएई–सीएसआर, इंदौर में "फिजीक्स ऑफ मैटीरियल" विषय पर एक दो दिवसीय शोध विद्वानों की कार्यशाला आयोजित की गई।
- यूजीसी–डीएई कन्सोर्टियम फॉर साईंटिफिक रिसर्च (सीएसआर) मुंबई ने ठोसावस्था भौतिकी प्रभाग (एसएसपडी), बीएआरसी के सहयोग से 4 से 8 फरवरी, 2014 के दौरान बीएआरसी मुंबई में 'न्यूट्रान एस प्रोबस ऑफ कन्डेसड मेटर' (एनपीसीएम) पर पांच दिवसीय विद्यालय का आयोजन किया गया।

आज तक डीएई–सीएसआर इंदौर द्वारा 2950 प्रकाशनों की संचयी संख्या के साथ 309 प्रकाशन निकाले गये।

5.13(iv) राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी), बंगलूरू

भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) की संख्या में व्यापक स्तर पर मात्रात्मक विस्तार हुआ। शिक्षा प्रदाताओं की प्रोफॉइल का प्रकार, कार्यक्रमों, पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रमों, सुपुर्दगी प्रणाली और वित्तपोषण का पैटर्न के अनुसार अलग–अलग होता है। वस्तुतः संपूर्ण विश्व में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर विस्तार हुआ है। ऐसी स्थितियों में मानक और गुणवत्ता में अंतर एक स्वाभाविक परिणाम है। पूरे देश में महाविद्यालयों के विस्तार के संदर्भ में शिक्षा के मानक की स्थापना के आवश्यकता में शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति (एनपीई 1986) और कार्रवाई कार्यक्रम (पीओए, 1992) ने एक तंत्र की स्थापना पर बल दिया जो संस्थानों में आत्म मूल्यांकन तथा एक बाहरी एजेन्सी द्वारा मूल्यांकन और प्रत्यायन को भी बढ़ावा देगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 (गगग) के अंतर्गत 16 सितंबर, 1994 को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) की स्थापना की जिसका मुख्यालय बंगलूरू में स्थित है।

उद्देश्य एवं प्रमुख विशेषताएँ :

एनएएसी का प्राथमिक एजेन्डा, उच्चतर शिक्षण संस्थानों को, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों अथवा उनके एक या इससे अधिक इकाइयों अर्थात् इनके विभागों, विद्यालयों, संस्थानों, कार्यक्रमों आदि का निर्धारण एवं प्रत्यायन करना है,

मूल्यांकन और प्रत्यायन मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं :

क) उच्चतर शिक्षा संस्थानों एवं उनके कार्यक्रमों का ग्रेडीकरण करना;

ख) इन सभी संस्थानों में अकादमिक परिवेश तथा अध्यापन व शोध की गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाना;

ग) संस्थानों द्वारा उनके अकादमिक लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक होना;

घ) उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयोजनार्थ उनमें आवश्यक रूप वाले परिवर्तनों को बढ़ावा देना, नवोन्मेषी एवं सुधारात्मक सभी प्रकार के पहलुओं को लागू करना;

ङ) उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में नवोन्मेष, आत्ममूल्यांकन तथा जवाबदेही को प्रोत्साहित करना।

अपने अधिदेश की पूर्ति के लिए एनएएसी निम्नवत क्रियाकलाप करेगाः

- मूल्यांकन की तकनीकों और क्रियाविधियों के आलोक में प्राप्त अनुभवों की आवधिक समीक्षा करना आवश्यक, होने पर इसमें संशोधन और अद्यतन करना;
- संबंधित संस्थान के लिए मूल्यांकन और ग्रेडिंग के परिणामों में सुधारात्मक कार्यवाही करने, सुधार और स्व–सुधार करने हेतु सुसंगत तरीके से उसे सूचित करना;
- संस्थानों को अपनी प्रक्रियाएं, तकनीकें और स्व–मूल्यांकन हेतु क्रियाविधियों को विकसित करने के लिए सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करना;
- शैक्षिक संस्थानों, कार्यक्रमों इत्यादि की आयोजना और मूल्यांकन में अनुसंधान अध्ययनों को प्रवृत करना;
- उच्चतर शिक्षा के संस्थानों के पहचान किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करना और संसाधनों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करना;

- एनएएसी समान प्रकृति का कार्य कर रहे भारतीय और विदेशी संस्थानों के साथ संयोजन कर सकती है और निवेदन प्राप्त होने पर विदेशों में उच्चतर शिक्षा के संस्थानों का मूल्यांकन और प्रमाणन कर सकती है।

एनएएसी अपनी महा–परिषद् (जी.सी.) के माध्यम से तथा कार्यकारी समिति (ई.सी.) की सहायता से कार्यान्वयन करती है जहाँ पर शैक्षिक प्रशासक, नीति निर्धारक तथा उच्चतर शिक्षा की प्रणाली से जुड़े पृथक वर्गों वाले वरिष्ठ शिक्षाविदों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ही एनएएसी की महा–परिषद् के अध्यक्ष है तथा कार्यकारणी समिति का प्रमुख एक सुविख्यात शिक्षाविद होता है जिसे कि महा–परिषद् के प्रमुख द्वारा नामित किया जाता है। एनएएसी का निर्देशक ही शैक्षणिक एवं प्रशासनिक प्रमुख होता है तथा वह इन दोनों निकायों का सदस्य सचिव होता है, एनएएसी के विभिन्न क्रियाकलापों को निष्पादित करने के लिए एनएएसी के मूल कर्मचारिवृंदों को परामर्शदाता परामर्श प्रदान करते हैं

प्रत्यायन की स्थिति

मूल्यांकन और प्रत्यायन के प्रयोजनार्थ, एनएएसी का लक्ष्य समूह भारत में विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय है।

प्रथम चरण/द्वितीय चरण/ तृतीय चरण	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय	कुल
चरण–I	10	241	257
चरण–II	6	217	223
चरण–III	3	26	29
कुल	**19**	**484**	**503**

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 503 उच्चतर शिक्षा संस्थानों (484 महाविद्यालयों तथा 19 विश्वविद्यालयों) का मूल्यांकन तथा प्रत्यायन किया गया। इस प्रकार, 31 मार्च, 2014 तक एनएएसी द्वारा कुल 5350 महाविद्यालय तथा 182 विश्वविद्यालय प्रत्यायित किये गये थे। (चरण –II हेतु 79 विश्वविद्यालय और 1460 महाविद्यालय एवं चरण – III के लिये 5 विश्वविद्यालय तथा 68 महाविद्यालय सहित) 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार एनएएसी द्वारा कुल 6878 महाविद्यालयों तथा 266 विश्वविद्यालयों को प्रत्यायित किया गया।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 2808 महाविद्यालयों तथा 120 विश्वविद्यालयों ने मूल्यांकन तथा प्रत्यायन हेतु स्वेच्छा से आवेदन किया। 899 महाविद्यालयों ने गुणवत्ता मूल्याकन हेतु संस्थागत अर्हता (आईईक्यूए) आवेदन जमा किये।

एनएएसी का संपूर्ण आईसीटी–कैम्पस संयोजित एवं वाई–फाई सक्षमकारी है। एनएमईआईसीटी के माध्यम से 1 जीबीपीएस कनेक्टिविटी प्राप्त करने के प्रयास चल रहे है। वर्ष के दौरान 'डायनामिक वेबसाईट इम्प्रूवड वेब इंटरफेस' कार्य को भी आरंभ किया गया। एनआईसी बंगलूरू केन्द्र से परामर्श प्राप्त कर इस परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। एनएएसी ने एनआईसी की मदद से उच्चतर शिक्षा संस्थानों (विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय) हेतु ऑनलाइन आशय पत्र (एलओआई) तथा कॉलेज विद् इस्टेन्टेनियस रिजल्ट मॉड्यूल हेतु गुणवत्ता मूल्यांकन के लिये ऑनलाइन संस्थागत मानदण्ड (आईक्यूए) जारी किये है।

एनएएसी वेबसाइट www.naac.gov.in को लगातार अद्यतन किया जा रहा है। एनएएसी हेतु एनकेएन कनेक्टिविटी प्रक्रियाधीन है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान साख्यिंकी तथा डीटीपी सॉफटवेयर की खरीद की गई तथा संस्थापना की गई। शिक्षा वर्ष 2013–14 से उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा **केवल सॉफ्ट प्रति में संशोधित वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट (एक्यूएआर) जमा करने हेतु प्ररूप को विकसित किया गया है।** शिक्षा वर्ष 2013–14 से संबंधित सभी एक्यूएआर को शिक्षा वर्ष 2014–15 के दौरान प्रस्तुत किया जायेगा।

एनएएसी ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय को "राष्ट्रीय गुणवत्ता पुनर्जागरण पहल (एनक्यूआरआइ)" के संबंध में एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया हैं तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नवम्बर, 2013 में इसे अनुमोदित किया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एनक्यूआरआई को 17 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए हैं। एनक्यूआरआई की मुख्य विशेषताएं हैं (i) उच्चतर शिक्षा संस्थानों को मार्गदर्शन प्रदान करते हुए गुणवत्ता आश्वासन के संबंध में जागरूकता पैदा करना, उसे लोकप्रिय बनाना तथा उसका संवर्धन करना (ii) मूल्यांकनकर्ताओं के समूह का गठन करना, और (iii) गुणवत्ता को बनाये रखने तथा उसमें वृद्धि करने हेतु पहल करना।

(i) उच्चतर शिक्षा संस्थानों को मार्गदर्शन प्रदान करते हुए गुणवत्ता आश्वासन के संबंध में जागरूकता पैदा करना, उसे लोकप्रिय बनाना तथा उसका संवर्धन करना :

एनएएसी द्वारा विश्वविद्यालय–वार तथा राज्य–वार महाविद्यालयों को लोकप्रिय बनाने के कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। कार्यक्रम के लिये व्यय को एनएएसी द्वारा वहन किया गया। एनएएसी ने 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के दौरान अब तक दो ऐसे कार्यक्रम, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित किये।

(क) 7 जनवरी, 2014 को राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय में मूल्यांकन तथा प्रत्यायन संबंधी कार्यशाला– 7 जनवरी, 2014 को एनएएसी ने राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय कें सहयोग से मूल्यांकन तथा प्रत्यायन पर कार्यशाला आयोजित की। महाविद्यलय संकाय तथा प्राचार्यों के अलावा राज्य उच्चतर शिक्षा विभाग के अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कार्यशाला में भाग लिया तथा उनकी एनएएसी निदेशक तथा उनके दल के साथ आमने–समाने चर्चा हुई। 150 शासकीय तथा सरकार द्वारा सहायताप्राप्त महाविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 200 भागीदार कार्यशाला से लाभान्वित हुए। एनएएसी द्वारा मूल्यांकन तथा प्रत्यायन की प्रक्रिया का ब्यौरा देने के अलावा, संस्थानों को गुणवत्ता को बनाए रखने तथा उसमें वृद्धि करने हेतु किये जाने वाले उपाय, प्रत्यायन पश्चात् की जाने वाली पहल तथा सुधार में आतंरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की भूमिका के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रश्नोत्तरी सत्र में अनेक मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया गया तथा उन्हें सुलझाया गया। सत्र अत्यंत सफल रहा तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों ने संस्थानों के समक्ष आने वाली चुनौतियों विशेष रूप से कर्मचारिवृंद, संबद्ध करने वाले विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ बिना समन्वय किये नाम में परिवर्तन करने आदि से जुड़ी चुनौतियों को पहचाना तथा महाविद्यालय ने एनएएसी द्वारा उपयोग की गई कतिपय शब्दावली तथा उनकी व्याख्या आदि के संबंध में स्पष्टीकरण दिया।

(ख) 28 और 29 मार्च, 2014 को एनएएसी के 'ए और ए' के संबंध में डा. हरिसिंह गौड विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश में जागरूकता कार्यशाला–दूसरी कार्यशाला 28 और 29 मार्च, 2014 को डा. हरिसिंह गौड विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) में आयोजित की गई। राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालय के आईक्यूएसी समन्वयक, संबद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य/आईक्यूएसी प्रभारी तथा विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अधीन अर्हक महाविद्यालय के प्राचार्य जो एनएएसी प्रत्यायन प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्होंने कार्यशाला आयोजित की। अनेक विश्वविद्यालय कर्मचारियों ने कार्यशाला में भागीदारी भी की। पूर्व की कार्यशालाओं से विपरीत इस कार्यशाला में एनएएसी के सात मानदण्डों एवं स्व–अध्ययन रिपोर्ट (एसएसआर) तैयार करने पर बल दिया गया। प्रत्यायन प्रश्चात् पहल के रूप में आईक्यूएसी की स्थापना और कार्यकरण तथा गुणवत्ता आश्वासन, उसे पोषित करने तथा उसमें वृद्धि करने पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

(ii) मूल्यांकनकर्ताओं का समूह तैयार करना:

एनएएसी का विश्वास है कि मूल्यांकन की गुणवत्ता, मूल्यांकनकर्ताओं की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। मूल्यांकन तथा प्रत्यायन (ए एण्ड ए) प्रक्रिया तथा एनएएसी पद्धति से परिचित होना अनिवार्य है ताकि पेनलबद्ध मूल्यांकनकर्ताओं के प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाया जा सके। एनएएसी संपूर्ण भारत से असंदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले वरिष्ठ विद्याविदों को विशेषज्ञ नियुक्त करता है। एनएएसी मूल्यांकनकर्ताओं के राष्ट्रीय समूह का विस्तार करना चाहता है तथा उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम विशेषज्ञों को पेनलबद्ध करना चाहता है। इसलिए एनएएसी मूल्यांकनकर्ताओं को समूह में पेनलबद्ध करने से पूर्व मूल्यांकनकर्ताओं के साथ विचार–विमर्श बैठक (एआईएम) को नियमित रूप से आयोजित करता है। एआईएम के लिये संभावित मूल्यांकनकर्ताओं का चयन किया जाता है।

इस प्रकार एआईएम का उद्देश्य एनएएसी पद्धति का अन्तर्ज्ञान प्राप्त करना तथा उसे अनुकरण करने की प्रक्रिया को अनुभव करना है। एआईएम के माध्यम से विद्याविदों से प्रतिपुष्टि प्राप्त करने का अवसर भी प्राप्त होता है, जो एनएएसी को आगे ए एण्ड ए की प्रक्रिया को त्रुटिमुक्त बनाने में मदद करता है।

वर्ष 2013–14 की अवधि के दौरान एनएएसी ने एआईएम का आयोजन किया। मूल्यांकनकर्ताओं में पूर्ववर्ती तथा मौजूदा कुलपति, राष्ट्रीय संस्थानों के निदेशक, विश्वविद्यालय से संकाय–अध्यक्ष तथा आचार्यों, महाविद्यालयों के प्राचार्य शामिल है। वर्ष 2013–14 के दौरान एनएएसी ने समूह में 175 मूल्यांकनकर्ताओं को जोड़ा इस प्रकार यह बढ़कर लगभग 1300 हो गये।

1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 के दौरान प्रशिक्षित किये गये मूल्यांकनकर्ता

क्र.सं.	एआईएम की तिथि	स्वरूप	प्रशिक्षित किये गये मूल्यांकनकर्ताओं की संख्या
1	25-26 अप्रैल, 2013	सामान्य	39
2	27-28 मई, 2013	सामान्य	48
3	24-25 दिसम्बर, 2013	अभियांत्रिकी और प्रबंधन	42
4	6-7 फरवरी, 2014	सामान्य	46
	कुल		**175**

(iii) गुणवत्ता को बनाये रखना तथा उसमें वृद्धि करने संबंधी पहल:

समिति ने दिनांक 10 मई, 2013, 14 अगस्त, 2013, 2 दिसम्बर, 2013 तथा 13 मार्च, 2014 को संगोष्ठी/कार्यशाला/परिसंवाद/सम्मेलन आयोजित करने के लिये वित्तीय सहायता संस्वीकृत करने हेतु एनएएसी से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्यायित उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (एचईआई) से प्राप्त प्रस्तावों की छानबीन की। समिति की सिफारिशों के आधार पर प्राप्त 199 प्रस्तावों में से एनएएसी ने 65 उच्चतर शिक्षा संस्थानों को वित्तीय सहायता संस्वीकृत कर दी है।

क्र.सं.	संगोष्ठी समिति की बैठकें	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	संस्वीकृत किये गये प्रस्तावों की संख्या	कुल संस्वीकृत की गई राशि
1	10 मई, 2013	34	21	11,50,000/- रुपये
2	14 अगस्त, 2013	47	8	7,25,000/- रुपये
3	2 दिसम्बर, 2013	51	16	6,00,000/- रुपये
4	13 मार्च, 2014	67	19	18,55,000/- रुपये
	कुल	**199**	**64**	**43,30,000/- रुपये**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान (राशि लाख रुपये में)

अवधि	योजनागत	गैर–योजनागत
2013-14	1073.09	511

एनएएसी का दौरा करने वाले विदेशी प्रतिनिधिमण्डलों की संख्या

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – नेपाल के सदस्य सचिव की अनुवाई में नेपाल के प्रतिनिधिमंण्डल ने क्यूएए, नेपाल के प्रतिनिधियों के साथ 20 से 26 अक्तूबर, 2013 को एनएएसी कैम्पस का दौरा किया। दोनों एजेन्सियों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये।
- दयूस्तो विश्वविद्यालय, स्पेन की ट्यूनिंग अकादमी के निदेशक, श्री पाबलो जावियर बेनीटोन तथा डा. जुलिया गोनाजालेज, पूर्व वाईस रेक्टर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, दयूस्तो विश्वविद्यालय तथा सुश्री ए. राजश्री अयुयर ने 6 फरवरी 2014 को निदेशक से द डायरेक्टोरेट यूरोपीयन कमीशन फॉर एजुकेशन एण्ड कल्चर द्वारा अनुमोदित ईयू–इंडिया ट्यूनिंग परियोजना के कार्यान्वयन की क्रियाविधि की चर्चा करने के लिये भेंट की। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य उच्चतर शिक्षा की पाठ्यचर्या को त्रुटिरहित बनाना तथा उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा एवं स्वीकार्य बनाना है।
- क्यूक्यूए के मुख्य कार्यकारी महामहिम डा. जवाहेर अल–मुदाहकी की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने बहरीन के महामहिम राजा के भारत के दौरे के भाग के रूप में एनएएसी तथा क्यूक्यूए के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए एनएएसी का दौरा किया।

अन्य देशों/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौतों/सहयोग की संख्या :

क्र.सं.	देश/एजेन्सियां	आरंभ किये जाने की तिथि	वैघता की तिथि की समाप्ति
1.	एनएएसी तथा वि0अ0आ0, नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन	21/10/2013	20/10/2016
2.	शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए अर्हता तथा गुणवत्ता आश्वासन हेतु प्राधिकरण (क्यूक्यूए) तथा एनएएसी, किंग्डम ऑफ बहरीन के बीच समझौता ज्ञापन	20/02/2014	19/02/2017
3.	एनएएसी तथा मलेशियन क्वालिफिकेशन एजेन्सी (एमक्युए)	03/03/2014	02/03/2017

पूर्व में हस्ताक्षर किये गये समझौता ज्ञापनों अर्थात् एनएएसी और आईईईई–इन्स्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रिानिक्स इंजीनियर्स की वैधता अवधि इस वित्त वर्ष 2013–14 के लिए भी वैध है।

क्र.सं.	प्रकाशन
1.	स्व–अध्ययन प्रतिवेदन संबंद्ध/घटक महाविद्यालय हेतु नियम पुस्तिका
2.	स्व–अध्ययन प्रतिवेदन सम महाविद्यालयों हेतु नियम पुस्तिका
3.	एनएएसी समाचार अगस्त, 2013
4.	पीयर दल हेतु दिशानिर्देश

क्र.सं.	प्रकाशन
5.	18वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2011–12
6.	स्व–अध्ययन प्रतिवेदन संबंद्ध/घटक महाविद्यालय हेतु नियम पुस्तिका (हिन्दी)
7.	प्रत्यायन रिपोर्टों का राज्य–वार विश्लेषण–गुजरात

5.13(v) सूचना और ग्रंथालय नेटवर्क केन्द्र (इंफ्लिबनेट), गांधी नगर, गुजरात

सूचना एवं लाइब्रेरी नेटवर्क (इंफ्लिबनेट), की स्थापना मई, 1996 में वि0अ0आ0 के एक स्वायत्त अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र के रूप मे हुई जो कि गुजरात के इन्फोसिटी में स्थित हैं। इस केन्द्र के मुख्य क्रियाकलापों में अकादमिक ग्रथालय एवं सूचना केन्द्रों का आधुनिकीकरण, करना शामिल है जिससे जानकारी के अंतरण तथा पहुंच, छात्रवृत्तियों, ज्ञान अर्जन, तथा शैक्षिक क्रियाकलापों को बढ़ावा दिया जा सके। यह केन्द्र, देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों, उच्चतर शिक्षा संस्थानों और अनुसंधान और विकास संस्थानों में स्थित विभिन्न पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों के साथ, नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से एक नोडल ऐजन्सी के रूप में कार्य करता है।

समकालीन शिक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी के एक आधारभूत कारक होने के कारण, केन्द्र ने अपने भारत में शैक्षिक समुदाय के लाभ हेतु अनेक पहल की है।(i)इंडकैट, भारत में बड़े विश्वविद्यालय के ग्रंथालयों में उपलब्ध पुस्तकों, शोधप्रबंध तथा जर्नलों का एक ऑनलाइन कैटलॉग है; (ii) सोल 2.0 अत्याधुनिक समेकित ग्रंथालय प्रबंधन साफ्टवेयर है (iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – इफोनेट डिजीटल लाइब्रेरी कन्सोर्टियम जो विविध विधाओं में विश्वविद्यालय में चयनित स्कोलरली इलेक्ट्रॅानिक जर्नलों तथा डाटाबेस तक पहुंच प्रदान कराता है; (iv) एन–लिस्ट जो पात्र महाविद्यालयों को इलेक्ट्रॅानिक जर्नलों तथा इलेक्ट्रानिक पुस्तकों तक पहुंच उपलब्ध कराता है; (v) शोध गंगा, जो एक डिजीटल भण्डार में शोधकर्ता विद्वानों द्वारा डाक्टोरेल शोध प्रबंध तथा शोध–निबंध को ऑनलाइन प्रस्तुत करने हेतु सक्षम बनाता है; (vi) शोध गंगोत्री, जो शोधकर्ता विद्वानों को विश्वविद्यालयों में प्रस्तुत किये गये शोध प्रस्ताव का अनुमोदित सारांश प्रस्तुत करने हेतु सक्षम बनाता है; (vii) मुक्त जर्नल पहुंच प्रणाली (ओजेएएस) जो भारतीय विश्वविद्यालय में संकायों तथा शोधकर्ताओं को ओजेएएस प्लेटफार्म पर मुक्त पहुंच के जर्नलों को खोलने की सुविधा प्रदान करता है; (viii) इन्फोपोर्ट : भारतीय इलेक्ट्रानिक संसाधनों हेतु इन्फ्लीवनेट का विषय गेटवे (ix) ई–पीजी पाठशाला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एनएमई–आईसीटी को सौंपी गई परियोजना है, जिसमें स्नातकोत्तर स्तर पर 77 विषयों में ई–विषयवस्तु विकसित की जा रही हैं; (x) विद्वान, जो कि महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थानों तथा अन्य अनुसंधान और विकास संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिक तथा संकाय सदस्यों का एक उत्कृष्ट डाटाबेस है, जो भारत में शिक्षण तथा शोध कार्य में लगे हुए हैं; और (xi) समेकित ई–विषयवस्तु पोर्टल, एक वेब आधारित पोर्टल है जिसमें एनएमई–आईसीटी के तहत विकसित और वित्तपोषित सभी ई–विषयवस्तु शामिल है।

उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं

केन्द्र के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं :

क) सूचना अंतरण तथा पहुंच हेतु क्षमता में सुधार करना ताकि संचार सुविधाओं को स्थापित करना तथा उन्हें बढ़ावा देना ताकि संबंधित ऐजन्सियों के सहयोग तथा उन्हें शामिल करके छात्रवृत्ति, अधिगम, शोध तथा शिक्षा प्राप्त करने के क्रियाकलापों को सहायता प्रदान की जा सके।

ख) सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क को स्थापित करना तथा विश्वविद्यालयों, समविश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, वि0अ0आ0 सूचना केन्द्रों, राष्ट्रीय महत्व वाले संस्थानों एवं अनुसंधान एवं अभिकल्पना संस्थानों में पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों को जोड़ना तथा अपने प्रयासों में पुनरावृत्ति से बचना।

ग) इलेक्ट्रॉनिक मेल, मिसिल अंतरण, कम्प्यूटर/श्रव्य/दृश्य कॉन्फ्रेसिंग के द्वारा वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, सामाजिक वैज्ञानिकों, अकादमिक विद्वानों, संकाय सदस्यों, शोधकर्ताओं एवं छात्रों के मध्य अकादमिक सम्प्रेक्षण को सुविधाजनक बनाना।

घ) सम्प्रेक्षण, कम्प्यूटर नेटवर्क, सूचना क्रियान्वयन एवं आंकडों का प्रबंधन इन सभी क्षेत्रों में प्रणाली संबंधी रूप ंकन एवं अध्ययन को आरंभ करना।

ङ) संचार नेटवर्क हेतु उपर्युक्त नियंत्रण और निगरानी प्रणाली को स्थापित करना तथा उसके रखरखाव की व्यवस्था करना।

च) केन्द्रों के लक्ष्यों की प्राप्ति के अनुकूल संस्थानों, पुस्तकालयों, सूचना केन्द्रों एवं भारत एवं विदेशों में स्थित संगठनों के साथ सहयोग करना।

छ) अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने तथा केन्द्र के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु तकनीकी पदों का सृजन करना।

ज) परामर्श एवं सूचना संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराकर संसाधन जुटाना।

झ) उपर्युक्त सभी अथवा किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक, संगत तथा अनुकूल सभी कार्य करना।

इंफ्लिबनेट सेवाओं की कवरेज

परियोजना का नाम	विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों की संख्या
ग्रंथालय स्वचालन	166
इंडकैट	
पुस्तकें	157
शोध–प्रबंध	297
धारावाहिक	213
वि0अ0आ0 इंफोनेट डिजीटल लाइब्रेरी कन्सोर्टियम	208
एसोशियेट मेम्बर	204
एन–लिस्ट	3,336 महाविद्यालय
शोधगंगा	163
शोध गंगोत्री	35

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान (राशि लाख रुपये में)

अवधि	योजनागत	गैर–योजनागत
2013 -14	19,536.00	375.00

5.13(vi) कॉन्सार्शियम फार एजुकेशनल कम्यूनिकेशन, नई दिल्ली

कान्सार्शियम फॉर एजुकेशनल कम्यूनिकेशन (सीईसी), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र है ताकि संचार और सूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के माध्यम से शैक्षणिक कार्यक्रमों को डिजाइन करने तथा संवितरण को सुकर बनाया जा सके। सीईसी भारत में प्रत्येक विश्वविद्यालय, महाविद्यालय शिक्षक तथा शिक्षार्थी के लिये शिक्षण संबंधी विषयवस्तु का एक सम्पन्न स्रोत है जोकि बहु–प्लेटफार्म जैसे वेबसाईट तथा टेलीविजन के माध्यम से निशुल्क उपलब्ध है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) द्वारा देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम (सीडब्ल्यूसीआर) का शुभारम्भ वर्ष 1984 में किया गया जिससे कि सैटेलाइट सम्प्रेषण के उपयोग द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में अभिवृद्धि हो सके। इस सी.डब्ल्यू.सी.आर. कार्यक्रम प्रथम दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किया गया। 15 अगस्त, 1984 जो कि दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित हुआ। देशव्यापी कक्षाओं से संबंधित चुनौतिपूर्ण क्रियाकलापों को आरंभ करने तथा उच्चतर शिक्षा में इलेक्ट्रानिक मीडिया का उपयोग करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र के रूप में 26 मई, 1993 को कॉन्सार्शियम फॉर एजुकेशनल कम्यूनिकेशन (सीईसी) की स्थापना की।

सीईसी द्वारा पेशकश किये जाने वाले कार्यक्रमों की मुख्य विशेषताएं

सीईसी के विभिन्न प्लेटफार्मों द्वारा पेशकश की जाने वाली शैक्षणिक विषय–वस्तु का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है।

- **व्यास उच्चतर शिक्षा चेनल (24 x 7)**

  सीईसी का व्यास उच्चतर शिक्षा चेनल सभी विषयों में स्नातकपूर्व छात्रों के लिये वीडियो व्याख्यान का प्रसारण करता है। प्रत्येक व्याख्यान की अवधि 30 मिनट की होती है। प्रतिमाह 600 से अधिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। चेनल उच्चतर शिक्षा के छात्रों हेतु संगत प्रस्तुतियों के माध्यम से ज्ञान को बढ़ाने वाली सामग्री का भी प्रसारण करता है। इन कार्यक्रमों की समय–सारणी www.cec-ugc.nic.in के साथ सीईसी के न्यूजलैटर में भी उपलब्ध है जो सभी विश्वविद्यालयों को भेजा जाता है।

- **ई–अधिगम विषयवस्तु का संपूर्ण पैकेज**

  स्नातकपूर्व छात्रों के लिये इतिहास, वनस्पति विज्ञान, मानव विज्ञान, अंग्रेजी, हिन्दी, फोटोग्राफी, पर्यावरणीय विज्ञान तथा गणित विषयों में ई–अधिगम विषयवस्तु का समग्र पैकेज उपलब्ध है। विषयवस्तु में दृश्य, श्रृव्य, डाउनलोड किये जाने वाली पाठ्य सामग्री, गृह कार्य, संदर्भ तथा बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्न शामिल है।

  कोई भी छात्र जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन हो वह निम्नलिखित वेबसाईटों के माध्यम से इन संसाधनों तक पहुंच सकता है:–

  - www.cec-ugc.nic.in
  - www.webcast.gov.in
  - www.sakshat.ac.in

- **स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों के लिये वीडियो कार्यक्रम**

  कला/संस्कृति/साहित्य/भाषा, सामाजिक विज्ञान, प्रबंधन तथा अन्य पेशेवर पाठ्यक्रमों, प्राकृतिक एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान/अभियांत्रिकी/आयुर्विज्ञान सहित व्यापक विषयों में 24,000 शैक्षणिक वीडियो कार्यक्रमों में कुल 12,000 घंटों की विषयवस्तु सीईसी शैक्षणिक वीडियो कार्यक्रमों में कुल 12,000 घंटों की विषयवस्तु सीईसी पर उपलब्ध है। इन तक www.youtube/cec-ugc पर पहुंचा जा सकता है। इनका वेबकॉस्ट www.youtube.com/user/cecedusat पर उपलब्ध है।

- **एडूसेट नेटवर्क**

सीईसी एडूसेट नेटवर्क एक शैक्षणिक चेनल है जिस पर विषय विशेषज्ञों द्वारा रोजाना चार घंटो तक वीडियो व्याख्यान का सीधा प्रसारण किया जाता है। प्रथम घंटे में कला, संस्कृति तथा साहित्य, द्वितीय घंटे में सामाजिक विज्ञान, तृतीय घंटा प्रबंधन तथा संबंधित पाठ्यक्रमों के लिये निर्धारित है जबकि पांचवा घंटा प्राकृतिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञान के लिए निर्धारित है। व्याख्यानों का सीधा प्रसारण व्यास चेनल पर किया जाता है तथा इसे यू–ट्यूब www.youtube.com/user/cecedusat पर भी देखा जा सकता है।

- **शॉर्ट लर्निंग आबजेक्टस**

शिक्षा से संबंधित पूछे जाने वाले 1000 से अधिक प्रश्न, जिन्हें शार्ट लर्निंग आब्जेक्टस के नाम से जाना जाता है, सीईसी पोर्टल पर उपलब्ध हैं। इनमें से प्रत्येक सामग्री के सुलभ बोध के लिये लघु वीडियो तथा लिखित सामग्री के साथ सावधानीपूर्वक चयन किया जाता है। इसमें उच्चतम शिक्षा के छात्र हेतु संगत व्यापक विधाओं को सम्मिलित किया जाता है। छात्र, इन सामग्रियों तक www.cec-ugc.nic.in पर पहुंच सकते है

सीईसी वृहद ऑनलाइन मुक्त कार्यक्रम (एमओओसी) को भी आरंभ कर रहा है। सीईसी विभिन्न विश्वविद्यालय में फैले 17 मीडिया केन्द्रों का नोडल केन्द्र है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अनुदान (लाख रुपए में)

अवधि	योजनागत	गैर–योजनागत
2013—14	366.25	336.10

5.13(vii) अध्यापकों की शिक्षा हेतु अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आईयूसी–टीई), काकीनाड़ा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2013—14 के दौरान काकीनाड़ा में अध्यापकों की शिक्षा हेतु अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र को आरंभ किया है। केन्द्र स्थापना स्तर पर है। आईयूसी–टीई के मुख्य उद्देश्य निम्नवत होंगेः–

(क) सामान्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में तथा विशेष रूप से अध्यापक शिक्षण के क्षेत्र में नये ज्ञान का सृजन कर अध्यापक शिक्षा के ज्ञान आधार को सुदृढ़ करना।

(ख) अध्यापक को तैयार करने तथा शिक्षकों में पेशेवर विकास को सतत् बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं से संबंधित नीतिगत ढांचे को तैयार करना।

(ग) विकसित तथा विकासशील देशों में अध्यापक शिक्षा के संबंध में नीतियों तथा पद्धतियों के बारे में सूचना बैंक को तैयार करना।

(घ) अध्यापकों के शिक्षकों तथा अध्यापक शिक्षा संस्थानों का शैक्षणिक सशक्तीकरण तथा मूल्यांकन करने हेतु रणनीतियां तैयार करना।

(ड.) देश भर के शोधकर्ताओं को केन्द्र की सुविधाओं तक पहुंच सुलभ करना

(च) अध्यापक शिक्षा में शोधकर्ताओं को ऑनलाइन मार्गदर्शन तथा सहायता प्रदान करना।

(छ) अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे अन्य संस्थानों के साथ नेटवर्किंग व्यवस्था का विकास करना।

रेखाचित्र 5.13: वर्ष 2013–14 के दौरान अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों (आईयूसी) को जारी किया गया योजनागत तथा गैर–योजनागत अनुदान (रुपये लाख में)

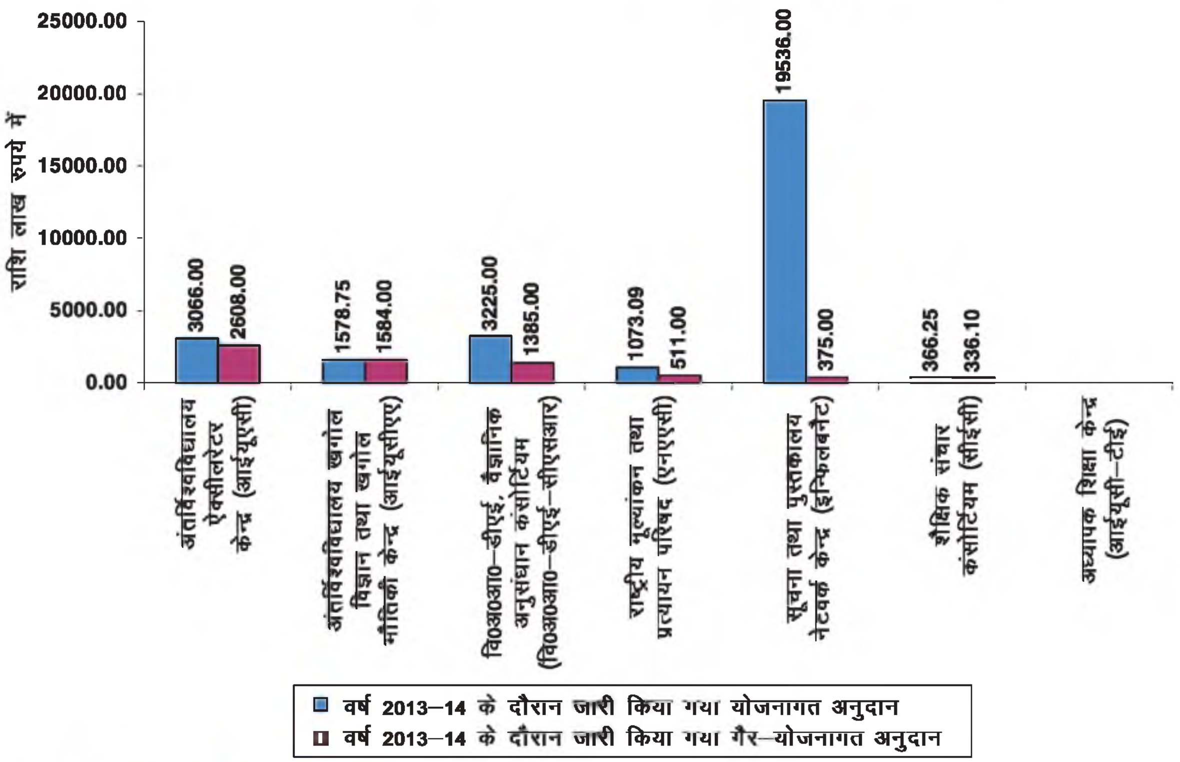

5.14 राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 4 राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र स्थापित किये हैं, जो निम्नवत हैं

1. वेस्ट्रन रीजनल इन्स्ट्रूमेन्टेशन सेन्टर, मुंबई
2. क्रिस्टल ग्रोथ सेन्टर, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई
3. एमएसटी राडार एप्लीकेशन सेन्टर, एसवी विश्वविद्यालय, तिरूपति
4. इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ एडवांस स्टडीज(आईआईएएस), शिमला

5.14(i) वेस्टर्न रीजनल इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर (डब्ल्यू.आर.आई.सी.), मुम्बई

इस केन्द्र को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मुम्बई विश्वविद्यालय के अधीन सन् 1977 में यूनिवर्सिटी साईंस इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर (यू.एस.आई.सी.) के कर्मचारिवृंदों और उच्च अध्ययन कार्यक्रमों जैसे विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और उद्योगों इत्यादि के अध्यापकों, शोधकर्ताओं को उपकरणों के प्रयोग और रखरखाव का प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। केन्द्र को योजना दर योजना के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शत–प्रतिशत रूप से वित्तपोषित किया जा रहा हैं।

5.14(ii) क्रिस्टल ग्रोथ सेन्टर, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई

क्रिस्टल ग्रोथ सेन्टर, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई की स्थापना वर्ष 1982 में निम्नलिखित उद्देश्यों से की गई थी:–

(1) प्रौद्योगिकीय एवं औद्योगिक महत्व के क्रिस्टल के विकास एवं केरेक्ट्राईजेशन हेतु सुविधाओं को विकसित करना;

(2) जरूरतमंद उद्योगों तथा शोध प्रयोगशालाओं के बीच की खाई को पाटना;

(3) शोध हेतु विशेष क्रिस्टल की आवश्यकताओं के संबंध में देश के विभिन्न संस्थानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

5.14(iii) एमएसटी राडार एप्लीकेशन सेन्टर, तिरूपति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एमएसटी राडार एप्लीकेशन सेन्टर की स्थापना मध्य वायुमण्डलीय गतिकी में उन्नत शोध हेतु राडार सुविधा की क्षमता के बारे में वैज्ञानिक जागरूकता पैदा करने के लिये की गई थी ताकि मेधावी युवा शोधकर्ता तथा शोध विद्वान एमएसटी राडार सुविधा का उपयोग कर सकें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–एसवीयू राडार अनुप्रयोग केन्द्र की स्थापना, भौतिकी विभाग, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरूपति में की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – एसवीयू केन्द्र भारत में विश्वविद्यालय प्रणाली हेतु केन्द्र में वैज्ञानिक ज्ञान के आदान–प्रदान हेतु एक सामान्य प्लेटफार्म के रूप में कार्य करता है। यह विशेष रूप से एमएसडी राडार संबंधित अध्ययनों के संदर्भ में भारतीय विश्वविद्यालयों में वायुमण्डलीय विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत वैज्ञानिकों तथा शोधकर्त्ताओं के लिये खुला है।

5.14(iv) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएएस), शिमला

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएएस) शिमला, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (1860 का इक्कीसवां) के तहत पंजीकृत भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान सोसायटी" द्वारा स्थापित किया गया संस्थान है। संस्थान का उद्देश्य गूढ़ मानवीय मनोभाव को व्यक्त करने वाले चितवन में सृजनात्मक विचारों को बढ़ावा देना है तथा यह मानविकी और सामाजिक विज्ञान में शैक्षणिक शोध हेतु उपयुक्त परिवेश उपलब्ध कराता है।

विनिर्धारित अवधि के लिये शिक्षकों तथा अन्य विद्वानों हेतु उच्च अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता सहित सुविधाएं मुहैया करवाना संस्थान का महत्वपूर्ण कार्य है। अन्य उद्देश्य बैठकें, व्याख्यान, परिसंवाद तथा सम्मेलन आयोजित करना है।

मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान हेतु अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला में वर्ष 1991 से कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान आपस में सहमत हैं कि दोनों के बीच सहयोग, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान हेतु शैक्षणिक अन्योन्यक्रिया को बढ़ावा देने तथा विकास हेतु अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होगा।

राष्ट्रीय सुविधाओं के लिए जारी किया गया अनुदान (राशि लाख रुपये में) (2013–14)

राष्ट्रीय सुविधा का नाम	स्थापना का वर्ष	जारी किया गया अनुदान
वेस्टर्न रीजनल इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर, मुम्बई	1977	100.00
क्रिस्टल ग्रोथ सेन्टर, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	1982	50.00
एमएसटी राडार केन्द्र, एसवी विश्वविद्यालय, तिरूपति	1990	52.50
भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएएस) शिमला	1991	50.00
कुल	**252.00**	

रेखाचित्र 5.14: वर्ष 2013–14 के दौरान राष्ट्रीय सुविधा केन्द्रों को जारी किया गया अनुदान (लाख/रुपये में)

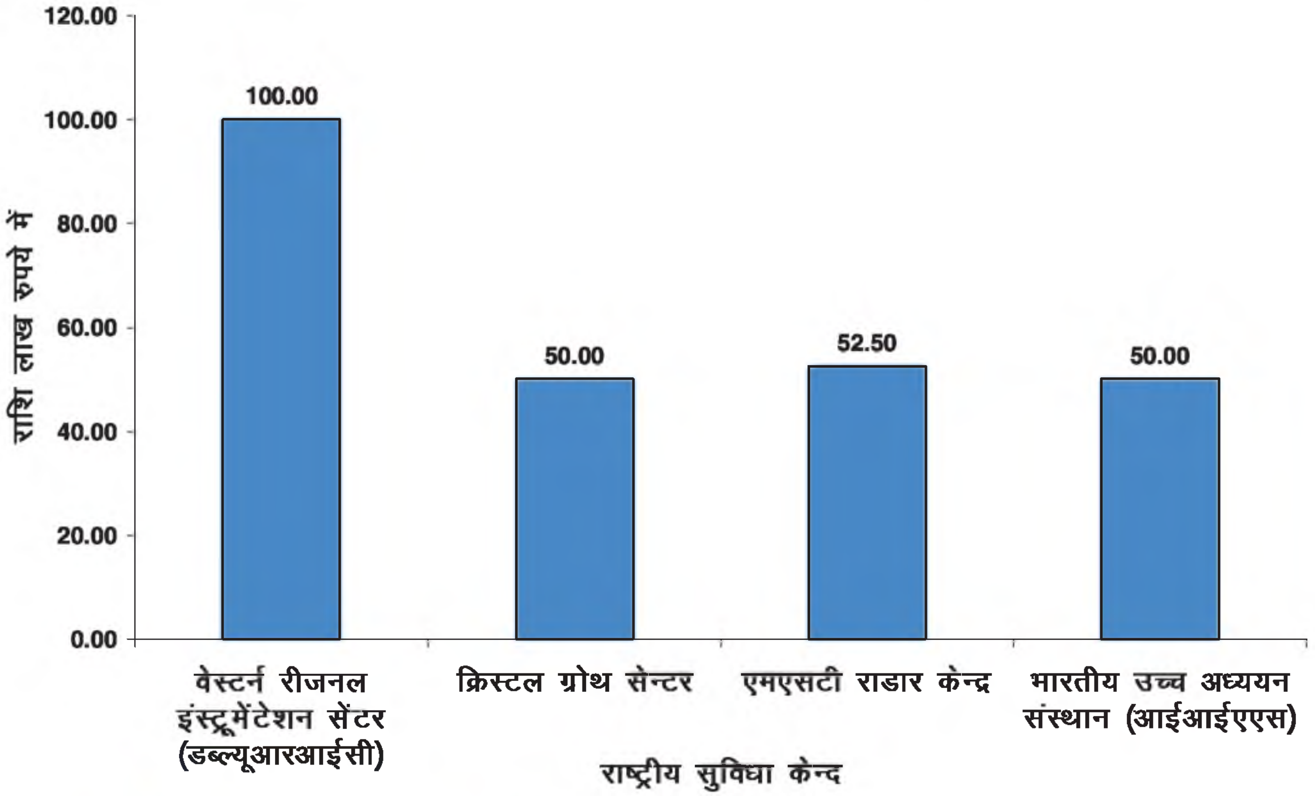

5.15 वृत्ति (कैरियर) उन्नति योजना

वर्ष 2013–2014 की अवधि के दौरान वृत्ति (कैरियर) उन्नति योजना (कैस) के अधीन उपाचार्य से आचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति :–

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, पर्यवेक्षक की नियुक्ति करके भारत में चल रहे समस्त मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों में 'कैस' के अधीन उपाचार्य से आचार्य के पद पर प्रोन्नति की चयन प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है। उपर्युक्त व्यवस्था, यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है ताकि विश्वविद्यालय इस प्रयोजनार्थ निर्धारित प्रक्रिया का पूर्णरूप से पालन करें। रिपोर्टाधीन वर्ष अर्थात् 2013–14 के दौरान, वृत्ति उन्नति योजना के तहत उपाचार्य से आचार्य के पद पर पदोन्नति की चयन प्रक्रिया की देखरेख के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा **58** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई।

6 अनुसंधान को प्रोत्साहन

6.1 शिक्षकों के लिए अनुसंधान परियोजनाएं : वृहद एवं लघु

सत्तर के दशक के उत्तरार्द्ध से ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में कार्यरत स्थायी, नियमित, कार्यरत/सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके पसंद के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य आरंभ करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करवा रहा है।

शिक्षकों हेतु वृहद शोध परियोजनाएं

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयो में स्थायी, नियमित, कार्यरत,/सेवानिवृत शिक्षकों को अभियांत्रिकी, आयुर्विज्ञान, भेषजी, कृषि तथा मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भाषा, साहित्य, कला, विधि तथा संबद्ध विधाओं सहित विज्ञान के उभरते हुए क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान कर शिक्षण तथा शोध को बढ़ावा देने हेतु प्रयासरत है।

उद्देश्य

- विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के शिक्षकों को विशेषज्ञता के क्षेत्र में व्यक्तिगत शोध को सहायता प्रदान कर उच्चतर शिक्षा में शोध में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना।

लाभार्थियों की संख्या सहित लक्षित समूह की कवरेज

- **ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान लाभार्थियों का संख्या**

  अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान, भेषजी, कृषि सहित विज्ञान–5573
  मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भाषा, साहित्य, कला, विधि तथा संबद्ध विधाएं–3740

- **वर्ष 2013–14 के दौरान चालू परियोजनाओं के लिए मध्यावधि मूल्यांकन किया गया :**

  अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान, भेषजी, कृषि सहित विज्ञान–1296
  मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भाषा, साहित्य, कला, विधि तथा संबद्ध विधाएं–582

- वर्ष 2013–14 के दौरान किसी नई शोध परियोजना को संस्वीकृत नहीं किया गया।

अर्हता

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत स्थायी/नियमित, कार्यरत/सेवानिवृत्त शिक्षकः–

(i) जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) तथा 12(ख) के तहत शामिल किया गया है।

(ii) स्ववित्तपोषण करने वाले संस्थानों में कार्यरत स्थायी शिक्षक [(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (अनुदान हेतु संस्थान की पात्रता संबंधी नियम, 1975) में विनिर्धारित शर्तों को पूर्ण करने तथा इस शर्त के अध्यधीन कि ऐसे

महाविद्यालयों में वसूला जा रहा शुल्क राज्य/विश्वविद्यालय विनियम अथवा यथा लागू किसी कानून के अनुरूप होगा, ऐसे स्ववित्तपोषित महाविद्यालय योजना के तहत आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।]

अनुदान की अधिकतम सीमा

अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान, भेषजी, कृषि सहित विज्ञान–20 लाख रुपये
मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भाषा, साहित्य, कला, विधि तथा संबद्ध विधाएं–15 लाख रुपये

अवधि

अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान, भेषजी, कृषि सहित विज्ञान–03 वर्ष
मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भाषा, साहित्य, कला, विधि तथा संबद्ध विधाएं–03 वर्ष

चयन प्रक्रिया

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वृहद शोध परियोजनाओं के लिए अक्तूबर, 2013 से आनलाईन आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तावों की संवीक्षा की जाती है तथा लघुसूचीबद्ध प्रस्तावों की मूल शोधकत्ताओं के साथ आमुख बैठकों के दौरान विशेषज्ञ समिति द्वारा पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।

- **वर्ष 2013–14 के दौरान प्रदत्त अनुदान**

  अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान, भेषजी, कृषि सहित विज्ञान–12.35 करोड़ रुपये।
  मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भाषा, साहित्य, कला, विधि तथा संबद्ध विधाएं–12.80 करोड़ रुपये।

शिक्षको के लिए वृहद शोध परियोजना संबंधी योजना हेतु बारहवीं पंचवर्षीय योजना दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं

1. विश्वविद्यालयों की लघु शोध परियोजनाओं पर संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा सीधे ही विकास अनुदान के माध्यम से तथा महाविद्यालयों हेतु परियोजनाओं पर संबंधित वि0अ0आ0 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कार्यवाही की जायेगी।
2. मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान परियोजनाओं का कार्यकाल भी 2 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष होगा।
3. कार्यकाल में किसी भी प्रकार की वृद्धि अनुमेय नहीं होगी।
4. सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिये मानदेय 12,000/– रुपए प्रतिमाह की बजाय 18,000/– रुपए प्रतिमाह होगा।
   - मुख्य शोधकर्ता को परियोजना से कम से कम दो अनुसंधान पत्र प्रकाशित करने होंगे।
   - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावों की संवीक्षा/मध्यवर्ती/अंतिम अभिमुख बैठकें आयोजित करने के लिए विषय से संबद्ध विशेषज्ञों की समितियां गठित की जाती है।
5. परियोजना कार्यान्वित किये जाने की तिथि से डेढ़ वर्ष उपरांत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मध्यावधि मूल्यांकन बैठक आयोजित करेगा जिसमें मूल शोधकर्त्ता विषय विशेषज्ञों के समक्ष परियोजना की प्रगति का ब्यौरा रखता है। विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर दूसरी किस्त जारी की जाएगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समक्ष परियोजना की अंतिम रिर्पाट को प्रस्तुत करने पूर्व, किसी अन्य संस्थान के कम से कम दो विशेषज्ञों द्वारा परियोजना का मूल्यांकन किया जायेगा।

6.2 शोध अवार्ड

शोध पुरस्कार की योजना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्थायी शिक्षकों को, उनके विशेषज्ञता के क्षेत्र में, किसी शोध मार्गदर्शन लिए और शिक्षण उत्तरदायित्व के बिना दो वर्ष की अवधि तक अनुसंधान कार्य हेतु अवसर प्रदान करती है।

जिन शिक्षकों के पास डाक्टोरेट की उपाधि है तथा जिन्होंने अपने शोध में उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है तथा जो 45 वर्ष से कम आयु के है उन्हें अवार्ड देने हेतु विचार किया जाता है। इस आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी यदि वह प्रस्ताव महिला, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) शारीरिक रूप से निशक्त एवं अल्पवर्ग शिक्षकों में से किसी का होगा। कोई भी शिक्षक इस शोध पुरस्कार का लाभ उठाने के लिए एक वर्ष में केवल एक ही बार पात्र माना जायेगा। इन पुरस्कार की दो वर्ष की अवधि है जो कि विस्तारित नहीं की जायेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर विज्ञान, मानविकी एवं समाज विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग में प्रत्येक वर्ष 100 स्लॉट के लिए चयन किया जाता है।

उपलब्ध वित्तीय सहायता का स्वरूप निम्नवत है :–

- अंशदायी भविष्य निधि/सामान्य भविष्य निधि के अलावा अवार्डधारी को पूर्ण वेतन प्रदान किया जायेगा।
- पुस्तकों एवं पत्रिकाओं, रसायनों एवं उपस्करों पर होने वाले व्यय, परियोजना सहायक पर व्यय, केन्द्रं अथवा कहीं बाहर यात्रा करने पर होने वाले व्यय के लिए शोध अनुदान।

  मानविकी एवं समाज विज्ञान – 2.00 लाख रू.

  विज्ञान/इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी – 3.00 लाख रू.

इस अवार्ड के प्रारंभ होने के 12 से 15 माह की अवधि के भीतर ही अवार्डधारी द्वारा किये गये शोधकार्य की एक मध्यावधि प्रगति रिपोर्ट, विभागाध्यक्ष के साथ ही विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के कुल सचिव/प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित कर, भेजी जानी चाहिए।

इस योजना के तहत प्राप्त आनलाइन आवेदन की छानबीन समिति द्वारा संवीक्षा की जाती है। तत्पश्चात लघुसूचीबद्ध अभ्यर्थी को चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। अवार्ड हेतु चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जायेगा।

भविष्य में, किसी कदाचार के कारण अथवा शोधकार्य की असंतोषजनक प्रगति अथवा प्रत्याशी के अपात्र पाये जाने की स्थिति में इस शोध अवार्ड को निरस्त किया जा सकता है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अवार्डधारियों को किए गए भुगतान का ब्यौरा निम्नवत है:

वर्ष	किया गया व्यय (करोड़ रु0 में)
2012–13	7.35
2013–14	7.20
कुल	**14.55**

6.3 एमेरिटस अध्येतावृत्तियाँ

इस योजना का मुख्य उद्देश्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके द्वारा उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में शोध कार्य करने का अवसर अवसर प्रदान करना है।

लक्षित समूह में ऐसे उच्च अर्हता वाले अनुभवी शिक्षक हैं जिन्हें शिक्षा एवं अनुभव प्राप्त है अथवा ऐसे शिक्षक जिनकी आगामी छह माह की भीतर अवकाश प्राप्त की संभावना है तथा जो कि मान्यताप्राप्त संस्थानों के शिक्षक हैं। इस अध्येतावृत्तियां के लिए पात्रता को इस बात पर आँका जाता है कि संबद्ध शिक्षक द्वारा उसके सेवाकाल के दौरान किए गए शोध या प्रकाशित कार्य की गुणवत्ता कितनी है। अवार्ड प्राप्तकर्ता एक सुपरिभाषित समयबद्ध कार्ययोजना के तहत 70 वर्ष की आयु तक अथवा दो वर्ष (जिसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है) इनमें से जो भी अवधि पहले पूरी हो जाती है, तक कार्य कर सकता है। अध्येतावृत्ति का स्वरूप निम्नवत है :

विज्ञान विषयों के लिए स्लॉटों की संख्या	:	100 (किसी भी दिए गए समय पर)
मानविकी/सामाजिक विज्ञान तथा भाषाओं के लिए स्लॉटों की संख्या	:	100 (किसी भी दिए गए समय पर)
मानदेय	:	दो वर्ष तक के लिये 20,000/– प्रतिमाह (आगे नहीं बढ़ाया जा सकता)
आकस्मिक अनुदान (अव्यपगत)	:	50,000/– रू. प्रतिवर्ष

आकस्मिक अनुदान का उपयोग, सचिव सहायता, देश के भीतर यात्रा तथा जो कि शोध परियोजना के संबंध में हो, लेखन सामग्री, ड़ाक सामग्री, उपभोज्य, पुस्तक तथा पत्रिकाएँ एवं उपस्कर के लिए किया जा सकता है। अवार्ड प्राप्तकर्ता के अनुमोदित अनुसंधान कार्य के साथ जुड़े स्थानों पर वर्ष में एक बार विदेश यात्रा की अनुमति है, जिसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहित उस संस्थान की अनुमति उस संस्थान, जहाँ वह परियोजना कार्य किया जा रहा है, प्राप्त की जानी चाहिए। परन्तु इसके संबंध में वि0अ0आ0 का कोई वित्तीय दायित्व नहीं होगा। एमेरिटस अध्येताओं को आवास व्यवस्था अलावा ऐसी समस्त सुविधाएँ जिनमें चिकित्सा सुविधाएँ भी सम्मिलित है, उपलब्ध होंगी जो कि विश्वविद्यालय संकाय सदस्यों को उपलब्ध हैं।

एमेरिटस अध्येताओं के लिए आवेदन आनलाईन पद्धति से आमंत्रित किये जाते है तथा आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है। चयन हेतु अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0 (असम्पन्न वर्ग)/शारीरिक रूप से निशक्त तथा अल्पसंख्यक व्यक्तियों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

भविष्य में, शोध की पायरेसी सहित किसी कदाचार के कारण अथवा शोधकार्य की असंतोषजनक प्रगति अथवा प्रत्याशी के अपात्र पाये जाने की स्थिति में इस शोध अवार्ड को निरस्त किया जा सकता है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अवार्डधारियों को किए गए भुगतान का ब्यौरा निम्नवत है:

वर्ष	किया गया व्यय (करोड़ रु0 में)
2007–2008	2.75
2008–2009	2.05
2009–2010	3.04
2010–2011	5.05
2011–2012	4.37
कुल	**17.26**

वर्ष 2013–14 के दौरान दिनांक 12.02.2013 को वि0अ0आ0 तथा केनरा बैंक के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के आधार पर केनरा बैंक के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। केनरा बैंक को 10.41 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था तथा चयनित अभ्यर्थियों को 0.81 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अवार्डधारियों को किए गए भुगतान का ब्यौरा निम्नवत है:

वर्ष	किया गया व्यय (करोड़ रु0 में)
2012–13	3.14
2013–14	0.81 10.41 (आनलाइन अंतरण)
कुल	**14.36**

6.4 विभिन्न शैक्षिक तथा शोध संबंधी क्रियाकलापों के आयोजन हेतु शिक्षकों, विषय/विधा आधारित संघों को प्रोत्साहन

योजना का उद्देश्य सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं मे भागीदारी करना तथा जहां–कहीं भी संभव हो प्रकाशन हेतु पत्र प्रस्तुत करना है, जिससे शिक्षकों तथा शोधकत्ताओं को प्रोत्साहित किया जा सके ताकि विशेष क्रियाकलापों के आयोजन हेतु सामाजिक विज्ञान, मानविकी तथा भाषा में विषय संघों को सहायता की जा सके।

वर्ष 2013–14 के दौरान 12 विश्वविद्यालयों को 51.44 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई थी।

6.5 विदेशी नागरिकों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.) तथा अनुसंधान एसोशिएटशिप (आर.ए.)

भारतीय विश्वविद्यालयों में विज्ञान, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के विषयों में एम.फिल./पी.एच.डी. करने के इच्छुक विदेशी नागरिकों से प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन करने वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक वर्ष कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति के लिए 20 अभ्यार्थियों का चुनाव करता है। अध्येतावृत्ति चार वर्ष के लिए प्रदान की जाती है (जिसे आगे नही बढ़ाया जा सकता है)। अध्येतावृति का स्वरूप निम्नवत है:–

विदेशी नागरिकों के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति

अध्येतावृत्ति	12,000/–रू. प्रतिमाह की दर से 14,000/–रू. प्रतिमाह की दर से	प्रथम दो वर्षों के लिए, तथा शेष अवधि के लिए
आकस्मिकता अनुदान	10,000./– प्रतिवर्ष की दर से 12,000.00/– रू. प्रतिवर्ष की दर से 25,000/–रू. प्रतिवर्ष की दर से 20,500/–रू. प्रतिवर्ष की दर से	विज्ञान के लिए मानविकी एवं समाज विज्ञान के लिए विज्ञान हेतु शेष अवधि के लिए मानविकी एवं समाज विज्ञान की शेष अवधि के लिए
विभागीय	3000/–रू. प्रतिवर्ष की दर से	प्रति जे.आर.एफ. सहायता
विकलॉग भत्ता/सहायक	2000/–रू. प्रतिमाह की दर से	प्रति जे.आर.एफ.
आवास भत्ता	संबद्ध संस्थान के निर्धारित नियमानुसार	

इस अध्येतावृत्ति हेतु व्यय को विज्ञान, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान की योजना में सम्मिलित किया गया है।

विदेशी नागरिकों के लिए अनुसंधान एसोसिएटशिप

वि0अ0आ0 द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के प्रस्तावों के मूल्यांकन के आधार पर विदेशी नागरिको से किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय में विज्ञान, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान की किसी भी विधा में पोस्ट–डाक्टोरल शोध करने के इच्छुक अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों में से अनुसंधान एसोसिएटशिप हेतु सात अभ्यर्थियों (निर्धारित अध्येतावृत्तियां) का चयन किया जाता है। अध्येतावृत्ति चार वर्ष के लिए प्रदान की जाती है (जिसे आगे नही बढ़ाया जा सकता है)।

अध्येतावृत्ति	16,000/- रू. प्रतिमाह की दर से	4 वर्ष के लिए (निर्धारित)
आकस्मिक	30,000/-रू. प्रतिवर्ष की दर से	4 वर्ष के लिए (निर्धारित)
विभागीय सहायता	मेज़बान संस्थान को अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए एसोसिएशिप का 10 प्रतिशत (निर्धारित)	4 वर्ष के लिए (निर्धारित)
मकान किराया भत्ता	संबधित संस्थान के नियमानुसार 4 वर्ष के लिए	4 वर्ष के लिए (निर्धारित)

एसए–I अनुभाग ने वर्ष 2013–14 के लिए विदेशी नागरिकों हेतु जेआरएफ और अनुसंधान एसोसिएटशिप के संबंध में आवेदन आमंत्रित किये है, जिन्हें अंतिम सिफारिशों के लिए चयन समिति के समक्ष रखा जा रहा है।

6.6 भारतीय नागरिकों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ

(क) विज्ञान, मानविकी एवं समाज विज्ञान में कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ (जेआरएफ)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्वानों को उच्च शोध एवं अध्ययन करने के अवसर उपलब्ध कराना है ताकि वे भाषाएं एवं विज्ञान सहित विज्ञान, मानविकी एवं समाज विज्ञान में एम.फिल./पी.एच.डी. उपाधियाँ प्राप्त कर सकें। वि0अ0आ0 एवं वि0अ0आ0–सी.एस. आई.आर. की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट/जेआरएफ) को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जे. आर.एफ. प्रदान की जाती है। इस अध्येतावृत्ति की कुल अवधि 5 वर्ष है। इस अध्येतावृत्ति का पैटर्न निम्नवत है :–

अध्येतावृत्ति	प्रारंभ में दो वर्ष के लिए 16,000/-रू. प्रतिमाह की दर से शेष अवधि के लिए 18,000/-रू. प्रतिमाह की दर से	जे आर एफ (2 वर्ष) एस आर एफ (3 वर्ष)
आकस्मिक–क	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 10,000/-रू. प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 20,500/-रू. प्रतिवर्ष की दर से	मानविकी और सामाजिक विज्ञान
आकस्मिक–ख	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 12,000/-रू. प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 25000/-रू. प्रतिवर्ष की दर से	विज्ञान
विभागीय सहायता	3,000/- रू. प्रतिवर्ष प्रति छात्र की दर से मेजबान संस्था को अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए	
सहायक/रीडर सहायता	2,000/-रू. प्रतिमाह की दर से शारीरिक रूप से विकलॉग एवं दृष्टिहीन प्रत्याशियों के लिए	
मकान किराया भत्ता	विश्वविद्यालय/संस्थानों के नियमानुसार	

दिनांक 01.04.2007 (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना) से प्रदत्त अनुदान का ब्यौरा निम्नवत है:–

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन (रुपये करोड़ में)	जारी की गई राशि (रुपये करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या
1.	2007-2008	34.00	37.50	5,000
2.	2008-2009	34.00	46.63	6,000
3.	2009-2010	40.00	37.21	8,000
4.	2010-2011	30.00	41.22	12,000
5.	2011-2012	34.37	188.00	18,000

दिनांक 01.04.2012 (बारहवीं पंचवर्षीय योजना) से प्रदत्त अनुदान का ब्यौरा निम्नवत है:–

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन (रुपये करोड़ में)	जारी की गई राशि (रुपये करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या
1.	2012-2013	127.00	257.00	22,000
2.	2013-2014	53.20	171.00	28,000

वर्ष 2013–14 के दौरान, विज्ञान, मानविकी तथा समाज विज्ञान विषयों में जे.आर.एफ. पर **171.00 करोड़ रुपये** की राशि व्यय की गई। जेआरएफ के लिए प्रतिवर्ष 8800 स्लॉट हैं। वर्तमान में जेआरएफ योजना के तहत 32000 (लगभग) विद्वान एमफिल/पीएचडी अध्ययन कर रहे हैं।

6.7 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृतियां

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रति वर्ष 2667 स्लॉट अर्थात् अ.जा. श्रेणी के लिए 2000 तथा अ.ज.जा. श्रेणी के लिए 667 स्लॉट उपलब्ध करवाकर अ.जा. एवं अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियों को कार्यान्वित करने का कार्य वि0अ0आ0 को सौंपा है और इसका वित्तपोषित किया है। दिनांक 01.04.2010 से अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए स्लॉटों की संख्या 1333 से बढ़ाकर 2000 कर दी गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में विद्यमान सामाजिक विषमताओं को न्यून करना है। केन्द्र सरकार, वि0अ0आ0 के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रत्याशियों के लिए भाषाओं एवं अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी सहित विज्ञान, मानविकी एवं समाज विज्ञान विषयों में एम.फिल./पी.एच.डी. करने के उद्देश्य से उच्च शोध एवं अध्ययन करने के लिए 2667 अनुसंधान अध्येतावृत्तियां उपलब्ध करायी जाती हैं। इस अध्येतावृत्ति की अवधि पाँच वर्ष है। अध्येतावृत्ति का स्वरुप निम्नवत् है :–

वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृति योजना के तहत चयनित अभ्यर्थियों की राज्य–वार सूची को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	भारत सरकार के अनुसार आंवटित स्लॉटो की संख्या		वर्ष 2013–14 के दौरान चयनित अभ्यर्थियों की संख्या	
		1 अप्रैल 2010 से अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.	आन्ध्र प्रदेश	148	40	178	40
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	1		

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	भारत सरकार के अनुसार आंवटित स्लॉटों की संख्या		वर्ष 2013–14 के दौरान चयनित अभ्यर्थियों की संख्या	
		1 अप्रैल 2010 से अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
3.	अरूणाचल प्रदेश	0	6		12
4.	असम	22	26	25	50
5.	बिहार	157	6	157	3
6.	चण्डीगढ़	2	0	2	
7.	छत्तीसगढ़	29	53	29	10
8.	दादरा और नागर हवेली	0	1		
9.	दमन और द्वीव	0	1		
10.	दिल्ली	28	0	28	
11.	गोवा	1	1	1	1
12.	गुजरात	43	58	43	58
13.	हरियाणा	49	0	49	
14.	हिमाचल प्रदेश	18	2	18	2
15.	जम्मू और कश्मीर	9	9	12	18
16.	झारखण्ड	38	56	27	57
17.	कर्नाटक	103	27	103	27
18.	केरल	38	3	38	3
19.	लक्षद्वीप	0	1		1
20.	मध्य प्रदेश	110	95	110	95
21.	महाराष्ट्र	119	66	119	36
22.	मणिपुर	1	7	5	14
23.	मेघालय	0	16	1	28
24.	मिजोरम	0	7		14
25.	नागालैण्ड	0	14		26
26.	ओड़ीशा	73	63	73	64
27.	पुदुचेरी	2	0	2	
28.	पंजाब	84	0	84	
29.	राजस्थान	117	56	116	56
30.	सिक्किम	0	1	1	2
31.	तमिलनाडु	142	5	142	5
32.	त्रिपुरा	7	8	6	7

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	भारत सरकार के अनुसार आंवटित स्लॉटों की संख्या		वर्ष 2013–14 के दौरान चयनित अभ्यर्थियों की संख्या	
		1 अप्रैल 2010 से अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
33.	उत्तर प्रदेश	42	1	422	1
34.	उत्तरांखण्ड	18	2	18	2
35.	पश्चिम बंगाल	220	35	221	35
	कुल	**2000**	**667**	**2000**	**667**

रेखाचित्र 6.7: वर्ष 2013–14 के दौरान राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के तहत चयनित अभ्यर्थियों की राज्य–वार संख्या

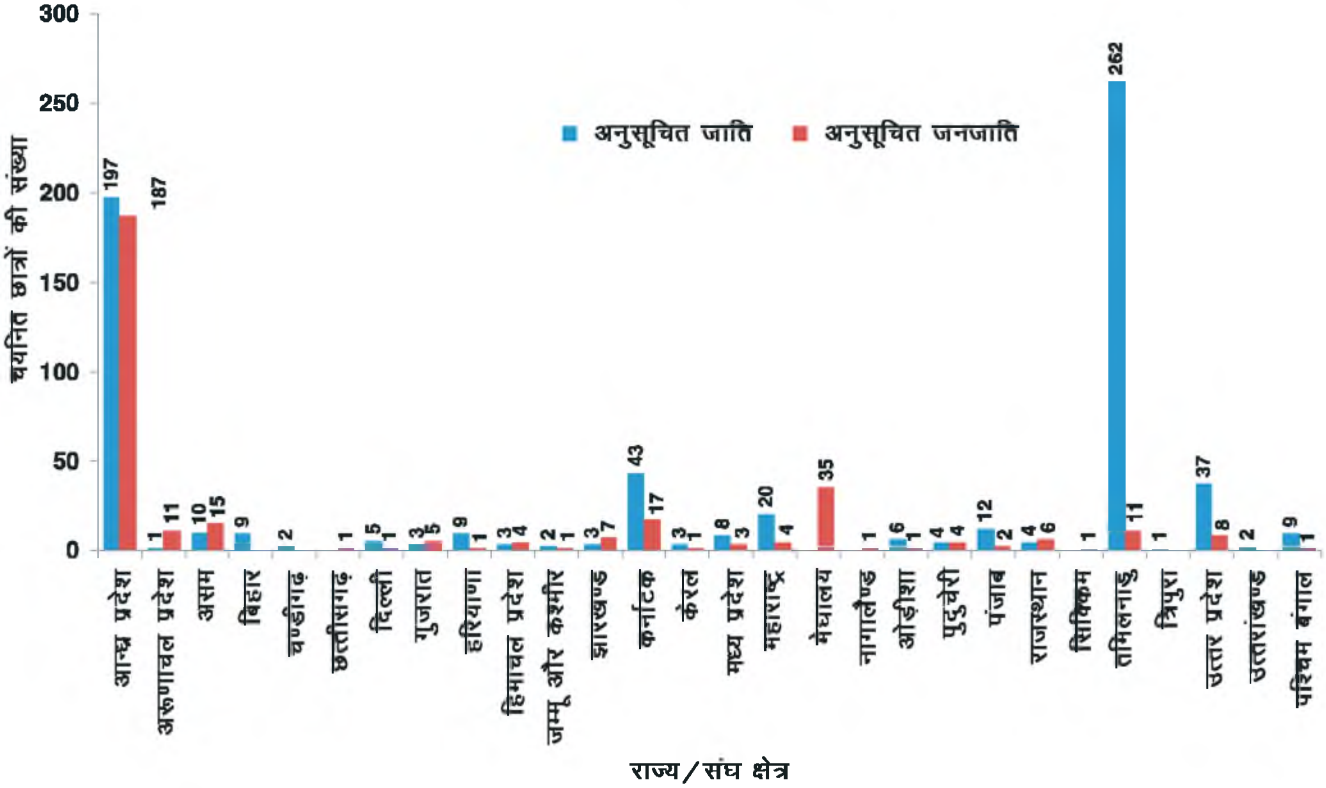

वर्ष 2013–14 के दौरान, योजनागत अनुदान के तहत **65,28,94,992/– रू0** (अ0ज0 के अभ्यर्थियों हेतु) तथा **27,19,30,204/– रू0** (अ0ज0जा0 अभ्यर्थियों हेतु) की राशि व्यय की गई।

6.8 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ

विज्ञान, मानविकी एवं समाज विज्ञान, एंव इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में अध्येतावृत्ति	प्रारम्भिक दो वर्षों के लिए 16,000/-रू. प्रतिमाह की दर से शेष अवधि के लिए 18,000/-रू. प्रतिमाह की दर से	आर.जी.एन.जे.आर.एफ. (2 वर्ष के लिये) आर.जी.एन.एस.आर.एफ. (3 वर्ष के लिये)
आकस्मिक (क)	प्रारम्भिक दो वर्षों तक 10,000/-रू. प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि तक 20,500/-रू. प्रतिवर्ष की दर से	मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान में
आकस्मिक (ख)	प्रारम्भिक दो वर्ष तक 12,000/-रू. प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि तक 25,000/-रू. प्रतिवर्ष की दर से।	विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी
विभागीय सहायता	3000/-रू. प्रति वर्ष, प्रति छात्र–की दर से मेजबान संस्थान को प्रदान की जायेगी।	सभी विधाओं में
सहायक/रीडर सहायता	शारीरिक रूप से नि:शक्त एवं दृष्टिहीन प्रत्याशियों को 2000/- रुपये प्रतिमाह की दर से।	सभी विधाओं में
मकान किराया भत्ता	विश्वविद्यालय/संस्थानों के नियमानुसार।	सभी विधाओं में

योजना का उद्धेश्य ऐसे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी जिन्होंने डॉक्टोरल उपाधि प्राप्त कर ली है तथा जिन्होने शोध पत्र प्रकाशित कर लिया है उनके द्वारा चुने हुए क्षेत्रों में उच्च शोध करने के लिए सुविधा प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति की योजना को आरम्भ किया गया है। इस प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक वर्ष उनके लिए 100 स्लॉट उपलब्ध करवा रहा है।

इस अध्येतावृत्ति का स्वरुप निम्नवत है:

क्र.सं.	मद	अध्येतावृत्ति की संशोधित दर	
		अध्येतावृत्ति की दर	अध्येतावृत्ति की अवधि
1.	अध्येतावृत्ति	प्रथम दो वर्षों के लिए 25,000/- रू. प्रतिमाह की दर से तीसरे वर्ष और उसके पश्चात 30000/- रू. की दर से	5 वर्ष
2.	आकस्मिक	पांच वर्षों के लिए 50000/- रू. प्रतिवर्ष की दर से	
3.	विभागीय सहायता	–	
4.	सहायक/रीडर सहायता	शारीरिक रूप से विकलॉग एवं दृष्टिहीन प्रत्यार्शियों के लिए 2,000/-रू. प्रतिमाह (निर्धारित) की दर से	
5.	आवास किराया भत्ता	विश्वविद्यालय के नियमानुसार	

वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान चयनित अभ्यर्थियों की राज्यवार/श्रेणीवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान चयनित अभ्यर्थियों की संख्या		
		अ0जा0	अ0ज0जा0	कुल योग
1	आन्ध्र प्रदेश	18	11	29
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह			

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान चयनित अभ्यर्थियों की संख्या		
		अ0जा0	अ0ज0जा0	कुल योग
3	अरूणाचल प्रदेश		1	1
4	असम		2	2
5	बिहार	1		1
6	चण्डीगढ़			
7	छत्तीसगढ़			
8	दादरा और नागर हवेली			
9	दमन और द्वीव			
10	दिल्ली	3		3
11	गोवा			
12	गुजरात	1		1
13	हरियाणा			
14	हिमाचल प्रदेश			
15	जम्मू और कश्मीर		1	1
16	झारखण्ड		1	1
17	कर्नाटक	11	5	16
18	केरल	2		2
19	लक्षद्वीप			
20	मध्य प्रदेश	1	1	2
21	महाराष्ट्र	1	2	3
22	मणिपुर		3	3
23	मेघालय			
24	मिजोरम			
25	नागालैण्ड			
26	ओड़ीशा	2		2
27	पुदुचेरी	1		1
28	पंजाब			
29	राजस्थान	4	4	8
30	सिक्किम			
31	तमिलनाडु	13		13
32	त्रिपुरा			

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान चयनित अभ्यर्थियों की संख्या		
		अ0जा0	अ0ज0जा0	कुल योग
33	उत्तर प्रदेश	6		6
34	उत्तरांखण्ड		1	1
35	पश्चिम बंगाल	3	1	4
	कुल	67	33	100

रिपोर्टाधीन वर्ष 2013–14 के दौरान **6,38,57,475**/– रुपये की राशि का व्यय हुआ।

रेखाचित्र 6.8: वर्ष 2013–14 के दौरान पोस्ट–डाक्टोरल अध्येतावृत्ति हेतु चयनित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की राज्य–वार/श्रेणी–वार संख्या

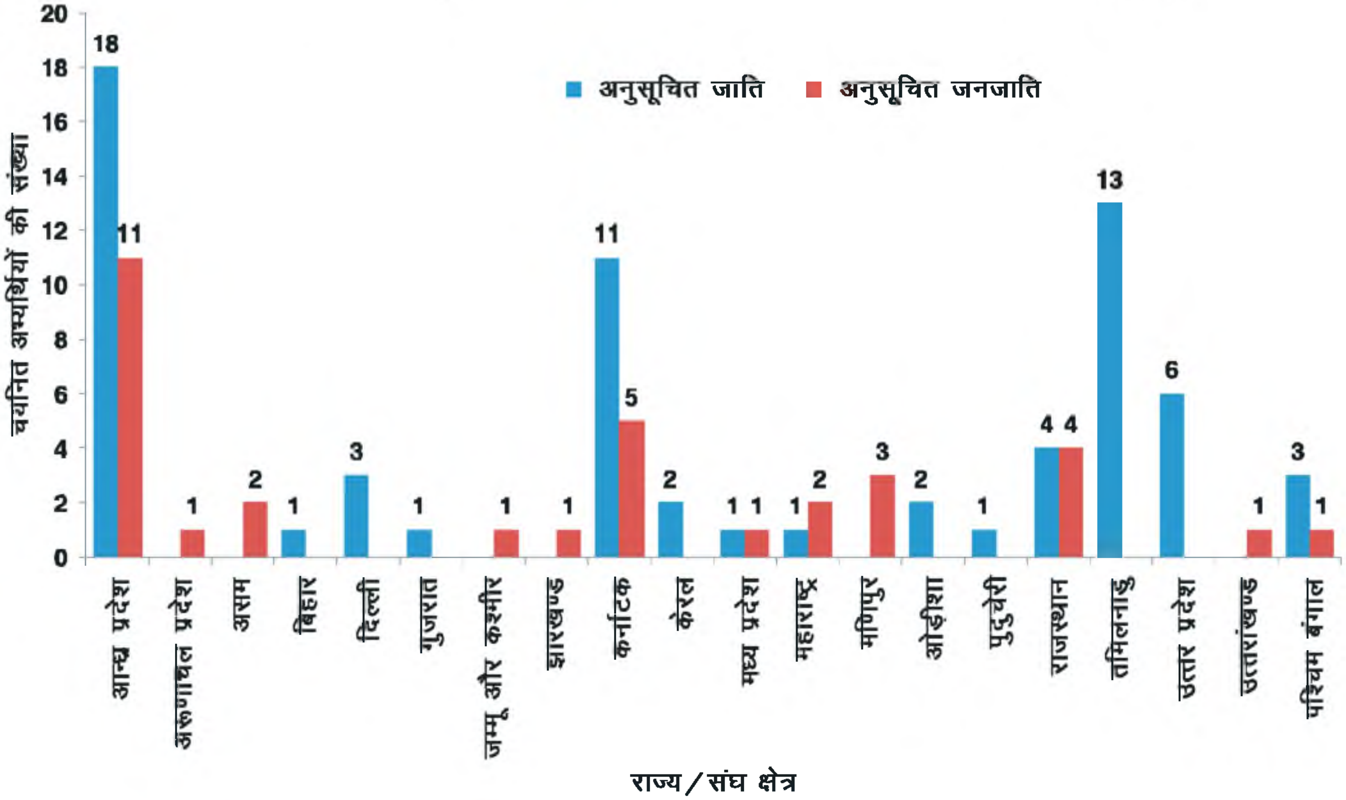

6.9 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां

समाज के वंचित वर्ग की सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़े अभ्यार्थियों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को पेशेवर पाठयक्रमों मे स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययन का अवसर प्रदान करने के लिए इस योजना को आरंभ किया गया है। डिग्री पाठ्यक्रम की अवधि के आधार पर इन छात्रवृत्तियों की अवधि 2/3 वर्ष की है। अ.जा./अ.ज.जा. वर्गों के प्रत्याशियों के लिए स्लॉटों की संख्या 1000 प्रति वर्ष है।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत चयनित अभ्यर्थियों के राज्यवार/श्रेणीवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र0सं0	राज्य/संघ क्षेत्र	वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान चयनित अभ्यर्थियों की संख्या		
		अ0जा0	अ0ज0जा0	कुल योग
1	आन्ध्र प्रदेश	197	187	384
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह			
3	अरूणाचल प्रदेश	1	11	12
4	असम	10	15	25
5	बिहार	9		9
6	चण्डीगढ़	2		2
7	छत्तीसगढ़		1	1
8	दादरा और नागर हवेली			
9	दमन और द्वीव			
10	दिल्ली	5	1	6
11	गोवा			
12	गुजरात	3	5	8
13	हरियाणा	9	1	10
14	हिमाचल प्रदेश	3	4	7
15	जम्मू और कश्मीर	2	1	3
16	झारखण्ड	3	7	10
17	कर्नाटक	43	17	60
18	केरल	3	1	4
19	लक्षद्वीप			
20	मध्य प्रदेश	8	3	11
21	महाराष्ट्र	20	4	24
22	मणिपुर			
23	मेघालय		35	35
24	मिजोरम			
25	नागालैण्ड		1	1
26	ओड़ीशा	6	1	7
27	पुदुचेरी	4	4	8
28	पंजाब	12	2	14

क्र0सं0	राज्य/संघ क्षेत्र	वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान चयनित अभ्यर्थियों की संख्या		
		अ0जा0	अ0ज0जा0	कुल योग
29	राजस्थान	4	6	10
30	सिक्किम		1	1
31	तमिलनाडु	262	11	273
32	त्रिपुरा	1		1
33	उत्तर प्रदेश	37	8	45
34	उत्तरांखण्ड	2		2
35	पश्चिम बंगाल	9	1	10
	कुल	**655**	**328**	**983**

रिपोर्टाधीन वर्ष 2013–14 के दौरान 3,11,37,102/– रुपये की राशि का योजनागत व्यय हुआ।

रेखाचित्र 6.9: वर्ष 2013–14 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पेशेवर पाठ्यक्रमों में चयनित स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियों की योजना के तहत चयनित छात्रों की राज्यवार/श्रेणी–वार संख्या

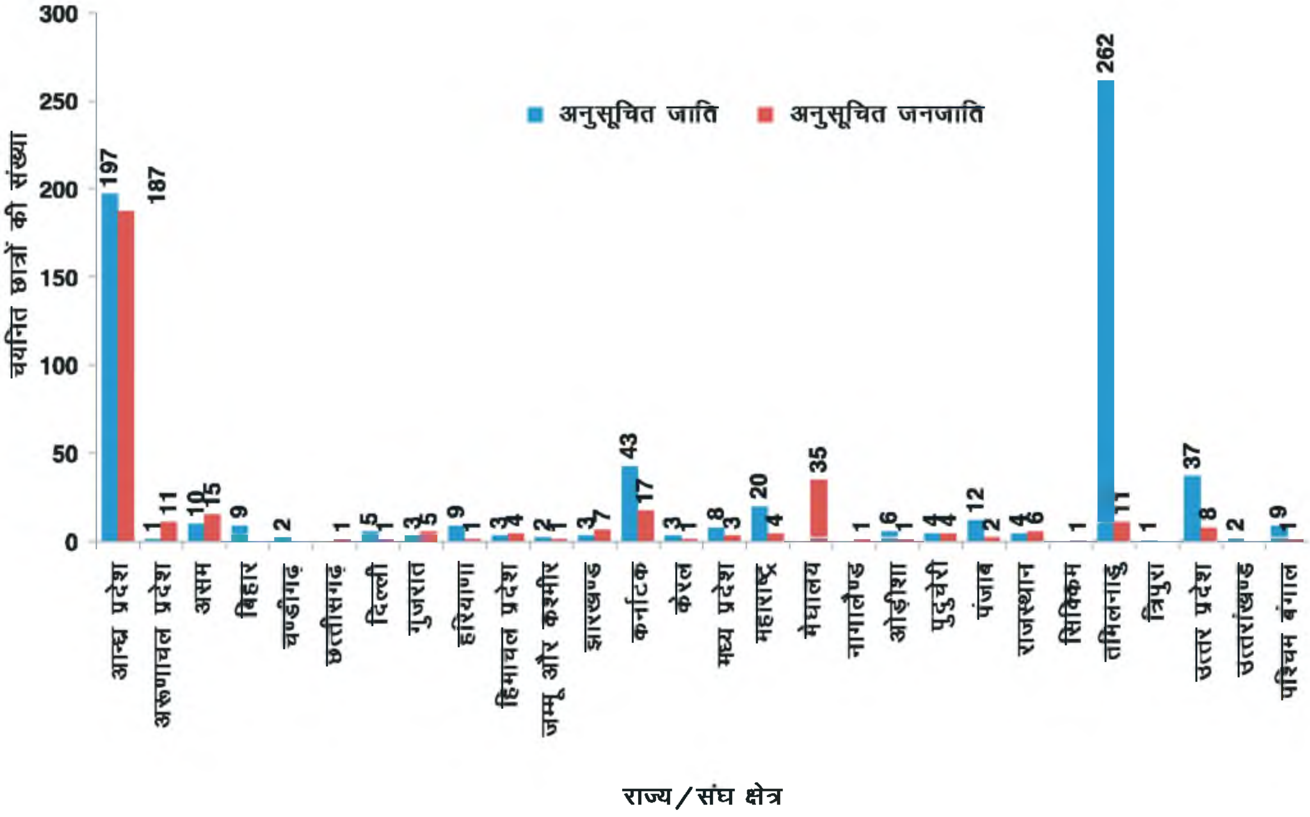

6.10 शोध वैज्ञानिक (संशोधन–पूर्व)

शोध वैज्ञानिक योजना को मूल रूप से वर्ष 1983 में आरंभ किया गया था तथा इसका लक्ष्य विशिष्ट योग्यता वाले तथा विदेशों में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों को विज्ञान, अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी एवं मानविकी तथा समाज विज्ञान के तीन स्तरों पर पर उच्च गुणवत्तायुक्त शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया था:

1. शोध वैज्ञानिक 'क' (व्याख्याता)
2. शोध वैज्ञानिक 'ख' (उपाचार्य)
3. शोध वैज्ञानिक 'ग' (आचार्य)

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शोध वैज्ञानिकों को भुगतान करने पर हुए व्यय का ब्यौरा निम्नवत हैं:

वर्ष	कार्यरत शोध वैज्ञानिकों की संख्या	किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)
2007-08	74	3.74
2008-09	72	4.81
2009-10	69	3.45
2010-11	69	6.03
2011-12	69	9.72
	कुल	**27.75**

वर्तमान में योजना के तहत विभिन्न संस्थानों में 68 शोध वैज्ञानिक कार्यरत हैं। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन शोध वैज्ञानिकों को भुगतान करने पर हुए व्यय का ब्यौरा निम्नवत है:

वर्ष	किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)
2012-13	5.39
2013-14	4.04
कुल	**9.43**

6.11 महिलाओं के लिए पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियां

इस योजना का उद्देश्य पी.एच.डी उपाधि धारक बेरोजगार महिलाएं, जिनका पूर्णकालीन आधार पर पोस्ट–डाक्टोरल शोध की ओर रूझान है, उन्हें शोध कार्य का अवसर प्रदान करना है। वर्तमान में इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 100 स्लॉट उपलब्ध हैं।

ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास संगत विषय में डाक्टोरल उपाधि है तथा सामान्य/अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में जिनके स्नातकपूर्व स्तर पर 55 प्रतिशत अंक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 60 प्रतिशत अंक हों तथा आरक्षित श्रेणी (अ0जा0/अ0ज0जा0/अपिव/शारीरिक रूप से निशक्त) अभ्यर्थियों के मामले में स्नातकपूर्व स्तर पर 50 प्रतिशत अंक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 55 प्रतिशत अंक हों, वे अभ्यर्थी अध्येतावृत्ति के लिए पात्र हैं। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष तथा अ0जा0/अ0ज0जा0/अपिव/शारीरिक रूप से निशक्त अभ्यर्थियों के मामले में यह 60 वर्ष है।

योजना के तहत उपलब्ध वित्तीय सहायता निम्नवत है:

अध्येतावृत्ति	25000/- रू. प्रतिमाह की दर से (निर्धारित) दो वर्ष के पश्चात् 30,000/-रू. प्रतिमाह की दर से
आकस्मिक	पांच वर्ष के लिए 50,000/-रू. प्रतिवर्ष की दर से
विभागीय सहायता	मेज़बान संस्थान को पोस्ट–डाक्टोरल अध्येतावृत्ति का 10 प्रतिशत
सहायक/रीडर सहायता	शारीरिक रूप से विकलांग एवं दृष्टिबाधित प्रत्यार्शियों के लिए 2,000/- रू. प्रतिमाह (निर्धारित) की दर से

इस योजना के तहत प्राप्त ऑनलाइन आवेदन की संवीक्षा छानबीन समिति द्वारा की जाती है। तत्पश्चात्, लघुसूचीबद्ध अभ्यर्थियों को वि0अ0आ0 द्वारा गठित चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है। अवार्ड हेतु चयन वि0अ0आ0 द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है।

भविष्य में, किसी कदाचार के कारण अथवा शोधकार्य की असंतोषजनक प्रगति अथवा प्रत्याशी के अपात्र पाये जाने की स्थिति में इस शोध अवार्ड को निरस्त किया जा सकता है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वि0अ0आ0 तथा केनरा बैंक के बीच दिनांक 12.02.2013 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के आधार पर केनरा बैंक के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। वर्ष 2013–14 के दौरान चयनित अभ्यर्थियों को अंतरित करने के लिए केनरा बैंक को 12.00 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अध्येताओं को किए गए भुगतान का ब्यौरा निम्नवत है:

वर्ष	किया गया व्यय (करोड़ रु0 में)
2012–13	5.86
2013–14	4.56 12.00 (ऑनलाइन अंतरण)
कुल	**22.42**

6.12 गेट अर्हता प्राप्त एम.ई/एम.टेक./एम.फार्मा छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, गेट/जीपीएटी अर्हता प्राप्त एमई/एम.टेक/एम. फॉर्मा पाठ्यक्रमों और समेकित दोहरी उपाधि पाठ्यक्रमों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना को लागू कर रहा है। योजना का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्नातकोत्तर स्तर पर तकनीकी शिक्षा को जारी रखने हेतु मेधावी युवा स्नातक उपाधि प्राप्त छात्रों को आकर्षित करने में मदद करना है।

योजना के आरंभ से तकनीकी कार्यक्रमों का संचालन करने वाले विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता हेतु प्रतिवर्ष 1200 छात्रवृत्तियों के लिये दावा प्रस्तुत करते हैं।

वित्तीय सहायता का स्वरूप:

अध्येतावृत्ति	8000 रू0 प्रतिमाह की दर से
आकस्मिक अनुदान	5000 रू0 प्रतिवर्ष की दर से

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गेट/जीपीएटी अर्हता प्राप्त एमई/एम.टेक/एम. फार्मा हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना को बंद कर दिया है। आयोग की 10 मई, 2013 को आयोजित 493वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2013 से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नई दिल्ली ऐसी योजना का कार्यान्वयन करेगा।

रिपोर्टाधीन वर्ष 2013–14 के दौरान **99,94,242/–** रुपए का व्यय हुआ।

6.13 एकल बालिका हेतु इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

भारत सरकार द्वारा महिलाओं के स्तर को उठाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा मूलभूत शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बनाना शामिल है। इंदिरा गांधी एकल बालिका स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना भी एक ऐसी ही योजना है जिसका उद्देश्य सभी स्तरों पर लड़कियों की शिक्षा के लिए किया गया व्यय जो प्रत्यक्ष रूप से व्यय हुआ है उसकी प्रतिपूर्ति की जाये विशेषकर के ऐसी लड़कियों के मामले में जो कि अपने–अपने परिवारों में एकमात्र बालिकाएं हैं।

इस योजना के उद्देश्य गैर–व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में एकमात्र बालिका संतान के लिए स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए समर्थन तथा छोटे परिवार के मानदण्ड के महत्व को पहचान प्रदान करना।

यह योजना स्नातकोत्तर शिक्षा सत्र 2005–07 से आरंभ की गयी थी। अपने माता–पिता की एकल बालिका संतान जिससे नियमित पूर्णकालिक, निष्णांत पाठ्यक्रम (गैर–पेशेवर पाठ्यक्रम) के प्रथम वर्ष में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा किसी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रवेश लिया है, यह छात्रवृत्ति पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध हैं। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय 30 वर्ष तक की आयु की छात्राएं पात्र हैं। सभी पात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। छात्रवृत्तियों की कोई अधिकतम संख्या नहीं हैं।

वि0अ0आ0 अधिनियम के धारा 2(च) एवं 12(ख) के अन्तर्गत सम्मिलित संस्थानों में छात्राओं द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रमों में प्राप्त किये गये दाखिले के लिए कोई शिक्षण शुल्क नहीं वसूल किया जायेगा।

छात्रवृत्ति की राशि 2,000 रू.प्रतिमाह दो वर्षों के लिए ही होगी (एक वर्ष में 10 माह के लिए) अर्थात् स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण अवधि के लिए।

स्नातकोत्तर शैक्षणिक सत्रवार लाभान्वित छात्राओं की संख्या निम्नवत् रही है :

2005-07	1360
2006-08	1067
2007-09	1200
2008-10	1200
2009-11	1538
2010-12	2299
2011-13	1803
2013-15	3746

शिक्षा सत्र 2013–15 के दौरान इंदिरा गांधी एकल बालिका स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित अभ्यर्थियों की राज्य–वार/वर्ष–वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	अभ्यर्थी का मूल राज्य/संघ क्षेत्र	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
2	आन्ध्र प्रदेश	122
3	अरूणाचल प्रदेश	1
4	असम	74
5	बिहार	63
6	चण्डीगढ़	1
7	छत्तीसगढ़	2
8	दिल्ली	46
9	गोवा	7
10	गुजरात	28
11	हरियाणा	13
12	हिमाचल प्रदेश	1
13	जम्मू और कश्मीर	25
14	झारखण्ड	44
15	कर्नाटक	339
16	केरल	803
17	लक्षद्वीप	0
18	मध्य प्रदेश	17
19	महाराष्ट्र	63
20	मणिपुर	0
21	मेघालय	3
22	मिजोरम	0
23	एनए	0
24	नागालैण्ड	0
25	ओड़ीशा	23
26	पुदुचेरी	13
27	पंजाब	30
28	राजस्थान	7
29	सिक्किम	1
30	तमिलनाडु	671

क्र.सं.	अभ्यर्थी का मूल राज्य/संघ क्षेत्र	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
31	त्रिपुरा	27
32	उत्तर प्रदेश	107
33	उत्तरांखण्ड	5
34	पश्चिम बंगाल	1210
	कुल	**3746**

रेखाचित्र 6.13: शिक्षा सत्र 2013–14 के लिए एकल बालिका हेतु इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित छात्राओं की राज्य वार संख्या

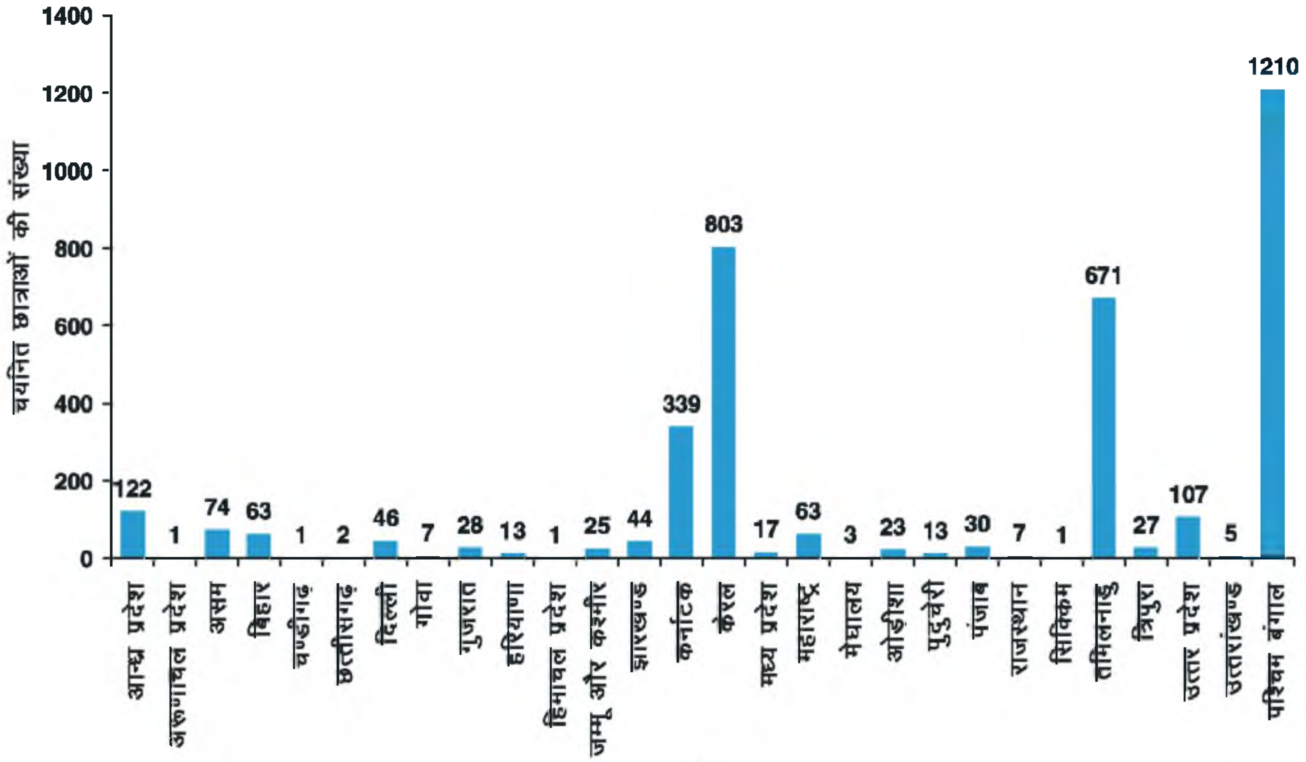

रिपोर्टाधीन वर्ष 2013–14 के दौरान **6,28,62,984/–** रुपए का व्यय हुआ।

6.14 स्नातकपूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय में रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति

देश को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरने के लिए प्रतिभावान छात्र एवं छात्राओं को स्नातकोत्तर शिक्षा पद्धति शिक्षा हेतु आकर्षित किये जाने की आवश्यकता है जिसके लिए उन्हें छात्रवृत्ति के रूप में समुचित प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाये। इसलिये वि0अ0आ0 ने विश्वविद्यालय में स्नातकपूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय रैंक धारकों हेतु स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति को आरंभ और कार्यान्वित किया है।

उस छात्रवृत्ति की अवधि 2 वर्ष होगी ताकि प्रत्येक विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले स्नातक स्तर के छात्र निष्णात उपाधि को जारी रख सकें। बी.ए., बी.एस.सी. एवं बी.काम इनमें सामान्य एवं ऑनर्स पाठ्यक्रमों में, संपूर्ण विश्वविद्यालय (महाविद्यालय नहीं) में शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ताओं को सभी सम्बंद्ध विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा रैंक संबंधी प्रमाणपत्र जारी करने होंगे। अवार्डधारक देश के किसी भी उच्चतर अधिगम संस्थान में किसी भी विशिष्टता के क्षेत्र मे अपना स्नातकोत्तर कार्यक्रम जारी रख सकते है।

इस योजना के निम्नवत लक्ष्य हैं :

- प्रतिभा का संवर्धन एवं उसका पोषण करना।
- ऐसे छात्र जिन्होने स्नातक स्तर पर विशिष्ट निष्पादन किया है ऐसे मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया जाये ताकि वे स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन का अनुसरण कर सके।
- स्नातकोत्तर स्तर पर सामान्य एव ऑनर्स दोनों श्रेणियों में आधारगत विषयों में अध्ययन को बढ़ावा देना।
- समस्त देश में सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर शैक्षणिक उत्कृष्टता का तैयार करना।

पात्रता :

स्नातक स्तर के ऐसे शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ता जो प्रथम या द्वितीय शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ता हैं तथा जिन्हें किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त हो चुके हों, वे इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। इस प्रकार के अवार्ड प्राप्तकर्ताओं को ही अपनी योग्यता के परिणाम को स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय प्रस्तुत करना पड़ेगा। तथापि, इस छात्रवृत्ति को स्नातक स्तर पर न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी।

योजना ऐसे छात्रों पर लागू हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त राज्य/सम विश्वविद्यालय और स्वायत्त अथवा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पूर्णकालीन निष्णात उपाधि पाठ्यक्रम में दाखिला लिया है। छात्रवृत्ति केवल स्नातकोत्तर डिग्री के छात्रों को ही उपलब्ध है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय छात्रों की आयु सीमा 30 वर्ष है। छात्रवृत्ति हेतु दूरस्थ शिक्षा पद्धति पर विचार नहीं किया जाता है।

प्रथम शिक्षा वर्ष के दौरान सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या प्रतिवर्ष 3000 होगी। छात्रवृत्ति की अवधि केवल दो वर्ष की ही होगी। किसी भी स्थिति में इस छात्रवृत्ति की अवधि दो वर्षो से आगे बढ़ाई नहीं जायेगी।

केवल उन सबद्ध विश्वविद्यालयों से रैंक धारकों पर विचार किया जाएगा जहां कम से कम 100 छात्र/और सम विश्वविद्यालयों/स्वायत्त/गैर–संबद्ध महाविद्यालयों में कम से कम 25 छात्र स्नातकपूर्व स्तर पर परीक्षा में बैठें।

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक अवार्डधारक को रू. 2,000/– प्रतिमाह की दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए (अर्थात् एक वर्ष में 10 माह के लिए) छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जायेगी।

शिक्षा सत्र 2013–15 के दौरान स्नातकपूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय में रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित अभ्यर्थियों की राज्य–वार/वर्ष–वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	अभ्यर्थी का मूल राज्य/संघ क्षेत्र	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
2.	आन्ध्र प्रदेश	307
3.	अरूणाचल प्रदेश	3
4.	असम	51
5.	बिहार	12
6.	चण्डीगढ़	0
7.	छत्तीसगढ़	1
8.	दादरा और नगर हवेली	0
9.	दिल्ली	17
10.	गोवा	1
11.	गुजरात	5
12.	हरियाणा	0
13.	हिमाचल प्रदेश	1
14.	जम्मू और कश्मीर	0
15.	झारखण्ड	21
16.	कर्नाटक	15
17.	केरल	56
18.	लक्षद्वीप	0
19.	मध्य प्रदेश	14
20.	महाराष्ट्र	15
21.	मणिपुर	11
22.	मेघालय	11
23.	मिजोरम	0
24.	नागालैण्ड	0
25.	ओड़ीशा	148

क्र.सं.	अभ्यर्थी का मूल राज्य/संघ क्षेत्र	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
26.	पुदुचेरी	5
27.	पंजाब	4
28.	राजस्थान	7
29.	सिक्किम	1
30.	तमिलनाडु	165
31.	त्रिपुरा	9
32.	उत्तर प्रदेश	13
33.	उत्तरांखण्ड	2
34.	पश्चिम बंगाल	75
	कुल	**970**

रेखाचित्र 6.14: शिक्षा सत्र 2013–14 के लिए स्नातकपूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय में रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित छात्रों की राज्य वार संख्या

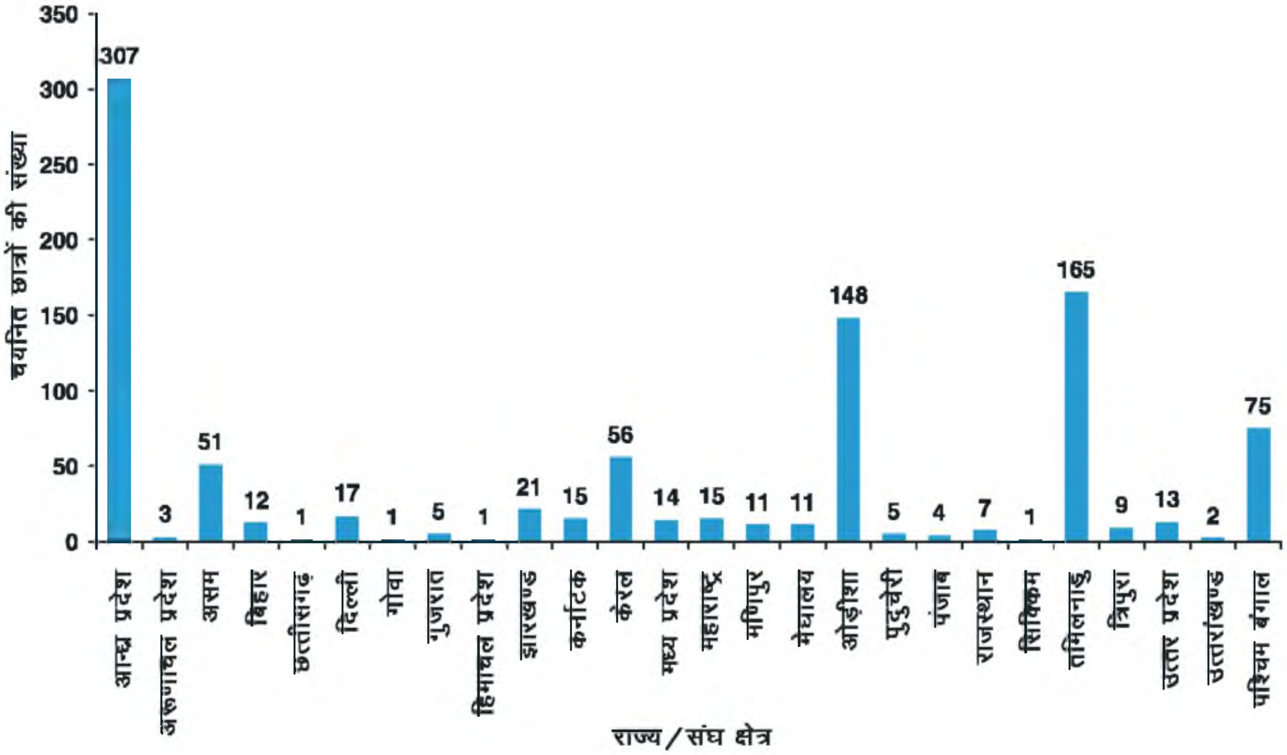

रिपोर्टाधीन वर्ष 2013–14 के दौरान **1,58,71,137/–** रुपए का व्यय हुआ।

6.15 अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय (एमओएमए) द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अल्पसंख्यक छात्रों के लिए वर्ष 2009–10 से मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना को लागू करने का कार्य सौपा गया हैं।

इस योजना का उद्धेश्य केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अल्पसंख्यक छात्रों उच्चतर अध्ययन जैसे एम.फिल. एवं पी.एच.डी. जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) एवं धारा 3 के अर्न्तगत मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालय/संस्थान कवर हैं। इस योजना के अन्तर्गत अध्येतावृत्ति धारकों को एमओएमए शोध अध्येताओं के नाम से जाना जायेगा। इसे अध्येतावृत्ति योजना के तहत प्रतिवर्ष 756 स्लॉट उपलब्ध हैं।

अध्येतावृत्तियां, पी.एच.डी. और एम.फिल. कार्यक्रम के साथ समेकित पंचवर्षीय अध्येतावृत्ति कार्यक्रम हैं अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमों के अनुसार प्रवेश प्वाईंट आधार होगा। अध्येतावृत्ति की अवधि निम्नवत होगी :–

पाठ्यक्रम का नाम	अधिकतम समय सीमा	जे.आर.एफ. एवं एस.आर.एफ. की ग्राहयता	
		जे.आर.एफ.	एस.आर.एफ.
पी.एच.डी.	5 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष
एम.फिल.+पी.एच.डी	2+3वर्ष	2वर्ष	3 वर्ष

इन जे.आर.एफ. एवं एस.आर.एफ. अध्येतावृत्तियों की दरें समय–समय पर यथा संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्येतावृत्तियों के समरूप होंगी, वर्तमान में यह दरें निम्नवत हैं :–

अध्येतावृत्ति	प्रारंम्भिक 2 वर्षों के लिए 16,000/- रु0 की दर से (जे.आर.एफ) शेष कालावधि के लिए 18,000/- रु0 की दर (एस.आर.एफ.)
मानविकी, समाज विज्ञान एवं वाणिज्य के लिए आकस्मिक दर	प्रारंम्भिक 2 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 10,000/-रु0 की दर से शेष तीन वर्षों के लिए 20,500/-रु0 प्रतिवर्ष की दर से
विज्ञान के लिए आकस्मिक दर	प्रारंम्भिक 2 वर्षों के लिए 12,000/- रु0 प्रतिवर्ष की दर से शेष तीन वर्षों के लिए 25,000/- रु0 प्रतिवर्ष की दर से
विभागीय सहायता	मेजबान संस्थान के लिए अवसंरचना उपलब्ध कराने हेतु प्रतिवर्ष 3000/- रु0 प्रतिछात्र की दर से
सहायक/रीडर की सहायता	शारीरिक रूप से निःशक्त एवं दृष्टि–बाधित प्रत्याशियों के लिए 2,000/- रु0 प्रतिमाह की दर से
आवास किराया भत्ता	विश्वविद्यालय/संस्थान के नियम के अनुसार

वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान वर्ष 2013–14 के लिए अल्पसंख्यक छात्रों हेतु मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के तहत अब तक चयनित अभ्यर्थियों की राज्य और समुदाय–वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण।

मूल राज्य	मारत सरकार के अनुसार–स्लॉटों का आबंटन						वर्ष 2013–14 के दौरान चयनित अभ्यर्थियों की संख्या					
	मुस्लिम	इसाई	सिक्ख	बुद्ध	पारसी	कुल	मुस्लिम	इसाई	सिक्ख	बुद्ध	पारसी	कुल
आन्ध्रप्रदेश	25	6	0	0	0	31	25	6				31
अरूणाचल प्रदेश	X	X	X	X	X	4	1	2		1		4
असम	30	3	0	0	0	33	30	3				33
बिहार	50	0	0	0	0	50	50					50
छत्तीसगढ़	3	3	0	0	0	6	3	1				4
गोवा	X	X	X	X	X	4	1	3				4
गुजरात	17	3	0	0	1	21	17	3			1	21
हरियाणा	0	0	12	0	0	12			12			12
हिमाचल प्रदेश	X	X	X	X	X	4			2	2		4
जम्मू और कश्मीर	27	0	0	0	0	27	34		1	1		36
झारखण्ड	15	6	0	0	0	21	15	6				21
कर्नाटक	25	3	0	3	0	31	25	4		3		32
केरल	28	22	0	0	0	50	28	23				51
मध्य प्रदेश	15	0	0	0	0	15	15					15
महाराष्ट्र	38	6	0	22	1	67	37	6		23	1	67
मणिपुर	X	X	X	X	X	4	1	2		1		4
मेघालय	X	6	0	0	0	6		6				6
मिजोरम	X	X	X	X	X	4		4				4
नागालैण्ड	0	6	0	0	0	6		6				6
ओड़ीशा	3	3	0	0	0	6	3	3				6
पंजाब	3	0	56	0	0	59	3		56			59
राजस्थान	18	0	3	0	0	21	18		3			21
सिक्किम	X	X	X	X	X	4		1		3		4
तमिलनाडु	14	14	0	0	0	28	15	17				32
त्रिपुरा	X	X	X	X	X	4	3	1				4
उत्तर प्रदेश	114	0	3	3	0	120	114		3	3		120
उत्तरांखड	X	X	X	X	X	4	2		2			4
पश्चिम बंगाल	75	3	0	3	0	81	75	3		3		81
अंडमान और निकोबार	X	X	X	X	X	4	1					1
चण्डीगढ़	X	X	X	X	X	4			3	1		4

मूल राज्य	भारत सरकार के अनुसार–स्लॉटों का आबंटन						वर्ष 2013–14 के दौरान चयनित अभ्यर्थियों की संख्या					
	मुस्लिम	इसाई	सिक्ख	बुद्ध	पारसी	कुल	मुस्लिम	इसाई	सिक्ख	बुद्ध	पारसी	कुल
दादरा और नगर हवेली	X	X	X	X	X	4	1					1
दमन और दीव	X	X	X	X	X	4						
दिल्ली	6	3	0	0	0	9	6	2				8
लक्षद्वीप	X	X	X	X	X	4	2					2
पुदुचेरी	X	X	X	X	X	4	1	3				4
कुल योग	**544**	**100**	**74**	**36**	**2**	**756**	**526**	**105**	**82**	**41**	**2**	**756**

X = राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चार अध्येतावृत्तियों में कोई भी समुदाय–वार विभाजन नहीं होगा। सभी आवेदनों को एक साथ पूल करके निर्णय लिया जाएगा।

रिपोर्टाधीन वर्ष 2013–14 के दौरान **46,43,36,995/–** रुपए का व्यय हुआ।

रेखाचित्र 6.15: वर्ष 2013–14 के लिए अल्पसंख्यक छात्रों हेतु मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना अवार्ड करने हेतु चयनित अभ्यर्थियों की राज्य वार संख्या

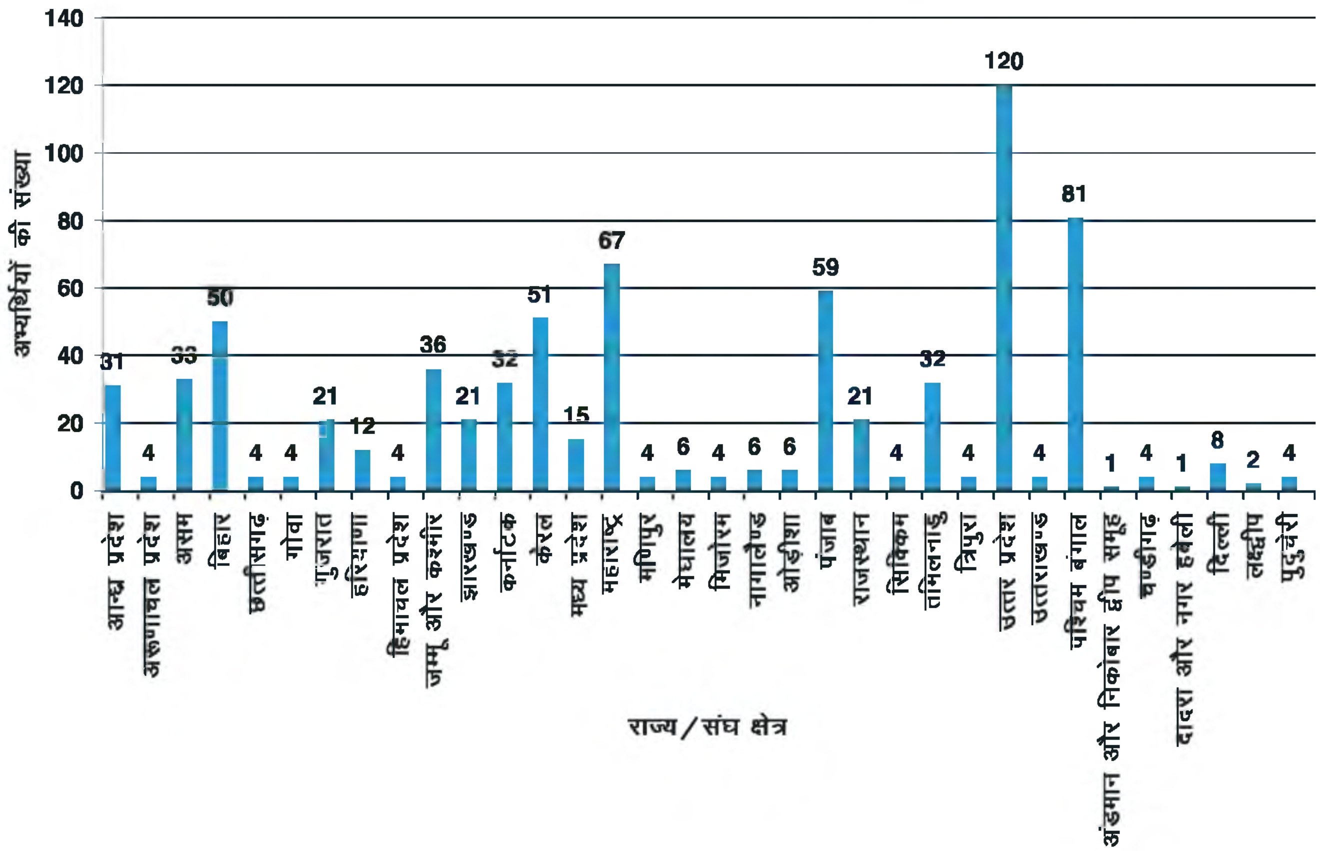

6.16 विश्वविद्यालयों में मूलभूत वैज्ञानिक शोध

महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के विज्ञान विभागों में अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए विकास अनुदान

शोध में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान एवं अभियांत्रिकी विज्ञान के स्नातकोत्तर स्तर के शोध सहित अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए अपेक्षित ऊर्जा आपूर्ति, जलापूर्ति, सुरक्षा उपकरणों, प्रयोगशालाओं, कार्य करने हेतु मेज एवं अपेक्षित अन्य अवसरंचना को सुदृढ करने के लिए विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय विभागों को विकास अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है।

वर्ष 2013–14 के दौरान एसएपी विभागों, स्वायत्त महाविद्यालयों, उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालयों, गैर–एसएपी विभागों, एनएएसी प्रत्यायित महाविद्यालयों को जारी किए गए अनुदान का ब्यौरा निम्नवत है:

क्र.सं.	योजना का नाम	अनुमानित परिणाम	वास्तविक परिणाम	महाविद्यालय/विभागों की संख्या
1.	एसएपी (सीएएस/डीएसए/डीआरएस) के अंतर्गत अवसंरचना विकास	**डीएएस हेतु** ● प्रथम किस्त: 20 लाख रूपये ● दूसरी और तीसरी किस्त: 20 लाख रूपये **डीएसए/सीएएस हेतु** ● प्रथम किस्त: 20 लाख रूपये ● दूसरी और तीसरी किस्त: 30 लाख रूपये	**डीआरएस हेतु** 0.39 करोड रू0	**डीआरएस हेतु** 02 विभाग
2.	गैर–सैप विभाग	**गैर–सैप** (पी0एच0डी0 प्रस्तुत किए जाने पर) ● **प्रथम किस्त:** **संकाय सदस्यों की संख्या** / **पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रदत्त पी0एच0डी0 की संख्या** / **संस्तुत अवसंरचनात्मक अनुदान (राशि रू0 में)** 5 और अधिक / 10 और अधिक / 10 लाख 10 और अधिक / 20 और अधिक / 15 लाख 15 और अधिक / 25 और अधिक / 25 लाख उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने पर अनुदान की समान राशि द्वितीय किस्त के रूप में संस्वीकृत की जा चुकी है।	**गैर–सैप हेतु** 0.75 करोड रु0	**गैर–सैप हेतु** 06 विभाग
3.	उत्कृष्ता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय	**सीपीई हेतु** ● प्रथम किस्त: विज्ञान विभाग हेतु 5.00 लाख रूपये ● दूसरी और तीसरी किस्त: विज्ञान विभाग हेतु 6.00 लाख रूपये	10.18 करोड रूपये	25 महाविद्यालय

क्र.सं.	योजना का नाम	अनुमानित परिणाम	वास्तविक परिणाम	महाविद्यालय/ विभागों की संख्या
4.	स्वायत्त महाविद्यालय	**स्वायत्त महाविद्यालयों हेतु** ● प्रथम किस्तः 10 लाख रूपये ● दूसरी और तीसरी किस्तः 20 लाख रूपये	1.60 करोड़ रूपये	08 महाविद्यालय
5.	एनएएसी महाविद्यालय	प्रयोगशालाओं को सुदृढ करने हेतु 10 लाख रू0 का एकमुश्त अनुदान राशि पुरानी पद्धति के अनुसार न्यूनतम बीबी++स्तर तथा नई पद्धति के अनुसार न्यूनतम बी स्तर के एनएएसी प्रत्यायित स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को जारी की गई है। ● 10.00 लाख रुपये का एकमुश्त अनुदानः	0.10 लाख रूपये	01 महाविद्यालय
		कुल	**30.22**	**118**

अवसंरचनात्मक अनुदान

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	योजना का नाम	2013-2014
1.	डीआरएस	0.39
2.	गैर–सैप	0.75
3.	सीपीई	10.18
4.	स्वायत्त महाविद्यालय	1.60
5.	एनएएसी महाविद्यालय	0.10
	कुल	**13.02**

6.17 नेटवर्किंग शोध केन्द्रः समर–विंटर स्कूल

नेटवर्किंग शोध केन्द्र की स्थापना का उद्धेश्य निम्नवत हैः–

1. समय–समय पर चर्चा, कार्यशाला तथा ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन विद्यालयों के माध्यम से संकाय तथा शोध विद्वानों का शोध प्रशिक्षण तथा कौशल विकास।
2. संकाय एवं विभागों को उनके शोध कौशल में वृद्धि करने तथा उन्हें परामर्श प्रदान करने के लिए क्षमता निर्माण।
3. महत्वपूर्ण प्रयोग करने के लिए अन्य संस्थानों/विश्वविद्यालयों से शोधकर्ताओं को आमंत्रित करना तथा उन्हें सुविधा प्रदान करना।
4. अन्य संस्थानों/शोधकर्ताओं को गुणवत्तायुक्त अनुसंधान सूचना उपलब्ध करवाने के लिए विभाग की सूचना संसाधन सुविधा में वृद्धि करना।

5. विभाग के भीतर अत्याधुनिक अनुसंधान अवसंरचना तथा अन्य अनुसंधान सुविधाओं में वृद्धि करना तथा उसका निर्माण करना।

बीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत नेटवर्किंग अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना के लिए एसएपी के तहत **5** विभागों को अनुमोदित किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् वर्ष 2013–14 के दौरान अब तक 5 विभागों को **7.80 करोड रुपये** की राशि जारी की गई है।

क्र.सं.	योजना का नाम	2013-2014
1.	नेटवर्किंग रिसोर्स केन्द्र	7.80 करोड़ रुपये

6.18 डॉ. डी.एस.कोठारी पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ

प्राक्कथन

पोस्ट–डॉक्टोरल अनुसंधान युवा शोधकर्त्ताओं के अकादमिक/शोध कैरियर को आरंभ करने हेतु उन्हें तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सक्षमकारी कदम है। यह डॉक्टोरल स्तर पर पर्यवेक्षक द्वारा निदेशित छात्र से विशेष रूप से अकादमिक क्षेत्र में नेतृत्व की स्थिति में एक स्वतंत्र शोधकर्त्ता के रूप में एक **परिवर्तन** का चरण होता है। पोस्ट–डॉक्टोरल के रूप में कार्य करने से उन्हे नए कौशल प्राप्त करने, अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने का अवसर प्राप्त होता है साथ ही अंतर–विषयगत क्षेत्रों मे कदम रखने का एक माध्यम प्राप्त होता है।

पात्रता

वे प्रत्याशी जिन्होंने या तो पी.एच.डी उपाधि प्राप्त कर ली है अथवा जिन्होंने अपना पी.एच.डी के लिये शोध प्रबंध प्रस्तुत कर दिया है, वे आवेदन करने के लिए पात्र हैं। चयन होने के बाद, ऐसे प्रत्याशी जो पी.एच.डी कर चुके हैं, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से पोस्ट–डॉक्टोरल फ़ैलोशिप (पीडीएफ) अवार्ड कर दी जायेगी। ऐसे प्रत्याक्षी जिन्होंने अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया है उन्हें औपचारिक रूप से उन्हें पी.एच.डी का अवार्ड होने तक एक "ब्रिजिंग अध्येतावृत्ति" (वृत्तिका में बहुत थोड़ी सी कमी) अवार्ड की जायेगी।

वित्तीय सहायता

	नियमित अध्येतावृत्ति	लघु अध्येतावृत्ति
प्रथम वर्ष का अनुदान	28,000 रुपये प्रतिमाह	22,000 रुपये प्रतिमाह
द्वितीय वर्ष का अनुदान	29,000 रुपये प्रतिमाह	
तृतीय वर्ष का अनुदान	30,000 रुपये प्रतिमाह	
आकस्मिक रशि	1,00,000 रुपये प्रतिवर्ष (दिनांक 01.04.2012 से प्रभावी)	
मकान किराया भत्ता	प्रत्येक चयनित पीडीएफ को ग्राह्य मकान किराया भत्ता	

- **आज तक 1242 अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान की जा चुकी है और 550 पीडीएफ नियुक्त हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान अब तक 22.80 करोड रू0 की राशि जारी की जा चुकी है।**

क्र.सं.	योजना का नाम	2013–14
1.	पीडीएफ	22.80 करोड़ रुपये

6.19 विज्ञान विषयों में मेधावी छात्रों के लिए अनुसंधान अध्येतावृतियां

प्राक्कथन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बीएसआर योजना के तहत विज्ञान विषयों में मेधावी छात्रों के लिए अनुसंधान अध्येतावृतियां ऐसे छात्रों के लिए हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना में पहले ही दी गई प्रक्रिया के माध्यम से पी.एच.डी.कार्यक्रम में पंजीकरण हेतु चयनित है। प्रवेश के पश्चात पीएचडी मे पंजीकरण होगा।

उद्देश्य

बीएसआर योजना का उद्देश्य मेद्यावी छात्रों को उच्च अध्ययन तथा अनुसंधान करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना है ताकि वे विज्ञान विषयों में पी. एच.डी. की उपाधि प्राप्त कर सकें।

पात्रता

ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चिह्नित उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालयों /उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्रों अथवा उच्च अध्ययन केन्द्रों तथा विशेष सहायता वाले विभागों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना में पहले ही दी गई प्रक्रिया के माध्यम से नियमित प्रवेश प्रक्रिया द्वारा किसी विश्वविद्यालय मे पीएचडी कार्यक्रम में पंजीकरण करवाने हेतु चयनित हैं, वे इस योजना हेतु पात्र हैं। प्रवेश के पश्चात् पीएचडी में पंजीकरण होगा।

वित्तीय सहायता:

गैर–गेट अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी	
अध्येतावृत्ति राशि	प्रथम दो वर्षों के लिए 14,000.00 रू. प्रतिमाह की दर से। अगले तीन वर्षों के लिए 16,000.00 रू प्रतिमाह की दर से (01.04.2010 से)।
आकस्मिक	प्रथम दो वर्षों के लिए 12,000.00 रू. प्रतिवर्ष की दर से; और अगले तीन वर्षों के लिए 25,000.00 रू प्रतिवर्ष की दर से (01.04.2010 से)।
मकान किराया भत्ता	मकान किराया भत्ता सभी किस्तों के लिए विश्वविद्यालय के नियमानुसार
गेट अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी	
अध्येतावृत्ति राशि	प्रथम दो वर्षों के लिए 16,000.00 रू. प्रतिमाह की दर से। अगले तीन वर्षों के लिए 18,000.00 रू प्रतिमाह की दर से (01.04.2010 से)।
आकस्मिक राशि	प्रथम दो वर्षों के लिए 12,000.00 रू. प्रतिवर्ष की दर से। अगले तीन वर्षों के लिए 25,000.00 रू प्रतिवर्ष की दर से (01.04.2010 से)।
आवास किराया भत्ता:	सभी किस्तों के लिए विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार

- **आज तक सैप/गैर–सैप विमागों के 7154 अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान की जा चुकी है और 5694 जेआरएफ नियुक्त हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान अब तक 55.00 करोड रू0 की राशि जारी की जा चुकी है।**

क्र.सं.	योजना का नाम	2013–14
1.	आरएफएसएमएस/बीएसआर अध्येतावृत्ति	55.00 करोड़ रुपये

6.20 ऑपरेशन फ़ैकल्टी रीचार्ज

ऑपरेशन फ़ैकल्टी रीचार्ज को आरंभ किया गया है जिसके तहत 1000 संकाय के पदों का सृजन किया जा रहा है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक विज्ञापन द्वारा भरा जाएगा। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु जेएनयू में एक प्रकोष्ठ की भी स्थापना की जा चुकी है जिसमे प्रो0 आर0पी0गांधी राष्ट्रीय समन्वयक तथा प्रो0 सुदेश नागिया सहायक समन्वयक नियुक्त किये गये हैं। फ़ैकल्टी रीचार्ज कार्यक्रम के वेब–पोर्टल का विमोचन दिनांक 09 जून, 2011 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री महोदय द्वारा किया गया। संकाय सदस्यों का चयन प्रकियाधीन है। वष्र 2013–14 के दौरान आज तक 18 संकायों यथा आचार्य, सह–आचार्य तथा सहायक आचार्य हेतु **2.04 करोड़ रुपये** जारी किये जा चुके है।

6.21 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति योजना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मेधावी शिक्षक, जो राज्य के विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत्ति के समीप है, उन्हें बुनियादी विज्ञान अनुसंधान में शोध जारी रखने का अवसर प्रदान करने के दृष्टिकोण से रिपोर्टाधीन वर्ष में "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति" नामक योजना आरंभ की है। योजना का मुख्य उद्धेश्य सेवानिवृत्ति के समीप विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मेधावी शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के तीन अतिरिक्त वर्ष बाद तक सार्थक शोध कार्य को जारी रखना तथा युवा शोधकर्ताओं एवं पीएचडी छात्रों के लिए निगरानीकर्ता की भूमिका निभाना है।

पात्रता मानदंड

- विश्वविद्यालयों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों में उपाचार्य/सह–आचार्य/आचार्य के पद पर शिक्षक।
- नामचीन जर्नलों में कम से कम 15 अनुसंधान प्रकाशन होने चाहिए तथा मूलभूत विज्ञान में 15 पीएचडी या अपने कैरियर में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में 10 पत्र प्रकाशित होने चाहिये जिसमें से 5 पिछले दस वर्षों में पूरा होना चाहिए।
- पिछले दस वर्षों में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित प्रधान अन्वेषक के रूप में अनुसंधान परियोजनाओं को चलाने/प्रायोजित करने का प्रमाण।
- यह योजना संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु से एक या दो वर्ष पूर्व उन शिक्षकों पर लागू है।
- आवेदक के पास अध्येतावृत्ति की अवधि के दौरान कोई प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए जो सेवानिवृत्ति की तारीख से होगी।
- विभाग/स्कूल/विश्वविद्यालय को आवेदन पत्र में वचन देना होगा कि आवेदक को निम्नवत सुविधा प्रदान की जाएगी (i) अध्येतावृत्ति कार्य को करने के लिए आवश्यक प्रयोगशाला अवसंरचना तथा प्रशासनिक सहायता और (ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति अवार्ड के लिए चयनित होने पर अभ्यर्थी को पी.एच.डी. के लिए कम से कम दो वृत्तिका।

वित्तीय सहायता

- अध्येतावृत्ति में 30,000 रूपये प्रतिमाह दिया जाएगा जो पेंशन और/या अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के अतिरिक्त है।

- आकस्मिक निधि प्रतिवर्ष 3 लाख रूपये है जिसमें से 50,000 रूपये की धनराशि का उपयोग अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किया जाएगा।
- अवार्ड प्राप्तकर्ता को विश्वविद्यालय के साथ अध्येतावृत्ति में शामिल होने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को शपथपत्र देना होगा तथा समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों और दिशानिर्देशों का पालन करना होगा तथा द्विवर्षीय प्रगति रिपोर्ट देनी होगी।

विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों में शोध कार्य जारी रखने वाले 49 आचार्यों को 2.90 करोड रूपये की राशि जारी की गई।

क्र.सं.	योजना का नाम	2013–14
1.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति	2.90 करोड़ रुपये

6.22 बीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों को "एकमुश्त अनुदान"

शिक्षकों को एकमुश्त अनुदान देने का प्रयोजन अपने विशिष्टता प्राप्त क्षेत्र में शोध जारी रखना है। न्यूनतम पात्रता मानदंड नीचे दिए गए हैं:

- सेवानिवृत्ति की आयु से पूर्व कम से दो वर्ष की सेवा शेष होनी चाहिए।
- आवेदन की तिथि तक सेवावधि के दौरान कम से कम 15 पीएचडी प्रदान की हो और पिछले पांच वर्षों के दौरान 5 पीएचडी प्रदत्त की हो।
- राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों/उद्योग द्वारा निधि प्राप्त कम से कम पांच प्रायोजित शोध परियोजनों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो और साथ ही प्राप्त निधि का ब्यौरा प्रस्तुत करें।
- वर्तमान में चलाई जा रही शोध परियोजनाएं और पीएचडी 'उम्मीदवार' का ब्यौरा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग "एकमुश्त अनुदान प्राप्त करने के संबंध में एक पृष्ठ में औचित्य के साथ अनुदान के उपयोग हेतु विशिष्ट योजना प्रस्तुत करेगा।

"एकमुश्त अनुदान" योजना के अंतर्गत एक शिक्षक को शोध कार्य करने के लिए सात लाख रूपये प्रदान किये जाते हैं। अनुदान का उपयोग लघु उपकरणों, रसायनों, आकस्मिकता और क्षेत्र कार्य के लिए किया जा सकता हैं।

विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों में शोध कार्य कर रहे 27 शिक्षकों को 1.80 करोड रूपये की राशि जारी की गई।

क्र.सं.	योजना का नाम	2013–14
1.	एकमुश्त अनुदान	1.80 करोड़ रुपये

6.23 भर्ती हुए नये संकाय सदस्यों हेतु 'स्टार्ट–अप' अनुदान

इस योजना के तहत ऐसे सभी शिक्षक योजना हेतु आवेदन करते के लिए पात्र हैं, जो सहायक आचार्य के पद पर नये भर्ती हुए हों और जो पी0एच0डी0 उपाधि धारक हों तथा जिनके अनुमोदित/उद्धत जर्नलों में कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित हो चुके हों। सहायक आचार्य को विश्वविद्यालय की विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करते हुए मूलभूत विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संकायों में स्थायी पद के समक्ष विभाग/विश्वविद्यालयों में पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से छह माह के भीतर की अवधि के दौरान आवेदन करना होगा। विश्वविद्यालय की विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करते हुए वह वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होगा। इस योजना के तहत नये भर्ती हुए 221 संकाय सदस्य लाभान्वित हुए हैं।

क्र.सं.	योजना का नाम	2013–14
1.	'स्टार्ट–अप' अनुदान	13.26 करोड़ रुपये

7 लिंग तथा सामाजिक समानता

7.1 भारतीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में महिला अध्ययन का विकास

आयोग "भारतीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में महिला अध्ययन का विकास" योजना के तहत विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

योजना का उद्धेश्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों, शोधकर्त्ताओं तथा छात्रों को उनके ज्ञान, अनुभव तथा शोध को बांटने के लिए सुविधाएं मुहैया करवाकर उच्च मानकों को बढ़ावा देना है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2013–14 से 2016–17) के दौरान मौजूदा केन्द्रों के साथ ही नए अनुमोदित केन्द्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। वर्तमान में विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 156 महिला अध्ययन केन्द्र हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को 1.77 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया है।

उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में महिला प्रबंधकों हेतु क्षमता निर्माण योजना को भारतीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में महिला अध्ययन के विकास की योजना के साथ आमेलित कर दिया गया है। भारतीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में महिला अध्ययनों के विकास की योजना को बृहद बनाया गया है ताकि इसमें आयोग द्वारा दिनांक 10.05.2013 की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार "उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में महिला प्रबंधकों हेतु क्षमता निर्माण योजना" को भी सम्मिलित किया गया है।

7.2 सामाजिक बहिष्करण एवं समावेशन की नीति के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयों में केन्द्रों की स्थापना

सामाजिक बहिष्करण से केवल तनाव, हिंसा और विघटन ही पैदा नहीं होता है अपितु इससे समाज में असमानता और सुविधावंचन भी पैदा होता हैं। भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे कुछ समुदायों को विकास के लाभ प्राप्त करने के मामले में प्रणालिगत बहिष्करण का सामना करना पड़ता है। सामाजिक बहिष्करण एक एक जटिल और बहु–आयामी संकल्पना है, जिसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव होते हैं। गरीबी, बेरोजगारी और स्वेच्छा से प्रवास जैसी आर्थिक–समष्टिभाव कारकों के परिणामतः इस व्यवस्था से पीड़ित लोगों को आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्रियाकलापों से वंचित रखा जाता है। बहिष्करण के जिस मुख्य स्थान का अध्ययन किया जा सकता है, उसे भली–भांति समझा जा सकता है और इसका अनुभव किया जा सकता है, वे हैं हमारे विश्वविद्यालय जो समाज के लिए आदर्श होने चाहिए और आदर्श रूप में कार्य कर सकते हैं। अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामाजिक बहिष्करण के मुद्दे पर किए जाने वाले अनुसंधानों को सहायता देने का निर्णय लिया है। यह अध्ययन सैद्धांतिक रूप से और नीतिगत महत्त्व के रूप में किया जाएगा। इन योजनाओं के अनुसरण के लिए विश्वविद्यालयों में कई शिक्षण–सह–अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव हैं।

उद्देश्य

क) जाति/नृजातीय/धर्म पर आधारित बहिष्करण और समावेशन की भेदभावूर्ण संकल्पना।

ख) भेदभाव और बहिष्करण के स्वरूप और इसके पहलुओं की भली–भांति समझ का विकास करना।

ग) बहिष्करण और समावेशन तथा भेदभाव की संकल्पना और समस्या संबंधी अध्ययन।

घ) अनुभव के स्तर पर भेदभाव की समझ विकसित करना।

ङ) इन समूहों के अधिकारों की रक्षा के लिए नीति बनाना और बहिष्करण तथा भेदभाव की समस्या को समाप्त करना।

कार्यकरण

- एम.ए. और एम.फिल स्तरों पर ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना, जिनमें सामाजिक बहिष्करण अध्ययन में पूर्ण एम.फिल उपाधि और यहां तक कि एम.ए. कार्यक्रम की उपाधि प्रदान की जा सके।
- एम.फिल और पीएच.डी. संबंधी पर्यवेक्षण करना।
- सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य सहित अनुभव संबंधी अध्ययन करना और तुलनात्मक अध्ययनों और नीति/ कार्यक्रम मूल्यांकन के लिए समय संबद्ध डॉटा बैंक तैयार करना।
- सरकारी एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए सामाजिक–आर्थिक आंकड़ों पर आधारित विस्तृत ठोस विश्लेषण करना।
- सामाजिक बहिष्करण की विषयवस्तु पर सम्मेलन, संगोष्ठी और विचार–गोष्ठियां आयोजित करना।
- संकाय और छात्रों के अनुसंधान संबंधी निष्कर्षों को नियमित रूप से प्रकाशित करना।
- प्रतिष्ठित विद्वानों द्वारा इस विषय पर सार्वजनिक व्याख्यान आयोजित करना।
- अतिथि संकाय को आमंत्रित करने के सक्रिय कार्यक्रम के माध्यम से अन्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रों, विशेषतः युवा छात्रों तक पहुंच बनाना।
- सामाजिक बहिष्करण से निपटने में लगे सिविल समाज के संगठनों के साथ संपर्क स्थापित करना।
- राजनेताओं, सांसदों, सरकारी अधिकारियों, मजदूर संघों के कार्यकर्ताओं और मीडिया कर्मियों के लिए अल्पकालिक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करना।

लाभार्थी विश्वविद्यालयो की संख्या : 35 विश्वविद्यालय

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदत्त अनुदान (2012–2017)

2012–2013	496.00 लाख रुपये	15 विश्वविद्यालयों के संबंध में अनुदान जारी किया गया
2013–14	शून्य	शून्य

योजना के आरंभ होने से लेकर अब तक आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के **35** केन्द्रों को स्थापित किया है (वर्ष 2006–07 में **13** और 2007–08 में **22**)

7.3 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना

विश्वविद्यालयों मे आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2012 में अ0जा0/अ0ज0जा0 संबंधी एक स्थायी समिति का गठन किया गया था। समिति का प्रतिनिधित्व उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत कुलपति तथा पूर्व–कुलपति द्वारा किया जाता है।

भारतीय समाज में अ0जा0 और अ0ज0जा0 के सर्वाधिक वंचित वर्गों हितों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान द्वारा विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह नहीं है कि उन्हें मात्र नौकरियाँ प्रदान उपलब्ध कराई जाएं ताकि उनका प्रतिनिधित्व बढ़ जाए, बल्कि इसका लक्ष्य यह है कि उनके सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर में सुधार हो ताकि वे समाज की मुख्य धारा में अपना उचित स्थान प्राप्त कर सकें। सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराया जाता है तथा राज्यों में इस आरक्षण को उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है।

आयोग ने "विश्वविद्यालयों में अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठों की स्थापना" की योजना वर्ष 1983 में आरंभ की थी :

उद्देश्य

- विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अ.जा./अ.ज.जा. से संबद्ध आरक्षण नीति एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन एवं निगरानी सुनिश्चित करना।
- दाखिले और शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर पदों पर नियुक्तियों आदि के लिए नीतियों के कार्यान्वयन के संबंध में आँकड़े एकत्र करना; और
- ऐसे अनुवर्ती उपाय किये जाएं जो इस प्रयोजनार्थ निर्धारित किये गये लक्ष्यों की प्राप्ति में मददगार हों।
- विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की निरंतर निगरानी और मूल्यांकन करना और भारत सरकार की नीति और कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु योजना उपाय करना।

विशेष प्रकोष्ठ के कार्यकरण

- भारत सरकार और आयोग के निर्णयों को परिचालित करना और निर्धारित तिथि तक नियत प्ररूप में विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम–वार प्रवेश संबंधी जानकारी वार्षिक आधार पर नियमित रूप से एकत्र करना और जहां कभी आवश्यक हो, अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- भारत सरकार के आदेशों और आयोग के निर्णयों को परिचालित करना और निर्धारित तिथि तक नियत फार्म में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शैक्षणिक और शिक्षणेत्तर पदों में इन समुदायों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी एकत्र करना और जहां कहीं आवश्यक हो अनुवर्ती कार्रवाई करना।

- आयोग द्वारा नई नीतियां तैयार करने अथवा मौजूदा नीति में संशोधन करने हेतु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार के विभिन्न पहलुओं के संबंध में भारत सरकार के आदेशों के संबंध में रिपोर्ट और जानकारी एकत्र करना।
- उपर्युक्त एकत्र की गई जानकारी का विश्लेषण करना और मानव संसाधन विकास विभाग/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और यथा आवश्यक प्राधिकरण को भेजने के लिए रिपोर्ट और सार संकल्प तैयार करना।
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों संबंधी प्रवेश, भर्ती, प्रोन्नति के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कार्रवाई करना।
- संबद्ध महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय में अनुमोदित योजना का उपचारात्मक प्रशिक्षण के कार्यकरण की निगरानी करना।
- विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों और कर्मचारियों की शिकायतों हेतु जनशिकायत समाधान प्रकोष्ठ के रूप में कार्य करना है और उनकी शैक्षणिक तथा साथ ही प्रशासनिक समस्याओं के समाधान में आवश्यक सहायता प्रदान करना।
- विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में विभिन्न पदों हेतु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु रोजगार के संबंध में रजिस्टर का रख–रखाव करना।
- आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित इन दो समुदायों को उच्चतर शिक्षा में समय–समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से जुड़े मामलों की देखरेख करता हैं और प्रकोष्ठ को कोई अन्य कार्य नहीं सौंपा जाता है।
- यदि निर्धारित तिथि तक आवश्यक आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आवश्यक जानकारी/आंकड़े प्राप्त होने तक योजनागत अथवा गैर–योजनागत अनुदान को रोकने का अधिकार है। इसलिए विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को यथा अपेक्षित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने का परामर्श दिया जाता है।

लाभार्थी विश्वविद्यालयों की संख्या : 127 (विश्वविद्यालय/सम विश्वविद्यालय तथा आईयूसी)

पात्रता

योजना के अंतर्गत ऐसे विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो धारा 2(च) के अंतर्गत आते हैं और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता और अंतर–विश्वविद्यालय केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। यह योजना केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए है।

योजना के अंतर्गत उपलब्ध वित्तीय सहायता का स्वरूप

विशेष प्रकोष्ठ, योजना अवधि के पश्चात् भी उस अवधि के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं जिसके लिए प्रकोष्ठ ने नियमनिष्ठता से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य किया है।

बारहवीं योजना के दौरान योजना के अंतर्गत केवल केन्द्र द्वारा वित्तपोषित विश्वविद्यालयों को ही वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी (आयोग की दिनांक 04.05.2013 को हुई 493वीं बैठक में निर्णय लिया गया)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान की अधिकतम सीमा

	वित्तीय सहायता की मदें	पदों की संख्या	अनदान की राशि
क)	**अनावर्ती**		
	अपेक्षित अनुषगीं उपकरणों के रूप में कम्प्यूटर के साथ प्रिन्टर, प्रोजेक्टर		2,00,000/- रूपये
ख)	**आवर्ती (केवल केन्द्र द्वारा वित्तपोषित विश्वविद्यालय हेतु)**		
i)	उपाचार्य/उप–कुलसचिव के वेतनमान में समन्वयक ग्रेड –1	1	
ii)	अनुभाग अधिकारी	1	
iii)	सांख्यिकीय अधिकारी	1	
iv)	कम्प्यूटर का ज्ञान रखने वाला आशुलिपिक/ डाटा एन्ट्री आपरेटर	1	
v)	चपरासी	1	
	आकस्मिता		1,00,000/-रूपये (प्रति वर्ष)

विश्वविद्यालयों में विशेष अ0जा0/अ0ज0जा0 प्रकोष्ठ की स्थापना संबंधी बारहवीं पंचवर्षीय दिशानिर्देशों को शीघ्र ही अ0जा0/अ0ज0जा0 संबंधी स्थायी समिति के समक्ष रखा जाएगा।

7.4 विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठों की स्थापना

महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं के प्रति अधिक प्रतिक्रियात्मक बनाने के उद्धेश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वंचित वर्गों के लिए नीतियों व कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख करने तथा शैक्षणिक, वित्तीय, सामाजिक एवं अन्य मामलों में मार्गदर्शन तथा परामर्श प्रदान करने के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ (ई.ओ.सी.) का गठन करने की योजना तैयार की है। समान अवसर प्रकोष्ठ के कार्यालय की स्थापना हेतु 2.00 लाख रुपये का एकमुश्त अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

पात्रता

योजना के तहत ऐसे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के अंतर्गत आते हैं तथा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 (ख) के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।

विश्वविद्यालय हेतु अनुदान की अधिकतम सीमा

2.00 लाख रुपये प्रति योजना

महाविद्यालय हेतु अनुदान की अधिकतम सीमा

स्नातकोत्तर	75,000/–रुपये प्रति वर्ष
स्नातकपूर्व	55,000/–रुपये प्रति वर्ष

7.5 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अ.पि.व. (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अनुशिक्षण

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अ.पि.व. (असंपन्न वर्ग) अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र, जिन्हें शिक्षा में एक स्तर प्राप्त करने अथवा उच्चतर शिक्षा को जारी रखने के लिए तथा उसमें असफल होने और पढाई को बीच में छोड़ने की दर मे कमी लाने के लिए उपचारी/नेट–सेट परीक्षा/सेवा में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण की आवश्यकता है उनके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियमित समय–सारिणी से इतर बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान को विशेष कक्षाएँ चलाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अ.पि.व. तथा सामान्य श्रेणी के छात्र भी इन अनुशिक्षण कक्षाओं के लाभ उठा सकेंगे। सामान्य श्रेणी के छात्र से नाममात्र का शुल्क (मासिक शिक्षण शुल्क से अधिक नहीं) वसूल किया जा सकता है। तथापि, शारीरिक रूप से निःशक्त छात्र तथा गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय से कम आय अर्जित करने वाले परिवारों के सामान्य श्रेणी के छात्रों (राज्य/संघ शासित राज्य/केन्द्र सरकार के यथानिर्णित) से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

7.5(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अ.पि.व. (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए उपचारी अनुशिक्षण

विभिन्न विषयों में शैक्षणिक तथा भाषा संबंधी कौशल में सुधार करने के उद्देश्य से स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर स्तर पर उपचारी अनुशिक्षण का आयोजन किया जायेगा।

- विषय में छात्रों के ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति को सुदृढ़ करना।

7.5(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अ.पि.व. (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए नेट/सेट हेतु अनुशिक्षण

योजना का मुख्य उद्देश्य नेट/सेट परीक्षा में बैठने वाले अ.जा./अ.ज.जा तथा अल्पसंख्यक समुदायों के अभ्यर्थियो को प्रशिक्षित करना है।

7.5(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अ.पि.व. (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण कक्षाएं

अनुशिक्षण योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अ.पि.व. (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को 'क', 'ख', और 'ग' समूह की केन्द्रीय सेवाओं, राज्य सेवाओं अथवा निजी क्षेत्र में समकक्ष स्तर का लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षित करना है।

उपरोक्त प्रत्येक योजना हेतु वित्तीय सहायता निम्नवत है :

विश्वविद्यालय हेतु अनुदान की अधिकतम सीमा

अनावर्ती	5.00 लाख रुपये (एकमुश्त)
आवर्ती	7.00 लाख रुपये

महाविद्यालय हेतु अनुदान की अधिकतम सीमा

अनावर्ती	5.00 लाख रुपये (एकमुश्त) (नेट/सेट अनुशिक्षण हेतु 3.50 लाख रुपये (एकमुश्त))
आवर्ती	2.00 लाख रुपये प्रति वर्ष (नेट/सेट अनुशिक्षण हेतु 1.50 लाख रुपये प्रति वर्ष)

अवधि – पांच वर्ष

7.6 निशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

भारत के संविधान में सभी व्यक्तियों के लिये गुणवत्ता, स्वतंत्रता, न्याय एवं सम्मान सुनिश्चित किया गया है तथा संविधान अन्तर्निहित तौर से अधिदेशित करता है कि निशक्त व्यक्तियो सहित समस्त व्यक्तियों के लिए समावेशी समाज बने। पिछले कुछ वर्षों से निशक्त व्यक्तियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में काफी बड़ा एवं सकारात्मक परिवर्तन आया है। ऐसा अनुभव किया गया है कि निशक्तता से ग्रस्त ऐसे अधिकांश व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने तथा उन्हें प्रभावी पुर्नवास उपाय उपलब्ध कराये जाने पर वे जीवन को बेहतर ढ़ग रूप से निर्वाह कर सकते है।

निशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अनुसार पृथक रूप से शारीरिक क्षमता रखने वाले व्यक्तियों की शिक्षा के सभी स्तरों तक पहुँच होनी चाहिए। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश में विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को सहायता प्रदान कर रहा है तथा उन्हें विशेष शिक्षा संबंधी क्रियाकलापों में शामिल कर निःशक्त व्यक्तियों को सशक्त बना रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर समस्त विश्वविद्यालयों और सम–विश्वविद्यालयों को समस्त नीति–विषयक निर्णयों से अवगत कराया जाता रहा है जिनमें कि निशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए दाखिले एवं रोज़गारों के लिए भारत सरकार द्वारा आरक्षण नीतियाँ भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इस विषय में आयोग के स्तर पर जो भी निर्णय लिए गए है तथा जो दिशानिर्देश जारी हुए है, उन्हें भी कार्यान्वयन के लिए समस्त विश्वविद्यालयों को जारी कर दिया गया है। आयोग द्वारा निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा, सम्पूर्ण भागीदारी) अधिनियम,1995 को भी विश्वविद्यालयों को परिपत्र द्वारा प्रेषित कर दिया गया था तथा उनसे अनुरोध किया था कि वे उनमें शामिल प्रावधानों का कड़ाई के साथ अनुपालन करें।

इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के हित के लिए योजनाएं भी क्रियान्वित कर रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने 2 समितियों का गठन किया है जो निम्नवत है:

1. निशक्त विद्यार्थियों और शिक्षकों से संबंधित नियमों, योजनाओं और प्रावधानों की समीक्षा और संशोधन करना। 8 अगस्त, 2012, 17 सितम्बर, 2012, 28 अक्तूबर, 2012, 11 दिसम्बर, 2012, 18 जनवरी, 2013 और 9 फरवरी, 2013, 1 अप्रैल, 2013 और 18 जून, 2013 को समिति की 8 बैठकें आयोजित हुई थी।
2. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में निशक्त व्यक्तियों को रोजगार और प्रवेश हेतु आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन संबंधी निगरानी करना।

7.6(क) विशेष शिक्षा हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना (टीईपीएसई)

विशेष शिक्षा हेतु शिक्षकों को तैयार करने (टीईपीएसई) की योजना का उद्देश्य विशेष तथा समावेशी परिवेश में निशक्त छात्रों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षा में विशेष शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम आरंभ करना है। योजना के अंतर्गत किसी एक निशक्तता के क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ बी0एड0 तथा एम0एड0 उपाधि पाठ्यक्रम की पेशकश करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

उद्देश्य

विश्वविद्यालयों को एम0एड0 विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम आरंभ करने हेतु प्रोत्साहित करना है ताकि विशेष शिक्षा अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की पेशकश करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सेवा करने हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सके।

अर्हता

बी0एड0 तथा एम0एड0 उपाधि स्तर पर विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम की पेशकश करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों को निम्नवत शर्तों पर सहायता प्रदान की जायेगी:

1. विश्वविद्यालय विभाग के पास विशेष शिक्षा में संबंधित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के पाठ्यक्रम को आरंभ करने के लिए भारतीय पुर्नवास परिषद् का अनुमोदन होना चाहिए।
2. विश्वविद्यालय में एक आदर्श विद्यालय होना चाहिये जहां निशक्त बच्चों को भर्ती किया जाये। अपना स्वयं का आदर्श विद्यालय न होने पर विश्वविद्यालय को लिखित में यह देना होगा कि वह निकट स्थित एक विशेष/समेकित विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में कार्य करने के लिए स्वीकार करेगा।
3. विश्वविद्यालय को बी0एड0 स्तर के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिये।
4. विश्वविद्यालय को संकाय से निशक्तता के क्षेत्र में विशेषज्ञ तथा स्वयं निशक्त व्यक्तियों को शामिल करते हुए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए। संबंधित योजना(ओं) से संबंधित क्रियाकलापों की समीक्षा करने के लिए समिति की वर्ष में एक बार बैठक आयोजित की जानी चाहिये।
5. योजना के लिए आवेदन करने वाले विश्वविद्यालय को वि0अ0आ0 द्वारा धारा 2(च) और 12(ख) के तहत अनुमोदित किया जाना चाहिये।

वित्तीय सहायता

केवल बी0एड0 विशेष शिक्षा अथवा एम0एड0 विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए 2.00 लाख रुपये (योजनागत अवधि हेतु)।

केवल बी0एड0 तथा एम0एड0 दोनो विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए 4.00 लाख रुपये (योजनागत अवधि हेतु)।

अवधि – पांच वर्ष

7.6(ख) निशक्त व्यक्तियों हेतु उच्चतर शिक्षा (एचईपीएसएन)

एचईपीएसएन योजना का उद्देश्य मूल रूप से उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में एक परिवेश तैयार करना है ताकि निशक्त व्यक्तियों के लिए उच्चतर शिक्षा अधिगम के अनुभव को बेहतर बनाया जा सके। निशक्त व्यक्तियों की सक्षमता के बारे में जागरूकता पैदा करना, विनिर्माण का उद्देश्य पहुंच में सुधार करना, शिक्षण अनुभव को सम्पन्न बनाने के लिए उपस्कर का क्रय करना–इस योजना के तहत सहायता की बृहद श्रेणियां हैं।

पात्रता

योजना के तहत ऐसे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध है जो वि0अ0आ0 अधिनियम, 1956 के तहत धारा 2 (च) के तहत आते हैं तथा धारा 12(ख) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।

विश्वविद्यालय हेतु अनुदान की अधिकतम सीमा

घटक–I	1.18 लाख रुपये प्रति वर्ष
घटक–II	10.00 लाख रुपये प्रति योजना
घटक–III	8.00 लाख रुपये प्रति योजना

महाविद्यालय हेतु अनुदान की अधिकतम सीमा

घटक–I	98,000/– रुपये प्रति वर्ष
घटक–II	5.00 लाख रुपये प्रति योजना
घटक–III	1.50 लाख रुपये प्रति योजना

अवधि – पांच वर्ष

7.6(ग) दृष्टिबाधित शिक्षकों के लिये वित्तीय सहायता

योजना को दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों को रीडर तथा शिक्षण और अधिगम उपकरणों की सहायता से तथा ब्रेल पुस्तकें, रिकार्ड की हुई सामग्री आदि के क्रय हेतु रीडर भत्ते तथा निधियां उपलब्ध करवा कर शिक्षण तथा शोध कार्य जारी रखने के लिए तैयार किया गया है। योजना का उद्देश्य दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों को शिक्षण, अधिगम तथा शोध हेतु विभिन्न सहायक उपकरणों का उपयोग कर आत्म निर्भर बनने में सहायता प्रदान करने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाना है। दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों को 18,000/– रुपये प्रति वर्ष का भत्ता प्रदान किया जायेगा।

पात्रता

योजना के तहत ऐसे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध है जो वि0अ0आ0 अधिनियम, 1956 के तहत धारा 2 (च) के तहत आते हैं तथा धारा 12(ख) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय हेतु अनुदान की अधिकतम सीमा

36,000/– रुपये प्रति वर्ष

अवधि – पांच वर्ष

8 प्रासंगिक तथा मूल्य आधारित शिक्षा

8.1 विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रमों को आरंभ करना

स्नातक स्तर पर व्यवसायिक कार्यक्रम आठवीं योजना (1994–95) के दौरान आरम्भ किए गए थे जिन्हें शिक्षा को वृत्ति उन्मुखी बनाने/जीविकोन्मुखी कार्यक्रम/जीविकोन्मुखी पाठ्यक्रम की संशोधित योजना के अंतर्गत वर्ष (2003–04) में पुनः तैयार किया गया है।

उद्देश्य और मुख्य विशेशताएं

योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन पाठ्यक्रमों को पूरा करने वाले स्नातकों के पास ज्ञान, कौशल और सामान्य रूप से पारिश्रमिक क्षेत्र में लाभकारी रोजगार और विशेषकर स्वरोजगार हेतु अभिरूचि हो जिससे कि स्नातकोत्तर कार्यक्रमों हेतु उच्चतर शिक्षा संस्थानों में दबाव को कम किया जा सके। ये पाठ्यक्रम परम्परागत बी.ए., बी.काम और बी.एस.सी. डिग्री के समानान्तर चलाए जाते हैं। पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/उच्च डिप्लोमा के रूप में पढ़ाए जाते हैं जिनका चयन विद्यार्थी परम्परागत बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी. के समानांतर कर सकते हैं।

प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम : इस पाठ्यक्रम में 20 क्रेडिट होंगे। प्रत्येक क्रेडिट के अन्तर्गत 15 घंटे के कार्यभार होंगे जिसमें से 8 क्रेडिट अनिवार्य रूप से क्षेत्रगत कार्य/ परियोजना कार्य/ प्रशिक्षण को सौपा जाना चाहिए।

डिप्लोमा पाठ्यक्रम : इस पाठ्यक्रम में 40 क्रेडिट होंगे (जिसमें कि 20 ऐसे क्रेडिट सम्मिलित होंगे जो कि प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के दौरान अर्जित किए गए होंगे) प्रत्येक क्रेडिट के अन्तर्गत 15 घंटे का कार्यभार होगा जिसमें से 8 क्रेडिट अनिवार्य तौर पर क्षेत्रगत कार्य/परियोजना कार्य/प्रशिक्षण के लिए सौंपे जाने चाहिए।

उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम : यह पाठ्यक्रम 60 क्रेडिट का होगा (जिसमें कि प्रमाणपत्र एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए क्रमशः 40 क्रेडिट होंगे) प्रत्येक क्रेडिट में 15 घंटे का कार्यभार होगा, जिसमें से 8 क्रेडिट अनिवार्य रूप से क्षेत्रगत कार्य/परियोजना कार्य के लिए दिये जायेगें।

इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत सफल विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/उच्च डिप्लोमा प्रदान किए जाते हैं।

अध्ययन कराए जाने वाले पाठ्यक्रम अंतर–विषयक स्वरूप के हैं। विद्यार्थी को न केवल अपनी मुख्य विधा से संबंधित बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में विविधीकरण की स्वतंत्रता होगी अर्थात् कोई विज्ञान का विद्यार्थी अपने अध्ययन के साथ–साथ ईवेन्ट मेनेजमेन्ट कार्यक्रम का अध्ययन कर सकता हैं और कला पृष्ठभूमि के विद्यार्थी को विज्ञान, पत्रकारिता आदि में पाठ्यक्रम अध्ययन करने का विकल्प है।

अवधिः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित अतिरिक्त (एड–ऑन) पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

चयन की प्रक्रियाः विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों पर विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाता है। विशेषज्ञ समिति द्वारा संस्तुत तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त (एड–ऑन) पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान किया जाता है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रमों को आरंभ करने के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए 522 संस्थानों (516 महाविद्यालयों + 06 विश्वविद्यालयों) के लिए 793 पाठ्यक्रमों को अनुमोदित किया गया था। वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रमों की योजना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं आदि सहित बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0काम0 में अध्ययनरत छात्रों की सभी श्रेणियों के लिये है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि 2012–17 (वर्ष 2013–14) के दौरान प्रदत्त अनुदान

वर्ष 2012–13 के दौरान 13.37 करोड़ रुपये के कुल अनुदान का भुगतान किया गया था। विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों से कतिपय अपेक्षित जानकारियों/दस्तावेजों के मांगे जाने तथा उनसे उक्त जानकारी/दस्तवेज प्राप्त न होने के कारण वर्ष 2013–14 के दौरान अनुदान जारी नहीं किया जा सका।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रमों (सीओसी) को आरंभ करने के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए 522 संस्थानों (516 महाविद्यालयों + 06 विश्वविद्यालयों) के लिए 793 पाठ्यक्रमों को अनुमोदित किया गया था। वर्ष 2012–14 के दौरान 522 संस्थानों में से 91 संस्थानों को पहले ही अनुदान जारी किया जा चुका है। वर्ष 2013–14 के दौरान कोई अनुदान जारी नहीं किया जा सका। वर्ष 2014–15 के दौरान शेष 531 संस्थानों को लक्षित किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि महाविद्यालय से संबंधित बारहवीं पंचवर्षीय मिसिलें जो प्रक्रियाधीन थी उन्हें अनुदान जारी करने के लिए सीओसी ब्यूरो द्वारा संसाधित किया जाए। तत्पश्चात् बारहवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए कार्यवाही करने के लिए मिसिलों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाए। विश्वविद्यालयों के संबंध में, इन पर लगातार सीओसी ब्यूरो द्वारा कार्यवाही की जाती रहेगी।

8.2 विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन केन्द्र

प्राक्कथन

आयोग ने वर्ष 1963 में विभिन्न विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रमों को आरंभ किया। पिछले पांच दशकों में यह अपनी विशेषताओं तथा कमियों के साथ उभरा है। शीत युद्ध के बाद के समय के संदर्भ में जब वैश्विकरण अंतर्राष्ट्रीय मामलों का एजेन्डा निर्धारित कर रहा है तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शर्तों को निर्धारित कर रहा है, कार्यक्रम को इसके शैक्षिक बल, पद्धति तथा संगठनात्मक प्ररूप पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन केंद्रों को स्थापित करने के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- क) क्षेत्रों के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत विशिष्टियों के संपूर्ण बोध को बढ़ावा देना।
- ख) उपनिवेशवाद के बाद के समाज के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्र अध्ययनों के वैकल्पिक प्रतिमानों को बढ़ावा देना।
- ग) क्षेत्र और अन्य मुद्दों के संबंध में भारतीय परिप्रेक्ष्य में योगदान देना।
- घ) विशेषरूप से देश के आर्थिक, रणनीतिक तथा राजनीतिक हितों में नीति निर्माताओं को महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया कराना।

ङ) विश्व के क्षेत्रों के ज्ञान को बौद्धिक विधाओं का मुख्य अंग बनाना।

च) अंतर्क्षेत्रीय तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए शोध करना।

दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार 52 क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम चल रहे थे।

01.04.02013 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान कार्यक्रम के तहत केन्द्र को 2.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों की सूची नीचे दी गई है:–

क्र.सं.	स्थापना का वर्ष	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्र का नाम
1.	1963	राजस्थान विश्वविद्यालय	दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र
2.	1964	दिल्ली विश्वविद्यालय	पूर्व एशियाई अध्ययन केन्द्र (डीईएएस)
3.	1971	मुंबई विश्वविद्यालय	अफ्रीकी अध्ययनों हेतु केन्द्र
4.	1971	मुंबई विश्वविद्यालय	मध्य यूरेशियन अध्ययन हेतु केन्द्र
5.	1976	बोएचयू वाराणसी	नेपाल संबंधी अध्ययन केन्द्र
6.	1976	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय	दक्षिणपूर्व एशियाई और प्रशान्त अध्ययन केन्द्र
7.	1978	कोलकाता विश्वविद्यालय	दक्षिण और दक्षिण–पूर्वी एशियाई अध्ययन केन्द्र
8.	1978	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	पश्चिम एशियाई और अफ्रीकी अध्ययन हेतु खाड़ी अध्ययन कार्यक्रम केन्द्र
9.	1978	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	रूसी, मध्य एशियाई तथा पूर्व यूरोपीयन अध्ययनों हेतु केन्द्र
10.	1978	नार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी	हिमालय संबंधी अध्ययन हेतु केन्द्र
11.	1983	कश्मीर विश्वविद्यालय	मध्य एशिया संबंधी अध्ययन केन्द्र
12.	1983	ओस्मानिया विश्वविद्यालय	हिन्द महासागर संबंधी अध्ययन हेतु केन्द्र
13.	1987	आंध्र विश्वविद्यालय	सार्क अध्ययन हेतु केन्द्र
14.	1988	गोवा विश्वविद्यालय	लैटिन अमरीकी अध्ययन हेतु केन्द्र
15.	1988	जामिया मिलीया इस्लामिया विश्वविद्यालय	तीसरे विश्व पर अध्ययन संबंधी अकादमी
16.	1989	मणिपुर विश्वविद्यालय	मणिपुर संबंधी अध्ययन केन्द्र
17.	1994	जामिया हमदर्द	संघीय अध्ययन संबंधी केन्द्र
18.	1996	हैदराबाद विश्वविद्यालय	भारतीय डायस्पोरा संबंधी अध्ययन हेतु केन्द्र
19.	1997	मद्रास विश्वविद्यालय	दक्षिण और दक्षिण–पूर्वी एशियाई अध्ययन
20.	2001	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	दक्षिण, मध्य, दक्षिण–पूर्वी एशियाई और दक्षिण–पश्चिम प्रशांत अध्ययन तथा मध्य एशियाई अध्ययन कार्यक्रम

क्र.सं.	स्थापना का वर्ष	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्र का नाम
21.	2002	दिल्ली विश्वविद्यालय	कनाडा अध्ययन संबंधी केन्द्र
22.	2002	केरल विश्वविद्यालय	कनाडा अध्ययन संबंधी केन्द्र
23	2002	एमएस बड़ौदा विश्वविद्यालय	कनाडा अध्ययन संबंधी केन्द्र
24.	2002	एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय	कनाडा अध्ययन संबंधी केन्द्र
25.	2005	दिल्ली विश्वविद्यालय	अफ्रीकी अध्ययन संबंधी केन्द्र
26.	2005	जम्मू विश्वविद्यालय	रणनीतिक तथा क्षेत्रीय अध्ययन हेतु केन्द्र
27	2005	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय,	यूरोपीय अध्ययन केन्द्र
28.	2005	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय,	फ्रन्को–फोन, सब–सहारा संबंधी अध्ययन
29.	2005	मणिपुर विश्वविद्यालय	म्यांमार संबंधी अध्ययन हेतु केन्द्र
30.	2005	सरदार पटेल विश्वविद्यालय	भारतीय डायस्पोरा हेतु केन्द्र
31.	2005	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय	बांग्लादेश और म्यांमार संबंधी अध्ययनों हेतु केन्द्र
32.	2005	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	पाकिस्तान अध्ययन संबंधी केन्द्र
33.	2005	कोलकाता विश्वविद्यालय	पाकिस्तान और पश्चिम एशियाई अध्ययन हेतु कार्यक्रम
34.	2005	कालीकट विश्वविद्यालय	भारतीय महासागर अध्ययन हेतु कार्यक्रम
35.	2005	हेमचंद्र आचार्य नार्थ गुजरात विश्वविद्यालय	भारतीय डायस्पोरा एवं केन्द्रीय अध्ययन हेतु कार्यक्रम
36.	2005	जीवाजी विश्वविद्यालय	केन्द्रीय एशियाई अध्ययन हेतु कार्यक्रम
37.	2005	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	दक्षिण एशियाई अध्ययन हेतु केन्द्र
38.	2006	जामिया मिलीया इस्लामिया विश्वविद्यालय	पाकिस्तान संबंधी अध्ययन हेतु कार्यक्रम
39.	2007	कोलकाता विश्वविद्यालय	चीन और पड़ोसी देशों के अध्ययन हेतु केन्द्र
40.	2007	दिल्ली विश्वविद्यालय	विकासशील देशों का शोध केन्द्र
41.	2007	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	आस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैण्ड अध्ययन हेतु केन्द्र
42.	2007	जामिया मिलीया इस्लामिया	मध्य एशियाई अध्ययन हेतु केन्द्र
43.	2007	पंजाबी विश्वविद्यालय	दक्षिण पश्चिम मध्य एशिया (पाकिस्तान और अफगानिस्तान) हेतु केन्द्र
44.	2009	जामिया मिलीया इस्लामिया	हिन्द महासागर अध्ययन हेतु केन्द्र
45.	2011	राजस्थान विश्वविद्यालय	यूरोपीय अध्ययन हेतु केन्द्र

क्र.सं.	स्थापना का वर्ष	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्र का नाम
46.	2011	अलीगढ़ विश्वविद्यालय	दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील अध्ययन हेतु केन्द्र
47.	2011	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय	आईएनडीआईसी तथा एशियाई अध्ययन हेतु केन्द्र
48.	2011	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	यूरोपीय अध्ययन हेतु केन्द्र
49.	2011	जामिया मिलीया इस्लामिया	अफगानिस्तान संबंधी अध्ययन हेतु केन्द्र
50.	2011	पुणे विश्वविद्यालय	एशिया अध्ययन हेतु केन्द्र
51.	2011	जामिया मिलीया इस्लामिया	चीन संबंधी अध्ययन केन्द्र
52.	2011	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय	समसामयिक चीनी अध्ययनों संबंधी केन्द्र (आईसीसीएस)

8.3 भारतीय युग प्रवर्तक सामाज चिंतकों पर विशेष अध्ययन

भारत में अनेक बुद्धिजीवी और महान नेता हुए हैं जिन्होंने अपने क्रान्तिकारी और उत्कृष्ठ विचारों और कार्यों से न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने स्वदेशी विचार विकसित किए और भारत को सांस्कृतिक और नैतिक पहचान प्रदान की। शिक्षकों और विद्यार्थियों को उनके विचारों और कार्यों और अध्ययन शोध और क्षेत्र आधारित विस्तार सेवा कार्यक्रमों के सृजनात्मक कार्यों से परिचित कराने की आवश्यकता है। भारतीय युग प्रवर्तक सामाजिक चिंतकों पर विशेष अध्ययन योजना को वर्ष 1983 में आरंभ किया गया था तथा यह योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में भी जारी है।

उद्देश्य तथा मुख्य विशेशताएं

योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षकों और विद्यार्थियों को महान चिंतकों और सामाजिक नेताओं/सुधारकों के विचारों और दृष्टिकोण से अवगत कराने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों/संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विशेष अध्ययन हेतु केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

'भारत के युगप्रवर्तक सामाजिक चिंतकों' संबंधी योजना के अंतर्गत विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में 376 अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की गई है। यह योजना सभी लाभार्थियों (विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, शिक्षकों, छात्रों, महिलाओं, अ0जा0/अ0ज0जा0 आदि) के लिए खुली है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012–17 (2013–14)के दौरान 1.84 करोड़ रुपए के अनुदान का भुगतान किया गया।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2013–14 के लिए **186** विशेष अध्ययन केन्द्रों को जारी रखने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

8.4 मानवाधिकार शिक्षा (एचआरई)

(i) मानवाधिकार और कर्त्तव्य

जबकि प्रत्येक अधिकार के साथ कर्त्तव्य जुड़ा होता है कतिपय वर्गो में यह सोच व्याप्त थी की जबकि अधिकारों की शिक्षा तो प्रदान की जाती हैं, कर्त्तव्यों के मुद्दे को पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसे समाज में जहां शताब्दियों से केवल कर्त्तव्यों पर

ही बल दिया गया, अधिकारों की शिक्षा प्रदान किये जाने से ऐतिहासिक विकृतियों का समाधान किया गया है। अधिकारों के उल्लंघन को केवल उस स्थिति में ही ठीक किया जा सकता हैं जब सम्पन्न व्यक्तियों को समाज में हाशिये पर जीवनयापन करने वाले लोगों के प्रति उनके कर्त्तव्यों को स्मरण कराया जाये तथा समाज में हाशिये पर जीवनयापन करने वाले लोगों को अधिकारों की शिक्षा के माध्यम से शनैः–शनैः सशक्त बनाया जाये। इन स्तरों पर मानवाधिकार की शिक्षा लिंग समानता, जाति तथा सामुदायिक संबंधों, बहुसंख्यक–अल्पसंख्यकों के बीच विवाद, 'अगड़ों और पिछड़ों' की समस्या तथा उत्तर–दक्षिण के बीच शक्ति संबंध जैसे क्षेत्रों में प्रदान की जायेगी। संक्षेप में, अधिकारों तथा कर्त्तव्यों के पुनर्गठन के माध्यम से सभी प्रकार के शक्ति संबंध को मानवीय तथा जनतांत्रिक बनाया जाना चाहिये।

(ii) मानवाधिकार और मूल्य

मानवाधिकार की शिक्षा में मूल्यों की शिक्षा पर भी ध्यान केन्द्रीत किया जायेगाः

(क) इसके एक उद्देश्य में, मूल्यों के प्रति जागरूकता तथा प्रतिबद्धता का विकास किया जाना हैं जहां व्यक्ति विशेष के स्वयं के हित का समग्र तथा व्यापक उद्देश्य हेतु एक–दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाये।

(ख) वैश्विक मूल्यों तथा संस्कृति द्वारा निर्धारित यथार्थवादी मूल्यों के संबंध में एक वाद–विवाद होना चाहिये। वैश्विक परंतु विखंडित विश्व में वैश्विक मूल्यों की खोज, एक अतिरिक्त महत्त्व धारण कर लेता है।

(ग) बहुलवाद, सभी धर्मों के लिए आदर, वैज्ञानिक अभिवृत्ति, खुला मस्तिष्क, जनता द्वारा जवाबदेही, यह सभी लंबे समय से भारतीय परम्परा का भाग रहे हैं, इन्हें संजोकर रखना होगा तथा बढ़ावा देना होगा।

(iv) मानवाधिकार तथा मानव विकास

अधिकार केवल मानक नहीं होते हैं, परंतु समाज के संसाधनों के आवंटन में नागरिकों का भी अधिकार होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था तीव्र गति से विकास कर रही है परंतु इसके साथ–साथ आर्थिक विषमता भी बढ़ रही है। इस बात को मानने की आवश्यक है कि विकास संबंधी आवश्यकताओं तथा समानता संबंधी चिंताओं पर एक दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। किसी भी स्तर के भौतिक विकास से मानव संतुष्ट नहीं होगा जबतक कि इसमें मानव जीवन को महत्व न दिया जाये तथा इसमें ऐसी परिस्थितियां न हो जिससे मानव क्षमता का पूर्ण रूप से दोहन हो सके। विकास के केन्द्र मे मानव है। राष्ट्र पर अधिकारों के संवर्धन तथा प्रवर्तन का दायित्व है और अधिकारोन्मुखी विकास को साकार करना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब इन दायित्वों का निवर्हन किया जायेगा तो संतुलित मानव विकास होगा। मानवाधिकार की शिक्षा में यह सब घटक शामिल होंगे।

योजना के तहत वि0अ0आ0 द्वारा निम्नवत क्रियाकलापों हेतु सहायता प्रदान की जायेगीः

क) शोध

ख) शिक्षण

ग) संगोष्ठी/कार्यशाला/सम्मेलन आदि का आयोजन

इन क्रियाकलापों को निम्नवत अनुपात में आरम्भ करने के लिए दस लाख रुपये का एकमुश्त अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा :–

(i) शोध : अधिकतम राशि का 25 प्रतिशत

(ii) शिक्षण : अधिकतम राशि का 25 प्रतिशत

(iii) संगोष्ठी/कार्यशाला/सम्मेलन आदि का आयोजन : अधिकतम राशि का 50 प्रतिशत

वर्ष 2013–14 के दौरान 40,000/– रुपये की राशि जारी की गई थी।

नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अनुमोदित तथा संस्वीकृत पुराने मामलों को वि0अ0आ0 द्वारा शेष अवधि के लिए तथा तदनुसार लेखा का निपटान करने के लिए सहायता प्रदान की जायेगी। वैसे, इसके लिए प्रतिबद्ध देयताएं (पुरानी वि0अ0आ0 योजनाएं) जारी रहेंगी।

आयोग ने दिनांक 10 मई, 2013 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया कि मानवाधिकार तथा शिक्षा संबंधी योजना को जीडीए के साथ समूहबद्ध किया जाये। तदनुसार, सभी पुराने प्रस्ताव जिनमें अनुदान की पहली किस्त जारी की जा चुकी है, उन्हें एचआरई अनुभाग द्वारा संसाधित किया जाता रहेगा।

9 सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का समेकन

9.1 ई–गवर्नेंस

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक विकेन्द्रीयकृत कार्यान्वयन मॉडल हेतु विभिन्न ई–गवर्नेंस एप्लीकेशनों की अंतर्प्रचालनता के उद्देश्य को प्राप्त करने के एक केन्द्रीयकृत पहल के माध्यम से ई–गवर्नेंस परियोजना के कार्यान्वयन की पहल आरंभ की है।

ई–गवर्नेंस के भाग के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में मिसिलों के की प्राप्ति तथा फाईलों के चालन के संबंध में कागज रहित परिवेश तैयार करने के लिये ई–कार्यालय को स्थापित किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चिह्नित कुशल प्रशिक्षकों द्वारा ई–फाइल, ई–अवकाश, कार्मिक जानकारी प्रणाली तथा ज्ञान प्रबंधन प्रणाली के संबंध में प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा रोजाना पेश आने वाली समस्याओं के संबध में भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। एनआईसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए बेव–आधारित आर्नलाइन एप्लीकेशन का भी विकास कर रहा है।

वर्ष 2013 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में संस्थानों/पाठ्यक्रमों को संबद्ध करने/संबद्धता समाप्त करने के लिए ई–अभिशासन स्वचालन परियोजना एनआईसी को सौंपी गई है तथा एनआईसी को 1,68,00,000/– रुपये के कुल अनुदान का संवितरण किया गया है।

9.2 स्नातकोत्तर विषयों के लिए ई–विषयवस्तु पाठ्यसामग्री तैयार करना

ई–स्नातकोत्तर पाठशाला: सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय मिशन (एनएमई–आईसीटी) को उच्चतर शिक्षा संस्थानों में *'किसी भी समय किसी भी स्थान पर'* पद्धति पर सभी विद्यार्थियों को लाभान्वित करने हेतु शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में आईसीटी की संभावना का लाभ उठाने हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में परिकल्पना की गई है। इसका आदर्श वाक्य "टू प्रोवॉइड कनेक्टिविटी अप टू दी लास्ट माइल" है। एनएमई–आईसीटी का उद्देश्य देश में मौजूदा 600 विश्वविद्यालयों/मानित विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के प्रत्येक विभागों को कम्प्यूटर अवसंरचना और संपर्क प्रदान करना है। भविष्य में संस्थानों/विभागों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।

वर्ष 2011 में एनएमईआईसीटी–एमएचआरडी द्वारा 77 स्नातकोत्तर विषयों में 'स्नातकोत्तर विषयों के लिए ई–विषयवस्तु तैयार करने' की परियोजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक नोडल एजेन्सी के रूप में प्रदान किया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को परियोजना लागत स्वरूप 84 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई। परियोजना में उच्चतर अध्ययन के मान्यता प्राप्त संस्थानों के किसी विशेष विषय में 10 वर्ष से अधिक के अनुभव प्राप्त स्थायी शिक्षक लाभार्थी होगें। वर्ष 2013–14 के दौरान परियोजना पर कुल 6,59,400/– रुपये की कुल लागत आई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रो0 आनन्दकृष्णन (अध्यक्ष, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर) की अध्यक्षता में ई–विषयवस्तु के विकास कार्य हेतु 20 सदस्यों की एक स्थायी समिति का गठन किया गया है।

10 नई पहल

10.1 सामुदायिक महाविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2013–14 के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक संदर्भ पर सामुदायिक महाविद्यालयों की योजना आरंभ की थी। सामुदायिक महाविद्यालय योजना के तहत कम लागत की गुणवत्तायुक्त शिक्षा की स्थानीय रूप से पेशकश की जायेगी जिसमें पारम्परिक कौशल विकास साथ ही पारम्परिक पाठ्यक्रम कार्य सम्मिलित है। इस प्रकार यह शिक्षार्थी को सीधे ही नियोजन क्षेत्र अथवा उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में जाने का अवसर मुहैया करवाता है। यह एक लचीली तथा मुक्त शिक्षा प्रणाली की पेशकश करता है, जो सामुदायिक आधार पर आजीवन अधिगम आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। इसका समुदाय, सामुदायिक महाविद्यालयों (सीसी) तथा नियोजन बाजार के बीच एक सहक्रियात्मक संबंध है। सामुदायिक महाविद्यालय, एनएसक्यूएफ के पृथक स्तरों पर स्थानीय उद्योगों की आवश्यकताओं के आधार पर अलग–अलग अवधियों के ज्ञान–कौशल मिश्रित कार्यक्रमों की पेशकश करेंगे।

वर्ष 2013–14 के दौरान योजना के तहत 64 सामुदायिक महाविद्यालयों को अनुमोदित किया गया। तत्पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने योजना के दिशानिर्देशों को संशोधित कर दिया तथा इसे एक स्वतंत्र योजना के रूप में अंगीकार कर लिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने योजना के तहत विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों से नये प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं तथा वर्ष 2014–15 के दौरान 102 नये सामुदायिक महाविद्यालयों को अनुमोदित किया। वर्ष 2013–14 में अनुमोदित किए गए 64 सामुदायिक महाविद्यालयों में से विश्वविद्यालय में सात तथा महाविद्यालय में 57 प्रस्ताव अनुमोदित किये गये। इस प्रकार, वर्ष 2014–15 के दौरान अनुमोदित 102 सामुदायिक महाविद्यालयों में से 10 विश्वविद्यालयों तथा 92 महाविद्यालयों के लिये है।

योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं

- उच्चतर शिक्षा को शिक्षार्थी तथा समुदाय के प्रति अधिक संगत बनाना;
- उच्चतर शिक्षा प्रणाली में संगत कौशल को शामिल करना;
- वर्तमान में उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहे और जल्द–से–जल्द जनशक्ति में प्रवेश करने के इच्छुक छात्रों को कौशल आधारित शिक्षा उपलब्ध कराना;
- वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा प्राप्त शिक्षार्थी, जो मौजूदा उच्चतर शिक्षा प्रणाली में नहीं जाना चाहते है उन्हें अनिवार्य सामान्य शिक्षा के साथ–साथ नियोजन योग्य तथा प्रमाणित किये जाने योग्य कौशल प्रदान करना;
- शिक्षार्थियों को उनकी आयु के अनपेक्षतः उनके द्वारा अर्जित पारम्परिक कौशल का उन्नयन करना तथा प्रमाणन प्रदान करना;
- समुदाय को व्यक्तिगत विकास तथा रूचि हेतु सामान्य रूचि के पाठ्यक्रमों की पेशकश कर समुदाय आधारित आजीवन अधिगम के अवसर उपलब्ध कराना;
- भविष्य में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराना; और

➢ सामान्य व्यावसायिक शिक्षा में प्रमाणपत्र धारकों को लघु पाठ्यक्रमों की पेशकश करना ताकि उन्हें उपर्युक्त एनवीईक्यूएफ स्तर के समकक्ष लाया जा सके।

प्रवेश हेतु पात्रता : 10 + 2 अथवा समकक्ष

छात्रवृत्ति : प्रति छात्र 1000/–रुपये

लक्ष्य समूह/पात्रता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालय, जो सामुदायिक महाविद्यालय की योजना को कार्यान्वित करने के लिए सामान्य विकास सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।

सामुदायिक महाविद्यालय का चयन

सामुदायिक महाविद्यालय हेतु मेजबान संस्थान का चयन करते हुए ऐसे विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी जिनकी स्थानीय औद्योगिक भागीदारों से निकटता है तथा क्षेत्र की स्थानीय नियोजन संबंधी आवश्यकताओं और/अथवा युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम हों। सामुदायिक महाविद्यालयों के मेजबान संस्थान के रूप में स्वायत्त महाविद्यालय को पाठ्यचर्या तैयार करने, मूल्यांकन तथा अभिशासन आदि के रूप में अतिरिक्त लाभ हो सकता है और इसलिये उन्हें योजना के तहत प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

योजना के तहत इच्छुक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से विहित प्रपत्र (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिशानिर्देशों के अनुलग्नक–I) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेबसाईट पर सार्वजनिक सूचना जारी कर प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। विस्तृत डीपीआर, प्रस्तावित कार्य योजना तथा मदवार बजट अनुमानों के साथ विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों को मूल्यांकन हेतु एवं गुणावगुण के आधार पर चयन करने एक विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा जाता है।

वित्तीय सहायता :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में विशेषज्ञ समिति द्वारा संवीक्षा किये गये प्रस्तावों के आधार पर, प्रति सामुदायिक महाविद्यालय प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए (एक करोड़ रुपए) की सीमा तक आगन्तुक संकाय तथा उनके प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन, पाठ्यचर्या विकास, प्रयोगशाला, कार्यशाला सुविधाओं उपभोज्य वस्तुओं तथा शिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों में दिये गये अन्य शीर्षों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

सामुदायिक महाविद्यालयों में कार्यक्रम तथा पाठ्यचर्या, सामुदायिक पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले संस्थानों का ब्यौरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट htpp://www.ugc.ac.in पर उपलब्ध है।

वर्ष 2013–14 के दौरान उपयुक्त महाविद्यालयों हेतु आवंटित अनुदान तथा उन्हें जारी करने की स्थिति निम्नवत है:

क्र.सं.	योजना का नाम	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या		कुल	आवंटित अनुदान	प्रदत्त अनुदान
		विश्वविद्यालय	महाविद्यालय			
1.	सामुदायिक महाविद्यालय	9	55	64	2913.63 करोड़ रुपये	11,93,34,050

प्रत्येक वर्ष 100 नये सामुदायिक महाविद्यालयों को सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। चूंकि औद्योगिक भागीदारों को शिक्षार्थियों के लिये पाठ्यचर्या तैयार करने, प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उनका मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। इसलिए पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने वाले छात्र उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।

10.2 दूरस्थ शिक्षा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिनांक 29 दिसम्बर, 2012 के आदेश के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 20(1) के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा आयोजित दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के विनियमन, मानकों के अनुरक्षण तथा तदनुसार मान्यता प्रदान करने के संबंध में निदेश जारी किये है। निदेशों में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नवत अंतर्विष्ट हैं:

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के संबंध में विनियामक के रूप में कार्य करेगा तथा विश्वविद्यालय/संस्थानों को ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिये मान्यता प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमति प्राप्त करनी होगी;

(ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, महादेव मेनन समिति की रिपोर्ट (दिसम्बर, 2011) की सिफारिशों के अनुरूप ओडीएल कार्यक्रमों में मानदण्डों तथा मानकों के अनुरक्षण हेतु विनियम तैयार करेगा;

(iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियामक कृत्यों के निवर्हन हेतु अनिवार्य वास्तविक अवसंरचना तथा जनशक्ति का प्रबंधन करेगा तथा इस प्रयोजनार्थ इग्नू के परामर्श से पूर्ववर्ती दूरस्थ शिक्षा परिषद् (डीईसी) के कर्मचारिवृंदों की सेवाएं लेगा;

(iv) जैसे ही डीईसी का विघटन किया जाता हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ओडीएल कार्यक्रमों के विनियामक के रूप में कार्य करना आरंभ कर देगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उठाये गये कदम

उपरोक्त निदेशों के अनुपालन में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नवत सहित अनेक कदम उठाए हैं :

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को आयोजित करने हेतु उपर्युक्त विनियमों को तैयार करने के लिए प्रो. एन.आर. माधव मेनन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति ने नवम्बर, 2013 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट को जनता के समक्ष रखा गया। तत्पश्चात् दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो ने विनियम तैयार किये जिस पर समिति ने 10 जनवरी, 2014 को आयोजित बैठक में विचार किया। आयोग द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर, संशोधित विनियमों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इसकी सहमति/अनुमोदन प्राप्त करने के लिये भेजा गया। यह निर्णय लिया गया कि ओडीएल पर नए विनियमों को शिक्षा वर्ष 2014–15 तथा उसके पश्चात् लागू किया जायेगा।

(ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 31 मई, 2013 के आदेशों के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के संबंध में मान्यता प्रदान करने संबंधी कार्य हेतु अंतरिम व्यवस्था की और इस प्रयोजनार्थ पूर्ववर्ती दूरस्थ शिक्षा परिषद् (डीईसी) के कर्मचारियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आगामी आदेशों तक 'मानित तदर्थ' आधार पर रख लिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को आयोग में ओडीएल के विनियामक कृत्यों को आरंभ करने के लिये शैक्षणिक तथा शिक्षेत्तर पदों के सृजन का एक प्रस्ताव भी भेजा है।

(iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 28 मई, 2013 के पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय के सभी कुलपतियों को इग्नू अधिनियम के परिनियम 28 का उत्सादन करने तथा ओडीएल के विनियामक उत्तरदायित्वों को इग्नू से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में अंतरित करने तथा नये विनियमों को अधिसूचित करने तक ओडीएल कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों हेतु किसी नये केन्द्र को आगे संबद्ध नहीं करने/अनुमोदित नहीं करने हेतु पत्र भेजा।

(iv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 17 जून, 2013 की अधिसूचना के माध्यम से नये विनियम तैयार करने/अधिसूचित किये जाने तक मुक्त दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों के लिये एक प्रणाली निर्धारित की। अन्य बातों के साथ–साथ यह निर्णय लिया कि डीईसी के मौजूदा दिशानिर्देश, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नये विनियमों को अधिसूचित किये जाने तक ओडीएल कार्यक्रमों हेतु अनुमति प्रदान किये जाने की प्रक्रिया को शासित करेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों/अध्ययन केन्द्रों/ऑफ कैम्पस तथा क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारों के संबंध में 27 जून, 2013 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की। उक्त सार्वजनिक नोटिस, विश्वविद्यालयों, विशेष रूप से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले निजी विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार से संबंधित कतिपय महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित हैं।

(v) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रो0 मोहम्मद मियां, कुलपति एमएएनयूयू, विश्वविद्यालय हैदराबाद की अध्यक्षता में तथा डॉ0 पी. प्रकाश तात्कलीन कुलपति, डॉ0 बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद तथा प्रो0 हरि चन्दन, निदेशक, दूरस्थ शिक्षा संस्थान, मुंबई विश्वविद्यालय के सदस्यों के रूप में पूर्ववर्ती डीईसी के समक्ष लंबित सभी आवेदनों पर अपनी सिफारिशें देने के लिये एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति की पांच बैठकें हुईं तथा लंबित आवेदनों तथा अनुमोदनों/मान्यता प्रदान करने संबंधी अन्य मामलों पर अपनी सिफारिशें दी। विशेषज्ञ समिति की प्रथम तीन बैठकों पर आयोग ने दिनांक 31 जुलाई, 2013 को आयोजित बैठक में विचार किया। विशेषज्ञ समिति की चौथी तथा पांचवी बैठक की सिफारिशों पर दूरस्थ शिक्षा समिति द्वारा विचार किया गया।

(vi) आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में तथा आयोग के दो सदस्यों – प्रो0 डी.एन. रेड्डी, डॉ0 वी.एस. चौहान, तथा श्री परवीन प्रकाश, संयुक्त सचिव (टीईएल) महाराष्ट्र के सदस्यों के रूप में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करने तथा आयोग की ओर से दूरस्थ शिक्षा पर सभी निर्णय लेने के लिये दूरस्थ शिक्षा समिति का गठन किया। वर्ष 2013–14 के दौरान विशेषज्ञ समिति की अब तक 5 बैठकें आयोजित हुई हैं जबकि दूरस्थ शिक्षा समिति की दो बैठकें आयोजित हुई हैं।

(vii) दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले राज्य मुक्त विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पूर्ववर्ती डीईसी को जारी निधियों से पूर्ववर्ती डीईसी द्वारा एक क्रियाकलाप आरंभ किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रो0 एच.पी. दीक्षित की अध्यक्षता में ओडीएल संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति ने ओडीएल संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु एक प्रस्ताव आमंत्रित किया तथा तीन बैठकों में अनुदान जारी करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया। वर्ष 2013–14 के दौरान 12 विश्वविद्यालय तथा दोहरी पद्धति वाले विश्वविद्यालयों के लगभग 45 दूरस्थ शिक्षा निदेशालयों को लगभग 57.00 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत की।

10.3 व्यवसाय स्नातक उपाधि कार्यक्रम

उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अर्थव्यवस्था के उभरती हुई आवश्यकताओं के साथ संबंद्ध करने की जरूरत एक लंबे समय से महसूस की जा रही थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्चतर शिक्षा प्रणाली के स्नातकों के पास रोजगार तथा उद्यमिता के लिए पर्याप्त ज्ञान और कौशल मौजूद हों। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि0अ0आ0) ने एनएसक्यूएफ के तहत महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के भाग के रूप में उच्चतर शिक्षा पर आधारित एक कौशल विकास योजना आरंभ की है जिसमें डिप्लोमा/उच्च डिप्लोमा जैसी अनेक उपाधियों के साथ व्यवसाय स्नातक (बी0वोक) उपाधि प्रदान की जायेगी। बी0वोक कार्यक्रम स्नातकपूर्व अध्ययन करवाने वाले विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय पर केन्द्रित है जिनमें वृहद सामान्य शिक्षा के साथ–साथ विशिष्ट रोजगार हेतु आवश्यक भूमिका तथा एनओएस भी सम्मिलित होंगे। इससे बी0वोक पूर्ण कर रहे स्नातक, उपयुक्त रोजगार प्राप्त कर उद्यमी बनकर तथा उपयुक्त ज्ञान का सृजन कर भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने हेतु एक सार्थक भागीदारी करने में सक्षम होंगे।

उद्देश्य

- किसी विशिष्ट पेशे से संबंधित कौशल तथा सामान्य शिक्षा की उपयुक्त विषय–वस्तु का तर्कसंगत सम्मिश्रण उपलब्ध कराना।
- यह सुनिश्चित करना कि छात्रों के पास पर्याप्त ज्ञान और कौशल उपलब्ध हो, ताकि कार्यक्रम के सभी उपाधि स्तरों पर वे कार्य करने हेतु सक्षम हों।
- पूर्व निर्धारित प्रवेश तथा बहु–उपाधि प्राप्त करने हेतु निकास बिन्दुओं पर छात्रों को एक लचीलापन मुहैया कराना।
- एनएसक्यूएफ को उच्चतर शिक्षा के स्नातकपूर्व स्तर के भीतर समेकित करना ताकि स्नातकों को रोजगार मुहैया कराने की योग्यता तथा उद्योग की अपेक्षाओं की पूर्ति में वृद्धि की जा सके। ऐसे स्नातकों से स्थानीय, साथ ही राष्ट्र स्तर के उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अलावा वैश्विक जनशक्ति का भाग बनने हेतु पूर्ण रूप से सुसज्जित होने की भी आशा की जाती है।
- व्यवसाय से संबद्ध विषयों के साथ 10+2 उतीर्ण करने वाले छात्रों को आगे विविध अवसर उपलब्ध कराना।

कार्यक्रम की पाठ्यचर्या, व्यवसाय स्नातक कार्यक्रम के तहत 80 विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले चयनित महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में की सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट http://www.ugc.ac.in पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट-I

दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय, राज्य, राज्य निजी विश्वविद्यालय तथा राज्य विधान अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित संस्थान एवं समविश्वविद्यालय संस्थानों की राज्यवार सूची।

(क) 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालय

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
	आन्ध्र प्रदेश	
1.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद–500046	1974
2.	मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद–500032	1998
3.	द इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद–500007	1973 (2007 से केन्द्रीय वि.वि.)
	अरूणाचल प्रदेश	
4.	राजीव गाँधी विश्वविद्यालय, ईटानगर	1985 (2007 से केन्द्रीय वि.वि.)
	असम	
5.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर–788011	1994
6.	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर–784028	1994
	बिहार	
7.	बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, फणीश्वरनाथ रेणु, हिन्दी भवन, छज्जुबाग, पटना–1	2009
8.	नालन्दा विश्वविद्यालय, राजगीर, जिला नालन्दा, बिहार (केन्द्रीय अधिनियम के तहत स्थापित)	2010
	छत्तीसगढ़	
9.	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर–495009 (राज्य वि0वि0 से केन्द्रीय वि0वि0 में परिवर्तित)	1983 (2009 से केन्द्रीय वि.वि.)
	गुजरात	
10.	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, प्लॉट न0 95/1, सेक्टर–2ए, गाँधीनगर–3820007, गुजरात	2009
	हरियाणा	
11.	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, शासकीय महाविद्यालय, सेक्टर–14, महरौली रोड, गुड़गाँव	2009
	हिमाचल प्रदेश	
12.	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश	2009
	जम्मू और कश्मीर	
13.	जम्मू और कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कुरेशी मंजिल, 50–नसीमाबाद, सदरबाल, श्रीनगर–190006	2009
14.	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय,जम्मू	2009

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
	झारखण्ड	
15.	झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, स्टेट गेस्ट हॉउस, राँची–9, झारखण्ड	2009
	कर्नाटक	
16.	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, द्वितीय तल, कर्या सौधा, गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, गुलबर्गा–585106, कर्नाटक	2009
	केरल	
17.	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, एस0पी0–16/375,श्रीकर्याम, पो0बा0,–त्रिवेन्द्रम–695017, केरल	2009
	मध्य प्रदेश	
18.	डॉ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर–470003 (राज्य वि0वि0 से केन्द्रीय वि0वि0 में परिवर्तित)	1946 (2009 से केन्द्रीय वि.वि.)
19.	द इन्दिरा गाँधी नेशनल ट्राईबल यूनिवर्सिटी, अमरकण्टक, मध्य प्रदेश	2008
	महाराष्ट्र	
20.	महात्मा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा	1997
	मणिपुर	
21.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल–795004	1993
22.	मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल–795003	1980 (2005 से केन्द्रीय वि.वि.)
	मेघालय	
23.	नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग–793022	1973
	मिजोरम	
24.	मिजोरम विश्वविद्यालय, आईज़ौल–796012	2000
	नागालैण्ड	
25.	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, नागालैण्ड–797001	1994
	ओड़ीशा	
26.	ओड़शा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कैम्प कार्यालय–28/6 बेटिन पाल रोड एक्सटेन्शन, पी0ओ0–कालीघाट, कोलकाता–700026	2009
	पंजाब	
27.	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पो0बा0–55, भटिन्डा, पंजाब–151001	2009
	राजस्थान	
28.	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कमरा न0 2007,मुख्य भवन, सचिवालय,जयपुर, राजस्थान–302005	2009
	सिक्किम	
29.	सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक	2007
	तमिलनाडु	
30.	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केयर ऑफ कलेक्टरेट अनेक्सी, तिरूवारूर–610001, तमिलनाडु	2009
31.	इन्डियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई–600119	2008

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
	त्रिपुरा	
32.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला–799130	1987
	उत्तर प्रदेश	
33.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़–202002	1920
34.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद–211002	1887
35.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ –226025	1996
36.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी–221005	1916
37.	राजीव गांधी नेश्नल एवियेशन यूनिवर्सिटी, फुर्सतगंज, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश	
	उत्तराखण्ड	
38.	हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर–246174(राज्य विश्वविद्यालय से केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित)	1973 (2009 से केन्द्रीय वि.वि.)
	पश्चिम बंगाल	
39.	विश्व भारती विश्वविद्यालय, शान्तिनिकेतन–731235	1951
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	
40.	दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली –110007	1922
41.	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली–110068	1985
42.	जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली–110025	1988
43.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली–110067	1969
44.	सॉउथ एशियन यूनिवर्सिटी, सी.आर.एस. लैंग्वेज लैब बिल्डिंग, ओल्ड स्कूल ऑफ फिजिकल सांइसेज, जे.एन.यू. कैम्पस, नई दिल्ली–110067 (केन्द्रीय अधिनियम के तहत स्थापित)	2010
	पुदुचेरी	
45.	पुदुचेरी यूनिवर्सिटी, पुदुचेरी–605014	1985

नोट : *तीन विश्वविद्यालय नामतः (एक) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल,मणिपुर (दो) इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और (तीन) इंडियन मेरीटाईम यूनिवर्सिटी, चेन्नई–600119 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित नहीं है चूंकि इन्हें सीधे ही भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।*

(ख) 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार राज्य विश्वविद्यालय

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
	आंध्र प्रदेश	
1.	आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद–500030	1964
2.	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, नागार्जुन नगर, गुंटूर – 522510	1976
3.	अदिकवि नन्या विश्वविद्यालय, जया कृष्णपुरम, राजामुन्द्री – 533105 आन्ध्र प्रदेश *	2006
4.	आन्ध्रा विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम – 530003	1926
5.	दामोदरम संजीवैया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (पूर्व में ए.पी. यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के नाम से विख्यात) पैलेस लेऑउट, पेडावालटियार, विशाखापत्तनम – 530017 (आन्ध्र प्रदेश) (राज्य विश्वविद्यालय)*	2008
6.	डा. एन.टी.आर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ सांइसेज (पूर्व में ए.पी. यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ सांइसेज के नाम से विख्यात) विजयवाडा – 520008 (राज्य विश्वविद्यालय)*	1986
7.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, जुबली हिल्स, हैदराबाद – 500033	1982
8.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, एतचेरिया – 532410 श्रीकाकुलम*	2008
9.	द्रविड़यन विश्वविद्यालय, कुप्पम – 517425	1997
10.	डा. वाई.एस.आर. बागवानी विश्वविद्यालय, पी.ओ. बॉक्स नं. 7, वैंकटारमण्नगुंडम, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट – 536101, आन्ध्र प्रदेश*	2011
11.	जवाहर लाल नेहरू वास्तुशिल्प और ललित कला विश्वविद्यालय, महावीर मार्ग, मासाब टैंक, हैदराबाद – 500028*	2008
12.	जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अनन्तपुर	2008
13.	जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हैदराबाद – 500072	1972
14.	जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, काकीनाडा	2008
15.	काकतीया विश्वविद्यालय, वारंगल – 506009	1976
16.	कृष्णा विश्वविद्यालय, आन्ध्र जातीय कालासाला, कैम्पस, राजूपेटा, मछलीपट्टनम – 521001*	2008
17.	महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय, पनगल, नलगोण्डा – 500803, आन्ध्र प्रदेश (पूर्व में इस विश्वविद्यालय का नाम नलगोण्डा विश्वविद्यालय था)	2008
18.	नेशनल अकादमी ऑफ लीगल स्टडीज एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी, हैदराबाद – 500027	1999
19.	ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद – 500007	1918
20.	पालामुरू विश्वविद्यालय, अयप्पा कॉम्पलेक्स, पुलिस मुख्यालय के सामने, महबूब नगर – 509001 आन्ध्र प्रदेश*	2008
21.	पोट्टी श्रीरामुलू तेलगू विश्वविद्यालय, हैदराबाद–500004	1985
22.	रायलसीमा विश्वविद्यालय, कूरनूल – 518002*	2008
23.	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेकनोलाजीज़, हैदराबाद*	2011
24.	सातवाहन विश्वविद्यालय, ज्योतिनगर, करीमनगर – 505001*	2008
25.	श्री कृष्णा देवराय विश्वविद्यालय, अनन्तापुर – 515003	1981
26.	श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय, तिरूपति – 517502	1983

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
27.	श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, तिरूपति – 517507	1954
28.	श्री वेंकटेश्वरा वेदिक विश्वविद्यालय, पुरुन्देरादास कॉम्पलेक्स, परकासम रोड़, तिरूपति*	2006
29.	श्री वेंकटेश्वरा वैटेरीनरी यूनिवर्सिटी, एडमिन ऑफिस, रीजनल लाइब्रेरी बिल्डिंग, तिरूपति – 517502*	2005
30.	श्री वेंकटेश्वरा इस्टीट्यूट ऑफ मेडीकल साइंसेज, तिरूपति – 517507	1993
31.	तेलंगाना विश्वविद्यालय, निजामाबाद – 503002*	2006
32.	विक्रम सिम्हापुरी विश्वविद्यालय, नेल्लोर – 524003*	2008
33.	योगी वेमाना विश्वविद्यालय, वेमानापुरम, कदप्पा – 516003	2006
	असम	
34.	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट – 785013	1968
35.	असम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ को–ऑपरेटिव मेनेजमेंट, शिवसागर, गुवाहाटी, असम*	2010
36.	असम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, काहीलीपारा, गुवाहाटी – 19 असम*	2011
37.	बोडोलैण्ड विश्वविद्यालय, डिब्रुगढ़, डाकघर रंगालोखेटा, कोकराझार, 783370, बीटीसी, असम*	2009
38.	कॉटन कॉलेज राज्य विश्वविद्यालय, पान बाजार, गुवाहाटी, असम (राज्य विश्वविद्यालय) *	2011
39.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रुगढ़ – 786004	1965
40.	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी – 781014	1948
41.	कृष्णकान्त हान्डीक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, लास्ट गेट, दिसपुर, गुवाहाटी – 781006*	2007
42.	कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत एवं पुरातन अध्ययन विश्वविद्यालय, नलबाड़ी–781335, असम*	2011
43.	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एण्ड जूडीशियल अकादमी, एनइजेओटीआई बिल्डिंग, बी.के. काकाती रोड, भोलानाथ मंदिर पथ, उलूबेरी, गुवाहाटी – 781007, असम*	2012
44.	श्रीमंत शकरादेव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नरकासुर हिलटॉप, भंगागढ़, गुवाहाटी, असम	2007
	बिहार	
45.	आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, 8, ऑफिस पोलो रोड़, पटना – 800001*	2008
46.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर – 842001	1952
47.	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, साबोर, भागलपुर, 813210, बिहार*	2010
48.	भूपेन्द्र नारायन मण्डल यूनिवर्सिटी, मधेपुरा – 852113	1993
49.	चाणक्य नेशनल विधि विश्वविद्यालय, ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टैडीज़ कैम्पस, गांधी मैदान, पटना–800001	2006
50.	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा 841301	1995
51.	के.एस. दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा – 846008	1961
52.	ललित नारायन मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा – 846008	1972
53.	मगध विश्वविद्यालय, बोध गया – 824234	1962
54.	मौलाना मजहारूल हक अरेबिक एण्ड पर्शियन यूनिवर्सिटी, 3 पोलो रोड़, पटना – 800001 (बिहार)*	2004

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
55.	नालन्दा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना – 800001*	1995
56.	पटना विश्वविद्यालय, पटना – 800005	1917
57.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर – 848125	1970
58.	टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर – 812007	1960
59.	वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा – 802301	1994
	छत्तीसगढ़	
60.	छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जी.ई. रोड़, रायपुर, छत्तीसगढ़ (राज्य विश्वविद्यालय)*	2008
61.	बस्तर विश्वविद्यालय, जगदालपुर, जिला – बस्तर*	2008
62.	बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़*	2011
63.	छत्तीसगढ कामधेनू विश्वविद्यालय, दुर्ग–491001, छत्तीसगढ*	2011
64.	छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, नार्थ पार्क एवेन्यू, सेक्टर – 8, भिलाई 490009 (छत्तीसगढ)*	2004
65.	हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सिविल लाइन, रायपुर – 492001	2003
66.	इन्दिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर – 492006	1987
67.	इन्दिरा गाँधी कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ – 491881	1956
68.	कुशाभाउ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)*	2004
69.	पण्डित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर – 492010	1964
70.	पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वबिद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़*	2004
71.	सरगूजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर*	2008
	गोवा	
72.	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा – 403206	1985
	गुजरात	
73.	आणंद कृषि विश्वविद्यालय, आणंद*	2004
74.	महाराजा कृष्णकुमारसिंहजी, भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर – 364002	1978
75.	सेंटर फॉर एनवार्यमेन्टल प्लानिंग एण्ड टैक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय मार्ग, नरवरंगापुरा, अहमदाबाद – 380009 (गुजरात)*	2005
76.	चिल्ड्रन्स यूनिवर्सिटी, सुभाष चन्द्र बोस शिक्षण संकुल, सेक्टर – 20, गांधीनगर, गुजरात*	2009
77.	धर्मसिंह देसाई विश्वविद्यालय, कॉलेज रोड़, नाडियाड – 387001 (गुजरात) (सम विश्वविद्यालय से राज्य विश्वविद्यालय में परिवर्तित)	2000
78.	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय अहमदनगर – 380003*	1995
79.	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय सरदार क्रूशीनगर, बनसकाँथा – 385506	1972
80.	गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर – 361008	1968
81.	गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अट्टालिका एवेन्यू, नालेज कॉरीडोर, कोबा, गाँधीनगर – 382007	2003

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
82.	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद – 380009	1950
83.	गुजरात प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, जेएसीपीसी बिल्डिंग, एल.डी. कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कैम्पस, नवरंगापुरा, अहमदाबाद, गुजरात*	2007
84.	गुजरात फोरेन्सिक साईस यूनिवर्सिटी, सैक्टर 18/ए, पुलिस भवन के निकट, गाँधीनगर – 382007 गुजरात*	2008
85.	हेमचन्द्र आचार्य नार्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, पी.बी. नम्बर 21, यूनिवर्सिटी रोड़, पाटन – 384265	1986
86.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, शासकीय महाविद्यालय परिसर, महात्मा मंदिर के निकट, जी–4, सेक्टर – 15, गांधीनगर, 382016, गुजरात*	2010
87.	क्रान्तिगुरू श्यामजी कृष्णवर्मा कच्छ विश्वविद्यालय, सीएस–60, जुबली ग्राउंड, भुज–कच्छ – 370001*	2004
88.	महाराजा सायाजीरॉव बड़ोदा विश्वविद्यालय, वडोढ़रा – 390002	1949
89.	रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, न्यू मेंटर कारनर, मेघनीनगर, अहमदाबाद – 380016, गुजरात*	2011
90.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर – 388120	1955
91.	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट – 360005	1955
92.	साउथ गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत – 395007	1965
93.	श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, तालुक वेरावल, जिला जूनागढ़ – 362265 (गुजरात)*	2005
94.	स्वर्णिम गुजरात स्पोर्टस, यूनिवर्सिटी, सेक्टर – 19, पुनीत वन रोड़, सुविधा केन्द्र, पीटीसी बिल्डिंग कैम्पस के निकट, गांधीनगर, 382019, गुजरात*	2011
	हरियाणा	
95.	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत, हरियाणा	2006
96.	चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा	2003
97.	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार – 125004	1970
98.	दीनबन्धु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरूथल, हरियाणा	2006
99.	पं. भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिज, रोहतक, हरियाणा	2008
100.	गुरू जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार – 125001	1995
101.	इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर, रेवाडी–122502, हरियाणा	2013
102.	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र – 136119	1956
103.	लाला लाजपत राय यूनिविर्सिटी ऑफ वेटेनरी एण्ड एनीमल साइंस, हिसार – 125004, हरियाणा*	2010
104.	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक – 124001	1976
105.	वाईएमसीए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद – 121006, हरियाणा*	2009
	हिमाचल प्रदेश	
106.	डॉ. वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टीकल्चर एण्ड फॉरेस्टरी यूनिवर्सिटी, नौनी – 173230	1986
107.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला – 171005	1970
108.	चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर – 176062	1978

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
109.	हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, शासकीय बहुकला संस्थान, बारू, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश*	2010
	जम्मू और कश्मीर	
110.	बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय, राजौरी कैम्प ऑफिस, बाईपास रोड़, चन्नी हिम्मत के सामने, जम्मू*	2005
111.	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर – 190006	1949
112.	शेर–ए–कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर – 191121	1982
113.	शेर–ए–कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, छत्ता, जम्मू–180009	1999
114.	श्री माता वैष्णों देवी विश्वविद्यालय, कैम्प ऑफिस : 27 ए/डी, गांधीनगर, जम्मू – 180004	2004
115.	इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी एवेन्यू, आवन्तिपुरा, पुलवामा–192122 (जम्मू और कश्मीर)	2005
116.	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मूतवो 180006	1968
	झारखण्ड	
117.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची – 834006	1980
118.	कोल्हन विश्वविद्यालय, चाइबासा, पश्चिम सिंहभूमि (झारखण्ड)*	2007
119.	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज इन लॉ, बहुकला संस्थान परिसर, बीआईटी, मेसरा, रांची–835217, झारखण्ड*	2010
120.	नीलाम्बर–पीताम्बर विश्वविद्यालय, मादीनीनगर, पलामू – 822101*	2007
121.	राँची विश्वविद्यालय, राँची – 834001	1960
122.	सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका – 814101	1992
123.	विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग – 825301	1993
	कर्नाटक	
124.	बंगलूरू विश्वविद्यालय, बंगलूरू – 560056	1964
125.	दावनगिरी विश्वविद्यालय, शिवगंगोत्री, दावनगिरी – 577002 कर्णाटक (राज्य विश्वविद्यालय)	2009
126.	गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा – 585106	1980
127.	कन्नड विश्वविद्यालय, हम्पी, जिला बेलारी, कमालपुरा – 583276	1992
128.	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ – 580003	1949
129.	कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय, बीजापुर – 586101 (कर्नाटक)	2004
130.	कुवेम्पू विश्वविद्यालय, शंकरघट्टा – 577451	1987
131.	कर्नाटक वेट्रिनेरी एनीमल एण्ड फिशरीज साइंसेज यूनिवर्सिटी, नन्दीनगर, पीबी नं. 6, बीदर–585401 (कर्नाटक)*	2004
132.	कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय, हुबली*	2009
133.	कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूर – 570006*	1996
134.	कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय, बंगलूरू – 580018*	2011
135.	कर्नाटक फोकलोर यूनिवर्सिटी, 2/106, केएएसएसआईए बिल्डिंग, तीसरा तल, 17वां क्रॉस, मागडी कोर्ड रोड़, विजयनगर, बंगलूरू – 460040, कर्नाटक*	2011

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
136.	केएसजीएच संगीत एवं अभिनय कला विश्वविद्यालय, एलजेबी रोड़, नियर अशोक सर्कल, लक्ष्मीपुरम, मैसूर – 570004, कर्नाटक*	2009
137.	मैंगलोर विश्वविद्यालय, मैंगलोर – 574199	1980
138.	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर – 570005	1916
139.	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलूरू – 560072	1992
140.	राजीव गाँधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी, बंगलूरू – 560041*	1994
141.	रानी चेन्नम्मा विश्वविद्यालय, विद्यासंगम, एनजी–4, पीबी हाइवे, बेलागावी – 591156, कर्नाटक*	2010
142.	तुमकुर विश्वविद्यालय, प्रथम तल, डा. बी.आर. अम्बेडकर भवन, एमजी रोड़, तुमकुर – 572101 (कर्नाटक)*	2004
143.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलूरू–560065	1964
144.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ – 580005	1986
145.	विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, बेलगाम – 590010*	1999
146.	विजयनगर श्रीकृष्णदेवराय विश्वविद्यालय, जनाना सागर कैम्पस, विनयका नगर, छावनी, बेल्लारी–583104 कर्नाटक*	2010
	केरल	
147.	कालीकट यूनिवर्सिटी, त्रिची पालारी, मालापुरम जिला, कोझीकोड – 673635	1968
148.	कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, कोच्ची – 682022	1971
149.	कन्नूर विश्वविद्यालय, कन्नूर – 670562	1997
150.	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिसूर – 680656	1972
151.	केरल विश्वविद्यालय, तिरूवन्नतपुरम – 695034	1937
152.	केरल यूनिवर्सिटी आफ फिशरीज एण्ड ओशन स्टडीज, पनागढ़, कोच्ची – 682506 केरल (राज्य विश्वविद्यालय) *	2011
153.	केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, थ्रिसूर – 680596 केरल *	2011
154.	केरल यूनिवर्सिटी आफ वेटेनरी एण्ड एनीमल साइंस, पोकोट लाकीदी पीओ, वायनाड, केरल (राज्य विश्वविद्यालय) *	2011
155.	महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम – 686560	1983
156.	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांसड् लीगल स्टडीज (एन.यू.ए.एल.एस.) कालोर, कोच्चि – 682017, केरल*	2009
157.	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कलाडी – 683574	1994
158.	थुनछट एजुथाचन मलयालम विश्वविद्यालय, मोहल विलास, पुकायिल, डाकघर तिरूर, जिला मल्लपुरम, केरल–676107	2013
	मध्य प्रदेश	
159.	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा – 486003	1968
160.	अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, एम.पी. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय परिसर, कोलार मार्ग, भोपाल – 462016 मध्य प्रदेश*	2011
161.	बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल – 462026	1970

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
162.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर – 452001	1964
163.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर – 482004	1964
164.	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर – 474011	1964
165.	महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट – 485331, जिला सतना (राज्य विश्वविद्यालय)	1993
166.	महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जबलपुर – 482001*	1995
167.	एम.पी.भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल – 462016	1995
168.	माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल – 462039*	1993
169.	महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय, उज्जैन*	2008
170.	नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सिविल लाइन, जबलपुर – 482001 मध्य प्रदेश*	2009
171.	नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भादभादा रोड, बारकेरी कलां, भोपाल	1999
172.	राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, महादाजी चौक, अचलेश्वर मार्ग, ग्वालियर, 474009, मध्य प्रदेश*	2009
173.	राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल – 462036	2004
174.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर – 482001	1957
175.	राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, मेला ग्राउंड के सामने, रेस कोर्स रोड़ ग्वालियर,–474002, मध्य प्रदेश*	2009
176.	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन – 456010	1957
	महाराष्ट्र	
177.	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद – 431004	1958
178.	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लोनेरे – 402103	1992
179.	डॉ, पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला – 444104	1969
180.	गोडवाना विश्वविद्यालय, एमआईडीसी रोड कॉम्पलेक्स, गढ़चिरोली, 422605, महाराष्ट्र*	1994
181.	कवि कुलगुरू कालोदास संस्कृत विश्वविद्यालय, नागपुर – 441106	1997
182.	कोंकण कृषि विद्यापीठ दपोली, जिला रत्नागिरि – 415712	1972
183.	महाराष्ट्र एनीमल एण्ड फिशरीज साइंसेज यूनिवर्सिटी, सेमीनारी हिल्स, नागपुर – 440006*	2002
184.	महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नासिक – 422013*	2000
185.	महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहुरी – 413722	1968
186.	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभानी – 431402	1983
187.	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई – 400032	1857
188.	नार्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जलगाँव – 425001	1991
189.	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे – 411007	1949
190.	संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती – 444602	1983

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
191.	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर – 416004	1962
192.	श्रीमती नाथीबाई दमोदर थाकरसे महिला विश्वविद्यालय मुम्बई – 400020	1951
193.	शोलापुर विश्वविद्यालय, शोलापुर पुणे रोड़, केगांव, शोलापुर – 413255	2004
194.	स्वामी रामानन्द तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, नादेंड – 431606	1995
195.	यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक – 440001	1990
196.	दि राष्ट्रसंत तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर – 422222 (महाराष्ट्र)	1923
	ओड़ीशा	
197.	बेरहामपुर विश्वविद्यालय, बेरहामपुर – 760007	1967
198.	बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्नोलॉजी, राउरकेला*	2003
199.	फकीर मोहन विश्वविद्यालय, बालासोर – 596019	1999
200.	उत्तरी ओड़िशा विश्वविद्यालय, बारीपेडा, जिला मयूरभंज – 757003, भुवनेश्वर	1999
201.	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पोस्ट बॉक्स–28, कटक – 753001 ओड़ीशा	2008
202.	ओड़िशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर – 751003	1962
203.	रावेनशाह विश्वविद्यालय, कटक – 753003,	2005
204.	सम्भलपुर विश्वविद्यालय, सम्भलपुर – 768019 – 752003	1967
205.	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी – 752003	1981
206.	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर 751004	1943
207.	उत्कल संस्कृति विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर – 751009*	1999
208.	वीर सुरेन्द्र सांई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पी.ओ. बुरला इंजीनियरिंग कॉलेज, जिला सम्बलपुर, ओडीशा (राज्य विश्वविद्यालय)	2009
	पंजाब	
209.	बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंसंज, सादीक रोड़, फरीदकोट – 151203	2002
210.	गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर – 143005	1969
211.	गुरू अंगददेव वेट्रिनेरी एण्ड एनीमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, लुधियाना – 141004	2005
212.	गुरू रविदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधमल, होशियारपुर, पंजाब*	2010
213.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना – 141004	1962
214.	पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, जालंधर – 141011*	1998
215.	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला – 147002	1962
216.	द राजीव गाँधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पटियाला – 147001	2006
	राजस्थान	
217.	हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंपर्क विश्वविद्यालय, सूचना केन्द्र संकुल, सवाई राम सिंह मार्ग, जयपुर–302004, राजस्थान	2012

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
218.	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर – 342011	1962
219.	जगद्गुरू रामानन्दाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, 2–2ए, झालना डोंगरी, जयपुर (राजस्थान)*	1998
220.	वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा – 324010	1987
221.	महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर – 313001*	2000
222.	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर – 305009	1987
223.	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर – 313001	1962
224.	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर – 342004	2004
225.	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर – 334006	1987
226.	राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर *	2004
227.	सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय,जोधपुर, राजस्थान	2012
228.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर – 302004	1947
229.	राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, बी–1, सवाई मानसिंह रोड़, (एसएमएस अस्पताल के सामने) जयपुर *	2005
230.	राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटेनरी एण्ड एनीमल साइंसेज, बीकानेर, राजस्थान*	2010
231.	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैसलमेर रोड़, बीकानेर, राजस्थान* (पूर्व में यह बीकानेर विश्वविद्यालय, 23, सिविल लाइन्स, बीकानेर था)	2003
232.	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, अखेलगढ़, रावतभाटा रोड़, कोटा*	2006
233.	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)	2003
	तमिलनाडु	
234.	अलगप्पा विश्वविद्यालय, अलगप्पा नगर, कराईकुडी – 630003	1985
235.	अन्ना विश्वविद्यालय, गुंडई, चेन्नई – 600025*#	1978
236.	अन्ना मलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर – 608002	1929
237.	भरथियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर – 641046	1982
238.	भारथीदासन विश्वविद्यालय, त्रिचुरापल्ली – 620024	1982
239.	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई – 600005	1857
240.	मदुराई कामराज विश्वविद्यालय, मदुराई – 625021	1965
241.	मनोनमनीयम सुन्दरनार विश्वविद्यालय, तिरूनेलवेल्ली – 627012	1992
242.	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोडाईकनाल – 624102	1984
243.	पेरियार विश्वविद्यालय, सेलम – 636011	1998
244.	तमिल विश्वविद्यालय, थंजावुर – 613005	1981
245.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर – 641003	1971
246.	तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय, तकनीकी शिक्षा निदेशालय परिसर, गुंडई, चेन्नई – 600025*	2004
247.	तमिलनाडु डॉ. अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, चेन्नई – 600028	1998

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
248.	तमिलनाडु डॉ. एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी अन्ना सलाई, चेन्नई – 600032	1989
249.	तमिलनाडु मत्सियिकी विश्वविद्यालय, प्रथम लाईनबीच रोड, नागापट्टनम–611001, तमिलनाडु	2012
250.	तमिलनाडु नेशनल लॉ स्कूल, नवालूर, कुट्टापट्टू, श्रीरंगम तालुक, त्रिचुरापल्ली – 620009, तमिलनाडु*	2012
251.	तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, आठवां तल, ईवीए सम्पत, मालीगई, कॉलेज रोड, चेन्नई*	2005
252.	तमिलनाडु वेट्रिनेरी एण्ड एनीमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, चेन्नई – 600051	1990
253.	थिरूवल्लूर विश्वविद्यालय, फोर्ट, वेल्लोर – 632004*	2003
254.	तमिलनाडु टीचर्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी, कामराजर सलाई, चेन्नई – 600005*	2008
	उत्तर प्रदेश	
255.	बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी – 284128	1975
256.	चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर – 208002	1974
257.	छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर – 208024	1965
258.	चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ –250005	1965
259.	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर – 273009	1957
260.	डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद – 224001	1975
261.	डॉ. राममनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सेक्टर – डी–1, एल.डी. 'ए', कानपुर रोड़ स्कीम, लखनऊ	2005
262.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा – 282004	1927
263.	गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, जिला – गौतमबुद्ध नगर, उ.प्र. – 201308*	2002
264.	ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी–फारसी विश्वविद्यालय, 619, इंदिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश.*	2010
265.	किंग जार्ज आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, लखनऊ – 226003*	2004
266.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ – 226007	1921
267.	एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली – 243006	1975
268.	महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी – 221002	1974
269.	महामाया तकनीकी विश्वविद्यालय, सी–22, सेक्टर–62, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश –201301*	2010
270.	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद – 224229	1974
271.	सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी – 221002	1958
272.	सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ – 250110 (उत्तर प्रदेश)*	2004
273.	यू.पी. किंग जार्ज दंत चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, लखनऊ – 226003 (उ.प्र.)*	2004
274.	यू.पी. राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, 17, महर्षि दयानन्द मार्ग, (थार्नहिल रोड़) इलाहाबाद–211001 (उत्तर प्रदेश)*	2004
275.	उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, सीतापुर रोड़, लखनऊ – 226021*	2001
276.	उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डॉ. शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय, मोहन रोड़, लखनऊ, उत्तर प्रदेश *	2008

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
277.	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर – 222002	1987
	उत्तराखण्ड	
278.	दून विश्वविद्यालय, कैम्पस कार्यालय, 388/2, इंदिरा नगर, देहरादून	2005
279.	जी.बी. पंत कृषि और प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, पंतनगर – 263145	1960
280.	कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल – 263001	1973
281.	श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बड्शाहीथोल, टीहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड–249199	2011
282.	उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, 7–ए, प्लेजेन्ट वेली, राजपुर रोड़, देहरादून – 248009, उत्तराखण्ड*	2009
283.	उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार– 249401 (उत्तरांचल)*	2005
284.	उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, ए–12, सरस्वती विहार, लवर अघोवाला, पोस्ट–धालानवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड*	2008
285.	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, ट्रांसपोर्ट नगर के निकट, तीनपानी बाई पास रोड़, पोस्ट–औद्योगिक एस्टेट, हल्द्वानी – 263139 (नैनीताल), उत्तराखण्ड (राज्य विश्वविद्यालय) *	2005
	पश्चिम बंगाल	
286.	आलिया विश्वविद्यालय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल*	2007
287.	बिधान चन्द्रा कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर, नाडिया – 741252	1974
288.	वर्द्धमान विश्वविद्यालय, राजबाती, वर्द्धमान – 713104	1960
289.	कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता – 700073	1857
290.	जाधवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता – 700032	1955
291.	गौर बंग विश्वविद्यालय, रविन्द्र एवेन्यू, मालदा कॉलेज परिसर, पोस्ट बॉक्स. एवं जिला – मालदा – 732101*	2007
292.	कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी – 741235	1960
293.	काजी नजरूल विश्वविद्यालय, पुराना एडीडीए कार्यालय भवन (आसनसोल बालिका महाविद्यालय के पीछे) डाकघर– आसनसोल– 713304, जिला– वर्द्धवान, पश्चिम बंगाल .	2012
294.	नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, राजा राम मोहनपुर, दार्जलिंग – 734430	1962
295.	नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, कोलकाता – 700020*	1997
296.	प्रेजीडेंसी विश्वविद्यालय, 86/1 कॉलेज स्ट्रीट, कोलकाता – 700073, पश्चिम बंगाल	2010
297.	रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय, कोलकाता – 700050	1962
298.	सिद्धो कान्हो बिरसा विश्वविद्यालय, परिबेस भवन, 10ए, ब्लॉक – एलए, सेक्टर–3, साल्ट लेक, कोलकाता–700098*	2010
299.	द बंगाल इंजीनियरिंग एण्ड साइंस यूनिवर्सिटी, शिवपुर, हावड़ा – 711103 (सम विश्वविद्यालय से राज्य विश्वविद्यालय में परिवर्तित)	2004
300.	द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंस, एनयूजेएस भवन, 12 एलबी ब्लॉक, सेक्टर–3, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता	2004
301.	द वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, डीडी–36, सेक्टर–1, साल्ट लेक, कोलकाता – 700064*	2002

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
302.	उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय, जिला – कूच बिहार – 736165*	2001
303.	विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर – 721102	1981
304.	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनीमल एण्ड फिशरीज साइंसेज, बेलगाचिया, कोलकाता – 700037*	1995
305.	वेस्ट बंगाल तकनीकी विश्वविद्यालय, बीएफ–142, साल्ट लेक, कोलकाता – 700091	2001
306.	वेस्ट बंगाल राज्य विश्वविद्यालय, बरसात शासकीय महाविद्यालय, एनेक्सी बिल्डिंग, 10 केएनसी रोड़, कोलकाता – 700124*	2007
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	
307.	भारत रत्न डॉ बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लोथियान रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली – 110006	2007
308.	दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, शाहबाद दौलतपुर, बवाना रोड़, दिल्ली (राज्य विश्वविद्यालय)	2009
309.	गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली – 110006	1998
310.	इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली – 110006.	2013
311.	इन्द्रप्रस्थ इंस्टिट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नियर गोविन्दपुरी मेट्रो स्टेशन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेस–3, नई दिल्ली – 110020	2008
312.	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सेक्टर–14, द्वारका, नई दिल्ली.	2008
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र चण्डीगढ़	
313.	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ – 160014	1947

* (वि.अ.आ. अधिनिनियम, 1956 की धारा 12 (ख) के तहत केन्द्रीय/वि.अ.आ. द्वारा सहायता प्राप्त करने के लिये अपात्र घोषित)

 # निम्नलिखित राज्य विश्वविद्यालयों से संबंधित अधिनियमों का तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011 के अधिनियम सं. 20 के माध्यम से निरसन कर दिया गया था। निम्नलिखित विश्वविद्यालय उनके समक्ष उल्लिखित अवधि के लिए वैध है:–

(क) अन्ना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलाजी, चेन्नई (19.06.2010 से 01.08.2012)

(ख) अन्ना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलाजी, तिरूचिरापल्ली (01.02.2007 से 01.08.2012)

(ग) अन्ना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलाजी, कोयम्बटूर (01.02.2007 से 01.08.2012)

(घ) अन्ना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलाजी, तिरूनेलवल्ली (17.07.2007 से 01.08.2012)

(ड.) अन्ना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलाजी, मदुरई (19.06.2010 से 01.08.2012)

(ग) 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार निजी विश्वविद्यालय		
क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना का वर्ष
	अरूणाचल प्रदेश	
1.	एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पासीघाट, जिला ईस्ट सियांग, अरूणाचल प्रदेश–791102	10.05.2013
2.	अरूणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़, एनएच–52, नामसाई, जिला नामसाई,–792103, अरूणाचल प्रदेश	26.05.2012
3.	हिमालयन यूनीवर्सिटी, 401, टकर काम्पलैक्स, नाहरलगुन, इटानगर, जिला– पापुमपारे– 791110, अरूणाचल प्रदेश	03.05.2013
4.	द इंदिरा गांधी टेक्नॉलोजी एण्ड मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी, जीरो, अरूणाचल प्रदेश	26.05.2012
5.	वेंकटेश्वरा मुक्त विश्वविद्यालय, ईटानगर, अरूणाचल प्रदेश	20.06.2012
	असम	
6.	असम डॉन बोस्को यूनिवर्सिटी, अजारा, गुवाहाटी	12.02.2009
7.	असम डॉउन टॉउन यूनिवर्सिटी, शंकर महादेव पथ, गांधी नगर, पानीखेती, गुवाहाटी – 781036	29.04.2010
8.	द असम काजीरंगा यूनिवर्सिटी, जोरहाट, असम	11.04.2012
	छत्तीसगढ़	
9.	डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, कारगी रोड़, कोटा, बिलासपुर	03.11.2006
10.	आईसीएफएआई विश्वविद्यालय, रा०रा०–6, रायपुर–भिलाई रोड़, ग्राम–छोरहा, आरआई सर्कल, अहीवारा, धामधा, जिला–दुर्ग, छत्तीसगढ़	24.03.2011
11.	आईटीएम विश्वविद्यालय, पीएच नं. 137, उपावाड़ा, नया रायपुर, जिला–रायपुर – 493661, छत्तीसगढ़	03.02.2012
12.	कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़	24.03.2011
13.	महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, पोस्ट मंगला, बिलासपुर – 495001	18.04.2002
14.	मैट्स (एम.ए.टी.एस.) विश्वविद्यालय, अरंग खारोरा हाइवे, ग्राम पंचायत, गुल्लू, ग्राम–गुल्लू, तहसील–अरंग, जिला–रायपुर	03.11.2006
	गुजरात	
15.	अहमदाबाद विश्वविद्यालय,एईएस बंगलो नं0 – 2, नवरंगपुरा, अहमदाबाद – 380009	07-07-2009
16.	एयूआरओ यूनिवर्सिटी ऑफ हास्पिटेलिटी एण्ड मेनेजमेंट, सूरत, गुजरात	12.10.2011
17.	केलारेक्स टीचर्स यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद	07.07.2009
18.	चरोत्तर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, छंगा – 388421, जिला – आनन्द	04.11.2009
19.	सी0यू0 शाह विश्वविद्यालय, सुरेन्द्रनगर–अहमदाबाद राज्य राजमार्ग, कोथारिया गांव के निकट, वधावन सिटी–363030, जिला सुरेन्द्रनगर, गुजरात	22.04.2013
20.	धीरूभाई अंबानी इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टैक्नोलॉजी, गाँधीनगर, पोस्ट बॉक्स नं. 4, गांधी नगर, 382007	06.03.2003
21.	गणपत विश्वविद्यालय, गणपत विद्यानगर, मेहसाणा, गोजारिया हाइवे, जिला मेहसाणा – 382711	23.03.2005
22.	इन्डस विश्वविद्यालय, इडंस कैम्पस, रणचारदा, वाया–थालटेज, अहमदाबाद – 382115 – गुजरात	02.05.2012
23.	कादी सर्व विश्वविद्यालय, सर्व विद्यालय कैम्पस, सेक्टर 15/23, गाँधीनगर	16.05.2007

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना का वर्ष
24.	नवरचना विश्वविद्यालय, वसना–भयली रोड़, वडोदरा–391410, गुजरात	07.07.2009
25.	निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, सरखेज, गांधीनगर हाइवे, ग्राम छोरीडी, अहमदाबाद	12.3.2003
26.	पं. दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, एट रायसेन, जिला गाँधीनगर – 382009	04.04.2007
27.	आर.के. यूनिवर्सिटी, राजकोट–भावनगर हाइवे, कस्तूरबाधाम, राजकोट, गुजरात	14.10.2011
28.	राय विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, गुजरात	02.05.2009
29.	यूकेए तारसाडिया विश्वविद्यालय, मालिबा कैम्पस, गोपाल विद्यानगर, बारोली–महुआ रोड़, जिला–सूरत, गुजरात	14.10.2011
	हरियाणा	
30.	एमिटी यूनिवर्सिटी, एमिटी एजुकेशन वैली, पंचगांव, मानेसर, जिला – गुड़गाँव – 122413, हरियाणा	26.04.2010
31.	अंसल विश्वविद्यालय, गुड़गाँव, हरियाणा	10.02.2012
32.	एपीजे स्टॅाय यूनिवर्सिटी, पलवल रोड़, सोहना, गुड़गाँव – 122103, हरियाणा	02.11.2010
33.	बाबा मस्त नाथ विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा	10.02.2012
34.	जी0डी0 गोएनका विश्वविद्यालय, जी.डी. गोएनका एजूकेशन सिटी, गुड़गांव सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा–122103	03.05.2013
35.	आई.टी.एम. विश्वविद्यालय, गुड़गाँव	21.10.2009
36.	जगन्नाथ विश्वविद्यालय, राज्य राजमार्ग संख्या 22, बहादुरगढ़, – झझर रोड, झझर – 124507, हरियाणा	03.05.2013
37.	के0आर0 मंगलम विश्वविद्यालय, सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा–122103	03.05.2013
38.	एमवीएन विश्वविद्यालय, पलवल, हरियाणा	10.02.2012
39.	महर्षि मारकंडेश्वर विश्वविद्यालय, सादोपुर, जिला अम्बाला, हरियाणा	29.10.2010
40.	एनआईआईएलएम विश्वविद्यालय, 9केएम माईलस्टोन, रा0रा0–65, कैथल – 136027, हरियाणा	27.09.2011
41.	ओ.पी. जिन्दल ग्लोबल विश्वविद्यालय, सोनीपत	10.11.2006
42.	श्री गुरू गोबिन्द सिंह ट्राईसेनेटरी यूनीवर्सिटी, फारूख नगर रोड, बुधेरा, जिला गुडगांव, हरियाणा	03.05.2013
43.	एसआरएम विश्वविद्यालय, प्लॉट संख्या 39, राजीव गांधी एजूकेशन सिटी, दिल्ली–एनसीआर, सोनीपत–कुंडली अर्बन काम्पलेक्स, हरियाणा– 131029	03.05.2013
	हिमाचल प्रदेश	
44.	एपीजी (अलख प्रकाश गोयल) विश्वविद्यालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश	07.06.2012
45.	अरनी विश्वविद्यालय, काठगढ़, तहसील इंदोरा, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)	03.11.2009
46.	बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एण्ड टैक्नोलॉजी, मखनुमाजरा, बद्दी, जिला – सोलन	15.10.2009
47.	बरहा विश्वविद्यालय, वीपीओ – वाकनाघाट, तहसील – कांडाघाट, जिला – सोलन, हिमाचल प्रदेश	21.01.2011
48.	कैरियर प्वॉइंट यूनिवर्सिटी, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश	03.05.2012
49.	चितकारा विश्वविद्यालय, एचआईएमयूडीए एजुकेशन हब, कल्लूझण्डा (बरोतीवाला), जिला सोलन – 174103	21.01.2009
50.	एटरनल विश्वविद्यालय, बारू साहिब हिमाचल	22.10.2009
51.	आईईसी (इंडिया एजुकेशन सेंटर) यूनिवर्सिटी, बद्दी, सोलन, हिमाचल प्रदेश	11.05.2012

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना का वर्ष
52.	आईसीएफएआई, यूनिवर्सिटी, एचआईएमयूडीए एजुकेशन हब, कालूजिहिन्दा, पीओ मंघाला, वाया बारोतीवाला, बद्दी, जिला – सोलन, हिमाचल प्रदेश – 174103	20.10.2011
53.	इन्डस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वी.पी.ओ. बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश– 174301	01.02.2010
54.	जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, जिला सोलन – 173215	22.05.2002
55.	महर्षि मरकण्डेश्वर यूनिवर्सिटी, कुमारहाटी, सुल्तानपुर रोड़, सोलन – 173229, हिमाचल प्रदेश	19.09.2010
56.	महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, अटल शिक्षा कुंज, जिला – सोलन – 174103, हिमाचल प्रदेश	15.01.2013
57.	मानव भारती विश्वविद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश	22.09.2009
58.	शूलनी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉयोटेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेण्ट साइंसेज, सोलन	15.10.2009
59.	श्री साईं विश्वविद्यालय, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश	27.01.2011
	झारखण्ड	
60.	झारखण्ड राय विश्वविद्यालय, झारखण्ड	02.02.2012
61.	साई नाथ विश्वविद्यालय, रांची, झारखण्ड	27.04.2012
62.	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, ग्रांड एमरेल्ड बिल्डिंग, मार्ग संख्या 1 और 2 के बीच में, अशोक नगर, राँची – 834202, झारखण्ड	17.06.2008
	कर्नाटक	
63.	अलॅायन्स यूनिवर्सिटी, बंगलूरू (कर्नाटक)	16.09.2010
64.	अजीम प्रेमजी, यूनिवर्सिटी, 134, दोधकनेली, विप्रो कारपोरेट ऑफिस के बाद, सर्जापुर रोड़ बैंगलूरू, कर्नाटक	13.10.2010
65.	सीएमआर विश्वविद्यालय, 2, तीसरा, 'सी' छठा मेन रोड, द्वितीय ब्लॉक , बीआरबीआर लेआउट, कल्याण नगर, बंगलूरू– 560043, कर्नाटक	16.05.2013
66.	एमएस रमैया अनुप्रयुक्त विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रशासनिक ब्लाक , नया बीईएल रोड, एमएसआरआईटी पोस्ट, बंगलूरू– 560054, कर्नाटक	09.07.2013
67.	पीईएस विश्वविद्यालय, 100 फुट रिंग रोड, बीएसके तृतीय चरण, बंगलूरू– 560085 (कर्नाटक)	16.05.2013
68.	प्रेजीडेन्सी विश्वविद्यालय (कर्नाटक) , डिब्बूर एवं ईगलपुर ग्राम, हेसाराघाट होबली, बंगलूरू (कर्नाटक)	16.05.2013
69.	राय प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, डोडाबालापुर, नीलमंगला रोड, एसएच–74, ऑफ हाईवे 207, डोडाबालापुर तालुक, बंगलूरू– 561204, कर्नाटक	09.07.2013
70.	रीवा विश्वविद्यालय, कट्टीगेनहाल्ली, येलहानका, बंगलूरू– 560064	16.05.2013
	मेघालय	
71.	सी.एम.जे. विश्वविद्यालय, शिलांग (मेघालय)	20.07.2009
72.	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, पी.ओ. एरियामाइल, मैचकोगरे, टूरा, वेस्ट गारो हिल्स, मेघालय	04.01.2011
73.	मार्टिन लूथर क्रिश्चयन यूनिवर्सिटी, के.आई.पी.ए. कांफ्रेंस सेंटर, सेन्ट्रल वार्ड, शिलांग – 793001	13.07.2005
74.	टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी, अनीता मैंसन बिष्णुपुर, लॉसोहटन रोड़ शिलांग – 793004	02.12.2008
75.	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, चौथा तल, नियर सुंदरी होटल, सरकुलर रोड़, टूरा बाजार, टूरा – 794001	04.11.2009

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना का वर्ष
76.	यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, मेघालय	02.12.2008
77.	यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मेनेजमेंट, शिलांग, मेघालय	27.05.2011
78.	विलियम कैरे विश्वविद्यालय, जोराम विला, बोम्फ्लाइड रोड़, शिलांग – 793001, मेघालय	13.07.2005
	मिजोरम	
79.	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी सलेम वेंग, चाल्टलांग, आइज़ौल – 798012, मिजोरम	21.03.2006
	मध्य प्रदेश	
80.	ए.के.एस. विश्वविद्यालय, सतना, मध्य प्रदेश	31.12.2011
81.	एआईएसईसीटी विश्वविद्यालय, भोपाल – चिकलोड रोड़, नियर बंगरसिया चौराहा, भोपाल, मध्य प्रदेश	30.12.2010
82.	एमिटी विश्वविद्यालय, महाराजपुर डांग, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	30.12.2010
83.	आईटीएम विश्वविद्यालय, आईटीएम कैम्पस, सिथोली रेलवे स्टेशन के सामने, एनएच–75, झांसी रोड़, ग्वालियर – 474001, मध्य प्रदेश	04.05.2011
84.	जागरण लेकसिटी विश्वविद्यालय, ग्राम पंचायत मुगालिया छाप, तहसील हुजूर, भोपाल– 462044, मध्य प्रदेश	24.04.2013
85.	जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजिनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, एबी रोड़, राघोगढ़, जिला गुना – 473226, (मध्य प्रदेश)	13.08.2010
86.	ओरियेन्टल यूनिवर्सिटी, रेवती रेंज गेट नं. 1 के सामने, सानवेर रोड़, पीओ बॉक्स नं. 311, विजयनगर पी.ओ., इंदौर – 452010, मध्य प्रदेश	04.05.2011
87.	पीपल्स यूनिवर्सिटी, भानपुर, भोपाल – 462037	04.05.2011
88.	आरकेडीएफ विश्वविद्यालय, बाई–पास रोड़, नियम आरजीपीसी कैम्पस, भोपाल, मध्य प्रदेश	19.07.2011
89.	श्री सत्य साईं प्रौद्योगिकी तथा आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, भोपाल–इंदौर रोड, पचामा ऑयल फेड प्लांट के सामने, पचामा, सेहोर–466001, मध्यप्रदेश	12.02.2014
90.	स्वामी विवेकानन्द विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश	31.12.2011
91.	टेक्नो ग्लोबल विश्वविद्यालय, लातेरी रोड, सिरोन्ज (गोशाला के निकट) जिला– विदिशा, मध्य प्रदेश–464228	09.01.2013
	नागालैण्ड	
92.	द ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी, वोखा – 797111, नागालैण्ड	18.09.2006
93.	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, सुपर मार्केट काम्प्लेक्स के पीछे, नियर सीजीएम, बीएसएनएल ऑफिस, दीमापुर – 797112, नागालैण्ड	04.11.2009
	ओड़ीशा	
94.	सेंचूरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेण्ट, विलैज आलूरी नगर, वाया उपालाडा, पारालखमुण्डी–761221 गजपति, ओड़ीशा	27.08.2010
95.	श्री श्री यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर, ओड़ीशा	26.12.2009
96.	जेवियर विश्वविद्यालय, जेवियर स्कवेयर, भुवनेश्वर, ओड़ीशा	13.05.2013
	पंजाब	
97.	आदेश विश्वविद्यालय, रा0रा0–7, बरनाला रोड़, भटिंडा, पंजाब	10.07.2012

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना का वर्ष
98.	चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय, घारूवान, मोहाली – 140413, पंजाब	10.07.2012
99.	चितकारा यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़–पटियाला राष्ट्रीय राजमार्ग, (रा०रा०–64), ग्राम – झांसला, तहसील राजपुरा, जिला पटियाला, पंजाब – 140401	07.12.2010
100.	डी.ए.वी. यूनिवर्सिटी, जालन्धर–पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग– 44, ग्राम, सरमस्तपुर, जालन्धर, पंजाब	18.02.2013
101.	देश भगत विश्वविद्यालय, अमलोह, अमलोह रोड, मण्डी गोबिन्दगढ़, पंजाब	18.02.2013
102.	गुरू काशी यूनिवर्सिटी, तलवंडी साबो, जिला – भटिंडा, पंजाब	26.12.2011
103.	लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जालन्धर–लुधियाना जी.टी. रोड़, नियर चेहरू रेलवे ब्रिज, फगवाड़ा, जिला – कपूरथला, पंजाब – 144002	26.12.2005
104.	श्री गुरू ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, श्री लालगिधर निवास, फतेहगढ साहिब – 140406, पंजाब	15.05.2008
	राजस्थान	
105.	एमिटी यूनिवर्सिटी, राजस्थान, एनएच–11सी, कान्त कालवार, जयपुर – 303002	29.03.2008
106.	भगवन्त विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स नं. 87, सीकर रोड़, अजमेर – 305001	16.04.2008
107.	कॅरियर प्वांइट यूनिवर्सिटी, कोटा, राजस्थान	02.05.2012
108.	डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, प्लॉट–1, आर०आईआईसीओ इंडस्ट्रियल एरिया, फेस–2, नेवाई, जिला टोंक, राजस्थान – 304021	22.04.2010
109.	गीतांजलि विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान	25.01.2011
110.	हो्म्योपैथी यूनिवर्सिटी, सायपुरा, सांगानेर, जयपुर – 302029, राजस्थान	03.04.2010
111.	आईसीएफएआई, विश्वविद्यालय, खसरा नं. 505/1, गांव जामडोली, आगरा रोड़, जयपुर – 302031, राजस्थान	23.08.2011
112.	जेईसीआरसी विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान	02.05.2012
113.	जे.के. लक्ष्मीपति विश्वविद्यालय, लालिया का वास, पी.ओ. महापुर, अजमेर रोड़, जयपुर – 302026, राजस्थान	15.09.2011
114.	जगन्नाथ विश्वविद्यालय, ग्राम रामपुरा, तहसील चाकसु, जयपुर	16.04.2008
115.	जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जगतपुरा, जयपुर	21.10..2007
116.	ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, वेदन्त ज्ञान वैली, ग्राम झरना माहाला, जबनेर, लिंक रोड़, एनएच–8, जयपुर	21.04.2008
117.	जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नारनादी झांवर रोड़, जोधपुर – 342001	11.08.2008
118.	महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान	21.03.2012
119.	महात्मा गांधी मेडीकल सांईस एण्ड टेक्नोलॉजी, आर०आई०आईसीओ इंस्टीट्यूशनल एरिया, सीतापुर, टोंक रोड, जयपुर–302022	15.09.2011
120.	महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय, एसपी–2 और 3, कान्त कालवार, आर०आईआईसीओ इंस्टीट्यूशनल एरिया, ताला मोड़, एनएच–1, आचरोल, जयपुर	03.02.2009
121.	मनीपाल विश्वविद्यालय, वाटिका इनफोटेक यूनिवर्सिटी, जीवीके टोल प्लाजा के निकट, जयपुर–अजमेर एक्सप्रेस–वे, पोस्ट थिकारा, जयपुर – 302026, राजस्थान	15.09.2011
122.	मेवाड़ विश्वविद्यालय, चितौड़गढ़, राजस्थान	22.09.2008

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना का वर्ष
123.	एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना, राजस्थान	03.04.2010
124.	एन.आई.एम.एस. विश्वविद्यालय, शोभानगर, जयपुर – 303001	29.03.2008
125.	ओपीजेएस विश्वविद्यालय, रावतसर, कुंजीला, तहसील–राजगढ़, जिला–चूरू, राजस्थान	16.09.2013
126.	पेसेफिक अकादमी ऑफ हॉयर एजुकेशन एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी (पी.ए.एच.ई.आर.) पेसिफिक हिल्स, एयरपोर्ट रोड़, प्रतापनगर एक्सटेंशन, उदयपुर – 313003	29.04.2010
127.	पूर्णिमा विश्वविद्यालय, रामचन्द्रापुर, सीतापुर एक्सटेंशन, जयपुर, राजस्थान	16.05.2012
128.	प्रताप विश्वविद्यालय, सुन्दरपुर, (चांदवाजी) आमरे–दिल्ली–मुम्बई हाइवे, जयपुर, राजस्थान	15.09.2011
129.	राफेल्स विश्वविद्यालय, जैपनीज जोन, राष्ट्रीय राजमार्ग – 8, नीमराना – 201705, राजस्थान	27.03.2011
130.	संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा, राजस्थान	02.05.2012
131.	श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिब्बरेवाला विश्वविद्यालय, चुदेला, जिला – झूँझुनूं	03.02.2009
132.	श्रीधर विश्वविद्यालय, पिलानी, चिरावा रोड़, पिलानी, राजस्थान – 333031	03.04.2010
133.	सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरीबारी, झूँझुनूं, राजस्थान	29.03.2008
134.	सर पदमापत सिंहानिया विश्वविद्यालय, भतेवार, उदयपुर – 313601	29.03.2008
135.	सनराईज विश्वविद्यालय, बागड़ राजपूत, तहसील – रामगढ, अलवर, राजस्थान	22.09.2011
136.	सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, महल जगतपुर, जयपुर, राजस्थान	21.04.2008
137.	तांतिया विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़ रोड़, श्री गंगानगर–335002, राजस्थान	16.09.2013
138.	यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेंट, जयपुर, राजस्थान	21.03.2012
139.	विवेकानन्द ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सेक्टर – 36, एनआरआई रोड़, सीसायावास, जगतपुर, जयपुर–3030012, राजस्थान	02.05.2012
	सिक्किम	
140.	इस्टर्न इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, जोरेथांग	24.03.2006
141.	सिक्किम–मनीपाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ, मेडिकल एण्ड टेक्नोलॉजिकल साइंसेज, गंगटोक – 737101	11.10.1995
142.	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (आई.सी.एफ.ए.आई.), सिक्किम	04.10.2004
143.	विनायक मिशन्स सिक्किम यूनिवर्सिटी, प्लॉट न0 438, एन–312, संग फाटक रोड, मिडल तदांग, पी0ओ0 दारागाओरा, तदांग, पूर्वी सिक्किम – 237102	30.07.2008
	त्रिपुरा	
144.	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड फाइनेशियल एनॅलिस्ट ऑफ इंडिया, अगरतला, त्रिपुरा – 799001	31.03.2004
	उत्तर प्रदेश	
145.	एमिटी यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	24.03.2005
146.	बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, 55 बाबू बनारसी दास नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	12.10.2010
147.	जी.एल.ए. विश्वविद्यालय, मथुरा, (उत्तर प्रदेश)	01.09.2010
148.	गलगोटिया विश्वविद्यालय, 1, नॉलेज पार्क, फेस–2, ग्रेटर नोएडा – 201306, उत्तर प्रदेश	07.04.2011
149.	आई.एफ.टी.एम. विश्वविद्यालय, लोधीपुर राजपूत, दिल्ली रोड़ मुरादाबाद – 244102, उत्तर प्रदेश	12.10.2010

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना का वर्ष
150.	इंटीग्रल विश्वविद्यालय, कुर्सी रोड़, लखनऊ – 226026 (उत्तर प्रदेश)	26.02.2004
151.	इनवर्टिस विश्वविद्यालय, इनवर्टिस गांव, बरेली–लखनऊ नेशनल हाइवे–24, बरेली – 243123 (उत्तर प्रदेश)	01.09.2010
152.	जगतगुरू रामभद्राचार्य हैण्डीकेप्ड यूनिवर्सिटी, चित्रकूट धाम – 210204	06.10.2001
153.	मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	30.10.2006
154.	मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर, उत्तर प्रदेश	19.06.2006
155.	मोनाद विश्वविद्यालय, कासमाबाद, पीओ–पिलखुआ, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश	12.10.2010
156.	नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, प्लॉट नं. 1, सेक्टर–17ए, यमुना एक्सप्रेसवे, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	12.10.2010
157.	शारदा यूनिवर्सिटी, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	24.03.2009
158.	शिव नाडर यूनिवर्सिटी, दादरी, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	06.04.2011
159.	शोभित विश्वविद्यालय, आदर्श इंस्टीट्यूशनल एरिया, बाबू विजेन्द्र मार्ग, गंगोह, जिला–सहारनपुर– 247341, (उत्तर प्रदेश)	05.07.2012
160.	श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, हरदोई, देवा–लखनऊ बाईपास रोड़, मेरठ, उत्तर प्रदेश	04.07.2012
161.	श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, रा0रा0–24, राजाबापुर, गजरौला, जे.पी. नगर, उत्तर प्रदेश	12.10.2010
162.	स्वामी विवेकानन्द सुभारती यूनिवर्सिटी, दिल्ली–हरिद्वार बाईपास रोड़, मेरठ, उत्तर प्रदेश	05.09.2008
163.	तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, दिल्ली रोड़, मुरादाबाद	05.09.2008
164.	दि ग्लोकल यूनिवर्सिटी, अली अकबरपुर, मिर्जापुर पोल, तहसील – बेहट, सहारनपुर – 247001, उत्तर प्रदेश	05.07.2012
	उत्तराखण्ड	
165.	देव संस्कृत विश्वविद्यालय, गायत्रीकुंज, शक्तिकुंज, हरिद्वार – 249411	22.01.2002
166.	डीआईटी विश्वविद्यालय, मसूरी डाइवर्जन रोड़, देहरादून – 248009, उत्तराखण्ड	15.02.2013
167.	ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय, 600, बेल रोड, क्लेमेंट हाउस, देहरादून – 248002, उत्तराखण्ड	28.04.2011
168.	हिमगिरी ज़ी विश्वविद्यालय, शीशमबाडा, पीओ–शेरपुर, वाया शहसपुर, देहरादून – 248197 उत्तराखण्ड	11.07.2003
169.	आईएमएस यूनिसन यूनिवर्सिटी, माक्कवाला ग्रीन्स, मसूरी डाइवर्जन रोड़, देहरादून – 248009, उत्तराखण्ड	15.02.2013
170.	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्टस ऑफ इंडिया (आई.सी.एफ.ए.आई.), सी–1/103, इंदिरा नगर, देहरादून – 248006, उत्तराखण्ड	10.07.2003
171.	स्वामी रामा हिमालय विश्वविद्यालय, स्वामी राम नगर, जौली ग्रांट, डाकघर–दोईवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड	12.03.2013
172.	पंतजलि विश्वविद्यालय, पंतजलि योगपीठ, हरिद्वार	05.04.2006
173.	यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एण्ड एनर्जी स्ट्डीज, बिल्डिंग नं. 7, स्ट्रीट नं. 1, वसंत विहार एंक्लेव, देहरादून – 284006 (उत्तराखण्ड)	10.07.2003
174.	उत्तरांचल विश्वविद्यालय, अरकाडिया ग्रांट, डाकघर चदनवाड़ी, प्रेमनगर, देहरादून–248007, उत्तराखण्ड	15.02.2013
	पश्चिम बंगाल	
175.	टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी, ईएम – 4, सेक्टर –5, सॉल्ट लेक, कोलकाता – 700091, पश्चिम बंगाल	16.08.2012

(घ) 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार राज्य विधान अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित संस्थान

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना /मान्यता प्रदान करने का वर्ष
	आन्ध्र प्रदेश	
1.	निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	1990
	बिहार	
2.	इंदिरा गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	1992
	जम्मू और कश्मीर	
3.	शेरे–कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	1990
	उत्तर प्रदेश	
4.	संजय गाँधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज	1983

(ङ) 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार सम विश्वविद्यालय संस्थानों की सूची

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि
	आन्ध्र प्रदेश	
1.	गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट (जी.आई.टी.ए.एम.), गांधी नगर कैम्पस, रशिकोन्डा, विशाखापत्तनम–530045, आंध्र प्रदेश	13.08.2007
2.	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन टैक्नोलॉजी, सर्वे नम्बर 25, गचीबाओली, जिला रंगा रेड्डी, हैदराबाद–5000032, आंध्र प्रदेश	21.08.2001
3.	आई.सी.एफ.ए.आई. फाउंडेशन फॉर हॉयर एजूकेशन, प्लॉट नम्बर 52, द्वितीय तल, नागार्जुन हिल्स, पंजागुट्टा, हैदराबाद –500982, आंध्र प्रदेश	16.12.2008
4.	कोनेरू लक्ष्मैया एजूकेशन फाउंडेशन, ग्रीन फील्ड्स, कुन्चानापल्ली पोस्ट वाडेशवरम्, जिला गुन्टूर, आंध्र प्रदेश	20.02.2009
5.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति–517507, आंध्र प्रदेश	16.11.1987
6.	श्री सत्य सांई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, प्रशांतिनिलयम–515134, जिला अनन्तापुर, आंध्र प्रदेश	10.11.1981
7.	विगनांनस् फाउंडेशन फॉर साइंस टैक्नोलॉजी एण्ड रिसर्च, वाडलामुडी, जिला गुंटूर, आंध्र प्रदेश–522313	19.12.2008
	अरूणाचल प्रदेश	
8.	नार्थ इर्स्टन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, निरजुली, ईटानगर, जिला–पापुम पारे–791109, अरूणाचल प्रदेश	31.05.2005
	बिहार	
9.	बिहार योगभारती, गंगा दर्शन, फोर्ट, मुँगेर–811201, बिहार	07.06.2000
10.	नव नालान्दा महाविहार, नालान्दा–803111 (बिहार)	13.11.2006
	चण्डीगढ़	
11.	पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, सेक्टर–12,चण्डीगढ़–160012	16.10.2003
	दिल्ली	
12.	इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा इंस्टीट्यूट, पूसा, नई दिल्ली–110012	22.08.1958
13.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, बी–21, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली–110016	20.05.2002
14.	इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट भगवानदास रोड, नई दिल्ली–110001.	29.10.2004
15.	इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एण्ड बाइलियरी सांइसेज (आईएलबीएस), डी–1, वसंत कुन्ज, नई दिल्ली–110070	10.07.2009
16.	जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली–110062	10.05.1989
17.	नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्टस्, कन्ज़र्वेशन एण्ड म्यूजिकोलॉजी, नेशनल म्यूजियम, जनपथ, नई दिल्ली–110011	28.04.1989
18.	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजूकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, 17–बी, श्री अरबिन्दो मार्ग, नई दिल्ली–110016 .	11.08.2006
19.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, 56,57, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058	07.05.2002
20.	स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्कीटेक्चर, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, ब्लॉक–बी, नई दिल्ली–110002	27.12.1979
21.	श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली–110016	16.11.1987

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि
22.	टी.ई.आर.आई. स्कूल ऑफ एडवॉन्स स्टडीज, दरबारी सेठ ब्लॉक, हैबीटेट प्लेस, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003	05.10.1999
	गुजरात	
23.	गुजरात विद्यापीठ, डाकघर नवजीवन, आश्रम मार्ग, अहमदाबाद–380014, गुजरात	16.07.1963
24.	सुमनदीप विद्यापीठ, ग्राम पिपरिया, तालुक वागहोदिया, जिला वडोदरा, गुजरात	17.01.2007
	हरियाणा	
25.	लिंगाया यूनिवर्सिटी, नाचौली, पुराना फरीदाबाद–जासना रोड, फरीदाबाद–121002, हरियाणा	05.01.2009
26.	महर्षि मार्कण्डेश्वर विश्वविद्यालय, मुलाना, अम्बाला, हरियाणा	12.06.2007
27.	मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद, हरियाणा	21.10.2008
28.	नेशनल ब्रेन रिसर्च सेन्टर, एससीओ– 5,6,7, सेक्टर 15(2) रा0 रा0–8, गुड़गाँव, हरियाणा–122050	20.05.2002
29.	नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल–132001, हरियाणा	28.03.1989
30.	नेश्नल इस्ट्टीटयूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एन्टरप्रिनियोरशिप एण्ड मेनेजमेन्ट (एनआईएफटीईएम) प्लॉट नम्बर 97, सेक्टर 56, एचएसआईआईडीसी इंडस्ट्रीयल एस्टेट, कुन्डली, जिला सोनीपत, हरियाणा	08.05.2012
	झारखण्ड	
31.	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, मेसरा, राँची–835215, झारखण्ड	28.08.1986
32.	इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद -826004, झारखण्ड	18.09.1967
	कर्नाटक	
33.	बी.एल.डी.ई. विश्वविद्यालय, बीजापुर, कर्नाटक	29.02.2008
34.	क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, होसूर रोड, बंगलूरू–560029, कर्नाटक	22.07.2008
35.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलूरू–560012, कर्नाटक	12.05.1958
36.	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टैक्नोलॉजी, 26/सी, इन्फोसिस (द्वार सं0–1) के सामने, इलेक्ट्रानिक सिटी, होसूर रोड, बंगलूरू–560100, कर्नाटक	28.02.2005
37.	जगतगुरू श्री शिवाराथिश्वरा यूनिवर्सिटी, जगतगुरू डॉ0 श्री शिवरातरी राजेन्द्र सर्कल, रामानुजा रोड, मैसूर –570004, कर्नाटक	28.05.2008
38.	जवाहर लाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, जाकुर कैम्पस, जाकुर, बंगलूरू–560064, कर्नाटक	17.08.2002
39.	जैन यूनिवर्सिटी, 91/2,डॉ ए0एन0 कृष्ण राव मार्ग, वी0वी0 पुरम, बंगलूरू, कर्नाटक	19.12.2008
40.	के.एल.ई. अकादमी ऑफ हायर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, जे0एन0 मेडीकल कॉलेज कैम्पस, बेलगाम (कर्नाटक)	13.04.2006
41.	मनीपाल अकादमी ऑफ हॉयर एजूकेशन,माधव नगर, उदुप्पी, मनीपाल–576104, कर्नाटक	01.06.1993
42.	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेन्टल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, पोस्ट बाक्स नम्बर 2900, होसूर रोड, बंगलूरू–560029, कर्नाटक	14.11.1994
43.	एन.आई.टी.टी.ई. यूनिवर्सिटी, मंगलोर –575003, कर्नाटक	04.06.2008
44.	श्री देवराज अर्स अकादमी ऑफ हायर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, बीएच रोड,तमाका, कोलार –563101, कर्नाटक	25.05.2007
45.	श्री सिद्धार्थ अकादमी ऑफ हॉयर एजूकेशन, जिला टुमकुर –572 102, कर्नाटक	30.05.2008

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि
46.	स्वामी विवेकानन्द योग अनुसंधान संस्थान, संख्या–9, अपाजप्पा, अग्रहारा, चमाराजपेट, बंगलूरू–560018, कर्नाटक	08.05.2002
47.	येनपोया विश्वविद्यालय, मंगलोर, कर्नाटक	27.02.2008
	केरल	
48.	केरल कलामण्डलम, वालाथोल नगर, चेरूथुरूथि –679531, वाया थ्रिसूर, केरल	14.03.2006
49.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, तिरूअनन्तापुरम, केरल	03.07.2008
	मध्य प्रदेश	
50.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन टैक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, गोला का मंदिर, ग्वालियर–474005, मध्य प्रदेश	26.03.2001
51.	लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजूकेशन, शक्ति नगर, ग्वालियर–474002, मध्य प्रदेश	21.09.1995
52.	पं0 द्वारका प्रसाद मिश्र इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाईन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, आईटी भवन, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश	24.06.2009
	महाराष्ट्र	
53.	भारती विद्यापीठ, भारती विद्यापीठ भवन, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, पुणे–411030, महाराष्ट्र	26.04.1996
54.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज् एजूकेशन, फिशरीज यूनिवर्सिटी रोड, 7, बंगलो, अंधेरी वेस्ट, मुम्बई–400061, महाराष्ट्र	27.03.1989
55.	डी. वाई. पाटिल एजूकेशनल सोसायटी, लेन बाजार, कासाबा, वावडा कोल्हापुर–416006, (महाराष्ट्र)	31.05.2005
56.	दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अत्रे लेऑउट, प्रताप नगर, नागपुर–440022, (महाराष्ट्र)	24.05.2005
57.	डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे–411006, महाराष्ट्र	05.03.1990
58.	डॉ0 डी. वाई. पाटिल विद्यापीठ, संत तुकाराम नगर, पिम्परी, पुणे–411018, महाराष्ट्र	11.01.2003
59.	गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकोनोमिक्स, बीएमसी कालेज रोड, डक्कन जिमखाना, पुणे–411004, महाराष्ट्र	07.05.1993
60.	होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, पंजीकृत कार्यालयः नालेज मेनेजमेन्ट ग्रुप, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, सेन्ट्रल काम्पलेक्स, मुम्बई –400085, महाराष्ट्र	03.06.2005
61.	इंदिरा गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, जनरल वैद्य मार्ग, संतोष नगर, गोरेगांव ईस्ट, मुम्बई–400065, महाराष्ट्र	05.12.1995
62.	इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टैक्नोलॉजी, गिरीनगर, पुणे–411025, महाराष्ट्र	10.09.1999
63.	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज़, गोवान्डी स्टेशन रोड, देवनार, मुम्बई–400088, महाराष्ट्र	31.07.1985
64.	इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टैक्नोलॉजी, नाथालाल पारेख मार्ग, माटुन्गा, मुम्बई महाराष्ट्र–400019	12.09.2008
65.	कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज, मलका पुर, कराड़, जिला सतारा–415 (महाराष्ट्र)	24.05.2005
66.	एम.जी.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, एमजीएम कैम्पस, सेक्टर–18, कामोठे, नवी मुम्बई–410209 (महाराष्ट्र)	30-08-2006
67.	नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, वीएल मेहता रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुम्बई–400056, महाराष्ट्र	13.01.2003
68.	पदमश्री डॉ0 डी.वाई पाटिल विद्यापीठ,, विद्यानगर, सेक्टर–7, नेरूल, नवी मुम्बई–400706, महाराष्ट्र	20.06.2002
69.	प्रवर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, डाकघर लोनी, बीके–413736, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	29.09.2003
70.	सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, सेनापति बापट रोड, पुणे–411004, महाराष्ट्र	06.05.2002

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि
71.	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फण्डामेंटल रिसर्च, मुम्बई होमी भाभा रोड, मुंबई–400005, महाराष्ट्र	07.05.2002
72.	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, वीएन पूर्व मार्ग, देवनार, मुम्बई–400088, महाराष्ट्र	29.04.1964
73.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, विद्यापीठ भवन, गुलटेकडी, पुणे–411037, महाराष्ट्र	28.04.1987
	ओड़ीशा	
74.	कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टैक्नोलॉजी, एटी/पीओ केआईआईटी पाटीया, खुरदा, भुवनेश्वर–751024, ओड़ीशा	26.06.2002
75.	शिक्षा "ओ" अनुसंधान, भुवनेश्वर, जे–15, भुवनेश्वर–751030, ओड़ीशा	17.07.2007
	पंजाब	
76.	संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (एस.एल.आई.ई.टी.), लोंगोवाल, जिला संगरूर–148106, पंजाब	10.04.2007
77.	थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, थापर टैक्नोलॉजी कैम्पस, भाडसन रोड, पटियाला–147004, पंजाब	30.12.1985
	पुदुचेरी	
78.	श्री बालाजी विद्यापीठ, महात्मा गांधी मेडीकल कालेज कैम्पस, पान्डी–कुडालोर मेन रोड, पिल्लैयार्कुप्पम, पुदुचेरी–607402	04.08.2008
	राजस्थान	
79.	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली–304022, राजस्थान	25.10.1983
80.	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड सांइस, पिलानी–333031, राजस्थान	27.06.1964
81.	इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजूकेशन, गांधी विद्यामंदिर, सदर शहर–331401, जिला चूरू, राजस्थान	25.06.2002
82.	आई.आई.एस. यूनिवर्सिटी, गुरूकुल मार्ग, मानसरोवर,, जयपुर राजस्थान	02.02.2009
83.	जैन विश्वभारती इंस्टीट्यूट, पोस्ट बाक्स नम्बर 6, लान्डनू, नागौर– 341306, राजस्थान	20.03.1991
84.	जर्नाधन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर–331401, राजस्थान	12.01.1987
85.	एल.एन.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन टैक्नोलॉजी, ग्राम–रूपा की नागल, पोस्ट–सुमेल, बारास्ता कानोटा, जिला–जयपुर–303012 (राजस्थान)	03.02.2006
86.	मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन एण्ड रिसर्च, लक्ष्मनगढ, जिला सीकर–332311, (राजस्थान)	20.02.2004
	तमिलनाडु	
87.	अकादमी ऑफ मैरीटाइम एजूकेशन एण्ड ट्रेनिंग, 5107,एच–2, द्वितीय एवन्यू, प्रथम तल, अन्ना नगर, चेन्नई–600040	21.08.2007
88.	अमृत विश्व विद्यापीठम्, एतीमादाई पोस्ट, कोयम्बटूर –641105, तमिलनाडु	13.01.2003
89.	अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एण्ड हायर एजूकेशन फॉर वीमेन, भारती पार्क रोड, कोयम्बटूर–641043, तमिलनाडु	08.06.1988
90.	भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हॉयर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, 173, अग्रहरम रोड, सेलयुर, चेन्नई–600073, तमिलनाडु.	04.07.2002
91.	बी.एस. अब्दुर रहमान इंस्टीट्यूट ऑफ सांइस एण्ड टैक्नोलॉजी, वान्डालुर, चेन्नई, तमिलनाडु.	16.12.2008
92.	चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, प्लॉट एच–1, एसआईपीसीओटी आईटी पार्क, पाडुर पोस्ट, सिरयूसेरी–603103, चेन्नई (तमिलनाडु)	15.12.2006

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि
93.	चेतिनाड़ अकादमी ऑफ रिसर्च एण्ड एजूकेशन (के.ए.आर.ई.), पादुर, केलाम्बक्कम, जिला काँचीपुरम तमिलनाडु .	04.08.2008
94.	गाँधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, गाँधीग्राम, डिन्डीगुल–624302, तमिलनाडु .	03.08.1976
95.	हिन्दुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड साइंस(हिट्स), पादुर, पुराना महाबलीपुरम रोड, केलम्बालम, जिला काँचीपुरम (तमिलनाडु)	05.05.2008
96.	कैलाशलिंगम अकादमी ऑफ रिसर्च एचड हायर एजूकेशन, आनन्द नगर, कृष्णनकोईल, विरूद्धनगर– 626190, बारास्ता श्रीविलिपुत्तूर तमिलनाडु	20.10.2006
97.	कारूण्या इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड साइंसेज, कारूण्या नगर, कोयम्बटूर–641114 (तमिलनाडु)	23.06.2004
98.	करपागम आकदमी ऑफ हायर एजूकेशन, पोलाच्वी मुख्य मार्ग, कोयम्बटूर तमिलनाडु	25.08.2008
99.	एमजीआर एजूकेशन एण्ड रिसर्च इंस्टीटयूट, पेरियार ईवीआर सेलाई (राष्ट्रीय राजमार्ग 4) माधुरावोयल, चेन्नई–600095, तमिलनाडु	21.01.2003
100.	मीनाक्षी अकादमी ऑफ हॉयर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, संख्या 12, वेम्बूली अम्मन कोईल मार्ग, पश्चिम के0के0 नगर, चेन्नई–600078, तमिलनाडु	31.03.2004
101.	नूरूल इस्लाम सेंटर फॅार हॉयर एजूकेशन, कुमाराकोईल, थुकालाले, जिला कन्याकुमारी, तमिलनाडु –629175	08.12.2008
102.	पेरियार मनिअमाई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी (पीएमआईएसटी), पेरियार नगर, वालाम, थंजावुर–613403, तमिलनाडु	17.08.2007
103.	पुनैया रामाज्यम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी (पीआरआईएसटी),यगप्पा चावाडी, थंजावुर–614904, तमिलनाडु	04.01.2008
104.	एस.आर.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, 2, वीरासामी स्ट्रीट, पश्चिम मामबलाम, चेन्नई 600033, तमिलनाडु	02.08.2002
105.	सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, जपीयार नगर, पुराना मामलपुरम मार्ग, चेन्नई–600119 तमिलनाडु	16.07.2001
106.	सविथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड टैक्निकल साइंसेज, पोस्ट बाक्स नम्बर 6, संख्या 162, पोन्नमाले हाई रोड, वेलापापन्चवड़ी, चेन्नई–6000077 (तमिलनाडु)	18.03.2005
107.	षणमुगा आर्टस् साइंस टैक्नोलॉजी एण्ड रिसर्च अकादमी (एसएएसटीआरए), तिरूमाला सामुद्रम, थंजावुर–613402, तमिलनाडु	26.04.2001
108.	श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्वमहाविद्यालय, श्री जयेन्द्र सरसवती स्ट्रीट, एनाथुर, काँचीपुरम–631561, तमिलनाडु	26.05.1993
109.	श्री रामचन्द्रा मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1, रामचन्द्र नगर, चेन्नई–600116	29.09.1994
110.	सेंट पीटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ हॉयर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, चेन्नई–600054 तमिलनाडु	26.05.2008
111.	वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी एण्ड एडवान्स्ड स्टडीज(विस्टास), पालवरम्, चेन्नई, तमिलनाडु	04.06.2008
112.	वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, वेल्लोर–632014 (तमिलनाडु)	19.06.2001
113.	विनायक मिशन्स रिसर्च फाउन्डेशन, शंकर मणि रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग 47, अरियानूर नगर, सलेम–636308, तमिलनाडु	01.03.2001
114.	वेलटेक रंगाराजन डॉ0 शगुन्थला आर. एण्ड डी. इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, चेन्नई तमिलनाडु.	15.10.2008

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि
	उत्तर प्रदेश	
115.	सैम हिग्गिबोटम इंस्टियूट ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एण्ड साइंसेज, डाकघर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद–211007, उत्तर प्रदेश	15.03.2000
116.	भारतखण्डे संगीत संस्थान, 1 कैसर बाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	24.10.2000
117.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्तन स्टडीज, सारनाथ, वाराणसी–221007,उत्तर प्रदेश	05.04.1988
118.	दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट, दयालबाग, आगरा–282005, उत्तर प्रदेश	16.05.1981
119.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन टेक्नोलॉजी, देवघाट, झालवा, इलाहाबाद–211012, उत्तर प्रदेश	04.08.2000
120.	इंडियन वेट्निरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर–243122, उत्तर प्रदेश	16.11.1983
121.	जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टैक्नोलॉजी, ए–10, सेक्टर–62, नोएडा–201307(उत्तर प्रदेश)	01.11.2004
122.	नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, कोटवा–जमुनीपुर, धुबवली, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	27.06.2008
123.	शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, धुलेरा मार्ग, रूड़की रोड, मेरठ–250010 (उत्तर प्रदेश)	08.11.2006
124.	संतोष विश्वविद्यालय, 1, संतोष नगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश–201009	13.06.2007
	उत्तराखण्ड	
125.	फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, डाकघर न्यू फारेस्ट, देहरादून–248006, उत्तराखण्ड	28.11.1991
126.	गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार–249404, उत्तराखण्ड	19.06.1962
127.	एच.आई.एच.टी. विश्वविद्यालय, स्वामी रामा नगर, जौली ग्रांट, डाकघर डोईवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड	06.06.2007
128.	ग्रॉफिक इरा यूनिवर्सिटी, 566/6, बेल रोड, कलेमेन्ट टाऊन, देहरादून उत्तराखण्ड	14.08.2008
	पश्चिम बंगाल	
129.	रामाकृष्णा मिशन विवेकानन्द एजूकेशनल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, डाकघर बेलूर मठ, जिला हावड़ा–711202, पश्चिम बंगाल	05.01.2005

*1) बंगाल अभियांत्रिकी महाविद्यालय जिसे दिनांक 20.02.1992 को सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था, इसका सम विश्वविद्यालय की सूची से लोप कर दिया गया है क्योंकि इसे बंगाल विधान सभा के वर्ष 2004 के अधिनियम–तेरह माध्यम से "बंगाल इंजीनियरिंग एण्ड साईस यूनीवर्सिटी, शिवपुर, हावड़ा, के नाम से दिनांक 02.09.2004 की अधिसूचना 1391–एल के द्वारा राज्य विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया है।

*2) धर्मसिंह देसाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, नडियाड जिसे दिनांक 02.06.2000 को सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था, इसका सम विश्वविद्यालय की सूची से लोप कर दिया गया है क्योंकि इसे दिनांक 23.03.2005 को गुजरात विधान सभा के वर्ष 2005 के अधिनियम सोलह माध्यम से "धर्मसिंह देसाई यूनीवर्सिटी, नडियाड के नाम से दिनांक 11.04.205 की अधिसूचना जीएच/एसएच/3/एपीबी–2003–1610–एस के द्वारा राज्य विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया है।

*3) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एण्ड फारेन लेंग्वेज, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश जिसे वर्ष 1973 में सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था, इसका सम विश्वविद्यालयों की सूची से लोप कर दिया गया है क्योंकि इसे दिनांक 23.03.2005 को विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग), भारत सरकार के वर्ष 2007 के अधिनियम सात माध्यम से " इंग्लिश एण्ड फारेन लेंग्वेज यूनीवर्सिटी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के नाम से केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया है।

*4) चेन्नई मेडीकल कालेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट को दिनांक 07, जुलाई, 1988 को सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध तथा वि0अ0आ0 के परामर्श पर दिनांक 29.03.02001 को सम विश्वविद्यालय का दर्जा वापस ले लिया।

*5) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 09 अगस्त, 2007 की अधिसूचना (संख्या एफ0 20–22/2004–टीएस.III) के माध्यम से भारत सरकार द्वारा 17 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया गया ।

*6) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार ने दिनांक 30 सितम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या एफ. 9–24/2002–यू.3 के माध्यम से **नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा,** दिल्ली को प्रदत्त सम विश्वविद्यालय के दर्जे को वापस ले लिया।

*7) **राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलेपमेन्ट, श्रीपरम्बदूर, तमिलनाडु–602105** जिसे दिनांक 23.10.2008 की अधिसूचना संख्या एफ0 9–3/2006–यू.3(ए) द्वारा नवीन श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय घोषित किया गया था, इसे भारत सरकार द्वारा संसद के दिनांक 31.08.2012 के अधिनियम संख्या 35/2012 के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया।

परिशिष्ट-II

दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार ऐसे राज्य विश्वविद्यालयों की सूची जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
	आंध्र प्रदेश	
1.	आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद–500030	1964
2.	आन्ध्रा विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम – 530003	1926
3.	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, नागार्जुन नगर, गुंटूर – 522510	1976
4.	द्रविड़यन विश्वविद्यालय, कुप्पम – 517425	1997
5.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, जुबली हिल्स, हैदराबाद – 500033	1982
6.	जवाहर लाल नेहरू टैक्नालॉजिकल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद – 500072	1972
7.	जवाहर लाल नेहरू टैक्नालॉजिकल यूनिवर्सिटी, काकीनाडा	2008
8.	जवाहर लाल नेहरू टैक्नालॉजिकल यूनिवर्सिटी, अनन्तपुर	2008
9.	काकतीया विश्वविद्यालय, वारंगल – 506009	1976
10.	महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय, पनगल, नलगोण्डा – 500803, आन्ध्र प्रदेश (पूर्व में इस विश्वविद्यालय का नाम नलगोण्डा विश्वविद्यालय था)	2008
11.	नेशनल अकादमी ऑफ लीगल स्टडीज एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी, हैदराबाद – 500027	1999
12.	ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद – 500007	1918
13.	पोट्टी श्रीरामुलू तेलगू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद–500004	1985
14.	श्री कृष्णा देवराय यूनिवर्सिटी, अनन्तापुर – 515003	1981
15.	श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय, तिरूपति – 517502	1983
16.	श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, तिरूपति – 517507	1954
17.	श्री वेंकटेश्वरा इस्टीटयूट ऑफ मेडीकल साइंसेज, तिरूपति – 517507	1993
18.	तेलंगाना विश्वविद्यालय, निजामाबाद – 503002*	2006
19.	योगी वेमाना विश्वविद्यालय, वेमानापुरम, कदप्पा – 516003, आध्र प्रदेश	2006

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
	असम	
20.	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट – 785013	1968
21.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय,डिब्रुगढ़ – 786004	1965
22.	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी – 781014	1948
	बिहार	
23.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर – 842001	1952
24.	भूपेन्द्र नारायन मण्डल विश्वविद्यालय, मधेपुरा – 852113	1993
25.	चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोसल स्टडीज़ कैम्पस, गांधी मैदान, पटना – 800001	2006
26.	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा 841301	1995
27.	के.एस. दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा – 846008	1961
28.	ललित नारायन मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा – 846008	1972
29.	मगध विश्वविद्यालय, बोध गया – 824234	1962
30.	पटना विश्वविद्यालय, पटना – 800005	
31.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर – 848125	1970
32.	टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर – 812007	1960
33.	वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा – 802301	1994
	छत्तीसगढ़	
34.	हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सिविल लाइन, रायपुर – 492001	2003
35.	इन्दिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर – 492006	1987
36.	इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ – 491881	1956
37.	पण्डित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर – 492010	1964
	गोवा	
38.	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा – 403206	1985
	गुजरात	
39.	महाराजा कृष्णकुमारसिंहजी, भावनगर यूनिवर्सिटी, भावनगर – 364002	1978
40.	धर्मसिंह देसाई विश्वविद्यालय, कॉलेज रोड़, नाडियाड – 387001 (गुजरात) (सम विश्वविद्यालय से राज्य विश्वविद्यालय में परिवर्तित)	2000
41.	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, सरदार क्रूशीनगर, बनसकाँथा – 385506	1972
42.	गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर – 361008	1968
43.	गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अट्टालिका एवेन्यू, नॉलेज कॉरीडोर, कोबा, गाँधीनगर, गुजरात–382007 (25 से26 जून , 2009)	2003

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
44.	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद – 380009	1950
45.	हेमचन्द्र आचार्य नार्थ गुजरात विश्वविद्यालय, पी.बी. नम्बर 21, विश्वविद्यालय मार्ग, पाटन – 384265	1986
46.	महाराजा सायाजीरॉव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ोदा, वडोढ़रा – 390002	1949
47.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर – 388120	1955
48.	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट – 360005	1955
49.	वीर नारमद साउथ गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत–395007	1965
	हरियाणा	
50.	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलॉ, सोनीपत, हरियाणा	2006
51.	चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा	2003
52.	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार – 125004	1970
53.	दीनबन्धु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, मुरूथल, हरियाणा	2006
54.	पं. भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिज, रोहतक, हरियाणा	
55.	गुरू जम्भेश्वर यूनिविर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, हिसार – 125001	1995
56.	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र – 136119	1956
57.	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक – 124001	1976
58.	वाईएमसीए यूनिविर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, फरीदाबाद – 121006, हरियाणा	2009
	हिमाचल प्रदेश	
59.	डॉ. वाई.एस. परमार युनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टीकल्चर एण्ड फॉरेस्टरी यूनिवर्सिटी, नौनी – 173230	1986
60.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला – 171005	1970
61.	चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर – 176062	1978
	जम्मू और कश्मीर	
62.	बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय, राजौरी कैम्प ऑफिस, बाईपास रोड़, चुन्नी हिम्मत के सामने, जम्मू	2005
63.	इस्लामिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,यूनिवर्सिटी एवेन्यू, आवन्तिपुरा, पुलवामा–192122(जम्मू और कश्मीर)	2005
64.	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मूतवी 180006	1969
65.	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर – 190006	1949
66.	शेर–ए–कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एण्ड टैक्नोलॉजी, श्रीनगर – 191121	1982
67.	श्री माता वैष्णों देवी विश्वविद्यालय, कैम्प कार्यालय : 27 ए/डी, गांधीनगर, जम्मू – 180004	2004
	झारखण्ड	
68.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची – 834006	1980
69.	राँची विश्वविद्यालय, राँची – 834001	1960
70.	सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका – 814101	1992

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
71.	विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग – 825301	1993
	कर्नाटक	
72.	बंगलूरू विश्वविद्यालय, बंगलूरू– 560056	1964
73.	दावनगिरी विश्वविद्यालय, शिवगंगोत्री, दावनगिरी – 577002 कर्नाटक (राज्य विश्वविद्यालय) (17 से 18 मई, 2010)	2009
74.	गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा – 585106	1980
75.	कन्नड विश्वविद्यालय, हम्पी, बेलारी जिला, कमालपुरा – 583276	1992
76.	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ – 580003	1949
77.	कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय, बीजापुर – 586101 (कर्नाटक)	2004
78.	कुवेम्पू विश्वविद्यालय, शंकरघट्टा – 577451	1987
79.	मैंगलोर विश्वविद्यालय, मैंगलोर – 574199	1980
80.	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर – 570005	1916
81.	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलूरू – 560072	1992
82.	तुमकुर विश्वविद्यालय, प्रथम तल, डा. बी.आर. अम्बेडकर भवन, एमजी रोड़, तुमकुर – 572101 कर्नाटक	2004
83.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलूरू – 560065	1964
84.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ – 580005	1986
	केरल	
85.	कालीकट विश्वविद्यालय, तिरछी पालारी, जिला मालापुरम, कोझीकोड – 673635	1968
86.	कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, कोच्ची – 682022	1971
87.	कन्नूर विश्वविद्यालय, कन्नूर – 670562	1997
88.	केरल कृषि विश्वविद्यालय, थ्रीसूर – 680656	1972
89.	केरल विश्वविद्यालय, तिरूवन्नतपुरम – 695034	1937
90.	महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम – 686560	1983
91.	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कलाडी – 683574	1994
	मध्य प्रदेश	
92.	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा – 486003	1968
93.	बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल – 462026	1970
94.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर – 452001	1964
95.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर – 482004	1964
96.	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर – 474011	1964
97.	महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट – 485331, जिला सतना,(राज्य विश्वविद्यालय)	1993
98.	एम.पी.भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल – 462016	1995

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
99.	नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भादभादा रोड, बारकेरी कलां, भोपाल	1999
100.	राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल – 462036	2004
101.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर – 482001	1957
102.	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन – 456010	1957
	महाराष्ट्र	
103.	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद – 431004	1958
104.	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर टैक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, लोनेरे – 402103	1992
105.	डॉ, पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला – 444104	1969
106.	कवि कुलगुरू कालीदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक, महाराष्ट्र	1999
107.	कोंकण कृषि विद्यापीठ दपोली, जिला रत्नागिरि – 415712	1972
108.	महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहुरी – 413722	1968
109.	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभानी – 431402	1983
110.	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई – 400032	1857
111.	नार्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जलगाँव – 425001	1991
112.	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे – 411007	1949
113.	संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती – 444602	
114.	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर – 416004	1962
115.	श्रीमती नाथीबाई दमोदर थाकरसे महिला विश्वविद्यालय, मुम्बई – 400020	1951
116.	सोलापुर विश्वविद्यालय, सोलापुर, सोलापुर पुणे मार्ग, केगांव, सोलापुर–413255	2004
117.	स्वामी रामानन्द तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, नादेंड – 431606	1995
118.	यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक – 422222	1990
119.	द राष्ट्रसंत तुकादोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर – 440001 (महाराष्ट्र)	1923
	ओड़ीशा	
120.	बेरहामपुर विश्वविद्यालय, बेरहामपुर – 760007	1967
121.	फकीर मोहन विश्वविद्यालय, बालासोर – 596019	1999
122.	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पीओ बॉक्स–28, कटक – 753001, ओड़ीशा	2008
123.	नार्थ ओड़ीशा यूनिवर्सिटी, बारीपेडा, जिला मयूरभंज – 757003, भुवनेश्वर	1999
124.	ओड़ीशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टैक्नोलॉजी, भुबनेश्वर – 751003	1962
125.	रावेनशाह विश्वविद्यालय, कटक – 753003,	2005
126.	सम्भलपुर विश्वविद्यालय, सम्भलपुर – 768019 – 752003	1967
127.	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी	1981

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
128.	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर 751004	1943
129.	वीर सुरेन्द्र सांई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, पी.ओ. बुरला इंजीनियरिंग कॉलेज, जिला सम्बलपुर, ओडीशा (राज्य विश्वविद्यालय)	
	पंजाब	
130.	बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, कोटकापुरा, फरीदकोट – 151203	2002
131.	गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर – 143005	1969
132.	गुरू अंगद देव वेट्रिनेरी एण्ड एनीमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, लुधियाना – 141004	2005
133.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना – 141004	1962
134.	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला – 147002	1962
135.	द राजीव गाँधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पटियाला – 147001	2006
	राजस्थान	
136.	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर – 342011	1962
137.	जगदगुरू रामभद्राचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, 2–2ए झालाना डूगरी, जयपुर (राजस्थान)	1998
138.	वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा – 324010 .	1987
139.	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर – 305009	1987
140.	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर – 313001	1962
141.	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर – 342004	2004
142.	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर – 334006	1987
143.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर – 302004	1947
144.	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)	2003
	तमिलनाडु	
145.	अलगप्पा विश्वविद्यालय, अलगपा नगर, कराईकुडी – 630003	1985
146.	अन्ना विश्वविद्यालय, गुंडई, चेन्नई – 600025*	2006
147.	अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर – 608002	1929
148.	भरथियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर – 641046	1982
149.	भारथीदासन विश्वविद्यालय, त्रिचुरापल्ली – 620024	1982
150.	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई – 600005	1857
151.	मदुराई कामराज विश्वविद्यालय, मदुराई – 625021	1965
152.	मनोनमनीयम सुन्दरनार विश्वविद्यालय, तिरूनेलवेल्ली – 627012	1992
153.	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोडाईकनाल – 624102	1984
154.	पेरियार विश्वविद्यालय, सेलम – 636011	1998
155.	तमिल विश्वविद्यालय, थंजावुर – 613005	1981

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
156.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर – 641003	1971
157.	तमिलनाडु डॉ. अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, चेन्नई – 600028	1998
158.	तमिलनाडु डॉ. एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी अन्ना सलाई, चेन्नई – 600032	1989
159.	तमिलनाडु वेट्रिनेरी एण्ड एनीमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, चेन्नई – 600051	1990
160.	तिरूवल्लूर विश्वविद्यालय, फोर्ट, वेल्लूर– 632004	2003
	उत्तर प्रदेश	
161.	बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी – 284128	1975
162.	चन्द्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टैक्नोलॉजी, कानपुर – 208002	1974
163.	छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी, कानपुर – 208024	1965
164.	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ –250005	1965
165.	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर – 273009	1957
166.	डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद – 224001	1975
167.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा – 282004	1927
168.	डॉ. राममनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सेक्टर – डी–1, एल.डी. 'ए', कानपुर रोड़ स्कीम, लखनऊ	2005
169.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ – 226007	1921
170.	एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली – 243006	1975
171.	महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी – 221002	1974
172.	नरेन्द्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टैक्नोलॉजी, फैजाबाद – 224229	1974
173.	सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी – 221002	1958
174.	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर – 222002	1987
	उत्तराखण्ड	
175.	दून विश्वविद्यालय, कैम्पस कार्यालय, 388/2, इंदिरा नगर, देहरादून (25-26 फरवरी, 2011)	2005
176.	जी.बी. पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एण्ड टैक्नोलॉजी, पंतनगर – 263145	1960
177.	कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल – 263001	1973
	पश्चिम बंगाल	
178.	बिधान चन्द्रा कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर, नाडिया – 741252	1974
179.	वर्द्धमान विश्वविद्यालय, राजवती, वर्द्धमान – 713104	1960
180.	कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता – 700073	1857
181.	जाधवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता – 700032	1955
182.	कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी – 741235	1960
183.	नार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, राजा राम मोहनपुर, दार्जलिंग – 734430	1962

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
184.	प्रेजीडेंसी यूनिवर्सिटी, 86/1 कॉलेज स्ट्रीट, कोलकाता – 700073, पश्चिम बंगाल	2010
185.	रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय, कोलकाता – 700050	1962
186.	द बंगाल इंजीनियरिंग एण्ड साइंस यूनिवर्सिटी, शिवपुर, हावड़ा – 711103 (सम विश्वविद्यालय से राज्य विश्वविद्यालय में परिवर्तित)	2004
187.	द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंस, एनयूजेएस भवन, 12 एलबी ब्लॉक, सेक्टर–3, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता	2004
188.	विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर – 721102	
189.	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्नोलॉजी, बीएफ–142, साल्ट लेक, कोलकाता – 700091	2001
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	
190.	दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, शाहबाद दौलतपुर, बवाना रोड़, दिल्ली (राज्य विश्वविद्यालय)	2009
191.	गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रपस्थ विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली – 110006	1998
192.	इन्द्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गोविन्दपुरी मेट्रो स्टेशन के निकट, ओखला इंडस्ट्रीयल एस्टेट, फेस–3, नई दिल्ली – 110020	2008
193.	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सेक्टर–14, द्वारका, नई दिल्ली	2008
194.	भारत रत्न बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लोथियान रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006	2007
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र चण्डीगढ़	
195.	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ – 160014	1947

परिशिष्ट-III

वर्ष 2013–2014 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करने वाले दिल्ली के महाविद्यालयों तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों की सूची।

क. वि0अ0आ0 द्वारा सहायता प्राप्त करने वाले दिल्ली के महाविद्यालयों की श्रेणी–वार सूची।

क्र.सं.	श्रेणी संख्या	1. दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालय (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शत–प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान किया जाता है)
1	1.1	कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्ट्डीज
2	1.2	देशबन्धु कॉलेज* (दिवसीय)
3	1.3	दयाल सिंह कॉलेज (दिवसीय)
4	1.4	किरोडी मल कॉलेज*
5	1.5	मिरान्डा हाउस*
6	1.6	रामलाल आनन्द कॉलेज (दिवसीय)
7	1.7	रामानुजन महाविद्यालय (विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित)
8	1.8	जाकिर हुसैन महाविद्यालय (दिवसीय)
9	1.9	आर्यभट्ट महाविद्यालय (विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित)
	उप–योग:- 9	
क्र.सं.	**श्रेणी संख्या**	**2. सांध्यकालीन महाविद्यालय (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शत–प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान किया जाता है)**
10	2.1	दयाल सिंह महाविद्यालय (विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित)
11	2.2	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (दिल्ली प्रशासन)
12	2.3	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (न्यास)
13	2.4	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (दिल्ली प्रशासन)
14	2.5	श्याम लाल महाविद्यालय (दिल्ली प्रशासन)
15	2.6	सत्यवती सह–शिक्षा महाविद्यालय (दिल्ली प्रशासन)
16	2.7	श्री अरबिन्दो महाविद्यालय (दिल्ली प्रशासन)
17	2.8	जाकिर हुसैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय (न्यास)
	उप–योग:- 8	
क्र.सं.	**श्रेणी संख्या**	**3. दिल्ली प्रशासन के अधीन महाविद्यालय (95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और 5 प्रतिशत दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रदान किया जाता है।)**
18	3.1	भारती महाविद्यालय
19	3.2	दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एण्ड कामर्स
20	3.3	विवेकानन्द महाविद्यालय

*ऐसे विस्तारित महाविद्यालय जिनमें 1000 से अधिक छात्र हैं और जो भात–प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।

21	3.4	गार्गी महाविद्यालय *
22	3.5	कालिन्दी महाविद्यालय *
23	3.6	कमला नेहरू महाविद्यालय *
24	3.7	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय *
25	3.8	मैत्रेयी महाविद्यालय *
26	3.9	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय * (दिवसीय)
27	3.10	राजधानी महाविद्यालय *
28	3.11	सत्यवती सह–शिक्षा महाविद्यालय * (दिवसीय)
29	3.12	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय *(दिवसीय)
30	3.13	शिवाजी महाविद्यालय*
31	3.14	श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय*
32	3.15	श्री अरबिन्दो महाविद्यालय* (दिवसीय)
33	3.16	स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय*
	उप–योग:- 16	
क्र.सं.	**श्रेणी संख्या**	**4. न्यास द्वारा प्रबन्धित महाविद्यालय (95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और 5 प्रतिशत अनुदान न्यास द्वारा प्रदान किया जाता है।)**
34	4.1	श्री गुरू गोबिन्द सिंह कॉलेज ऑफ कामर्स
35	4.2	इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनोमिक्स
36	4.3	लेडी इरविन महाविद्यालय
37	4.4	श्री राम कॉलेज ऑफ कामर्स
38	4.5	सेंट स्टीफेन्स महाविद्यालय
39	4.6	आत्माराम सतानधर्म महाविद्यालय*
40	4.7	दौलतराम महाविद्यालय*
41	4.8	हंसराज महाविद्यालय*
42	4.9	हिन्दू महाविद्यालय*
43	4.10	इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय*
44	4.11	जानकी देवी मेमोरियल महाविद्यालय*
45	4.12	जीसस एण्ड मेरी महाविद्यालय*
46	4.13	लेडी श्रीराम महिला महाविद्यालय*
47	4.14	माता सुन्दरी महिला महाविद्यालय*
48	4.15	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय* (दिवसीय)
49	4.16	रामजस महाविद्यालय*
50	4.17	श्यामलाल महाविद्यालय* (दिवसीय)
51	4.18	एस.जी.टी.बी. खालसा कॉलेज* (दिवसीय)
52	4.19	श्री गुरू नानक देव खालसा कॉलेज*

***ऐसे विस्तारित महाविद्यालय जिनमें 1000 से अधिक छात्र हैं और जो भात–प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।**

53	4.20	श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय*
	उप–योग:- 20	
	महा योग:- 53	

ख.	**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता प्राप्त कर रहे दिल्ली महाविद्यालयों के छात्रावासों की सूची।**
1	दौलतराम महाविद्यालय
2	हंसराज महाविद्यालय
3	हिन्दू महाविद्यालय
4	इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय
5	किरोड़ी मल महाविद्यालय
6	लेडी श्रीराम महिला महाविद्यालय
7	लेडी इरविन महाविद्यालय
8	मिरान्डा हाउस
9	रामजस महाविद्यालय
10	सेंट स्टीफेन्स महाविद्यालय
11	श्री राम कॉलेज ऑफ कामर्स
12	जाकिर हुसैन महाविद्यालय (दिवसीय)
	दिल्ली सरकार के अधीन ग्यारह महाविद्यालयों की सूची जो केवल योजनागत अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र हैं
1	आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यलय, गोविन्द पुरी, कालकाजी, नई दिल्ली– 110019
2	भगिनी निवेदिता महाविद्यालय, कैर (नजफगढ़ के निकट) नई दिल्ली– 110043
3	भास्कराचार्य महाविद्यालय, सेक्टर–2 फेज–1, द्वारका, नई दिल्ली– 110075
4	केशव महाविद्यालय,एच–4–5 ज़ोन, पीतमपुरा, दिल्ली–110034
5	शहीद राजगुरू अनुप्रयुक्त विज्ञान महिला महाविद्यालय, झिलमिल कालोनी, विवेक विहार दिल्ली–110095
6	महाराज अग्रसेन महाविद्यालय, पाकेट–IV, फेज–1, मयूर विहार, दिल्ली–94
7	भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय, मेन वजीराबाद रोड, यमुना विहार के निकट, दिल्ली–110094
8	दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन, (दृष्टि बाधित), लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, ओबेराय होस्टल के निकट, नई दिल्ली–110003
9	दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय, शिवाजी मार्ग, कर्म पुरा, नई दिल्ली– 110015
10	अदिती महाविद्यालय, औचन्दी रोड, बवाना, दिल्ली–110039
11	सुखदेव अनुप्रयुक्त विज्ञान महाविद्यालय, झिलमिल कालोनी, विवेक विहार, नई दिल्ली–110095
4	**बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के महाविद्यालय**
1	आर्य महिला डिग्री कॉलेज, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
2	डी.ए.वी. डिग्री कॉलेज, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
3	वसन्त कन्या महाविद्यालय, कामाक्षा, वाराणसी,
4	वसन्त कॉलेज फॉर वीमेन, राजघाट फोर्ट, वाराणसी

***ऐसे विस्तारित महाविद्यालय जिनमें 1000 से अधिक छात्र हैं और जो भात–प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।**

परिशिष्ट-IV

दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार स्वायत्तशासी महाविद्यालयों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय का नाम	स्वायत्त महाविद्यालयों की संख्या	उप–योग
	आन्ध्र प्रदेश		
1.	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय	13	85
2	अदिविकी नन्नया विश्वविद्यालय, राजमुन्दरी	01	
3.	अन्ध्रा विश्वविद्यालय	14	
4.	जवाहर लाल नेहरू टैक्नालॉजिकल यूनिवर्सिटी, काकीनाडा, आन्ध्र प्रदेश	08	
5,	जवाहर लाल नेहरू टैक्नालॉजिकल यूनिवर्सिटी,अनन्तपुर	08	
6.	जवाहर लाल नेहरू टैक्नालॉजिकल यूनिवर्सिटी, कुकाटपल्ली, हैदराबाद	09	
7.	काकतीया विश्वविद्यालय	02	
8.	कृष्णा विश्वविद्यालय, मछलीपट्टनम	03	
9.	ओस्मानिया यूनिवर्सिटी,	19	
10.	रायलसीमा विश्वविद्यालय, कुरनूल	03	
11	श्री कृष्णा देवराय विश्वविद्यालय	01	
12.	श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, तिरूपति	03	
13.	विक्रम सिम्हापुरी विश्वविद्यालय, नेल्लोर	01	
	असम		
1.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, असम	01	01
	बिहार		
1.	बी0एन0मण्डल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	01	01
	छत्तीसगढ़		
1	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	04	10
2	पं0 रविशंकर विश्वविद्यालय	06	
	गुजरात		
1	भावनगर विश्वविद्यालय	01	02
2	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट	01	
	हरियाणा		
1	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय	01	01
	हिमाचल प्रदेश		
1	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	05	05

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय का नाम	स्वायत्त महाविद्यालयों की संख्या	उप–योग
	जम्मू और कश्मीर		
1.	जम्मू विश्वविद्यालय	02	03
2.	कश्मीर विश्वविद्यालय	01	
	झारखण्ड		
1	राँची विश्वविद्यालय	05	05
	कर्नाटक		
1	बैंगलूरू विश्वविद्यालय	11	49
2	दावानगेरे विश्वविद्यालय	01	
3	कर्नाटक विश्वविद्यालय,	02	
4	कुवेम्पू विश्वविद्यालय	02	
5	मैंगलोर विश्वविद्यालय	07	
6	मैसूर विश्वविद्यालय	07	
7	रानी चेन्नम्मा विश्वविद्यालय,बेलगाम	02	
8	विश्वेश्वरैया टैक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय	17	
	मध्य प्रदेश		
1	ए.पी.सिंह विश्वविद्यालय	04	36
2	बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय	07	
3	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	08	
4	डा0 हरि सिंह गौड विश्वविद्यालय	03	
5	जीवाजी विश्वविद्यालय	03	
6	राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल	02	
7	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय	07	
8	विक्रम विश्वविद्यालय	02	
	महाराष्ट्र		
1	डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय	02	27
2	पुणे विश्वविद्यालय	05	
3	राष्ट्रसंत तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय	03	
4	एस0एन0डी0टी0 महिला विश्वविद्यालय	01	
5	संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय	03	
6	शिवाजी विश्वविद्यालय	03	
7	स्वामी रामानन्द तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	02	
8	मुम्बई विश्वविद्यालय	08	
	मणिपुर		
1	मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल	01	01

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय का नाम	स्वायत्त महाविद्यालयों की संख्या	उप–योग
	नागालैण्ड		
1	नागालैण्ड यूनिवर्सिटी	01	01
	ओड़ीशा		
1	बेरहामपुर विश्वविद्यालय	07	38
2	बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्नोलॉजी,	02	
3	फकीर मोहन विश्वविद्यालय	02	
4	नार्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी,	03	
5	सम्भलपुर विश्वविद्यालय	08	
6	उत्कल विश्वविद्यालय	16	
	पुदुचेरी		
1	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	02	02
	पंजाब		
1	गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	01	05
2	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़	01	
3	पंजाब टैक्निकल यूनिवर्सिटी, जालंधर	02	
4	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला	01	
	राजस्थान		
1	जय नारायन व्यास विश्वविद्यालय(जोधपुर)	01	03
2	राजस्थान विश्वविद्यालय	02	
	तमिलनाडु		
1	अल्गप्पा विश्वविद्यालय	01	156
2	अन्ना विश्वविद्यालय	29	
3	भारथीदासन विश्वविद्यालय	23	
4	भरथियार विश्वविद्यालय	22	
5	मद्रास विश्वविद्यालय	22	
6	मदुराई कामराज विश्वविद्यालय	25	
7	मनोनमनीयम सुन्दरनार विश्वविद्यालय	07	
8	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय	02	
9	पेरियार विश्वविद्यालय	05	
10	तमिलनाडु स्टेट फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी	02	
11	तमिलनाडु टीचर्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी, चेन्नई	10	
12	थिरुवल्लुवर विश्वविद्यालय	08	

क्र.	राज्य/विश्वविद्यालय का नाम	स्वायत्त महाविद्यालयों की संख्या	उप-योग
	उत्तर प्रदेश		
1	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	01	12
2	छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	01	
3	डॉ0 बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	01	
4	गौतम बुद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय, लखनऊ	05	
5	महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	02	
6	यू.पी. तकनीकी विश्वविद्यालय,लखनऊ	01	
7	लखनऊ विश्वविद्यालय	01	
	उत्तराखण्ड		
1	एच0एन0बी0 गढवाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर	01	04
2	उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून, उत्तराखण्ड	03	
	पश्चिम बंगाल		
1	कोलकाता विश्वविद्यालय	04	08
2	विद्यासागर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल	01	
3	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्नोलॉजी, कोलकाता	01	
		कुल	**454**

राज्यों की संख्या : 22

विश्वविद्यालयों की संख्या : 87

महाविद्यालयों की संख्या : 454

परिशिष्ट-V

वर्ष 2013–2014 के दौरान अकादमिक स्टॉफ कॉलेजों की राज्यवार सूची

राज्य का नाम	क्र.सं.	वि0अ0आ0– अकादमिक स्टॉफ कॉलेज
आन्ध्र प्रदेश	1.	आन्ध्रा विश्वविद्यालय, वाल्टेयर, विशाखापत्नम -530 003
	2.	हैदराबाद विश्वविद्यालय,, हैदराबाद – 500 046
	3.	ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद -500 007
	4.	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरूपति -517 502
	5.	जवाहर लाल नेहरू टैक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद – 500072
	6.	मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद -500 032
असम	7.	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गोपीनाथ बारदोलोई नगर, गुवाहाटी – 781014
बिहार	8.	बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार -842 001
	9.	पटना विश्वविद्यालय, शिक्षा विभाग भवन, बारीपत, दरियापुर, पटना - 800 004 (बिहार)
छत्तीसगढ़	10.	पं0 रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर – 492 010
	11.	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, जी.जी.यू. कैम्पस, बिलासपुर - 495 009
दिल्ली	12.	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली -110007
	13.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली – 110025
	14.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली - 110 067.
गोवा	15.	गोवा विश्वविद्यालय, तेलेंगाव, प्लेटो, डाकघर बाम्बोलिम, गोवा - 403 202
गुजरात	16.	गुजरात विश्वविद्यालय, नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 300 009
	17.	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय मार्ग, राजकोट - 360 005
	18.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर, - 388 120
हरियाणा	19.	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र- 132 119
	20.	बी.पी.एस. महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत -131 305 (हरियाणा)
	21.	गुरू जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, हिसार - 125 001
हिमाचल प्रदेश	22.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला – 171 005 (हिमाचल प्रदेश)
झारखण्ड	23.	राँची विश्वविद्यालय, मोराबादी कैम्पस, राँची - 834 008
जम्मू और कश्मीर	24.	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू -180 006
	25.	कश्मीर विश्वविद्यालय, हजरतबल, श्रीनगर - 190 006.
कर्नाटक	26.	बंगलूरू विश्वविद्यालय, ज्ञान भारती, बंगलूरू - 560 056
	27.	कर्नाटक विश्वविद्यालय, पावाती नगर, धारवाड़- 580 003
	28.	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर - 670 005

राज्य का नाम	क्र.सं.	वि0अ0आ0— अकादमिक स्टॅाफ कॉलेज
केरल	29.	कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट – 673 535
	30.	केरल विश्वविद्यालय, गेस्ट हाऊस बिल्डिंग, करियावट्टम- 695 581
	31.	कन्नूर विश्वविद्यालय, मंगाटूपरम्बा, कन्नूर - 670 567
मध्य प्रदेश	32.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, तक्षिला परिसर, खांडवा मार्ग, इंदौर - 452 001
	33.	डॉ0 एच.एस. गौर विश्वविद्यालय, सागर - 470 003
	34.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर - 482 001
	35.	लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजूकेशन, शक्ति नगर, ग्वालियर - 474 002.
महाराष्ट्र	36.	डॉ0 बी.ए. मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद -431 004 (महाराष्ट्र)
	37.	मुम्बई विश्वविद्यालय, प्रथम तल,रानाडे भवन, विद्या नागरी, कैम्पस, कलिंगा, सांताक्रूज, (पूर्व) मुम्बई-400098
	38.	नागपुर विश्वविद्यालय, अम्बाविहार, साऊथ अम्बाजरी रोड, नागपुर - 400 022.
	39.	पुणे विश्वविद्यालय, गनेशखिण्ड, पुणे - 411 007
	40.	संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती - 444 602
मणिपुर	41.	मणिपुर विश्वविद्यालय, काँचीपुर, इम्फाल – 795 003
मेघालय	42.	नार्थ–इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, डाकघर नेहू, कैम्पस, मायकनरोह उमशिंग, शिलांग – 793 022
मिजोरम	43.	मिजोम विश्वविद्यालय, पोस्ट बाक्स नम्बर 190, आइॅज़ाल
ओड़ीशा	44.	उत्कल विश्वविद्यालय, वाणी विहार, भुवनेश्वर - 751 004
	45.	सम्बलपुर विश्वविद्यालय, ज्योति विहार, सम्बलपुर - 768 019
पुदुचेरी	46.	पुदुचेरी विश्वविद्यालय, लॉसपेट, पुदुचेरी–605008
पंजाब	47.	गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर - 143 005.
	48.	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़- 160 014.
	49.	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला - 147 002
राजस्थान	50.	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर - 342 001
	51.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर - 302 004 (राजस्थान)
	52.	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर - 305 001
तमिलनाडु	53.	भरथियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर - 641 045
	54.	भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरूचिरापल्ली -620 023
	55.	मद्रास विश्वविद्यालय, सेनेटरी बिल्डिंग, चेपोक, चेन्नई - 600 005
	56.	मदुराई कामराज विश्वविद्यालय, पलकालाई नगर, मदुराई - 625 021
उत्तर प्रदेश	57.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़- 202 001
	58.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद - 211 002
	59.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी -221 005
	60.	डी.डी.यू. गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर -273 009
	61.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ -226 007

राज्य का नाम	क्र.सं.	वि0अ0आ0– अकादमिक स्टॉफ कॉलेज
उत्तराखण्ड	62.	कुमायूँ विश्वविद्यालय, नैनीताल – 263 001
पश्चिम बंगाल	63.	वर्द्धमान विश्वविद्यालय, वर्द्धमान –713 104
	64.	कोलकाता विश्वविद्यालय, 92, ए0पी0चन्द्रा रोड, कोलकाता–700009
	65.	जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता–700032
	66.	नार्थ बंगाल यूनीवर्सिटी, सिलिगुड़ी, दार्जलिंग–734 013

परिशिष्ट-VI

वर्ष 2013–14 के दौरान देश में वि0अ0आ0–नेट परीक्षा हेतु केन्द्रों की सूची

केन्द्र का कोड	केन्द्र का नाम
01	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़–202 002
02	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद–211 002
03	आन्ध्रा विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम–530 003
04	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर–791 112
05	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी–221 005
06	बंगलूरू विश्वविद्यालय, बंगलूरू–560 056
07	एम.पी.भोज मुक्त विश्वविद्यालय, गोविन्दपुरा, भोपाल–462016
08	बेरहामपुर विश्वविद्यालय, बेरहामपुर–760 007
09	भरथियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर–641 046
10	भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरूचिरापल्ली–620 024
11	वर्द्धमान विश्वविद्यालय, वर्द्धमान–713 104
12	कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता–700 073
13	कालीकट विश्वविद्यालय, कोझीकोड–673 635
14	चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ–250 005
15	छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर–208024
16	कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोच्चो–682022
17	गुरू गोबिन्द सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली–110075 (जून, 2012 में आयोजित वि0अ0आ0–नेट परीक्षा हेतु)
	किरोडी मल महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली–110007 (दिसम्बर, 2012 में आयोजित वि0अ0आ0–नेट परीक्षा हेतु)
18	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर–452 001
19	डॉ0 बी.एस.ए. मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद–431004
20	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी–781 014
21	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा–403 203
22	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर–273009
23	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद–380 009
24	गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा–585 106
25	गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर–143 005
26	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला–171 005
27	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू (तवी)–180 006
28	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर–342 001
29	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर–474 011
30	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़–580 003
31	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर–190 006
32	केरल विश्वविद्यालय, तिरूअनन्तपुरम–695 034
33	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र–132 119
34	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ–226 007
35	एम.एस. बड़ौदा विश्वविद्यालय, वडोदरा–390 002
36	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई–600 005
37	मदुराई कामराज विश्वविद्यालय, मदुराई–625 021
38	मंगलोर विश्वविद्यालय, मंगलोर–574 199
39	मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल–795 003
40	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर–313 001
41	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई–400 032
42	नार्गाजुन विश्वविद्यालय, गुंटूर–522 510
43	नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर–440 001
44	नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, दार्जलिंग–734 430
45	नार्थ इस्टर्न हिल विश्वविद्यालय, शिलांग–793 022
46	ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद–500 007
47	पं0 रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर–492 010
48	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़–160 014
49	पटना विश्वविद्यालय, पटना–800 005
50	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे–411 007

केन्द्र का कोड	केन्द्र का नाम
51	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर–302 004
52	राँची विश्वविद्यालय, राँची–834 008
53	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर–482 001
54	एच.एन. बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर–246 174
55	सम्बलपुर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर–768 019
56	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट–360 005
57	श्री वेंकेटेश्वरा विश्वविद्यालय, तिरूपति–517 502
58	तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर–812 007
59	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला–799 004
60	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर–751 004
61	डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा–282 004
62	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर–305 009
63	मिजोरम विश्वविद्यालय, मिजोरम, पो0 बाक्स नं0 190, आइज़ॉल–796 012
64	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, पो0 बाक्स नं0 341, लुमानी, कोहिमा–797 001
65	जवाहर लाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर–744104
66	अवधेशप्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा–486 003
67	असम विश्वविद्यालय, सिलचर–788 001 (असम)
68	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़–786 004

केन्द्र का कोड	केन्द्र का नाम
69	सिक्किम विश्वविद्यालय, 6 माइल, सामदुर, पी.ओ. तडांग–737 102 (गंगटोक, सिक्किम)
70	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर–784 028
71	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान
72	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक–124 001
73	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला–147 002
74	मैसूर विश्वविद्यालय, कॉफोर्ड हॉल, मैसूर–570 005
75	दून विश्वविद्यालय, मोथारावाला रोड, केदारपुर, पो0आ0 अजाबपुर कलान,देहरादून
76	कुमांउ विश्वविद्यालय, नैनीताल–263001
77	पुदुचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी–605014
78	गुरू जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार–125001
79	वाईएमसीए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद–121006 (हरियाणा)
80	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, कोनी, बिलासपुर–495009
81	नार्थ महाराष्ट्र यूनीवर्सिटी, पोस्ट बाक्स नम्बर 80, उमावीनगर, जलगांव–425001
82	संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती–444602
83	शिवाजी विश्वविद्यालय, विद्यानगर, कोहलापुर–416004
84	कोटा विश्वविद्यालय,एमबीएस मार्ग, कोटा–324005

नोट : क्र0सं0 78 और 79 पर उल्लिखित समन्वयक संस्थानों को जून, 2013 से आयोजित वि0अ0आ0–नेट परीक्षा तथा 80 से 84 पर उल्लिखित समन्वयक संस्थानों को दिसम्बर, 2013 से आयोजित वि0अ0आ0–नेट परीक्षा से सम्मिलित किया गया है।

परिशिष्ट-VII

वर्ष 2013–2014 के दौरान वि0अ0आ0–नेट विषयों की सूची

क्र.सं.	विषय कोड	विषय का नाम
1	01	अर्थशास्त्र
2	02	राजनीति विज्ञान
3	03	दर्शनशास्त्र
4	04	मनोविज्ञान
5	05	समाज विज्ञान
6	06	इतिहास
7	07	मानव विज्ञान
8	08	वाणिज्य
9	09	शिक्षा शास्त्र
10	10	सामाजिक कार्य
11	11	रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन
12	12	गृह विज्ञान
13	14	लोक प्रशासन
14	15	जनसंख्या अध्ययन
15	16	संगीत
16	17	प्रबंधन
17	18	मैथिली
18	19	बंगला
19	20	हिन्दी
20	21	कन्नड़ भाषा
21	22	मलयालम भाषा
22	23	उड़िया भाषा
23	24	पंजाबी भाषा
24	25	संस्कृत भाषा
25	26	तमिल भाषा
26	27	तेलुगू भाषा
27	28	उर्दू भाषा
28	29	अरबी भाषा
29	30	अंग्रेजी भाषा
30	31	भाषा विज्ञान
31	32	चीनी भाषा
32	33	डोगरी भाषा
33	34	नेपाली भाषा
34	35	मणिपुरी भाषा
35	36	असमिया भाषा
36	37	गुजराती भाषा
37	38	मराठी भाषा
38	39	फ्रेंच भाषा
39	40	स्पेनिश भाषा
40	41	रूसी भाषा
41	42	फारसी भाषा
42	43	राजस्थानी भाषा
43	44	जर्मन भाषा
44	45	जपानी भाषा
45	46	प्रौढ़ शिक्षा/अनुवर्ती शिक्षा/एण्ड्रोगोगी/अनौपचारिक शिक्षा
46	47	शारीरिक शिक्षा
47	49	अरबी संस्कृति तथा इस्लामिक अध्ययन
48	50	भारतीय संस्कृति
49	55	श्रम कल्याण/कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संबंध/श्रम तथा समाज कल्याण/मानव संसाधन प्रबंधन

क्र.सं.	विषय कोड	विषय का नाम
50	58	विधि शास्त्र
51	59	पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान
52	60	बौद्ध, जैन, गाँधी तथा शांति अध्ययन
53	62	धर्मो का तुलनात्मक अध्ययन
54	63	जन संचार तथा पत्राचार
55	65	कला प्रदर्शन – नृत्य, नाटक, मंच
56	66	म्यूजियोलॉजी एण्ड कंर्जवेशन
57	67	आर्कियोलॉजी
58	68	अपराध विज्ञान
59	70	जनजातीय तथा प्रादेशिक भाषा/साहित्य
60	71	लोक साहित्य
61	72	तुलनात्मक साहित्य
62	73	संस्कृत परंपरागत विषय (ज्योतिष/सिद्धांत ज्योतिष/नव्य व्याकरण/व्याकरण/मीमांसा/नव्य न्याय/सांख्य योग/तुलनात्मक दर्शन/शुक्ल यजुर्वेद/मध्व वेदांत/धर्मशास्त्र/साहित्य/पुराण इतिहास/अगम/अद्वैत वेदांत)
63	74	महिला अध्ययन

क्र.सं.	विषय कोड	विषय का नाम
64	79	दृश्य कला (ड्राइंग एण्ड पेंटिंग/शिल्प/ग्राफिक्स/अप्लाइड आर्ट/कला का इतिहास)
65	80	भूगोल
66	81	सामाजिक चिकित्सा तथा सामुदायिक स्वास्थ्य
67	82	फॉरेंसिक विज्ञान
68	83	पालि भाषा
69	84	कश्मीरी भाषा
70	85	कोंकणी भाषा
71	87	कंप्यूटर विज्ञान एवं अनुप्रयोग
72	88	इलेक्ट्रानिक विज्ञान
73	89	पर्यावरण विज्ञान
74	90	अन्तर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय अध्ययन
75	91	प्राकृत भाषा
76	92	मानव अधिकार तथा कर्तव्य
77	93	पर्यटन प्रशासन तथा प्रबंधन
78	94	बोडो भाषा
79	96	संथाली

नोट : दिसम्बर, 2013 को आयोजित वि0अ0आ0–नेट परीक्षा से 'संथाली भाषा' को नेट विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है।

परिशिष्ट-VIII

परिशिष्ट–VIII

वर्ष 2013–14 के दौरान विश्वविद्यालयों को प्रदत्त गैर–योजनागत (मुख्य शीर्षवार) अनुदान को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		ईएमएमआरसी एवं सीईसी			सीईसी के अलावा आईयूसी(एस)		
			क्षेत्रक 04			क्षेत्रक 05		
			पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन
	केन्द्रीय विश्वविद्यालय							
1	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	मु.का.						
		क्षे.का.						
2	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	मु.का.						
		क्षे.का.						
3	असम विश्वविद्यालय, सिलचर	मु.का.						
		क्षे.का.						
4	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	मु.का.						
		क्षे.का.						
5	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	मु.का.						
		क्षे.का.						
6	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	मु.का.						
		क्षे.का.						
7	डॉ0 एच.एस. गौर विश्वविद्यालय, सागर	मु.का.	6.49	14.11	61.90			
		क्षे.का.						
8	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर	मु.का.						
		क्षे.का.						
9	एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर	मु.का.						
		क्षे.का.						
10	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	मु.का.						
		क्षे.का.						
11	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	मु.का.						
		क्षे.का.						
12	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	मु.का.						
		क्षे.का.						
13	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा	मु.का.						
		क्षे.का.						

(लाख रुपये में)

पंजाब विश्वविद्यालय को प्रदत्त अनुरक्षण अनुदान			सम विश्वविद्यालय को प्रदत्त अनुरक्षण अनुदान			केन्द्रीय विश्वविद्यालय को प्रदत्त अनुरक्षण अनुदान			कुल			समग्र अनुदान (पेंशन + गैर–वेतन + वेतन)
क्षेत्रक 06			क्षेत्रक 07			क्षेत्रक 08						
पेंशन	गैर–वेतन	Salary	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	
						7861.43	2650.00	50860.48	7861.43	2650.00	50860.48	61371.91
									0.00	0.00	0.00	0.00
						2986.42	1125.00	14156.64	2986.42	1125.00	14156.64	18268.06
									0.00	0.00	0.00	0.00
						99.32	550.00	4150.86	99.32	550.00	4150.86	4800.18
									0.00	0.00	0.00	0.00
						20.83	630.83	1202.90	20.83	630.83	1202.90	1854.56
									0.00	0.00	0.00	0.00
						11017.30	3100.00	48481.85	11017.30	3100.00	48481.85	62599.15
									0.00	0.00	0.00	0.00
						8602.00	4800.00	29595.05	8602.00	4800.00	29595.05	42997.05
									0.00	0.00	0.00	0.00
						1661.14	500.00	6346.70	1667.63	514.11	6408.60	8590.34
									0.00	0.00	0.00	0.00
						32.13	300.00	2708.49	32.13	300.00	2708.49	3040.62
									0.00	0.00	0.00	0.00
						91.67	500.00	5672.84	91.67	500.00	5672.84	6264.51
									0.00	0.00	0.00	0.00
						1813.36	1850.00	10842.11	1813.36	1850.00	10842.11	14505.47
									0.00	0.00	0.00	0.00
						2101.88	1650.00	15012.13	2101.88	1650.00	15012.13	18764.01
									0.00	0.00	0.00	0.00
						3070.67	2427.17	14163.07	3070.67	2427.17	14163.07	19660.91
									0.00	0.00	0.00	0.00
						80.00	450.00	1132.56	80.00	450.00	1132.56	1662.56
									0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 04			क्षेत्रक 05		
			पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन
14	मणीपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल	मु.का.	19.83	44.82	133.49			
		क्षे.का.						
15	मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	मु.का.						
		क्षे.का.						
16	मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजौल	मु.का.						
		क्षे.का.						
17	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कोहिमा	मु.का.						
		क्षे.का.						
18	नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग	मु.का.						
		क्षे.का.						
19	पुदुचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी	मु.का.						
		क्षे.का.						
20	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर	मु.का.						
		क्षे.का.						
21	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर	मु.का.						
		क्षे.का.						
22	द इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी	मु.का.	32.93	22.88	120.10			
		क्षे.का.						
23	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला	मु.का.						
		क्षे.का.						
24	विश्वभारती शान्ति निकेतन	मु.का.						
		क्षे.का.						
	कुल	मु.का.	**59.25**	**81.81**	**315.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग		**59.25**	**81.81**	**315.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	सम विश्वविद्यालय							
1	अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एण्ड हायर एजूकेशन	मु.का.						
		क्षे.का.						
2	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा	मु.का.						
		क्षे.का.						
3	गांधीग्राम रूरल इंस्टिट्यूट, डिन्डीगुल	मु.का.						
		क्षे.का.						
4	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	मु.का.						
		क्षे.का.						
5	गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	मु.का.						
		क्षे.का.						

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 06			क्षेत्रक 07			क्षेत्रक 08			कुल			समग्र अनुदान
पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	
						746.54	450.00	5695.15	766.37	494.82	5828.64	7089.83
									0.00	0.00	0.00	0.00
						3.33	450.00	2331.23	3.33	450.00	2331.23	2784.56
									0.00	0.00	0.00	0.00
						92.26	750.00	3345.56	92.26	750.00	3345.56	4187.82
									0.00	0.00	0.00	0.00
						497.81	650.00	3862.28	497.81	650.00	3862.28	5010.09
									0.00	0.00	0.00	0.00
						1232.43	1550.00	7650.27	1232.43	1550.00	7650.27	10432.70
									0.00	0.00	0.00	0.00
						418.58	1100.00	6007.53	418.58	1100.00	6007.53	7526.11
									0.00	0.00	0.00	0.00
						100.78	600.00	1537.24	100.78	600.00	1537.24	2238.02
									0.00	0.00	0.00	0.00
						47.70	600.00	2524.68	47.70	600.00	2524.68	3172.38
									0.00	0.00	0.00	0.00
						270.04	500.00	3289.01	302.97	522.88	3409.11	4234.96
									0.00	0.00	0.00	0.00
						96.57	450.00	1906.85	96.57	450.00	1906.85	2453.42
									0.00	0.00	0.00	0.00
						3553.71	750.00	12267.97	3553.71	750.00	12267.97	16571.68
									0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46497.90	28383.00	254743.45	46557.15	28464.81	255058.94	330080.90
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46497.90	28383.00	254743.45	46557.15	28464.81	255058.94	330080.90
			578.41	249.00	2615.00				578.41	249.00	2615.00	3442.41
									0.00	0.00	0.00	0.00
			185.99	95.00	1879.00				185.99	95.00	1879.00	2159.99
									0.00	0.00	0.00	0.00
			541.98	260.00	2882.00				541.98	260.00	2882.00	3683.98
									0.00	0.00	0.00	0.00
			329.36	220.00	2102.00				329.36	220.00	2102.00	2651.36
									0.00	0.00	0.00	0.00
			326.19	432.00	1972.00				326.19	432.00	1972.00	2730.19
									0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 04			क्षेत्रक 05		
			पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन
6	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	मु.का.						
		क्षे.का.						
7	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति	मु.का.						
		क्षे.का.						
8	श्री चंद्रशेखररेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय कांचीपुरम	मु.का.						
		क्षे.का.						
9	श्री लालबहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	मु.का.						
		क्षे.का.						
10	टाटा इंस्टीटयूट ऑफ सोशल सांसेज, मुंबई	मु.का.						
		क्षे.का.						
	उप–योग	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अंतर–विश्वविद्यालय केन्द्र							
1	कन्सोर्शियम फॉर एजूकेशन कम्यूनिकेशन, नई दिल्ली	मु.का.	108.31	105.09	400.10			
		क्षे.का.						
2	इन्फ्लिबनेट सेंटर, अहमदाबाद	मु.का.				34.45	81.20	419.55
		क्षे.का.						
3	इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलेटर सेंटर, नई दिल्ली	मु.का.				79.29	780.17	2623.54
		क्षे.का.						
4	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एण्ड एस्ट्रोफिज़िक्स, पुणे	मु.का.				48.23	473.79	1591.99
		क्षे.का.						
5	एन.ए.ए.सी. राजाजो नगर, बंगलुरू	मु.का.				15.24	153.20	513.56
		क्षे.का.						
6	यूजीसी डी.ए.ई कन्सोर्शियम फॉर साइन्टिफक रिसर्च, इन्दौर	मु.का.				42.10	414.33	1392.57
		क्षे.का.						
	कुल	मु.का.	108.31	105.09	400.10	219.31	1902.69	6541.21
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		108.31	105.09	400.10	219.31	1902.69	6541.21
	राज्य विश्वविद्यालय							
	आंध्र प्रदेश							
1	ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	मु.का.	28.02	12.20	76.70			
		क्षे.का.						

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 06			क्षेत्रक 07			क्षेत्रक 08			कुल			समग्र अनुदान
पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	
			0.00	0.00	800.00				0.00	0.00	800.00	800.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
			207.98	390.00	1082.00				207.98	390.00	1082.00	1679.98
									0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	7.00				0.00	0.00	7.00	7.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
			290.01	250.00	1483.00				290.01	250.00	1483.00	2023.01
									0.00	0.00	0.00	0.00
			459.22	886.00	3102.00				459.22	886.00	3102.00	4447.22
									0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	2919.14	2782.00	17924.00	0.00	0.00	0.00	2919.14	2782.00	17924.00	23625.14
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	2919.14	2782.00	17924.00	0.00	0.00	0.00	2919.14	2782.00	17924.00	23625.14
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	2919.14	2782.00	17924.00	0.00	0.00	0.00	2919.14	2782.00	17924.00	23625.14
									108.31	105.09	400.10	613.50
									0.00	0.00	0.00	0.00
									34.45	81.20	419.55	535.20
									0.00	0.00	0.00	0.00
									79.29	780.17	2623.54	3483.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
									48.23	473.79	1591.99	2114.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
									15.24	153.20	513.56	682.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
									42.10	414.33	1392.57	1849.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.62	2007.77	6941.31	9276.70
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.62	2007.77	6941.31	9276.70
									28.02	12.20	76.70	116.91
									0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 04			क्षेत्रक 05		
			पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन
	कुल	मु.का.	28.02	12.20	76.70	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		28.02	12.20	76.70	0.00	0.00	0.00
	गुजरात							
1	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	मु.का.	65.69	100.02	264.95			
		क्षे.का.						
	कुल	मु.का.	65.69	100.02	264.95	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		65.69	100.02	264.95	0.00	0.00	0.00
	जम्मू और कश्मीर							
1	कश्मीर विश्वविद्यालय,श्रीनगर	मु.का.	45.50	23.70	155.80			
		क्षे.का.						
	कुल	मु.का.	45.50	23.70	155.80	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		45.50	23.70	155.80	0.00	0.00	0.00
	कर्नाटक							
1	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर	मु.का.	12.23	26.57	58.20			
		क्षे.का.						
	कुल	मु.का.	12.23	26.57	58.20	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		12.23	26.57	58.20	0.00	0.00	0.00
	केरल							
1	कालीकट विश्वविद्यालय, कोजीकोड	मु.का.	12.85	27.95	92.20			
		क्षे.का.						
	कुल	मु.का.	12.85	27.95	92.20	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		12.85	27.95	92.20	0.00	0.00	0.00
	मध्य प्रदेश							
1	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, सागर	मु.का.	16.60	37.40	121.00			
		क्षे.का.						
	कुल	मु.का.	16.60	37.40	121.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		16.60	37.40	121.00	0.00	0.00	0.00
	महाराष्ट्र							
1	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे	मु.का.	32.86	22.75	119.80			
		क्षे.का.						

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 06			क्षेत्रक 07			क्षेत्रक 08			कुल			समग्र अनुदान
पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.02	12.20	76.70	116.91
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.02	12.20	76.70	116.91
									65.69	100.02	264.95	430.66
									0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.69	100.02	264.95	430.66
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.69	100.02	264.95	430.66
									45.50	23.70	155.80	225.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.50	23.70	155.80	225.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.50	23.70	155.80	225.00
									12.23	26.57	58.20	97.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.23	26.57	58.20	97.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.23	26.57	58.20	97.00
									12.85	27.95	92.20	133.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.85	27.95	92.20	133.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.85	27.95	92.20	133.00
									10.60	37.40	121.00	175.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60	37.40	121.00	175.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60	37.40	121.00	175.00
									32.86	22.75	119.80	175.41
									0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 04			क्षेत्रक 05		
			पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन
	कुल	मु.का.	32.86	22.75	119.80	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		32.86	22.75	119.80	0.00	0.00	0.00
	पंजाब							
1	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	मु.का.						
		क्षे.का.						
2	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला	मु.का.	3.72	8.09	37.70			
		क्षे.का.						
	कुल	मु.का.	3.72	8.09	37.70	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		3.72	8.09	37.70	0.00	0.00	0.00
	राजस्थान							
1	जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	मु.का.	9.45	20.55	90.00			
		क्षे.का.						
	कुल	मु.का.	9.45	20.55	90.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		9.45	20.55	90.00	0.00	0.00	0.00
	तमिलनाडु							
1	अन्ना विश्वविद्यालय,चेन्नई	मु.का.	11.08	24.92	79.99			
		क्षे.का.						
2	मदुराई कामराज विश्वविद्यालय, मदुराई	मु.का.	16.22	36.05	130.40			
		क्षे.का.						
	कुल	मु.का.	27.30	60.96	210.40	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		27.30	60.96	210.40	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	मु.का.	254.21	340.18	1226.75	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल		254.21	340.18	1226.75	0.00	0.00	0.00
	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का कुल योग		59.25	81.81	315.49	0.00	0.00	0.00
	समविश्वविद्यालयों का कुल योग		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	विश्वविद्यालयेत्तर/संस्थानों का कुल योग		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों का कुल योग		108.31	105.09	400.10	219.31	1902.69	6541.21
	राज्य विश्वविद्यालयों का कुल योग		254.21	340.18	1226.75	0.00	0.00	0.00
	कुल		421.77	527.08	1942.33	219.31	1902.69	6541.21

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 06			क्षेत्रक 07			क्षेत्रक 08			कुल			समग्र अनुदान
पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.86	22.75	119.80	175.41
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.86	22.75	119.80	175.41
		16300.00							0.00	0.00	16300.00	16300.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
									3.72	8.09	37.70	49.50
									0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	16300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72	8.09	16337.70	16349.50
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	16300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72	8.09	16337.70	16349.50
									9.45	20.55	90.00	120.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.45	20.55	90.00	120.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.45	20.55	90.00	120.00
									11.08	24.92	79.99	115.99
									0.00	0.00	0.00	0.00
									16.22	36.05	130.40	182.67
									0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.30	60.96	210.40	298.66
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.30	60.96	210.40	298.66
0.00	0.00	16300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.21	340.18	1226.75	1821.14
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	16300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.21	340.18	1226.75	1821.14
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46497.90	28383.00	254743.45	46557.15	28464.81	255058.94	330080.90
0.00	0.00	0.00	2919.14	2782.00	17924.00	0.00	0.00	0.00	2919.14	2782.00	17924.00	23625.14
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.62	2007.77	6941.31	9276.70
0.00	0.00	16300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.21	340.18	17526.75	18121.14
0.00	0.00	16300.00	2919.14	2782.00	17924.00	46497.90	28383.00	254743.45	50058.12	33594.77	297450.99	381103.88

परिशिष्ट–VIII (जारी...)

वर्ष 2013–14 के दौरान महाविद्यालयों को प्रदत्त गैर–योजनागत (मुख्य शीर्षवार) अनुदान को दर्शाने वाला विवरण

Sl. No.	University		ईएमएमआरसी एवं सीईसी			दिल्ली विश्वविद्यालय को प्रदत्त अनुरक्षण अनुदान		
			क्षेत्रक 04			क्षेत्रक 08 (i)		
			पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन
	केन्द्रीय विश्वविद्यालय							
1	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	मु.का.						
		क्षे.का.						
2	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	मु.का.				22192.03	1818.90	93677.21
		क्षे.का.						
	कुल	मु.का.	0.00	0.00	0.00	22192.03	1818.90	93677.21
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		0.00	0.00	0.00	22192.03	1818.90	93677.21
	राज्य विश्वविद्यालय							
	पश्चिम बंगाल							
1	कोलकाता यूनिवर्सिटी, कोलकाता	मु.का.	13.35	29.05	127.60			
		क्षे.का.						
	समग्र योग	मु.का.	13.35	29.05	127.60	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल		13.35	29.05	127.60	0.00	0.00	0.00
	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का कुल योग		0.00	0.00	0.00	22192.03	1818.90	93677.21
	समविश्वविद्यालयों का कुल योग		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	विश्वविद्यालयेत्तर/संस्थानों का कुल योग		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अंतरविश्वविद्यालयों केन्द्रों का कुल योग		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	राज्य विश्वविद्यालया का कुल योग		13.35	29.05	127.60	0.00	0.00	0.00
	कुल		13.35	29.05	127.60	22192.03	1818.90	93677.21

(₹ in Lakhs)

बीएचयू महाविद्यालयों को प्रदत्त अनुरक्षण अनुदान			केन्द्रीय विश्वविद्यालय को प्रदत्त अनुरक्षण अनुदान			कुल			समग्र अनुदान (पेंशन + गैर–वेतन + वेतन)
क्षेत्रक 08 (ii)			क्षेत्रक 09						
पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	
270.59	75.00	2611.30				270.59	75.00	2611.30	2956.69
						0.00	0.00	0.00	0.00
			297.10	270.00	7490.20	22409.13	2000.90	101175.41	125753.44
						0.00	0.00	0.00	0.00
270.59	75.00	2611.30	297.10	270.00	7490.20	22759.72	2163.90	103706.71	120710.33
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270.59	75.00	2611.30	297.10	270.00	7490.20	22759.72	2163.90	103706.71	120710.33
						13.35	29.05	127.60	170.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.35	29.05	127.60	170.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.35	29.05	127.60	170.00
270.59	75.00	2611.30	297.10	270.00	7490.20	22759.72	2163.90	103706.71	129710.33
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.35	29.05	127.60	170.00
270.59	75.00	2611.30	297.10	270.00	7490.20	22773.07	2192.95	103914.31	120000.33

परिशिष्ट–VIII

सारांश (गैर–योजनागत) 2013-2014

(लाख रुपये में)

विवरण	(लाख रुपये में)								
	प्रशासनिक प्रभार	ईएमएमआरसी एवं सीईसी	सीईसी से इतर अंतर–विश्वविद्यालय केन्द्र	पंजाब विश्वविद्यालय को अनुरक्षण अनुदान	सम विश्वविद्यालयों को संघटित अनुदान	दिल्ली महाविद्यालयों को संघटित अनुदान	बी.एच.यू. महाविद्यालयों को संघटित अनुदान	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को संघटित अनुदान	कुल
	01	04	05	06	07	08 (i)	08 (ii)	09	
विश्वविद्यालय									
केन्द्रीय विश्वविद्यालय		456.55						329624.35	330080.90
समविश्वविद्यालय					23625.14				23625.14
अंतर–विश्वविद्यालय केन्द्र		613.50	8663.20						9276.70
राज्य विश्वविद्यालय		1821.14		16300.00					18121.14
राष्ट्रीय महत्व के संस्थान									0.00
कुल विश्वविद्यालय	**0.00**	**2891.19**	**8663.20**	**16300.00**	**23625.14**	**0.00**	**0.00**	**329624.35**	**381103.88**
महाविद्यालय									
दिल्ली के महाविद्यालय						117688.14			117688.14
बी.एच.यू. के महाविद्यालय							2956.89		2956.89
केन्द्रीय विश्वविद्यालय								8065.30	8065.30
राज्य महाविद्यालय		170.00							170.00
कुल महाविद्यालय		**170.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**117688.14**	**2956.89**	**8065.30**	**128880.33**
कुल–योग (विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय)		**3061.19**	**8663.20**	**16300.00**	**23625.14**	**117688.14**	**2956.89**	**337689.65**	**509984.21**
विश्वविद्यालयेत्तर									
प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय)	7324.08								7324.08
प्रशासनिक प्रभार (क्षेत्रीय केन्द्र)	596.66								596.66
कुल–योग	**7920.74**	**3061.19**	**8663.20**	**16300.00**	**23625.14**	**117688.14**	**2956.89**	**337689.65**	**517904.95**

परिशिष्ट-IX

परिशिष्ट–IX

वर्ष 2013–14 के दौरान विश्वविद्यालयों को प्रदत्त सामान्य योजनागत अनुदान (मुख्य शीर्षवार) को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
	केन्द्रीय विश्वविद्यालय													
1	अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ	HO	2638.75	7873.39	1020.00	31.81	1.22	0.00				122.69	4.20	
		RO												
2	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	HO	1520.00	500.00	500.00	22.05	0.45	0.00				100.95	1.55	
		RO												
3	असम विश्वविद्यालय, सिलचर	HO	0.00	0.00	500.75	710.00	0.00	0.00				50.61	0.00	
		RO												
4	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,	HO	658.62	2627.53	403.85	2.70	0.00	0.00				11.73	0.00	
	लखनऊ	RO												
5	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	HO	3158.75	11416.25	0.00	25.33	1.79	0.00				139.27	6.17	
		RO												
6	बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पटना	HO	2641.25	4536.75	1540.00									
		RO												
7	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर	HO	2796.47	0.00	750.00									
		RO												
8	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुड़गाँव	HO	1215.16	5687.09	222.75									
		RO												
9	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय	HO	1016.09	2366.66	1017.25									
	(हिमाचल प्रदेश)	RO												
10	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू	HO	1283.75	5626.25	590.00	59.70	0.30	0.00				0.15	0.00	
		RO												
11	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर	HO	1250.00	1000.00	750.00	24.17	0.45	0.00						
		RO												
12	झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राँची	HO	2071.25	4188.75	1690.00									
		RO												
13	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम	HO	445.00	2688.75	491.25							1.55	0.00	
		RO												
14	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा	HO	0.00	0.00	0.00									
		RO												

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 5			क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 9			कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
680.28	0.00		10.30						3.60			3505.50	7878.80	1020.00	12404.31
												0.00	0.00	0.00	0.00
70.10	2.30								12.12			1725.22	504.30	500.00	2728.52
												0.00	0.00	0.00	0.00
15.80	0.00											776.60	0.00	500.75	1277.35
												0.00	0.00	0.00	0.00
11.07	0.00		9.29						3.66			697.07	2627.53	403.85	3728.45
												0.00	0.00	0.00	0.00
1240.83	0.00								0.28			4582.47	11424.21	0.00	16006.66
												0.00	0.00	0.00	0.00
18.00	0.00											2658.25	4536.75	1540.00	8736.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
0.76	0.30											2805.23	0.30	750.00	3555.53
												0.00	0.00	0.00	0.00
20.78	0.00											1244.85	5687.08	222.75	7154.78
												0.00	0.00	0.00	0.00
10.66	0.00											1034.75	2366.66	1017.25	4418.66
												0.00	0.00	0.00	0.00
												1343.60	5626.55	590.00	7560.15
												0.00	0.00	0.00	0.00
2.43	0.00											1276.60	1000.45	750.00	3027.05
												0.00	0.00	0.00	0.00
												2071.25	4180.75	1608.00	7860.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
6.00	0.00											452.55	2688.75	491.25	3632.55
												0.00	0.00	0.00	0.00
16.85	0.00											16.85	0.00	0.00	16.85
												0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
15	ओड़ीशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कालीघाट	HO	275.00	0.00	250.00									
		RO												
16	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भटिन्डा	HO	1496.25	3652.75	040.00									
		RO												
17	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर	HO	1596.94	0582.81	1320.25	5.13	0.00	0.00						
		RO												
10	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, थिरुवरूर	HO	1500.00	3500.00	1000.00									
		RO												
19	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	HO	15223.50	16316.25	26.25	27.30	4.95	0.00	25.61	0.00	0.00	196.47	1.55	
		RO												
20	डॉ0 एच.एस. गौर विश्वविद्यालय, सागर	HO	694.89	6277.50	0.00	24.07	0.45	0.00				75.95	1.55	
		RO												
21	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर	HO	0.00	1020.00	1480.00	23.06	6.64	0.00				79.42	22.86	
		RO												
22	एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर	HO	1142.50	4477.00	380.00	4.20	1.13	0.00	0.00	3.80	0.00			
		RO												
23	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	HO	2298.49	1531.51	520.00	33.30	24.00	0.00				235.13	5.43	
		RO												
24	इंदिरा नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकण्टक	HO	2300.00	5200.00	1500.00									
		RO												
25	इंडियन मेरीटाईम यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु	HO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16	0.00						
		RO												
26	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	HO	2803.25	1756.25	3100.00	25.33	3.40	0.00				102.63	1.55	
		RO												
27	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	HO	1558.75	2866.25	0.00	481.70	697.95	0.00				184.20	2336.55	
		RO												
20	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा	HO	400.00	600.00	1000.00									
		RO												
20	मणीपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल	HO	253.60	1200.00	546.31	28.81	0.45	0.00				08.97	1.55	
		RO												
30	मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	HO	1201.25	3078.75	2720.00	23.89	0.45	0.00				02.29	1.55	
		RO												
31	मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजौल	HO	0.00	1400.00	700.00	26.11	2.45	0.00				75.95	1.55	
		RO												
32	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कोहिमा	HO	273.60	1008.80	406.69									
		RO												

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 5			क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 9			कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
												275.00	0.00	250.00	525.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
8.24	0.00											1504.49	3652.75	840.00	5997.24
												0.00	0.00	0.00	0.00
25.53	0.00		14.73						13.91			1656.23	8582.81	1320.25	11559.29
												0.00	0.00	0.00	0.00
												1500.00	3500.00	1000.00	6000.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
2030.53	15.50											17503.50	16338.25	26.25	33868.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
45.14	0.00								8.46			848.50	6279.50	0.00	7128.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
31.45	0.00											133.92	1049.50	1480.00	2663.42
												0.00	0.00	0.00	0.00
71.76	0.00		14.73									1233.26	4482.00	380.00	6095.26
												0.00	0.00	0.00	0.00
155.88	124.16		0.65						43.42			2766.87	1685.17	520.00	4972.04
												0.00	0.00	0.00	0.00
20.10	1.00											2320.10	5201.00	1500.00	9021.10
												0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	10.16	0.00	10.16
												0.00	0.00	0.00	0.00
467.01	0.00		1.40									3399.62	1761.20	3100.00	8260.82
												0.00	0.00	0.00	0.00
1958.44	77.50											4183.27	5978.25	0.00	10161.52
												0.00	0.00	0.00	0.00
												400.00	600.00	1000.00	2000.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
187.03	0.00		4.50									563.00	1202.00	546.31	2311.31
												0.00	0.00	0.00	0.00
22.93	0.00											1330.36	3080.75	2720.00	7131.11
												0.00	0.00	0.00	0.00
6.73	4.00											108.79	1408.00	700.00	2216.79
												0.00	0.00	0.00	0.00
2.55	0.00											276.23	1008.88	406.69	1691.80
												0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
33	नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग	HO	1587.63	1591.12	346.25	068.72	0.45	0.00	0.50	0.00	0.00	93.21	1.55	
		RO												
34	पुदुचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी	HO	1300.00	2000.00	1200.00	32.92	0.45	0.00				146.56	1.55	
		RO												
35	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर	HO	788.26	748.74	456.75									
		RO												
36	सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक	HO	2387.93	1245.07	367.00									
		RO												
37	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर	HO	546.74	1851.26	793.25	1654.80	0.00	0.00				8.31	0.00	
		RO												
38	द इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी	HO	770.50	0.00	1557.50									
	हैदराबाद	RO												
39	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला	HO	762.07	1354.93	083.00									
		RO												
40	विश्वभारती शान्ति निकेतन	HO	1808.75	2906.50	028.75	4.01	0.00	0.00				84.91	0.00	
		RO												
41	यूनीवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडीकल साइंसेज, दिल्ली	HO	950.00	1100.00	2600.00									
		RO												
	कुल	HO	64615.16	123776.99	34287.85	4138.36	757.20	0.00	26.12	3.00	0.00	1881.02	2388.15	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		64615.16	123776.99	34297.95	4139.36	757.20	0.00	26.12	3.00	0.00	1881.02	2389.15	0.00
	सम विश्वविद्यालय													
1	अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस	HO	142.00	308.00	0.00							75.00		
	एण्ड हायर एजूकेशन, कोयम्बटूर	RO												
2	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली	HO	172.49	402.51	0.00									
		RO												
3	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनोलॉजी,	HO	186.89	0.00	0.00							41.03		
	मेसरा, राँची	RO												
4	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनोलॉजी एण्ड	HO	0.00	0.00	0.00							58.74		
	साइंस, पिलानी	RO												
5	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉयर तिब्बत स्टडीज,	HO	15.45	34.55	0.00									
	वाराणसी	RO												
6	चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, सिरूसेरी	HO	120.00	280.00	0.00									
	(तमिलनाडु)	RO												
7	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा	HO	15.45	34.55	0.00	2.11	0.00	0.00				3.10		
		RO												

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 5			क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 9			कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
305.43	0.00											2955.50	1593.12	346.25	4764.87
												0.00	0.00	0.00	0.00
432.06	0.00											1912.35	2008.00	1200.00	5120.35
												0.00	0.00	0.00	0.00
2.05	0.00		9.17									799.49	746.74	456.75	2004.97
												0.00	0.00	0.00	0.00
4.10	0.00											2392.03	1245.07	307.00	4004.10
												0.00	0.00	0.00	0.00
37.17	0.00											2247.02	1051.20	793.25	4091.53
												0.00	0.00	0.00	0.00
0.04	0.00											779.34	0.00	1557.50	2336.84
												0.00	0.00	0.00	0.00
20.26	0.00											792.33	1354.93	003.00	3020.20
												0.00	0.00	0.00	0.00
25.14	3.00											1922.91	2909.50	826.75	5061.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
												950.00	1100.00	2000.00	4050.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
0007.94	233.76	0.00	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.45	0.00	0.00	79937.90	127100.97	34297.85	240206.72
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0007.94	233.76	0.00	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.45	0.00	0.00	79937.90	127100.97	34297.05	240296.72
37.01	0.00											254.01	306.00	0.00	562.01
												0.00	0.00	0.00	0.00
62.50	0.00											235.07	402.51	0.00	037.50
												0.00	0.00	0.00	0.00
13.95	0.00											241.77	0.00	0.00	241.77
												0.00	0.00	0.00	0.00
102.96	30.20											161.70	30.20	0.00	191.90
												0.00	0.00	0.00	0.00
												15.45	34.55	0.00	50.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
												120.00	200.00	0.00	400.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
16.37	0.00								4.19			41.21	34.55	0.00	75.70
												0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
8	डेक्कन कॉलेज पोस्टग्रेजुएट एण्ड रिर्सच	HO	80.45	234.26	0.00									
	इंस्टीट्यूट, पुणे	RO												
0	गांधीग्राम रूरल इंस्टिट्यूट, डिन्डीगुल	HO	0.00	0.00	0.00	5.83	0.00	0.00	13.87	0.00	0.00	11.76		
		RO												
10	गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड	HO	134.40	330.51	0.00									
	इकोनॉमिक्स, पुणे	RO												
11	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	HO	15.00	188.04	0.00									
		RO												
12	गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	HO				1.39	0.00	0.00				4.77		
		RO												
13	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बंगलूरू	HO				5.57	90.00	0.00						
		RO												
14	इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली	HO	72.00	168.00	0.00									
		RO												
15	इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद	HO												
		RO												
16	इंस्टीट्यूट ऑफ कैमिकल टेक्नोलॉजी, मुम्बई	HO	120.00	280.00	0.00	10.43	22.50	0.00				46.44		
		RO												
17	जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट, लाडनु, राजस्थान	HO	13.00	97.00	0.00									
		RO												
18	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	HO	50.00	190.48	0.00	0.90	0.00	0.00				4.99		
		RO												
19	रामाकृष्ण मिशन विवेकानन्द एजुकेशन एण्ड	HO	115.00	535.00	0.00									
	रिसर्च इंस्टीट्यूट, हावड़ा	RO												
20	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति	HO	120.00	280.00	0.00									
		RO												
21	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत	HO												
	विद्यापीठ, नई दिल्ली	RO												
22	श्री सत्य साई इंस्टिट्यूट ऑफ हॉयर लर्निंग,	HO	37.49	87.51	0.00	0.00	6.75	0.00						
	अनन्तपुर	RO												
23	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सांइसेज, मुम्बई	HO	193.00	450.00	0.00	0.00	8065.00	0.00				13.54		
		RO												
24	थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड	HO												
	टेक्नोलॉजी, पटियाला	RO												
25	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ भवन, पुणे	HO	15.45	40.80	0.00									
		RO												
	कुल	HO	1618.16	3841.21	0.00	26.23	0184.25	0.00	13.87	0.00	0.00	258.30	0.00	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 5			क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 9			कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
												80.45	234.26	0.00	314.71
												0.00	0.00	0.00	0.00
78.75	0.00											110.21	0.00	0.00	110.21
												0.00	0.00	0.00	0.00
												134.49	330.51	0.00	465.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
3.13	0.00											19.13	180.04	0.00	200.17
												0.00	0.00	0.00	0.00
51.67	0.00											57.83	0.00	0.00	57.83
												0.00	0.00	0.00	0.00
280.48	310.00											294.04	400.00	0.00	694.04
												0.00	0.00	0.00	0.00
												72.00	160.00	0.00	240.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
10.32	0.00											10.32	0.00	0.00	10.32
												0.00	0.00	0.00	0.00
462.76	77.50								35.74			675.36	380.00	0.00	1055.36
												0.00	0.00	0.00	0.00
												13.00	97.00	0.00	110.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
159.34	0.00								5.05			220.29	190.48	0.00	410.77
												0.00	0.00	0.00	0.00
												115.00	535.00	0.00	650.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
												120.00	280.00	0.00	400.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
1.06	0.00											1.06	0.00	0.00	1.06
												0.00	0.00	0.00	0.00
7.20	23.25											44.69	117.51	0.00	162.20
												0.00	0.00	0.00	0.00
												200.54	8515.00	0.00	8721.54
												0.00	0.00	0.00	0.00
41.46	0.00											41.46	0.00	0.00	41.46
												0.00	0.00	0.00	0.00
												15.45	40.80	0.00	56.25
												0.00	0.00	0.00	0.00
1336.93	440.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.97	0.00	0.00	3209.55	12506.41	0.00	15805.95
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
	अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र													
1	कन्सोर्शियम फॉर एजूकेशन कम्यूनिकेशन,	HO				23.07	59.33	0.00				79.48	204.37	
	नई दिल्ली	RO												
2	इन्फ्लिबनेट सेंटर, अहमदाबाद	HO				65.32	4330.39	0.00				224.99	14915.80	
		RO												
3	इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलेटर सेंटर, नई दिल्ली	HO				192.72	496.46	0.00				665.50	1711.32	
		RO												
4	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एण्ड	HO				99.46	255.71	0.00				342.82	880.76	
	एस्ट्रोफिजिक्स, पुणे	RO												
5	एन.ए.ए.सी. राजाजी नगर, बंगलुरू	HO				606.82	174.13	0.00				2089.23	599.43	
		RO												
6	यूजीसी डी.ए.ई कन्सोर्शियम फॉर साइन्टिफिक	HO				374.67	1029.10	0.00				1304.87	3546.67	
	रिसर्च, इन्दौर	RO												
	कुल	HO	0.00	0.00	0.00	1382.06	6345.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4706.89	21858.35	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		0.00	0.00	0.00	1362.06	6345.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4706.89	21858.35	0.00
	राज्य विश्वविद्यालय													
	आंध्र प्रदेश													
1	आर्चाय नागार्जुन विश्वविद्यालय, गुंटूर	HO				121.25	273.31	0.00						
		RO												
2	आन्ध्रा विश्वविद्यालय, वाल्टेयर	HO				155.93	309.58	0.00				75.95	1.55	
		RO												
3	ए.एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	HO										24.05	0.00	
		RO												
4	द्रविड़ियन विश्वविद्यालय	HO				82.14	191.66	0.00						
		RO												
5	जवाहर लाल टेक्नीकल, हैदराबाद	HO				140.10	275.90	0.00				75.95	1.55	
		RO												
6	जवाहरलाल नेहरू टेक्नीकल, काकीनाडा	HO				90.30	210.70	0.00						
		RO												
7	जवाहरलाल नेहरू टेक्नीकल, अनन्तपुर	HO				83.70	195.30	0.00						
		RO												
8	काकातीय विश्वविद्यालय, वारंगल	HO				116.73	251.30	0.00						
		RO												
9	नेशनल अकादमी ऑफ लीगल स्टडीज एण्ड	HO				62.58	146.02	0.00						
	रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ	RO												

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 5			क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 9			कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
												102.55	263.70	0.00	306.25
												0.00	0.00	0.00	0.00
												290.31	19246.10	0.00	19536.50
												0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	100.00											056.22	2307.70	0.00	3166.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
												442.20	1136.47	0.00	1578.75
												0.00	0.00	0.00	0.00
												2066.05	773.50	0.00	3469.61
												0.00	0.00	0.00	0.00
												1079.54	4575.77	0.00	6255.30
												0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6060.04	20303.47	0.00	34372.41
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0068.04	20303.47	0.00	34372.41
10.95	0.00											141.20	273.31	0.00	414.51
												0.00	0.00	0.00	0.00
224.06	0.00		0.10						3.00			406.70	311.13	0.00	779.01
												0.00	0.00	0.00	0.00
												24.05	0.00	0.00	24.05
												0.00	0.00	0.00	0.00
20.10	0.00											106.32	191.66	0.00	299.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
23.20	0.00											239.31	277.45	0.00	516.70
												0.00	0.00	0.00	0.00
												00.30	210.70	0.00	301.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
												03.70	105.30	0.00	279.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
120.14	10.30											236.07	270.60	0.00	507.55
												0.00	0.00	0.00	0.00
												02.50	146.02	0.00	206.60
												0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
10	ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	HO				312.42	653.22	0.00				118.47	2.71	
		RO												
11	पोट्टी श्रीरामुलू तेलुग विश्वविद्यालय, हैदराबाद	HO				81.74	190.72	8.00						
		RO												
12	श्री कृष्णदेवराय विश्वविद्यालय, अनन्तपुर	HO				85.46	202.62	0.00				0.00	16.66	
		RO												
13	श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, तिरुपति	HO				116.18	237.08	0.00						
		RO												
14	श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, तिरुपति	HO				166.10	345.28	8.00				111.70	68.78	
		RO												
15	डॉ0 भीमराव अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद	HO												
		RO												
16	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, नालगोण्डा	HO				84.00	196.00	8.00						
		RO												
17	योगी वेमन्ना विश्वविद्यालय	HO				86.00	224.00	0.00				23.04	0.00	
		RO												
18	तेलंगाना विश्वविद्यालय	HO				86.00	224.00	0.00				1.72	0.00	
		RO												
	कुल	HO	0.00	0.00	0.00	1880.62	4126.70	0.00	0.00	0.00	0.00	430.87	81.27	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		0.00	0.00	0.00	1888.62	4126.70	0.00	0.00	0.00	0.00	430.87	81.27	0.00
	असम													
1	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट	HO										60.00	0.00	
		RO												
2	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़	HO				118.23	262.70	0.00				21.37	0.00	
		RO												
3	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी	HO				161.48	317.55	0.00	22.58	3.88	0.00	82.14	58.68	
		RO												
	कुल	HO	0.00	0.00	0.00	279.72	588.24	0.00	22.58	3.88	0.00	173.51	58.88	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		0.00	0.00	0.00	279.72	588.24	0.00	22.58	3.88	0.00	173.51	58.88	0.00
	बिहार													
1	बी.एन. मण्डल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	HO				85.43	222.67	0.00						
		RO												
2	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	HO				131.74	256.38	0.00				75.95	1.55	
		RO												

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 5			क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 9			कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
054.32	0.25								0.33	131.21		1381.54	708.30	0.00	2187.03
												0.00	0.00	0.00	0.00
0.05												00.70	108.72	0.00	201.50
												0.00	0.00	0.00	0.00
132.12	0.00											217.50	218.20	0.00	438.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
7.45	0.00											123.63	237.00	0.00	308.71
												0.00	0.00	0.00	0.00
108.40	10.97											447.20	431.05	0.00	078.34
												0.00	0.00	0.00	0.00
2.40	0.00											2.40	0.00	0.00	2.40
												0.00	0.00	0.00	0.00
												04.00	198.00	0.00	208.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
13.55	0.00											132.50	224.00	0.00	358.50
												0.00	0.00	0.00	0.00
												07.72	224.00	0.00	321.72
												0.00	0.00	0.00	0.00
1782.03	45.60	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.21	0.00	4042.60	4384.77	0.00	0437.40
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1782.03	45.60	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.21	0.00	4042.60	4384.77	0.00	0437.40
												00.00	0.00	0.00	00.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
102.00												241.66	202.70	0.00	504.35
												0.00	0.00	0.00	0.00
178.53												455.75	301.10	0.00	038.04
												0.00	0.00	0.00	0.00
201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.41	043.70	0.00	1481.20
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.41	043.70	0.00	1481.20
												05.43	222.07	0.00	318.10
												0.00	0.00	0.00	0.00
0.05	0.00											217.64	257.04	0.00	475.50
												0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
3	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	HO				94.86	225.84	0.00						
		RO												
4	के.एस. दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा	HO				79.24	184.89	0.00						
		RO												
5	एल.एन. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	HO				112.34	262.12	0.00						
		RO												
6	मगध विश्वविद्यालय, बोध गया	HO				113.89	265.75	0.00						
		RO												
7	पटना विश्वविद्यालय, पटना	HO				115.69	218.95	0.00				75.95	1.55	
		RO												
8	टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर	HO				86.94	202.86	0.00						
		RO												
9	वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	HO				78.90	184.10	0.00						
		RO												
19	चाणक्या नेशनल लॉ यूनीवर्सिटी	HO				6.00	14.00	0.00						
		RO												
	कुल	HO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**815.03**	**2037.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**151.98**	**3.18**	**0.00**
		RO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**815.93**	**2037.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**151.98**	**3.10**	**0.00**
	छत्तीसगढ़													
1	हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी,	HO				73.14	170.66	0.00						
		RO												
2	इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, रायपुर	HO				54.42	125.57	0.00				6.63	0.00	
		RO												
3	पंडित रविशंकर शुल्क विश्वविद्यालय, रायपुर	HO				139.07	273.49	0.00				75.95	1.55	
		RO												
	कुल	HO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266.63**	**569.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**82.58**	**1.55**	**0.00**
		RO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266.63**	**569.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**82.58**	**1.55**	**0.00**
	दिल्ली													
1	गुरू गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	HO				93.17	217.40	0.00				22.99	0.00	
		RO												
2	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, द्वारका, नई दिल्ली	HO				71.10	165.90	0.00				5.39	0.00	
		RO												
3	दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनीवर्सिटी, दिल्ली	HO				84.00	196.00	0.00						
		RO												

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 5			क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 9			कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
									0.00	15.50		04.00	241.34	0.00	338.20
												0.00	0.00	0.00	0.00
												70.24	104.00	0.00	204.13
												0.00	0.00	0.00	0.00
11.98	0.00											124.31	202.12	0.00	308.43
												0.00	0.00	0.00	0.00
14.68	0.10											128.55	205.05	0.00	304.40
												0.00	0.00	0.00	0.00
2.00	0.00											194.54	228.50	0.00	415.04
												0.00	0.00	0.00	0.00
												00.94	202.00	0.00	208.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00											05.00	104.10	0.00	208.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	14.00	0.00	20.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
40.30	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50	0.00	1113.32	2056.20	0.00	3189.50
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.30	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50	0.00	1113.32	2056.26	0.00	3189.50
									0.50	0.00		73.73	178.00	0.00	244.30
												0.00	0.00	0.00	0.00
												01.05	125.57	0.00	108.02
												0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00											224.02	275.04	0.00	408.05
												0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	358.00	571.20	0.00	038.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	358.00	571.20	0.00	038.00
30.03	0.00											154.70	217.40	0.00	372.10
												0.00	0.00	0.00	0.00
												70.40	105.00	0.00	242.30
												0.00	0.00	0.00	0.00
												04.00	108.00	0.00	208.00
												0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
4	इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी	HO				84.00	196.00	0.00						
		RO												
5	भारत रत्न डॉ बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली	HO				84.00	196.00	9.00						
		RO												
	कुल	HO	0.00	0.00	0.00	416.27	971.30	0.00	0.00	0.00	0.00	28.30	0.00	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		0.00	0.00	0.00	416.27	971.30	0.00	0.00	0.00	0.00	28.30	0.00	0.00
	गुजरात													
1	भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर	HO												
		RO												
2	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	HO				139.19	282.53	0.00				79.63	40.30	
		RO												
3	एम.एस. यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वडोदरा (कच्छ)	HO				151.57	344.66	0.00				7.11	0.00	
		RO												
4	नार्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, पाटन	HO				89.75	220.66	0.00						
		RO												
5	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ	HO				116.73	210.36	0.00				98.66	1.55	
		RO												
6	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट	HO				111.80	201.39	0.00				75.95	1.55	
		RO												
7	साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, सूरत	HO				107.60	251.07	0.00				6.31	0.00	
		RO												
8	गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी	HO				65.34	152.46	0.00						
		RO												
9	महाराज कृष्ण कुमार सिंह जी	HO				93.25	217.58	0.00						
		RO												
	कुल	HO	0.00	0.00	0.00	075.22	1880.71	0.00	0.00	0.00	0.00	267.60	43.40	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		0.00	0.00	0.00	075.22	1880.71	0.00	0.00	0.00	0.00	267.60	43.40	0.00
	गोवा													
1	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा	HO				128.91	251.39	0.00				83.81	1.55	
		RO												
	कुल	HO	0.00	0.00	0.00	128.91	251.30	0.00	0.00	0.00	0.00	03.81	1.55	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		0.00	0.00	0.00	128.91	251.39	0.00	0.00	0.00	0.00	03.81	1.55	0.00

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 5			क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 9			कुल			समग्र योग (31+35+ 36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
												84.00	108.00	0.00	208.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
												84.00	108.00	0.00	208.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.28	071.30	0.00	1454.50
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.28	071.30	0.00	1454.50
21.63	0.00											21.63	0.00	0.00	21.03
												0.00	0.00	0.00	0.00
60.71	0.00											278.53	322.03	0.00	002.30
												0.00	0.00	0.00	0.00
223.26	0.00								7.18	0.00		308.11	344.00	0.00	733.77
												0.00	0.00	0.00	0.00
3.05	1.85								0.00	38.75		03.70	201.20	0.00	354.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
73.41	0.00								0.00	15.10		208.00	227.01	0.00	515.01
												0.00	0.00	0.00	0.00
66.42	0.00											254.17	202.04	0.00	457.10
												0.00	0.00	0.00	0.00
12.72	0.00											128.03	251.07	0.00	377.70
												0.00	0.00	0.00	0.00
												05.34	152.40	0.00	217.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
												03.25	217.50	0.00	318.03
												0.00	0.00	0.00	0.00
462.10	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18	53.85	0.00	1012.10	1979.00	0.00	3581.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462.10	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18	53.85	0.00	1012.10	1079.00	0.00	3581.00
21.30	0.00								0.00	25.46		234.02	278.41	0.00	512.43
												0.00	0.00	0.00	0.00
21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.46	0.00	234.02	278.41	0.00	512.43
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.46	0.00	234.02	278.41	0.00	512.43

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
	हरियाणा													
1	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, सोनीपत	HO				146.10	290.11	0.00				88.73	1.55	
		RO												
2	चौ0 चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय,	HO												
	हरियाणा, हिसार	RO												
3	दीन बन्धु छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस	HO				87.06	203.14	0.00				35.16	0.00	
	एण्ड टेक्नोलॉजी, मुरथल	RO												
4	गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार	HO				108.78	204.52	0.00				80.52	1.55	
		RO												
5	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र	HO				142.08	277.67	0.00				87.71	6.20	
		RO												
6	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय,रोहतक	HO				104.00	240.71	0.00				15.21	0.00	
		RO												
7	चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय,सिरसा	HO				101.46	236.74	0.00						
		RO												
8	वाईएमसीए यूनीवर्सिटी ऑफ सांईस एण्ड	HO				87.82	196.00	0.00						
	टेकनोलाजी, फरीदाबाद	RO												
	कुल	HO	0.00	0.00	0.00	777.39	1648.89	0.00	0.00	0.00	0.00	387.34	0.30	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		0.00	0.00	0.00	777.39	1648.89	0.00	0.00	0.00	0.00	387.34	0.30	0.00
	हिमाचल प्रदेश													
1	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय,शिमला	HO				119.98	227.75	0.00				81.42	5.05	
		RO												
2	वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टीकल्चर	HO										23.85	0.00	
	एण्ड फारेस्ट्री, नौनी	RO												
	कुल	HO	0.00	0.00	0.00	119.90	227.75	0.00	0.00	0.00	0.00	105.20	5.05	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		0.00	0.00	0.00	119.90	227.75	0.00	0.00	0.00	0.00	105.20	5.05	0.00
	जम्मू और कश्मीर													
1	जम्मू विश्वविद्यालय,जम्मू	HO				256.73	218.27					103.20	1.55	
		RO												
2	कश्मीर विश्वविद्यालय,श्रीनगर	HO				135.38	1515.80					139.13	1.55	
		RO												
3	शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी	HO												
	विश्वविद्यालय, श्रीनगर	RO												
4	श्री माता वैष्णों देवी विश्वविद्यालय, कटरा	HO				82.98	193.62					22.93	0.00	
		RO												

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 5			क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 9			कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
												234.02	201.00	0.00	528.50
												0.00	0.00	0.00	0.00
0.50	0.00											0.50	0.00	0.00	0.50
												0.00	0.00	0.00	0.00
15.76	0.00											137.00	203.14	0.00	341.12
												0.00	0.00	0.00	0.00
128.75	0.00								0.00	31.00		318.05	237.07	0.00	555.12
												0.00	0.00	0.00	0.00
271.22	1.00								0.00	2.50		501.01	207.37	0.00	708.30
												0.00	0.00	0.00	0.00
197.12	0.00											318.34	248.71	0.00	557.05
												0.00	0.00	0.00	0.00
0.34	0.00											107.00	238.74	0.00	344.54
												0.00	0.00	0.00	0.00
												07.02	108.00	0.00	203.02
												0.00	0.00	0.00	0.00
025.70	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.50	0.00	1710.51	1082.00	0.00	3483.20
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025.70	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.50	0.00	1710.51	1082.00	0.00	3483.20
73.11	0.40											274.51	241.20	0.00	515.71
												0.00	0.00	0.00	0.00
												23.05	0.00	0.00	23.05
												0.00	0.00	0.00	0.00
73.11	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.30	241.20	0.00	538.50
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.11	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.30	241.20	0.00	538.50
7.04	0.00								0.47	2.50		308.43	222.32	0.00	508.75
												0.00	0.00	0.00	0.00
155.21	0.00											428.71	1517.44	0.00	1047.15
												0.00	0.00	0.00	0.00
5.03	0.00											5.03	0.00	0.00	5.03
												0.00	0.00	0.00	0.00
20.10	0.00											134.00	103.02	0.00	327.70
												0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
5	बाबा गुलामशाह बादशाह विश्वविद्यालय	HO				58.50	136.50							
		RO												
6	इस्लामिक यूनीवर्सिटी ऑफ साईस एण्ड	HO				84.00	196.00							
	टेकनोलॉजी, श्रीनगर	RO												
	कुल	HO	0.00	0.00	0.00	617.50	2288.20	0.00	0.00	0.00	0.00	265.34	3.10	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		0.00	0.00	0.00	617.59	2288.20	0.00	0.00	0.00	0.00	265.34	3.10	0.00
	झारखण्ड													
1	राँची विश्वविद्यालय, राँची	HO				115.17	200.66	0.00				107.84	1.55	
		RO												
2	सिद्धू कान्हू मुरूमू विश्वविद्यालय, दुमका	HO				114.78	267.82	0.00						
		RO												
3	विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग	HO				113.05	313.79	0.00						
		RO												
	कुल	HO	0.00	0.00	0.00	343.00	782.27	0.00	0.00	0.00	0.00	107.84	1.55	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		0.00	0.00	0.00	343.00	782.27	0.00	0.00	0.00	0.00	107.84	1.55	0.00
	कर्नाटक													
1	बंगलुरू विश्वविद्यालय, बंगलुरू	HO				169.35	345.65	0.00				111.88	1.55	
		RO												
2	गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा	HO				105.86	237.40	0.00				5.12	0.00	
		RO												
3	कन्नड़ विश्वविद्यालय, हम्पी	HO				84.78	206.82	0.00						
		RO												
4	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़	HO				248.15	505.62	0.00				75.95	1.55	
		RO												
5	कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय, बीजापुर	HO				87.42	214.29	0.00						
		RO												
6	कुवेम्पू विश्वविद्यालय, शिमोगा	HO				68.23	159.19	0.00				46.93	0.00	
		RO												
7	मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर	HO				93.55	216.28	0.00				26.02	0.00	
		RO												
8	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर	HO				972.76	2196.96	0.00				236.09	1.55	
		RO												
9	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी,	HO				58.50	139.50	0.00						
	बंगलूरू	RO												

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 5			क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 9			कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
									0.00	0.20		50.50	136.70	0.00	105.20
												0.00	0.00	0.00	0.00
												04.00	196.00	0.00	206.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
106.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	2.70	0.00	1079.70	2266.00	0.00	3345.04
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	2.70	0.00	1079.70	2266.00	0.00	3345.04
3.70	1.40											226.70	203.01	0.00	436.31
												0.00	0.00	0.00	0.00
												114.70	207.02	0.00	302.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
2.55	0.00											115.00	314.50	0.00	436.10
												0.00	0.00	0.00	0.00
0.25	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.00	706.02	0.00	1243.10
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.25	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.00	706.02	0.00	1243.10
146.02	0.00											431.05	347.20	0.00	776.25
												0.00	0.00	0.00	0.00
44.04	0.00											155.01	237.40	0.00	393.01
												0.00	0.00	0.00	0.00
20.04	0.00								0.12	44.57		122.54	251.30	0.00	373.04
												0.00	0.00	0.00	0.00
73.02	0.00											307.72	507.17	0.00	004.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
2.00	0.00								0.10	35.50		00.10	246.70	0.00	346.07
												0.00	0.00	0.00	0.00
15.90	0.00											131.15	156.10	0.00	206.34
												0.00	0.00	0.00	0.00
47.40	0.00											106.00	216.20	0.00	303.24
												0.00	0.00	0.00	0.00
34.47	0.00											1243.32	2168.51	0.00	3441.03
												0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	30.50		50.50	176.00	0.00	234.50
												0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
10	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलुरू	HO										20.96	0.00	
		RO												
11	तुमकुर विश्वविद्यालय, तुमकुर	HO				84.00	196.00	0.00				23.00	0.00	
		RO												
12	कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय, हुबली	HO												
		RO												
13	दावनगेरे विश्वविद्यालय, दावनगेरे	HO				102.54	239.26	0.00						
		RO												
	कुल	HO	0.00	0.00	0.00	2075.13	4656.97	0.00	0.00	0.00	0.00	545.95	4.05	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		0.00	0.00	0.00	2075.13	4656.97	0.00	0.00	0.00	0.00	545.95	4.05	0.00
	केरल													
1	कालीकट विश्वविद्यालय, कोझीकोड	HO				127.25	244.87	0.00				75.95	1.55	
		RO												
2	कोच्ची यूनिवर्सिटी ऑफ सांइस एण्ड टेकनोलॉजी, कोच्ची	HO				124.34	267.93	0.00				42.16	0.00	
		RO												
3	कन्नूर विश्वविद्यालय	HO				106.34	197.12	0.00				75.95	1.55	
		RO												
4	केरल विश्वविद्यालय, तिरूअनंतपुरम	HO				138.33	266.58	0.00				84.15	1.55	
		RO												
5	महात्मा गाँधी यूनिवर्सिटी, थ्रिसूर	HO				105.26	236.42	0.00						
		RO												
6	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कलाडी	HO				58.50	136.50	0.00						
		RO												
7	नेशनल यूनीवर्सिटी ऑफ एड्वांस लीगल स्टडीज	HO												
		RO												
	कुल	HO	0.00	0.00	0.00	660.02	1349.41	0.00	0.00	0.00	0.00	279.20	4.05	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		0.00	0.00	0.00	660.02	1349.41	0.00	0.00	0.00	0.00	279.20	4.05	0.00
	मध्य प्रदेश													
1	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा	HO				87.26	203.60	0.00						
		RO												
2	बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	HO				117.30	227.04	0.00						
		RO												
3	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, सागर	HO				135.01	258.12	0.00				75.95	28.68	
		RO												

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 5			क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 9			कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
0.28	0.00											30.24	0.00	0.00	30.24
												0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	208.00		107.00	308.00	0.00	503.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
2.24	0.00											2.24	0.00	0.00	2.24
												0.00	0.00	0.00	0.00
												102.54	238.20	0.00	341.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
408.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.22	318.50	0.00	3048.05	4978.10	0.00	0026.25
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.22	318.50	0.00	3048.05	4070.10	0.00	0026.25
23.12	0.00											228.32	248.42	0.00	472.74
												0.00	0.00	0.00	0.00
77.24	0.00								0.00	10.00		243.74	277.03	0.00	521.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
10.00	0.00											208.07	108.07	0.00	308.03
												0.00	0.00	0.00	0.00
47.27	0.00											208.75	208.13	0.00	537.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
272.30	0.00											377.04	238.42	0.00	014.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
50.91	0.00								0.00	5.00		108.41	141.50	0.00	258.01
												0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	208.00		0.00	208.00	0.00	208.00
408.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	1427.02	1589.00	0.00	2986.07
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	1427.02	1589.00	0.00	2086.07
7.70	0.00											04.95	203.00	0.00	298.55
												0.00	0.00	0.00	0.00
30.21	0.00											147.51	227.04	0.00	374.55
												0.00	0.00	0.00	0.00
15.94	1.10								20.33	0.00		247.22	207.00	0.00	535.11
												0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
4	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	HO				82.55	192.62	0.00						
		RO												
5	एम.जी. चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, भोपाल	HO				84.47	222.96	0.00						
		RO												
6	नेशनल लॉ इन्स्टिट्यूट, भोपाल	HO				74.94	174.86	0.00						
		RO												
7	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	HO				140.04	271.81	0.00				81.76	1.55	
		RO												
8	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	HO				119.59	277.95	0.00						
		RO												
9	राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	HO				87.18	203.42	0.00						
		RO												
	कुल	HO	0.00	0.00	0.00	928.32	2032.30	0.00	0.00	0.00	0.00	157.71	30.23	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		0.00	0.00	0.00	928.32	2032.30	0.00	0.00	0.00	0.00	157.71	30.23	0.00
	महाराष्ट्र													
1	एस.जी.बी. अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती	HO				131.41	254.91	0.00				100.15	1.55	
		RO												
2	डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर टेकनोलॉजी	HO				82.26	191.94	0.00						
	यूनिवर्सिटी, लोनेरे	RO												
3	डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर मराठवाड़ा	HO				102.71	190.33	0.00				99.16	7.36	
	विश्वविद्यालय, औरंगाबाद	RO												
4	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई	HO				328.08	1361.22	0.00				107.24	896.68	
		RO												
5	नार्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जलगाँव	HO				79.36	235.92	0.00				1.65	0.00	
		RO												
6	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे	HO				274.38	598.50	0.00				105.01	94.55	
		RO												
7	आर.टी.एम. नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर	HO				148.70	395.25	0.00				75.95	1.55	
		RO												
8	एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय, मुम्बई	HO				129.78	292.22	0.00						
		RO												
9	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर	HO				120.15	265.91	0.00				8.90	0.00	
		RO												
10	स्वामी आर.टी.एम. विश्वविद्यालय, नांदेड़	HO				104.81	244.56	0.00						
		RO												

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 5			क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 9			कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
11.75	0.00											04.30	102.02	0.00	208.02
												0.00	0.00	0.00	0.00
8.02	0.00								0.00	00.37		03.30	318.33	0.00	412.72
												0.00	0.00	0.00	0.00
												74.94	174.00	0.00	248.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00											238.25	273.30	0.00	503.02
												0.00	0.00	0.00	0.00
14.73	0.00								19.30	70.42		153.70	358.37	0.00	518.07
												0.00	0.00	0.00	0.00
												07.10	203.42	0.00	208.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
07.70	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.70	174.70	0.00	1223.44	2238.40	0.00	3481.03
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.70	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.70	174.70	0.00	1223.44	2230.40	0.00	3481.03
									4.10	0.00		235.72	258.40	0.00	402.10
												0.00	0.00	0.00	0.00
												02.20	101.04	0.00	274.20
												0.00	0.00	0.00	0.00
53.53	0.00											255.30	107.70	0.00	453.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
49.14	0.00		0.00						0.00	1550.00		405.12	3087.00	0.00	4283.01
												0.00	0.00	0.00	0.00
108.54	0.00								0.00	178.05		101.54	414.57	0.00	508.11
												0.00	0.00	0.00	0.00
408.75	0.00								2.25	0.74		791.30	093.00	0.00	1485.10
												0.00	0.00	0.00	0.00
10.97	0.00								14.72	358.42		258.34	753.22	0.00	1011.50
												0.00	0.00	0.00	0.00
10.00	0.00								7.50	0.00		155.05	292.22	0.00	448.10
												0.00	0.00	0.00	0.00
108.02	0.00											238.07	205.01	0.00	504.50
												0.00	0.00	0.00	0.00
10.07	10.00											123.40	254.50	0.00	378.04
												0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
11	सोलापुर विश्वविद्यालय, सोलापुर	HO				84.00	196.00	0.00						
		RO												
12	कवि कुलगुरू कालीदास संस्कृत विश्वविद्यालय,	HO				84.00	196.00	0.00						
	नागपुर	RO												
	कुल	HO	0.00	0.00	0.00	1608.63	4422.76	0.00	0.00	0.00	0.00	498.86	1001.89	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		0.00	0.00	0.00	1608.63	4422.76	0.00	0.00	0.00	0.00	498.86	1001.89	0.00
	ओड़िशा													
1	बरहामपुर विश्वविद्यालय, बरहामपुर	HO				120.08	280.24	0.00	17.01	3.88	0.00	31.35	0.00	
		RO												
2	फकीर मोहन विश्वविद्यालय, बालासोर	HO				82.50	192.50	0.00						
		RO												
3	नार्थ ओड़ीशा यूनिवर्सिटी, बारीपाड	HO				58.50	136.50	0.00						
		RO												
4	रावेनशॉ विश्वविद्यालय, कटक	HO				76.38	178.22	0.00						
		RO												
5	सम्बलपुर, विश्वविद्यालय, सम्बलपुर	HO				111.39	208.92	0.00				99.12	1.55	
		RO												
6	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी	HO				57.70	134.62	0.00						
		RO												
7	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	HO				116.47	207.93	0.00				94.91	1.55	
		RO												
8	ओडीशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड	HO												
	टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर	RO												
9	वीर सुरेन्द्र साई यूनीवर्सिटी ऑफ टेकनोलॉजी,	HO				84.00	196.00	0.00						
	बुरला	RO												
10	नेशनल लॉ यूनीवर्सिटी, कटक	HO				84.00	196.00	0.00						
		RO												
	कुल	HO	0.00	0.00	0.00	791.82	1738.83	0.00	17.01	3.80	0.00	225.30	3.10	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		0.00	0.00	0.00	791.82	1738.83	0.00	17.81	3.00	0.00	225.30	3.10	0.00
	पंजाब													
1	गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	HO				521.41	1161.43	0.00				177.48	218.55	
		RO												
2	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	HO												
		RO												

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 5			क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 9			कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
6.15	0.00											00.15	108.00	0.00	208.15
												0.00	0.00	0.00	0.00
												04.00	108.00	0.00	208.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
784.06	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.71	2085.02	0.00	2982.01	7520.20	0.00	10582.27
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
784.06	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.71	2085.02	0.00	2082.01	7520.20	0.00	10582.27
11.07	0.00								0.00	40.50		108.31	338.02	0.00	518.02
												0.00	0.00	0.00	0.00
									0.04	0.00		03.44	102.50	0.00	275.04
												0.00	0.00	0.00	0.00
												50.50	138.50	0.00	195.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
20.04	0.00											103.02	178.22	0.00	201.24
												0.00	0.00	0.00	0.00
7.44	0.00											217.05	218.47	0.00	428.42
												0.00	0.00	0.00	0.00
												57.70	134.02	0.00	102.32
												0.00	0.00	0.00	0.00
104.01	1.75											375.30	211.23	0.00	508.02
												0.00	0.00	0.00	0.00
5.01	2.30											5.01	2.30	0.00	7.31
												0.00	0.00	0.00	0.00
												04.00	108.00	0.00	208.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
												04.00	198.00	0.00	208.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
214.07	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	40.50	0.00	1249.32	1780.40	0.00	3037.70
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214.07	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	40.50	0.00	1249.32	1788.40	0.00	3037.70
00.42	0.00											708.31	1379.00	0.00	2189.20
												0.00	0.00	0.00	0.00
2.00	0.00											2.00	0.00	0.00	2.00
												0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
3	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़	HO				236.15	226.93	0.00				104.07	1.55	
		RO												
4	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला	HO				145.93	278.24	0.00				89.85	1.55	
		RO												
5	बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय	HO												
		RO												
6	गुरू अंगद देव वेटेनरी एण्ड एनीमल सांईस यूनीवर्सिटी	HO										11.74	0.00	
		RO												
7	राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पटियाला	HO				65.14	151.98	0.00						
		RO												
	कुल	HO	0.00	0.00	0.00	968.63	1818.50	0.00	0.00	0.00	0.00	383.14	221.65	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		0.00	0.00	0.00	968.63	1816.50	0.00	0.00	0.00	0.00	383.14	221.65	0.00
	राजस्थान													
1	जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	HO				152.17	319.31	0.00				85.25	73.63	
		RO												
2	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	HO				111.09	203.03	0.00				75.95	1.55	
		RO												
3	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	HO				98.76	221.60	0.00				8.64	0.00	
		RO												
4	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	HO				259.10	547.78	0.00				84.48	1.55	
		RO												
5	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	HO				96.00	224.00	0.00						
		RO												
6	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी	HO				58.50	136.50	0.00						
		RO												
	कुल	HO	0.00	0.00	0.00	775.61	1652.22	0.00	0.00	0.00	0.00	254.31	76.73	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		0.00	0.00	0.00	775.61	1652.22	0.00	0.00	0.00	0.00	254.31	76.73	0.00
	तमिलनाडु													
1	अलगप्पा विश्वविद्यालय,कराई कुडी	HO				105.68	236.08	0.00				10.85	0.00	
		RO												
2	अन्ना विश्वविद्यालय,चेन्नई	HO				190.65	419.00	0.00				50.45	0.00	
		RO												
3	अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, अन्ना मलाई नगर	HO				133.88	310.13	0.00				85.97	0.00	
		RO												

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 5			क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 9			कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
1389.33	30.00								0.00	12.50		1747.01	278.70	0.00	2027.30
												0.00	0.00	0.00	0.00
438.55	0.00											072.33	278.70	0.00	052.12
												0.00	0.00	0.00	0.00
3.00	3.25											3.00	3.25	0.00	7.14
												0.00	0.00	0.00	0.00
45.75	11.35											57.40	11.35	0.00	00.04
												0.00	0.00	0.00	0.00
												05.14	151.00	0.00	217.12
												0.00	0.00	0.00	0.00
1070.04	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	3330.00	2186.13	0.00	5444.01
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1978.04	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	3338.00	2186.13	0.00	5444.01
103.51	0.00											428.02	302.03	0.00	013.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
2.24	0.00											108.20	204.50	0.00	303.07
												0.00	0.00	0.00	0.00
50.07	0.75											158.20	222.35	0.00	308.01
												0.00	0.00	0.00	0.00
103.45	0.00											537.02	548.33	0.00	1086.35
												0.00	0.00	0.00	0.00
0.53	0.00											102.53	224.00	0.00	328.53
												0.00	0.00	0.00	0.00
												50.50	138.50	0.00	105.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
438.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1486.52	1729.00	0.00	3186.22
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
438.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1486.52	1729.00	0.00	3186.22
55.17	0.00											171.70	238.00	0.00	407.77
												0.00	0.00	0.00	0.00
02.01	0.00								50.01	50.22		302.02	478.22	0.00	001.14
												0.00	0.00	0.00	0.00
108.77	0.00											408.02	318.13	0.00	718.74
												0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
4	मरथियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	HO				141.99	274.40	0.00				101.03	1.55	
		RO												
5	भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरूचिरापल्ली	HO				122.23	239.45	0.00				105.85	34.88	
		RO												
6	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई	HO				278.07	588.01	0.00				104.72	78.28	
		RO												
7	मदुराई कामराज विश्वविद्यालय, मदुराई	HO				237.92	492.39	0.00				187.73	1.55	
		RO												
8	मनोनमनीयम सुन्दरनार विश्वविद्यालय,	HO				107.36	249.91	0.00				6.96	0.00	
	तिरूनेलवेल्ली	RO												
9	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोडाईकनाल	HO				75.14	175.32	0.00						
		RO												
19	पेरियार विश्वविद्यालय, सेलम	HO				114.54	267.26	0.00						
		RO												
11	तमिलनाडु विश्वविद्यालय, तंजावुर	HO				55.25	128.93	0.00						
		RO												
12	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	HO										23.05	0.00	
		RO												
13	तमिलनाडु डॉ. अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी	HO				65.94	153.86	0.00						
		RO												
	कुल	HO	0.00	0.00	0.00	1628.64	3534.72	0.00	0.00	0.00	0.00	676.61	118.25	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		0.00	0.00	0.00	1628.64	3534.72	0.00	0.00	0.00	0.00	676.61	116.25	0.00
	उत्तर प्रदेश													
1	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी	HO				89.93	209.84	0.00						
		RO												
2	चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	HO				99.56	232.30	0.00						
		RO												
3	छ0 शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	HO				58.22	135.84	0.00						
		RO												
4	डी.डी.यू. गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	HO				134.04	257.95	0.00				81.56	1.55	
		RO												
5	डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	HO				91.59	213.71	0.00						
		RO												
6	डॉ. आर.एम.एल. अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद	HO				102.14	238.34	0.00				25.05	0.00	
		RO												

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 5			क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 9			कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
82.18	0.00											325.10	275.05	0.00	001.14
												0.00	0.00	0.00	0.00
216.13	0.00											444.21	274.33	0.00	718.54
												0.00	0.00	0.00	0.00
435.84	0.00											018.03	008.20	0.00	1484.01
												0.00	0.00	0.00	0.00
223.84	62.00								2.70	0.00		052.10	555.04	0.00	1288.13
												0.00	0.00	0.00	0.00
56.78	7.75											171.10	257.00	0.00	428.70
												0.00	0.00	0.00	0.00
5.40	0.00											00.54	175.32	0.00	255.05
												0.00	0.00	0.00	0.00
16.67	0.00											131.21	207.20	0.00	398.47
												0.00	0.00	0.00	0.00
31.32	0.00											00.57	128.03	0.00	215.50
												0.00	0.00	0.00	0.00
4.07	3.50											20.02	3.50	0.00	31.52
												0.00	0.00	0.00	0.00
												05.94	153.00	0.00	218.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
1387.00	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02.51	50.22	0.00	3784.03	3783.44	0.00	7548.27
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1387.00	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02.51	59.22	0.00	3784.03	3783.44	0.00	7548.27
2.00	0.00											02.53	208.04	0.00	302.37
												0.00	0.00	0.00	0.00
101.00	0.00											201.40	232.30	0.00	433.75
												0.00	0.00	0.00	0.00
												50.22	135.04	0.00	104.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
45.45	0.00								2.17	0.05		203.21	208.15	0.00	523.30
												0.00	0.00	0.00	0.00
24.82	0.00											118.51	213.71	0.00	338.22
												0.00	0.00	0.00	0.00
0.03	0.00											134.13	238.34	0.00	372.47
												0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
7	जगद्गुरू रामभद्राचार्य यूनिवर्सिटी फॉर हैन्डीकेप्पड	HO				81.50	190.16	0.00						
		RO												
8	लखनऊ विश्वविद्यालय,लखनऊ	HO				132.82	253.44	0.00				84.50	1.55	
		RO												
9	एम.जी. काशी विद्यापीठ, वाराणसी	HO				82.70	192.97	0.00						
		RO												
10	एम.जे.पी रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली	HO												
		RO												
11	एस. संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	HO				64.86	151.34	0.00						
		RO												
12	वी.बी.एस. पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर	HO				80.17	210.40	0.00						
		RO												
13	गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, नोएडा													
	कुल	HO	0.00	0.00	0.00	1027.52	2288.20	0.00	0.00	0.00	0.00	181.21	3.10	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		0.00	0.00	0.00	1027.52	2288.20	0.00	0.00	0.00	0.00	181.21	3.10	0.00
	उत्तराखण्ड													
1	जी.बी. पंत कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर	HO												
		RO												
2	कुँमाऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल	HO				126.75	243.80	0.00				78.18	6.55	
		RO												
3	दून विश्वविद्यालय, देहरादून	HO				58.50	136.50	0.00						
		RO												
	कुल	HO	0.00	0.00	0.00	185.25	380.30	0.00	0.00	0.00	0.00	78.10	6.55	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		0.00	0.00	0.00	185.25	380.30	0.00	0.00	0.00	0.00	78.10	0.55	0.00
	पश्चिम बंगाल													
1	बंगाल इंजी० एण्ड साइंस यूनिवर्सिटी	HO				207.97	254.27	0.00				45.98	0.00	
		RO												
2	वर्द्धमान विश्वविद्यालय, वर्द्धमान	HO				109.68	203.70	0.00				84.98	1.55	
		RO												
3	कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता	HO				332.04	706.08	0.00				317.07	286.75	
		RO												
4	जाधवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता	HO				384.04	831.62	0.00				390.87	655.05	
		RO												
5	कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी	HO				113.02	245.91	0.00				5.62	0.00	
		RO												

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 5			क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 9			कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
0.00	0.00											01.50	108.10	0.00	271.74
												0.00	0.00	0.00	0.00
05.00	0.00								0.31	0.00		313.32	254.00	0.00	508.31
												0.00	0.00	0.00	0.00
												02.70	192.07	0.00	275.07
												0.00	0.00	0.00	0.00
5.05	0.00											5.05	0.00	0.00	5.05
												0.00	0.00	0.00	0.00
12.17	0.00											77.03	151.34	0.00	228.37
												0.00	0.00	0.00	0.00
												00.17	218.40	0.00	308.57
												0.00	0.00	0.00	0.00
4.10	0.00											4.10	0.00	0.00	4.10
208.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.05	0.00	1520.01	2280.03	0.00	3010.03
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.05	0.00	1520.01	2280.03	0.00	3010.03
0.23	0.00											0.23	0.00	0.00	0.23
												0.00	0.00	0.00	0.00
40.07	0.00											254.01	258.35	0.00	504.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	2.15											05.10	138.05	0.00	203.01
												0.00	0.00	0.00	0.00
04.50	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	308.00	0.00	718.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.50	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	308.00	0.00	718.00
72.35	0.00								347.02	15.47		073.01	208.74	0.00	043.05
												0.00	0.00	0.00	0.00
0.22	0.00								12.00	10.30		215.77	224.02	0.00	448.30
												0.00	0.00	0.00	0.00
001.17	1.00		5.01						1.00	0.00		1257.00	003.04	0.00	2251.73
												0.00	0.00	0.00	0.00
013.22	0.00								1.50	0.00		1389.04	1486.07	0.00	2076.31
												0.00	0.00	0.00	0.00
30.00	1.10								5.50	0.00		154.10	247.01	0.00	401.20
											0.00	0.00	0.00	0.00	

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
6	नार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, दार्जिलिंग	HO				134.91	262.23	0.00				08.92	40.30	
		RO												
7	रविन्द्र भारती यूनिवर्सिटी, कोलकाता	HO				68.86	158.81	0.00						
		RO												
8	वेस्ट बंगाल नेश्नल यूनीवर्सिटी ऑफ	HO				67.24	153.86	0.00				4.40	0.00	
	ज्यूरीडीशियल साईंस, कोलकाता	RO												
9	विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर	HO				106.67	253.40	0.00				0.00	0.79	
		RO												
10	वेस्ट बगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी,	HO				87.66	203.14	0.00						
	कोलकाता	RO												
11	प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय	HO				6.00	14.00	0.00				23.04	0.00	
		RO												
	कुल	HO	0.00	0.00	0.00	1616.70	3287.02	0.00	0.00	0.00	0.00	970.60	904.44	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		0.00	0.00	0.00	1616.70	3287.02	0.00	0.00	0.00	0.00	970.69	904.44	0.00
	समग्र योग	HO	0.00	0.00	0.00	10050.04	42400.36	0.00	30.60	7.75	0.00	6205.23	2672.56	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल		0.00	0.00	0.00	10050.04	42400.36	0.00	30.60	7.75	0.00	6205.23	2672.56	0.00
	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का कुल योग		64015.16	123770.09	34207.05	4130.36	757.20	0.00	20.12	3.00	0.00	1001.02	2300.15	0.00
	समविश्वविद्यालयों का कुल योग		1618.16	3041.21	0.00	20.23	0104.25	0.00	13.07	0.00	0.00	250.30	0.00	0.00
	विश्वविद्यालयेत्तर/संस्थानों का योग		11.00	24.00	0.00	25.42	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4715.30	55.70	0.00
	अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों का कुल योग		0.00	0.00	0.00	1302.06	6345.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4700.09	21050.35	0.00
	राज्य विश्वविद्यालयों का कुल योग		0.00	0.00	0.00	10050.04	42400.36	0.00	30.60	7.75	0.00	6205.23	2672.56	0.00
	छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों हेतु बैंकों के माध्यम से किया गया आनॅलाईन भुगतान											1600.71	0.00	0.00
	एआईसीटीई, नई दिल्ली					0750.00	0.00	0.00						
	कुल		66244.32	127742.19	34207.05	31250.01	57703.25	0.00	70.00	11.03	0.00	18020.01	26075.05	0.00

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 5			क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 9			कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
43.23	1.05		1.51						0.00	2.70		278.50	307.20	0.00	505.03
												0.00	0.00	0.00	0.00
0.15	0.00											74.21	158.01	0.00	233.02
												0.00	0.00	0.00	0.00
												71.74	153.00	0.00	225.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
77.34	0.00								0.00	15.50		104.01	208.00	0.00	453.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
2.05	0.00											09.71	203.14	0.00	292.05
												0.00	0.00	0.00	0.00
30.50	0.00											00.04	14.00	0.00	02.04
												0.00	0.00	0.00	0.00
1483.02	4.05	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.35	53.12	0.00	4458.20	4328.02	0.00	0786.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1483.02	4.05	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.35	53.12	0.00	4450.20	4320.02	0.00	0786.00
11129.01	207.00	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547.20	3226.30	0.00	30055.05	40082.05	0.00	05550.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11129.01	207.00	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547.20	3226.30	0.00	30055.05	40682.05	0.00	05550.00
0087.04	233.70	0.00	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	04.45	0.00	0.00	70037.00	127108.97	34287.05	248208.72
1336.03	448.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.97	0.00	0.00	3289.55	12560.41	0.00	15065.05
443.00	20.95	0.00	13.10	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	20.17	308.21	0.00	5238.21	403.20	0.00	5721.40
0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0080.04	20383.47	0.00	34372.41
11129.01	207.00	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547.20	3226.30	0.00	30055.05	40082.05	0.00	05550.00
1058.00												2057.01	0.00	0.00	2057.01
									23250.00			30080.00	0.00	0.00	30080.00
22770.70	1011.50	0.00	104.17	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	23964.70	3582.00	0.00	163358.15	217117.00	34287.05	414773.00

परिशिष्ट–IX (जारी...)

वर्ष 2013–14 के दौरान महाविद्यालयों को प्रदत्त सामान्य योजनागत अनुदान (मुख्य शीर्षवार) को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4			क्षेत्रक 5		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
	केन्द्रीय विश्वविद्यालय													
1	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	HO	2.70	13.05	0.00				10.38	44.95				
		RO												
2	असम विश्वविद्यालय, सिलचर	HO	4.55	0.00	0.00				0.85					
		RO												
3	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	HO										7.51	3.00	
		RO												
4	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	HO	1369.75	2887.78	0.00				192.15			72.06	6.00	
		RO												
5	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर	HO	5.40	8.10	0.00				19.25	27.90				
		RO												
6	एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर	HO	3.60	5.40	0.00				12.46	18.60		14.15	3.10	
		RO												
7	मणीपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल	HO	2.54	15.58	0.00				11.97	0.00		0.63	50.38	
		RO												
8	मिजोरम विश्वविद्यालय, आइज़ौल	HO										1.26	0.00	
		RO												
9	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कोहिमा	HO	0.00	25.88	0.00				0.00	58.13		0.37	31.00	
		RO												
10	पुदुचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी	HO										6.33	0.65	
		RO												
11	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर	HO	0.00	20.83	0.00				0.00	72.08		3.12	2.00	
		RO												
12	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला	HO										1.22	0.85	
		RO												
	कुल	HO	1388.53	2976.71	0.00	0.00	0.00	0.00	246.09	221.05	0.00	108.05	90.00	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		1389.53	2976.71	0.00	0.00	0.00	0.00	246.90	221.05	0.00	106.05	00.90	0.00

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 9			क्षेत्रक 10			कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
									13.08	58.08	0.00	71.08
									0.00	0.00	0.00	0.00
15.60									21.05	0.00	0.00	21.05
									0.00	0.00	0.00	0.00
									7.51	3.00	0.00	10.51
									0.00	0.00	0.00	0.00
			8.80						1043.75	2883.78	0.00	4537.53
									0.00	0.00	0.00	0.00
									24.65	36.08	0.00	60.65
									0.00	0.00	0.00	0.00
									38.15	27.10	0.00	57.25
									0.00	0.00	0.00	0.00
									15.14	65.05	0.00	81.08
									0.00	0.00	0.00	0.00
									1.20	0.00	0.00	1.20
									0.00	0.00	0.00	0.00
8.28									8.05	115.00	0.00	124.65
									0.00	0.00	0.00	0.00
									0.33	0.05	0.00	0.88
									0.00	0.00	0.00	0.00
11.55									14.67	85.00	0.00	188.67
									0.00	0.00	0.00	0.00
									1.22	0.85	0.00	2.07
									0.00	0.00	0.00	0.00
36.48	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1788.45	3285.33	0.00	5083.78
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36.48	0.00	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1788.45	3285.33	0.00	5083.78

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4			क्षेत्रक 5		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
	सम विश्वविद्यालय													
1	भारतीय विद्यापीठ, पुणे	HO										11.83	0.00	
		RO												
	कुल	HO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.83	0.00	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	राज्य विश्वविद्यालय													
	आंध्र प्रदेश													
1	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, गुंटूर	HO	5.40	8.10	0.00				18.60	27.90		3.39	22.80	
		RO												
2	आन्ध्रा विश्वविद्यालय, वाल्टेयर	HO										21.69	24.00	
		RO												
3	जवाहर लाल टेकनीकल, हैदराबाद	HO							0.91	0.00				
		RO												
4	काकातीय विश्वविद्यालय, वारंगल	HO							1.34	0.00		9.82	3.40	
		RO												
5	ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	HO	4.35	28.81	0.00				17.30	87.19		71.04	0.00	
		RO												
6	श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, तिरुपति	HO	0.18	36.68	0.00				2.30	126.33				
		RO												
	कुल	HO	8.03	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	40.45	241.41	0.00	105.93	50.28	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		8.03	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	40.45	241.41	0.00	105.93	50.28	0.00
	असम													
1	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़	HO	3.34	23.63	0.00				0.00	81.38		6.75	9.10	
		RO												
2	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी	HO	0.00	12.15	0.00				5.96	0.00		13.41	43.45	
		RO												
	कुल	HO	3.34	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96	81.38	0.00	20.16	52.55	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		3.34	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96	81.38	0.00	20.16	52.55	0.00
	बिहार													
1	बी.एन. मण्डल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	HO	11.89	0.00	0.00							2.19	0.00	
		RO												
2	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	HO												
		RO												

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 8			कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
									11.03	0.00	0.00	11.03
									0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03	0.00	0.00	11.03
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									27.30	50.00	0.00	00.10
									0.00	0.00	0.00	0.00
									21.00	24.00	0.00	45.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
									0.01	0.00	0.00	0.01
									0.00	0.00	0.00	0.00
									11.15	3.40	0.00	14.55
									0.00	0.00	0.00	0.00
									02.00	114.00	0.00	209.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
									2.40	103.00	0.00	105.40
									0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.31	303.20	0.00	519.51
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.31	303.20	0.00	519.51
2.01									13.00	114.10	0.00	127.10
									0.00	0.00	0.00	0.00
									19.37	55.00	0.00	74.97
									0.00	0.00	0.00	0.00
2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.37	109.70	0.00	202.07
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.37	109.70	0.00	202.07
40.90									55.04	0.00	0.00	55.04
									0.00	0.00	0.00	0.00
39.05									39.05	0.00	0.00	39.05
									0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4			क्षेत्रक 5		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
3	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	HO	7.10	0.00	0.00									
		RO												
4	एल.एन. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	HO										0.76	0.00	
		RO												
5	मगध विश्वविद्यालय, बोध गया	HO							8.45	0.00		10.10	0.00	
		RO												
6	पटना विश्वविद्यालय, पटना	HO	6.54	0.00	0.00									
		RO												
	कुल	HO	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	13.06	0.00	0.00
	छत्तीसगढ़													
1	पं. रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर	HO							1.48	0.00		16.63	0.00	
		RO												
	कुल	HO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	16.63	0.00	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	16.63	0.00	0.00
	गुजरात													
1	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	HO	5.40	8.10	0.00				45.98	27.90		0.80	0.00	
		RO												
2	नार्थ गुजरात विश्वविद्यालय, पाटन	HO	0.00	23.40	0.00				1.67	62.00		0.00	18.80	
		RO												
3	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ	HO	11.70	38.83	0.00				37.20	122.45		5.34	3.00	
		RO												
4	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट	HO										2.25	1.00	
		RO												
	कुल	HO	17.10	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	04.85	212.35	0.00	0.30	22.80	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		17.10	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	04.85	212.35	0.00	0.30	22.80	0.00
	गोवा													
1	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा	HO							1.79	0.00				
		RO												
	कुल	HO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 8			कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
56.00									03.10	0.00	0.00	03.10
									0.00	0.00	0.00	0.00
20.05									20.01	0.00	0.00	20.01
									0.00	0.00	0.00	0.00
30.05									57.00	0.00	0.00	57.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
22.51									20.05	0.00	0.00	20.05
									0.00	0.00	0.00	0.00
226.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.05	0.00	0.00	273.05
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.05	0.00	0.00	273.05
									10.11	0.00	0.00	10.11
									0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11	0.00	0.00	10.11
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11	0.00	0.00	10.11
									52.10	30.00	0.00	00.10
									0.00	0.00	0.00	0.00
									1.07	104.00	0.00	105.07
									0.00	0.00	0.00	0.00
			3.10	14.73					57.34	106.00	0.00	237.34
									0.00	0.00	0.00	0.00
									2.25	1.00	0.00	3.25
									0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	3.10	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	113.45	321.00	0.00	434.45
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	3.10	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	113.45	321.00	0.00	434.45
									1.70	0.00	0.00	1.70
									0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	1.70
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	1.70

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4			क्षेत्रक 5		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
	हरियाणा													
1	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र	HO	3.60	87.66	0.00				34.48	175.93		8.68	42.20	
		RO												
2	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक	HO	0.00	4.76	0.00				3.63	0.00				
		RO												
	कुल	HO	3.60	92.41	0.00	0.00	0.00	0.00	38.12	175.93	0.00	0.00	42.20	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		3.00	92.41	0.00	0.00	0.00	0.00	38.12	175.93	0.00	0.00	42.20	0.00
	हिमाचल प्रदेश													
1	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	HO	0.00	5.75	0.00				1.31	0.00				
		RO												
	कुल	HO	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		0.00	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जम्मू और कश्मीर													
1	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू	HO										4.02	2.00	
		RO												
2	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	HO							23.91	0.00		3.62	5.30	
		RO												
	कुल	HO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.91	0.00	0.00	7.04	7.30	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.91	0.00	0.00	7.04	7.30	0.00
	झारखण्ड													
1	राँची विश्वविद्यालय, राँची	HO							1.49	0.00		12.39	0.50	
		RO												
2	विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग	HO										2.43	0.00	
		RO												
	कुल	HO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00	14.82	0.50	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	14.82	0.50	0.00
	कर्नाटक													
1	बंगलुरू विश्वविद्यालय, बंगलुरू	HO	7.65	51.98	0.00				29.23	179.03		12.70	5.40	
		RO												
2	गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा	HO							25.28	0.00		0.42	0.00	
		RO												
3	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़	HO	9.47	32.40	0.00				12.40	111.60		6.29	0.00	
		RO												

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 8			कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
			0.10	32.13					40.90	337.01	0.00	304.07
									0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.03					3.03	12.70	0.00	10.41
									0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	50.50	350.70	0.00	401.20
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	50.50	350.70	0.00	401.20
									1.31	5.75	0.00	7.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	5.75	0.00	7.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	5.75	0.00	7.00
									4.02	2.00	0.00	0.02
									0.00	0.00	0.00	0.00
									27.53	5.30	0.00	32.03
									0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.55	7.30	0.00	30.05
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.55	7.30	0.00	30.05
									13.07	0.50	0.00	14.37
									0.00	0.00	0.00	0.00
									2.43	0.00	0.00	2.43
									0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.31	0.50	0.00	10.01
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.31	0.50	0.00	10.01
25.15									74.73	230.40	0.00	311.13
									0.00	0.00	0.00	0.00
									25.70	0.00	0.00	25.70
									0.00	0.00	0.00	0.00
20.20									40.30	144.00	0.00	192.30
									0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4			क्षेत्रक 5		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
4	कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय, बीजापुर	HO	0.00	4.50	0.00				0.89	46.50				
		RO												
5	कुवेम्पू विश्वविद्यालय, शिमोगा	HO	3.60	5.40	0.00				12.40	18.60		5.45	4.30	
		RO												
6	मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर	HO	1.35	29.03	0.00				4.65	99.98		3.43	1.02	
		RO												
7	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर	HO										2.05	5.00	
		RO												
8	विश्वेश्वरैया विश्वविद्यालय	HO							5.70	0.00		14.57	12.50	
		RO												
9	कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय, हुबली	HO	0.00	9.00	0.00									
		RO												
	कुल	HO	22.07	132.30	0.00	0.00	0.00	0.00	00.56	455.70	0.00	44.80	28.22	0.00
		RO	8.80	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.88	0.00	0.00
	समग्र योग		22.07	132.30	0.00	0.00	0.00	0.00	00.58	455.70	0.00	44.80	28.22	0.00
	केरल													
1	कालीकट विश्वविद्यालय, कोझीकोड	HO	2.43	9.23	0.00				78.08	9.30		45.11	0.00	
		RO												
2	कन्नूर विश्वविद्यालय	HO	0.68	8.33	0.00				26.54	0.00		0.80	0.00	
		RO												
3	केरल विश्वविद्यालय, तिरूअनंतपुरम	HO							50.28	0.00		53.32	3.95	
		RO												
4	महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय, थ्रिसूर	HO	0.00	45.00	0.00				1.55	155.00		58.09	38.50	
		RO												
	कुल	HO	3.11	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00	156.46	164.30	0.00	157.32	42.45	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		3.11	02.55	0.00	0.00	0.00	0.00	156.46	164.30	0.00	157.32	42.45	0.00
	मध्य प्रदेश													
1	बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	HO							1.80	0.00		4.83	0.00	
		RO												
2	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, सागर	HO							0.84	0.00				
		RO												
3	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	HO							1.84	0.00		7.63	0.00	
		RO												
4	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	HO	2.70	4.05	0.00				10.88	13.95		0.78	0.00	
		RO												

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 8			कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
									0.88	51.00	0.00	51.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
									21.45	28.30	0.00	40.75
									0.00	0.00	0.00	0.00
									0.43	138.02	0.00	138.45
									0.00	0.00	0.00	0.00
									2.05	5.00	0.00	7.05
									0.00	0.00	0.00	0.00
									20.27	12.50	0.00	32.77
									0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
45.35	0.00	0.00	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	202.87	018.22	0.00	018.00
0.00	0.00	0.00	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45.35	0.00	0.00	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	202.87	018.22	0.00	018.00
			3.25	22.48					128.87	41.00	0.00	108.07
									0.00	0.00	0.00	0.00
			2.33	28.08					30.34	37.00	0.00	07.34
									0.00	0.00	0.00	0.00
17.50			2.20	38.50					123.31	34.45	0.00	157.70
									0.00	0.00	0.00	0.00
10.50									70.14	238.50	0.00	308.04
									0.00	0.00	0.00	0.00
28.00	0.00	0.00	7.78	81.05	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	358.05	0.00	703.01
0.00	0.00	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.00	0.00	0.00	7.78	81.05	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	358.05	0.00	703.01
									0.03	0.00	0.00	0.03
									0.00	0.00	0.00	0.00
									0.84	0.00	0.00	0.04
									0.00	0.00	0.00	0.00
									8.47	0.00	0.00	0.47
									0.00	0.00	0.00	0.00
									14.30	10.00	0.00	32.30
									0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4			क्षेत्रक 5		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
5	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	HO										2.24	0.00	
		RO												
	कुल	HO	2.70	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30	13.95	0.00	15.40	0.00	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		2.70	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30	13.95	0.00	15.40	0.00	0.00
	महाराष्ट्र													
1	एस.जी.बी. अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती	HO	7.01	43.54	0.00				13.03	22.09		16.90	146.65	
		RO												
2	डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद	HO	3.60	45.00	0.00				46.20	155.00		38.10	37.60	
		RO												
3	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई	HO	1.32	41.85	0.00				15.50	144.15		27.91	16.95	
		RO												
4	नार्थ महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, जलगॉव	HO	5.75	58.03	0.00				10.01	165.08		3.19	28.90	
		RO												
5	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे	HO	10.80	19.13	0.00				81.56	58.13		18.32	11.65	
		RO												
6	आर.टी.एम. नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर	HO							1.32	0.00		18.52	2.20	
		RO												
7	एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय, मुम्बई	HO										2.54	0.00	
		RO												
8	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर	HO	4.89	27.45	0.00				17.41	94.55		3.37	0.00	
		RO												
9	स्वामी आर.टी.एम. विश्वविद्यालय, नांदेड़	HO	1.80	21.38	0.00				5.17	43.40		0.34	0.00	
		RO												
	कुल	HO	35.17	256.36	0.00	0.00	0.00	0.00	190.20	082.30	0.00	129.20	243.95	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		35.17	256.36	0.00	0.00	0.00	0.00	190.20	082.30	0.00	129.20	243.95	0.00
	ओड़िशा													
1	फकीर मोहन विश्वविद्यालय, बालासोर	HO	3.94	0.00	0.00							4.31	0.00	
		RO												
2	सम्बलपुर, विश्वविद्यालय, सम्बलपुर	HO	3.94	0.00	0.00							3.89	0.00	
		RO												
3	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	HO										4.53	0.00	
		RO												
	कुल	HO	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.93	0.00	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.93	0.00	0.00

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 8			कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
									2.24	0.00	0.00	2.24
									0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.55	10.00	0.00	51.55
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.55	10.00	0.00	51.55
2.01			2.70	30.23					42.03	242.50	0.00	205.13
									0.00	0.00	0.00	0.00
									07.91	237.00	0.00	325.51
									0.00	0.00	0.00	0.00
1.45									40.10	202.05	0.00	240.14
									0.00	0.00	0.00	0.00
									10.94	252.00	0.00	270.04
									0.00	0.00	0.00	0.00
									110.00	00.90	0.00	100.50
									0.00	0.00	0.00	0.00
									19.04	2.20	0.00	22.04
									0.00	0.00	0.00	0.00
									2.54	0.00	0.00	2.54
									0.00	0.00	0.00	0.00
2.01			3.10	0.00					31.00	122.00	0.00	153.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
			3.10	30.23					10.41	05.00	0.00	105.41
									0.00	0.00	0.00	0.00
7.27	0.00	0.00	0.00	00.45	0.00	0.00	0.00	0.00	370.02	1243.15	0.00	1013.07
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.27	0.00	0.00	0.00	00.45	0.00	0.00	0.00	0.00	370.02	1243.15	0.00	1013.07
13.50									21.01	0.00	0.00	21.01
									0.00	0.00	0.00	0.00
13.50									21.30	0.00	0.00	21.30
									0.00	0.00	0.00	0.00
									4.53	0.00	0.00	4.53
									0.00	0.00	0.00	0.00
27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.03	0.00	0.00	47.03
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.03	0.00	0.00	47.03

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4			क्षेत्रक 5		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
	पंजाब													
1	गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	HO	4.87	52.46	0.00				12.03	89.13		27.16	30.55	
		RO												
2	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़	HO	0.83	9.75	0.00				3.94	0.00		12.75	4.30	
		RO												
3	पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला	HO	0.00	21.80	0.00				4.91	0.00		5.05	2.40	
		RO												
	कुल	HO	5.70	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80	88.13	0.08	44.80	37.25	0.08
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		5.70	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80	08.13	0.00	44.80	37.25	0.00
	राजस्थान													
1	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	HO										18.78	0.00	
		RO												
2	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	HO										8.70	2.20	
		RO												
3	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	HO	2.23	9.50	0.00				2.78	0.00		51.85	32.00	
		RO												
4	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	HO										42.43	0.00	
		RO												
5	बीकानेर विश्वविद्यालय	HO										35.07	0.00	
		RO												
	कुल	HO	2.23	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78	0.00	0.00	156.82	34.20	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		2.23	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	158.82	34.20	0.00
	तमिलनाडु													
1	अलगप्पा विश्वविद्यालय, कराईकुडी	HO										2.68	1.25	
		RO												
2	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	HO										3.51	0.00	
		RO												
3	भरथियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	HO	11.47	45.34	0.00	2.30	0.00	0.00	43.06	125.16		30.37	45.85	
		RO												
4	भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरूचिरापल्ली	HO	10.04	31.27	0.00				63.14	51.89		32.05	57.80	
		RO												
5	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई	HO	1.71	4.50	0.00				6.28	0.00		35.64	18.30	
		RO												
6	मदुराई कामराज विश्वविद्यालय, मदुराई	HO	4.50	43.76	0.00				19.86	119.74		49.90	35.10	
		RO												

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 8			कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
7.40			0.00	8.48		0.00	27.13		51.52	207.74	0.00	258.20
									0.00	0.00	0.00	0.00
			2.80	11.21					20.38	25.20	0.00	45.04
									0.00	0.00	0.00	0.00
			4.00	113.40					13.90	137.40	0.00	151.30
									0.00	0.00	0.00	0.00
7.40	0.00	0.00	0.80	133.08	0.00	0.00	27.13	0.00	85.80	370.41	0.00	458.27
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.40	0.00	0.00	0.80	133.00	0.00	0.00	27.13	0.00	85.80	370.41	0.00	458.27
									18.78	0.00	0.00	10.70
									0.00	0.00	0.00	0.00
									8.70	2.20	0.00	10.90
									0.00	0.00	0.00	0.00
									50.85	41.50	0.00	00.35
									0.00	0.00	0.00	0.00
									42.43	0.00	0.00	42.43
									0.00	0.00	0.00	0.00
									35.07	0.00	0.00	35.07
									0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.83	43.70	0.00	205.53
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.83	43.70	0.00	205.53
									2.08	1.25	0.00	3.03
									0.00	0.00	0.00	0.00
									3.51	0.00	0.00	3.51
									0.00	0.00	0.00	0.00
									87.20	210.35	0.00	303.55
									0.00	0.00	0.00	0.00
									105.23	140.00	0.00	248.10
									0.00	0.00	0.00	0.00
									43.03	22.00	0.00	00.43
									0.00	0.00	0.00	0.00
			17.25	0.00					81.52	108.00	0.00	208.12
									0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4			क्षेत्रक 5		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
7	मनोनमनीयम सुन्दरनार विश्वविद्यालय, तिरूनेलवेल्ली	HO							2.60	0.00		28.82	2.45	
		RO												
8	पेरियार विश्वविद्यालय, सेलम	HO							0.70	0.00				
		RO												
9	डॉ0 एम0जी0आर0 मेडीकल यूनीवर्सिटी, चेन्नई	HO							6.80	0.00		6.20	0.00	
		RO												
	कुल	HO	27.72	124.97	0.00	2.30	0.00	0.00	144.55	296.79	0.00	189.10	166.75	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		27.72	124.87	0.00	2.30	0.00	0.00	144.55	288.70	0.00	188.10	166.75	0.00
	उत्तर प्रदेश													
1	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी	HO										4.37	4.10	
		RO												
2	चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	HO	8.62	52.21	0.00				36.61	139.87		103.45	34.10	
		RO												
3	छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	HO	0.00	5.28	0.00				25.16	0.00		40.28	9.62	
		RO												
4	डी.डी.यू. गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	HO	6.56	10.35	0.00				11.64	13.95		8.46	34.15	
		RO												
5	डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	HO	8.87	14.56	0.00				30.57	45.85		21.18	0.00	
		RO												
6	डॉ. आर.एम.एल. अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद	HO										10.27	1.00	
		RO												
7	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	HO							4.66	0.00				
		RO												
8	एम.जी. काशी विद्यापीठ, वाराणसी	HO	3.60	5.40	0.00				12.40	18.60		3.72	1.60	
		RO												
9	एम.जे.पी रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली	HO	0.84	30.89	0.00				31.15	0.00		35.11	4.25	
		RO												
10	एस. संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	HO	0.00	1.08	0.00									
		RO												
11	वी.बी.एस. पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर	HO	0.00	1.26	0.00							1.16	0.00	
		RO												
	कुल	HO	28.49	121.92	0.00	0.00	0.00	0.00	152.19	218.27	0.00	227.90	08.82	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		28.40	121.82	0.00	0.00	0.00	0.00	152.10	218.27	0.00	227.80	08.82	0.00

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 8			कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
			15.22	0.00					40.05	2.45	0.00	40.10
									0.00	0.00	0.00	0.00
									0.70	0.00	0.00	0.70
									0.00	0.00	0.00	0.00
									15.10	0.00	0.00	15.10
									0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.23	582.41	0.00	078.04
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.23	582.41	0.00	078.04
									4.37	4.10	0.00	0.47
									0.00	0.00	0.00	0.00
									148.00	226.18	0.00	374.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.50					05.44	24.40	0.00	00.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	21.70					20.05	80.15	0.00	108.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
									00.02	00.41	0.00	121.03
									0.00	0.00	0.00	0.00
									10.27	1.00	0.00	11.27
									0.00	0.00	0.00	0.00
									4.00	0.00	0.00	4.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
			0.33	0.00					20.04	25.00	0.00	45.04
									0.00	0.00	0.00	0.00
2.01			0.00	34.48					70.01	08.02	0.00	138.03
									0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	3.72					0.00	4.80	0.00	4.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	4.34					1.10	5.00	0.00	0.70
									0.00	0.00	0.00	0.00
2.01	0.00	0.00	0.33	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00	411.80	501.02	0.00	013.01
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01	0.00	0.00	0.33	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00	411.88	501.02	0.00	013.01

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4			क्षेत्रक 5		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
	उत्तराखण्ड													
1	कुँमाऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल	HO	0.00	0.18	0.00							2.24		
		RO												
	कुल	HO	0.08	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00
	पश्चिम बंगाल													
1	वर्द्धमान विश्वविद्यालय, वर्द्धमान	HO	3.60	25.65	0.00				13.96	18.60		4.10	69.75	
		RO												
2	कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता	HO	0.00	25.20	0.00				26.23	54.25		32.55	32.55	
		RO												
3	नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, दार्जलिंग	HO	0.00	15.75	0.00				2.38	54.25				
		RO												
4	विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर	HO	10.22	43.65	0.00				13.61	103.85		0.00	46.50	
		RO												
	कुल	HO	13.82	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	55.50	230.95	0.00	36.65	148.80	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		13.82	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	55.50	230.95	0.00	36.65	148.80	0.00
	समग्र योग	HO	208.30	1181.75	0.00	2.30	0.00	0.00	1036.30	2862.54	0.00	1212.90	959.70	0.00
		RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल		208.38	1181.75	0.00	2.30	0.00	0.00	1036.30	2862.54	0.00	1212.80	959.70	0.00
	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का कुल योग		1399.53	2979.71	0.00	0.00	0.00	0.00	249.90	221.65	0.00	166.65	96.90	0.00
	समविश्वविद्यालयों का कुल योग		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.83	0.00	0.00
	कुल विश्वविद्यालयेत्तर/संस्थान		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	13.45	0.00	0.00
	अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों का कुल योग		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	राज्य विश्वविद्यालयों का कुल योग		208.38	1191.75	0.00	2.30	0.00	0.00	1036.30	2862.54	0.00	1212.86	959.70	0.00
	कुल		1596.91	4159.45	0.00	2.30	0.00	0.00	1285.27	3084.10	0.00	1344.70	1056.76	0.00

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 8			कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
			0.00	0.02					2.24	0.00	0.00	3.04
									0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	3.04
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	3.04
20.43									51.00	114.00	0.00	105.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
20.43									00.21	112.00	0.00	208.21
									0.00	0.00	0.00	0.00
20.43									31.01	70.00	0.00	101.01
									0.00	0.00	0.00	0.00
22.00									40.04	194.00	0.00	248.04
									0.00	0.00	0.00	0.00
111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.14	408.00	0.00	707.14
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.14	498.00	0.00	707.14
458.72	0.00	0.00	50.71	404.50	0.00	0.00	27.13	0.00	2078.37	5435.70	0.00	0414.07
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
458.72	0.00	0.00	59.71	404.50	0.00	0.00	27.13	0.00	2978.37	5435.70	0.00	0414.07
30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1788.45	3285.33	0.00	5083.70
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.83	0.00	0.00	11.03
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.33	0.00	0.00	15.33
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
458.72	0.00	0.00	50.71	404.50	0.00	0.00	27.13	0.00	2078.37	5435.70	0.00	0414.07
405.20	0.00	0.00	00.51	404.50	0.00	0.00	27.13	0.00	4793.00	0731.03	0.00	13525.01

छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों हेतु बैंकों के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान	0.00	0.00	0.00	1098.71	1858.90	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	**2959.61**
एआईसीटी, नई दिल्ली	0.00	6750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23250.00	0.00	**30000.00**
कुल विश्वविद्यालय	**228284.37**	**89043.17**	**91.22**	**45902.46**	**23788.32**	**104.17**	**0.00**	**2.00**	**27557.39**	**0.00**	**414773.08**
महाविद्यालय											
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0.00	4365.24	0.00	468.64	203.62	36.48	0.00	0.00	9.80	0.00	5083.78
सम विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.83
राज्य विश्वविद्यालय	0.00	1390.13	2.30	3898.93	2172.65	458.72	0.00	0.00	464.21	27.13	8414.07
विश्वविद्यालयेत्तर संस्थान	0.00	0.00	0.00	1.88	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.33
महाविद्यालयों का योग	**0.00**	**5755.36**	**2.30**	**4369.46**	**2401.55**	**495.20**	**0.00**	**0.00**	**474.01**	**27.13**	**13525.01**
विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों का योग	**228284.37**	**94798.53**	**93.52**	**50271.91**	**26189.87**	**599.37**	**0.00**	**2.00**	**28031.40**	**27.13**	**428298.10**
क्षेत्रीय केन्द्र	0.00	57513.84	4826.92	15392.24	5088.71	0.00	0.00	0.00	23128.78		105950.49
स्थापना				230.84				346.08		0.17	577.09
समग्र योग	**228284.37**	**152312.37**	**4920.44**	**65894.99**	**31278.58**	**599.37**	**0.00**	**348.08**	**51160.18**	**27.30**	**534825.68**

परिशिष्ट–IX

सारांश (योजनागत) 2013-2014

(लाख रुपये में)

	विश्वविद्यालयों को ब्लॉक अनुदान	वि0अ0आ0 योजनाएँ	लिंग / समता	गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता	शोध योजनाएँ	तर्क संगत एवं मूल्य आधारित शिक्षा	आईसीटी समेकन	शासन एवं कार्यकुशलता में सुधार	प्रतिबद्ध देयताएँ (पुरानी वि0अ0आ0 योजनाएँ	नई योजनाएं	कुल (क्षेत्रक 1 से 10)
	क्षेत्रक-1	क्षेत्रक-2	क्षेत्रक-3	क्षेत्रक-4	क्षेत्रक-5	क्षेत्रक-6	क्षेत्रक-7	क्षेत्रक-8	क्षेत्रक-9	क्षेत्रक-10	
विश्वविद्यालय											
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	222690.00	4896.56	29.99	4270.17	8241.70	73.85	0.00	0.00	94.45	0.00	**240296.72**
सम विश्वविद्यालय	5594.37	8210.48	13.87	259.38	1777.88	0.00	0.00	0.00	44.97	0.00	**15900.95**
राज्य विश्वविद्यालय	0.00	61445.20	47.35	8937.78	11337.80	17.16	0.00	0.00	3773.60	0.00	**85558.90**
अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र	0.00	7707.17	0.00	26565.24	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**34372.41**
विश्वविद्यालयेत्तर संस्थान	0.00	33.75	0.00	4771.17	472.03	13.16	0.00		394.38	0.00	**5684.49**